प्रस्तावना

शुची वो हव्या मरूतः शुचीनां शुचिं हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः।
ऋतेन सत्यं ऋतसाप आयञ्छुचिजन्मानः शुचयः पावकाः।।

ऋग्वेद 7.56.12

(हमारा अंतर-बाह्य सभी कुछ शुद्ध हो। शुचिता से कमाए हुए शुद्ध धन से परोपकार करें। रिश्वत, जुआ, बेईमानी तथा अनीति से प्राप्त धन, घर तथा राष्ट्र दोना. को बर्बाद कर देता है।)

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(4) के अनुसार मेरे द्वारा इस अधिनियम के अधीन सम्पादित कार्यों के संबंध में यह 30वाँ वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 तक की अवधि के लिए एतद्द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह मेरे कार्यकाल का तीसरा प्रतिवेदन है। इस प्रतिवेदन के विभिन्न अध्याया. की विषयवस्तु का विवरण आरम्भ करने से पूर्व, भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं उन्मूलन, जो लोकायुक्त संस्था का मुख्य उद्देश्य है, पर संक्षिप्त विमर्श के अतिरिक्त संस्था की विशिष्टिया. की जानकारी दिया जाना उपयुक्त है।

जब जन प्रतिनिधि और लोकसेवक भ्रष्ट आचरण करते हैं तो उनका ऐसा आचरण ग्राम, नगर, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अव्यवस्था का कारण बन जाता है। इस अव्यवस्था से निजात पाने के लिए जनता पहले लोकतांत्रिक तरीके से भ्रष्ट सत्ताधारिया.

को बदलने का प्रयास करती है तथा इसम. असफल रहने पर कुण्ठित, दु:खी व विक्षुब्ध होकर विवश हो अलोकतांत्रिक रीति अपनाने, हिंसा का आश्रय लेने या सामाजिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने की दिशा म. अग्रसर हो जाती है। प्रसिद्ध दार्शनिक ऑस्कर वाइल्ड का कथन है कि जब व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था हो जाती है तो ऐसी अव्यवस्था, व्यवस्था की पुन:स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार करती है।

विश्व इतिहास की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि विभिन्न देशा. में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद व उच्च पदस्थ लोगा. द्वारा पद के दुरूपयोग व उनमे सच्चरित्रता के गम्भीर अभाव के कारण पैदा हुई अराजकता के परिणामस्वरूप विद्रोह की आवाज बुलन्द हुई है। इसके ज्वलन्त उदाहरण नौकरशाहो. में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध से जन्मी रूस की अक्टूबर क्रांति व चीन म. चांग काई शेक की सरकार का तख्ता पलट है। इनका मुख्य कारण प्रशासन म. फैला भ्रष्टाचार ही था। घाना के राष्ट्रपति क्वात्रे करूमा व इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हाने पहले क्रांतिकारी के रूप में राष्ट्र निर्माण म. भूमिका निभाई लेकिन बाद म. सत्ता प्राप्त होने पर उन्हाने मदान्ध हो भ्रष्टाचार की सीमाएं पार कर दीं। परिणामस्वरूप उनके विरूद्ध हुए उग्र जन आंदोलन ने उन्ह. पद त्याग को विवश कर दिया।

□□ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में भी जन प्रतिनिधिया. व नौकरशाहा. के गुटबंदी से जुड़े भ्रष्टाचार के अनेक मामला. का भण्डाफोड़ हुआ है जिनकी याद. समय-समय पर हम सभी को कुण्ठित व निराश करती हैं।

जन प्रतिनिधिया. और लोकसेवका. के भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से **'ऑम्बुड्समैन'** संस्था की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1809 में स्वीडन में की गई थी। भारतवर्ष म. इस संस्था की स्थापना का बीजारोपण वर्ष 1959 म. संसद में हुई एक अनुप्राणित बहस के द्वारा हुआ। बाद म. श्री सी.डी.देशमुख, जो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये। तदुपरान्त श्री के.एम.मुंशी ने वर्ष 1962 म. एक स्थायी जाँच प्राधिकरण का गठन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अन्त म. सांसद

डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने इस मुद्दे को विस्तार के साथ संसद के समक्ष रखा। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री पी.बी. गजेन्द्रगडकर ने भी जुलाई 1963 में **'ऑम्बुड्समैन'** संस्था की स्थापना के सुझाव को समर्थन प्रदान किया। इस संस्था की वैचारिक परिकल्पना निम्नानुसार थी:-

- लोकायुक्त का पद एक उच्च न्यायिक पद के सदृश होगा।
- लोकायुक्त की चयन प्रक्रिया पारदर्शी और नीतिसम्मत होगी।
- लोकायुक्त संस्था राजनैतिक दला. से पृथक निष्पक्ष और स्वतंत्र होगी।
- लोकायुक्त संस्था द्वारा की गई जाँच गोपनीय प्रकृति की होगी।
- लोकायुक्त संस्था को अन्याय, भ्रष्टाचार और पक्षपात आदि के प्रकरणा. के बारे म. जाँच का क्षेत्राधिकार होगा।

आज के हालात म. कतिपय जन प्रतिनिधि और लोकसेवक सत्यनिष्ठा के मार्ग को त्यागकर अपने पद का बेहिचक दुरूपयोग करते दिखाई देते हैं, जिससे सारा समाज त्रस्त और संतप्त हो जाता है। वे आम जनता के वाजिब, विधिक और नियमानुकूल कार्य भी समय पर नहीं करते हैं। सुशासन की स्थापना के लिए जन प्रतिनिधिया. और लोकसेवका. में शुचितापूर्ण आचरण के साथ-साथ दायित्व बोध तथा कर्तव्यपरायणता होने का विशेष महत्व है। इनकी कार्यप्रणाली में लोक कल्याण (public welfare) और लोक हित (public interest) का सर्वोच्च स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि लोकसेवक के कार्यकलाप उपरोक्त दर्शन के विपरीत हैं तो ऐसे जनसेवको. को जनता का सम्मान, श्रद्धा और विश्वास मिलना संभव नहीं है।

भारतीय संविधान में राज्य के अधिकारिया. और कर्मचारिया. के लिए 'लोकसेवक' शब्द प्रयुक्त किया गया है। संविधान म. इन सभी से सदाशयता और सत्यनिष्ठा से अपने पदीय दायित्वा. का समुचित निर्वहन करने की अपेक्षा भी की गई है। लोकतन्त्र म. राजनेता, अधिकारी एवं

कर्मचारी लोकसेवक के रूप म. कार्य करते हैं और आम जनता म. ही देश की सार्वभौमिक शक्ति निहित होती है लेकिन वर्तमान म. बहुत से स्थाना. पर व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता व हठधर्मितापूर्ण रवैये के परिप्रेक्ष्य म. यह अवधारणा वांछानुसार साकार नहीं हो पा रही है।

लोकायुक्त संस्था पिछले कुछ दशको. से मुख्य रूप से भ्रष्टाचारजन्य कुशासन के आरोपा. की जाँच व अन्वेषण करके सुशासन की स्थापना हेतु सतत् प्रयासरत है परन्तु दूसरी ओर यह भी सत्य है कि लोगा. म. लोकायुक्त संस्था के अधिकार क्षेत्र और इसकी उपयोगिता के बारे में पर्याप्त जानकारी का आज भी अभाव है। आम जन को लोकायुक्त संस्था के कार्यक्षेत्र और महत्त्व से परिचित करवाने के उद्देश्य से मैंने स्वयं व संस्था के अधिकारीगण के माध्यम से विभिन्न स्थाना. पर शिविर आयोजित किये हैं। इन शिविरा. म. जिला व उपखण्ड स्तरीय अधिकारीगण, गैर सरकारी संगठना. के प्रतिनिधिगण व प्रबुद्ध नागरिक भी आमंत्रित किये गये। अक्सर गैर सरकारी संगठना. की जन समुदाय पर अच्छी पकड़ देखी जाती है, इसलिए उक्त शिविरा. के दौरान उनसे अनुरोध किया गया कि वे आम जन को लोकायुक्त संस्था की कार्यप्रणाली व क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध म. प्राथमिक जानकारी उपलब्ध करवाने म. मददगार व सहायक बनें।

शिविरा. के दौरान जिला स्तरीय अधिकारिया. की बैठक म. मेरे द्वारा विशेष रूप से आग्रह किया गया कि वे सुशासन की स्थापना म. संवेदनशील रहकर अपना सार्थक सहयोग प्रदान करने का प्रयास करें। इसके अलावा उन्हें अपने कार्य-व्यवहार म. अधिक से अधिक पारदर्शिता अपनाने और भ्रष्टाचार के विरूद्ध परमशून्य सहनशीलता का दृष्टिकोण (Absolute Zero Tolerance Approach) अपनाकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने की प्रेरणा भी दी गई। लोकसेवका. के लिए राज्य हित सर्वप्रथम है और उक्त परिप्रेक्ष्य म. उनके आचरण, व्यवहार, निष्ठा व शुचिता म. कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। उनसे यह भी आग्रह किया गया कि वे विभाग से सम्बन्धित शिकायता. के बारे म. लोकायुक्त सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन माँगे जाने पर शीघ्रता से कार्यवाही कर, अविलम्ब रिपोर्ट भिजवाने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित करें जिससे

सचिवालय के समक्ष लम्बित परिवादा. का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण संभव हो।

इन्हीं सब प्रयासों के फलस्वरूप प्रतिवेदनाधीन अवधि म. संस्था को **6485** परिवाद प्राप्त हुए जो संस्था के इतिहास म. **सर्वाधिक** हैं। इसी अवधि म. **4990** शिकायता. का निस्तारण किया गया, जो संस्था के इतिहास म. किया गया **सबसे अधिक निस्तारण** है। इससे पूर्व मेरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष (2013-14) म. रिकॉर्ड **3928** शिकायता. एवं द्वितीय वर्ष (2014-15) म. **3756** शिकायता. का निस्तारण किया गया था। इनका विवरण अध्याय-2 एवं परिशिष्ट-2.1 व 2.2 म. दिया गया है।

लोकायुक्त संस्था के उद्देश्य और क्षेत्राधिकार के विषय म. अनुपूरक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नवीन वेबसाइट http://lokayukta.rajasthan.gov.in प्रवर्तित की गई है। परिवाद ईमेल lokayukta@rajasthan.gov.in द्वारा भेजे जाने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। सामान्य जन को लोकायुक्त सचिवालय में शिकायत प्रस्तुत किये जाने के प्रावधाना. से अवगत करवाने के लिए समस्त ग्राम पंचायत भवना. व अटल सेवा केन्द्रा. में सूचना पट्ट लगवाये गये हैं। संस्था द्वारा प्रकाशित विवरण पुस्तिका (brochure) म. इस विषयक अन्य जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई हैं जिसे विभिन्न शिविरा. म. वितरित किया जाता है।

लोकायुक्त के रूप म. पदभार ग्रहण करने के बाद मैंने संस्था म. परिवाद प्रबन्धन और जाँच प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास किया है। यद्यपि संस्था को सीमित संसाधन और अधिकार उपलब्ध हैं तदपि हम कर्नाटक व मध्यप्रदेश राज्यों जैसी सफलता प्राप्त करने की दिशा म. प्रयासरत हैं। हमारे पास उपर्युक्त राज्या. के समान सशक्त लोकायुक्त अधिनियम और विकसित संस्थागत ढांचे का अभाव है परन्तु इन परिस्थितिया. म. भी यह सचिवालय संस्थित परिवाद, प्रारम्भिक जाँच व अन्वेषण आदि को तीव्र गति के साथ तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचाने हेतु सम्पूर्ण निष्ठा के साथ प्रयासरत है।

प्रतिवेदनाधीन अवधि म. संस्था म. संस्थित एवं निस्तारित परिवादा. की सूचना अध्याय-2 म. उपलब्ध है। इस अवधि म. लोकायुक्त संस्था द्वारा विभिन्न शिकायता. म. कार्यवाही करने के फलस्वरूप सम्बन्धित विभागा. द्वारा 168 अपचारी अधिकारिया/कर्मचारिया. के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर उन्हें विभिन्न दण्डा. से दण्डित किया गया है। इसी अवधि म. संस्था 500 प्रकरणा. म. परिवादीगण को विधिसम्मत अनुतोष उपलब्ध करवाने म. भी सफल रही है।

सर्वाधिक शिकायता. वाले विभाग इस अवधि म. भी कमोबेश पूर्वानुसार ही हैं। यह निम्न विवरण से स्पष्ट है:

क्र.सं.	**विभाग का नाम**	**शिकायत.**
1.	नगरीय विकास एवं आवासन, विकास प्राधिकरण/ स्थानीय निकाय	1057
2.	राजस्व	1025
3.	पुलिस	929
4.	खान आवंटन जाँच	854
5.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	695

ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार मात्र उक्त विभागा. तक ही सीमित हो बल्कि इसका मकड़जाल अन्य विभागा. म. भी व्याप्त है, उदाहरणार्थ- सिंचाई, जलदाय, रसद, सड़क, पंजीयन जैसे अनेक अन्य विभाग। ऐसे सरकारी विभागा. म. कई कामा. की भ्रष्ट-कीमत. करीब-करीब तय हैं। इन विभागा. का जनता से सीधा सम्बन्ध होने से इनके कार्यकलाप जग जाहिर हैं लेकिन यह कटु सत्य है कि हमारे भरसक प्रयासा. के बावजूद भी यह संस्था इन विभागा. के कामकाज पर नजर रखने और नकेल लगाने म. सफल नहीं हो पा रही है क्याकि इस संस्था के पास पर्याप्त शक्ति व संसाधना. का अभाव है।

मेरे द्वारा पूर्व म. प्रस्तुत प्रतिवेदन म. उपर्युक्त विभागा. की कार्यशैली म. विद्यमान दोषा. का परीक्षण कर इनकी कार्यप्रणाली म. सुधार लाने की सलाह दी गई थी लेकिन इस दिशा म. किसी भी विभाग द्वारा पहल

किये जाने की कोई भी सूचना इस सचिवालय को अभी तक नहीं मिल पाई है। यह सर्वविदित है कि विकास कार्यों हेतु आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग उस कार्य में नहीं हो पाता है और इसका सारभूत अंश भ्रष्टाचार की भट चढ़ जाता है। इस प्रकार जनहित के कार्यों के लिए आवंटित राशि का पूर्ण सदुपयोग उस कार्य विशेष में न हो पाना एक गम्भीर समस्या है जिसका निदान निर्विवाद रूप से भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगाने म. ही निहित है।

जब भ्रष्ट लोकसेवका. के विरूद्ध प्रारम्भिक जाँच किये जाने के बाद विभागीय जाँच आरम्भ की जाती है तो प्राय: देखने म. यह आता है कि वह द्रुत गति से पूर्ण नहीं हो पाती है। इस सन्दर्भ म. प्रशासन के स्तर पर विभागीय जाँच म. होने वाली देरी के कारणा. का अध्ययन कर इसम. सुधार के रास्ते ढूंढना अति आवश्यक हो गया है। इसके अलावा सम्बन्धित जाँच आयुक्ता. को जाँच पूर्ण करने हेतु और अधिक प्रशिक्षित कर निष्णात बनाया जाना भी अपेक्षित है।

सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश श्री अरिजित पसायत ने State of Andhra Pradesh v. Vasudeva Rao (Appeal (Crl.) 208 of 1997) म. दिये गये निर्णय दिनांक 13.11.2003 म. भ्रष्टाचार की ज्वलन्त समस्या की व्याख्या निम्नानुसार की है:

> "The word 'corruption' has wide connotation and embraces almost all the spheres of our day to day life the world over. In a limited sense it connotes allowing decisions and actions of a person to be influenced not by rights or wrongs of a cause, but by the prospects of monetary gains or other selfish considerations."

यह हम सभी के लिए खेद का विषय है कि विश्व को मूल्य आधारित आदर्श जीवन दर्शन का पाठ पढ़ाने वाला देश भ्रष्टाचाररूपी घुन को नष्ट करने म. सफल नहीं हो पा रहा है जबकि ऐसी विशाल सांस्कृतिक सम्पदा के धनी राष्ट्र म. नैतिक मूल्या. की अवनति कल्पना से

परे थी। भारत के स्वतंत्र होने के चन्द दिना. बाद ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय जीवन म. भ्रष्टाचार के प्रवेश की बात स्वीकार करते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि मान्यता देने की सीख दी थी :

> "I hear from many quarters that it (corruption) is on increase. Will everyone be for himself and none for India ? "

M.K.Gandhi, Delhi Dairy (Ahmedabad: Navjivan Publishing House, 1948), p. 256.

देश म. भ्रष्टाचार के नियंत्रण के निमित्त बनी संस्थाआ. को और अधिक शक्तिसम्पन्न और प्रभावी बनाया जाना समय की अपेक्षा और माँग है। यद्यपि यह संस्था अपने कार्य सम्पादन म. जिन कठिनाइया. का सामना कर रही है, उन्ह. दूर करने हेतु राज्य सरकार से पिछले प्रतिवेदना. म. निवेदन करती रही है, परन्तु उनकी ओर ध्यान नहीं दिये जाने के कारण इस प्रतिवेदन म. उन कठिनाइया. का उल्लेख पुनरावृत्ति की कीमत पर किया जाना अनिवार्य हो गया है।

हमारी ओर से राजस्थान म. लोकायुक्त संस्था को और अधिक प्रभावी एवं जन उपयोगी बनाने के लिए राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रारूप बनाकर पत्र क्रमांक प.1 (14)लोआस/ 1984/13564 दिनांक 17.01.2014 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था परन्तु इस दिशा म. हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अभी तक नहीं मिली है। अतः मैं राज्य सरकार से पुनः प्रस्तावित संशोधित अधिनियम को शीघ्र पारित करवाकर प्रदेश म. प्रवर्तित करवाये जाने की संस्तुति करता हूँ ।

पूर्व प्रतिवेदन म. हमने राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प.6(2)का/क-3/ शिका/2011 जयपुर दिनांक 4.10.2013 द्वारा 15 पुलिस अधिकारिया. और कर्मिया. के पद स्वीकृत करके पुलिस प्रकोष्ठ स्थापित करने के विषय का उल्लेख करते हुए अंकित किया था कि उक्त पदा. की स्वीकृति के बाद भी पुलिस अधिकारिया. और कर्मिया. के पदस्थापन के संबंध म. कोई पहल नहीं हुई है। विकल्प म. राजस्थान लोकायुक्त

तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 14(3) के अधीन किसी भी अन्वेषण एजेन्सी/अधिकारीगण की सेवाएं राज्य सरकार की बिना पूर्व अनुमति और सहमति के प्राप्त करने हेतु संस्था को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव भी भेजा गया था। इस सम्बन्ध में भी अपेक्षानुरूप कार्यवाही न करते हुए कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांकः एफ. 6(1)डीओपी/ए-3/कम्प./2016 दिनांक 21.1.2016 के अनुसार मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी को एकल सम्पर्क अधिकारी मनोनीत करने हेतु अधिकृत किया गया है जो कि राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही राज्य के किसी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि लोकायुक्त को किसी विशेष प्रकरण के अन्वेषण हेतु एकल सम्पर्क अधिकारी को अनुरोध करना होगा जो विलम्बकारी एवं अव्यावहारिक तो है ही, साथ ही इस सचिवालय की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है।

अतः राज्य सरकार को चाहिए कि वह अब शीघ्र ही अधिनियम की धारा 14(3) के अधीन किसी भी अन्वेषण एजेन्सी/अधिकारीगण की सेवाएं राज्य सरकार की बिना पूर्व अनुमति और सहमति के प्राप्त करने हेतु इस संस्था को अधिकृत करने का आदेश प्रसारित करे ताकि इस सचिवालय द्वारा दस्तावेजात और सम्पत्ति की जाँच और जब्ती सम्बन्धी कार्यवाही, गोपनीयता को अक्षुण्ण और अखंडित रखते हुए शीघ्रता से किया जाना सम्भव हो सके।

सरदार वल्लभभाई पटेल ने लोकसेवका. को सलाह देते हुए कहा था कि आप प्रशासक रहते समय निष्पक्षता व शुचितापूर्ण आचरण के उच्चतम शिखर पर पहुँचने का प्रयास करते हुए समाज के सामने अपनी सच्चरित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करे। आप राजनीति से दूर रह. तथा साम्प्रदायिकता के वाद-विवाद के पचड़े म. भी नहीं पड़। यदि आप उपर्युक्त सदाचरण के मार्ग से विरत हुए तो आप अपनी छवि को कलंकित कर लगे क्याकि उस लोक सेवा का कोई महत्व नहीं है, जिसम. निष्पक्षता और शुचितायुक्त विमल आचरण को प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार सभी जगह व्याप्त है। चाणक्य ने कहा है कि कोई राज्य कर्मचारी कब रिश्वत लेता है, इसका दूसरे को मालूम पड़ना उसी तरह मुश्किल है, जिस तरह यह मालूम पड़ना कि समुद्र में से मछली ने पानी कब पी लिया। राज्य कर्मचारी राज्य के अभिन्न अंग हैं, इसलिए उनके द्वारा किये जाने वाले भ्रष्ट आचरण को तत्काल पकड़ पाना या रोक पाना मुश्किल है लेकिन मेरा मानना है कि यदि हम सब दिल और दिमाग से एकमत होकर भ्रष्टाचार रोकने में लग जाये. तो निश्चित रूप से हम इस पर लगाम लगाने म. सफल हो पायेंगे।

हम सभी को भ्रष्टाचार, पद के दुरूपयोग तथा दायित्वहीनता को समाप्त करने का संकल्प लेकर राज्य के विकास और सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना है और व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देकर लोकहित के कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुँचाना है। यदि लोकायुक्त संस्था राज्य में भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरुकता और इसे नियंत्रित करने का संकल्प पैदा करने म. अपना योगदान देती है तो मेरी विनम्र सम्मति में इसकी स्थापना का उद्देश्य सफल हो रहा है।

जयपुर
मार्च 2017

(एस.एस.कोठारी)
लोकायुक्त, राजस्थान

अनुक्रमणिका

			पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना		**1–10**
अध्याय–1	**लोकायुक्त संस्था का परिचय**		**15–30**
	1.1	इतिहास एवं पृष्ठभूमि	15–18
	1.2	प्रशासनिक स्थिति एवं बजट	18–21
	1.3	अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियां	22–23
	1.4	जाँच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया	24–27
	परिशिष्ट–1.1 एवं 1.2		28–30
अध्याय–2	**सम्पादित कार्य**		**31–54**
	2.1	समग्र कार्य	31–33
	2.2	प्रारम्भिक जाँच प्रकरण	33–34
	2.3	अन्वेषण के प्रकरण	34
	2.4	धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन	35
	2.5	सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् विभागा. द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण	35
	2.6	सचिवालय की कार्यवाही के पश्चात् परिवादीगण को प्राप्त अनुतोष के प्रकरण	35
	परिशिष्ट–2.1 से 2.7		36–54

अध्याय-3	**माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त जांच कार्य - जस्टिस माथुर जांच आयोग से अंतरित प्रकरणा. का प्रगति विवरण**		55-96
अध्याय-4	**सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अंतर्गत प्रेषित अनुशंसा के प्रतिवेदन**		97-124
अध्याय-5	**अनुशासनिक कार्यवाहियों के अन्य प्रकरण**		125-234
अध्याय-6	**अनुतोष के प्रकरण**		235-552
अध्याय-7	**लोकायुक्त अधिनियम : संशोधन हेतु प्रयास**		553-562
	परिशिष्ट 7.1 से 7.4		559-562
अध्याय-8	**विविध**		563-581
	•	लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि	563-564
	•	29वें वार्षिक प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के चित्र	565
	•	आयोजित शिविरों और बैठको के कतिपय चित्र	566-569
	•	समाचार पत्रों में प्रकाशित कतिपय खबरें	570-581

परिशिष्ट अनुक्रमणिका

परिशिष्ट	परिशिष्ट का विवरण	पृष्ठ सं.
1.1	दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 की कालावधि म. लोकायुक्त सचिवालय म. स्वीकृत पदा. का विवरण	28-29
1.2	वित्तीय वर्ष 2015-16 म. आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण (लाखा. म.)	30
2.1	दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 की कालावधि म. लम्बित और संस्थित शिकायता. का विवरण	36-38
2.2	दिनांक 01.04.1979 से 31.03.16 की कालावधि म. प्राप्त, निस्तारित व लम्बित शिकायता. का विवरण	39-41
2.3	दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 की कालावधि म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर संस्थित किये गये प्रकरणा. का विवरण	42-50
2.4	दिनांक 01.4.15 से 31.3.16 की कालावधि म. प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का विवरण	51
2.5	दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 की कालावधि म. अन्वेषण प्रकरणा. का विवरण	52
2.6	दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 की अवधि म. लोकायुक्त सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप विभागा. द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण	53

2.7	दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 की कालावधि के अनुतोष प्रकरण	54
7.1	राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत इस सचिवालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित स्मरण पत्र क्रमांक एफ. 1(14)लोआस/84/9156 दिनांकित 20.06.15	559
7.2	राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत इस सचिवालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित स्मरण पत्र क्रमांक एफ. 1(14)लोआस/84/9158 दिनांकित 23.06.15	560
7.3	राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत इस सचिवालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित स्मरण पत्र क्रमांक एफ. 1(14)लोआस/84/21928 दिनांकित 05.10.15	561
7.4	राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत इस सचिवालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित स्मरण पत्र क्रमांक एफ. 1(14)लोआस/84/21927 दिनांकित 05.10.15	562

अध्याय-1

लोकायुक्त संस्था का परिचय

1.1 इतिहास एवं पृष्ठभूमि

विश्व के अधिकांश देशा. म. जिस संस्था को 'ऑम्बुड्समैन' कहा जाता है, उसे भारत म. लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इस संस्था को लोकपाल या लोकायुक्त नाम मशहूर कानूनविद् डॉ.एल.एम. सिंघवी ने वर्ष 1963 म. दिया था। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक (लोगा.) और पाला (संरक्षक) से बना है।

लोकपाल या ऑम्बुड्समैन नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने म. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है। सर्वप्रथम इस संस्था की अवधारणा स्वीडन म. की गई। वहाँ वर्ष 1713 म. किंग चार्ल्स XII ने कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारिया. को दण्डित करने के लिए अपने एक सभासद को नियुक्त किया। स्वीडन म. नया संविधान बनाने हेतु गठित संविधान सभा के सदस्या. का आग्रह रहा कि पूर्व व्यवस्था से भिन्न उनका ही एक अधिकारी जाँच का कार्य करे जो किसी भी स्थिति म. सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए। इस पर वर्ष 1809 म. स्वीडन के संविधान म. 'ऑम्बुड्समैन फॉर जस्टिस' के रूप म. सर्वप्रथम इस संस्था की व्यवस्था की गयी। इस संस्था का मुख्य कार्य लोक सेवका. द्वारा विधि, नियमा. तथा विनियमा. के उल्लंघन करने से सम्बन्धित प्रकरणा. की जाँच करना था।

स्वीडन के बाद धीरे-धीरे आस्ट्रिया, डेनमार्क तथा अन्य स्केण्डीनेवियन देशा. और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं यूरोप के कई

देशा. म. भी 'ऑम्बुड्समैन' संस्था का गठन किया गया। संस्था की लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ते जाने पर फिनलैण्ड म. वर्ष 1919, डेनमार्क म. 1954, नार्वे म. 1961 व ब्रिटेन म. 1967 म. भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की गई। अब तक 135 से अधिक देशा. म. 'ऑम्बुड्समैन' की नियुक्ति की जा चुकी है।

'ऑम्बुड्समैन' स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ लोगा. का प्रतिनिधि या एजेन्ट होता है। वस्तुतः 'ऑम्बुड्समैन' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे पारदर्शिता के साथ कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्ब, अकुशलता, अकर्मण्यता एवं पद के दुरूपयोग से नागरिक अधिकारा. की रक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है। 'ऑम्बुड्समैन' को ब्रिटेनिका-विश्वकोश म. नागरिका. द्वारा नौकरशाही की शक्तिया. के दुरूपयोग के सम्बन्ध म. की गयी शिकायता. की जाँच करने हेतु व्यवस्थापिका द्वारा नियुक्त 'आयुक्त' बताया गया है।

विभिन्न देशा. म. 'ऑम्बुड्समैन' को भिन्न-भिन्न नामा. से जाना जाता है। उदाहरणार्थ - ब्रिटेन, डेनमार्क एवं न्यूजीलैण्ड म. यह संस्था 'संसदीय आयुक्त' (Parliamentary Commissioner) के नाम से जानी जाती है। रूस म. इसे वक्ता अथवा प्रोसिक्यूटर के नाम से जाना जाता है।

इस संस्था की आवश्यकता व उपादेयता के बारे म. देश के कई न्यायाधीशगण व चिन्तका. ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उदाहरण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गढ़कर ने अपनी पुस्तक ''लॉ, लिबर्टी एण्ड सोशियल जस्टिस'' म. यह उल्लेख किया कि जब तक हम भारत म. 'ऑम्बुड्समैन' जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान म. संशोधन करके अथवा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को सांविधिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक देश म. व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकेगा।

भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है और आज प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। इसे समाप्त करने के लिए समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं। राजस्थान म. भी वर्ष 1963 म. प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन म. 'ऑम्बुड्समैन' जैसी कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी, जिसका कार्य, कार्यपालिका की कार्यवाहिया. पर नजर रखना तथा ऐसे मामला, जिनम. सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही अवैध, अन्यायपूर्ण या मनमानी हो, विद्यमान नियमा. या स्थापित प्रक्रिया से विपरीत या इनके उल्लंघन म. हो, पर कार्यवाही करते हुए उन शिकायता. जिनम. भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लगाया गया हो, के सम्बन्ध म. समुचित अन्वेषण करना हो।

हमारे देश म. 5 जनवरी, 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता म. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने ''प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवन्सेज'' से सम्बन्धित अपने प्रतिवेदन म. प्रशासनिक व्यवस्था म. व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता तथा जनआकांक्षाआ. के प्रति प्रशासन की संवेदनशून्यता के विरूद्ध प्रायः उभरने वाले आक्रोश पर विचार कर यह सिफारिश की थी कि जन अभियोग निवारण हेतु तथा दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायता. की जाँच के लिए केन्द्र म. लोकपाल तथा राज्या. म. लोकायुक्त नामक सांविधिक संस्था की स्थापना की जाये किन्तु इस सिफारिश को लम्बे समय तक स्वीकार नहीं किया गया। अब इसे स्वीकार तो किया गया है किन्तु इसकी क्रियान्विति अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी है।

जहाँ तक हमारे देश म. लोकायुक्त संस्था का प्रश्न है, सर्वप्रथम ओडिशा म. वर्ष 1971 म. लोकायुक्त की स्थापना हुई, जहाँ वर्ष 1995 म. पुनः नया 'लोकायुक्त अधिनियम' बना और अभी हाल ही म. ओडिशा विधानसभा ने अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावी प्रावधाना. को समाहित करते

हुए ओडिशा लोकायुक्त बिल 2014 पारित कर दिया है। वर्ष 1971 म. महाराष्ट्र और वर्ष 1973 म. राजस्थान म. लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। इसके उपरान्त लगभग 20 से अधिक राज्या. म. लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई। इसके पूर्व भी राजस्थान म. जन अभियोगा. की निगरानी के लिए जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग कार्यरत था, किन्तु सरकार के इस तन्त्र म. किसी ऐसी संस्था का समावेश नहीं था जिसके माध्यम से मंत्रिया, सचिवा. और लोक सेवका. के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता की शिकायता. का अन्वेषण किया जा सके। फलस्वरूप जनता म. विश्वास और सन्तोष की भावना म. अभिवृद्धि करने के लिये तथा स्वच्छ, ईमानदार, सक्षम और संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने हेतु मंत्रिया, सचिवा. और लोक सेवका. के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता आदि की शिकायता. को देखने एवं उनम. अन्वेषण करने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी का सृजन करना तुरन्त आवश्यक समझा गया और इस उद्देश्य की अभिप्राप्ति हेतु वर्ष 1973 म. राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रभाव म. लाया गया। इसे 26 मार्च, 1973 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और तब से यह 'लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973' के रूप म. प्रदेश म. प्रभावी है।

1.2 प्रशासनिक स्थिति एवं बजट

प्रतिवेदनाधीन अवधि म. कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की आज्ञा क्रमांकः प.6(6)का/क-3/शिका/12 जयपुर, दिनांक 19.11.2015 एवं 19.02.2016 द्वारा निम्नलिखित तालिका के अनुसार 08 पदा. के सृजन एवं 05 (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/प्रोसेस सर्वर/रिकार्ड लिफ्टर) Home Guard/Rexco/Retired Class IVth Employees लिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई :-

क्र. सं.	पद नाम	रनिंग पे-बैण्ड	ग्रेड-पे	पदा. की संख्या	विशेष विवरण
01	सहायक सचिव	15600-39100 (पी.बी-3)	6600	01	नवीन पद सृजन
02	अनुभागाधिकारी	9300-34800 (पी.बी.-2)	4800	01	नवीन पद सृजन
03	लिपिक ग्रेड-।	5200-20200 (पी.बी.-1)	2800	01	नवीन पद सृजन
04	सूचना सहायक	5200-20200 (पी.बी.-1)	2800	03	नवीन पद सृजन
05	लिपिक ग्रेड-।।	5200-20200 (पी.बी.-1)	2400	02	नवीन पद सृजन
06	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	-	-	05	To be filled by Home Guard/REXCO/ Retired class IV employees / Reverse Deputation
07	प्रोसेस सर्वर	-	-		
08	रिकॉर्ड लिफ्टर	-	-		
		8 नवीन पद + 5 अन्य			

कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की आज्ञा क्रमांकः प. 6(9)का/क-3/शिका/13 जयपुर, दिनांक 27.01.2016 द्वारा निम्नलिखित तालिका के अनुसार 20 पदा. का और सृजन किया गया एवं 05 (Home Guard/Rexco/Retired Class IVth Employees लिये जाने की भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई :-

क्र. सं.	पदनाम/सेवा	स्वीकृत नवीन पदा. की संख्या	पे-बैण्ड	ग्रेड-पे	वि.विवरण
01	संयुक्त सचिव	02	34700-67000	9500	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
02	उप सचिव	02	15600-39100	7600	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
03	सहायक सचिव	02	15600-39100	6600	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
04	ड्राफ्ट मैन	01	9300-34800	5400	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
05	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800	4800	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
06	सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर)	01	9300-34800	3600	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
07	सूचना सहायक	08	5200-20200	2800	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
08	लिपिक ग्रेड-।।	03	5200-20200	2400	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
09	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	–	–	Sevices of Home Guard/REXCO/ Retired class IV employees my be obtained
		20 नवीन पद + 5 अन्य			

कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की उक्त आज्ञा क्रमांकः प. 6(9)का/क-3/शिका/13 जयपुर, दिनांक 27.01.2016 के क्रम संख्या 1 से 3, 5, 8 व 9 पर अंकित पदा. के सम्बन्ध म. आदेश क्रमांकः प. 6(9)का/क-3/शिका/13 जयपुर, दिनांक 26.02.2016 द्वारा निम्नानुसार संशोधित स्वीकृति प्रदान की गईः-

पदनाम	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत	संशोधित स्वीकृति
संयुक्त सचिव	02	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति के साथ लोकायुक्त सचिवालय के नियमा. के तहत सेवानिवृत्त कार्मिकों के माध्यम से)
उप सचिव	02	
सहायक सचिव	02	
अनुभागाधिकारी	01	
लिपिक ग्रेड-।।	03	
च.श्रे.कर्मचारी	05	Sevices of Home Guard/REXCO/ Retired class IV employees के साथ साथ Deputation / Reverse Deputation पर

बजट निर्धारण समिति द्वारा वर्ष 2015-16 म. लोकायुक्त सचिवालय म. अतिरिक्त पद सृजित किये जाने के संशोधित प्रस्ताव पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। उक्तानुसार कुल स्वीकृत एवं रिक्त पदा. का विवरण **परिशिष्ट-1.1** म. तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 म. आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण **परिशिष्ट-1.2** म. अंकित किया गया है।

1.3 अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अन्तर्गत लोकायुक्त को राज्य-सरकार के मंत्रिया, सचिवा, अधिकारिया. तथा अन्य लोकसेवका. के विरूद्ध निम्न अभिकथना. के अन्वेषण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं :-

1. लोकसेवक ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुँचाने के लिए ऐसे लोकसेवक के रूप म. अपनी स्थिति का दुरूपयोग किया है;
2. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत म. कर्त्तव्या. का निर्वहन करने म. व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट हेतुआ. से प्रेरित था;
3. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत म. भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी, का दोषी है;

उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 म. ''मंत्री'', ''सचिव'', ''अधिकारी'' एवं ''लोकसेवक'' को परिभाषित किया गया है।

"मंत्री'' से राजस्थान राज्य की मंत्री परिषद का कोई सदस्य (मुख्यमंत्री के अतिरिक्त) अभिप्रेत है, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य-मंत्री या उप-मंत्री;

"सचिव'' से राजस्थान सरकार का सचिव अभिप्रेत है और इसम. विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव सम्मिलित है।

"अधिकारी'' से राजस्थान राज्य के कार्यकलापा. के सम्बन्ध म. किसी लोक सेवा म. या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

"लोकसेवक'' से तात्पर्य निम्न म. से किसी भी प्रकार के व्यक्ति से है:-

(1) प्रत्येक मंत्री;

(2) प्रत्येक सचिव एवं अधिकारी;

(3) जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख/उप-प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान/उप-प्रधान एवं पंचायती राज अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थाई समिति का अध्यक्ष।

(4) नगर निगम का प्रत्येक महापौर/उप-महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी समिति का अध्यक्ष;

(5) निम्नलिखित की सेवा म. या वेतन भोगी के रूप म. कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति :-

(i) राजस्थान राज्य म. कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र म. अधिसूचित किया गया है;

(ii) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित एवं राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो);

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसम. समादत्त अंशपूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है;

(iv) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज-पत्र म. सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।

1.4 जाँच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया

इस सचिवालय म. विहित प्रारूप म. सत्यापित शपथ-पत्र सहित प्राप्त प्रत्येक परिवाद पर सम्बन्धित विभाग के उच्च/उच्चतर अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणी आवश्यक दस्तावेजात सहित मँगवाई जाती है। इसके बाद उसका गहन परीक्षण करने पर यदि यह पाया जाता है कि रिपोर्ट/टिप्पणी अधूरी है या अन्य सुसंगत दस्तावेज भी आवश्यक हैं तो पुनः पूर्ण रिपोर्ट/टिप्पणी मय सुसंगत दस्तावेज/अभिलेख मँगवाई जाती है। तदुपरान्त परिवाद के सन्दर्भ म. प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी व अभिलेख/दस्तावेज आदि का पुनः परीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक होने पर विभाग से प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य म. परिवादी से उसकी टिप्पणी/आपत्ति माँगी जाती है।

यदि विभाग द्वारा किन्हीं लोकसेवका. को दोषी पाया जाना सूचित किया जाता है तो उनके विरूद्ध की गई/प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु लिखा जाता है। यदि इस सचिवालय द्वारा पाया जाता है कि परिवाद म. लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हैं या कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तो परिवादी को सूचित करते हुए परिवाद नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। यदि प्रथमदृष्टया यह पाया जाता है कि किसी लोकसेवक द्वारा पद का दुरूपयोग अथवा भ्रष्टाचार का कोई कृत्य या कार्यवाही की गई है या अकर्मण्यता की गई है तो इस बाबत प्रारम्भिक जाँच की जाती है। प्रारम्भिक जाँच म. परिवादी व अन्य आवश्यक समझे जाने वाले व्यक्तिया. को साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है। उनसे आवश्यक अभिलेख या दस्तावेज भी मँगवाये जाते हैं।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत जाँच/अन्वेषण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मामला. के सम्बन्ध म. सिविल प्रक्रिया संहिता के

अन्तर्गत किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियाँ लोकायुक्त को प्राप्त हैं, जैसे :-

(1) किसी भी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे हाजिर करना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(2) किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;

(3) शपथ-पत्रा. पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(4) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक-अभिलेख की या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(5) साक्षिया. या दस्तावेजा. की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(6) अन्य ऐसे मामल, जो विहित किये जाय।

प्रारम्भिक जाँच के परिणामस्वरूप यदि किसी लोकसेवक के विरूद्ध आरोप बाबत पर्याप्त साक्ष्य पाई जाती है तो लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। इस कार्यवाही म. उस अपचारी लोकसेवक/लोकसेवका. एवं सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को परिवाद/प्रारम्भिक जाँच की रिपोर्ट व अन्वेषण के आधारा. का विवरण भेजा जाता है। अपचारी लोकसेवक/लोकसेवका. को इन पर अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण मय शपथ-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जाता है। तत्पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही म. ऐसे अपचारी लोकसेवक को, अपने बचाव म. स्वयं की साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वह साक्ष्य जिसे वह अपने बचाव म. प्रस्तुत करना चाहता है, प्रस्तुत करने व परिवादी व उसके साक्षिया. से जिरह करने का अवसर भी दिया जाता है।

इसके पश्चात् दोना. पक्षा. को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है एवं अन्वेषण की इस समस्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड/साक्ष्य/अभिलेख का परिशीलन उपरान्त विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए अन्वेषण की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है तो परिवादी को सूचित करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने का आदेश दिया जाता है। यदि किसी आरोप के सम्बन्ध म. अन्वेषण के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि ऐसे आरोप को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो धारा 12 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सुसंगत दस्तावेजा, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित लिखित प्रतिवेदन द्वारा अपने निष्कर्ष तथा सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जाती है। प्रतिवेदन प्राप्ति के दिवस से 03 माह के भीतर प्रतिवेदन के आधार पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से माँगी जाती है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही से सन्तोष हो जाता है तो प्रकरण नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं और इसकी सूचना परिवादी, सम्बन्धित लोकसेवक एवं सक्षम प्राधिकारी को दी जाती है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं पाई जाती है तो धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रकरण म. माननीय राज्यपाल महोदय को ''विशेष प्रतिवेदन'' भेजा जाता है। इसकी सूचना सम्बन्धित परिवादी को भी दिये जाने का प्रावधान है।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 4 के अन्तर्गत लोकायुक्त द्वारा सम्पादित कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध म. माननीय राज्यपाल महोदय को ''वार्षिक प्रतिवेदन'' प्रस्तुत किया जाता है। धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उप-धारा (3) के अधीन ''विशेष प्रतिवेदन'' एवं उप-धारा (4) के अधीन

प्राप्त ''वार्षिक प्रतिवेदन'' की एक प्रतिलिपि को स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवाये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्तानुसार वार्षिक प्रतिवेदन/विशेष प्रतिवेदन राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से पूर्व तक लोकायुक्त सचिवालय की कार्यवाही गोपनीय रखी जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत उनके समक्ष होने वाली कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत एक न्यायिक कार्यवाही मानी गई है।

* * * * *

परिशिष्ट–1.1

दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 की कालावधि म. लोकायुक्त सचिवालय म. स्वीकृत पदा. का विवरण			
क्र.सं.	**पदनाम**	**स्वीकृत पद**	**रिक्त पद**
1	प्रमुख सचिव	01	–
2	सचिव	01	–
3	प्रमुख निजी सचिव	01	–
4	संयुक्त सचिव	06	–
5	विशेषाधिकारी–जे	01	–
6	विशेषाधिकारी– आर	01	–
7	संयुक्त विधि परामर्शी	01	–
8	उप सचिव	05	01
9	सहायक सचिव	06	01
10	निजी सचिव	02	–
11	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	–
12	अतिरिक्त निजी सचिव	03	01
13	अनुभाग अधिकारी	05	01
14	सहायक लेखाधिकारी	01	–
15	जन सम्पर्क अधिकारी	01	–
16	सहायक नगर नियोजक	01	–
17	लेखाकार	01	–
18	सहायक अनुभाग अधिकारी	04	02
19	कनिष्ठ लेखाकार	01	01

20	निजी सहायक	05	02
21	आशुलिपिक	09	04
22	सहायक प्रोग्रामर	02	01
23	सूचना सहायक	14	08
24	मानचित्रकार	01	–
25	वरिष्ठ लिपिक	08	02
26	कनिष्ठ लिपिक	19	05
27	वाहन चालक	06	–
28	जमादार	02	–
29	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	18+10=28	–
30	प्रोसेस सर्वर	04	–
31	अपर पुलिस अधीक्षक	01	01
32	उप पुलिस अधीक्षक	02	02
33	पुलिस निरीक्षक	01	01
34	पुलिस उप निरीक्षक	01	01
35	हैड कांस्टेबल	03	03
36	कांस्टेबल	07	07
	कुल :–	156	44

परिशिष्ट–1.2

वित्तीय वर्ष 2015–16 म. आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण (` लाखा. म.)				
क्र.सं.	बजट शीर्ष	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन	व्यय
1	01–संवेतन	380.00	462.00	454.06
2	03–यात्रा भत्ता	1.50	1.50	1.35
3	04–चिकित्सा भत्ता	7.00	7.00	6.85
4	05–कार्यालय व्यय	15.06	20.01	19.93
5	06–वाहना. का क्रय	0.01	0.01	0.00
6	07–कार्यालय वाहना. का संचालन एवं संधारण	4.00	4.00	3.99
7	08–वृतिक एवं विशिष्ट सेवाय.	1.00	0.50	0.44
8	11–विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	10.00	10.00	10.00
9	14–सत्कार/आतिथ्य/उपहार व्यय आदि	0.10	0.10	0.09
10	21–अनुरक्षण एवं मरम्मत	19.00	20.57	15.38
11	31–पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाआ. पर व्यय	2.00	1.00	0.97
12	36–वाहना. का किराया	10.80	15.66	15.55
13	37–वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	0.29	0.41	0.41
14	41–संविदा व्यय	3.60	3.59	3.09
15	62–कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बंधी संचार व्यय	0.01	0.01	0.00
16	कुल राशि	454.37	546.36	532.11

अध्याय–2

सम्पादित कार्य

2.1 समग्र कार्य

(1) **दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 तक की कालावधि की कुल शिकायता. का विवरणः–**

परिशिष्ट–2.1 के अनुसार दिनांक 31.03.15 को 3406 शिकायत. कार्यवाही हेतु लम्बित थीं एवं दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 की अवधि मे. 6485 शिकायत. और प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 9891 शिकायता. म. से 4990 शिकायता. का निस्तारण करने पर दिनांक 31.03.16 को 4901 शिकायत. लम्बित रहीं।

लोकायुक्त संस्था की उपयोगिता, महत्व, कार्यप्रणाली एवं क्षेत्राधिकार से राजस्थान की आम जनता को परिचित करवाने के उद्देश्य से प्रतिवेदनाधीन अवधि म. जिला एवं उप–खण्ड स्तर पर आयोजित शिविरा. के परिणामस्वरूप **लोकायुक्त संस्था के इतिहास म. सर्वाधिक 6485 शिकायत. प्राप्त हुईं। इसी अवधि म. 4990 शिकायता. का निस्तारण किया गया, जो संस्था के इतिहास म. अब तक का सर्वाधिक निस्तारण है। इसके पूर्व मेरे ही कार्यकाल म. वर्ष 2013–14 म. रिकॉर्ड 3928 व वर्ष 2014–15 म. 3756 शिकायता. का निस्तारण किया गया था।** यह तथ्य **परिशिष्ट–2.1 व 2.2** से प्रकट है।

(2) **परिशिष्ट–2.1** के अनुसार माथुर आयोग से अंतरित होकर प्राप्त हुए प्रकरणा. म. से दिनांक 31.03.15 को 800 प्रकरण जाँच कार्यवाही म. लम्बित थे। प्रतिवेदनाधीन अवधि म. 179 प्रकरणा. का निस्तारण करने पर दिनांक 31.03.16 को 621 प्रकरण जाँच कार्यवाही म. लम्बित रहे।

(3) दिनांक 01.4.15 से 31.3.16 तक की कालावधि म. सर्वाधिक शिकायता. वाले विभागः-

क्र.सं.	विभाग का नाम	शिकायत.
1.	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	1057
2.	राजस्व	1025
3.	पुलिस	929
4.	खान आवंटन जांच	854
5.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	695

(4) दिनांक 01.04.11 से 31.03.16 तक पांच वर्ष की कालावधि म. सर्वाधिक शिकायता. वाले विभागः-

क्र. सं.	विभाग का नाम	01.04.11 से 31. 03.12	01.04.12 से 31.03.13	01.04.13 से 31.03.14	01.04.14 से 31. 03.15	01.04.15 से 31.03.16
1.	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	295	192	489	881	1057
2.	राजस्व	343	249	392	654	1025
3.	पुलिस	307	254	438	719	929
4.	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	216	169	233	545	695

(5) दिनांक 01.4.15 से 31.3.16 की कालावधि म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान द्वारा संस्थित प्रकरणः-

दिनांक 01.4.15 से 31.3.16 तक की कालावधि म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर 39 प्रकरणा. म. कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-2.3 म. दिया गया है।

2.2 प्रारम्भिक जाँच प्रकरण

(1) दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 की कालावधि के कुल प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का विवरणः-

दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 तक की कालावधि म. लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का विवरण परिशिष्ट-2.4 म. दिया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 31.03.15 को कुल 30 प्रकरणा. म. प्रारम्भिक जाँच लम्बित थीं। दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 तक की कालावधि म. 86 और प्रकरणा. म. प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई।

इस प्रकार उक्त कालावधि म. प्रारम्भिक जांच के कुल 116 प्रकरणा. म. से **5** प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, 3 प्रकरण अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित न होने के कारण एवं 10 प्रकरण अन्य कारणा. से नस्तीबद्ध किये गये व 21 प्रकरण अन्वेषण प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण अन्वेषण प्रकरणा. के शीर्ष म. अंतरित किये गये। इस प्रकार उक्त अवधि म. कुल 39 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.03.16 को 77 प्रकरणा. म. प्रारम्भिक जाँच लम्बित रहीं।

(2) दिनांक 01.4.15 से 31.03.16 तक की कालावधि म. माथुर आयोग से अंतरित प्रकरणा. से सम्बन्धित प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का विवरणः-

परिशिष्ट-2.4 के अनुसार दिनांक 31.03.15 को माथुर आयोग से अंतरित होकर प्राप्त पत्रावलिया. म. से एक प्रकरण म. प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 की कालावधि म. 16 और प्रकरणा. म. प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई। इस प्रकार कुल 17 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. म. से उक्त कालावधि म. 3 प्रकरण विभिन्न कारणा. से नस्तीबद्ध किये गये। अंत म. दिनांक 31.03.16 को 14 प्रकरणा. म. प्रारम्भिक जाँच शेष रही है।

2.3 अन्वेषण के प्रकरण

दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 की कालावधि के अन्वेषण प्रकरणः-

इस कालावधि म. लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित अन्वेषण प्रकरणा. का विवरण परिशिष्ट-2.5 म. दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 31.03.15 को कुल 25 प्रकरणा. म. अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 तक की कालावधि म. 35 और प्रकरणा. म. अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

इस प्रकार कुल 60 अन्वेषण प्रकरणा. म. से उक्त कालावधि म. 10 प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण नस्तीबद्ध किये गये, 05 प्रकरण अन्य कारणा. से नस्तीबद्ध किये व अन्य 10 प्रकरणा. म. धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारिया. को प्रतिवेदन मय सिफारिश प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि म. कुल 25 अन्वेषण प्रकरणा. का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.16 को 35 प्रकरणा. म. अन्वेषण लम्बित रहा।

2.4 धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारिया. को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन

दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 तक की कालावधि म. प्रेषित प्रतिवेदनः-

परिशिष्ट-2.5 के अनुसार इस कालावधि म. कुल 10 प्रकरणा. म. धारा 12(1) के अधीन सक्षम प्राधिकारिया. को प्रतिवेदन मय अनुशंसा प्रेषित किये गये। इन प्रकरणा. का संक्षिप्त विवरण अध्याय-4 म. दिया गया है।

2.5 सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् विभागा. द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण

दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 तक की कालावधि म. 109 प्रकरणा. म. 168 विभिन्न लोक सेवकगण के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ/निर्णीत की गई, जिनका विभागवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2.6 म. एवं संक्षिप्त विवरण अध्याय-5 म. दिया गया है।

2.6 सचिवालय की कार्यवाही के पश्चात् परिवादीगण को प्राप्त अनुतोष के प्रकरण

दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 तक की कालावधि म. 500 प्रकरणा. म. परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। इनम. माथुर आयोग से अंतरित पत्रावलिया. के 47 प्रकरण भी शामिल हैं। **अनुतोष प्रकरणा. की यह संख्या संस्था के इतिहास म. सर्वाधिक है।** अनुतोष प्रदान किये गये प्रकरणा. का विभागवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2.7 म. और संक्षिप्त विवरण अध्याय-6 म. दिया गया है।

परिशिष्ट–2.1

दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 की कालावधि म. लम्बित और संस्थित शिकायता. का विवरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	दिनांक 31.03.15 को लम्बित शिकायत.	दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 तक प्राप्त शिकायत.	योग कॉलम 1 व 2	दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 तक निस्तारित शिकायत.	दिनांक 31.03.16 को लम्बित रही शिकायत. (3–4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	11	47	58	44	14
3	पुलिस	304	929	1233	839	394
4	सहकारिता	15	61	76	53	23
5	शिक्षा	82	217	299	164	135
6	कॉलेज शिक्षा	9	38	47	29	18
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	24	76	100	73	27
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	90	140	230	105	125
9	सार्वजनिक निर्माण	23	57	80	43	37
10	उर्जा (विद्युत कम्पनियां)	65	199	264	186	78
11	राजस्व	418	1025	1443	818	625

12	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	266	695	961	652	309
13	अकाल एवं राहत	–	0	–	0	–
14	यातायात	18	24	42	33	9
15	वन	25	45	70	42	28
16	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	817	1057	1874	820	1054
17	सूचना व जनसम्पर्क	–	0	–	0	–
18	आबकारी	16	28	44	33	11
19	उद्योग	11	21	32	20	12
20	मुद्रण एवं लेखन	1	0	1	0	1
21	पशुपालन	5	10	15	12	3
22	माथुर आयोग से अंतरित	800	0	800	179	621
23	जल संसाधन	20	55	75	37	38
24	इं.गा.नहर परियोजना	3	2	5	4	1
25	खान आवंटन जाँच	–	854	854	2	852
26	उपनिवेशन	4	4	8	7	1
28	न्याय	–	17	17	16	1
29	जेल	–	5	5	4	1
30	श्रम	4	14	18	10	8

31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	44	95	139	67	72
32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	36	55	91	59	32
33	भू-प्रबन्ध	5	5	10	8	2
34	सचिवालय	16	49	65	42	23
35	विविध	199	415	614	385	229
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	8	11	19	9	10
41	आयुर्वेद	2	21	23	18	5
42	देवस्थान	16	22	38	23	15
43	रा.रा.प.प.निगम	1	37	38	38	–
44	वाणिज्यिक कर	2	12	14	9	5
45	खान एवं भूविज्ञान	27	105	132	65	67
46	संस्कृत शिक्षा	2	4	6	5	1
47	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि	12	25	37	30	7
48	तकनीकी शिक्षा	5	9	14	7	7
योगः-		3406	6485	9891	4990	4901

परिशिष्ट–2.2

दिनांक 01.04.1979 से 31.03.16 की कालावधि म. प्राप्त, निस्तारित व लम्बित शिकायता. का विवरण

अवधि	वर्ष प्रारम्भ म. लम्बित शिकायत.	वर्ष म. प्राप्त शिकायत.	कुल शिकायत.	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायत.	वर्षान्त म. लम्बित रही शिकायत.
01.04.1979 से 31.03.1980	521	231	752	313	438
01.04.1980 से 31.03.1981	438	318	756	360	396
01.04.1981 से 31.03.1982	396	240	636	328	308
01.04.1982 से 31.03.1983	308	263	571	163	412
01.04.1983 से 31.03.1984	412	229	641	–	641
01.04.1984 से 31.03.1985	641	371	1012	834	178
01.04.1985 से 31.03.1986	178	340	518	270	248
01.04.1986 से 31.03.1987	248	106	354	161	193
01.04.1987 से 31.12.1987	193	81	274	190	84
01.01.1988 से 30.06.1989	84	698	782	614	168

01.07.1989 से 31.12.1989	168	236	404	206	198
01.01.1990 से 31.08.1993	198	1795	1993	1675	318
01.09.1993 से 31.03.1996	318	1411	1729	1446	283
01.04.1996 से 31.03.1997	283	623	906	728	178
01.04.1997 से 31.03.1998	178	577	755	629	126
01.04.1998 से 31.03.1999	126	430	556	455	101
01.04.1999 से 31.03.2000	101	402	503	249	254
01.04.2000 से 31.03.2001	254	1101	1355	535	820
01.04.2001 से 31.03.2002	820	1648	2468	977	1491
01.04.2002 से 31.03.2003	1491	1934	3425	2341	1084
01.04.2003 से 31.03.2004	1084	1369	2453	1627	826
01.04.2004 से 26.11.2004	826	1246	2072	1188	884
27.11.2004 से 31.03.2005	884	456	1340	–	1340
01.04.2005 से 31.03.2006	1340	1037	2377	–	2377
01.04.2006 से 30.04.2007	2377	517	2894	–	2894

01.05.2007 से 31.03.2008	2894	1267	4161	3040	1121
01.04.2008 से 31.03.2009	1121	1246	2367	1357	1010
01.04.2009 से 31.03.2010	1010	1147	2157	1307	850
01.04.2010 से 31.03.2011	850	1408	2258	1401	857
01.04.2011 से 31.03.2012	857	3495	4352	1846	2506
01.4.2012 से 31.03.2013	2506	1393	3899	96	3803
01.04.2013 से 31.03.2014	3803	2854	6657	3928	2729
01.04.2014 से 31.03.2015	2729	4433	7162	3756	3406
01.04.2015 से 31.03.2016	3406	6485	9891	4990	4901

परिशिष्ट–2.3

दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 की कालावधि म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर संस्थित किये गये प्रकरणा. का विवरण

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
1	3(231)2015	दिनांक 25.07.15 के राजस्थान पत्रिका म. प्रकाशित समाचार ''पीपलू थाना अधिकारी श्री रामावतार ताखड़ के विदाई समारोह म. मांगे उपहार'' के आधार पर दिनांक 28.07.15 को जांच प्रारंभ की गई।	श्री रामावतार ताखड़, थाना अधिकारी, पीपलू जिला टाक्र।
2	3(273)2015	दिनांक 10.08.15 के राजस्थान पत्रिका म. ''गली–गली म. अवैध गैस गोदाम'' व ''जिला रसद अधिकारी व तेल कम्पनिया. की अनदेखी से एजेन्सी संचालका. के हौंसले बुलन्द'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर।	जिला रसद अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति एवं जिला कलक्टर जयपुर।
3	3(594)2015	प्रथम सूचना संख्या 279/97 थाना अशोक नगर के मामले म. तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री देवी सिंह भाटी के विरूद्ध परिवादी श्री पी. के. देव, आई.ए.एस., तत्कालीन सिंचाई सचिव की रिपोर्ट पर सी.आई.डी. विभाग के उच्चाधिकारिया. की कर्तव्यहीनता के सम्बन्ध म. की जा रही प्रारंभिक जांच संख्या 3(567)लोआस/2014 की कार्यवाही म. दिनांक 16.11.15 को उजागर हुई अनियमितता के सम्बन्ध म।	तत्कालीन अतिरिक्त महानिदेशक, महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सीबी) व अन्य अनुसंधान कर्तागण।

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
4	5(87)2015	दैनिक भास्कर के दिनांक 25.08.2015 के संस्करण म. ''नि:शुल्क किताब. निजी बुक सेलर को बेची, 65 लाख का गबन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर इस सचिवालय द्वारा दिनांक 27.08.2015 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल म. व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के लोकसेवक।
5	8(13)2015	दिनांक 30.05.15 के दैनिक भास्कर म. प्रकाशित खबर ''3500 पंखा. का मरम्मत खर्च 16 लाख, इतने म. तो 1600 पंख. आ जाये'' के आधार पर दिनांक 02.06.2015 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
6	8(35)2015	दिनांक 21.07.2015 के दैनिक भास्कर म. प्रकाशित खबर ''एस.एम.एस. म. 11 लाख की लिफ्ट 23 लाख रूपये म. लगाई'' के आधार पर दिनांक 29.07.15 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
7	8(44)2015	दिनांक 31.08.15 के दैनिक भास्कर म. प्रकाशित खबर ''रेडियेशन से मरीजा. की जान जोखिम म, रोकने म. चिकित्सा विभाग फेल'' के आधार पर दिनांक 03.09.15 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
8	8(45)2015	दिनांक 31.08.15 के दैनिक भास्कर म. प्रकाशित खबर ''बीस हजार बच्चा. को कागजा. म. बांटा ओ.आर.एस., झूठी रिपोर्ट पेश'' के आधार पर दिनांक 03.09.15 को	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
		स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	
9	10(67)2015	दिनांक 19.08.15 के राजस्थान पत्रिका म. ''डिस्कॉम को झूठे हल्फनामे'' मुख्य शीर्षक एवं ''280 करोड़ के ट्रांसफार्मर टेण्डर म. सप्लायर फर्मा. की करतूत'' उपशीर्षक तथा दिनांक 21.08.15 के राजस्थान पत्रिका के पृष्ठ-9 पर ''चार्टड अकाउंटट पर भी गिरेगी कार्यवाही की गाज'' मुख्य शीर्ष से प्रकाशित समाचार के आधार पर दिनांक 26.08.15 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	ऊर्जा (विद्युत कम्पनियां)
10	10(79)2015	दिनांक 08.09.15 के राजस्थान पत्रिका म. ''जनता को इंतजार, सामग्री हो रही पार'' मुख्य शीर्षक एवं ''फील्ड म. भेजी जा रही करोड़ा. की सामग्री की ऑनलाइन मॉनिटरिंग नहीं'' उपशीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर दिनांक 02.06.15 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	ऊर्जा (विद्युत कम्पनियां)
11	11(320)2015	दिनांक 14.08.16 के राजस्थान पत्रिका म. ''बाबुओ. ने रोक दी आजादी के सिपाही की राह'' मुख्य शीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	जिला कलक्टर, अजमेर।
12	11(972)2015	दिनांक 16.03.16 के राजस्थान पत्रिका म. ''घूस लेते गिरफ्तार पटवारी को कलक्टर की माफी'' मुख्य शीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	जिला कलक्टर, जयपुर।

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
13	12(103)2015	दिनांक 15.06.2015 के राष्ट्रदूत अखबार के पृष्ठ ''आस-पास'' म. छपी खबर ''टाक्र म. घटिया सड़क निर्माण पर जिला प्रमुख, टाक्र ने जताई नाराजगी'' पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला टाक्र के अधिकारीगण।
14	15(24)2015	समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक 29.08.2015 के संस्करण म. ''ईको ट्यूरिज्म पर्यटका. की सुविधा का पैसा डबल बैड और कम्प्यूटर पर खर्च किया'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर इस सचिवालय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर पर्यटन विभाग म. भ्रष्टाचार की जाँच हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	पर्यटन विभाग के लोकसेवक।
15	15(26)2015	समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के दिनांक 26.09.15 के संस्करण म. ''वन अधिकारिया. का रैन बसेरा बना उदयपुर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर इस सचिवालय द्वारा दिनांक 01.10.2015 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर वन विभाग के लोकसेवका. के सहयोग से वन क्षेत्र म. अवैध खनन करवाने के भ्रष्टाचार की जाँच हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	वन विभाग के लोकसेवक।
16	16(3)2015	दिनांक 06.04.15 के राजस्थान पत्रिका म. प्रकाशित ''पाल बीसला म. कट रहे प्लॉट नो कन्स्ट्रक्शन जोन घोषित होने के बाद भी तालाब को पाट रहे मलबे से'' के समाचार बाबत स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	अजमेर नगर निगम के अधिकारी।
17	16(62)2015	राजस्थान पत्रिका के दिनांक 19.04.15 के	जयपुर विकास

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
		संस्करण म. ''झूठे शपथ पत्र की नींव पर इमारत'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	प्राधिकरण के अधिकारी।
18	16(319)2015	राजस्थान पत्रिका दिनांक 25.07.15 म. ''पहले किया अनदेखा, फिर हड़बड़ी म. थमाया नोटिस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी।
19	16(328)2015	दैनिक भास्कर के शनिवार दिनांक 08.08.15 के अंक म. ''कम्पनी घोटाला करती रही, भुगतान रोकने वाले अफसर को कमिश्नर ने हटाया'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	मेयर, आयुक्त, नगर निगम जयपुर।
20	16(332)2015	राजस्थान पत्रिका के दिनांक 11.08.15 के अंक म. ''जेडीए को हटानी थी, निगम ने बचाने को सील की इमारत'' के शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	सचिव, जविप्रा एवं आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
21	16(370)2015	राजस्थान पत्रिका म. दिनाक 26.08.15 को ''कागजा. म. 15 किमी दूर खिसका दी रिंग रोड'' शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी।
22	16(371)2015	राजस्थान पत्रिका में दिनाक 27.08.2015 को प्रकाशित खबर ''श्मशान की भूमि पर अतिक्रमण और निर्माण'' बाबत स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी।
23	16(417)2015	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 11.09.2015 को प्रकाशित खबर ''निगम कार्यालय के सामने	उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम,

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
		अवैध निर्माण, अफसर को दिखा नहीं'' शीर्षक के आधार पर इस सचिवालय द्वारा दिनांक 11.09.2015 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	जयपुर।
24	16(512)2015	दैनिक भास्कर समाचार पत्र के दिनांक 29.09.15 के जयपुर संस्करण म. प्रकाशित खबर ''वीआईपी ट्रीटमट वाली सड़का. पर फिर से काम, वो भी महंगी दर पर'' बाबत स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण
25	16(549)2015	एक दैनिक समाचार पत्र म. ''गली गली म. झगड़े की झोपड़िया.'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर इस सचिवालय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	नगर निगम, जयपुर के अधिकारी।
26	16(774)2015	समाचार पत्र 'वन्दे जयपुर' के दिनांक 16.12.15 के अंक म. ''भ्रष्टाचार से ओतप्रोत नगर निगम के अफसर लोकायुक्त की नजर से दूर क्या.'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	नगर निगम, जयपुर के अधिकारी।
27	16(861)2015	पंजाब केसरी म. दिनांक 04.02.16 को प्रकाशित खबर ''जेडीए प्रवर्तन शाखा म. मनमाना राज'' बाबत स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी।
28	16(925)2015	राजस्थान पत्रिका म. दिनांक 24.02.16 को प्रकाशित खबर ''सरकारी जमीन पर जेडीए मेहरबान, इमारत सील, फिर भी चल रहा काम'' के संदर्भ म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी।

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
29	31(55)2015	डेली न्यूज समाचार पत्र म. दिनांक 01.10.15 को प्रकाशित ''जलदाय विभाग के चाकसू उपखण्ड का मामला बिना सेक्शन टेस्टिंग कर दिया भुगतान'' के आधार पर दिनांक 02.06.15 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान।
30	31(74)2015	दिनांक 03.10.15 के दैनिक भास्कर के पृष्ठ-7 पर ''घटिया सामग्री खरीद के खिलाफ कार्यवाही पर अफसर आमने सामने'' मुख्य शीर्षक से प्रकाशित खबर के आधार पर दिनांक 08.01.16 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान।
31	32(38)2015	दिनांक 09.09.2015 को दैनिक भास्कर के जयपुर संस्करण म. सिटी फ्रण्ट पेज पर छपी खबर ''स्कॉलरशिप के लिये अफसर बन गये बीपीएल'' के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान के लोक सेवक।
32	34(26)2015	दिनांक 15.09.15 के राजस्थान पत्रिका म. पृष्ठ-3 पर ''जेडीए हर स्तर पर मिलीभगत व सांठगांठ कर आरोपी इन्जीनियर्स ने फर्जी कागज बनाये, उठाया गलत लाभ-एजडा, मीटिंग, निर्णय कागजा. म. दिखाया, बिना सर्विस 4 इन्जीनियर्स को 24 लाख रूपये वेतन लुटाया'' मुख्य शीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर दिनांक 18.09.15 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
33	34(30)2015	दिनांक 26.09.15 के दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण म. ''जमवारामगढ़ और सरिस्का वन्य जीव क्षेत्र म. भी दे दी खनन की	वन एवं पर्यावरण विभाग।

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
		मंजूरी'' मुख्य शीर्षक एवं ''सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी म. एक किलोमीटर के दायरे म. लगायी पाबन्दी, अफसरा. ने दायरा 100 मीटर किया'' उपशीर्षक से प्रकाशित खबर के आधार पर दिनांक 01.10.15 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	
34	34(31)2015	राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र म. दिनांक 26.09.15 को प्रकाशित खबर ''सिंघवी ने दिया रिश्तेदार को फायदा'' मुख्य शीर्षक एवं साढ़े तीन करोड़ की पैनल्टी'' के आधार पर दिनांक 01.10.15 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	खान एवं भू-विज्ञान विभाग।
35	34(32)2015	दिनांक 10.10.15 के राजस्थान पत्रिका म. ''मन्त्री के बेटे का चालान काटने वाला लाइन हाजिर'' मुख्य शीर्षक एवं ''कमिश्नर ने भी टाल दी बात'' उपशीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर दिनांक 10.12.15 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।	पुलिस विभाग।
36	34(47)2015	दिनांक 04.02.16 को राजस्थान पत्रिका म. प्रकाशित ''बिना नक्शा बनी 10 मंजिला इमारत'' तथा पत्रावली संख्या 16(323) लोआस/2013 म. 4 मंजिला इमारता. के सर्वे के दौरान जयपुर शहर म. स्थित अवैध बहु-मंजिला इमारता. का सर्वे करने के संबंध म. स्वप्रेरणा से दिनांक 02.02.16 को प्रसंज्ञान लिया गया।	जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के अधिकारी।
37	35(156)2015	जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़, हवामहल, जयपुर म. टिकटा. की बिक्री म. हुए घोटाले	निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	उत्तरदायी लोकसेवक
		बाबत।	विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।
38	45(37)2015	राजस्थान पत्रिका दिनांक 28.09.15 म. ''पहुंच का असर, तथ्य छिपाकर बंद कर दी फाइल'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर दिनांक 01.10.15 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर निलंबित (आई.ए.एस.) श्री अशोक सिंघवी के विरूद्ध एसीबी के अधिकारिया. द्वारा उचित जांच न करने के आरोपा. के सन्दर्भ म. जाँच कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	ए.सी.बी. व खान विभाग के अधिकारी गण। ए.सी.बी. के पुलिस निरीक्षक एवं श्री अजीत सिंह अतिरिक्त, महानिदेशक तथा खान विभाग के अधिकारीगण।
39	45(40)2015	राजस्थान पत्रिका दिनांक 13.03.2015, 14.03.2015, 16.03.2015 व 17.03.2015 के संस्करणा. म. ''लगा 600 करोड़ का चूना'', ''चारा. कम्पनिया. को एक ही दिन म. आवंटन'', ''500 छोटी खाना. का भी आवंटन'' तथा ''केन्द्र अध्यादेश जारी कर रहा था, तब राजस्थान म. हो रहा था खान आवंटन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचारा. के आधार पर इस सचिवालय द्वारा दिनांक 19.03.2015 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर केन्द्र सरकार द्वारा नये खान आवंटन बाबत जारी दिशा-निर्देशा. की अनदेखी करते हुए राज्य के खान विभाग के लोकसेवका. द्वारा किये गये खान आवंटन से राजकोष को करोड़ो रुपया. की राजस्व हानि होने के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।	खान एवं भू-विज्ञान विभाग के सम्बन्धित लोकसेवक।

परिशिष्ट–2.4

दिनांक 01.4.15 से 31.3.16 की कालावधि म. प्रारम्भिक जाँच प्रकरणा. का विवरण

क्र.सं.	विवरण	परिवाद पर संस्थित	माथुर आयोग से अंतरित	कुल संख्या
1.	दिनांक 31.3.15 को लम्बित	29	1	30
2.	दिनांक 01.4.15 से 31.3.16 तक की अवधि म. संस्थित	70	16	86
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	99	17	116
4.	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के आधार पर नस्तीबद्ध	5	–	5
5.	अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित होना नहीं पाये जाने के आधार पर नस्तीबद्ध	3	–	3
6.	अन्य कारणा. से नस्तीबद्ध	7	3	10
7.	अन्वेषण म. अंतरित	21	–	21
8.	**कुल निस्तारित प्रारम्भिक जाँच (योग पंक्ति सं 4–7)**	36	3	39
9.	**दिनांक 31.3.16 को लम्बित प्रारम्भिक जाँच**	63	14	77

परिशिष्ट–2.5

दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 की कालावधि म. अन्वेषण प्रकरणा. का विवरण

क. सं.	विवरण	संख्या
1.	दिनांक 31.03.15 को लम्बित	25
2.	दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 तक की कालावधि म. संस्थित (21 प्रकरण प्रारम्भिक जाँच से अंतरित एवं 14 प्रकरणा. म. सीधे अन्वेषण प्रारम्भ)	35
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	**60**
4.	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के आधार पर नस्तीबद्ध	10
5.	सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) म. प्रेषित किये गये	10
6.	अन्य कारणा. से नस्तीबद्ध	5
7.	**कुल निस्तारित अन्वेषण (योग पंक्ति संख्या 4–6)**	25
8.	**दिनांक 31.03.16 को लम्बित अन्वेषण**	**35**

परिशिष्ट–2.6

दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 की अवधि म. लोकायुक्त सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप विभागा. द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	लोक सेवक	शीर्ष सं.	विभाग का नाम	लोक सेवक
3	पुलिस	23	16	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	24
4	सहकारिता	1	18	आबकारी	1
5	शिक्षा	7	22	माथुर आयोग से अंतरित प्रकरण	9
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5	26	उपनिवेशन	3
10	उर्जा (विद्युत कम्पनियां)	12	31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2
11	राजस्व	29	33	भू–प्रबन्ध	2
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	44	45	खान एवं भू–विज्ञान	2
15	वन	1			
कुल योगः–					**168**

परिशिष्ट–2.7

दिनांक 01.04.15 से 31.03.16 की कालावधि के अनुतोष प्रकरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	4
3	पुलिस	22
4	सहकारिता	1
5	शिक्षा	14
6	कॉलेज शिक्षा	1
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	3
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7
9	सार्वजनिक निर्माण	2
10	उर्जा (विद्युत् कम्पनियां)	41
11	राजस्व	105
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	89
14	यातायात	2
15	वन	1
16	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	92
18	आबकारी	2
21	पशुपालन	1
22	माथुर आयोग से अंतरित प्रकरण	47
23	जल संसाधन	2
29	जेल	1
31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	7
32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	7
34	सचिवालय	1
35	विविध	34
45	खान एवं भू-विज्ञान	2
46	संस्कृत शिक्षा	1
47	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि	11
	योग :	**500**

अध्याय–3

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त जांच कार्य– जस्टिस माथुर जांच आयोग से अंतरित प्रकरणा. का प्रगति विवरण

माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से जारी आज्ञा क्रमांक–प.6(2) कार्मिक/क–3/शि/2009 जयपुर, दिनांक 23 जनवरी, 2009 म. उल्लेख किया गया कि वर्ष 2004 से 2008 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागा/संस्थाआ. म. हुये अनियमित कार्यों एवं राज्यसेवका/अन्य व्यक्तिया. के दुराचरण संबंधी अनेक मामले प्रकाश म. आए हैं। उक्त अवधि म. विभिन्न विभागा/संस्थाआ. की कार्यप्रणाली म. भ्रष्टाचार (Corruption), दुराचरण (Misconduct), लापरवाही (Negligence), फर्जकारी (Fraud), पक्षपात (Favouritism), भाई–भतीजावाद (Nepotism), अवैद्यताए. (Illegalities), निधिया. के अपाहरण (Misappropriation), अनियमित एवं अनुचित कार्य (Irregularities and Improprieties), शासन के विभिन्न स्तरा. पर सत्ता के दुरूपयोग (Abuse of the power at different level of Governance) एवं राजकोष को हानि (Loss to State exchequer) पहुंचाने आदि के आरोप लगाए गए हैं। इन विषया. के सार्वजनिक महत्व, आमजन की मांग एवं इस सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप यह आवश्यक हो गया है कि उक्त अवधि म. विभिन्न विभागा/संस्थाआ. द्वारा किये गये कथित अनियमित कार्य एवं राज्य सेवका/अन्य व्यक्तिया. के दुराचरण संबंधी प्रकरणा. की जांच उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधिपति की अध्यक्षता म. गठित आयोग द्वारा कराई जाकर आमजन के सामने सच्चाई को उजागर किया जावे एवं दोषी पाये जाने वाला. के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

माननीय राज्यपाल महोदय ने राज्यसेवका/अन्य व्यक्तिया. के कथित भ्रष्टाचार, दुराचरण एवं अन्य अनियमितताआ. संबंधी प्रकरणा. की जांच के लिये निम्नलिखित सदस्या. का आयोग के गठन की स्वीकृति प्रदान की:-

1. जस्टिस एन.एन.माथुर — अध्यक्ष
   अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय
2. श्री इन्द्रजीत खन्ना, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. — सदस्य
3. श्री एच.एन.मीणा, सेवानिवृत्त आई.पी.एस. — सदस्य

उक्त आदेश के अनुसार आयोग को वर्ष 2004 से 2008 तक की अवधि के दौरान निम्नांकित बिन्दुआ. से संबंधित मामला. की जांच कर राज्य सरकार को कार्यवाही करने के सम्बन्ध म. परामर्श देना था:-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्व विभाग से सम्बन्धित नगर सुधार न्यासा, नगर निगमा, नगर परिषदा, नगरपालिकाआ. एवं अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाआ. द्वारा किये गये भू-उपयोग परिवर्तन एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90बी के तहत निस्तारित प्रकरण इत्यादि।
2. विभिन्न संस्थाआ/व्यक्तिया/कम्पनिया/ट्रस्ट आदि को नियमा. के विरूद्ध किये गये भू-आवंटन एवं वित्तीय लाभ।
3. राज्य के विभिन्न शहरा/गांवा. म. विभिन्न परियोजनाआ. के नाम पर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित करना एवं अनुचित लाभ के लिए कुछ समय पश्चात् उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने की कार्यवाही करना।
4. जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र म. विभिन्न परियोजनाआ. म. अनियमितताए, अवांछित लाभ के लिए मास्टर प्लान म. संशोधन

करना तथा बिना ठोस योजना के आई.टी. एवं नालेज कॉरीडोर (It & Knowledge corridor) प्रस्तावित कर रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) को फायदा व किसाना. को नुकसान पहुंचाने के आरोप।

5. अन्य कोई प्रकरण जो राज्य सरकार द्वारा आयोग को सौप. जाने थे।

उपरोक्त श्रेणी के प्रकरण, जो राज्य सरकार द्वारा आयोग को भेजे जावग़े, की जांच कर आयोग द्वारा राज्य सरकार को कार्यवाही हेतु परामर्श दिया जाना था।

जस्टिस एन.एन. माथुर जांच आयोग का गठन 6 माह के लिए किया गया था। कार्मिक विभाग की आज्ञा क्रमांकः प.6(2)कार्मिक/क-3/शि/2009 जयपुर, दिनांकः 21.07.2009 के द्वारा आयोग के कार्यकाल की अवधि को 6 माह तक और बढ़ाया गया।

इसी बीच राजस्थान उच्च न्यायालय म. दायर जनहित याचिका संख्या 2567/2009 म. पारित निर्णय दिनांक 04.01.2010 म. राज्य सरकार द्वारा माथुर आयोग को सन्दर्भित एवं आयोग के समक्ष जांच हेतु लम्बित तथा अन्य समान प्रकरण जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोग को सन्दर्भित किये जाने की अपेक्षा थी, उन्ह. लोकायुक्त सचिवालय को नये सिरे से जांच हेतु भेजे जाने के सम्बन्ध म. निम्न आदेश प्रदान किये गयेः

> *We, under these circumstances, are of the view that the Lokayukta being a statutory, independent and impartial body, can effectively investigate the charges of corruption and abuse of power and position etc. against the Ministers, Secretaries and other public servants to promote a sense of confidence and satisfaction in the public mind and to prove a clean, honest and competent administration, should be assigned the task of investigating all the cases. Such a situation as indicated above will not only achieve the purpose of investigation of the charge/misuse of power by the guilty but also legitimate the intention of the respondent to get desirable results.*

For the aforesaid reasons, we dispose of the Writ Petition (PIL) directing that all the cases referred by the Government and pending investigation before the Commission and also other such cases likely to be referred by the Government, shall be referred to the Lokayukta for its investigation afresh and the Lokayukta shall draw his findings, recommendations and follow up action based on his own investigation.

राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय म. विशेष अनुमति याचिका संख्या 5947/2010 दायर की गई। उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिनांक 11.04.2011 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को अनुरक्षित (maintain) रखते हुए निर्णय दिनांक 04.01.2010 म. किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया।

अतः उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्णय दिनांक 04.01.2010 की पालना म. माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से जारी आदेश क्रमांकः प.6(2)कार्मिक/क-3/शि/2009 जयपुर दिनांकः 23.05.2011 द्वारा माथुर आयोग को सन्दर्भित किये गये समस्त प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जो आयोग के समक्ष जांच हेतु लम्बित थे, तथा अन्य समान प्रकरण जिन्ह. राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित किये जाने की अपेक्षा थी, को लोकायुक्त राजस्थान को नये सिरे से जांच हेतु प्रेषित किये गये।

माननीय राज्यपाल महोदय के उक्त आदेशानुसार जस्टिस एन.एन. माथुर जांच आयोग के समक्ष विचाराधीन कुल 1828 पत्रावलियां दिनांक 24.10.2011 से 02.12.2011 की अवधि म. इस सचिवालय को जांच हेतु प्राप्त हुई। इनम. 1563 जांच की व 265 विभिन्न व्यक्तिया. से प्राप्त शिकायता. से सम्बन्धित पत्रावलियां थी। इस अतिरिक्त न्यस्त जाँच कार्य के सम्पादन हेतु लोकायुक्त सचिवालय द्वारा स्टॉफ, फर्नीचर, व अतिरिक्त कार्यालय परिसर इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार को लिखा गया।

राज्य सरकार द्वारा माथुर आयोग से अंतरित उक्त पत्रावलिया. म. जांच कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक स्टॉफ, फर्नीचर व अन्य संसाधन

कालान्तर म. उपलब्ध करवाये गये। दिनांक 01.05.2012 से दिनांक 24.03.2013 तक की कालावधि (10 माह 24 दिन) म. लोकायुक्त का पद रिक्त रहा। मेरे द्वारा दिनांक 25.03.2013 को लोकायुक्त राजस्थान का पदभार ग्रहण किया गया। माथुर आयोग से अंतरित उक्त पत्रावलिया. की जांच हेतु विशेषज्ञ अधिकारिया. का पदस्थापन/नियुक्ति की जाकर पत्रावलिया. म. अक्टूबर 2013 से जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

जस्टिस एन.एन. माथुर आयोग से अंतरित उक्त पत्रावलिया. मं. से 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि में 721, 01 अप्रेल, 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि म. 289 व 01 अप्रेल, 2015 से 31 मार्च 2016 की अवधि तक 193 प्रकरणा. का निस्तारण किया जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त अवधि म. कुल 1203 प्रकरणा. म. जांच पूर्ण की जा चुकी है।

दिनांक 31.03.2016 तक माथुर आयोग से अंतरित पत्रावलिया. म. **इस सचिवालय द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप 21 लोकसेवका. के विरूद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गई। इसके अतिरिक्त इस सचिवालय के निर्देशा. से 8,16,80,000 रू (आठ करोड़ सोलह लाख अस्सी हजार) की वसूली बकाया लीज, संपरिवर्तन शुल्क, भूमि की कीमत व भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के पेटे संभव हुई। दो प्रकरणा. म. भूमि आवंटन निरस्त किये गये और दो प्रकरणा. म, मामले न्यायालय म. दर्ज करवाये गये तथा कुल 51 प्रकरणा. म. अनुतोष प्रदान किया गया**। दिनांक 31.03.2014 तक के उक्तानुसार निस्तारित प्रकरणा. का विवरण इस सचिवालय के 28व. तथा तत्पश्चात 31.03.2015 तक के निस्तारित प्रकरणा. का विवरण 29व. वार्षिक प्रतिवेदन म. दिया जा चुका है।

प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 01.04.15 से 31.03.16) म. माथुर जांच आयोग से अंतरित जिन पत्रावलिया. म. लोक सेवका. के विरूद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं जिन प्रकरणा. म. अनुतोष प्रदान किया गया, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण

एफ. 22(592)/लोआस/2011

नगरपालिका, नोखा, जिला बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली आवेदक श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री अखाराम ढाका की ग्राम चरकड़का के खसरा नं. 515 की भूमि म. से 0.30 हैक्टेयर भूमि को वाणिज्यिक (पेट्रोल-पम्प) प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कर पट्टा विलेख जारी करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि प्रकरण म. मोर्थ के मापदण्डा. की पालना के संबंध म. सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की रिपोर्ट म. परस्पर विरोधाभास है। इस संबंध म. उपखण्ड अधिकारी, नोखा से जाँच करवाने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट को गलत पाया गया।

इस पर मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान को गलत रिपोर्ट करने के संबंध म. उत्तरदायी अभियन्ताआ. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिन्हाने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.08.15 से अवगत कराया कि प्रकरण म. उत्तरदायी पाये गये श्री करण सिंह गोदारा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (रा.उ.मा.) सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड प्रथम, नागौर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्रादि जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. अनियमितता के लिए उत्तरदायी पाये गये लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण प्रकरण को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(1633)/लोआस/2011

परिवादी श्री भंवर सिंह चौहान, अध्यक्ष, चारागाह बचाओ संघर्ष समिति, ग्राम बाई का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का यह परिवाद ग्राम बाई का बास, ग्राम पंचायत, घिनोई के खसरा नं. 243 एवं 244 की 45 बीघा चारागाह भूमि को अनियमित रूप से औद्योगिक प्रयोजनार्थ मैसर्स उमंग बोर्डस् प्रा.लि., जयपुर को आवंटित कर दिये जाने एवं सम्परिवर्तन नियमा. के तहत गाँव की मुख्य आबादी से 1.5 किलोमीटर की परिधि म. औद्योगिक इकाई अनुमत न होने के बावजूद इस भूमि को आबादी से मात्र 150 मीटर की दूरी होने पर भी आवंटन कर दिये जाने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण की राजस्व विभाग की मूल पत्रावलियां इस सचिवालय द्वारा मंगवाई जाकर परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त यह तथ्य सामने आया कि आवंटित भूमि गाँव की मुख्य आबादी से 500 मीटर की दूरी पर होने का तथ्य पत्रावली म. उपलब्ध है, इसके बावजूद आवंटन की कार्यवाही की गई है। अतः प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग को उक्त आवंटन म. की गई अनियमितता बाबत उत्तरदायी लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

इसके बारे म. विभाग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.03.14 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत आवंटन वैध नहीं होने के कारण व मौके पर भूमि खाली होने, आवंटित भूमि गैर मुमकिन चारागाह की होने, 2 वर्ष की अवधि म. उद्योग स्थापित नहीं होने व अन्य आवंटन शर्तों की पालना न होने से आवंटन को निरस्त कर दिया गया है।

आवंटी मैसर्स उमंग बोर्डस् प्रा. लि. ने राजस्थान उच्च न्यायालय म. SBCWP सं. 18160/2011 प्रस्तुत की गई है, जिसम. स्थगन आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान म. भी प्रभावशील है। संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.08.15 म. उल्लेख किया है कि

प्रकरण से संबंधित लोकसेवका. श्रीमती गीता सिंह देव, श्री शंभु प्रसाद मीणा, तत्कालीन अनुभागाधिकारी एवं श्री प्रहलाद कुमार मीणा, तत्कालीन प्रकरण लिपिक को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्रादि जारी किये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत आवंटन को निरस्त कर देने एवं अनियमित आवंटन के संबंध म. उत्तरदायी लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर देने के कारण परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(545)/लोआस/2011

नगर पालिका, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ से प्राप्त यह पत्रावली चक 13 पी.बी.एन. के प्लॉट नं 31/317 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3 व 4 म. 3405.26 वर्ग गज कृषि भूमि रूपान्तरित कर इस म. से 445.26 वर्ग गज भूमि का पेट्रोल-पम्प (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि जारी किये गये पट्टा विलेख म. मार्गाधिकार हेतु भू-पट्टी बिल्कुल भी नहीं छोड़ी गई है। मार्गाधिकार की भूमि म. पट्टा जारी कर दिये जाने से इस सचिवालय द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को मार्गाधिकार हेतु भूमि छोड़ते हुए संशोधित पट्टा विलेख जारी करवाने तथा अनियमितताआ. के सन्दर्भ म. उत्तरदायी लोक सेवका. के विरूद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ने प्रकरण के संबंध म. अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2015 प्रेषित कर अवगत कराया कि

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा ने प्रकरण म. जारी पट्टा विलेख की भूमि म. से सड़क मार्गाधिकार हेतु भूमि कम करते हुए संशोधित आदेश जारी कर दिया है। प्रकरण म. दोषी पाये गये श्री पृथ्वीराज जाखड़, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा एवं श्री जयदेव सिंह राठौड़, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक, नगर पालिका, पीलीबंगा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्रादि जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप मार्गाधिकार हेतु भूमि छोड़ते हुए संशोधित पट्टा विलेख जारी होने व दोषी लोक सेवका. के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण प्रकरण को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(335)/लोआस/2011

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की यह पत्रावली ग्राम भांकरोटा, नरोत्तमपुरा, जयसिंहपुरा बास, तहसील सांगानेर की 64.97 हेक्टेयर भूमि को धारा 90बी, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पुनर्ग्रहित करने के सम्बन्ध म. है।

लोकायुक्त सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि की स्वामित्व रिपोर्ट म. कांटछांट करते हुए परिवर्तन किया गया है। लोकायुक्त सचिवालय द्वारा उक्त अनियमित कार्यवाही के संबंध म. उत्तरदायी लोक सेवक श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन अमीन, जोन 11, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.08.15 के द्वारा अवगत कराया है कि श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन अमीन के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप पत्रादि जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। अनुशासनिक कार्यवाही म. दिनांक 19.08.2015 के जारी आदेश द्वारा श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता को अनियमितता का दोषी मानते हुए उसकी 2 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. उत्तरदायी लोक सेवक पर की गई अनुशासनिक कार्यवाही मे. उसे दण्डित कर देने के कारण प्रकरण को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(1196)/लोआस/2011

नगरपालिका, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली ग्राम भण्डारिया की आराजी सं. 23 म. से 1452 वर्गगज भूमि का कृषि से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने के सम्बन्ध म. है।

पत्रावली का परीक्षण इस सचिवालय द्वारा किया गया जिसम. पाया कि प्रकरण की भूमि का भू-उपयोग कस्बा कुशलगढ़ के मास्टर प्लान म. आवासीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक के रूप म. दर्शाया हुआ है जबकि नगरपालिका ने पट्टा विलेख व्यावसायिक प्रयोजनार्थ जारी किया है। बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाये पट्टा विलेख जारी किये जाने की इस अनियमित कार्यवाही के संबंध म. संबंधित लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश इस सचिवालय के पत्र दिनांक 11.12.2013 के द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर

को दिये गये। उन्हान्ने अपने पत्र दिनांक 23.10.2015 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण म. दोषी पाये गये श्री संजय फिलिप, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, कुशलगढ़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप उत्तरदायी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(737)/लोआस/2011

जिला कलक्टर, दौसा से प्राप्त यह पत्रावली ग्राम भोजपुरा तहसील सिकराय स्थित खसरा नं. 137/1 की 5000 वर्ग मीटर भूमि का श्रीमती ममता भूपेश एंव श्रीमती सरोज देवी के पक्ष मं. वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-संपरिवर्तन करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि प्रकरण म. संपरिवर्तित भूमि का नामान्तकरण दर्ज करके जमाबंदी म. अंकन नहीं किया गया है। संपरिवर्तन का जमाबंदी म. अंकन न होने की वजह से प्रश्नगत भूमि का विक्रय-विलेख कृषि-भूमि के रूप म. पंजीयन करवा देने से मुद्रांक शुल्क की हानि की गयी है। इस सचिवालय द्वारा इस सम्बन्ध म. दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध कार्यवाही करने व कमी मुद्रांक राशि वसूल करने बाबत निर्देश जिला कलक्टर, दौसा को दिये गये।

जिला कलक्टर, दौसा ने रिपोर्ट दिनांक 21.09.2015 से अवगत कराया कि प्रकरण म. बकाया मुद्रांक शुल्क की 15,19,600 रूपये (पन्द्रह लाख, उन्नीस हजार, छः सौ रूपये) की राशि वसूल की जाकर राजकोष म.

जमा करवाई जा चुकी है तथा दोषी लोकसेवक तत्कालीन पटवारी श्री रामावतार मीणा को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्रादि जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. कमी मुद्रांक शुल्क की राशि वसूल कर लेने व दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर देने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(1600)/लोआस/2011

परिवादी श्री लंकेश अग्रवाल, राजीव गांधी कॉलोनी, सुजानगढ़, जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद म. उल्लेख किया गया है कि नगरपालिका मण्डल, सुजानगढ़ द्वारा श्री खेमचंद बागड़ा व सुभाष बागड़ा के पक्ष म. खसरा नं. 209 व 210 की भूमि का नियमन नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 26.05.2000 म. वर्णित प्रावधाना. के विरूद्ध किया गया है। परिवाद म. यह भी उल्लेख किया गया है कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने के बावजूद उप पंजीयक के कार्यालय म. आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि के रूप म. दस्तावेज का पंजीयन करवाकर मुद्रांक शुल्क की चोरी की गई है।

जिला कलक्टर, चूरू से परिवाद पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाये जाने पर उन्हान्ने अवगत करवाया कि प्रकरण की पत्रावली नगरपरिषद, सुजानगढ़ म. तलाश करने के बावजूद उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस सचिवालय द्वारा प्रकरण की गुमशुदा हुई पत्रावली के संबंध म. उत्तरदायी लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने व संबंधित पुलिस थाना म.

प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ ही बकाया मुद्रांक शुल्क वसूल करने के निर्देश दिये गये। उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक, बीकानेर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.04.2014 के द्वारा अवगत कराया कि श्री सुभाष चंद बागड़ा व खेमचंद बागड़ा द्वारा पट्टा विलेखा. के पंजीयन के वक्त कम जमा कराई गई मुद्रांक शुल्क की राशि 1,46,708/-रूपये राजकोष म. जमा करवा दी गई है।

इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 13.08.14 के अनुसार प्रकरण की पत्रावली गुम हो जाने के संबंध म. पुलिस थाना, सुजानगढ़ म. प्राथमिकी सं. 251/2014 दर्ज करवाकर अनुसंधान किया जा रहा है। जिला कलक्टर, चूरू ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.06.15 के द्वारा यह भी अवगत कराया है कि प्रकरण की पत्रावली गुम हो जाने के संबंध म. उत्तरदायी श्री धनराज, कनिष्ठ लिपिक, नगरपरिषद, सुजानगढ़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. कमी मुद्रांक शुल्क की राशि वसूल कर ली गई है। गुमशुदा पत्रावली के संबंध म. उत्तरदायी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर पुलिस थाना म. प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। इस प्रकार प्रकरण म. लोकसेवक के विरूद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा प्राथमिकी सं. 251/14 पुलिस थाना, सुजानगढ़ म. किये जा रहे अनुसंधान की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मंगवाये जाने के निर्देशा. के साथ परिवाद को नस्तीबद्ध किया गया है।

अनुतोष के प्रकरण

एफ. 22(323)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज, नवयुवक मण्डल संस्थान, उदयपुर को सामाजिक गतिविधिया. हेतु न्यास की हिरण मगरी योजना, सेक्टर 14 म. 8500 वर्गफीट भूमि रियायती दर से आवंटन कर लीज-डीड निष्पादन के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह तथ्य प्रकट हुआ कि संस्था ने आवंटन/लीज डीड की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि म. निर्माण कार्य पूरा करके जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई, उस हेतु उपयोग म. नहीं लिया।

इस सचिवालय द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर को दिनांक 17.09.2014 को पत्र प्रेषित किया गया कि संस्था द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने के कारण नियमानुसार आवंटन निरस्त करने अथवा संस्था के आवेदन पर राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के तहत नियमितीकरण की कार्यवाही की जावे, जिसके क्रम में सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर ने पत्र दिनांक 16.04.2015 से अवगत कराया कि संस्था द्वारा भूखण्ड की कीमत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से 7 वर्ष के लिए विलम्ब शुल्क जमा करा देने के फलस्वरूप प्रकरण का नियमितीकरण कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. न्यास द्वारा आवंटी संस्था से निर्धारित शास्ति राशि वसूल कर प्रकरण का नियमितीकरण कर देने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(155)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली श्रीमती आशा सिंह व जयसिंह, निवासी खुडाना कैम्पस, अम्बावगढ़, उदयपुर के पक्ष म. उनके खसरा नं. 3256/1653, 1655 मिन व 1656 मिन की 9000.22 वर्गगज भूमि का संस्थानिक (छात्रावास) प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह तथ्य प्रकट हुआ कि 1500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने से पूर्व राज्य सरकार से अपेक्षित स्वीकृति नही ली गई है।

इस सचिवालय द्वारा नगरीय विकास विभाग को पत्र प्रेषित किया गया कि प्रकरण म. राज्य सरकार की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जावे, जिसके क्रम म. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ने आदेश दिनांक 12.06.2015 द्वारा 9000.22 वर्गगज भूमि के संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी।

अतः इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. राज्य सरकार द्वारा वांछित कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर देने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(588)/लोआस/2011

एफ. 22(598)/लोआस/2011

नगर पालिका, नोखा से प्राप्त ये पत्रावलियां मैसर्स अरिहन्त प्रोपर्टीज भागीदार श्री हिमांशु सिरोही को कम्यूनिटी फैसिलिटी (सामुदायिक भवन

निर्माण) हेतु 1166.66 वर्गगज भूमि का रूपान्तरण करते हुए आवंटन की कार्यवाही के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के परीक्षणोपरान्त प्रकरण म. निर्धारित 40 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र कम हो जाने से जारी किए गए पट्टा विलेख को निरस्त करने की कार्यवाही के निर्देश निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को दिए गए। उन्हाऩे अपने पत्र दिनांक 24.09.2015 से अवगत कराया कि सामुदायिक भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि का पट्टा विलेख संख्या 108 दिनांक 04.06.2005 तथा पंजीयन दिनांक 07.06.2005 को निरस्त कर दिया गया है तथा भूमि का अधिग्रहण करते हुए इसे नगर पालिका, नोखा के कब्जे म. ले लिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत आवंटन को निरस्त किया जाकर भूमि को नगर पालिका, नोखा द्वारा अपने कब्जे म. ले लिये जाने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(160)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली पैसिफिक एज्युकेशन सोसायटी, उदयपुर के पक्ष म. उनके खातेदारी की ग्राम देबारी के विभिन्न खसरा नम्बरा. की 1,49,210 वर्गगज भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने के सम्बन्ध म. है।

1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व राज्य सरकार से स्वीकृति लिया जाना अपेक्षित था, किन्तु इस प्रकरण म. नगर विकास न्यास, उदयपुर ने राज्य सरकार की वांछित स्वीकृति प्राप्त न कर अपने स्तर से ही संस्थानिक प्रयोजनार्थ ग्राम देबारी के विभिन्न खसरा नं. की भूमि के संबंध म. उक्त पट्टा विलेख जारी कर दिया।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह तथ्य नगरीय विकास विभाग की जानकारी म. लाया जाकर उन्हें प्रकरण म. राज्य सरकार की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने बाबत निर्देश दिये गये। प्रकरण म. नगरीय विकास विभाग द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.06.2015 से इस संबंध म. 1,49,210 वर्गगज भूमि के संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/ नियमन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. राज्य सरकार द्वारा वांछित कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(1418)/लोआस/2011

नगरपालिका मण्डल, देवगढ़ से प्राप्त यह पत्रावली आवेदक श्री रतन सिंह के पक्ष म. ग्राम कीटा. का बाड़िया के खसरा नं. 676/357 नये नं. 785/357 की भूमि म. से 1709 वर्ग गज एवं 1141 वर्ग गज भूमि का रूपान्तरण करते हुए वाणिज्यिक (पैट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह प्रकट हुआ कि प्रकरण म. इण्डियन रोड़ कांग्रेस व मोर्थ के मापदण्डा. की पालना बाबत नगर नियोजन विभाग की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही पैट्रोल-पम्प प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार से 1500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति भी नहीं ली गई।

इस सचिवालय द्वारा प्रकरण म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को इण्डियन रोड़ कांग्रेस व मोर्थ के मापदण्डा. की पालना बाबत नगर नियोजन विभाग की राय लेने व 1500 वर्ग गज से

अधिक क्षेत्रफल के बिना राज्य सरकार की स्वीकृति लिये जारी किये गये पट्टा विलेख के संबंध म. कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिये गये।

निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.08.2015 से अवगत कराया गया कि प्रकरण म. इण्डियन रोड़ कांग्रेस व मोर्थ के पैट्रोल-पम्प प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन पर लागू मानदण्डा. की पूर्ति बाबत नगर नियोजन विभाग से राय प्राप्त कर ली गई है। इस प्रकरण म. मापदण्डा. की पूर्ण पालना करवाई गई है। 1500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टा विलेख के संबंध म. राज्य सरकार के द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति जारी कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप इण्डियन रोड़ कांग्रेस व मोर्थ के मापदण्डा. की पालना बाबत नगर नियोजन विभाग से राय प्राप्त कर मापदण्डा. की पालना सुनिश्चित कर लेने एवं राज्य सरकार के द्वारा पट्टा विलेख के संबंध म. कार्योत्तर स्वीकृति जारी कर देने के कारण, प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(1193)/लोआस/2011

नगरपालिका, कुशलगढ़ (बाँसवाड़ा) से प्राप्त यह पत्रावली आवेदक श्री चंचर लाल पिता हीरालाल सोनी के पक्ष म. ग्राम भण्डारिया के खसरा नं. 47/30/1 की भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करते हुए पट्टा विलेख जारी करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा संबंधित पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि पत्रावली म. 1500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा विलेख राज्य सरकार की स्वीकृति लिये बिना नगरपालिका ने अपने स्तर पर ही जारी कर दिया है, इसके अतिरिक्त ड्रॉफ्ट मास्टर-प्लान का

प्रकाशन होने के पश्चात् इसके प्रावधाना. की अवज्ञा करते हुए भूमि का भू-उपयोग अन्तिम मास्टर प्लान म. समायोजित न करते हुए तथा इसकी अवहेलना करते हुए बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाये वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रकरण म. भू-उपयोग परिवर्तन करने तथा 1500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल के जारी किये गये पट्टा विलेख के संबंध म. कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिये गये।

निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.07.14 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण म. नगर नियोजन विभाग, उदयपुर से राय प्राप्त करने के पश्चात् अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कुशलगढ़ ने एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 28.11.14 की निरन्तरता म. भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.05.15 से 1500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल के बिना राज्य सरकार की स्वीकति लिये पट्टा विलेख जारी करने के प्रकरणा. म. कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही कर दिये जाने एवं राज्य सरकार की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर देने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

22(453)/लोआस/2011	**22(528)/लोआस/2011**
22(532)/लोआस/2011	**22(538)/लोआस/2011**
22(544)/लोआस/2011	**22(551)/लोआस/2011**
22(552)/लोआस/2011	**22(585)/लोआस/2011**

22(1423)/लोआस/2011	22(1428)/लोआस/2011
22(1432)/लोआस/2011	22(1435)/लोआस/2011
22(1437)/लोआस/2011	22(1441)/लोआस/2011
22(1444)/लोआस/2011	22(1450)/लोआस/2011
22(1463)/लोआस/2011	22(1476)/लोआस/2011
22(1495)/लोआस/2011	22(1502)/लोआस/2011

नगरपालिका मण्डल, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर), नगरपालिका मण्डल, कपासन (चित्तौड़गढ़), नगरपालिका मण्डल, बेगूं (चित्तौड़गढ़), नगरपालिका मण्डल, धौलपुर, नगरपालिका मण्डल, फतहपुर शेखावाटी (सीकर), नगरपालिका मण्डल, पदमपुर (श्रीगंगानगर), नगरपालिका मण्डल, चित्तौड़गढ़, नगरपालिका मण्डल, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), नगरपालिका मण्डल, बयाना (भरतपुर), नगरपालिका मण्डल, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर), नगरपालिका मण्डल, देवगढ़ (राजसमंद), नगरपालिका मण्डल, नोखा (बीकानेर), नगरपालिका मण्डल, रतनगढ़ (चूरू), नगरपालिका मण्डल रामगढ(सीकर) व नगरपरिषद, सीकर से प्राप्त ये पत्रावलियां संबंधित आवेदका. के आवेदन पर उनकी कृषि-भूमि का नियमन करते हुए आवासीय/वाणिज्यिक पट्टा विलेख जारी करने के सम्बन्ध म. हैं।

इस सचिवालय द्वारा परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि उक्त पत्रावलिया. म. 1500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टा विलेख राज्य सरकार की अपेक्षित स्वीकृति लिये बिना ही संबंधित नगरपालिका/नगरपरिषद ने अपने स्तर पर ही जारी किये हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(28)नविवि/3/96 दिनांक 22.02.

2000 के अनुसार 1500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टा विलेख जारी करने के प्रकरणा. म. राज्य सरकार से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक था।

इन सभी प्रकरणा. म. पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही लगभग 8-10 वर्ष पूर्व की गई है। पट्टा विलेख जारी होने के इतने समय पश्चात् बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के जारी किये गये उक्त पट्टा विलेखा. को निरस्त किया जाना व्यावहारिक नहीं मानते हुए इस सचिवालय म. इस प्रकार के मामला. म. राज्य सरकार की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने पर विचार करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग व निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग के साथ दिनांक 03.09.14 को एक विचार-विमर्श बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक म. इस प्रकार के मामला. म. व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाकर राज्य सरकार की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने बाबत सहमति बनी। इस सहमति के आधार पर आवश्यक कार्यवाही के लिए इस सचिवालय द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को लिखा गया। इसके बाद निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अवगत कराया कि निर्धारित क्षेत्रफल सीमा से अधिक क्षेत्रफल के नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2000 के उल्लंघन और अवज्ञा म. जारी किये गये पट्टा विलेखा. के उपरोक्त वर्णित सभी प्रकरणा. म. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.05.2015 को कार्योत्तर स्वीकृति जारी कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रकरणा. म. राज्य सरकार द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरणा. का नियमितिकरण कर देने के कारण प्रकरणा. को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(1635)/लोआस/2011

परिवादी नंदलाल सुरोलिया, पूर्व अध्यक्ष, नगर युवक कांग्रेस, नृसिंह मार्केट, मैन बाजार, रतनगढ़ से प्राप्त यह परिवाद चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे म. भू-माफिया द्वारा सत्ता व सरकारी अधिकारिया. से सांठ-गांठ कर नगर के चारा. तरफ कृषि-भूमि क्रय कर रूपान्तरण करवाये बिना नाजायज बस्तियां/कॉलोनियां नियम विरूद्ध बसा देने के सम्बन्ध म. है।

परिवाद पर जिला कलक्टर, चूरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। उन्हाने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.10.15 म. उल्लेख किया है कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90बी/90ए की अवहेलना म. कृषि-भूमि के अकृषि उपयोग पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अधीन 73 प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ म. प्रस्तुत कर दिये गये हैं, जिनम. से 12 प्रकरण निर्णय के उपरान्त राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के न्यायालय म. अपीलाधीन हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ ने 6 प्रकरणा. का निस्तारण करके भूमि को सिवाय-चक घोषित कर दिया है, जिसकी अनुपालना म. नामान्तकरण दर्ज कर राजस्व अभिलेख म. प्रविष्टियाँ कर दी गई हैं। वर्तमान म. शेष प्रकरण न्यायालय म. विचाराधीन हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप कृषि भूमि का बिना स्वीकृति के अकृषि उपयोग कर लेने के संबंध म. सक्षम न्यायालय म. प्रकरण दर्ज करवा देने एवं जिनम. से कुछ प्रकरणा. म. भूमि को सिवाय-चक भी घोषित कर देने के कारण परिवाद को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(561)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, अलवर से प्राप्त यह पत्रावली मैसर्स क्रॉस-ब्रिज डवलपर्स प्रा.लि. के पक्ष म. ग्राम तूलेड़ा के खसरा नं. 1459, 1456 से 1470, 1477, 1482, 1483, 1453, 1429, 1430, 1426, 1431, 1432, 1458, 1470, 1475, 1476, 1471/3265, 1475/3264, 1476/3263, 1460 से 1462, 1462/3253, 1463, 1484 से 1489 की भूमि के संबंध म. राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने के पश्चात् अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने की कार्यवाही के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि के खातेदार द्वारा भूमि के संबंध म. कार्यवाही करने के लिए मुख्त्यारनामा आम निष्पादित करके मुख्त्यारआम को अधिकृत किया गया है। इस मुख्त्यारनामा आम म. अचल संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी दिया गया है। निष्पादित मुख्त्यारनामा आम न तो रजिस्टर्ड है और न ही इस पर नियमानुसार 2 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क अदा किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रश्नगत मुख्त्यारनामा आम पर नियमानुसार मुद्रांक वसूली किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। इस पर विभाग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.07.15 के द्वारा सूचित किया कि रसीद क्रमांक 2015000115 दिनांक 09.01.2015 से प्रकरण सं. 398/14 म. 3,55,880/- की राशि मुद्रांक शुल्क के रूप म. वसूल की जाकर राजकोष मे. जमा करवा दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप मुख्त्यारनामा आम पर नियमानुसार मुद्रांक शुल्क वसूल कर लिये जाने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(563)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, अलवर से प्राप्त यह पत्रावली मैसर्स त्रिहान होम डवलपर्स प्रा.लि. के पक्ष म. ग्राम बल्लाबोड़ा के खसरा नं. 464, 478, 484 से 487, 527 से 529, 541 से 546, 480 व 481 की भूमि के संबंध म. राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृति के पश्चात् अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने की कार्यवाही के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली का परीक्षण किये जाने पाया गया कि प्रश्नगत भूमि के खातेदारा. द्वारा भूमि के संबंध म. कार्यवाही करने के लिए मुख्त्यारनामा आम निष्पादित कर मुख्त्यारआम को अधिकृत किया गया है। इन मुख्त्यारनामा. मं. अचल संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी मुख्त्यारआम को दिया गया है परन्तु निष्पादित मुख्त्यारनामा आम न तो पंजीकृत है और न ही इन पर नियमानुसार 2 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क अदा किया हुआ है।

इसलिए सचिवालय द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रश्नगत मुख्त्यारनामा आम पर नियमानुसार मुद्रांक वसूली करवाने हेतु निर्देश दिये गये। उन्हाने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.05.15 के द्वारा सूचित किया कि कमी मुद्रांक शुल्क के रूप म. कुल 35,19,780/- रूपये निम्नानुसार वसूल कर लिये गये हैं:-

क्र. सं.	प्रकरण सं.	निर्णय दिनांक	रसीद क्रमांक व दिनांक	राशि रूपये
1.	393/14	05.01.2015	2015000103, 08.01.2015	3,36,110/-
2.	394/14	05.01.2015	2015000104, 08.01.2015	9,42,830/-

3.	395/14	05.01.2015	2015000180, 13.01.2015	15,80,780/-
4.	396/14	05.01.2015	2015000100, 08.01.2015	1,47,480/-
5.	397/14	05.01.2015	2015000101, 08.01.2015	1,56,700/-
6.	398/14	09.01.2015	2015000115, 09.01.2015	3,55,880/-
कुल राशि				35,19,780/-

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय मुद्रांक शुल्क की वसूली कर लेने के कारण प्रकरण को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(572)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, अलवर से प्राप्त यह पत्रावली ग्राम दिवाकरी, तहसील अलवर के खसरा नं. 481 से 486, 489 व 489/649 की भूमि के संबंध म. आवासीय योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध मे है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह तथ्य सामने आया कि भूमि के खातेदारा. ने मुख्त्यारआम के पक्ष म. मुख्त्यारनामा निष्पादित किया है, जिसम. अचल संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। पत्रावली म. निष्पादित मुख्त्यारनामा आम न तो रजिस्टर्ड है और न ही इस पर नियमानुसार मुद्रांक शुल्क वसूल किया हुआ है।

ऐसी स्थिति म. इस सचिवालय द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रश्नगत मुख्त्यारनामा आम पर नियमानुसार मुद्रांक शुल्क वसूली करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् विभाग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.08.15 प्रेषित कर यह अवगत कराया कि मुख्त्यारनामाआम पर मुद्रांक शुल्क की राशि रूपये 1,47,480/- जरिये रसीद सं. 2015000100 दिनांक 08.01.15 से व 1,56,700/- की राशि जरिये रसीद सं. 2015000101 दिनांक 08.01.15 से अर्थात कुल राशि रूपये 3,04,180/- वसूल कर राजकोष म. जमा करवाये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. मुद्रांक शुल्क की वसूली कर लेने के कारण प्रकरण को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(1607)/लोआस/2011

श्री भंवर सिंह शेखावत, शॉप नं. 20, लोहिया कॉलोनी (वेस्ट), 200 फीट बाईपास, नियर करणी पैलेस, पांच्यावाला, जयपुर से प्राप्त यह परिवाद अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा अजमेर- किशनगढ़ हाइवे पर ग्राम गेगल एवं चांदियावास म. फर्जी कंपनी बजरंग रियलटर्स के नाम से जमीन खरीदकर कृषि-भूमि सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक भूमि का आवासीय रूपान्तरण करवा लेने के सम्बन्ध म. है।

इस परिवाद के संबंध म. अध्यक्ष राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर से जाँच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई जाने पर उनकी ओर से निबंधक राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.06.15 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि बजरंग रियलटर्स प्रा.लि. के द्वारा ग्राम गेगल व चांदियावास म. कृषि-भूमि, सीलिंग अधिनियम म. निर्धारित सीमा से अधिक भूमि अर्थात् 18.1564 हैक्टेयर धारण किये जाने पर

तहसीलदार, अजमेर द्वारा कंपनी के विरूद्ध राजस्थान कृषि जोता. पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय म. अधिक धारित भूमि को अधिग्रहण करने हेतु मुकदमा दायर करवा दिया गया है। प्रकरण म. पक्षकारा. को नोटिस जारी कर दिये गये हैं। इसके साथ ही उप पंजीयक, अजमेर प्रथम व द्वितीय को प्रश्नगत भूमि के संबंध म. आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करने बाबत निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. सीलिंग सीमा से अधिक धारित भूमि को अधिग्रहित करने के लिए सक्षम न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, अजमेर) म. तहसीलदार, अजमेर की ओर से वाद प्रस्तुत कर देने के कारण प्रकरण को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(308)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली सेन समाज संस्थान, उदयपुर को भुवाणा विस्तार योजना ब्लॉक-बी, श्यामनगर म. 7000 वर्गफीट भूमि रियायती दर पर होस्टल निर्माण हेतु आवंटित करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा जिला कलेक्टर, उदयपुर को संस्था के पक्ष में किए गए आवंटन के सम्बन्ध म. जारी की गई लीज-डीड व आवंटन आदेश की प्रतियाँ भेजकर आवंटन शर्तो की पालना बाबत रिपोर्ट चाही गई। जिला कलेक्टर, उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार संस्था द्वारा आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य नही करवाया गया। इस सचिवालय द्वारा आवंटन/लीज डीड की शर्तों की पालना म. निर्धारित समयावधि म. संस्था द्वारा निर्माण

कार्य नही कराने की स्थिति म. आवंटन के निरस्तीकरण/नियमितीकरण करने बाबत निर्देश सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर को दिए गए।

सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर की रिपोर्ट दिनांक 28.8.2015 के अनुसार संस्था द्वारा वर्तमान म. आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया है। निर्धारित समयावधि से 6 वर्ष विलम्ब से निर्माण कार्य पूरा करने बाबत संस्था से विलम्ब शुल्क की राशि भूखण्ड की कीमत के 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 17100 रूपए जमा करवाकर प्रकरण का नियमितीकरण कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सेन समाज संस्थान, उदयपुर को आवंटित भूमि के सम्बन्ध म. विलम्ब से निर्माण कार्य पूरा करने पर देय विलम्ब शुल्क की राशि 17100 रूपए वसूल कर प्रकरण का नियमितीकरण कर देने के कारण प्रकरण को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(1596)/लोआस/2011

श्री राजेश शर्मा, शाहपुरा मोहल्ला, ब्यावर से प्राप्त यह परिवाद पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट के पुत्र के नाम ग्राम कानाखेड़ा, तहसील मसूदा की भूमि का गलत रूपान्तरण कर देने व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लेने के सम्बन्ध म. है।

परिवाद के संबंध म. जिला कलक्टर, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने पर उन्हाने भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही नियमानुसार किये जाने का उल्लेख करते हुए ग्राम गोपालसागर, तहसील मसूदा के खसरा नं. 3656/2 की 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर श्री कैलाश पुत्र सांवरलाल जाट द्वारा चार दीवारी, कांटेदार बाड़ व धर्मकांटे का प्लेटफार्म बनाकर अतिक्रमण कर लेने की जानकारी दी गई।

इस सचिवालय द्वारा राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटाये जाने के निर्देश जिला कलक्टर, अजमेर को दिये गये। जिला कलक्टर, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.05.2015 से अवगत कराया कि ग्राम गोपालसागर के खसरा नं. 3656/2 के नवीन खसरा नं. 3824/3656 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को तहसीलदार मसूदा द्वारा हटवाने की कार्यवाही दिनांक 06.05.2015 को करवा दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिये जाने के कारण परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(302)/लोआस/2011

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त यह पत्रावली मैसर्स मारवाड़ ऑटोमोबाइल्स, जोधपुर के पक्ष म. ग्राम मोगड़ा खुर्द, तहसील लूनी के खसरा नं. 174/1 की 3888.88 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग उपान्तरण के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किए जाने पर यह पाया गया कि प्रकरण म. 4,08,372/- रूपए की राशि भू-रूपान्तरण मद म. कम वसूल की गई है। इस सचिवालय द्वारा सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को उक्त कम वसूल की गई राशि की वसूली की कार्यवाही से अवगत कराने हेतु लिखा गया। इस पर सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 4.06.2015 से अवगत कराया है कि प्रकरण म. मैसर्स मारवाड़ ऑटोमोबाइल्स, जोधपुर से 4,08,372/- रूपए की राशि रसीद संख्या 9001/1904, दिनांक 2.6.2015 के जरिए वसूल की जाकर प्राधिकरण कोष म. जमा हो चुकी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण मे. बकाया भू-रूपान्तरण राशि वसूल होकर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के कोष म. जमा कर देने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(164)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली गीतांजलि एज्यूकेशन सोसायटी उदयपुर के पक्ष म. खसरा नं. 677 मिन 678 से 683, 684/1 व 685/1 की 35524.27 वर्गगज भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने के सम्बन्ध म. है।

1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने से पूर्व राज्य सरकार से स्वीकृति लिया जाना अपेक्षित था, किन्तु इस प्रकरण म. नगर विकास न्यास, उदयपुर ने राज्य सरकार की वांछित स्वीकृति प्राप्त न कर अपने स्तर से ही संस्थानिक (शैक्षणिक महाविद्यालय) प्रयोजनार्थ ग्राम डबोक के खसरा नं. 677 मिन 678 से 683, 684/1 व 685/1 की 35524.27 वर्गगज की भूमि के संबंध म. पट्टा विलेख जारी कर दिया।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह तथ्य नगरीय विकास विभाग की जानकारी म. लाया जाकर उन्हें प्रकरण म. राज्य सरकार की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने बाबत निर्देश दिये गये। प्रकरण म. नगरीय विकास विभाग द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.04.2015 के माध्यम से 35524.27 वर्गगज भूमि के संस्थानिक प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक महाविद्यालय) रूपान्तरण/नियमन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा वांछित कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर देने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(362)/लोआस/2011

नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से प्राप्त यह पत्रावली खत्री आर्टिफिशियल लिम्ब चैरिटेबिल ट्रस्ट, श्रीगंगानगर को न्यास की सद्भावना नगर योजना म. रियायती दर पर भूमि आवंटन कर संस्था को आवंटन पत्र एवं लीज डीड जारी करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के परीक्षणोपरान्त संस्था को किए गए आवंटन से सम्बन्धित आवंटन पत्र व लीज डीड की शर्तों की पालना के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 18.8.2014 म. उल्लेख किया गया है कि आवंटित भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है इसम. न तो चारदीवारी का निर्माण किया गया है, न ही अन्य किसी प्रकार का भूमि सुधार किया गया है।

आवंटन पत्र व लीज डीड की शर्तों के अनुसार निर्धारित समयावधि म. निर्माण कार्य पूरा न करने से संस्था का आवंटन नियमानुसार निरस्त करने/अन्य कार्यवाही करने के निर्देश इस सचिवालय द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को दिए गए। सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर ने रिपोर्ट प्रेषित करते हुए उल्लेख किया कि आवंटन शर्तों की पालना न करने से संस्था को किया गया आवंटन दिनांक 04.08.2015 को निरस्त किया जाकर भूमि पर न्यास सम्पत्ति का बोर्ड लगवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप आवंटन शर्तों की पालना न होने से प्रश्नगत आवंटन को निरस्त कर देने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(1655)/लोआस/2011

रामलाल पुत्र कन्हैयालाल, निवासी झालावाड़ से प्राप्त यह परिवाद नगर पालिका, झालावाड़ द्वारा ग्राम रायपुर के विभिन्न खसरा नम्बरा. की भूमिया. का भू उपयोग परिवर्तन नियम-विरूद्ध करने, विकास शुल्क की राशि जमा करवाए बिना पट्टा विलेख जारी करने, 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा विलेख राज्य सरकार की स्वीकृति लिए बिना ही जारी करने व शुभम होम, साकेत नगर तथा आनंद विहार कॉलोनिया. म. विकास शुल्क जमा कराए बिना, पट्टे जारी कर देने के सम्बन्ध म. है।

परिवाद के संबंध म. जिला कलेक्टर, झालावाड़, आयुक्त, नगर परिषद्, झालावाड़ व निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। जिला कलेक्टर, झालावाड़ ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 19.3.2014 म. अंकित किया कि परिवाद म. अंकित खसरा नम्बर की भूमि के सम्बन्ध म. धारा 90-बी, भू-राजस्व अधिनियम के अधीन कार्यवाही होने के पश्चात् राज्यस्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा दिनांक 14.06.2006 को ग्राम रायपुर की 23 बीघा भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। विकास शुल्क की राशि 14,36,817/- रूपए जमा हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त आयुक्त, नगर परिषद्, झालावाड़ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.3.2014 म. उल्लेख किया है कि शुभम होम आवासीय योजना म. विकास शुल्क की राशि रूपए 3,37,931/-, साकेत नगर आवासीय योजना म. विकास शुल्क राशि रूपए 11,06,343/- व आनन्द विहार आवासीय योजना म. विकास शुल्क राशि रूपए 9,22,926/- कुल राशि 23,67,200/- रूपए विकास शुल्क के पेटे जमा हो चुके हैं। अब विकास शुल्क की कोई रकम बकाया नही है।

जहाँ तक 1500 वर्गगज भूमि से अधिक का आवासीय पट्टा विलेख बिना राज्य सरकार की स्वीकृति लिए जारी किए जाने का सम्बन्ध है इसके संबंध म. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.5.2015 को कार्योत्तर स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. बकाया विकास शुल्क की राशि वसूल कर लेने तथा राज्य सरकार द्वारा 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टा विलेख बाबत् कार्योत्तर स्वीकृति भी जारी कर देने के कारण परिवाद को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(1613)/लोआस/2011

श्री मनोज बंसल, 2-फ-17, शांति नगर, हिरण मगरी, सेक्टर-5, उदयपुर से प्राप्त यह परिवाद राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा हिरण मगरी सेक्टर-5 योजना म. भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, ताराचन्द जैन की पुत्री सुषमा जैन को 16.875 वर्गमीटर जमीन अवैध रूप से आवंटित करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संबंध म. आवासन मण्डल से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई जाने पर सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल ने अपनी रिपोर्ट म. उल्लेख किया कि परिवाद म. अंकित भूपट्टी पर 2-फ-17 के आवंटी द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। इस सचिवालय द्वारा आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर को प्रश्नगत भूपट्टी पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिये गये साथ ही आवासीय आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल को प्रश्नगत भूपट्टी को अतिक्रमण मुक्त होने पर नियमानुसार आवंटन/नियमन/निलामी की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

इसके बाद सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया कि श्रीमती सुषमा जैन को किया गया आवंटन निरस्त

कर दिया गया है तथा प्रश्नगत भू-पट्टी को उससे संबंधित चारा. आवासा. के आवंटिया. को समान माप म. आवंटित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.02.2015 से यह अवगत करवाया कि आवासन मण्डल के भवन संख्या 2-फ-17 एवं 2-फ-17ए के मध्य 10 फीट चौड़ी पट्टी पर किये गये अतिक्रमण को मौके से हटवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप भूपट्टी पर किये गये अतिक्रमण को हटा देने एवं विवादित आवंटन को निरस्त कर भूपट्टी का आवंटन समान माप से संबंधित चारा. आवासा. के आवंटिया. को करने का निर्णय राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा लेने के कारण परिवाद को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(1581)/लोआस/2011

परिवादी टोपनदास सी जसवानी, 114 शास्त्रीनगर, अजमेर से प्राप्त यह परिवाद इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी, अजमेर को आवंटित भूमि का बिना स्वीकृति के व्यावसायिक उपयोग करने के सम्बन्ध में है।

निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग से परिवाद पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने पर उन्हाने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.12.14 से अवगत कराया कि इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी, अजमेर द्वारा निर्मित की गई दुकाना. के संबंध म. भूमि की रिजर्व प्राइस की दुगनी राशि लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सचिवालय को इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी, अजमेर द्वारा एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसम. माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण सिविल अपील सं. 1872/1997 म. पारित निर्णय दिनांक 03.03.1997 के संदर्भ म. संस्था से भूमि की रिजर्व प्राईस की दुगनी राशि

वसूल किये जाने के निर्देश वापस लिये जाने तथा संस्था को आवंटित भूमि की लीज-डीड जारी करवाने का अनुरोध किया गया। इस सचिवालय द्वारा संस्था के अभ्यावेदन को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को भेजकर उनसे रिपोर्ट मांगी गई।

इस संबंध म. संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.04.15 से अवगत कराया है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, अजमेर से वसूली किये जाने संबंधी आदेश को प्रत्याहृत कर लिया गया है। इसके साथ ही संस्था को आवंटित भूमि की लीज डीड नियमानुसार जारी करने के निर्देश नगर निगम, अजमेर को दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, अजमेर के बकाया वसूली आदेश को प्रत्याहृत कर लीज डीड जारी करने के निर्देश जारी कर देने के कारण परिवाद को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(1414)/लोआस/2011

नगर पालिका, देवगढ़, जिला राजसमन्द से प्राप्त यह पत्रावली ग्राम कीटो का बाडीया के खसरा नं 707/646 की भूमि का रूपान्तरण कर 3616. 97 वर्ग गज भूमि का पट्टा विलेख जारी करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण म. 1500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा विलेख बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के जारी किया है। पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व नगर नियोजन विभाग की तकनीकी राय भी प्राप्त नहीं की गई है। प्रश्नगत भूमि नगर पालिका, देवगढ़ के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र से बाहर स्थित है, इस कारण नगर पालिका का क्षेत्राधिकार न होकर इस

भूमि पर राजस्थान ग्रामीण कृषि भूमि संपरिवर्तन नियम 2007 के प्रावधान लागू होते है।

इस सचिवालय द्वारा उक्तानुसार अनियमित रूप से जारी किये पट्टा विलेख को नियमानुसार निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.12.2015 इस सचिवालय को प्रेषित कर अवगत कराया है कि नगर पालिका, देवगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 14.08.2015 के द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर व गलत जारी किये गये पट्टा विलेख को निरस्त कर दिया गया है और उप पंजीयक, देवगढ़ को पत्र जारी कर पट्टे के पंजीयन को निरस्त कराने की टिप्पणी अंकित करने का अनुरोध किया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. क्षेत्राधिकार से बाहर जारी किये गये पट्टा विलेख को निरस्त कर देने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(352)/लोआस/2011

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली अलख नयन मन्दिर ट्रस्ट, अशोक नगर, उदयपुर को आई इन्स्टीट्यूट, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान एवं नेत्रहीन पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु ग्राम बेडवास के खसरा नं 1596 मिन म. से 3,40,000 वर्ग फीट भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध म. है।

तत्कालीन सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम 6 माह म. लिए गये निर्णया. के संबंध म. मन्त्रिमण्डलीय समिति द्वारा समीक्षा किये जाने वाले प्रकरणा. म. शामिल होने की वजह से विभाग को इस प्रकरण म. अपने स्तर पर समीक्षा कर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये थे। नगरीय विकास

विभाग द्वारा इस संबंध म. लगभग पांच वर्ष की अवधि गुजरने के बाद म. भी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

लोकायुक्त सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने के पश्चात् अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को आवंटन की समीक्षा करने के उपरान्त यथोचित निर्णय लेने के निर्देश दिये गये। संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 26.11.2015 के द्वारा इस सचिवालय को अवगत कराया कि राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिए गये निर्णयानुसार अलख नयन मन्दिर ट्रस्ट, उदयपुर को किया गया रियायती भूमि आवंटन दिनांक 03.09.2015 को निरस्त कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर देने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(553)/लोआस/2011

नगर परिषद्, चूरू से प्राप्त यह पत्रावली वाल्मिकी भवन निर्माण हेतु वाल्मिकी समाज, चूरू को 930 वर्ग मीटर अर्थात 1112.3 वर्ग गज भूमि निशुल्क आवंटन करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि निःशुल्क भूमि आवंटन से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं ली गई, वैसे भी नियमानुसार 1000 वर्ग गज भूमि ही निःशुल्क आवंटित की जा सकती थी।

इस सचिवालय द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को नियमानुसार अनुमति योग्य 1000 वर्ग गज से अधिक निःशुल्क आवंटित 112.3 वर्ग गज भूमि की कीमत वसूल किये जाने तथा प्रकरण

म. की गई अनियमितता के लिए उत्तरदायी तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी के विरूद्ध यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण म. उत्तरदायी तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री फतेह सिंह राठौड़ के सेवानिवृत हो जाने से उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकी है। आयुक्त, नगर परिषद्, चूरू ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.02.2016 प्रेषित कर अवगत कराया कि प्रकरण म. 112.3 वर्ग गज अधिक अनियमित रूप से निःशुल्क आवंटित भूमि के संबंध म. निर्धारित कीमत राशि **1,03,048/- रूपये** जरिये रसीद क्रमांक 18/90 दिनांक 10.02.2016 से नगर परिषद्, चूरू कोष म. जमा करवा ली गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. अनियमित रूप से निःशुल्क आवंटित की गई भूमि की कीमत जमा हो जाने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(590)/लोआस/2011

नगर पालिका, नोखा, जिला बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली ग्राम चरकड़का के खसरा नम्बर 515 की 2190 वर्ग मीटर भूमि को वाणिज्यिक (पेट्रोल-पम्प) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर प्रकट हुआ कि प्रकरण म. जारी किये गये पट्टा विलेख का पंजीयन नहीं हुआ है तथा आवेदक ने बिना स्वीकृति के ही प्रश्नगत भूमि पर अनाधिकृत निर्माण करा लिया है। इस सचिवालय द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रकरण म. किये गये अनाधिकृत निर्माण को हटाने

अथवा इसका नियमितीकरण करने के साथ ही दोषी अधिकारी के विरूद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नोखा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.01.16 प्रेषित कर अवगत कराया कि प्रश्नगत भूमि म. किये गये अनाधिकृत निर्माण के लिए **5,26,882/- रूपये** की शास्ति राशि (Penalty) वसूल की जाकर प्रकरण का नियमितीकरण कर दिया गया है। वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जारी किये गये पट्टा विलेख का पंजीयन करवाया जाकर कार्योत्तर स्वीकृति जारी की जा चुकी है। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री प्रताप सिंह राजपुरोहित के सेवानिवृत हो जाने से उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकी।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण कर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर देने व पट्टा विलेख का पंजीयन हो जाने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(1466)/लोआस/2011

नगर परिषद्, सीकर से प्राप्त यह पत्रावली कस्बा सीकर के खसरा नम्बर 721 की 1333.3 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन वाणिज्यिक (गैस-गोदाम) प्रयोजनार्थ किया जाकर पट्टा विलेख जारी करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के परीक्षण के दौरान यह जानकारी म. आया कि घनी आबादी म. स्थित गैस-गोदामा. को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध म. नगरीय विकास विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 3(146)नविवि-3-11 दिनांक 21.09.2011 जारी किया गया है। इस

सचिवालय द्वारा प्रकरण म. सीकर शहर के गैस-गोदामा. की उक्त परिपत्र के सन्दर्भ म. जांच की जाकर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलक्टर, सीकर को दिये गये।

जिला कलक्टर, सीकर ने सीकर शहर की तीन गैस एजेंसिया. के गोदामा. को घनी आबादी के बीच स्थित होने से अन्यत्र स्थानान्तरित करने के निर्देश जारी किये। जिला कलक्टर, सीकर के उक्त निर्देशा. के विरूद्ध संबंधित गैस एजसिया. ने माननीय उच्च न्यायालय म. रिट याचिका प्रस्तुत की जिसम. माननीय न्यायालय ने गैस एजेंसिया. को घनी आबादी म. स्थित गैस गोदामा. को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के तीन माह का अवसर प्रदान किया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गई तीन माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात् जिला कलक्टर, सीकर द्वारा घनी आबादी म. स्थित गैस-गोदामा. को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप नगरीय विकास विभाग के परिपत्रानुसार घनी आबादी म. स्थित गैस-गोदामा. को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही जिला कलक्टर, सीकर द्वारा प्रारम्भ कर देने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(623)/लोआस/2011

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त यह पत्रावली ग्राम तनावडा, तहसील लूणी स्थित विभिन्न खसरा नम्बरा. की 89 बीघा 19 बिस्वा भूमि

को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 90बी के अन्तर्गत पुनर्ग्रहित करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि प्रकरण की भूमि तीन कम्पनिया. के नाम खातेदारी म. दर्ज है। कम्पनिया. की ओर से उनके अधिकृत-प्रतिनिधि द्वारा आवेदन किया गया है, किन्तु प्रकरण म. सम्बन्धित कम्पनिया. के वैधानिक दस्तावेजा. की प्रतियां प्राप्त नहीं की गई है। इस सचिवालय द्वारा सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को सम्बन्धित कम्पनिया. के वैधानिक दस्तावेजा. की प्रतियां प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 07.08.2015 से अवगत कराया कि प्रकरण म. सम्बन्धित कम्पनी (सनसिटी बिल्ड होम प्रा.लि., मैसर्स स्वप्नसाकार बिल्डकॉम व निहो कन्स्ट्रक्शन लि.) के वैधानिक दस्तावेजा. की प्रतियां प्राप्त कर ली गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. कम्पनिया. के वैधानिक दस्तावेजा. की प्रतियां प्राप्त कर लेने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ. 22(546)/लोआस/2011

नगर परिषद, चूरू से प्राप्त यह पत्रावली मैसर्स ओरिक्योर हैल्थ केयर की ग्राम चूरू स्थित खसरा नं. 1605/946, 1606/946, एवं 1607/946 की 50 बीघा 13 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन परिधि नियन्त्रण पट्टी

से आवासीय प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा स्वीकृत करने के सम्बन्ध म. है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि प्रकरण म. भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2000 के तहत निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की राशि वसूल नहीं की गई है। अतः इस सचिवालय के पत्र दिनांक 13.05.2014 के द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि जमा करवाकर अवगत कराने को लिखा गया। उन्हाने अपने पत्र दिनांक 12.03.2015 के द्वारा अवगत कराया कि आवेदक से दिनांक 24.02.2015 को रसीद संख्या 17/43 के माध्यम से निर्धारित राशि रूपये 50,000/- नगरपालिका म. जमा करवाये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. किये गये भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध म. निर्धारित राशि वसूल कर लेने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

नोटः-राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत दो अन्वेषण प्रकरणा. म. 5 लोकसेवका. के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा भवन विनियमा. म. संशोधन करने की जो सिफारिश. सक्षम अधिकारीगण/राज्य सरकार को की गई उनका विवरण इस सचिवालय के 28व. एवं 29व. वार्षिक प्रतिवेदना. म. उपलब्ध है।

अध्याय–4

सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अंतर्गत प्रेषित अनुशंसा के प्रतिवेदन

यदि किसी कृत्य, जिसके सम्बन्ध म. कोई अभिकथन अन्तर्ग्रस्त करने वाली कोई शिकायत की गई है, या की जा सकती है अथवा की जा सकती थी, के सम्बन्ध म. अन्वेषण के पश्चात् लोकायुक्त का समाधान हो जाये, कि ऐसे अभिकथन को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति म. लोकायुक्त द्वारा लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से सुसंगत दस्तावेज, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के साथ अधिनियम की धारा 12(1) के अन्तर्गत अपना निष्कर्ष व सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को संसूचित (Communicate) किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत प्रतिवेदनाधीन अवधि म. प्रेषित अनुशंसा के प्रतिवेदना. का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

एफ.35(158)लोआस/2014

लोकसेवक ब्रिगेडियर (रि.) श्री एस.के. शर्मा, तत्कालीन निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा वर्ष 2014 म. कल्याण संगठक के पदा. पर नियुक्ति म. अनियमितता कर अपात्र व्यक्तिया. के चयन बाबत।

परिवादी लेफ्टिनट कर्नल (से.नि.) डी.एन. शर्मा से दिनांक 04.08.14 को प्राप्त परिवाद म. संक्षेप म. यह शिकायत की गई है कि सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा **''कल्याण संगठक''** के पदा. पर नियोजन हेतु जारी की गई विज्ञप्ति म. आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम तिथि 14.02.2014 नियत की गई थी। इस बारे म. राजस्थान सिविल सेवा (भू.

पू. सैनिका. का आमेलन), नियम 1988 के नियम 6 म. आवेदक की आयु के सम्बन्ध म. यह प्रावधान है कि आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि के आगामी जनवरी माह के प्रथम दिवस को 50 वर्ष से कम आयु हो, लेकिन सैनिक कल्याण विभाग ने उक्त विज्ञप्ति के क्रम म. जिन आवेदका. का चयन किया उनम. से सर्वश्री रिछपाल सिंह, नवाब खाँ, मोहनलाल, ज्ञान सिंह एवं हंसराज मीणा दिनांक 01 जनवरी, 2015 को 50 वर्ष से अधिक आयु के थे। श्री हंसराज मीणा को अनुसूचित-जनजाति की आरक्षित श्रेणी म. चयनित किया गया जबकि **मीणा** जाति अनुसूचित-जनजाति म. नहीं आती है अपितु ***मीना*** आती है। परिवाद म. यह भी कहा गया है कि उक्त चयन प्रक्रिया उचित एवं विधिक तरीके से नहीं की गई है। इस चयन प्रक्रिया म. **भाई-भतीजावाद** तथा **भ्रष्टाचार** की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शिकायत म. चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध म. उत्तरदायी अधिकारीगण ब्रिगेडियर (रि.) श्री एस.के. शर्मा, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर तथा श्री सुनील गोस्वामी, वरिष्ठ लिपिक, संस्थापन शाखा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने तथा गलत चयन किये गये आवेदका. का चयन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

परिवाद एवं उसके सम्बन्ध म. सैनिक कल्याण विभाग से प्राप्त हुई तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/दस्तावेजात का सम्बन्धित नियमा. के सन्दर्भ म. विश्लेषण एवं परीक्षण करने पर प्रथमदृष्ट्या पाया गया कि उक्त नियोजन के सम्बन्ध म. जारी की गई विज्ञप्ति म. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होना अंकित करने की बजाय दिनांक 01.02.2014 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होना अंकित कर नियमानुसार आयु सीमा म. नहीं आने वाले अभ्यर्थीगण को भी निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर ब्रिगेडियर (रि.) श्री एस.के. शर्मा द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (भू.पू सैनिका. का आमेलन), नियम 1988 के नियम 6 का उल्लंघन कर नियुक्ति दे दी गयी, इसलिए उनके

विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रतिरक्षा म. प्रारम्भिक जाँच म. परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा म. मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक ब्रिगेडियर (रि.) श्री एस.के. शर्मा के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उनके द्वारा कल्याण संगठका. के पदा. पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 29.01.14 एवं उस क्रम म. चयन कर दिनांक 04.07.14 को जारी किये गये नियुक्ति आदेश राजस्थान सिविल सेवा (भू.पू. सैनिका. का आमेलन), नियम 1988 के नियम 6 के अनुरूप नहीं है और इस प्रकार उनके द्वारा अपने पद के कर्तव्या. के निर्वहन म. यथोचित सावधानी व्यवहार म. नहीं लाकर लापरवाही की गई व चार अभ्यर्थिया. को कल्याण संगठका. के पद पर नियम-विरूद्ध नियुक्ति दी गई।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक ब्रिगेडियर (रि.) श्री एस.के. शर्मा के सक्षम प्राधिकारी - माननीय मुख्यमंत्री महोदया को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक 35(158)लोआस/2014/अन्वेषण/32355 दिनांक 28.12.15 से भेजकर उक्त आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह म. अवगत कराने की

अनुशंसा की गई। अनुशंसा की पालना म. की गई/प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.35(21)लोआस/2012

एफ.35(75)लोआस/2012

लोकसेवक श्री रामनिवास यादव, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना-कठूमर (अलवर) द्वारा अन्य आरोपी लोकसेवक डॉ. श्री मनोज सैनी से साँठ-गाँठ कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 335/11 म. आहत बदलेराम मीणा की चोटा. के बारे म. उससे राय बदलवाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 की बजाय धारा 308 का अपराध जोड़ा गया ताकि परिवादी जमानत के लाभ से वंचित हो व स्वयं विभागीय कार्यवाही से बच सके।

परिवादी श्री जगराम मीणा से प्राप्त परिवाद के अनुसार प्रकरण के संक्षेप म. तथ्य हैं कि पुलिस थाना, कठूमर (अलवर) म. श्री महेन्द्र मीणा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 335/11 म. पुलिस ने उसे दिनांक 08.11.2011 को गिरफ्तार कर सम्बन्धित न्यायालय म. प्रस्तुत कर पुलिस रिमाण्ड लिया। उसके बाद उसे न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा म. भेज दिया गया। मामले म. अनुसन्धान के पश्चात् पुलिस उपाधीक्षक, लक्ष्मणगढ़ ने भा.दं.सं. की धारा 341, 323, 324, 325 व 308 का अपराध मानते हुए पुलिस अधीक्षक, से चालान की स्वीकृति लेकर थानाधिकारी, कठूमर को न्यायालय म. चालान पेश करने का आदेश दिया। उसके विरूद्ध 60 दिवस म. पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठूमर के समक्ष 62व. दिन जमानत आवेदन-पत्र पेश किया। इस पर तत्कालीन थानाधिकारी,

कठूमर श्री रामनिवास यादव ने स्वयं को बचाने के लिए डॉ. मनोज सैनी से साँठ-गाँठ करके आहत बदलेराम की चोटा. के बाबत पुनः राय लेकर उसकी चोटा. को ''एनडज़र टू लाइफ'' (जीवन के लिए घातक) लिखवा लिया तथा डॉ. सैनी द्वारा पूर्व म. दी गई राय को पुलिस डायरी से निकाल दिया तथा डायरी म. 63व. दिन भा.दं.सं. की धारा 308 के स्थान पर धारा 307 जोड़ दी। इस कारण उसे 60 दिन की बजाय 90 दिन न्यायिक अभिरक्षा (जेल) म. रहना पड़ा। तत्कालीन थानाधिकारी, कठूमर श्री रामनिवास यादव ने डॉ. मनोज सैनी के साथ मिलकर यह कृत्य 60 दिन म. चालान पेश न करने के बारे म. अपने खिलाफ कार्यवाही से बचने के लिए किया।

उक्त परिवाद पर जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं दस्तावेजात तथा सम्बन्धित थानाधिकारी एवं चिकित्सक से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर मामले म. अन्तर्वलित महत्वपूर्ण प्रश्ना. के दृष्टिगत प्रारम्भिक जाँच करने का निर्णय लिया गया।

प्रारम्भिक जाँच के दौरान आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्ट्या प्रकट हुआ कि रामनिवास यादव तत्कालीन थानाधिकारी, कठूमर एवं डॉ. श्री मनोज सैनी, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कठूमर ने भ्रष्टाचार एवं पदीय दुरूपयोग की परिधि म. आने वाले कृत्य किये हैं इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान दोना. लोकसेवका. को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रतिरक्षा म. प्रारम्भिक जाँच म. परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा म. मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री रामनिवास यादव, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना-कठूमर (अलवर) के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही से बचने के लिए अन्य आरोपी लोकसेवक डॉ. श्री मनोज सैनी से मिलकर आहत (बदलेराम मीणा) की चोटा. के सम्बन्ध म. पुनः राय (जिन्ह. समग्र रूप से आहत के जीवन के लिए संकटापन्न होना बताया गया) लेकर परिवादी जगराम मीणा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परन्तुक के अधीन मिलने वाले जमानत के लाभ से वंचित करने हेतु अपनी पदीय शक्तिया. का दुरूपयोग किया। अन्य आरोपी लोकसेवक डॉ. मनोज सैनी के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उन्हान्ने दिनांक 29.11.11 को तैयार किये गये चोट प्रतिवेदन म. किसी भी चोट को अथवा सामूहिक रूप से सभी चोटा. को आहत के जीवन के लिए संकटापन्न होने की सम्भावना व्यक्त नहीं की, लेकिन दिनांक 12.01.2012 को पुलिस द्वारा चोटा. के प्राणघातक होने के सम्बन्ध म. राय माँगने पर थानाधिकारी, कठूमर से साँठ-गाँठ करके आहत की सभी चोट. सामूहिक रूप से जीवन के लिए संकटापन्न होने की राय दे दी। इसी के आधार पर पुलिस ने मामल. म. भा.दं.सं. की धारा 308 के बजाय धारा 307 का अपराध घटित होना माना तथा न्यायालय ने रिमाण्ड़ की अवधि 90 दिन मानकर परिवादी (आपराधिक प्रकरण के अभियुक्त जगराम) को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परन्तुक के अधीन जमानत का लाभ देने से इन्कार किया। इस प्रकार उक्त चिकित्सक ने अपनी पदीय शक्तिया. का दुरूपयोग किया।

अनुशंसाः

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री रामनिवास यादव,

तत्कालीन थानाधिकारी, कठूमर (अलवर) हाल-पुलिस उपाधीक्षक, कैलादेवी, जिला-करौली के सक्षम प्राधिकारी - प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः 35(21)लोआस/2012/यू/एस12/40615 दिनांक 25.02.16 से एवं डॉ. श्री मनोज सैनी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कठूमर, हाल-चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टपूकड़ा (अलवर) के सक्षम प्राधिकारी - (सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर) को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः 35(21)लोआस/2012/यू/एस12/40614 दिनांक 25.02.16 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमा. के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई। अनुशंसा की पालना म. की गई/प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.3(194)लोआस/2013

लोकसेवक श्री प्रदीप शर्मा, तत्कालीन उपनिरीक्षक, पुलिस थाना-सोजत, पाली द्वारा परिवादी को गिरफ्तार करने का भय दिखाकर गैरकानूनी रूप से दबाव व धमकी के फलस्वरूप चोरी के प्रकरण म. उससे सोने-चांदी के जेवरात देने हेतु विवश करने बाबत।

परिवादी रवि सोनी (रवि ज्वैलर्स, सुभाष मार्ग, सोजत रोड़, जिला-पाली, राजस्थान) से प्राप्त परिवाद के अनुसार संक्षेप म. प्रकरण के तथ्य हैं कि दिनांक 05.07.2013 को सायँ करीब 05.50 मिनट पर सोजत रोड़ पुलिस थाना का सिपाही श्री रोहिताश्व उसे यह कहकर पुलिस थाने पर बुलाकर ले गया कि थानाधिकारी पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। उसके पीछे-पीछे ही उसके पिता पन्नालाल भी थाने पर पहुँच गये। सायँ करीब 8 बजे थानाधिकारी, पुलिस थाना-सोजत रोड़, जिला-पाली श्री प्रदीप शर्मा थाने पर आये तथा उसे कहा कि - ''राज सरगरा द्वारा चोरी के जेवरात

(सोने की चैन, एक पायजेब, दो काले मोती की माला व दो अंगूठियाँ) आपको बेचना स्वीकार कर उन जेवरात को थाने म. जमा कराओ या सेटलमेन्ट करो।'' जिस पर उसने थानाधिकारी को कहा कि वह उस आदमी को नहीं जानता, न ही वह उसकी दुकान पर आया। वह चोरी के जेवरात खरीदने का काम भी नहीं करता है, लेकिन थानाधिकारी ने नाराज होकर उसके पिता को रात को वहीं छोड़ने के लिए कहा, तब पिता ने रिश्तेदारा. व सर्राफा एसोसियेशन के पदाधिकारिया. को बुलाया, उन्हान्ने भी कहा कि यह चोरी के जेवरात खरीदने का काम नहीं करता है, सुबह आकर सेटलमेन्ट कर लग़े। इस पर उसे सुबह आने की हिदायत देकर रात 11 बजे थाने से जाने दिया। इसके बाद दिनांक 07.07.13 व 08.07.13 को पुलिस थाने से श्री लालूराम सिपाही व श्री पूखा राम सिपाही भी बुलाने आये थे। दिनांक 09.07.13 को उसके चाचा श्री गोपाल सोनी, भाई अमित व ओम जी मण्डोरा को थाने पर बुलाकर धमकी दी कि मुझे थाने पर पेश कर, जेवरात भर दो अन्यथा धारा 411 भा.दं.सं. में मुझे गिरफ्तार कर जेवरात ले जाएँगे। इस प्रकार उसे झूँठे मुकदम. म. फँसाने की धमकी देने पर दिनांक 09.07.13 की रात्रि को करीब 09.30-10.00 बजे श्री ओमप्रकाश सोनी, गोपाल सोनी, अमित सोनी व लालचंद सोनी ने सोने की एक चैन 9 ग्राम 870 मि.ग्रा, चांदी की छड़ा जोड़ी (पायजेब) 39 ग्राम, दो माला और अंगूठियाँ चांदी की, परिवादी के घर से ले जाकर थानाधिकारी को सुपुर्द की। इस प्रकार विधि विरूद्ध ढंग से उससे उक्त जेवरात प्राप्त किये गये, माँगने पर उनकी रसीद भी नहीं दी गई। उसने दिनांक 10.07.13 को महानिदेशक (पुलिस), राजस्थान, जयपुर को भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रकरण म. पुलिस अधीक्षक, पाली से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं प्रलेखा. के आधार पर उक्त लोकसेवक के विरूद्ध आरोपा. की गम्भीरता को देखते हुए प्रारम्भिक जाँच करने का निर्णय लिया गया।

प्रारम्भिक जाँच के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से परिवादी द्वारा लोकसेवक पर लगाया गया आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रकट होना पाये जाने पर दिनांक 12.12.2014 को लोकसेवक श्री प्रदीप शर्मा के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रकरण म. अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान लोकसेवक श्री प्रदीप शर्मा को अपना जवाब/ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रतिरक्षा म. प्रारम्भिक जाँच म. परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा म. मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया गया कि लोकसेवक श्री प्रदीप शर्मा, तत्कालीन उपनिरीक्षक, पुलिस थाना-सोजत रोड़, पाली ने परिवादी को गैरकानूनी रूप से दिनांक 05.07.13 को एवं उसके बाद म. थाने पर बुलाकर एवं गिरफ्तार करने का भय दिखाकर उसे सोने-चांदी के जेवरात देने हेतु विवश किया तथा उस भय, दबाव व धमकी के फलस्वरूप उसके परिजना. से उपरोक्तानुसार सोनी-चांदी के जेवरात प्राप्त किये तथा इन तथ्या. का नियमानुसार पुलिस थाने के रोजनामचा एवं अनुसन्धान पत्रावली म. इन्द्राज भी नहीं किया।

अनुशंसा:

अत: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत श्री प्रदीप शर्मा तत्कालीन उप निरीक्षक, पुलिस थाना-सोजत रोड़, पाली के राजस्थान के सक्षम प्राधिकारी - माननीय मन्त्री महोदय, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की

प्रति पत्र क्रमांक एफ.3(194)लोआस/2013/43797 दिनांक 21.03.16 से भेजकर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं की गई कार्यवाही से 03 माह म. इस सचिवालय को अवगत कराने की अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना म. की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.16(46)लोआस/2014

लोकसेवक श्री आलोक चतुर्वेदी, तत्कालीन आयुक्त, हवामहल जोन (पूर्व), नगर निगम, जयपुर द्वारा मकान संख्या 4746 जोगिया. का चौराहा, पुरानी कोतवाली का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर के मालिका. द्वारा मुख्य सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर विधि-विरूद्ध निर्माण करने एवं व्यावसायिक उपयोग म. लेने की जानकारी के बावजूद कार्यवाही नहीं करके पदीय कर्तव्य निर्वहन म. लोप बाबत।

परिवादी संजय किशोर अग्रवाल एवं श्री विकास कोठारी, पहल इण्डिया फाउण्डेशन 4767, केजीबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर से प्राप्त परिवाद म. शिकायत की गई है कि मकान संख्या 4746, जोगिया. का चौराहा, पुरानी कोतवाली का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर के मालिक रणजीत सिंह वैद, अमित वैद व रॉबिन वैद ने रोड़ की भूमि पर 20-30 फीट तक अनाधिकृत कब्जा करके आम सड़क को सँकरा कर दिया है व आवासीय परिसर को अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधिया. के लिए प्रयोग म. लिया जा रहा है। नगर निगम म. शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उक्त प्रकरण म. परिवाद पर आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं परिवादीगण की आपत्तिया. म. विरोधाभास के दृष्टिगत प्रकरण म. प्रारम्भिक जाँच करने का निर्णय लिया गया।

प्रारम्भिक जाँच के दौरान आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर परिवाद म. लगाये गये आरोपा. को प्रथमदृष्ट्या सही पाये जाने की स्थिति म. प्रकरण म. राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के तहत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक श्री आलोक चतुर्वेदी तत्कालीन आयुक्त, हवामहल जोन (पूर्व), नगर निगम, जयपुर को प्रतिवाद/स्पष्टीकरण हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। इसके साथ ही प्रारम्भिक जाँच म. परीक्षित साक्षिया. से प्रतिरक्षा एवं अपनी प्रतिरक्षा म. मौखिक एवं लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु भी पर्याप्त अवसर दिया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण म. अभिलेख पर उपलब्ध समग्र मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर श्री आलोक चतुर्वेदी, तत्कालीन आयुक्त, हवामहल जोन (पूर्व) के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उन्हाने प्रश्नगत मकान संख्या 4746 के मालिक श्री रणजीत सिंह वैद, अमित वैद एवं रॉबिन वैद द्वारा मकान के सामने स्थित मुख्य सड़क की करीब 5 फीट भूमि पर अतिक्रमण कर विधि-विरूद्ध मकान का निर्माण करने एवं उक्त आवासीय परिसर को विधिवत रूप से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग म. लेने की जानकारी के बावजूद राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करके अपने राजकीय पदीय कृत्या. का लोप किया और इस प्रकार राजकीय उत्तरदायित्व के प्रति अकर्मण्यता एवं उदासीनता रखी।

<u>अनुशंसा</u>ः

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री आलोक चतुर्वेदी, तत्कालीन आयुक्त, हवामहल जोन (पूर्व), नगर निगम, जयपुर की सक्षम प्राधिकारी - माननीय मुख्यमंत्री महोदया को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक 16(46)लोआस/2014/यू/एस12/40925 दिनांक 29.02.16 से प्रेषित कर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमा. के तहत कार्यवाही कर तीन माह म. की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत कराने की अनुशंसा की गई। अनुशंसा की पालना म. की गई कार्यवाही/प्रगति की सूचना अपेक्षित है।

एफ.16(208)लोआस/2001

आरोपी लोकसेवक श्री ललित सिंह देथा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्ड़ल, सिरोही द्वारा सक्षम न्यायालय के निर्णय के बावजूद अतिक्रमण को हटाने सम्बन्धी पदीय कर्तव्य-निर्वहन म. लोप बाबत।

परिवादी श्री चुन्नीलाल पटेल से प्राप्त परिवाद म. शिकायत की गई कि कृष्णपुरी, सिरोही म. जोगाराम घांची ने आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करके रास्ते को कम करने का प्रयास किया, जिस बाबत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 300 के अन्तर्गत निगरानी म. दिनांक 19.02.94 को आदेश पारित किया कि अतिक्रमण को हटाया जावे व श्री जोगाराम घांची की जमा राशि को लौटाकर जनहित म. रास्ते को खोला जावे। इसके बावजूद तत्कालीन अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सिरोही ने श्री जोगाराम घांची द्वारा झूठे तौर पर 280 वर्गफीट जमीन को खांचा भूमि बताकर खरीदने के प्रस्ताव को न्यायालय के आदेशा. की

अवहेलना करते हुए दिनांक 27.10.01 को पालिका की बैठक रखा और उक्त भूमि के विक्रय-विलेख का शीघ्र पंजीयन कराने का निर्णय लिया, जिसके अनुसरण म. दिनांक 17.01.02 को उक्त भूमि का उप पंजीयक, सिरोही के समक्ष पंजीयन करवाया। इस प्रकार नगरपालिका के अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी ने नियमा. एवं न्यायालय के आदेशा. की अवहेलना करते हुए रास्ते की भूमि को खांचा भूमि मानकर इसका गलत विक्रय श्री जोगाराम घांची को करके अपने पद का दुरूपयोग किया। परिवादी ने उक्त पंजीयन को निरस्त करवाने व दोषिया. के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की प्रार्थना की।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. नगर परिषद, सिरोही से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं दस्तावेजात से प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि के पट्टे को सिविल न्यायाधीश (क.खं.), सिरोही द्वारा निर्णय दिनांक 05.06.2004 से शून्य घोषित किया गया। इसकी अपील म. जिला न्यायाधीश, सिरोही के निर्णय दिनांक 28.02.07 से उक्त निर्णय की पुष्टि कर दी गई है, इसके बावजूद नगरपालिका, सिरोही के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी ने प्रश्नगत खांचा-भूमि व सम्बन्धित रास्ते के अतिक्रमण को नहीं हटाया तथा विक्रय-पत्र के निरस्तीकरण के इन्द्राज हेतु उप-पंजीयक, सिरोही को अनावश्यक पत्र भेजे, जबकि ऐसे इन्द्राज के बिना भी कानूनी रूप से अतिक्रमण को हटाया जा सकता था। इसी प्रकार उप पंजीयक, सिरोही ने नगरपालिका, सिरोही से पंजीयन निरस्तीकरण के पृष्ठांकन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र के सम्बन्ध म. सक्षम होते हुए भी अभिलेख म. पंजीयन निरस्त करने का अविलम्ब इन्द्राज नहीं करके अनावश्यक ही प्रकरण मार्गदर्शन हेतु विधि-विरूद्ध तरीके से उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), वृत्त पाली को प्रेषित कर दिया। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या यह पाये जाने पर कि दोना. लोकसेवक (तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सिरोही एवं उप पंजीयक, सिरोही) ने अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन जान-बूझकर नहीं किया, प्रकरण म. प्रारम्भिक जाँच

किये बिना लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10(1) के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक-गण श्री नन्दकिशोर दाधीच, तत्कालीन उप पंजीयक, सिरोही एवं श्री ललित सिंह देथा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, सिरोही को प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया तथा सुनवाई का भी पर्याप्त अवसर दिया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण म. अभिलेख पर आई समग्र तथ्यात्मक रिपोर्ट, दस्तावेजात, आरोपी लोकसेवक-गण के प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण का विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त श्री ललित सिंह देथा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, सिरोही, हाल-अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, निम्बाहेड़ा के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उन्हाने सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा प्रश्नगत खांचा भूमि के विक्रय विलेख को शून्य घोषित करने एवं अतिक्रमण को दो माह म. हटाने के निर्णय के बावजूद रास्ते के अतिक्रमण को नहीं हटाया व विक्रय-पत्र के निरस्तीकरण के इन्द्राज हेतु अनावश्यक उप पंजीयक, सिरोही को पत्राचार किया गया और इस प्रकार अपने पद का दुरूपयोग किया। लोकसेवक श्री नन्दकिशोर दाधीच, तत्कालीन उप पंजीयक, सिरोही को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पट्टे को शून्य घोषित करने के सम्बन्ध म. डिक्री की प्रति सम्बन्धित न्यायालय या नगरपालिका मण्डल, सिरोही द्वारा प्रेषित नहीं किये जाने के कारण उनके द्वारा राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 के नियम 181 के अन्तर्गत अभिलेख म. उसके निरस्तीकरण का अंकन करना सम्भव नहीं होने व इसी क्रम म. उनके द्वारा अपने उच्चाधिकारिया. से मार्गदर्शन चाहने म. उनकी कार्यवाही को सद्भाविक पाया गया तथा उनके विरूद्ध पद के दुरूपयोग का आरोप प्रमाणित नहीं पाया।

<u>अनुशंसा</u>:

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत लोकसेवक श्री ललित सिंह देथा, हाल-अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, निम्बाहेड़ा के विरूद्ध उसके सक्षम प्राधिकारी - माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः 16(208)लोआस/2001/यू/एस12/16791 दिनांक 26.08.15 से प्रेषित कर उसके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमा. के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई तथा उसके आधार पर की गई कार्यवाही/की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत कराने हेतु भी लिखा गया। इसके अलावा श्री नन्दकिशोर दाधीच, तत्कालीन उप पंजीयक, सिरोही, हाल-कानूनगो, जोधपुर के सक्षम प्राधिकारी - माननीय मंत्री महोदय, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांकः 16(208) लोआस/2001/अन्वेषण/16792 दिनांक 26.08.15 से उसके विरूद्ध अन्वेषण म. पद का दुरूपयोग का आरोप प्रमाणित नहीं होने से अन्वेषण की कार्यवाही को समाप्त करने बाबत सूचित किया गया।

लोकसेवक श्री ललित सिंह देथा, हाल-अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, निम्बाहेड़ा के विरूद्ध अनुशंसा की पालना म. की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.16(192)लोआस/2011

लोकसेवकगण श्री जोधाराम विश्नोई, तत्कालीन आयुक्त, श्री बाबूलाल चौधरी, तत्कालीन कार्यालय सहायक, श्री तेजप्रकाश अवस्थी, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक एवं श्री कमलेश, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, बालोतरा द्वारा भू-स्वामी को अनुचित लाभ पहुँचाने की नियत से

जान-बूझकर बदनीयती से तथ्या. को छिपाने एवं पदीय कर्तव्य-निर्वहन म. उदासीनता व लापरवाही बाबत।

परिवादी श्री युसूफ तेली मार्फत् मदनलाल शर्मा, एफ-6, मैन रोड़ हसनपुरा डिपो के पास मधुविहार, नई दिल्ली से प्राप्त परिवाद के आधार पर संक्षिप्त म. शिकायत का सार इस प्रकार है कि खसरा संख्या-627, शहर बालोतरा की एक बीघा भूमि, जो आम जनता के आवागमन हेतु रास्ते के रूप म. है तथा नगरपालिका के नाम दर्ज है, उस पर नगरपालिका ने भू-माफियाआ. से साँठ-गाँठ करके अतिक्रमण करवा दिया है तथा आम रास्ते की जगह पर पक्के निर्माण करा दिये हैं। शिकायत के बावजूद राजस्व विभाग एवं नगरपालिका के अधिकारिया. ने अतिक्रमिया. के विरूद्ध कार्यवाही करने के बजाय उनको लाभ पहुँचाया है।

उक्त परिवाद पर जिला कलेक्टर, बाड़मेर से प्राप्त परिवाद एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण म. प्रारम्भिक जाँच करने का निर्णय लिया गया।

प्रारम्भिक जाँच के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह पाया गया कि श्री जोधाराम विश्नोई, आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा द्वारा सिविल न्यायाधीश (क.खं.), बालोतरा के न्यायालय म. अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद म. जवाब विलम्ब से पेश किया गया तथा जवाब म. प्रश्नगत पट्टा विलेखा. के निरस्तीकरण हेतु रिवीजन विचारार्थ होने के तथ्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध म. अनियमित रूप से भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही करने व निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही करने के बारे म. प्रथमदृष्ट्या श्री महेशचंद चौहान-तत्कालीन सभापति नगर परिषद, बालोतरा, श्री नंदलाल व्यास-तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा, श्री ताराचन्द चौहान, तत्कालीन कार्यवाहक आयुक्त (लेखाधिकारी), नगर परिषद, बालोतरा, श्री बाबूलाल चौधरी-वरिष्ठ लिपिक (भूमि शाखा प्रभारी), श्री तेजप्रकाश

अवस्थी–कनिष्ठ लिपिक (सर्वेयर), श्री कमलेश– कनिष्ठ लिपिक (भूमि लिपिक) व श्री वासुदेव शर्मा–सहायक राजस्व निरीक्षक (सेवानिवृत्त) तामीर इजाजत लिपिक उत्तरदायी हैं।

उक्त लोकसेवका. म. से श्री नन्दलाल व्यास एवं श्री वासुदेव शर्मा के सेवानिवृत्त हो जाने से उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होने की स्थिति म. उनके अतिरिक्त अन्य सभी दोषी लोकसेवक–गण के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10(1) के तहत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान लोकसेवका. को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रतिरक्षा म. प्रारम्भिक जाँच म. परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा म. मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष:

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य, उपलब्ध सामग्री एवं रिकॉर्ड के आधार पर श्री जोधाराम विश्नोई, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उन्हाने जान–बूझकर जवाबदावे म. प्रश्नगत पट्टा–विलेखा. के निरस्तीकरण के सम्बन्ध म. निगरानी याचिका विचाराधीन होने के तथ्य को भवन निर्माणकर्ता श्री अशोक कुमार को गर्भित रूप से अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से छिपाया, सिविल न्यायालय के ध्यान म. नहीं लाये, जिस कारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के निर्णय होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा को पुष्ट करने की स्थिति बनी और इस प्रकार उन्हाने बदनियति व राजहित की जान–बूझकर अनदेखी की। श्री बाबूलाल चौधरी, तत्कालीन कार्यालय सहायक (भूमि शाखा प्रभारी), नगर परिषद, बालोतरा, जिला–बाड़मेर के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उन्हाने जान–बूझकर भू–स्वामी श्री अशोक कुमार को गर्भित रूप से अनुचित

लाभ पहुँचाने की नियत से सारभूत तथ्य को छिपाया एवं प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हुए उच्चाधिकारिया. को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया। इस प्रकार अपने पदीय कर्तव्या. के समुचित निर्वहन म. घोर लापरवाही व पद का दुरूपयोग किया। श्री तेजप्रकाश अवस्थी, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, बालोतरा के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उन्हाने जान-बूझकर प्रकरण के सारभूत तथ्य को छिपाते हुए बदनियतिपूर्वक एवं भू-स्वामी अशोक कुमार को गर्भित रूप से अनुचित लाभ पहुँचाने की नियत से भू-उपयोग परिवर्तन आदेश आयुक्त, नगर परिषद को हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किया और इस प्रकार अपने पदीय-कृत्या. के निर्वहन म. घोर उदासीनता, लापरवाही व कदाचार का कृत्य किया है। श्री कमलेश, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, बालोतरा के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उन्हाने जानकारी होते हुए भी जान-बूझकर बदनीयतीपूर्वक प्रकरण के सारभूत तथ्या. को छिपाते हुए भू-स्वामी श्री अशोक कुमार को गर्भित रूप से अनुचित लाभ पहुँचाने की नियत से प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की और इस प्रकार अपने पदीय कृत्या. के निर्वहन म. घोर उदासीनता, लापरवाही, दुर्भावना एवं कदाचार का कृत्य किया। श्री ताराचन्द चौहान, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

अनुशंसाः

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत लोकसेवक श्री जोधाराम विश्नोई के सक्षम प्राधिकारी - माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक 16(192)लोआस/2011/यू/एस12/23002 दिनांक 09.10.15 से तथा श्री बाबूलाल चौधरी, वरिष्ठ लिपिक, तत्कालीन भूमि शाखा प्रभारी, नगर

परिषद, बालोतरा (बाडमेर), श्री तेजप्रकाश अवस्थी, कनिष्ठ लिपिक, (तत्कालीन सर्वेयर), नगर परिषद, बालोतरा (बाड़मेर) एवं श्री कमलेश, कनिष्ठ लिपिक (तत्कालीन भूमि लिपिक), नगर परिषद, बालोतरा (बाड़मेर) के सक्षम प्राधिकारी - (प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर) को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः 16(192) लोआस/2011/यू/एस12/23000 दिनांक 09.10.15 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमा. के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई तथा उसके आधार पर की गई कार्यवाही/की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत कराने हेतु भी लिखा गया।

इसके अतिरिक्त श्री ताराचंद चौहान, कार्यवाहक आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा (बाड़मेर) हाल- (लेखाधिकारी), जिला परिषद, बाड़मेर के सक्षम प्राधिकारी - (निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राज. जयपुर) को पत्र क्रमांक 16(192)लोआस/2011/अन्वेषण/22997 दिनांक 09.10.15 से सूचित किया गया कि उनके विरूद्ध प्रस्तावित अन्वेषण म. आरोप प्रमाणित नहीं होने से अन्वेषण की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है। अनुशंसा की पालना म. अग्रिम कार्यवाही/प्रगति की सूचना अपेक्षित है।

एफ.16(18)लोआस/2008

लोकसेवक-गण श्री रोहित चौधरी एवं श्री लक्ष्मीनारायण मीना, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारीगण, श्री हंसराज बैरवा, तत्कालीन लिपिक, नगरपालिका, सवाई माधोपुर एवं श्री मदनलाल मीना, तत्कालीन पटवारी द्वारा आवासीय योजना म. अनुमोदित नक्शे के विपरीत रास्ते व पार्क की भूमि पर अतिक्रमण/निर्माण म. पदीय कर्तव्य-निर्वहन म. लोप बाबत।

परिवादी श्री प्रेमचन्द जैन से दिनांक 29.04.08 को प्राप्त परिवाद के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप म. हैं कि सवाईमाधोपुर नगरपालिका क्षेत्र

म. स्थित खसरा नम्बर 1724/2/2 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 1724/2/1 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा म. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा द्वारा हनुमान नगर व हनुमान नगर-अ, दो आवासीय कॉलोनियाँ अनुमोदित की गई थी। इन दोना. खसरा नम्बरान के पास ही राजकीय सिवाय चक भूमि गैरमुमकिन रास्ता व स्काउट फील्ड़ की भूमि खसरा नम्बर 261, 2862, 2844-47, 2828-30 व 2882 किता 10 कुल रकबा 06 बीघा भूमि भी स्थित है। उक्त भूमि को भी शामिल करते हुए कुल 24 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड़ काटे गये जबकि अनुमोदित योजना सिर्फ 18 बीघा 15 बिस्वा की थी। वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा अनुमोदित नक्शे के विपरीत रास्ते व पार्क की भूमि पर अतिक्रमण कर श्रीजी मैरिज हॉल बनाया गया एवं रास्ते को संकड़ा कर दिया गया। अनुमोदित नक्शे के अनुसार कॉलोनी म. 40 फीट चौड़े रास्ते हैं, जबकि विकासकर्ता द्वारा सिर्फ 30 फीट चौड़े रास्ते रखे गये हैं। तत्कालीन तहसीलदार एवं उप पंजीयक द्वारा समय-समय पर मूल अनुमोदित योजना के विपरीत 30 फीट चौड़े रास्ते के भूखण्ड का नियम-विरूद्ध पंजीयन किया गया। इन सभी अनियमितताआ. के बारे म. नगरपालिका, सवाई माधोपुर, जिला प्रशासन एवं राज्य-स्तरीय उच्चाधिकारिया. को शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट, दस्तावेजात व अभिलेख के आधार पर प्रकरण म. प्रारम्भिक जाँच करने का निर्णय लिया गया।

प्रारम्भिक जाँच म. आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से प्रथमदृष्ट्या प्रकट हुआ कि श्री के.के. गोयल, तत्कालीन आयुक्त, श्री लक्ष्मीनारायण मीना, भूतपूर्व अधिशाषी अधिकारी, श्री राकेश शर्मा, भूतपूर्व अधिशाषी अधिकारी, श्री रोहित चौधरी, भूतपूर्व अधिशाषी अधिकारी, श्री रीतिराम (खींचड़) सहायक अभियन्ता, श्री राकेश शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री हंसराज बैरवा, कनिष्ठ लिपिक, श्री कजोड़मल शर्मा, लिपिक एवं श्री

नायर लिपिक नगरपालिका, सवाईमाधोपुर तथा इकबाल खाँ, तहसीलदार, श्री राधेश्याम मीना भूतपूर्व तहसीलदार, श्री घांसीलाल बैरवा, भूतपूर्व तहसीलदार, श्री रमेश चंद जांगिड़, भूतपूर्व पटवारी, श्री मदनलाल मीना, भूतपूर्व पटवारी, श्री विमलेश शर्मा, भूतपूर्व पटवारी एवं श्री गजानंद शर्मा, पटवारी, विधि-विरूद्ध कार्य करने व लापरवाही करने के दोषी हैं, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रकरण म. अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण श्री घांसीलाल बैरवा, तत्कालीन तहसीलदार, सवाई माधोपुर, श्री राकेश शर्मा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री रीतिराम खींचड़, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, श्री राकेश शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री कजोड़मल शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर व श्री नायर, अन्वेषण की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व ही सेवानिवृत्त होने तथा श्री रमेश चंद जांगिड़ व श्री विमलेश शर्मा का पदस्थापन हल्का पटवारी, आलनपुर के पद पर तहसील सवाई माधोपुर म. नहीं रहने के कारण उन्ह. अन्वेषण हेतु तलब नहीं किया गया।

इसके अलावा शेष 08 लोकसेवक-गण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रतिरक्षा म. प्रारम्भिक जाँच म. परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा म. मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष:

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक श्री इकबाल खाँ सेवाकाल म. कभी भी सवाई माधोपुर म. पदस्थापित नहीं रहने, तथा श्री राधेश्याम मीना, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री गजानन्द शर्मा, तत्कालीन पटवारी

हल्का आलनपुर, सवाईमाधोपुर एवं श्री के.के. गोयल, तत्कालीन आयुक्त के विरूद्ध अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही या विधि विरूद्ध कार्य किये जाने का तथ्य साबित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही समाप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक-गण श्री रोहित चौधरी, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री हंसराज बैरवा, तत्कालीन लिपिक, नगरपालिका, सवाईमाधोपुर, श्री मदनलाल मीना, तत्कालीन पटवारी हल्का आलनपुर, तहसील सवाईमाधोपुर व श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सवाईमाधोपुर के विरूद्ध अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही व विधि विरूद्ध कार्य करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

अनुशंसा:

अत: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री रोहित चौधरी, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं श्री लक्ष्मीनारायण मीना, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सवाईमाधोपुर को उनके सक्षम प्राधिकारी - माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक 16(18)लोआस/2008/यू/एस-12/41486 दिनांक 02.03.16 से, श्री हंसराज बैरवा, तत्कालीन लिपिक, नगरपालिका, सवाईमाधोपुर को उनके सक्षम प्राधिकारी - (प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर) को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक 16(18)लोआस/2008/US-12/41483 दिनांक 02.03.16 से एवं श्री मदनलाल मीणा, तत्कालीन पटवारी हल्का आलनपुर, तहसील सवाईमाधोपुर को उनके सक्षम प्राधिकारी - (प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर) को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक 16(18)लोआस/2008/US-12/41485 दिनांक 02.03.16 से भेजकर उक्त आरोपी लोकसेवक-गण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये

जाने हेतु एवं की गई कार्यवाही/की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही से इस सचिवालय को तीन माह म. सूचित कराने की अनुशंसा की गई।

श्री इकबाल खाँ, कार्यकारी निदेशक, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लि., जयपुर, श्री राधेश्याम मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीग (भरतपुर) एवं श्री के.के. गोयल, उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी (अजमेर) के सक्षम प्राधिकारी - (माननीय मुख्यमंत्री महोदया, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर) को पत्र क्रमांक 16(18)लोआस/2008/US-12/41477 दिनांक 02.03.16 से एवं श्री गजानन्द शर्मा, पटवारी, पटवार मण्डल, जीनापुर, सवाईमाधोपुर के सक्षम प्राधिकारी - (प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर) को पत्र क्रमांक 16(18)लोआस/2008/यू/एस-12/41480 दिनांक 02.03.16 से सूचित किया गया कि उनके विरूद्ध अपने कर्तव्या. के प्रति लापरवाही या विधि विरूद्ध कार्य किये जाने का तथ्य साबित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध अन्वेषण कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है।

प्रकरण म. श्री रोहित चौधरी एवं अन्य आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध अनुशंसा की पालना म. वांछित कार्यवाही/प्रगति अपेक्षित है।

एफ.11(317)लोआस/2011

लोकसेवक श्री बालकृष्ण तिवारी, तत्कालीन उप पंजीयक, रूपवास द्वारा परिवादी-पक्ष को प्लॉट से वंचित करने व अभियुक्त पक्ष को संगीन अपराध से बचाने के उद्देश्य से पद का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री नेमीचन्द शर्मा से दिनांक 04.03.12 को प्राप्त परिवाद के तथ्य संक्षेप म. हैं कि उसकी माता श्रीमती नर्वदा देवी ने श्रीमती सम्पत्ति देवी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र मय नक्शा दिनांक 16.07.04 को आराजी खसरा सं. 1217 म. से एक भूखण्ड जिसकी उत्तर-दक्षिण लम्बाई रूदावल से नगला तुला जाने वाली रोड़ पर 164 फीट है, खरीदा था,

जिसका पंजीयन पुस्तक संख्या 1 पर जिल्द संख्या 226 म. पृष्ठ संख्या 110 के क्रम संख्या 2004002101 पर तत्कालीन उप पंजीयक (तहसीलदार, रूपवास) द्वारा किया गया, उसी प्लॉट का फर्जी विक्रय-पत्र, (विक्रेता श्रीमती सम्पत्ति देवी द्वारा क्रेतागण रामनिवास, साहब सिंह आदि के पक्ष म.) उसी उप पंजीयक ने उनसे नाजायज लाभ लेकर तथा परिवादी की माता को नुकसान पहुँचाने की नियत से न्यायालय के स्थगन के बावजूद दिनांक 08.09.11 को पंजीकृत कर दिया, जिसका इन्द्राज पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 314 म. पृष्ठ संख्या 116 की क्रम संख्या 20110016261 पर किया गया। इसकी जानकारी होने पर परिवादी ने उस फर्जी विक्रय-पत्र के बारे म. विक्रेता एवं क्रेतागण के विरूद्ध न्यायालय म. परिवाद प्रस्तुत करके भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 एवं 468 आदि के अपराध बाबत पुलिस थाना-रूदावल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 340/11 दर्ज करवाई।

उक्त प्रकरण म. उप पंजीयक, रूपवास श्री बालकृष्ण तिवारी ने पत्र क्रमांक पंजीयन/2011-66 दिनांक 02.12.11 जारी किया, जिसम. परिवादी की माता के हक म. विक्रय-पत्र व नक्शा का पंजीयन होना बताया। इसके पश्चात् भ्रष्टाचार अपनाते हुए उक्त श्री तिवारी ने पत्र क्रमांक पंजीयन/78-79 दिनांक 13.12.11 को परिवादी की माता के हक म. हुए विक्रय-पत्र के नक्शे को गलत बताते हुए पुलिस थाना-रूदावल को परिवादी पक्ष को नुकसान पहुँचाने के लिए भेजा। इसके बाद पुनः पत्र क्रमांक पंजीय/2012/एसपीएल-1 दिनलांक 02.01.12 को अभियुक्तगण को फायदा पहुँचाने के लिए उक्त उप पंजीयक, रूपवास श्री बालकृष्ण तिवारी ने पुलिस थाना-रूदावल को भेजा, जिसम. पंजीकृत नक्शे को अपंजीकृत तथ्या. के विरूद्ध बताया और इस प्रकार पुलिस के समक्ष अनुसन्धान म. प्रकरण म. अन्तिम प्रतिवेदन लगवा दिया। यह सारी कार्यवाही उप पंजीयक, रूपवास श्री बालकृष्ण तिवारी ने अपराधिक षडयंत्र म. मोटी रकम लेकर परिवादी पक्ष को प्लॉट से वंचित करने व अभियुक्त-पक्ष को संगीन अपराध से बचाने के उद्देश्य से किया। पूर्व म. पदस्थापन के

स्थाना. पर भी उप पंजीयक, रूपवास श्री बालकृष्ण तिवारी द्वारा इसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही की गई। परिवादी की ओर से उक्त श्री तिवारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाने की प्रार्थना की गई।

इस परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, भरतपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन, जाँच रिपोर्ट, दस्तावेजात के आधार पर बताया गया कि उप पंजीयक, रूपवास श्री बालकृष्ण तिवारी की कोई गलत मंशा नहीं रही।

प्रकरण म. परिवाद व तथ्यात्मक रिपोर्ट म. प्रकटतः विरोधाभास के दृष्टिगत श्री बालकृष्ण तिवारी, उप पंजीयक, रूपवास के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रकरण म. अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक उप पंजीयक, रूपवास श्री बालकृष्ण तिवारी को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रतिरक्षा म. प्रारम्भिक जाँच म. परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा म. मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

<u>निष्कर्षः</u>

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक उप पंजीयक, रूपवास श्री बालकृष्ण तिवारी के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उसने मूल अभिलेख से मिलान किये बिना श्रीमती नर्वदा द्वारा श्रीमती सम्पत्ति देवी से क्रय किये गये भूखण्ड़ की नक्शानुसार उत्तर से दक्षिण लम्बाई (रूदावल से नगला तुला जाने वाली रोड़) मात्र 40 फीट होने के बावजूद 164 फीट होने का पत्र अपने पद का दुरूपयोग करते हुए जारी किया। इसके अलावा सक्षम नहीं होते हुए भी पुनः दिनांक 13.12.11 को अन्य पत्र पूर्व म. जारी पत्र को निरस्त/निष्प्रभावी करने बाबत पद का दुरूपयोग करते हुए नियम-विरूद्ध तरीके से जारी किया गया।

<u>अनुशंसा</u>ः

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत लोकसेवक उप पंजीयक, रूपवास श्री बालकृष्ण तिवारी के सक्षम प्राधिकारी - माननीय मुख्यमंत्री महोदया को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक 11(37)लोआस/2011/US-12/44922 दिनांक 30.03.16 से भेजकर उक्त आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु एवं की गई कार्यवाही/की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही से सूचित कराने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण म. अनुशंसा की पालना म. वांछित कार्यवाही/प्रगति अपेक्षित है।

एफ.5(60)लोआस/2013

लोकसेवक श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, तत्कालीन वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छापोली द्वारा विद्यालय-समय म. पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय म. अनुसंधान बाबत उपस्थित होने के बावजूद विद्यालय म. उक्त दिवस को अपनी उपस्थिति रजिस्टर म. दर्ज करने एवं श्री लीलाधर बम्बोरिया, वरिष्ठ अध्यापक द्वारा विभागीय जाँच म. उक्त लोकसेवक बचाने व जाँच को गुमराह करने के आशय से असत्य कथन करने बाबत।

परिवादिया श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व. श्री सांवरमल मीणा, निवासी-रघुनाथपुरा वाया गुढ़ागौड़जी, जिला-झुन्झुनूं से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय, छापोली, जिला-झुन्झुनूं के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक श्री जितेन्द्र कुमार मीणा विद्यालय-समय म. गायब रहकर अनैतिक कार्यों म. लिप्त रहते हैं। वह दूसरे दिन आकर उपस्थिति पंजिका म. हस्ताक्षर करते हैं। दिनांक 07.12.11 को उक्त श्री जितेन्द्र कुमार मीणा को एफ.आई.आर. नं.

220/11, पुलिस थाना-गुढ़ागौड़जी म. पुलिस उपाधीक्षक, झुन्झुनूं द्वारा तफतीश हेतु बुलाया गया था जिस पर वे उनके कार्यालय म. उपस्थित हुए थे। इसके बावजूद उन्हाने दिनांक 07.12.11 की विद्यालय म. उपस्थिति बाबत रजिस्टर म. उपस्थिति दर्ज करके पद का दुरूपयोग किया व राजकोष को हानि पहुँचाई।

परिवाद के सम्बन्ध म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर व पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं दस्तावेजात तथा परिवादी से प्राप्त आपत्तिया. के परिप्रेक्ष्य म. प्रकरण म. प्रारम्भिक जाँच करने का निर्णय लिया गया।

प्रारम्भिक जाँच के दौरान आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्ट्या प्रकट हुआ कि लोकसेवक श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक छापोली, दिनांक 07.12.11 को कार्यालय पुलिस उपाधीक्षक, झुन्झुनूं म. उपस्थित हुए थे। इसके बावजूद उन्हाने विद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर म. दिनांक 07.12.11 को अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसके अलावा यह भी प्रकट हुआ कि इस मामल. म. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनूं के आदेश से प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोड़की द्वारा की गई विभागीय जाँच म. श्री लीलाधर बम्बोरिया, वरिष्ठ अध्यापक द्वारा यह असत्य साक्ष्य दी गई कि पुलिस उपाधीक्षक, झुन्झुनूं के कार्यालय म. अन्य गवाहान के साथ बयान हेतु दिनांक 08.12.11 को उपस्थित हुए थे, इसलिए दोना. लोकसेवक श्री जितेन्द्र कुमार मीणा एवं श्री लीलाधर बम्बोरिया के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान दोना. लोकसेवका. को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रतिरक्षा म. प्रारम्भिक जाँच म. परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा म. मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष:

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से लोकसेवक श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छापोली के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि दिनांक 07.12.11 को पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, झुन्झुनूं म. विद्यालय-समय म. उपस्थित होने के बावजूद भी उन्हाने विद्यालय म. उक्त दिवस को अपनी उपस्थिति रजिस्टर म. दर्ज कर अपने पद का दुरूपयोग किया एवं श्री लीलाधर बम्बोरिया, वरिष्ठ अध्यापक के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उन्हाने जाँच अधिकारी प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोड़की के समक्ष दिनांक 21.09.13 को उक्त लोकसेवक श्री जितेन्द्र कुमार मीणा को बचाने व जाँच को गुमराह करने के आशय से दिनांक 08.12.11 को श्री जितेन्द्र कुमार मीणा व अन्य गवाहा. के साथ पुलिस उपाधीक्षक, झुन्झुनूं के कार्यालय म. जाने का असत्य कथन किया है।

अनुशंसा:

अत: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत उक्त दोना. लोकसेवका. के विरूद्ध उनके सक्षम प्राधिकारी - प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक: 5(60)लोआस/2013/US-12/42634 दिनांक 14.03.16 से भेजकर उनके विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग करने के कृत्य के लिये यथोचित अनुशासनिक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई।

अध्याय-5

अनुशासनिक कार्यवाहिया. के अन्य प्रकरण

एफ.3(6)लोआस/2012

श्रीमती रुचि शर्मा, निवासी लुहार गली, बूंदी द्वारा दिनांक 11.4.2012 को प्रेषित परिवाद म. प्रकरण संख्या 321/2011 धारा 498ए, 406, भा.द.सं., पुलिस थाना कोतवाली, बूंदी म. अनुसंधान अधिकारी श्री भरतसिंह ए.एस. आई. व आरक्षी श्री भगवान सिंह द्वारा मुलजिमा. से भारी प्रलोभन लेकर दूषित अनुसंधान कर तीन अभियुक्ता. की अग्रिम जमानत करवाने म. सहयोग करने व उसके दहेज का सामान बरामद नहीं करने के आरोप लगाये है।

परिवादी के आरोपा. के बारे म. पुलिस अधीक्षक, बूंदी से रिपोर्ट प्राप्त करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट म. परिवादी के प्रकरण म. अनुसंधान अधिकारी श्री भरत सिंह, उप निरीक्षक द्वारा अनुसंधान के दौरान लापरवाही बरते जाने पर राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 म. उसके विरूद्ध कार्यवाही करने पर अनुसंधान अधिकारी को 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित किये जाने का उल्लेख किया है।

एफ.3(52)लोआस/2012

श्री केशराराम, निवासी-सुरावाली, तहसील-पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ, द्वारा दिनांक 14.5.2012 को प्रेषित परिवाद म. उसकी नाबालिग पुत्री डिम्पल को घर से उठाकर अपहरण करने के आशय से दिनांक 31.1.2012 को 5-6 व्यक्तियों द्वारा घर म. घुसकर हमला कर देने के बारे म. पुलिस थाना गोलूवाला म. मुकदमा दर्ज करवाने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं

करने व मुलजिम इमीलाल द्वारा पुलिस से मिलकर उनके विरूद्ध ही मुकदमा दर्ज करवा देने एवं पुत्री डिम्पल द्वारा दिनांक 1.5.2012 को इन सबसे परेशान होकर सेल्फोस खाकर आत्म-हत्या कर लेने पर, इस बारे म. थानाधिकारी व अन्य पुलिस कर्मी पुलिस थाना गोलूवाला के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की है।

परिवादी के आरोपा. के बारे म. सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ व महानिरीक्षक, पुलिस रज़ बीकानेर से पत्राचार करने पर महानिरीक्षक, रज़ बीकानेर द्वारा श्री रणवीर सिंह, उप निरीक्षक व विष्णु खत्री, उप निरीक्षक, पुलिस थाना, गोलूवाला के विरूद्ध अनुसंधान के दौरान लापरवाही बरते जाने पर राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत की गई कार्यवाही म. दिनांक 29.11.2013 को 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित किया गया है।

परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 34/2012 म. सभी मुलजिमा. के विरूद्ध धारा 452, 354, 323, 306/511 भा.द.सं. के अपराध साबित पाये जाने पर चार्जशीट पेश कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 12.10.2015 को नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.3(211)लोआस/2013

श्री रईस अहमद, निवासी लालसोट रोड़, दौसा द्वारा प्रेषित परिवाद म. दिनांक 25.8.2013 को रात्रि के 10.00 बजे उसका वाहन बड़ागांव थाना नांगलराजावतान के पास खराब हो जाने पर मिस्त्री द्वारा उसे ठीक करते समय श्री लल्लूराम मीणा थानाधिकारी, नांगल राजावतान, द्वारा मौके पर

आकर उसके साथ गाली-गलौंच करने और बाद म. पुलिस थाने पर ले जाकर मारपीट करने व 2000/- उसकी जेब से निकाल लिये जाने के आरोप लगाये हैं।

परिवादी के आरोपा. के बारे म. पुलिस अधीक्षक, दौसा व महानिरीक्षक, पुलिस रज़ जयपुर से पत्राचार करने पर श्री लल्लूराम मीणा तत्कालीन थानाधिकारी के विरूद्ध आरम्भ की गई विभागीय कार्यवाही म. महानिरीक्षक पुलिस रज़ जयपुर द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 8.4.2015 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 32 म. कार्यवाही कर आरोपी को 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

इस प्रकार आरोपी लोकसेवक श्री लल्लूराम मीणा थानाधिकारी को विभागीय कार्यवाही म. दण्डित कर दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। अतः प्रकरण दिनांक 4.5.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(283)लोआस/2013

श्री लोकेश मेवाड़ा, निवासी पंचमुखी बालाजी के पास, झालावाड़ ने दिनांक 26.01.2011 की रात्रि के समय कामखेड़ा से झालावाड़ आते समय भगवानसिंह वगैरह द्वारा रास्ते म. उसके नगद रूपये व जेवरात लूट लिये जाने पर उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 911/2011 पुलिस थाना असनावर, म. दर्ज करवाई गई। इसलिए परिवादी ने 6.11.2013 को यह परिवाद प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण से माल बरामद नहीं कर चालान पेश कर दिये जाने पर दोषी पुलिस कर्मिया. व अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की है।

इस बारे म. पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ द्वारा प्रेषित रिपोर्टों म. अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तगण को बापर्दा नहीं रखने की लापरवाही का दोषी मानते हुये राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत श्री हजारी लाल व रूपसिंह, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस को 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित किया गया व श्री चन्द्रप्रकाश एवं गणपतसिंह उप निरीक्षक, को भवष्यि म. इस प्रकार का कृत्य नहीं करने की चेतावनी दी गई।

इस प्रकार प्रकरण म. दोषी लोकसेवका. को विभागीय कार्यवाही के दौरान दण्डित किया जाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान कराया गया अतः प्रकरण को दिनांक 8.7.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(330)लोआस/2013

श्री अशोक बांता, निवासी कंवरियात, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर द्वारा दिनांक 13.1.2014 को प्रेषित परिवाद म. उसके पिता पर प्राण घातक हमला करने बाबत पुलिस थाना, पादुकलान पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 64/2013 म. मुख्य अभियुक्त श्री दिनेश, बिजली बोर्ड कर्मचारी मेड़ता सिटी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किये जाने बाबत आरोप लगाये हैं।

परिवादी के आरोपा. के बारे म. पुलिस अधीक्षक, नागौर के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 1.6.2014 म. परिवादी के प्रकरण म. अनुसंधान के बाद अभियुक्त रामनिवास, श्रीमती बाजूदेवी, रामेश्वरी उर्फ सरीता व दिनेश के विरूद्ध धारा 323, 325, 307, 341, 34, भा.द.सं., के अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 29.5.2014 को उनके विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया जाना बतलाया है।

मुख्य आरोपी श्री दिनेश को बचाने के आरोपा. के सम्बन्ध म. तत्कालीन वृत्ताधिकारी, डेगाना श्री गोपालदास रामावत को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 म. आरोप पत्र जारी किये जाने पर जाँच के उपरान्त आरोप सिद्ध पाये जाने पर महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 26.2.2015 के द्वारा उन्ह. 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर दिनांक 27.5.2015 को प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(423)लोआस/2013

श्री दुर्गासिंह, निवासी जोडिया मेव, तहसील तिजारा, जिला अलवर द्वारा दिनांक 31.03.2014 को प्रेषित परिवाद म. प्रथम सूचना रिपोर्ट 528/2013 पुलिस थाना, भिवाड़ी म. जांच अधिकारी श्री उदयचन्द मीणा, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये हैं।

परिवादी के आरोपा. के बारे म. पुलिस अधीक्षक, अलवर से प्राप्त रिपोर्टों म. अनुसंधान अधिकारी श्री उदयचन्द मीणा को उक्त प्रकरण म. किये गये अनुसंधान म. देरी किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 म. विभागीय कार्यवाही के पश्चात् 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर दोषी पुलिसकर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कर दण्डित किया जाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया है। अतः प्रकरण को दिनांक 29.7.2015 को नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.3(200)लोआस/2014

श्री ओमप्रकाश सोनी, निवासी 144-रामनगर शोपिग सेन्टर, शास्त्रीनगर, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद म. दिनांक 20.4.2014 को 4-5 पुलिसकर्मिया. द्वारा जीप म. आकर उस पर चोरी की चैन खरीदने के आरोप लगाते हुये उसे जीप म. डालकर पुलिस थाना श्यामनगर पर ले जाने व उसके साथ मारपीट करने के आरोप लगाये हैं।

परिवादी के आरोपा. के बारे म. सचिवालय द्वारा महानिरीक्षक पुलिस (सर्तकता) राजस्थान, जयपुर से पत्राचार किये जाने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट म. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, थानाधिकारी, श्री हनुमानसहाय, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस व अभयसिंह एवं गजराज सिंह, आरक्षी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16/18 म. विभागीय कार्यवाही किया जाना अंकित किया है।

एफ.3(228)लोआस/2014

परिवादी श्री शंकरलाल, निवासी सूरजपोल, पाली द्वारा प्रेषित परिवाद म. उसके द्वारा दर्ज करवायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 28/2013 पुलिस थाना, कोतवाली, जिला पाली म. अनुसंधान अधिकारी द्वारा गलत अनुसंधान कर एक अभियुक्त के विरूद्ध ही चालान पेश कर अन्य अभियुक्तों को बचा देने व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 208/2014 पुलिस थाना कोतवाली पाली म. भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा तीन माह व्यतीत जाने के बाद भी अभियुक्तों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये हैं।

परिवादी के आरोपा. के बारे म. पुलिस अधीक्षक, पाली से पत्राचार किये जाने पर परिवादी के प्रकरण संख्या 28/2013 पुलिस थाना, कोतवाली पाली म. अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 420, 406, भा.द.सं., का अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट न्यायालय म. पेश कर दिये जाने व

अनुसंधान अधिकारी श्री भीमाराम, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस को अनुसंधान म. लापरवाही बरतने पर राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 म. कार्यवाही कर 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित किया गया। परिवादी के दूसरे प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 208/14 म. अनुसंधान का सत्यापन वृत्ताधिकारी, पाली से करवाये जाने के पश्चात् पूर्व अनुसंधान सही पाये जाने पर प्रकरण म. एफ.आर. अदमवकू झूठ म. पेश कर दिया जाना बतलाया है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 01.10.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(242)लोआस/2014

श्रीमती सुगना देवी पत्नी श्री मेवाराम प्रजापत, ग्राम चिमापुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर द्वारा दिनांक 12.8.2014 को प्रेषित परिवाद म. दिनांक 1.7.2014 की रात्रि को पड़ौसी जगदीश व सोनू द्वारा उसके घर म. घुसकर उसकी अस्मत लूटने के प्रयास करने बाबत पुलिस थाना, कोटखावदा म. पेश की गई रिपोर्ट दर्ज नहीं करने व इस बारे म. पुलिस आयुक्त के समक्ष परिवाद पेश करने पर दिनांक 17.7.2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना एवं जांच अधिकारी श्री राजेश गौतम द्वारा अभियुक्ता. से मिलकर कार्यवाही नहीं करने व राजीनामा के लिए दबाव डालने के आरोप लगाये हैं।

इस बारे म. पुलिस उपायुक्त, जयपुर (दक्षिण) द्वारा प्रेषित रिपोर्ट मं. श्री राजेश गौतम, तत्कालीन उप निरीक्षक द्वारा परिवादी के परिवाद से संज्ञेय अपराध बनना पाये जाने पर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कर मुलजिमा. के विरूद्ध धारा 107 116, द.प्र.सं. में इस्तगासा पेश करने का दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 म. विभागीय कार्यवाही

कर उसके प्रोबेशन काल को देखते हुये नरमी का रूख अपनाकर उसे भविष्य म. ऐसा कृत्य नहीं दोहराने की हिदायत दी गई है। परिवादी के प्रकरण म. मुलजिम जगदीश व सोनू नाई के विरूद्ध धारा 323, 341, 509, भा.द.सं. के अपराध प्रमाणित पाया गया।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही म. दोषी पुलिस अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 म. विभागीय कार्यवाही कर उसे चेतावनी दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 15.6.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(327)लोआस/2014

श्री भंवरलाल वर्मा, निवासी जैतपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ने दिनांक 3.9.2014 को इस सचिवालय म. प्रेषित परिवाद म. आरोपिया. द्वारा दिनांक 7.10.2010 को उसके साथ मारपीट करने पर पुलिस थाना, चौमू म. इस बारे म. रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर थानाधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके बाद न्यायालय को प्रेषित परिवाद पर दिनांक 30.10.2010 को आदेश दिये जाने पर भी पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के आरोप लगाये है।

इस बारे म. पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पश्चिम) से प्राप्त रिपोर्टों म. परिवादी के प्रकरण म. जांच म. देरी करने वाले श्री बनवारीलाल शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक व श्री बनवारीलाल कुमावत, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना, चौमू को दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 म. विभागीय कार्यवाही कर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। परिवादी श्री भंवरलाल के न्यायालय से प्राप्त परिवाद म. जाँच कर श्री

सागरमल व श्रीमती जानकी देवी के विरूद्ध धारा 323, 341, भा.द.सं. का अपराध बनना पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट दिनांक 7.11.2014 को न्यायालय ए.सी.जे.एम., चौमू म. पेश किया जाना भी बतलाया है।

इस प्रकार परिवादी को सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण प्रकरण को दिनांक 11.5.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(587)लोआस/2014

श्री मीठालाल मीणा, निवासी होदायली, पुलिस थाना, लालसोट, जिला दौसा द्वारा दिनांक 6.1.2015 को प्रेषित परिवाद म. प्रकरण संख्या 138/2011 धारा 498 ए, 406 भा.द.सं., पुलिस थाना, लालसोट म. आरोपी हीरालाल अध्यापक के विरूद्ध न्यायालय म. चार्जशीट पेश कर दिये जाने पर भी उसके चरित्र प्रमाण पत्र म. पुलिस थाना, लालसोट द्वारा उक्त तथ्य को छुपाकर सत्यापन रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, दौसा को भिजवा दिये जाने के आरोप लगाये हैं।

सचिवालय द्वारा इस बारे म. पुलिस अधीक्षक, दौसा से पत्राचार करने पर उनके द्वारा इस बारे म. श्री रामावतार, मुख्य आरक्षी संख्या 112 व श्री प्रहलाद, आरक्षी संख्या 925 पुलिस थाना, लालसोट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 म. कार्यवाही के उपरान्त दोषी पाये जाने पर भविष्य म. सर्तक रहकर कार्य करने की चेतावनी दिया जाना बतलाया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 21.12.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(260)लोआस/2015

श्रीमती अनिता, निवासी गंगापुर रोड, मण्डी तिराहा लालसोट, जिला दौसा द्वारा प्रेषित परिवाद म. मण्डी तिराहे पर उसकी चार दुकान व रिहायशी मकान होने व इनके फर्जी विक्रयनामा तैयार करवाकर श्री बृजमोहन वगैरह द्वारा दिनांक 29.7.2015 को इन पर कब्जा करने के प्रयास करने पर, इस बारे म. पुलिस थाना, लालसोट पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्या 304/2015 दर्ज करवाने पर, पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने व बृजमोहन वगैरह द्वारा पुलिस की मदद से जे.सी.बी. मशीन लाकर उसकी दुकान व मकान तोड़ देने के सम्बन्ध म. दोषी व्यक्तिया. के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की है।

इस बारे म. पुलिस अधीक्षक, दौसा से पत्राचार करने पर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट म. तत्कालीन थानाधिकारी श्री मोहनलाल, पुलिस निरीक्षक, श्री रामनारायण, मुख्य आरक्षी संख्या 117, श्री हुकमसिंह, आरक्षी 666, सुनीता, आरक्षी, 624, को जाँच म. दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 म. कार्यवाही कर आरोप पत्र दिया जाना अंकित किया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 21.1.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.5(11)लोआस/2012

इस प्रकरण म. परिवादी श्री जीवराज सिंह, निवासी मकान नं. 20, केसरगढ़, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के द्वारा श्रीमती संजू कंवर के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने/लंबित होने के उपरान्त भी, उसने तथ्य छुपाते हुए राजकीय अध्यापिका की नौकरी प्राप्त की है, इस तथ्य की जानकारी

विभाग को होने के बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के संदर्भ म. शिकायत की गई है।

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से पत्राचार किये जाने के पश्चात् शिक्षा उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 22.1.2016 से अवगत करवाया गया कि कार्मिक श्रीमती संजू कंवर, अध्यापिका द्वारा अपने विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने/लंबित होने के तथ्या. को छुपाने तथा गुमराह करने का दोषी पाए जाने पर, उसकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोककर दण्डित किया जा चुका है। इस क्रम म. लापरवाही बरतने के कारण अपचारी श्री प्रदीप कुमार जैन, तत्कालीन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, राजगढ़, अलवर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के यहां भिजवाए जा चुके हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप के उपरान्त लोक सेवक अध्यापिका को दण्डित किये जाने तथा लोक सेवक श्री प्रदीप कुमार जैन के विरूद्ध विभाग स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किए जाने के कारण अब परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान कर दिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण दिनांक 29.1.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(46)लोआस/2013

परिवादी श्री मुकेश जैन पुत्र श्री बलवंत सिंह जैन, निवासी पिड़ावा, जिला झालावाड़ द्वारा श्रीमती करूणा जैन, अध्यापिका, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, पिड़ावा, झालावाड़ के विरूद्ध अपनी पुत्री हर्षाली का परीक्षा परिणाम खराब किए जाने तथा कार्य-व्यवहार को लेकर शिकायत की गई थी।

इस सचिवालय द्वारा उक्त संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से मंगाई गई। इस क्रम म. प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 3.11.2015 के अनुसार हर्षाली जैन की अंग्रेजी विषय की कॉपी की पुनः गणना के पश्चात् 6.5 अंक की वृद्धि होने पर अंककार्ड संशोधित कर छात्रा को दे दिया गया। साथ हीं कॉपी की सही जाँच नहीं करने पर विद्यार्थी मित्र श्री प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त को दोषी माना। इनके अलावा श्रीमती करूणा जैन, वरिष्ठ अध्यापिका को जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, झालावाड़ द्वारा पत्र दिनांक 15.5.2015 के माध्यम से भविष्य म. अपना व्यवहार स्टाफ/छात्राआ. के साथ संयमित रखने हेतु चेतावनी दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 18.11.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(111)लोआस/2013

परिवादी श्री ललित धानावत, निवासी मौहल्ला खदाना, अलवर द्वारा दिनांक 07.02.2014 को जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम), अलवर के कार्यालय से कर्मचारिया. की सेवा पुस्तिकाएं गायब होने के संबंध म. शिकायत की गई है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किए जाने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 17.7.14 से अवगत करवाया गया कि जिन कार्मिका. की सेवा पुस्तिकाएं गायब हुई हैं उनकी डुप्लिकेट सेवा पुस्तिकाएं तैयार करने के आदेश दे दिये गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा-प्रथम, अलवर की आवक-जावक शाखा म. कार्यरत श्री गंगा सहाय बैरवा, तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध इस सम्बन्ध म. अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप श्री बैरवा के विरूद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के क्रम म. विभाग से त्रै-मासिक रिपोर्ट मंगवाना आदेशित किया जाकर, परिवाद दिनांक 21.5.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(9)लोआस/2014

परिवादिया सुश्री रहमत खानम पुत्री श्री मुहम्मद सद्दीक, निवासी मजदूर संघ गली, विजयनगर, जिला अजमेर ने दिनांक 7.5.2014 को विजयनगर म. आयोजित शिविर के दौरान इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया था कि शिक्षा विभाग के अधिकारिया. के द्वारा श्री मोहम्मद युनूस, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, झाग-सिलोरा, जिला अजमेर के विभिन्न लंबित मामला. का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय स्तर पर शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट्स एवं परिवादिया से प्राप्त आपत्ति पत्र का परीक्षण करने के उपरान्त विभाग को श्री मोहम्मद युनूस के प्रकरण की वर्तमान प्रास्थिति की रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। इस अनुक्रम म. अतिरिक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 23.4.2015 से अवगत कराया कि श्री मोहम्मद युनूस के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 की कार्यवाही लंबित है तथा आपराधिक प्रकरण धारा 406,409 भा.दं.सं. म. पुलिस थाना, जवाजा, अजमेर म. दर्ज है।

इन सबके उपरान्त विभाग स्तर पर मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इनको सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अंतिम भुगतान जी.पी.एफ. की राशि 2,56,842, राज्य बीमा की राशि 2,63,791/- का भुगतान दिनांक 22.12. 2014 को कर दिया गया तथा इनकी प्रोविजनल पशन भी जारी की जा

चुकी है। अन्य देय बकाया का निपटारा श्री मोहम्मद युनूस के विरूद्ध लंबित विभागीय जांच के पूर्ण होने पर किया जाना संभव होगा।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 12.5.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(18)लोआस/2014

परिवादी श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी अचरोल, तहसील आमेर, जयपुर द्वारा पुलिसकर्मी श्री हनुमान सहाय मौर्य द्वारा फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति उठाए जाने तथा श्री नवीन कुमार मौर्य के द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड के तथ्या. को छुपाकर अध्यापक ग्रेड-द्वितीय की राजकीय नौकरी प्राप्त करने के संबंध म. दिनांक 25.4.2014 को शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मानसरोवर, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 25.7.2014 के अनुसार फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर उठाई गई छात्रवृत्ति की राशि मय ब्याज दिनांक 27.6.2013 को राजकोष म. जमा करवाई जा चुकी है। श्री नवीन कुमार मौर्य के द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड के तथ्या. को छुपाकर राजकीय अध्यापक की नौकरी प्राप्त किये जाने के तथ्य को शिक्षा विभाग द्वारा बाद जांच प्रमाणित नहीं होना पाया गया है।

फर्जी आय प्रमाण पत्र से श्री हनुमान सहाय मौर्य, कांस्टेबल द्वारा उठाई गई छात्रवृत्ति के लिए पुलिस उपायुक्त(उत्तर), जयपुर ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आदेश दिनांक 26.8.2014 के द्वारा श्री मौर्य, कांस्टेबल को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान कर दिया जाने पर प्रकरण को दिनांक 26.6.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(51)लोआस/2014

परिवादी श्री बद्रीलाल पुत्र श्री गिरधारीलाल प्रजापत, मुकाम पोस्ट सतखण्डा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ ने श्री बगदूराम डांगी, अध्यापक के विरूद्ध इस आशय की शिकायत की थी कि वह स्कूल समय म. अन्य कार्यों से न्यायालया. म. उपस्थित रहने के उपरान्त भी स्कूल की उपस्थिति पंजिका म. हस्ताक्षर करते रहते हैं।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के उपरान्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 3.7.2015 के द्वारा अवगत कराया कि श्री बगदूराम डांगी, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धराणा, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ को विद्यालय उपस्थिति पंजिका म. हस्ताक्षर होते हुए भी न्यायालय म. पेशी पर उपस्थित होने का दोषी पाया गया। इस कारण उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत ज्ञापन, आरोप पत्रादि जारी किये जा चुके हैं। अध्यापक श्री डांगी के विरूद्ध विभाग स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन/ विचाराधीन है।

अतः प्रकरण को इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप आंशिक रूप से दिनांक 21.7.2015 को परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए नस्तीबद्ध किया गया।

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को दोषी कार्मिक श्री बगदूराम डांगी, अध्यापक के विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही की त्रै-मासिक रिपोर्ट भिजवाते रहने हेतु लिखा गया।

एफ.5(132)लोआस/2014

परिवादी श्री रामपाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा, निवासी पंचायत समिति के सामने, बसवा रोड़, बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा दिनांक 17.11.2014 को श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा के विरूद्ध इस आशय का परिवाद पेश किया गया कि उसके द्वारा फर्जी डिग्री के आधार पर तृतीय श्रेणी अध्यापक की राजकीय नौकरी प्राप्त की गई है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा, अध्यापक को बाद जाँच दिनांक 17.4.2015 को सेवाच्युत कर दिया गया।

इसके अलावा श्री शर्मा के विरूद्ध दिनांक 19.4.15 को पुलिस थाना, बांदीकुई म. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 222/15 अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कराई गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 8.06.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.8(20)लोआस/2010

परिवादी श्री मोहरसिंह लाम्बा पुत्र श्री नौरंग सिंह लाबा, लाम्बा मेडिकल स्टोर, बस स्टेण्ड राजगढ़ जिला चुरू द्वारा यह परिवाद आयुष चिकित्सक

के पद पर निदेशक, एनआरएचएम, स्वास्थ्य विभाग श्री गिरधर गोपाल, सहायक निदेशक के विरूद्ध भ्रष्टाचार पद का दुरूपयोग व अनियमितताय. किये जाने के संदर्भ म. दिनांक 2.8.2010 को पेश किया गया।

प्रकरण म. तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु शासन सचिव, आयुर्वेद चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 25.8.2010 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने के पश्चात् शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3 जांच) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 16.2.16 के अनुसार डॉ. एन.के. श्रीवास्तव, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं डॉ. आर.डी. वर्मा वरिष्ठ, चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित की गई। जांच अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात् प्रकरण को दिनांक 10.3.16 को सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया जाकर पार्ट फाईल खोली जाकर उसम. कार्यवाही करते हुए त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मंगाई जा रही है।

एफ.8(23)लोआस/2012

परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार, 86 अर्जुननगर साउथ, त्रिवेणी गोपालपुरा, जयपुर द्वारा यह परिवाद श्री नवरत्न शर्मा, तत्कालीन रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा किये गये फर्जीवाड़े के सम्बन्ध म. कार्यवाही के संदर्भ म. दिनांक 21 सितम्बर, 2012 को पेश किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 20.06.2013 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप विभाग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.7.15 के अनुसार श्री नवरत्न शर्मा, तत्कालीन रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के विरूद्ध लम्बित विभागीय जाँच में संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाय, जोन जयपुर को जाँच अधिकारी

नियुक्त किया गया। प्रकरण को सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध करते हुए पार्ट फाईल खोलकर उसम. कार्यवाही करते हुए लम्बित विभागीय जांच का प्रगति प्रतिवेदन मंगवाया जा रहा है।

एफ.8(11)लोआस/2014

परिवादी श्री जसराम शर्मा पुत्र माधोलाल शर्मा, निवासी 3/15 महावीरगंज सेन्दड़ा रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर द्वारा यह परिवाद दिनांक 09.05.2014 को वॉर्ड ब्वॉय द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बांधने के ऐवज म. रिश्वत की मांग करने के संदर्भ म. पेश किया दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर को पत्र दिनांक 21.05.2014 प्रेषित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 21.05.2014 के अनुसार श्री जगदीश, वॉर्ड ब्वॉय को कर्त्तव्य म. लापरवाही एवं विभाग की छवि खराब करने का दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष दोषी कार्मिक को कर्तव्य मे. लापरवाही एवं विभाग की छवि खराब करने के आरोप म. राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण प्राप्त हो चुका है। इसलिए अब यह परिवाद दिनांक 21.08.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.8(97)लोआस/2014

परिवादी श्री सम्पत लाल स्वर्णकार पुत्र श्री प्यारे लाल स्वर्णकार, निवासी खरिया कुण्ड के पास, बनेड़ा, भीलवाड़ा द्वारा यह परिवाद श्री हफीज मोहम्मद, मेल नर्स 2, अजमेर के विरूद्ध कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के कारण उसे नौकरी से बर्खास्त करने के संदर्भ म. दिनांक 16 जनवरी 2015 को पेश किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाय, राजस्थान, जयपुर को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 4.2.2015 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप विभाग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 29.2.16 के अनुसार श्री हफीज मोहम्मद, मेल नर्स 2 अजमेर (निलम्बित) के विरूद्ध संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाय, जोन अजमेर के स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से प्रकरण को सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध करते हुए पार्ट फाईल खोलकर उसम. लम्बित विभागीय जाँच का त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन मंगवाया जा रहा है।

एफ.10(19)लोआस/2012

परिवादी विनोद कुमार, पोस्ट ऑफिस, उदयपुर गोदारण, तहसील सूरतगढ़, जिला गंगानगर ने यह परिवाद सहायक अभियन्ता, कार्यालय (ओ. एण्ड एम.) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लोसल, जिला सीकर के विरूद्ध विद्युत कनेक्शना. पर डिमाण्ड राशि गबन कर आपराधिक षड्यन्त्र रचकर अवैध कनेक्शन जारी करने वाला. के विरूद्ध जाँच कर कार्यवाही करने के संदर्भ म. दिनांक 10 मई, 2012 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र

दिनांक 19.7.13 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करते हुए इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 14.05.15 के अनुसार दोषी कनिष्ठ लिपिक, श्री नारायण लाल को चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 3 वर्ष म. अनुतोष प्राप्त हो गया एवं दोषी कनिष्ठ लिपिक, श्री नारायण लाल को चेतावनी के दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 26.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(41)लोआस/2013

परिवादी श्री अनिल गोखरू, निवासी गोखरू भवन, मिल चौक, विजयनगर, जिला अजमेर द्वारा यह परिवाद दिनांक 13 जनवरी, 2014 को उसे श्री हर्षवर्धन जैन द्वारा गलत तरीके से ब्लेकलिस्ट करने एवं उसके 11-12 लाख रूपये के जायज भुगतान को रोक लिये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

सचिवालय द्वारा प्रकरण के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, उर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 23.1.2014 प्रेषित किया गया। इसके बाद शासन उप सचिव, उर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 16.12.2015 के अनुसार परिवादी को सभी बकाया भुगतान कर दिया गया है एवं श्री हषवर्धन जैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, अजमेर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर ज्ञापन एवं आरोप पत्र जारी किये जाकर जाँच अधिकारी एवं विभागीय प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाना भी उल्लेखित किया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को सभी भुगतान कर दिये गये एवं दोषी अधिकारी श्री हषवर्धन जैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, अजमेर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई। इसके अतिरिक्त प्रकरण म. पार्ट फाईल खोली जाकर विभागीय कार्यवाही का त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन मंगाया जा रहा है और यह परिवाद परिवादी को वांछित अनुतोष मिल जाने के कारण दिनांक 22.01.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(4)लोआस/2014

परिवादी श्री सोहन लाल कुमावत पुत्र श्री बद्री प्रसाद कुमावत, निवासी ग्राम शिमला, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझनूं ने यह परिवाद सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खेतड़ी के विरूद्ध माह जुलाई, 2012 के बाद उसके सभी बिजली बिला. म. सही रीडिंग नहीं लिखे जाने और राशि जमा कराने के बाद भी बिला. म. संशोधन नहीं कर मार्च, 2014 का बिजली बिल 19641/- का भेजने और अकारण दिनांक 15.3.14 को घर का मीटर उतार कर ले जाने के संदर्भ म. दिनांक 21.04.14 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को पत्र दिनांक 11.06.15 प्रेषित किया गया। प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से प्राप्त पत्र के अनुसार परिवादी का घरेलू विद्युत कनेक्शन का मीटर दोषपूर्ण होने के कारण औसत के आधार पर बिल जारी किये गये थे। उपभोक्ता के नवम्बर, 2013 से मार्च, 2014 के बिल बिलिंग एजन्सी द्वारा पूर्वानुसार औसत के भिजवा दिये गये थे। परिवादी का विद्युत उपभोग सही कर उसके अनुसार दर्ज युनिट का

समायोजन कर उसे बिल भिजवा दिया गया एवं इस त्रुटि के लिये दोषी श्री मनोहर सिंह को विभागीय कार्यवाही म. दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 11 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के आधार पर एवं उत्तरदायी कार्मिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कर दण्डित कर दिये जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 21.5.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(89)लोआस/2014

परिवादी श्री हरिनारायण पुत्र श्री रामधन, जाति सैनी, निवासी गांव पामाडी, तहसील बसवा, जिला दौसा, राजस्थान द्वारा यह परिवाद दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 को श्री महेन्द्र बैरवा व श्री राकेश मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बांदीकुई के विरूद्ध अवैध लाईन डालने एवं राजकार्य म. बाधा डालने के झूठे आरोप म. फंसाने का आरोप लगाते हुए जाँच कराये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

सचिवालय द्वारा इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 29.10.14 प्रेषित किया गया। सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार श्री महेन्द्र वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता को दोषी मानते हुए उसके विरूद्ध राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील विनियम, 1962 के नियम-6 की धारा 6 के अधीन आरोप पत्र जारी किया गया, जिसम. श्री वर्मा को दोषी मानते हुए परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप लोकसेवक महेन्द्र वर्मा को दोषी मानते हुए राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील विनियम, 1962 के नियम-6 के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किय जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 24.7.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(21)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती सुन्दरी देवी पत्नी श्री कुन्नाराम, निवासी जय अम्बे कॉलोनी, गंगा पेट्रोल पम्प के पीछे, सोजत सिटी, पाली द्वारा यह परिवाद दिनांक 25 मई, 2015 का मीटर रीडर पर कभी भी वास्तविक रीडिंग न लेकर काल्पनिक रीडिंग अपनी मर्जी से भरने का आरोप लगाते हए स्थाई समाधान एवं सख्त कार्यवाही करने के संदर्भ म. पेश किया गया।

सचिवालय द्वारा प्रकरण के संदर्भ म. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 23.7.2015 प्रेषित किया गया। इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड एम.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा किये गये अतिरिक्त भुगतान का समायोजन उसके आगामी बिला. म. कर दिया गया। इसके साथ-साथ मीटर रीडर श्री प्रवीण कुमार को मीटर पठन कार्य म. लापरवाही बरतने के सम्बन्ध म. चेतावनी पत्र जारी किया किया गया एवं भविष्य म. पुनरावृत्ति करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर सचेत किया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप लगभग 9 माह की अवधि म. परिवादी की समस्या का समाधान किया जा चुका है एवं इस सम्बन्ध म. मीटर रीडर, श्री प्रवीण कुमार को चेतावनी पत्र जारी करते हुए भविष्य म. पुनरावृत्ति करने पर

अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर सचेत रहकर कार्य निष्पादन करने के आदेश दिये जाने से यह परिवाद दिनांक 20.1.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(113)लोआस/2015

परिवादी श्री हजारी लाल पुत्र श्री रामकिशन, निवासी ग्राम केसरपुरा, पोस्ट टीकड़ा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा यह परिवाद विद्युत विभाग के ठेकेदारा. के प्रतिनिधिया. द्वारा कृषि लाईन खींचने के कार्य म. वसूल की गई राशि उसे वापिस दिलाने एवं दोषी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही करने के संदर्भ म. दिनांक 23.10.15 को पेश किया गया।

प्रकरण सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित किया गया। सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त पत्र के अनुसार मैसर्स श्याम इलेक्ट्रिकल्स से नियमानुसार वसूली करने के लिये लेखाधिकारी (पवस), भीलवाड़ा को निर्देशित किया गया एवं तत्कालीन सहायक अभियन्ता, मुकेश मीणा व तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री सुरेश चन्द्र मीणा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 5 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं उक्त दोना. लोकसेवका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 23.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(72)लोआस/2008

परिवादी श्री लाल चन्द सैनी पुत्र श्री सेडूराम सैनी, जाति माली, निवासी रामगढ़ रोड़, लालवास बन्धा, सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास, जाजोला की तराई, आमेर, जिला जयपुर से राजस्व/भू प्रबन्ध विभाग, तहसीलदार, आमेर एवं उप पंजीयक एवं रजिस्ट्रार के विरूद्ध दिनांक 08.07.2008 को प्राप्त परिवाद म. राजस्व/भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारीगण से मिलीभगत कर फर्जी कागजात के आधार पर भूमि हड़पने की नीयत से दिनांक 18.12.1953 को उसके भाई सोसीलाल की मृत्यु होने के 40 वर्ष बाद दिनांक 02.04.1993 को श्री अशोक कुमार द्वारा फर्जी वारिस/सोसीलाल का भाई बनकर वारिसान का प्रमाण-पत्र बनवाकर जमीन का नामान्तरण अपने नाम खुलवाने का आरोप लगाया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 24.12.2008 से अवगत कराया कि श्री कान्ति कुमार मार्फत अशोक कुमार द्वारा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर उसके द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। प्रकरण म. नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व प्रार्थना-पत्र के संलग्न शपथ-पत्र, वारिस प्रमाण-पत्र व मृत्यु प्रमाण-पत्र की जाँच कर कार्यवाही की जानी थी। आगे प्रकट किया कि इस सम्बन्ध म. दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियमा. के तहत कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण सिविल एवं राजस्व न्यायालय म. विचाराधीन होना भी प्रकट किया।

भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ने पुनः पत्र दिनांक 30.03.2009 से अवगत कराया कि प्रकरण से सम्बन्धित तत्कालीन सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, आमेर, श्री हनुमान प्रसाद चावला प्रथमदृष्ट्या दोषी प्रतीत होने से उनके विरूद्ध नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जाँच हेतु

प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भिजवा दिये गये हैं। अपने पत्र के साथ श्री हनुमान प्रसाद चावला, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, आमेर एवं श्री रणवीर सिंह, भू-मापक के विरूद्ध तैयार आरोप-पत्र, आरोप विवरण-पत्र की फोटो प्रतियाँ प्रेषित की।

शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग के आदेश दिनांक 11.05.2015 की प्रति इस सचिवालय को प्राप्त हुई जिसके अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा श्री हनुमान प्रसाद चावला, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी हाल आर.ए.एस. के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाने पर राजस्थान पेन्शन नियम, 1996 के नियम 7 के अन्तर्गत उनको देय पेन्शन राशि का 10 प्रतिशत भाग 5 वर्ष के लिये रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया एवं श्री रणवीर सिंह, भू-मापक के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण को समाप्त किया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप लोकसेवक को दण्डित किये जाने एवं परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 26.05.2015 को निस्तारित किया गया।

एफ.11(29)लोआस/2012

परिवादी राम कुमार बेनीवाल पुत्र श्री नारायण राम, जाति जाट, निवासी इन्दिरा नगर, झुन्झुनूं से दिनांक 03.05.2012 को श्रीमती सुमन चौधरी, तहसीलदार, झुन्झुनूं के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि श्री सुरेश कुमार को क्रेशर लगाने के लिए ग्राम देरवाला के खसरा संख्या 522 किस्म बंजड़ भूमि म. 2 बीघा (0.50 हैं.) भूमि जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने आवंटित की, लेकिन आवंटी ने आवंटन से तीन गुना अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर 50-50 मीटर के पक्के तालाब के

पायतन पर कब्जा कर तालाब के पानी के स्त्रोत को अवरूद्ध कर दिया। तहसीलदार, झुन्झुनूं ने उक्त अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही करने के बजाय सीमा ज्ञान ई.डी.एम. मशीन द्वारा कराये जाने म. प्रकरण को उलझा दिया है और ऐसा अतिक्रमण नहीं हटाने की नीयत से किया है। परिवादी ने अतिक्रमण हटाने के लिए उचित कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं से जाँच करवाकर जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने पत्र दिनांक 14.08.2013 से अवगत कराया कि ई.डी. एम. मशीन उपलब्ध नहीं होने से टीम गठित कर श्री रामकुमार बेनीवाल को भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर विवादित भूमि पर अतिक्रमी सुरेश कुमार मील का अतिक्रमण पाये जाने पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं।

जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने आगे पत्र दिनांक 23.05.2014 से यह अवगत कराया कि टीम द्वारा चिन्हित अतिक्रमण को दिनांक 26.03.2014 को स्वयं श्री सुरेश कुमार द्वारा हटा लिया गया जिसका निरीक्षण तहसीलदार, झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 26.03.2014 को सांयकाल करने पर उक्त अतिक्रमण हटा हुआ पाया परन्तु खनि अभियन्ता, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.03.2014 के अनुसार अतिक्रमी द्वारा मौके पर पूर्णतया अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इस सम्बन्ध म. तहसीलदार, श्री ओम प्रकाश जांगिड़ से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु स्पष्टीकरण माँगा गया है तथा उनको पूर्णतया अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किये गये।

जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने आगे पत्र दिनांक 22.07.2014 से अवगत कराया कि बिजली के पावर-हाउस स्विच-रूम को छोड़कर शेष अतिक्रमण स्वयं अतिक्रमी द्वारा हटा दिया गया है। वर्तमान म. न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.खं.), झुन्झुनूं का स्थगन आदेश दिनांक 07.08.2014 तक यथास्थिति बनाये रखने बाबत है।

जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने पत्र दिनांक 1.07.2015 से यह भी अवगत कराया कि तत्समय पदस्थापित तहसीलदार, श्री ओम प्रकाश जांगिड़ को आदेश दिनांक 22.07.2014 से विभिन्न आरोपा. का दोषी पाते हुए एक वेतन-वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने अपने पत्र दिनांक 10.11.2015 से यह भी अवगत कराया कि प्रकरण संख्या 35/2014 सुरेश कुमार बनाम राज्य सिविल न्यायाधीश (क.खं.), झुन्झुनूं के न्यायालय म. लम्बित है जिसम. यथास्थिति आदेश प्रभावी है। उक्त प्रकरण का निर्णय होने पर आगामी कार्यवाही सम्भव हो पायेगी।

अत: इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाने म. उपेक्षा बाबत दोषी लोकसेवक श्री ओम प्रकाश जांगिड़, तहसीलदार को एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। सक्षम सिविल न्यायालय म. लम्बित वाद म. यथास्थिति आदेश प्रभावी होने के कारण अतिक्रमण के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही सम्भव नहीं होने से वाद की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मँगाने के निर्देश के साथ यह प्रकरण दिनांक 27.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(106)लोआस/2012

परिवादीगण महावीर प्रसाद एवं मगनीराम से लोकसेवकगण श्री जगदीश प्रसाद चौधरी, हाल तहसीलदार, दांतारामगढ़ जिला, सीकर, मोहन लाल शर्मा हाल पटवारी, रूपगढ़ तहसील, दांतारामगढ़ जिला, सीकर के विरूद्ध दिनांक 12.07.2012 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि ग्राम रूपगढ़ म. स्थित आराजी ख.सं. 101, 102, 122, 123 कुल रकबा 2.89 हैक्टेयर जरिये पंजीकृत विक्रय-विलेख दिनांक 17.11.2011 को क्रय की जिसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.12.2011 को

नामान्तरकरण सं. 368 परिवादीगण के पक्ष म. दर्ज किया जिसे ग्राम पंचायत की मीटिंग म. दिनांक 21.12.2011 को प्रस्तुत किया परन्तु वर्तमान सरपंच श्री भगवानाराम छब्बरवाल ने द्वेषता के कारण नामान्तरकरण को तस्दीक नहीं किये जाने के 45 दिन बाद नामान्तरकरण सं. 368 को तहसीलदार, दांतारामगढ़ को प्रस्तुत किया जाना था परन्तु उक्त सरपंच के प्रभाव म. आकर तहसीलदार, श्री जगदीश प्रसाद चौधरी एवं पटवारी, मोहनलाल शर्मा ने उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ के आदेश के बावजूद नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया। प्रार्थीगण की ओर से नामान्तरकरण तस्दीक करवाने एवं उक्त दोना. लोकसेवका. के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, सीकर ने पत्र दिनांक 12.02.2014 से अवगत कराया कि ग्राम पंचायत ने मामला विवादित मानते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया। इसके बाद पटवारी ने पक्षकारा. से जाँच कर यह नोट अंकित किया कि किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है और उक्त नोट के साथ नामान्तरकरण दिनांक 23.07.2012 को तहसीलदार के समक्ष पेश किया जिसे दिनांक 23.07.2012 को तस्दीक कर स्वीकृत कर दिया गया। प्रकरण के निस्तारण म. विलम्ब ग्राम पंचायत, रूपगढ़ द्वारा मामला न्यायालय म. विचाराधीन होने की गलत टिप्पणी के कारण हुआ, जिसके लिए ग्राम पंचायत, रूपगढ़ जिम्मेदार है।

जिला कलेक्टर, सीकर ने पत्र दिनांक 30.06.2014 से यह भी अवगत कराया कि श्री भगवान राम, सरपंच के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के तहत कार्यवाही बाबत निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर को लिखा गया एवं श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्,

सीकर को पत्र लिखा गया। पुनः पत्र दिनांक 28.11.2014 से अवगत कराया कि श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन/आरोप-पत्र/आरोप विवरण-पत्र जारी किये जा चुके हैं जिनकी फोटो-प्रतियाँ संलग्न प्रेषित की गई।

जिला कलेक्टर, सीकर ने आगे पत्र दिनांक 28.05.2015 से अवगत कराया कि श्री लक्ष्मीनारायण मीना, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत जारी आरोप-पत्र को परिवर्तित कर राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत जारी कर उन्ह. एक वार्षिक वेतन-वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। इस सम्बन्ध म. निर्णय दिनांक 12.05.2015 की फोटो-प्रति प्रेषित की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप आरोपी लोकसेवक को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत दण्डित कर दिये जाने एवं परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 01.07.2015 को निस्तारित किया गया।

एफ.11(128)लोआस/2013

परिवादी श्री नरद्र सिंह तंवर पुत्र श्री भँवर सिंह तंवर, निवासी नरसिंह कॉलोनी सागर रोड़, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा दिनांक 21.07.2013 को प्रस्तुत इस परिवाद म. अभिकथन किया गया कि ग्राम मावण्डाकलां, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित गैर मुमकिन चारागाह भूमि ख.नं. 28 पर निजी व्यक्ति द्वारा 2 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लेने की शिकायत तहसीलदार, नीमकाथाना को करने के

बावजूद भी प्रकरण म. कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। परिवादी ने प्रकरण म. जाँच करवाकर उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटवाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के संदर्भ म. जिला कलेक्टर, सीकर ने पत्र दिनांक 25.10.2013 से अवगत कराया कि प्रकरण म. उक्त चारागाह भूमि पर खेता पुत्र झाबर कुम्हार द्वारा किये गये अतिक्रमण को बेदखल करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। इस सचिवालय द्वारा आगे कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर द्वारा पत्र दिनांक 28.09.2015 से अवगत कराया कि प्रकरण म. सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश समाप्त होने पर प्रश्नगत अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटवा दिया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा यह भी सूचित किया गया कि प्रकरण म. समय पर उचित कार्यवाही नहीं करने के लिए तत्कालीन पटवारी, श्री अजीत सिंह, भू.अ.नि., श्री रामसिंह मीना को एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है तथा तत्कालीन पटवारी, श्री श्रीवर्धन शर्मा को भविष्य म. सतर्क रहकर कार्य करने की चेतावनी दी गई है। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियां प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप आरोपी लोकसेवका. के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियमा. के तहत कार्यवाही कर दण्डित कर दिये जाने एवं परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 04.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(205)लोआस/2013

परिवादी श्री मानसिंह पुत्र श्री उदयसिंह, जाति रावत, निवासी कुण्डा का थाक (खेडेला), तहसील बदनोर, जिला भीलवाड़ा से दिनांक 10.10.2013

को श्री ललित कुमार राजपुरोहित, तहसीलदार, बदनोर एवं श्री सोमित्र दाधीच, पटवारी हल्का, रतनपुरा (भादसी) तहसील बदनोर, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम कुण्डा का थाक म. प्राथमिक विद्यालय के निर्माण हेतु चारागाह भूमि खसरा नंबर 548 मे से 0.65 हैक्टयर भूमि प्रस्तावित किये जाने के बावजूद तहसीलदार, बदनोर एवं पटवारी हल्का, रतनपुरा द्वारा विद्यालय निर्माण हेतु निर्धारित भूमि पर नेनूसिंह रावत इत्यादि द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को नहीं हटाया जा रहा है। उन्हान्ने उक्त भूमि से अतिचारिया. को बेदखल करने एवं सम्बन्धित लोकसेवका. के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया है ।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 28.05.2014 से अवगत कराया कि खसरा नम्बर 548 रकबा 1.24 हैक्टयर चारागाह भूमि पर अतिक्रमिया. के विरूद्ध नायब तहसीलदार, बदनोर के यहाँ धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण म. दिनांक 02.04.2014 को अतिक्रमिया. छगनसिंह, चुनीसिंह, रामसिंह व मोटसिंह को बेदखल किया गया एवं तहसीलदार, श्री ललित कुमार राजपुरोहित एवं पटवारी, श्री सोमित्र दाधीच द्वारा इस कार्यालय से सीधे पत्राचार करने से उन्हें नोटिस जारी किये गये। जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 13.11.2014 से यह भी अवगत कराया कि उक्त भूमि पर अतिक्रमी छगनसिंह को प्रथम बार दिनांक 02.04.14, दूसरी बार दिनांक 11.07.14 एवं तीसरी बार दिनांक 01.08.14 को बेदखल कर मौके से पत्थर वगैरह हटाये गये और श्री ललित कुमार तत्कालीन तहसीलदार, बदनोर एवं श्री सोमित्र दाधीच, पटवारी को भविष्य म. सतर्कता पूर्वक कार्य सम्पादन करने की लिखित चेतावनी दी गई तथा विवादित स्थल पर से 11 के.वी. विद्युत लाईन निकली होने एवं उक्त पहाड़ी क्षेत्र होने से विद्यालय को भूमि आवंटित किया जाना संभव नहीं है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 17.04.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(250)लोआस/2013

परिवादी घनश्याम भार्गव पुत्र श्री कृष्ण गोपाल भार्गव, जाति ब्राह्मण, निवासी निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां से श्री भगवान लाल मीणा, क्षेत्रीय पटवारी, निपानिया के विरूद्ध दिनांक 01.11.2013 को प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम निपानिया की चारागाह की 100 बीघा भूमि पर हरिसिंह मीणा, पूर्व सरपंच का कब्जा है लेकिन हल्का पटवारी ने उसकी रिपोर्ट नहीं की तथा जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, उनकी झूँठी रिपोर्ट की है। इस सम्बन्ध म. जाँच करवाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, बांरा ने पत्र दिनांक 05.02.2014 से सूचित किया कि श्री हरिसिंह, श्री सत्यनारायण, श्री रामस्वरूप, निवासी निपानिया के खाते की भूमि के समीप ही ख.सं. 1121/7.14 1109/30.3, 1135/21.03 बीघा चारागाह भूमि है, उसम. से 3 बीघा भूमि पर श्री रामस्वरूप मीणा का अतिक्रमण है। मौके पर पटवारी द्वारा घासी, प्रेम, का अतिक्रमण होने की रिपोर्ट की है जबकि उनका कब्जा नहीं है। रामकरण का अतिक्रमण होने की रिपोर्ट सत्य है। घनश्याम का मौके पर खसरा नंबर 683, 705, 246 पर अतिक्रमण की रिपोर्ट असत्य है लेकिन उसका अन्य खसरा. पर अतिक्रमण होने की रिपोर्ट सत्य है। उन्हान्ने सम्बन्धित पटवारी के विरूद्ध शिकायत सही पाते हुए उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना वर्णित किया है। उन्हान्ने पत्र दिनांक 26.06.2014 से कुल 788.18 बीघा चारागाह भूमि म. से वर्तमान म. 285.2 बीघा भूमि पर 93

व्यक्तिया, रास्ता एवं तलाई की कुल 9.05 बीघा भूमि पर 10 व्यक्तिया. एवं भूमि वर्तमान सरपंच जडीयाबाई के पुत्र रामस्वरूप का ख.स. 1109, 1135 की कुल 3 बीघा भूमि पर अतिक्रमण होने, उनके विरूद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली आदेश की पालना म. बेदखली कार्यवाही लम्बित होने, पूर्व सरपंच हरिसिंह का कोई अतिक्रमण नहीं होना प्रकट करते हुए दोषी पटवारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 म. आरोप-पत्र व आरोप विवरण जारी करना वर्णित किया है।

जिला कलेक्टर, बारां ने पुनः पत्र दिनांक 11.09.2014 से चारागाह भूमि से अतिक्रमिया. को भौतिक रूप से बेदखल करना वर्णित किया एवं पत्र दिनांक 04.06.2015 से आरोपी श्री भगवान सिंह मीणा के विरूद्ध विभागीय जाँच अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 म. निर्णय किया जाकर दोषसिद्ध पाये जाने पर एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करना वर्णित किया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया एवं आरोपी लोकसेवक को दण्डित किया गया है। परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 06.07.2015 को अन्तिम रूप से निस्तारित किया गया।

एफ.11(284)लोआस/2013

परिवादी श्री रामविलास मीणा पुत्र स्वश्री गंगाबिसन मीणा, ग्राम टोकसपुरा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी ने दिनांक 9.01.14 को परिवाद प्रस्तुत कर चारागाह भूमि से श्री सत्यनारायण बसवाल, तहसीलदार, इन्द्रगढ़, बून्दी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटवाने एवं कार्यवाही म. शिथिलता बरतकर आरोपिया.

को बचाने के आरोप अंकित किये हैं। परिवादी ने जाँच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही करवाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ मे. जिला कलक्टर, बून्दी ने पत्र दिनांक 14.05.14 से यह अवगत कराया है कि लोक सेवक श्री सत्यनारायण बसवाल, तहसीलदार, इन्द्रगढ़ द्वारा अतिक्रमण हटाने म. सख्ती नहीं बरतने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर राजस्व मण्डल, अजमेर ने प्रकरण म. दोषी श्री बसवाल के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन पत्र दिनांक 11.09.14 जारी किया। आगे जिला कलक्टर बून्दी ने पत्र दिनांक 01.12.14 द्वारा यह भी अवगत कराया है कि ख0नं0 91/116, 95/0.4, 96/0.28, 97/0.25, 98/0.11, 99/1.29 है0 भूमि का अतिक्रमण गाँव के मोतबिरान, स्वयं परिवादी रामविलास मीणा, सरपंच एवं सचिव की मौजूदगी म. हटवाकर चरागाह भूमि ग्राम पंचायत, दौलतपुरा को सुपुर्द की गई है।

दोषी लोकसेवक तहसीलदार सत्यनारायण बसवाल के विरूद्ध विचाराधीन विभागीय कार्यवाही म. समय लगना स्वभाविक है। अतः इस अनुशासनात्मक कार्यवाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर से लिया जाना तय कर इस परिवाद को दिनांक 11.05.15 को इस सचिवालय म. नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(351)लोआस/2013

परिवादी श्री रामनिवास जाखड़, निवासी आउ, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 27.03.2014 को प्रस्तुत इस परिवाद म. अभिकथन किया गया कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, फलौदी के जनरल मैनेजर,

श्री मुरली मनोहर व्यास, कैशियर, श्री मोहन राम चौधरी तथा सेल्समेन, श्री हरिसिंह द्वारा राजस्व पटवारी से मिलीभगत कर फसला. की फर्जी गिरदावरी करवाकर चहेता. को लाभ पहुंचाने के लिए अधिक भाव म. मूंगफली क्रय की गई है। परिवादी ने प्रकरण म. जाँच करवाकर दोषिया. के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करवाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद के समर्थन म. परिवादी द्वारा तस्दीकशुदा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण परिवाद की छायाप्रतियां रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर तथा जिला कलेक्टर, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाकर इसे इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 13.06.2014 को नस्तीबद्ध किया गया।

इस सम्बन्ध म. संयुक्त रजिस्ट्रार (मार्केटिंग), सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 20.02.2015 से अवगत कराया कि प्रकरण म. जाँचोपरांत तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक के विरूद्ध विभिन्न अनियमितताआ. के सम्बन्ध म. राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण म. विभाग द्वारा दिनांक 09.06.2015 को यह अवगत कराया गया कि दोषी अधिकारी श्री मुरली मनोहर व्यास के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण उन्ह. दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद की प्रतिलिपि मात्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने पर भी संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण म. कार्यवाही करते हुए दोषी लोकसेवक को नियमानुसार दण्डित किया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रदर्शित करता है।

एफ.11(4)लोआस/2014

परिवादी किशन लाल पुत्र श्री दुली चंद, जाति नाई, निवासी दुंकर, तहसील, बीदासर, जिला, चूरू से दिनांक 09.04.2014 को श्री लोकेश मीना, क्षेत्रीय पटवारी, पटवार मण्डल, दुंकर, तहसील बीदासर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि पटवारी हल्का ने देवनाथ से मिलीभगत करके गलत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उसके माता जी की खातेदारी कब्जा-काश्त की भूमि ख.सं. 83 म. आवागमन का रास्ता कायम कर झूठी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, बीदासर को प्रेषित कर दी। उक्त रास्ते को तुरंत बंद करवाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर (सतर्कता), चूरू ने पत्र दिनांक 05.09.2014 से अवगत कराया कि पटवारी द्वारा दो तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत करना पाया गया है जिसम. पटवारी की लापरवाही बाबत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बीदासर को निर्देशित किया जा चुका है तथा परिवादी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय म. अपील दायर करने से प्रकरण का निस्तारण अपील के निर्णयानुसार किया जा सकेगा।

जिला कलेक्टर (सतर्कता), चूरू ने पुनः पत्र दिनांक 10.11.2015 के साथ उपखण्ड अधिकारी, बीदासर के आदेश दिनांक 30.10.2015 की फोटो-प्रति प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि श्री लोकेश मीना, पटवारी हल्का को दोषी मानते हुए उसकी एक वार्षिक वेतन-वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

एफ.11(22)लोआस/2014

परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र श्री साँवर मल शर्मा, निवासी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं से दिनांक 28.04.2014 को जिला कलक्टर,

झुन्झुनूं एवं तहसीलदार, उदयपुरवाटी के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि राजस्व ग्राम बागोरा की राजकीय भूमि खसरा संख्या 171 व 1433/4 पर मनोहर लाल सैनी ने अवैध निर्माण कर मकान बना रखा है एवं बाबू लाल कौशिक ने ख.सं.171 की राजकीय भूमि पर चारा. तरफ तारबन्दी कर कब्जा कर रखा है। निवेदन किया कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्मित मकान व ताराबंदी को हटवाया जावे।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने पत्र दिनांक 22.07.2014 से अवगत कराया कि केवल ख.सं. 171 की 0.0322 है. भूमि म. मनोहर लाल का अतिक्रमण है जिस बाबत अपर जिला कलक्टर, झुन्झुनूं के यहाँ अपील विचाराधीन है। यह भी प्रकट किया कि ख.सं. 171 म. तारबंदी स्वयं परिवादी चन्द्र प्रकाश व बाबुलाल ने कर रखी है जिसे दिनांक 28.05.2014 को उखाड़ दिया गया। ख.सं. 172 रकबा 0.52 है. म. से 0.14 है. पर हंस कुमार शर्मा के अतिक्रमण को उपखण्ड अधिकारी ने निर्णय दिनांक 18.6.2013 से नियमन योग्य माना, जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर शिविर झुन्झुनूं म. लम्बित है। अतिक्रमी मनोहरलाल ने तहसीलदार, उदयपुरवाटी के बेदखली के निर्णय के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश (क.खं.) उदयपुरवाटी मं. वाद सं.34/14 प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है।

जिला कलक्टर, झुंन्झुनूं ने पत्र दिनांक 18.03.2015 के द्वारा यह भी अवगत कराया कि ख.सं. 171 की 0.6. है. किस्म गैरमुमकिन पहाड़ म. से 0.0322 है. मे. अतिक्रमी स्वयं ने अतिक्रमण को खण्डित कर दिया और अतिक्रमी को दिनांक 21.11.2014 को भौतिक रूप से बेदखल कर दिया। उसके द्वारा पुनः अतिक्रमण किये जाने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) म. नायब तहसीलदार, उदयपुरवाटी म. प्रकरण दर्ज किया गया जिसम. राजस्व अपील अधिकारी, सीकर म. विचाराधीन अपील सं.33/14 मनोहर बनाम तहसीदलदार म. स्थान आदेश प्रभावी है।

जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने पत्र दिनांक 21.08.2015 से यह भी अवगत कराया कि ख.सं. 171 पर अतिक्रमण के समय कार्यरत तत्कालीन पटवारी, श्री हरिराम के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही म. निर्णय दिनांक 4.7.2016 से एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभावी से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं दोषी लोकसेवक पटवारी श्री हरिराम को अनुशासनात्मक कार्यवाही म. दण्डित कर दिये जाने पर यह परिवाद दिनांक 24.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(247)लोआस/2014

परिवादी राज कुमार पुत्र श्री चन्द्र शेखर सोनी, निवासी देवली, तहसील देवली, जिला, टाक्र से क्षेत्रीय पटवारी, श्री अब्दुल हफीज के विरूद्ध दिनांक 21.08.2014 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है ग्राम ऊँचा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा म. स्थित ख.सं. 1202 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा पूर्व म. दिनांक 06.11.1978 को नियमन होने के बावजूद क्षेत्रीय पटवारी, श्री अब्दुल हफीज को रिश्वत नहीं देने पर उसने जिला कलेक्टर व प्रशासन को अंधेरे म. रख कर गलत मौका रिपोर्ट बनाकर पुनः स्कूल के नाम आवंटन करा दी जबकि इस बाबत वाद संख्या 1202/08 लम्बित है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 14.05.2015 से अवगत कराया कि प्रश्नगत जाँच म. पाया गया कि विवादित आराजी ख.सं. 1202 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा पर परिवादी के दादाजी चाँदमल का नाजायज कब्जा रहा है। रिश्वत का आरोप प्रमाणित नहीं है। तत्कालीन पटवारी द्वारा उक्त विवादित भूमि स्कूल के लिए आवंटन के समय तथा आवंटन के

बाद उस पर कब्जे के सम्बन्ध म. विरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व आवंटन के समय तथ्या. को छिपाया गया। परिवादी द्वारा धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद लम्बित होना भी प्रकट किया है।

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 20.07.2015 से यह भी अवगत कराया कि विवादित आराजी ख.सं. 1202 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा के संबंध म. विरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं विद्यालय को भूमि आवंटन के वक्त तथ्य छिपाकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध म. तत्कालीन पटवारी, श्री अब्दुल हफीज के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु ज्ञापन, आरोप-पत्र, आरोप विवरण-पत्र जारी किये गये जिनकी फोटो-प्रतियाँ संलग्न प्रेषित की हैं एवं सम्बन्धित वाद राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर की न्यायालय म. लम्बित होना प्रकट किया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप लोकसेवक श्री अब्दुल हफीज, क्षेत्रीय पटवारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासात्मक कार्यवाही प्रारंभ होने एवं उसके निस्तारण म. समय लगने की संभावना के मद्देनजर उक्त कार्यवाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से आहूत किये जाने के निर्देश के साथ यह प्रकरण दिनांक 10.08.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(267)लोआस/2014

परिवादी राजकुमार उपाध्याय पुत्र श्री महेश चन्द उपाध्याय, जाति ब्राह्मण, निवासी टहला, तहसील राजगढ़, जिला अलवर से तहसीलदार, राजगढ़ एवं क्षेत्रीय पटवारी, टहला के विरूद्ध दिनांक 11.09.2014 को प्राप्त परिवाद

म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम राजडोली, पटवार हल्का टहला म. स्थित आराजी ख.सं. 86, 94, 103, 133, 384 एवं 387 खाता सं. 43 म. उसके दादाजी श्री लक्ष्मी चन्द उपाध्याय के नाम थी। उसके दादाजी की मृत्यु उपरान्त जमीन का वर्गीकरण उसके दादाजी की छः सन्ताना. म. होना चाहिए परन्तु भूलवश श्री महेश उपाध्याय का नाम छूट गया और पाँच सन्तानो. म. जमीन का वर्गीकरण कर दिया। उसके दादाजी की सन्ताना. म. श्री महावीर प्रसाद उपाध्याय, मनोहर लाल उपाध्याय एवं श्री महेश चन्द उपाध्याय की मृत्यु हो जाने से इनके पुत्र, पुत्रिया. के नाम से नामान्तरण खोल दिया गया लेकिन महेशचन्द का नाम सूची म. नहीं होने से नामान्तरण उनके पुत्रा. विजयानन्द उपाध्याय, राज कुमार उपाध्याय के नाम से नहीं खोला गया। उसके द्वारा प्रशासन गाँवा. के संग अभियान म. लिखित आवेदन करने के बावजूद कार्यवाही नहीं की। उन्हान्ने महेशचन्द उपाध्याय तत्पश्चात् उनके पुत्र विजयानन्द, राजकुमार एवं उनकी पत्नी श्रीमती कलावती देवी के नाम नामान्तरण खोलने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 26.03.2015 से अवगत कराया कि ग्राम राजडोली के ख.सं. 84, 94, 103, 133, 384, 387 पर पर्चा व मिसल बन्दोबस्त म. खातेदार महेश का नाम भू-प्रबन्ध संक्रियाआ. के दौरान विलोपित करने के प्रकरण म. उक्त ग्राम का रिकॉर्ड तैयारकर्ता व तस्दीक कर्ता कर्मचारी/अधिकारी की गलती रही है जिस हेतु पर्चा खतौनी तैयार कर्ता भू-मापक, श्री फूलचन्द जाट, जाँच कर्ता निरीक्षक, श्री जगदीश प्रसाद भारद्वाज व तस्दीक कर्ता, सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, राणा प्रताप भसीन एवं मुकाबला कर्ता श्री जगदीश प्रसाद मुद्गल प्रथमदृष्टया दोषी प्रतीत हो रहे हैं। उक्त म. से श्री जगदीश प्रसाद भू-मापक, श्री जगदीश प्रसाद भारद्वाज, निरीक्षक एवं श्री राणाप्रताप, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का देहान्त हो चुका है। रिकॉर्ड तैयार कर्ता भू-मापक, फूलचन्द जाट के विरूद्ध नियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर को पत्र प्रेषित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर ने पत्र दिनांक 30.06.2015 से अवगत कराया कि बन्दोबस्त संबंधी कार्य म. त्रुटि के सम्बन्ध म. परिवादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ म. वाद दायर किया गया है। इसी क्रम म. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 03.08.2015 से अवगत कराया कि आरोपी श्री फूलचंद जाट, भू-मापक, कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन, आरोप-पत्र जारी किया गया जिनकी फोटो-प्रतियाँ संलग्न प्रेषित की है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी द्वारा प्रश्नगत मामले म. सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय म. वाद संस्थित कर देने एवं लोकसेवक श्री फूलचन्द जाट, भू-मापक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित होने एवं दोनो कार्यवाहिया. के निस्तारण म. पर्याप्त समय लगने की संभावना के मद्देनजर उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भू-प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर से आहूत करने के निर्देश के साथ यह परिवाद दिनांक 13.08.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

तत्पश्चात् लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही म. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 17.11.2015 से दोषी कार्मिक श्री फूलचन्द जाट को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के स्थान पर राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन, आरोप एवं आरोप-विवरण पत्र जारी करना प्रकट करते हुए इनकी फोटो प्रतियाँ संलग्न प्रेषित की है। अब इस बाबत कार्यवाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

एफ.11(274)लोआस/2014

परिवादी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री विजय कुमार, निवासी हीराबास काली मोरी, अलवर द्वारा दिनांक 11.09.2014 को प्रस्तुत इस परिवाद म. अभिकथन किया गया कि पटवारी हल्का, देवखेड़ा, जिला अलवर, श्री मनीष मीणा द्वारा श्रीमती मन्नी के स्वर्गवास के बाद उसके वारिसान की जाँच किये बिना ही विरासत का इंतकाल दर्ज किया गया है। परिवादी ने यह भी कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी उक्त भूमि की रजिस्ट्री भी कर दी गई। परिवादी ने प्रकरण म. जाँच करवाकर दोषी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही करवाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के संदर्भ म. जिला कलेक्टर, अलवर ने पत्र दिनांक 22.01.2015 से अवगत कराया कि प्रकरण म. की गई जाँच म. नामांतरण दर्ज करने म. पटवारी श्री मनीष मीणा द्वारा नियम विरूद्ध मिलीभगत से कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध म. आरोपी उक्त लोकसेवक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 10.06.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(294)लोआस/2014

परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी, जाति सैनी, निवासी धोबीघाट, चांदमारी रोड़, आबूरोड जिला, सिरोही से श्री फूलाराम, नायब तहसीलदार, आबूरोड़, श्री प्रवीण सिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक, राजस्व ग्राम

सांतपुर तहसील, आबूरोड़ एवं श्रीमती सीमा, हल्का पटवारी, राजस्व ग्राम सांतपुर तहसील, आबूरोड़ के विरूद्ध दिनांक 12.09.2014 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि उनके द्वारा ग्राम सांतपुर के ख. सं. 6 की 6 बिस्वा, ख.सं. 7 की 2 बिस्वा, ख.सं. 22 की 1 बीघा 12 बिस्वा कुल 2 बीघा भूमि खातेदार श्री किशौरीलाल से दिनांक 28.10.2013 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका नामान्तरण वर्तमान जमाबंदी म. दर्ज किया गया। इसी प्रकार ख.सं. 20/2 की 10 बिस्वा भूमि खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका नामान्तरण भी वर्तमान जमाबंदी म. दर्ज किया गया। नन्दलाल इत्यादि द्वारा अतिक्रमण करने की धमकी देने पर दिनांक 14.08.14 को सहायक कलकटर के न्यायालय म. वाद दायर कर अंतरिम निषेधाज्ञा सभी के विरूद्ध प्राप्त की। उसके द्वारा रिश्वत की राशि नहीं देने पर नायब तहसीलदार, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं क्षेत्रीय पटवारी ने मौके पर उनका आधिपत्य होते हुए भी दिनांक 26.08.2014 को मौका देखे बिना मौके पर नन्दलाल इत्यादि का आधिपत्य होना वर्णित कर फर्जी मौका रिपोर्ट तैयार की गई। दोषी अधिकारिया. के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2014 को निरस्त करने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर (भू.अ.), सिरोही ने पत्र दिनांक 03.08.2015 एवं 14.12.2015 से अवगत कराया कि नरेन्द्र सैनी से रिश्वत मांगने की पुष्टि नहीं हुई हैं लेकिन फर्द मौका दिनांक 26.08.2014 व 27.08.2014 विरोधाभासी होने से लापरवाही बाबत राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत कार्यवाही की जाकर दोषी कार्मिक श्रीमती सीमा मीणा, पटवारी हल्का सांतपुर तहसील, आबूरोड़ एवं श्री प्रवीण सिंह सोलंकी, भू-अभिलेख निरीक्षक, सांतपुर तहसील, आबूरोड़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र तैयार करके कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप दोषी लोकसेवकगण श्रीमती सीमा मीणा, क्षेत्रीय पटवारी एवं श्री प्रवीण सिंह सोलंकी, भू-अभिलेख निरीक्षक, सांतपुर, तहसील आबूरोड़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासात्मक कार्यवाही प्रारंभ हुई जिसके निस्तारण म. समय लगने की संभावना के मद्देनजर उक्त कार्यवाही की त्रैमासिक-प्रगति रिपोर्ट मँगाने के निर्देश के साथ यह प्रकरण दिनांक 07.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(411)लोआस/2014

परिवादी श्री संजय कुमार जैन, पूर्व पार्षद, नगरपालिका, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ से तत्कालीन नायब तहसीलदार, श्री श्रवण लाल गुर्जर के विरूद्ध दिनांक 11.11.2014 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि ग्राम-पंचायत बाडौलिया द्वारा निःशुल्क पट्टा सोहनीबाई के पति लालचंद पंवार को अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण जारी किया। यह भूमि अहस्तान्तरणीय होने के बावजूद सोहनी बाई, कमलेश पंवार, मीना पंवार, महेन्द्र पंवार व तत्कालीन नायब तहसीलदार, श्रवणलाल गुर्जर ने कूटरचित दस्तावेज बनवाकर एवं आपराधिक षड़यंत्र रचकर जाकिर हुसैन को जरिये रजिस्ट्री विक्रय कर दी। इस सम्बन्ध म. मुकदमा दर्ज करवाकर सख्त सजा दिलवाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ ने पत्र दिनांक 03.03.2015 से अवगत कराया कि पट्टे म. अंकित शर्त के अनुसार निःशुल्क भूखण्ड आवंटन होने से आवंटित भूमि के हस्तान्तरण का कोई अधिकार आवंटी को नहीं था। उन्हाने अपने पत्र दिनांक 30.06.2015 से यह भी अवगत कराया कि श्री श्रवण लाल गुर्जर, तत्कालीन नायब तहसीलदार, रावतभाटा द्वारा पट्टे

के आधार पर किये गये विक्रय के पंजीयन म. राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 के नियम 39 के तहत नोट नहीं डालकर अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती जिस बाबत उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र, आरोप विवरण-पत्र जारी किया गया है। उन्हाऩे विवादित भूखण्ड के आवंटन आदेश मय पट्टा को निरस्त करने बाबत निगरानी याचिका जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ के यहाँ लम्बित होना भी बताया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप प्रकरण म. दोषी लोकसेवक श्री श्रवणलाल गुर्जर, तत्कालीन नायब तहसीलदार, रावतभाटा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ हुई एवं प्रश्नगत भूखण्ड के आवंटन आदेश तथा पट्टा निरस्तीकरण बाबत निगरानी याचिका प्रस्तुत हुई। इनके निस्तारण म. समय लगने के कारण यह प्रकरण त्रैमासिक रिपोर्ट आहूत करने के निर्देश के साथ दिनांक 24.11.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(413)लोआस/2014

परिवादी श्री हरिशंकर धाकड़ पुत्र श्री रामभरोस धाकड़, जाति धाकड़, निवासी बरखेड़ा, जिला बारां से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अन्ता, हल्का पटवारी बमूलिया कलाँ के विरूद्ध दिनांक 11.11.2014 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि तहसीलदार, अन्ता श्री बिशन लाल वर्मा, नायब तहसीलदार श्री लक्ष्मी नारायण प्रजापति ने मिलकर हल्का पटवारी से गैर कानूनी तरीके से परिवादी की आराजी ख.नं. 199 रकबा 0.13 है. वाके ग्राम बरखेडा के सम्बन्ध म. उपखण्ड अधिकारी के यथास्थिति आदेश दिनांक 21.10.11 व बाद म. पारित निर्णय दिनांक

4.10.13 को प्राप्त आर.ए.ए., कोटा द्वारा अपील म. दिनांक 24.11.14 तक स्थगित कर दिए जाने तथा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही म. पारित निर्णय दिनांक 27.10.2014 को जिला कलेक्टर, बारां द्वारा निरस्त कर दिनांक 19.09.2014 की स्थिति को यथावत रखने के आदेश के बावजूद जे.सी.बी. मशीन से भूमि को तहस-नहस कर कृषि-योग्य नहीं रखा, उसके पत्थर के कोट को भी तहस-नहस कर दिया। परिवादी ने इस सम्बन्ध म. तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हल्का पटवारी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने एवं उक्त भूमि की पूर्व की स्थिति कायम करवाने का निवेदन किया।

उपरोक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां ने पत्र दिनांक 12.06.2015 से अवगत कराया कि ख.स. 199 म. से 0.01 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के उपखण्ड अधिकारी अन्ता के आदेश दिनांक 04.10.13 के विरूद्ध अपील म. भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 11.11.2013 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करने के बावजूद तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.09.2014 को पैनल्टी अधिरोपित कर बेदखली का निर्णय पारित किया जिसकी अपील मं. जिला कलेक्टर, बारां ने दिनांक 27.10.2014 को 26.11.2014 तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये लेकिन दिनांक 27.10.2014 को ही ग्राम-पंचायत के कर्मचारियान के समक्ष जे.सी.बी. मशीन से परिवादी को बेदखल कर दिया। बाद बेदखली परिवादी द्वारा दिनांक 27.10.2014 को सांयकाल 5.30 बजे नायब तहसीलदार, अन्ता के समक्ष जिला कलेक्टर, बारां के स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत की। उन्हाने प्रकट किया कि भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा के स्थगन आदेश एवं जिला कलेक्टर, बारां के यहाँ धारा-91 की अपील विचाराधीन व स्थगन आदेश के बावजूद मौके की स्थिति म. परिवर्तन हेतु तहसीलदार, अन्ता, श्री बिशन लाल वर्मा दोषी है।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां ने पत्र दिनांक 28.08.2015 से दोषी लोकसेवक श्री बिशन लाल वर्मा, तहसीलदार, अन्ता के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र राजस्व मण्डल, अजमेर को कार्यवाही हेतु प्रेषित करना वर्णित किया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप दोषी लोकसेवक श्री बिशन लाल वर्मा, तहसीलदार, अन्ता के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासात्मक कार्यवाही प्रारंभ हुई। इसके निस्तारण म. समय लगने की सम्भावना के मद्देनजर राजस्व मण्डल, अजमेर से उक्त कार्यवाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आहूत किये जाने के निर्देश के साथ यह प्रकरण दिनांक 16.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(474)लोआस/2014

परिवादी रघुवीर सिंह चौहान, निवासी ग्राम बनेड़िया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द से जिला कलेक्टर, राजसमन्द एवं तहसीलदार, रेलमगरा जिला, राजसमन्द के विरूद्ध दिनांक 09.12.2014 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि ग्राम बनेड़िया म. राजीव गांधी पाठशाला के खेल मैदान के लिए आराजी ख.सं. 1122 रकबा 4.5 बीघा एवं भवन निर्माण के लिए आराजी ख.सं.2436/1149 रकबा 0.14 बिस्वा दर्ज होने के बावजूद कतिपय लोग अतिक्रमण कर कच्चे-पक्के निर्माण करने लग गये जिसकी शिकायत विभिन्न अधिकारिया. को करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। उन्हान्ने उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर (सतर्कता), राजसन्द ने पत्र दिनांक 18.03.2015 से

अवगत कराया कि ग्राम बनेडिया के आराजी नंबर 2436/1149 रकबा 00.14 बीघा पर राजीव गांधी पाठशाला का भवन बना होकर उक्त भवन म. आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहा है तथा किसी का अतिक्रमण नहीं है। ख.सं.1122 रकबा 04.06 बीघा म. से 00.10 बीघा पर 05 व्यक्तिया. द्वारा छड़ियाँ डालकर, 00.10 बीघा पर एक व्यक्ति द्वारा थोर डाल कर एवं गेहूँ की फसल काश्त करके किये गये अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटवा दिया गया है, 00.03 बीघा पर एक व्यक्ति द्वारा चार दीवारी एवं टीन-शेड लगाकर किये गये अतिक्रमण म. से तीन पक्की दीवारा. को तुड़वा कर हटवा दिया एवं एक दीवार के सहारे टीन-शेड म. पशु बंधे हुए एवं सामान पड़ा होने से नहीं हटाया तथा अतिक्रमी देवीलाल अध्यापक ने 02 दिन म. सामान हटाने की सहमति प्रदान की, कुछ व्यक्तिया. द्वारा डाले गये 04 ट्रोली पत्थरा. को एवं 00.01 बीघा पर एक व्यक्ति द्वारा बाड़ा बनाकर किये गये अतिक्रमण को भी हटा दिया गया है एवं वादग्रस्त भूमि नोडल अधिकारी को सुपुर्द कर दी गई है।

परिवादी से आपत्तियाँ प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर (सतर्कता), राजसमन्द ने पत्र दिनांक 13.08.2015 से अवगत कराया गया कि मौके से गेहूँ की फसल काश्त कर किये गये अतिक्रमण को एवं अतिक्रमित चार दीवारी एवं टीन शेड को भौतिक रूप से हटाया जाकर उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, राजसमंद ने अतिक्रमी श्री देवीलाल रैगर, अध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., गमेरपुरा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर दी है एवं उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराया जाना भी वर्णित किया गया।

जिला कलेक्टर (सतर्कता), राजसमन्द ने अपने पत्र दिनांक 01.12.2015 से यह भी अवगत कराया कि दोषी लोकसेवक अध्यापक, श्री देवीलाल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप-पत्रादि जारी किये गये।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप स्कूल भवन एवं मैदान की भूमि को पूर्णरूप से अतिक्रमण से मुक्त करवा दिये जाने एवं दोषी लोक सेवक अध्यापक श्री देवीलाल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित होने एवं इसके निस्तारण म. पर्याप्त समय लगने की संभावना के मद्देनजर उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की त्रैमासिक प्रगति-रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, राजसमंद से आहूत करने के निर्देश के साथ यह परिवाद दिनांक 20.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(510)लोआस/2014

परिवादी श्री जगदीश पुत्र श्री भंवरलाल, जाति माली, निवासी श्रीरामसर, जिला बीकानेर से दिनांक 15.05.2014 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि ग्राम करमीसर के उपनिवेशन ख.नं. 239 की भूमि म. तत्कालीन तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी ने भू-माफियाआ. से मिलकर गलत तौर पर खातेदारी अधिकार दे दिये व अवैध नामांतरण भी दर्ज कर विक्रय-पत्र का पंजीयन कर दिया। परिवादी ने प्रकरण म. दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, बीकानेर ने रिपोर्ट दिनांक 01.01.2016 से अवगत कराया कि प्रकरण म. जाँच म. दोषी पाये गए श्री रामेश्वर सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार, बीकानेर, श्री प्रभुदयाल, भू.अ. निरीक्षक तहसील, बीकानेर तथा श्री गौरीशंकर, तत्कालीन पटवारी तहसील, बीकानेर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16/18 के तहत संयुक्त अनुशासनिक जाँच हेतु राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को पत्र प्रेषित किया गया है व गलत रूप से दर्ज खातेदारी को

निरस्त कराने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बीकानेर के न्यायालय म. रेफरस़ संख्या 12/2015 दर्ज कराया गया है जो विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. गलत रूप से खातेदारी दर्ज करने व कार्यवाही करने के सम्बन्ध म. दोषी लोकसेवका. श्री रामेश्वर सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार, बीकानेर, श्री प्रभुदयाल, भू.अ. निरीक्षक तहसील, बीकानेर तथा श्री गौरीशंकर, तत्कालीन पटवारी तहसील, बीकानेर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने तथा की गई गलत कार्यवाही को सही करवाने सम्बन्धी प्रकरण न्यायालय म. विचाराधीन होने से इस सम्बन्ध म. त्रैमासिक रिपोर्ट आहूत करने के निर्देश के साथ यह प्रकरण दिनांक 20.01.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.11(511)लोआस/2014

परिवादी श्री जगदीश पुत्र श्री भंवरलाल, जाति माली, निवासी श्रीरामसर, जिला बीकानेर ने से दिनांक 15.05.2014 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया कि ग्राम करमीसर के उपनिवेशन ख.नं. 204 की भूमि म. तत्कालीन तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी ने भू-माफियाआ. से मिलकर गलत तौर पर खातेदारी अधिकार दे दिये व अवैध नामान्तरण भी दर्ज कर विक्रय-पत्र का पंजीयन कर दिया। परिवादी ने प्रकरण म. दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, बीकानेर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.01.2016 से अवगत कराया कि प्रकरण म. जाँच म. दोषी पाये गए श्री रामेश्वर सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार, बीकानेर, श्री किशन सिंह, तत्कालीन भू.अ. निरीक्षक तहसील, बीकानेर, श्री प्रभुदयाल, भू.अ. निरीक्षक तहसील,

बीकानेर तथा श्री गौरीशंकर, तत्कालीन पटवारी तहसील, बीकानेर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16/18 के तहत संयुक्त अनुशासनिक जाँच हेतु राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को पत्र प्रेषित किया गया है व गलत रूप से दर्ज खातेदारी को निरस्त कराने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बीकानेर के न्यायालय म. रेफरस्र संख्या 11/2015 दर्ज कराया गया है जो विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. गलत रूप से खातेदारी दर्ज करने व अन्य कार्यवाही करने के सम्बन्ध म. दोषी लोकसेवका. श्री रामेश्वर सिंह, तत्कालीन नायब तहसीलदार, बीकानेर, श्री किशन सिंह, तत्कालीन भू.अ. निरीक्षक तहसील, बीकानेर, श्री प्रभुदयाल, भू.अ. निरीक्षक तहसील, बीकानेर तथा श्री गौरीशंकर, तत्कालीन पटवारी तहसील, बीकानेर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ हो जाने तथा की गई गलत कार्यवाही को सही करवाने सम्बन्धी प्रकरण न्यायालय म. विचाराधीन होने से इस सम्बन्ध म. त्रैमासिक रिपोर्ट आहूत करने के निर्देश के साथ यह प्रकरण दिनांक 08.01.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.11(570)लोआस/2014

परिवादीगण भेरा राम इत्यादि निवासीगण रेवदर, जिला सिरोही से तत्कालीन पटवारी कैलाश प्रजापत, मानसिंह, रसीद खाँ के विरूद्ध दिनांक 18.01.2015 को प्राप्त परिवाद म. ग्राम डाक की ''नाड़ी की पाल'' के आवंटन बाबत अभिकथन किया है कि उनके गांव की नाड़ी की पाल के सम्बन्ध म. तथ्य छुपाकर आवंटन व खातेदारी दी गई है। इस प्रकरण म. तत्कालीन पटवारी, श्री कैलाश प्रजापत ने बिना जाँच किये आवंटन हेतु खसरा नंबर प्रस्तावित किए, श्री मानसिंह पटवारी द्वारा आवंटन फार्म गलत

रूप से तस्दीक किया एवं रसीद खाँ पटवारी द्वारा भ्रष्टाचार कर गलत गिरदावरी रेकॉर्ड म. दर्ज की। यह भी प्रकट किया है कि उपखण्ड अधिकारी, रेवदर द्वारा भी अपनी जाँच म. सम्बन्धित अधिकारिया/कर्मचारिया. के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लिखा परंतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। निवेदन किया कि नाड़ी की पाल की भूमि की खातेदारी खारिज कर दोषी कार्मिका. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कराव।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, सिरोही ने पत्र दिनांक 18.06.2015 से अवगत कराया कि मौजा डाक म. नाडी की पाल के खसरा नंबर 422 की किस्म परिवर्तन कराकर बारानी-1 की जाकर दिनांक 28.09.2007 को गैर खातेदारी म. माधा, धापु के नाम नामान्तरणकरण सं. 938 दि. 17.01.2008 स्वीकृत किया गया है जिसकी गैर खातेदारी से खातेदारी हक नामान्तरकरण सं. 1118 दि. 25.11.2011 के द्वारा दिये गये, जबकि रेकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार नाड़ी की पाल पर आवंटी का कब्जा-काश्त नहीं रहा। मौके पर करीब 50 फीट पर बबूल की झाड़ियाँ खड़ी हैं व कोली जाति के लोगा. के आबाद मकान बने हुए हैं। ख.सं. 422 म. गैर-खातेदारी से खातेदारी अधिकार बिना कब्जे-काश्त के दिये गये हैं। गैर मुमकिन पाल का नियम-विरूद्ध किस्म परिवर्तन करवाकर आवंटन कराया गया है। उक्त नियम-विरूद्ध कार्य करने वाले तत्कालीन दोषी पटवारी, श्री कैलाश प्रजापत, श्री मानसिंह व श्री रसीद खाँ के विरूद्ध आरोप-पत्र प्राप्त हो चुके हैं और राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियमा. के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है। यह भी प्रकट किया कि उक्त नियम-विरूद्ध आवंटन निरस्त करने हेतु तहसीलदार, रेवदर द्वारा रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही म. प्रस्तुत किया जिसके निर्णय दिनांक

22.05.2015 के अनुसार ख.सं. 422 म. रकबा 3 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया गया है।

जिला कलेक्टर, सिरोही ने अपने पत्र दिनांक 21.08.2015 के साथ तीना. तत्कालीन पटवारिया. के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने के सम्बन्ध मं. ज्ञापन, आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र की फोटो प्रतियाँ प्रेषित की है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप इस प्रकरण म. लोकसेवक क्षेत्रीय तीना. पटवारी, श्री कैलाश प्रजापत, श्री मानसिंह व श्री रसीद खाँ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित होने, ख.सं. 422 म. रकबा 3 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करने बाबत रेफरेन्स राजस्व मण्डल, अजमेर म. लम्बित होने तथा इनके निस्तारण म. पर्याप्त समय लगने की संभावना के मद्देनजर उक्त कार्यवाहिया. की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट जिला कलेक्टर, सिरोही से आहूत करने के निर्देश के साथ यह परिवाद दिनांक 15.12.2015 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.11(166)लोआस/2015

परिवादी पुष्पेन्द्र माली पुत्र श्री दौलाराम, जाति माली, निवासी घाणेराव, तहसील देसूरी जिला, पाली से दिनांक 25.06.2015 को प्राप्त परिवाद म. श्री सुरेन्द्र सिंह, पटवारी, घाणेराव, तहसील देसूरी, जिला पाली द्वारा पद का दुरुपयोग कर गलत रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर (भू.अ.), पाली ने पत्र दिनांक 06.10.2015 से अवगत

कराया कि ग्राम घाणेराव के ख.सं. 596 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा की कृषि भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के न्यायालय म. धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत वाद सं. 128/2010 म. तत्कालीन पटवारी हल्का श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2011 के सम्बन्ध म. सतर्कता शाखा म. परिवादी पुष्पेन्द्र माली द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर श्री सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत जाँच विचाराधीन है। आरोप-पत्र आदि की फोटा-प्रतियाँ भी संलग्न कर प्रेषित की हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप दोषी लोकसेवक पटवारी, श्री सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसकी त्रैमासिक प्रगति-रिपोर्ट जिला कलेक्टर, पाली से आहूत करने के निर्देश के साथ यह परिवाद दिनांक 04.12.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(27)लोआस/2011

परिवादी श्री शिवलाल डांगी से दिनांक 01.06.2011 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हाने चित्तौड़गढ़-निम्बाहेड़ा मार्ग पर स्थित सतखण्डा गाँव म. चरनोट भूमि पर चूरी डालकर अतिक्रमण कर लेने पर इस चरनोट भूमि का अतिक्रमण से मुक्त करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 08.12.2011 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमी श्री मंजूर अहमद द्वारा ग्राम सतखण्डा की आराजी सं. 920/1565 रकबा 3 बीघा पर कोयले की चूरी डाल कर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया।

परिवादी श्री शिवलाल डांगी से दिनांक 15.01.2014 को प्राप्त आपत्तिया. म. यह प्रकट किया गया कि ग्राम सतखण्डा की आराजी सं. 9202/1565 भूमि महफूज चरनोट है जिसका रकबा 189.5 बीघा है और उसम. चार हैक्टेयर भूमि को खनन कार्य के लिये कांग्रेसी विधायक श्री उदयलाल आंजणा ने ग्राम पंचायत, सतखण्डा की सरपंच एवं सचिव से मिल कर गलत तौर से अपनी चेतक इन्टरप्राइजेज के नाम पर आंवटित करवा लिया जिसम. खुदाई का कार्य चालू कर रखा है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 17.03.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि तत्कालीन पटवारी श्री रतनलाल सोनी द्वारा ग्राम सतखण्डा की आराजी सं. 920/1565 रकबा 20 बीघा भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ आवंटन म. राजस्व नक्शे म. तरमीम एवं सीमा जानकारी बाबत आदेश भू-अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार से प्राप्त नहीं करने से उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस मामले मे. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट त्रैमासिक स्तर पर आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 28.07.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(29)लोआस/2011

परिवादी श्री मगनलाल बोहरा से दिनांक 06.06.2011 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हाने ग्राम पंचायत, भन्दर के ग्राम सेवक, श्री महेन्द्र सिंह द्वारा फर्जी मस्टररोल भर कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए राजकोष को षड्यंत्रपूर्वक नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली से दिनांक 31.03.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विभाग द्वारा की गई जाँच के आधार पर आरोपी ग्राम सेवक, श्री महेन्द्र सिंह देवड़ा द्वारा सरपंच के निर्देशा. की जानबूझ कर अवहेलना करना, निःशुल्क विद्युत पत्रावलिया. की स्वीकृति सक्षम न होते हुए भी स्वयं के हस्ताक्षरा. से जारी करने, जारी स्वीकृतिया. के विरूद्ध 780/-रु. सम्बन्धित व्यक्तिया. से वसूल न कर पंचायत को आर्थिक हानि पहुँचाने, ग्राम पंचायत म. पदस्थापन के दौरान बिजली का बिल समय पर न भरने से 423/-रु. विलम्ब शुल्क से पंचायत को आर्थिक हानि पहुँचाने व इसके सम्बन्ध म. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा निकाली गई वसूली के बावजूद यह राशि दण्डनीय ब्याज सहित पंचायत म. पुनः जमा न करवाने और अहस्ताक्षरित चैक के बैंक से अनादरित होकर पुनः पंचायत को प्राप्त होने का दोषी पाकर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली से दिनांक 07.07.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी ग्राम सेवक श्री महेन्द्र सिंह देवड़ा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन लम्बित जाँच को नियम 16 म. परिवर्तित कर दिया गया जो प्रक्रियाधीन है और दिनांक 26.09.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी कार्मिक से 1,203/-रु. वसूल किये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस मामले मे. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट त्रैमासिक स्तर पर आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 05.05.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(35)लोआस/2011

परिवादी सुश्री घमला से दिनांक 13.06.2011 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसके नाम का दुरूपयोग कर ग्राम पंचायत, खोहरा (पंचायत समिति, बयाना) के पूर्व सरपंच एवं तत्कालीन सचिव द्वारा फर्जी रिकॉर्ड बनाकर इन्दिरा आवास का भुगतान उठाकर राज्य सरकार के कोष के साथ धोखाधड़ी एवं गबन कारित करने का आरोप लगाया है।

पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से दिनांक 14.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुलिस थाना, बयाना की प्र.सू.रि. सं. 44/2013 के अनुसन्धान के पश्चात् अभियुक्त जगत सिंह जाट (दोषी ग्राम सेवक) के विरूद्ध धारा 420, 409, 467 व 468 भा.दं.सं. के अपराधा. का अभियोग पत्र दिनांक 27.07.2015 को न्यायालय म. प्रस्तुत किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर से दिनांक 18.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी ग्राम सेवक श्री जगत सिंह के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 207 और राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन उसे नियमा. की अवहेलना व गलत लेखांकन का दोषी पाते हुए जिला स्थापना समिति, जिला परिषद, भरतपुर के निर्णय अनुसार उसकी एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोक दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 25.08.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(65)लोआस/2011

परिवादी श्री रूपलाल से दिनांक 12.09.2011 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हान्ने ग्राम पंचायत, मण्डकोला मोगजी (बाँसवाड़ा) के सरपंच ग्राम सेवक व रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा म. अनिमितताएं व भ्रष्टाचार कारित करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा से दिनांक 27.12.2011 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मामले की जाँच के पश्चात् मेट द्वारा मस्टररोल म. मृतका. के नाम जोड़ने एवं व्यवस्थापक लेम्प्स छाजा द्वारा मृतका. के नाम खाता खोलने के कृत्य के कारण सम्बन्धित पुलिस थाने म. प्र.सू.रि. दर्ज करवाने, ग्राम सेवक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन एवं सरपंच के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के सम्बन्ध म. सम्बन्धित अधिकारिया. को निर्देश दिया गया।

इसी क्रम म. पुलिस अधीक्षक, बाँसवाड़ा से दिनांक 23.04.2012 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस मामले म. पुलिस थाना, आनन्दपुरी म. भा.दं.सं. की धारा 420 सपठित 120 के अपराधा. की प्र.सू.रि. 29/2012 के अनुसन्धान के पश्चात् अभियुक्तगण (मेट) श्री ललितपाल वगैरह के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468 व 471 सपठित 120 के अपराधा. का अभियोग पत्र तैयार किया गया किन्तु जिला परिषद्, बाँसवाड़ा और मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली।

इस मामले म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाँसवाड़ा से दिनांक 01.04.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सचिव श्री सुरेश कुमार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन लम्बित जाँच कार्यवाही म. उन्हें मौखिक चेतावनी देते हुए प्रकरण को समाप्त किया गया और दिनांक

15.04.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सहायक श्री पोपटलाल की संविदा सेवाएं समाप्त कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 17.09.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(96)लोआस/2011

परिवादी श्री अशोक कुमार विश्नोई से दिनांक 23.09.2011 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हान्ने मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत, जैसला (जिला जोधपुर) म. वर्ष 2008-09 व 2009-10 म. नाडी व तालाब के पक्के निर्माण कार्य को सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा कागजा. म. झूठा दर्शा कर सरकारी रकम का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर से दिनांक 25.04.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूर्व आरोपी सरपंच श्री सोमराज विश्नोई द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत गांवाई नाडी एवं घाट निर्माण के विभिन्न 9 कार्यों पर गलत मूल्यांकन करवाकर 394174/-रु. का अधिक व्यय कर राजकोष को हानि पहुँचाना पाया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से दिनांक 07.11.2014 की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सरपंच श्री सोमराज विश्नोई एवं तत्कालीन ग्राम सेवक व कनिष्ठ तकनीकी सहायक से 161392/-रु. वसूल किये गये।

इसी क्रम म. उनसे दिनांक 29.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभी तक इस प्रकरण म. कुल प्रस्तावित वसूली राशि 394176/-रु. के विपरीत 291784/-रु. की वसूली की जा चुकी है और अब श्री रेशमाराम (ग्राम सेवक) से 102392/-रु. की वसूली जारी है जो वर्तमान म. निलम्बित है और उनके वेतन से प्रतिमाह 3000/-रु. की कटौती की जा रही है।

उपर्युक्त शेष वसूली की त्रैमासिक स्तर पर वसूली रिपोर्ट आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 09.10.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(123)लोआस/2011

परिवादी श्री कमलेश कुमार सैनी से प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, बनेठा के सचिव के विरूद्ध हैण्ड पम्पा. की स्वीकृति एवं सड़क निर्माण कार्यों म. घोटाला किये जाने के आरोप अंकित कर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

प्रकरण म. पंचायती राज विभाग से दिनांक 28.11.2013 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जाँच के पश्चात् कनिष्ठ अभियन्ता श्री महेन्द्र कुमार जैन (सेवानिवृत्त), ग्राम सेवक श्री मोहनलाल कुशवाहा एवं सरपंच श्रीमती प्रेम देवी को दोषी माना गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टाक्र से दिनांक 20.11.2014 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम सेवक श्री मोहनलाल कुशवाहा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन की गई जाँच म. दोषी पाये जाने पर असंचयी प्रभाव से उसकी एक वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस मामले म. स्थापित हैण्ड पम्प की गहराई व केसिंग के अन्तर की राशि 63,455/-रु. वसूली योग्य पाई गई जो सम्बन्धित सरपंच, सचिव व कनिष्ठ अभियन्ता से वसूल की गई और सरपंच से नरेगा वसूली के रूप म. 5,174/-रु. अलग से वसूल किये गये है।

सम्भागीय आयुक्त, अजमेर से दिनांक 12.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, बनेठा की पूर्व सरपंच श्रीमती प्रेम देवी के विरूद्ध दिनांक 29.05.2015 को पारित आदेश के अनुसार उन्ह. परिनिर्णय लेखबद्ध

करने के दिवस से पाँच वर्ष तक पंचायती राज संस्थाआ. के चुनाव म. भाग लेने के अयोग्य घोषित किया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 28.01.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(165)लोआस/2011

परिवादी श्री रामावतार से दिनांक 10.01.2012 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हान्ने ग्राम पंचायत, रवां के सरपंच द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए आम रास्ते पर इन्दिरा आवास योजना के तहत मालाराम का मकान बनवाकर एवं सुरेश उर्फ सूबे सिंह गुर्जर द्वारा जोहड़ की भूमि पर अवैध चबूतरा, मकान व चारदीवारी बनाकर और सरपंच ठाकुर सिंह द्वारा जोहड़ की भूमि पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने/करवाने का आरोप लगाया।

मामले म. आरोप सरपंच के विरूद्ध होने और उसके इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार म. न आने से परिवाद की एक प्रति जिला कलक्टर, झुन्झुनूं और शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 08.02.2012 को प्रेषित करते हुए इस परिवाद को नस्तीबद्ध किया गया।

तत्पश्चात् इस मामले म. दिनांक 30.04.2012 को जिला कलक्टर, झुन्झुनूं से रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवाद के आरोप सही पाये गये और मालाराम गुर्जर ने राजकीय भूमि खसरा सं. 234 म. पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिसम. इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बने मकान का भुगतान सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा किया गया और सुरेश उर्फ सूबे सिंह गुर्जर ने राजकीय भूमि खसरा सं. 434

गैर मुमकिन जोहड़ म. 300 वर्गमीटर भूमि पर मकान, चबूतरा व चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। उसका भी इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत मकान बना हुआ है जिसका भुगतान सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा किया गया। सरपंच ठाकुर सिंह गुर्जर ने भूमि खसरा सं. 518 गैर मुमकिन जोहड़ म. 100 वर्गमीटर भूमि पर खुड्डी व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है।

तत्पश्चात् दिनांक 06.08.2014 को जिला कलक्टर, झुन्झुनूं से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि आम रास्ता पर किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं है और इन्दिरा आवास योजना म. नियम विरूद्ध मकान स्वीकृत व निर्मित करवाने के दोषी ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री रामोवतार गुर्जर को राज्य सरकार द्वारा दण्डित किया जा चुका है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत, रवां से 35,000/-रु. भी वसूल किये जा चुके हैं।

दिनांक 20.03.2015 को जिला कलक्टर, झुन्झुनूं से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम रवां स्थित राजकीय भूमि खसरा सं. 518 म. अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाई गई खुड्डी को मौके से हटवाया जाकर मलबे को नीलाम कर इसकी राशि के 1100/-रु. दिनांक 26.02.2015 को राजकोष म. जमा करवाये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय की पहल पर परिवाद का आंशिक निराकरण हो जाने पर रास्ते की भूमि म. इन्दिरा आवास योजना के अधीन निर्मित मालाराम के मकान को भौतिक रूप से हटाने के सम्बन्ध म. त्रैमासिक स्तर पर जिला कलक्टर, झुन्झुनूं से रिपोर्ट आहूत करते हुए इस परिवाद पत्रावली को दिनांक 05.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(87)लोआस/2012

परिवादी श्री उमाशंकर योगी से दिनांक 24.08.2012 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हाने पंचायत समिति, केशवरायपाटन (बून्दी) की 40 ग्राम पंचायता. म. मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2008 से दिनांक 31.03.2011 तक की अवधि म. विभिन्न कार्यों के लिये दी गई 2.73 करोड़ रुपये की राशि के सम्बन्ध म. सम्बन्धित सरपंचा. व सचिवा. द्वारा घोटाला व भ्रष्टाचार करने पर उनसे यह राशि वसूलने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, कोटा से दिनांक 04.12.2013 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008-11 तक बून्दी जिले की विभिन्न पंचायता. को 27,38,04,107/-रु. मनरेगा के विभिन्न कार्यों हेतु देना व उसम. से 23,60,11,141/-रु. का समायोजन होना बताया और शेष राशि (3,77,92,966/-रु.) समायोजन/वसूली प्रक्रियाधीन बताई गई।

तत्पश्चात् जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, बून्दी से दिनांक 23.09.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार असमायोजित रही राशि 2.73 करोड़ रु. म. से नियमानुसार समायोजन करते हुए 1.52 करोड़ रु. की राशि समायोजन योग्य पाये जाने से उसका समायोजन कर दिया गया। उसके उपरान्त 1.21 करोड़ रु. की राशि म. से 54,54,751/-रु. निर्धारित स्वीकृति से अधिक व्यय होना पाये गये, इस कारण नियमानुसार संशोधित वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी करवाने व समायोजन करवाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

यह भी अवगत करवाया गया कि पंचायत समिति, केशवरायपाटन की ग्राम पंचायता. म. 67,29,494/-रु. के कार्य स्वीकृत कार्य योजना म. वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति और गाइडलाइन के अनुरूप नहीं पाये जाने से इन्ह. वसूली योग्य माना गया जिसके लिये दोषिया. का दायित्व निर्धारण कर दोषी जन प्रतिनिधिया. के विरूद्ध वसूली एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

दोषी संविदा कार्मिका. के विरूद्ध मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के अधीन कार्यवाही करते हुए उन्ह. अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश जारी कर दिये गये और सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (ईजीएस) श्री रमेश चन्द मेघवाल को गंभीर रूप से लापरवाही पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, बून्दी से दिनांक 19.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान म. श्री मेघवाल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

एफ.12(97)लोआस/2012

परिवादी श्री नेनूराम कुमावत से दिनांक 12.09.2012 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हान्ने ग्राम पंचायत, सेलागुड़ा (जिला राजसमन्द) के पूर्व सरपंच एवं ग्राम सेवक व पदेन सचिव द्वारा अपने कार्यकाल म. किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितताआ. की जाँच करवाने की प्रार्थना की गई।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द से दिनांक 13.06.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, सेलागुड़ा की लेखा एवं रोकड़ पुस्तिका से सम्बन्धित अनियमितता से सम्बन्धित जाँच करने पर 1715996/-रु. की अनियमितता पाई गई। उसम. मूल्यांकन से अधिक व्यय राशि 72272/-रु. गबन योग्य राशि 9250/-रु. एवं बिना मूल्यांकन के भुगतान की गई राशि 162163/-रु. यानी कुल वसूली योग्य राशि 243785/-रु. पाई गई।

तकनीकी बिन्दुआ. की गुणवत्ता की जाँच सहायक अभियन्ता, जिला परिषद, राजसमन्द द्वारा करने पर उनके जाँच रिपोर्ट के अनुसार 119687/-रु. का अनियमित भुगतान मानते हुए राशि वसूली की सिफारिश की गई।

परिवादी नेनूराम कुमावत की दूसरी शिकायत की जाँच जिला स्तरीय जाँच कमेटी द्वारा करवाने पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित करवाई गई सार्वजनिक कुई से देवनारायण मंदिर तक सी.सी. सड़क कार्य पर 44600/-रु. अधिक व्यय किये गये और इसे वसूली योग्य माना गया तथा ग्राम सेवक श्री राम सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द से दिनांक 07.01.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, सेलागुड़ा की जाँच रिपोर्ट म. कुल 408072/-रु. की अनियमितता पाई गई और उसम. से आधी राशि 204036/-रु. ग्राम सेवक श्री राम सिंह से रसीद सं. 7 दिनांक 15.12.2014 से पंचायत समिति, आमेट म. जमा करवाये गये हैं। उनकी दिनांक 15.04.2015 की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सरपंच श्री रामचन्द्र कुमावत से 204036/-रु. की वसूली ब्याज राशि 37000/-रु. सहित करके कुल 241036/-रु. राजकोष म. जमा करवाये गये।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द से दिनांक 27.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन ग्राम सेवक श्री रामसिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन लम्बित कार्यवाही म. उनके राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने व गबन/अनियमितता की राशि 204036/-रु. वसूल होकर राजकोष म. जमा हो जाने पर उन्ह. लिखित चेतावनी देकर उनके प्रकरण को समाप्त किया गया। अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 20.11.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(7)लोआस/2013

परिवादी श्री सत्यनारायण ओझा से दिनांक 09.04.2013 को प्राप्त परिवाद के अनुसार ग्राम पंचायत, करेड़ा की सरपंच श्रीमती मंजू देवी, उसके पति व उप सरपंच श्री पारस जीनगर, सचिव लादूलाल एवं तत्कालीन सचिव द्वारा श्री माणक चन्द मुणोत के साथ मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सरकारी जमीन को हड़पने की नीयत से अपने रिश्तेदारा. एवं अपात्र व्यक्ति को भूमि का निःशुल्क पट्टा आदि जारी कर देने के आरोप लगाये है। इन आरोपा. की जाँच के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

इस प्रकरण म. जाँच के पश्चात् ग्राम पंचायत, करेड़ा की सरपंच श्रीमती मन्जू देवी एवं उप सरपंच श्री पारस जीनगर और तत्कालीन सचिव श्री टीकमचन्द नायक को दोषी पाया गया तथा इनके विरूद्ध पुलिस थाना, करेड़ा म. भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471 व 166 सपठित 120बी के अपराधा. का अभियोग (प्र.सू.रि. सं. 149/2012) पंजीबद्ध करवाया गया तथा अनुसन्धान के पश्चात् इनके विरूद्ध सक्षम न्यायालय म. अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया है। दोषी पाये गये जन प्रतिनिधिया. श्रीमती मन्जू देवी (सरपंच) एवं श्री पारस जीनगर (उप सरपंच) को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अधीन की गई जाँच म. भी इनके विरूद्ध लगाये गये आरोपा. को प्रमाणित पाया गया।

इसी प्रकार दोषी पाये गये लोक सेवक श्री टीकमचन्द नायक (ग्राम सेवक) के विरूद्ध भी राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक जाँच करने के पश्चात् उसे दोषी पाकर उसकी दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 22.01.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(50)लोआस/2013

परिवादी श्री उदयलाल से दिनांक 21.06.2013 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, खोडीप द्वारा देवीलाल के पक्ष म. नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने एवं देवीलाल वगैरह द्वारा करीब तीन बीघा से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा कर, निर्माण कार्य करवाने के सम्बन्ध म. पंचायत समिति एवं उच्चाधिकारिया. को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया।

जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 02.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर द्वारा श्री देवीलाल के पक्ष म. जारी पट्टे को अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 26.05.2015 को निरस्त कर दिया गया है।

दिनांक 22.07.2015 को शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार इस मामले म. दोषी तत्कालीन ग्राम सेवक श्री विजय लाल मेघवाल (हाल पंचायत प्रसार अधिकारी) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही म. उसकी दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 24.07.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(60)लोआस/2013

परिवादी श्री जगदीश चन्द्र त्रिवेदी से दिनांक 08.07.2013 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, रड़ावास (जिला पाली) म. स्थित भूखण्ड का पट्टा दिनांक 01.05.1988 को रेवा शंकर के नाम से जारी होने के बावजूद पदेन सचिव नारायण सिंह व दीवान सिंह एवं सरपंच सुरेन्द्र सिंह द्वारा पुनः पट्टा जारी करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. इस सचिवालय के दिनांक 24.07.2014 के पत्र के सन्दर्भ म. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर से दिनांक 06.08.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सेवका. श्री नारायण सिंह एवं दीवान सिंह को दोषी पाकर उनके विरूद्ध विभागीय जाँच कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

इस सम्बन्ध म. इस सचिवालय के दिनांक 25.01.2016 के पत्र के सन्दर्भ म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली से दिनांक 23.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम सेवक श्री नारायण सिंह के पक्ष म. ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.08.2004 को पट्टा जारी करना बताया गया। इस मामले की जाँच के पश्चात् ग्राम सेवक श्री दीवान सिंह व श्री नारायण सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसी विवादित पट्टे के निरस्तीकरण के सम्बन्ध म. अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिसके सम्बन्ध म. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 25.02.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(67)लोआस/2013

परिवादी श्री हनुवंत सिंह से दिनांक 31.07.2013 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, कैला देवी जिला करौली के सरपंच एवं सचिव द्वारा भारी राशि लेकर श्री कैला देवी मंदिर ट्रस्ट की सम्पत्ति (धर्मशाला) की 302 वर्गगज भूमि का पट्टा श्री नैमीचन्द के नाम पर अवैध तौर से बनाने की शिकायत की है।इस सम्बन्ध म. इस सचिवालय के दिनांक 08.11.2013 के पत्र के सन्दर्भ म. सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर से दिनांक 20.05.2014 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, कैला देवी को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर पट्टा जारी करने एवं पट्टे म. वर्णित भू-भाग को मौके पर स्थित धर्मशाला के बावजूद खाली बताकर पट्टा जारी करने आदि का दोषी माना गया है। साथ ही उक्त पट्टे के पंजीयन के सम्बन्ध म. उप पंजीयक करौली को भी पट्टे की जाँच न करने एवं मौका निरीक्षण न करने के कारण स्टाम्प ड्यूटी की हानि कारित करने के लिये दोषी माना गया।

इस मामले म. सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर से दिनांक 05.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, कैला देवी के दोषी सरपंच श्री मुरारीलाल माली को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 (1)(ख) म. अपकीर्तिकर आचरण का दोषी पाकर उन्ह. पंचायती राज संस्थाआ. के अध्यक्ष/सदस्य बने रहने के लिये परिनिर्णय के दिवस (दिनांक 26.05.2015) से पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया गया है।

जिला कलक्टर, करौली से 24.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, कैला देवी द्वारा जारी विवादित पट्टे पर निरस्तीकरण का पृष्ठांकन कर उप पंजीयक, करौली के कार्यालय अभिलेख म. जमा करवा दिया गया।

इस मामले म. जिला कलक्टर, करौली से दिनांक 17.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दोषी पाये गये पटवारी हल्का, कैला देवी श्री शिवराम मीना को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन दोषी पाकर उसकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली से दिनांक 16.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, कैलादेवी के तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री लेखराज चतुर्वेदी के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन जारी आरोप-पत्र से सम्बन्धित जाँच म. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया।

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 26.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन नायब तहसीलदार/उप पंजीयक, करौली श्री सीताराम मीना (अब सेवानिवृत्त) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन विभागीय जाँच हेतु माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त होने पर, उसकी जाँच राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करने के बाद अब इस सम्बन्ध म. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 02.03.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(97)लोआस/2013

परिवादी श्री सुमेर सिंह से दिनांक 03.10.2013 को प्राप्त परिवाद के अनुसार ग्राम पंचायत, मण्ड्रेला (झुन्झुनूं) म. सोलर लाइट वगैरह की खरीद म. सरपंच/सचिव द्वारा लाखां. रुपये का गबन करने पर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 14.08.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, मण्ड्रेला द्वारा वर्ष 2012-13 म. पंचायत स्तर पर विभिन्न योजनाआ. म. उपलब्ध राशि म. सौर ऊर्जा लाइटा. की खरीद एवं अन्य कार्या. म. की गई वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध म. सरपंच श्रीमती दीपा जांगिड़ एवं ग्राम सेवक श्री सत्यवीर सिंह को दोषी पाया गया।

ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाइट सप्लाई करने वाली सम्बन्धित फर्म डेजर्ट पॉवर सोल्यूशन्स, जयपुर से टीडीएस की राशि 46,421/-रु. रसीद सं. 35 दिनांक 11.08.2014 द्वारा वसूल कर पंचायत कोष म. जमा की गई तथा उसके पश्चात् उक्त राशि पंचायत समिति, चिड़ावा म. चैक सं. 063337 दिनांक 11.08.2014 द्वारा जमा करवाई गई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 07.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी ग्राम सेवक श्री सत्यवीर सिंह के विरूद्ध दिनांक 12.05.2015 को पारित आदेश के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 24.11.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(113)लोआस/2013

परिवादी श्री फून्दीलाल माली से दिनांक 21.10.2013 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्हाने वर्ष 2010-11 म. मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये कार्यों का बकाया भुगतान करवाने की प्रार्थना की है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 07.05.2015 के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, बून्दी से दिनांक 16.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि वर्ष 2010-11 के दौरान मनरेगा के कार्य पर फर्म जगदम्बा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बून्दी का गोठड़ा (प्रो.फून्दीलाल माली) को ग्रेवल आपूर्ति का भुगतान (रुपये 2,30,366/-) कर दिया गया है।

तत्पश्चात् दिनांक 23.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट म. यह भी अवगत करवाया गया कि भुगतान के विलम्ब के सम्बन्ध म. दोषी कार्मिक/ग्राम सेवक श्री अवधेश कुमार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही कर उन्ह. दोषी मानते हुए उसकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया और संविदा पर कार्यरत लेखा सहायका. श्री बिरधी चन्द मीणा व अमित विजयवर्गीय के विरूद्ध मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के अधीन कार्यवाही कर उन्ह. एक-एक हजार रु. की शास्ति से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 24.07.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(123)लोआस/2013

परिवादी श्री राजेन्द्र सिंवर से दिनांक 22.10.2013 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, जोचीणा म. वर्ष 2008-09 व 2009-10 म.

हुए मनरेगा कार्यों के श्रमिका. का बकाया भुगतान करवाने की प्रार्थना की है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 13.01.2016 के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, नागौर से दिनांक 09.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त मामले म. दोषी पाये गये तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री सोहनलाल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जायल को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त श्रमिका. के बकाया भुगतान 1,10,946/-रु. म. से 1,08,056/-रु. का भुगतान उनके खाता. म. ईएफएमएस के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया गया है। अब शेष भुगतान राशि 2090/-रु. श्रमिक श्री चाँद मोहम्मद की है जिसके वर्तमान म. विदेश म. होने से उसके खाता. से सम्बन्धित विवरण प्राप्त न होने के कारण भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

इस मामले म. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर से दिनांक 15.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, जोचीणा के पूर्व सरपंच श्री जीवनराम के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया जाकर मामले की जाँच हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस मामले म. इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है। अतः

उपर्युक्त तीना. कार्यवाहिया. की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आहूत करते हुए इस परिवाद को दिनांक 22.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(189)लोआस/2013

परिवादी श्री पुरूषोत्तम त्रिवेदी से दिनांक 06.03.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, सांतपुर (जिला सिरोही) के पूर्व सरपंच, वर्तमान उप सरपंच, वार्ड सदस्य, तत्कालीन पटवारी एवं पदेन सचिव श्री अमृतलाल (अध्यापक) और श्रीमती गोदावरी देवी द्वारा षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी करके कूटरचित प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र के आधार पर दिनांक 15.10.2007 को जारी पट्टा सं. 43 को जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा निरस्त करने एवं न्यायालय, आबूरोड़ द्वारा प्रथमदृष्टया अपराध मानते हुए पूर्व सरपंच सहित 11 व्यक्तिया. के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेने के कारण उनके विरूद्ध परिवाद दर्ज कर विभागीय जाँच कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही से दिनांक 29.04.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, सांतपुर के तत्कालीन दोषी ग्राम सेवक श्री मंछाराम के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही कर उसे भविष्य म. ऐसे किसी कृत्य की पुनरावृति नहीं करने की चेतावनी से दण्डित किया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 08.09.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(9)लोआस/2014

परिवादी श्री रघुवीर सिंह से दिनांक 21.04.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हाने ग्राम पंचायत, सीथल म. वर्ष 2011-12 म. निर्माण कार्यों का टेण्डर फर्म कटेवा एण्ड कम्पनी के नाम स्वीकृत होने व उसी फर्म द्वारा सामग्री की नियमित आपूर्ति करने के बावजूद ग्राम पंचायत के पूर्व ग्राम सेवक, श्री राजकुमार द्वारा उक्त फर्म के स्थान पर मैसर्स घासीराम एण्ड कम्पनी गाडराटा से प्राप्त फर्जी बिला. की राशि (5,87,857/-रुपये) को सामान्य रोकड़ बही म. कांट-छांट कर दर्शाने एवं नरेगा कैश बुक म. इसका उल्लेख न करने पर इस जालसाजी के सम्बन्ध म. कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 12.11.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन ग्राम सेवक श्री राजकुमार द्वारा ग्राम पंचायत की रोकड़ बही सही तरीके से संधारित नहीं की गई और उनके द्वारा अभिलेख उपलब्ध न करवाने पर उनके विरूद्ध पुलिस थाना, गुढ़ागौड़जी म. प्र.सू.रि. सं. 87/2012 पंजीबद्ध करवाई गई।

इसी क्रम म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 31.12.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री राजकुमार (ग्राम सेवक) द्वारा कारित वित्तीय अनियमितताआ. के सम्बन्ध म. उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया जो प्रक्रियाधीन है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस मामले मे. उक्त पुलिस एवं अनुशासनिक कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट त्रैमासिक स्तर पर आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 01.06.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(63)लोआस/2014

परिवादी श्री दामोदर प्रसाद से दिनांक 17.06.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, मण्ड्रेला, पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं के ग्राम सेवक सत्यवीर सिंह एवं सरपंच श्रीमती दीपा जांगिड़ द्वारा किये जा रहे पद के दुरूपयोग एवं सरकारी धनराशि के गबन को लेकर गहन जाँच करवाकर उन्ह. दण्डित किये जाने जाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 20.03.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, मण्ड्रेला द्वारा दिनांक 02.07.2013 को जारी सम्पत्ति प्रमाण-पत्र म. वारिसा. की आयु का कॉलम खाली छोड़ देने की त्रुटि का आभास होने पर इसकी कार्यालय प्रति म. त्रुटि का सुधार किया जाकर सचिव ने अपने हस्ताक्षर व मुहर का अंकन कर दिया है। सचिव द्वारा मूल प्रमाण-पत्र म. आयु के कॉलम को खाली रखना उसकी लापरवाही रही है जिसके लिये उसे रिकॉर्ड के साथ कांट-छांट का दोषी मानते हुए दिनांक 03.11.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उसकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोककर दण्डित किया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 05.01.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(129)लोआस/2014.

परिवादी श्री कैलाश चन्द्र से दिनांक 04.08.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने मण्डफिया (चित्तौड़गढ़) द्वारा नियमा. के विरूद्ध जारी किये गये पट्टा. के सम्बन्ध म. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मण्डफिया

को शिकायत करने के बावजूद, उसके द्वारा दोषी सरपंचा. के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 07.10.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुल आठ पट्टे नियमा. के विपरीत जारी करना पाया गया जिन्ह. निरस्त करने के सम्बन्ध म. 8 निगरानी याचिकाएं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस प्रक्रिया म. ग्राम पंचायत, मण्डफिया के तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री प्रकाश चन्द धाकड़ एवं रमेश चन्द बैरागी को दोषी पाते हुए राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन उनके विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही म, उन्ह. एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.10.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(241)लोआस/2014

परिवादी श्री छगन सिंह व अन्य से दिनांक 11.09.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हान्ने ग्राम पंचायत, सातलियास (जिला भीलवाड़ा) के पूर्व सरपंच एवं तत्कालीन सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा वर्ष 2008 म. गलत तरीके से अपूर्ण कार्यवाही कर आबादी भूमि के जारी पट्टा. को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से दिनांक 11.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, सातलियास के पूर्व सरपंच एवं सचिव द्वारा नीलाम किये गये भूखण्डा. की विधिवत कार्यवाही की पत्रावलियाँ संधारित नहीं करने और भूखण्ड विक्रय म. नियमा. की पालना नहीं करने पर सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त योग्य पायी गई है।

उक्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा एवं बाबूलाल सुवालका के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही तथा पूर्व सरपंच श्री खूबीलाल शर्मा के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित की गई। इसके अतरिक्त विधि विरूद्ध नीलाम किये गये भूखण्डा. की नीलामी को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय म. निगरानियाँ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

तत्पश्चात् दोषी ग्राम सेवका. श्री विनोद कुमार शर्मा व श्री बाबूलाल सुवालका के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक जाँच प्रारम्भ की गई और सात भूखण्डा. की नीलामी को निरस्त करने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष निगरानियाँ प्रस्तुत की गई जिनके सम्बन्ध म. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 09.12.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(293)लोआस/2014

परिवादी श्री गोपाल लाल ढोली से दिनांक 26.09.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हाने ग्राम पंचायत, खैराबाद (जिला भीलवाड़ा) के सरपंच व सचिव के विरूद्ध उसके पुश्तैनी मकान का विनियमितीकरण विलेख पत्र एवं आवासीय भूमि का पट्टा जबरन ले जाने पर पुनः उसे दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर से दिनांक 03.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी को वर्ष 2002 म. प्रशासन गाँवा. के संग अभियान म. निःशुल्क पट्टा जारी किया गया था और तत्पश्चात् उसने उसी भूखण्ड पर निर्मित आवास का पट्टा पंचायत नियमा. के अधीन बनाने हेतु पुनः पंचायत के समक्ष निवेदन किया, इस कारण उसको भी दोषी माना गया। जाँच के आधार पर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्री भगवत सिंह राठौड़ एवं सचिव श्री सुरेश पुरी गोस्वामी को भी संयुक्त रूप से दोहरा पट्टा जारी करने के लिये दोषी पाया गया।

दिनांक 28.08.2015 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सेवक श्री सुरेश पुरी गोस्वामी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप पत्र जारी कर दिया गया जो प्रक्रियाधीन है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवाद का निराकरण हो जाने पर इस मामले मे. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट त्रैमासिक स्तर पर आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 08.02.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(325)लोआस/2014.

परिवादी श्री राजवीर सिंह से दिनांक 14.10.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, बहादुरवास की सरपंच श्रीमती सुनीता ढाका एवं तत्कालीन ग्राम सेवक श्री बनवारीलाल द्वारा मार्च, 2010 से जुलाई, 2014 तक की अवधि म. की गई अनियमितताआ. व भ्रष्टाचार की जाँच करवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 07.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि तत्कालीन ग्राम सेवक श्री बनवारीलाल एवं शिशुपाल सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही कर उनकी एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने एवं परिनिन्दा की शास्ति से दण्डित किया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.12.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(343)लोआस/2014.

परिवादी श्री रामचन्द्र गहलोत से दिनांक 22.12.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार पंचायत समिति, शाहपुरा के कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री संजय कुमार वर्मा के दुराचरण का दोषी होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण), जिला परिषद, जयपुर द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहपुरा को श्री वर्मा को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये है। इसके बावजूद भी विकास अधिकारी द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए श्री वर्मा के विरूद्ध अभी तक

कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए श्री वर्मा के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से दिनांक 24.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री संजय वर्मा संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था। उसके विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम के स्थान पर संविदा अनुबन्ध म. विहित प्रावधानानुसार कार्यवाही कर उसे चेतावनी देकर उससे तीन दिवस की मानदेय राशि 1,460/-रु. वसूल कर ली गई है। इसके अतिरिक्त देहज प्रताड़ना के मामले मे. उसकी अपील न्यायालय म. लम्बित है जिसम. यदि उसे दोषी करार दिया जाता है तो उसकी संविदा सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.09.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(369)लोआस/2014

परिवादी श्री चेतराम मेघवाल से दिनांक 25.11.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, दूधी आमलोदा के सरपंच और ग्राम सेवक व पदेन सचिव के विरूद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर को की गई शिकायत की जाँच प्रक्रिया पाँच माह बाद भी पूरी न होने पर उपर्युक्त जाँच को शीघ्र करवाकर दोषी व्यक्तिया. को दण्डित करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, जयपुर से दिनांक 30.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार यह अवगत करवाया गया कि सरकारी बोरिंगा. द्वारा निजी खेता. की सिंचाई की पुष्टि होने से सरपंच/सचिव को दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विकास अधिकारी, पंचायत

समिति, विराटनगर के दिनांक 30.11.2015 के कार्यालय आदेश के अनुसार तत्कालीन ग्राम सेवक श्री कृष्ण गोपाल आभा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही कर उसे लिखित चेतावनी देते हुए प्रकरण निर्णीत कर दिया गया है।

इसके अलावा काश्तकार श्री सीताराम गुर्जर द्वारा हैण्ड पम्प के पानी का उपयोग अपने खेता. की सिंचाई हेतु करने के आधार पर सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड विराटनगर के दिनांक 27.11.2015 के पत्र द्वारा उससे 60,264/-रु. की राशि वसूली हेतु निर्धारित की गई है। इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर के दिनांक 03.02.2011 के पत्र द्वारा तहसीलदार, विराटनगर को पीडीआर एक्ट, 1952/आरएलआर एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही हेतु लिखा गया है। इस वसूली की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 10.02.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(421)लोआस/2014

परिवादी श्री उदयराम माली से दिनांक 17.12.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, सोनियाणा के सरपंच व सचिव द्वारा भूखण्डा. की नीलामी की आड़ म. चोरी छुपे भूखण्डा. को खुर्द-बुर्द कर पंचायत को राजस्व हानि पहुँचाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से दिनांक 24.01.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, सोनियाणा के ग्राम झबरकिया म. की गई भूमि विक्रय की कार्यवाही म. प्रश्नगत आबादी भूमि म. भूखण्डा. के सृजन एवं नीलामी कार्यवाही बाबत राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 से 154 म. विहित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। इस कारण नीलामी प्रक्रिया को नामंजूर करते हुए सम्बन्धित को राशि लौटाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही नियमा. के विपरीत भूमि विक्रय की कार्यवाही सम्पादित करने के लिये तत्कालीन सरपंच श्री भैरूलाल जाट एवं ग्राम सेवक श्री चेतनमाली को दोषी पाया गया है।

तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से दिनांक 06.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, सोनियाणा द्वारा सम्बन्धित बोली दाताआ. को उनकी जमा राशि लौटा दी है और तत्कालीन दोषी ग्राम सेवक श्री चेतन माली के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर उनके कार्यालय के लेखाधिकारी को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस मामले म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा के दिनांक 16.11.2015 के पत्र के अनुसार दोषी सरपंच श्री भैरूलाल के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 म. कार्यवाही करने की अभिशंषा सम्भागीय आयुक्त, अजमेर को की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण म. अनुशासनिक जाँच की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आहूत करते हुए यह परिवाद दिनांक 13.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.12(96)लोआस/2015

परिवादी श्री बबलू झारेड़ से दिनांक 10.07.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हाने श्रीमती आदित्या आनन्द विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीकरणपुर द्वारा विभाग से अनुमति लिये बिना भ्रष्टाचार व अपने पद का दुरूपयोग करते हुए ग्रामीण विकास हेतु स्वीकृत योजनाआ. के लाखा. रुपये अपने आवास पर व्यय करने का आरोप लगाया है।

शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 24.11.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शिकायत को आंशिक सही पाते हुए विकास अधिकारी श्रीमती आदित्या आनन्द द्वारा मातृत्व अवकाश के दौरान तीन माह के मकान किराया भत्ते के रूप म. 6,489/-रु. अनियमित तौर से प्राप्त कर लेने पर उससे इस राशि की वसूली कर ली गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम सेवक श्री मनोज कुमार का विभागीय निर्देशा. के विपरीत पंचायत समिति, श्रीकरणपुर म. प्रतिनियुक्ति करने पर जाँच के लम्बित रहते हुए उसे तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर उनका मुख्यालय पंचायत समिति, घड़साना किया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.12.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(180)लोआस/2015

परिवादी श्री साबिर हुसैन से दिनांक 30.07.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने वर्ष 2001 म. ग्राम पंचायत, अलीगढ़ (जिला टाक्र) से 30X40 फुट का एक भूखण्ड 40,000/-रु. म. क्रय कर इसका विक्रय फल पंचायत म. जमा करवाने एवं गत 15 वर्षा. से लगातार पंचायत से

उक्त भूखण्ड के पट्टा की मांग करने पर भी कोई सुनवाई न होने का आरोप लगाया है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टाक्र से दिनांक 15.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिस जमीन का पट्टा श्री साबिर हुसैन द्वारा चाहा गया था, वह भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलीगढ़ के नाम से राजस्व रिकॉर्ड म. दर्ज होने से पट्टा जारी नहीं किया जा सका।

इस सम्बन्ध म. दोषी तत्कालीन सचिव श्रीमती माया देवी कुमावत के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही की जाकर उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभावी से रोकी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवाद का निराकरण होने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 24.02.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(273)लोआस/2015

परिवादी श्री बनवारीलाल से दिनांक 09.09.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने पंचायत समिति, सादुलशहर के विकास अधिकारी के विरूद्ध आरोप लगाया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के दिनांक 01.09.2015 के आदेश के बावजूद उन्हांने विवादित भूखण्ड सं. बी/46 म. हुए निर्माण कार्य को हटा कर न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित नहीं की है।

इस सचिवालय के दिनांक 29.09.2015 के पत्र के सन्दर्भ म. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक

09.11.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवाद की जाँच के पश्चात् विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर को दोषी पाकर दिनांक 07.01.2016 के पत्र के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि श्री भँवरलाल स्वामी (विकास अधिकारी) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेकर इसका प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भिजवा दिया गया है।

शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 03.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी लोक सेवक श्री भँवरलाल स्वामी (विकास अधिकारी) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया। अब उक्त अनुशासनिक जाँच कार्यवाही की त्रैमासिक रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 08.03.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(307)लोआस/2015

परिवादी श्री शांतिलाल डांगी से दिनांक 17.09.2013 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्हान्ने ग्राम पंचायत, अरनिया पंथ (जिला चित्तौड़गढ़) के पूर्व ग्राम सेवक व पदेन सचिव द्वारा पंचायत के विभिन्न प्रस्तावा, साथ साथ पट्टे जारी करने एवं अन्य वित्तीय अनियमितताएं व भ्रष्टाचार कारित करने पर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. इस सचिवालय के दिनांक 20.11.2015 के पत्र के सन्दर्भ म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से दिनांक

15.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शिकायत की पुष्टि होकर अनियमितताएं कारित होना बताया गया। जाँच के आधार पर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव श्रीमती मुक्ता लोठ को दोषी पाया गया। इनके विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 09.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्रीमती मुक्ता लोठ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ के सहायक अभियन्ता को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। अब जाँच के सम्बन्ध में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.03.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(341)लोआस/2015

परिवादी श्री गोपाल लाल जाट से दिनांक 01.10.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, सराणा (जिला भीलवाड़ा) द्वारा कारित अनियमितताआ. की जाँच करवाने और दोषी सरपंच/सचिव के विरूद्ध कार्यवाही न होने से उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से दिनांक 11.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दोषी पाये गये पूर्व सरपंच

श्री मोहनलाल लोहार एवं रेखा लोहार के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अधीन जाँच कार्यवाही कर उन्हें दोषी पाते हुए इसकी जाँच रिपोर्ट सम्भागीय आयुक्त, अजमेर को प्रेषित की गई है।

इसके अतिरिक्त मामले म. दोषी कार्मिक श्री जगदीश चन्द चावड़ा (सचिव) के अगस्त, 2012 म. सेवानिवृत्त हो जाने व पट्टे वर्ष 2004 में जारी होकर सात वर्ष से अधिक की अवधि के होने पर राजस्थान सिविल सेवा (पशन) नियम, 1996 के अधीन प्रस्तावित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अनियमित रूप से जारी पट्टा. को निरस्त करने के लिये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अधीन जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष निगरानियाँ दिनांक 16.12.2015 को पंजीबद्ध करवा दी गई है। इन सभी निगरानिया. की प्रगति/निस्तारण की त्रैमासिक रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 24.02.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.15(9)लोआस/2014

परिवादी श्री हीरा लाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा, निवासी पोस्ट खोहरी (कैलादेवी), जिला करौली द्वारा लोक सेवक श्री विजयपाल मीणा, नाका प्रहरी, खोहरी के विरूद्ध वन विभाग की भूमि से अनाधिकृत खनन संबंधी मुकदमा. की पत्रावलियों म. कोई कार्यवाही नहीं कर, राज्य सरकार को करीब 20 लाख रूपए की हानि पहुँचाने के संदर्भ म. परिवाद पेश किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा, जयपुर ने पत्र दिनांक 9.4.2015 के साथ अवैध खनन सम्बन्धी दर्ज वन अपराध प्रकरणा. म. अनुसंधान पूर्ण नहीं करने तथा राज्य सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने आदि के संबंध म. दोषी कार्मिक श्री विजयपाल मीणा तत्कालीन वनपाल नाका खोहरी रज़ करौली के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत जारी ज्ञापन, आरोप पत्रादि की छाया प्रति संलग्न करते हुए अवगत करवाया है कि श्री मीणा के विरूद्ध लगाए गए आरोपा. की जांच का संचालन करने हेतु उप वन संरक्षक(विधि), मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर को जांच अधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक, करौली को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। वर्तमान म. श्री मीणा के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।

अतः प्रकरण म. इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप दिनांक 13.8.2015 को परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाना मानते हुए, इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। इसके साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को दोषी कार्मिक श्री विजयपाल मीणा तत्कालीन वनपाल नाका के विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही की त्रै-मासिक रिपोर्ट भिजवाते रहने हेतु लिखा गया है।

एफ.16(12)लोआस/2005

यह परिवाद परिवादी श्री किशन खारीवाल पुत्र श्री गौरीशंकर खारीवाल निवासी श्रीगंगानगर द्वारा अध्यक्ष, नगर परिषद्, श्रीगंगानगर व आयुक्त, नगर परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा अवैध निर्माण को न रोकने, अवैध निर्माण स्थल को सीज करने और आयुक्त, नगर परिषद् के विधि विरूद्ध कार्यों की जाँच करने व उनकी चल-अचल सम्पत्तिया. की जांच करने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. प्रस्तुत जांच रिपोर्ट म. अवैध निर्माण करने के सम्बन्ध म. तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारिया. की भूमिका तय करके उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने को लिखा गया है। बाद म. राजस्व मण्डल द्वारा दोषी अधिकारिया. के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 म. कार्यवाही की जाकर आरोप पत्र दे दिया जाना बताया है। इसके बाद श्री खजान सिंह व श्री आशाराम डूडी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारिया. के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की गई है और उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप दिनांक 7.11.2012 प्रमाणित नहीं पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

लोकसेवक श्री दलजीत सिंह, राजस्व निरीक्षक, श्रीगंगानगर, श्री गोपाल सैनी, स्वास्थ्य अधिकारी, श्री बलवीर सिंह भुल्लर, राजस्व अधिकारी, श्री संदीप नागपाल, सहायक अभियन्ता, श्री जगदीश शिवाल, वरिष्ठ लिपिक व श्री राजीव गर्ग, अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध भी आरोप पत्र आदि निरस्त कर दिये गये हैं। सभी दोषी अधिकारिया. व कर्मचारिया. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त हो जाने के कारण प्रकरण म. अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं पाई गई है।

उपर्युक्त तथ्या. के आधार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अंकित तथ्या. के विषय म. पूर्ण जांच कर दिये जाने के बाद परिवादी वांछित अनुतोष प्रदान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवाद दिनांक 22.01.2016 को निरस्त कर दिया गया है।

एफ.16(62)लोआस/08

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 13.08.2008 को परिवादी श्री श्रीराम चुघ, निवासी-वार्ड नं. 9, सादुलशहर, जिला-श्रीगंगानगर द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सादुलशहर से शिकायत के बावजूद

वार्ड नं. 13, प्लॉट नं. 300, सैक्टर नं. 1 भगतसिंह चौक, सादुलशहर की व्यवसायिक प्रयोजन की जमीन पर रिहायशी दर पर रामनारायण चुघ का गलत कब्जा कराने व अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराने बाबत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर ने निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 30.12.2008 व इस सचिवालय को प्रेषित पत्र दिनांक 31.12.2008 से अवगत करवाया कि प्रकरण की जाँच से पाया गया कि श्री रामनारायण को नगरपालिका, सादुलशहर की तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती भानुमति चौधरी एवं तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री आलोक चौधरी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर खाँचा भूमि का आवंटन किया गया था।

इसके सम्बन्ध म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 24.06.13 से अवगत कराया है कि श्री आलोक चौधरी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 की जाँच के उपरान्त निर्णय दिनांक 14.02.2013 से 2 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पत्र दिनांक 27.05.2015 से अवगत कराया गया कि श्रीमती भानुमति चौधरी, तत्कालीन अध्यक्षा के विरूद्ध लम्बित न्यायिक जाँच म. विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आरोप साबित नहीं होना पाया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप प्रकरण म. दोषी अधिकारी को दण्डित कर दिये जाने के कारण परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त होने के फलस्वरूप परिवाद को दिनांक 19.05.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(117)लोआस/2008

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 16.12.2008 को परिवादिया श्रीमती आशा जैन, निवासी-15, यमुना बाडी, शिव कॉलोनी, टाक्र रोड़, जयपुर द्वारा नगरपालिका, सवाईमाधोपुर के कार्यालय अधीक्षक श्री रमेशचन्द शर्मा व सहायक अभियन्ता श्री रत्तीराम खींचड़ द्वारा फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने व इस सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध म. प्रेषित किया गया है।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 25.05.15 के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि श्री रमेशचन्द शर्मा कार्यालय अधीक्षक एवं तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री रत्तीराम खींचड, नगरपालिका, सवाईमाधोपुर को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 05.05.2015 से मूल पेन्शन राशि म. से 10 वर्ष की अवधि के लिए 20 प्रतिशत पेन्शन राशि रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है, इसके बाद यह परिवाद दिनांक 10.08.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(142)लोआस/2011

यह परिवाद परिवादी अमरनाथ गुप्ता, निवासी लोहा मण्डी-डीग, जिला भरतपुर द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका-डीग श्री यतीश शर्मा पर भवन और सहकर्म समिति का गठन नहीं करके भ्रष्टाचार पूर्वक बोर्ड की जमीन का बेचान करने तथा उनका नियमन आदि भ्रष्ट तरीके से करने का आरोप लगाया गया है।

परिवाद के संबंध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान, जयपुर से मंगवाई गई तो सहायक निदेशक सतर्कता, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान द्वारा पत्र दिनांक 30.09.13 के द्वारा अवगत कराया गया की अध्यक्ष नगर पालिका-डीग के विरूद्ध न्यायिक जांच किये जाने हेतु प्रकरण 23.08.13 को भिजवा दिया गया है।

कनिष्ठ लिपिक नगर पालिका-डीग श्री रमेश चंद्र शर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने हेतु अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका-डीग को भी दिनांक 23.08.13 को पत्र लिखकर निर्देशित कर दिया गया है। जांच म. श्री रमेश चंद्र शर्मा, कनिष्ठ लिपिक को दोष मुक्त कर दिया गया और अध्यक्ष के विरूद्ध जाँच दिनांक 07.1.16 को पूर्ण कर ली गई और उनके विरूद्ध भी कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी के प्रकरण म. संबंधित लोक सेवका. की संलिप्तता सिद्ध नहीं होने पर परिवाद को तार्किक निष्कर्ष पर पहुचा देने के फलस्वरूप दिनांक 21.01.2016 को नस्तीबद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

एफ.16(215)लोआस/2011

यह परिवाद परिवादी नखत सिंह, निवासी जंबेश्वर गुरूद्वारा, नेहरू नगर, बाड़मेर द्वारा वरिष्ठ लिपिक श्री स्वरूप शर्मा, नगर पालिका मण्डल, बाड़मेर द्वारा उसके पुश्तैनी खेत का रहवासी भूखण्ड 40x75 वर्गफीट उपलब्ध नहीं करवाने और उसका रिकॉर्ड एक वर्ष से अधिक का समय निकल जाने के बावजूद भी मण्डल की बैठक म. प्रस्तुत नहीं करने तथा सरे आम भ्रष्टाचार करने के संबंध म. प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद के संबंध म. प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट जिला कलेक्टर दिनांक 01.01.2012 के अनुसार महावीर नगर की आवासीय योजना म. आवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे तथा भूखण्ड के बदले भूखण्ड देने के मामले म. पत्रावली की जाँच लंबित है। इसके बाद मण्डल की बैठक म. जाँच रिपोर्ट रखकर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाने के बाद परिवादी के प्रकरण म. कार्यवाही हो सकेगी। शिकायतकर्ता की शिकायत के अनुसार श्री स्वरूप शर्मा कर्मचारी दोषी नहीं है, परन्तु श्री हरका राम, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियमा. के अनुरूप कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है क्याकि उसके द्वारा परिवादी नखत सिंह को अनुचित तरीके से उच्चाधिकारिया. को गुमराह कर मुआवजा दिलवाने की कार्यवाही आरम्भ की गई थी।

इसके अतिरिक्त आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर पत्र दिनांक 29.12.15 के अनुसार पत्रावली गुम होने के संबंध म. श्री गिरिश कुमार पालीवाल, वरिष्ठ लिपिक नगर परिषद बाड़मेर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है और उसके विरूद्ध भी राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल म. लाई गई है।

उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के संबंध म. परिवादी ने पत्र दिनांक 01.03.2016 इस सचिवालय म. प्रस्तुत कर अवगत कराया है की वह अब इस प्रकरण म. सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही से पूर्णतया संतुष्ट है और आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अतः प्रकरण को बंद कर दिया जावे।

इस प्रकार इस परिवाद के संबंध म. इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद 22.03.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(285)लोआस/2014

परिवादिनी श्रीमती सुजाता बंसल निवासी ई-9, बापू नगर सेंती, चित्तौड़गढ़ ने यह परिवाद आयुक्त, नगर परिषद्, चित्तौड़गढ़ द्वारा भूखंड संख्या डी-1 व डी-2 की निर्माण स्वीकृति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध म. कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. आयुक्त, नगर परिषद्, चित्तौड़गढ़ ने अपने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 23.07.2015 के द्वारा अवगत कराया है कि अभिलेख के अनुसार परिवादी के भूखंड संख्या डी-1 व डी-2 की पत्रावलियां श्री नन्दकिशोर चंगेरिया, सहायक नगर नियोजक, नगर परिषद्, चित्तौड़गढ़ को नामित करके भेजी गई थी जो दिनांक 07.07.2010 से दिनांक 21.08.2014 तक उन्हान्ने अपने पास रखे रखी। बाद म, उन्ह. तामीरात अनुभाग म. पहुंचाया गया। इस तरह उनके द्वारा 4 वर्ष तक उक्त पत्रावलिया. को अपने पास रखने के कारण निर्माण स्वीकृति जारी होने म. देरी हुई। इसलिए कार्मिक के विरूद्ध नगर परिषद् के द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप दोषी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ किये जाने के कारण परिवादिनी को वांछित अनुतोष मिलने पर यह परिवाद दिनांक 10.08.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(864)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादी विरद्र कुमार शर्मा, निवासी-प्रकाश बुक डिपो, लालसोट रोड़, जिला दौसा द्वारा पूर्व व वर्तमान आयुक्त व सभापति तथा कनिष्ठ अभियंता व कर्मचारीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद के अनुसार उपरोक्त सभी ने मिल कर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करवाया और अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के पट्टे जारी किये हैं। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

परिवाद के संबंध म. आयुक्त नगर परिषद, दौसा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट म. नगर परिषद द्वारा गैर कानूनी रूप से किये गये निर्माण को तुरंत सील कर निर्माण कार्य रोक दिया जाना बताया है। अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के विषय म. पट्टा निरस्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, दौसा के न्यायालय म. वाद विचाराधीन होना बताया गया है।

इसके अतिरिक्त रमेश चन्द बनाम नगर परिषद व रामेश्वरी बनाम नगर परिषद वाद सिविल न्यायाधीश, दौसा म. विचाराधीन है। दोषी अधिकारिया. के विरूद्ध मिली भगत कर कार्यवाही नहीं करने के संबंध म. राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अंतर्गत कनिष्ठ अभियन्ता, बबीता मीना व कमला मीना के विरूद्ध कार्यवाही आरंभ की गई है तथा उन्हे दोषी पाया जाकर उनकी एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाकर पत्रावली सभापति के समक्ष भिजवाई गई है।

अतः परिवाद के संबंध म. विवादित पट्टे के बाबत परिवाद सिविल न्यायालय म. विचाराधीन है और दोषी कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। इसलिये इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवाद के संदर्भ म. कार्यवाही की जाकर जांच को तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा दिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण दिनांक 20.1.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.18(16)लोआस/2014

परिवादी श्री सुआलाल मीणा पुत्र श्री रामफूल मीणा, निवासी पुरानी ट्रक यूनियन, वार्ड नं. 3, करौली द्वारा यह परिवाद दिनांक 14.5.14 को

आबकारी निरीक्षक, करौली द्वारा शराब के ठेकेदारा. से सांठगांठ कर गलत लोकेशन पर चल रही शराब की दुकाना. को बन्द करने एवं दोषी अधिकारिया/कर्मचारिया. के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर को पत्र दिनांक 21.5.2014 प्रेषित किया गया। इसके बाद आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार दुकान नं. 6 एवं दुकान वार्ड नं. 9 की पूर्व स्वीकृत लोकेशन को निरस्त कर दिया गया तथा दुकान नं. 4 एवं दुकान वार्ड नं. 2 को निरापद लोकेशन प्रस्तुत होने तक बन्द करवा दिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), आबकारी विभाग, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 13.4.15 के अनुसार श्री उमेश चन्द्र गुप्ता, आबकारी निरीक्षक करौली के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही म. आदेश दिनांक 09.04.15 के द्वारा दोषी पाया जाकर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं श्री उमेश चन्द्र गुप्ता, आबकारी निरीक्षक, करौली को राजकार्य म. अकर्मण्यता, लापरवाही एवं उच्चाधिकारिया. के निर्देशा. की अवहेलना का दोषी पाया जाकर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 29.4.2011 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.23(6)लोआस/2011

परिवादी श्री नईमुद्दीन, सदस्य, जिला परिषद्, कोटा जिला कोटा द्वारा यह परिवाद श्री सुरेशचन्द्र मित्तल अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग के विरूद्ध आवासन मण्डल द्वारा आवंटित मकान म. पढ़ाने की क्लासेज

चलाने, बिना सैट-बैक छोड़े पूरा निर्माण करवाने एवं अन्य अनियमिताताआ. की जँच करवाने के संदर्भ म. दिनांक 8.7.11 को पेश किया गया।

प्रकरण म. तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 7.10.11 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात निरन्तर कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक स्थानीय निकाय विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री सुरेशचन्द्र मित्तल एवं श्रीमती वी.पी. मित्तल को आवासन मण्डल द्वारा हस्तांतरित भवन म. बिना परमिशन के भूतल आदि का निमार्ण कर लेने व कोचिंग क्लासेज चलाने के सम्बन्ध म. भवन सीज करने की कार्यवाही की गई जिसके विरूद्ध सुरेशचन्द्र मित्तल ने एडीजे कोर्ट-4 से स्थगन आदेश प्राप्त किया।

श्री सुरेशचन्द्र मित्तल एवं श्रीमती वी.पी. मित्तल को आवासन मण्डल द्वारा हस्तांतरित भवन म. बिना परमिशन के भूतल आदि का निमार्ण कर लेने व कोचिंग क्लासेज चलाने के दौरान नगर निगम कोटा के अधिकारी/कर्मचारी श्री धनराज कछावा एवं श्याम माहेश्वरी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित की गई। प्रकरण सचिवालय स्तर पर दिनांक 16.4.15 को नस्तीबद्ध किया जाकर, पार्ट फाईल खोलकर उसम. कार्यवाही करते हुए प्रस्तावित विभागीय जांच का त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन मंगवाया जा रहा है।

एफ.26(5)लोआस/2013

परिवादी श्री देवी लाल सोनी पुत्र श्री शंकर लाल, जाति सोनी, निवासी भीलपाड़ा नाचना, जिला जैसलमेर द्वारा यह परिवाद दिनांक 09.10.2012 को श्री कल्लाराम पटवारी, श्री हेमसिंह एवं तहसीलदार, उपनिवेशन विभाग, नाचना के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु प्रेषित पत्रा. के क्रम म. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर से प्राप्त पत्र दिनांक

10.7.15 के अनुसार श्री कल्लाराम पटवारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 प्रारंभ कर आदेश दिनांक 22.6.2011 के द्वारा "भविष्य म. सतर्क रहकर कार्य करने की चेतावनी के साथ समाप्त कर दी गई एवं श्री शिवपाल सिंह राठौड़, सेवानिवृत तत्कालीन तहसीलदार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा पेन्शन नियम 1996 के नियम 2 (ख)(1) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु राज्यपाल महोदय से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही लम्बित होने के सम्बन्ध म. अवगत कराये जाने पर इस स्टेज पर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर पार्ट फाईल खोल कर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु राज्यपाल महोदय से स्वीकृति प्राप्त होने के सम्बन्ध म. त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन मंगवाया जा रहा है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 3 वर्ष म. अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं श्री कल्लाराम पटवारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाय. (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही म. उसे भविष्य म. सतर्क रहकर कार्य करने की चेतावनी दे दिये जाने एवं श्री शिवपाल सिंह राठौड़, सेवानिवृत्त तत्कालीन तहसीलदार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा पश्न नियम 1996 के नियम 2(ख)(1) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु राज्यपाल महोदय से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही लम्बित होने के कारण यह परिवाद दिनांक 1.10.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.26(2)लोआस/2014

परिवादी श्री भंवर सिंह एवं अन्य ग्रामवासी ग्राम टोटा अजासर, तहसील पोकरण, जैसलमेर द्वारा यह परिवाद दिनांक 19.5.14 को नियम विरूद्ध आवंटित की गई भूमि को निरस्त करवाने एवं उचित कार्यवाही करने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर को पत्र दिनांक 07.07.14 प्रेषित किया गया। इसके बाद आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर से प्राप्त पत्र दिनांक 9.1.15 के अनुसार श्री लक्ष्मणसिंह जोधा, पटवारी के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच म. उप आयुक्त, नाचना को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार, उपनिवेशन को विभागीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया।

प्रकरण को नस्तीबद्ध कर पार्ट फाईल खोल कर उसम. कार्यवाही करते हुए श्री लक्ष्मण सिंह जोधा पटवारी के विरूद्ध लंबित विभागीय जांच एवं राजस्व मण्डल, अजमेर म. दायर निगरानिया. म. त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन मंगाया जा रहा है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग डेढ वर्ष म. अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं उत्तरदायी कार्मिक श्री लक्ष्मणसिंह जोधा पटवारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच संस्थित होने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 15.10.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(18)लोआस/2012

परिवादी श्रीमती जमना बाई पत्नी स्व. श्री प्रभु लाल भील, उन्दालिया की डूंगरी, थाने के पीछे, बाईपास, बूंदी द्वारा यह परिवाद दिनांक 21.01.2011 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड बूंदी के वरिष्ठ लिपिक, श्री प्रभुलाल वर्मा द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्त प्रकरण म. अनावश्यक देरी करने के संदर्भ म. पेश किया गया।

सचिवालय द्वारा प्रकरण के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 21.06.2013 प्रेषित किये जाने पर अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बूंदी से प्राप्त पत्र दिनांक 8.8.14 के अनुसार

परिवादिया श्रीमती जमना बाई को अनुकम्पा नियुक्ति दे दी गई है। इस हेतु श्रीमती जमना बाई द्वारा माननीय लोकायुक्त महोदय का आभार व्यक्त किया गया। श्री प्रभुलाल वर्मा, सम्बन्धित वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाय. (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी कर अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड लाखेरी को जांच अधिकारी नियुक्त कर तीन माह म. जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं श्री प्रभुलाल वर्मा, वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित होने के कारण इस प्रक्रम पर पार्ट फाईल खोलकर श्री प्रभुलाल वर्मा, वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध लंबित विभागीय जाँच म. त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन मंगाया जा रहा है। यह परिवाद दिनांक 26.10.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.34(18)लोआस/2013

परिवादी श्री रामबाबू मालव, 7/सी, इन्द्रा कॉलोनी, कोटा द्वारा यह परिवाद महाराव भीमसिंह योजना मुख्य रेल्वे स्टेशन रोड़ भीमगंज मण्डी, कोटा म. स्थित भूखण्ड पैमायशी 1002.80 वर्गमीटर नीलामी प्रक्रिया म. यूआईटी कोटा के न्यास सचिव श्री आर.डी. मीणा एवं स्वायत्त शासन मन्त्री श्री शान्ति धारीवाल द्वारा उच्च स्तर पर किये गये भ्रष्टाचार की जांच करवाने के संदर्भ म. दिनांक 08.11.13 को पेश किया गया।

प्रकरण म. तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 26.3.14 को प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने के पश्चात् अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र

दिनांक 16.2.16 के अनुसार दोषी लोकसेवक श्री रविन्द्र कुमार कनिष्ठ लिपिक एवं श्री धनपाल बेलदार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही म. जांच अधिकारी एवं उप स्थपक अधिकारी नियुक्त किये एवं श्री महावीर प्रसाद शर्मा (सेवानिवृत्त) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रकरण माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया गया। प्रकरण को नस्तीबद्ध करते हुए पार्ट फाईल खोलकर उसम. कार्यवाही करते हुए प्रकरण म. त्रैमासिक प्रगति मंगाई जा रही है।

एफ.35(279)लोआस/2013

परिवादी श्री हुकमसिंह पुत्र श्री चन्दरसिंह, जाति ठाकुर, निवासी सतवास, तहसील कामां, जिला भरतपुर द्वारा दिनांक 25.03.2014 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर के कार्यालय म. सरपंच श्री गंगाश्याम के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है किन्तु अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं की गई है।

परिवादी के परिवाद की प्रति इस सचिवालय के पत्र दिनांक 25.04.2014 द्वारा सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इसके क्रम म. सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर ने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भरतपुर की जाँच रिपोर्ट दिनांक 17.09.2014 का अवलम्ब लेते हुए प्रकट किया है कि सरपंच श्री गंगाश्याम को आरोप सं.3 म. पर्यवेक्षकीय लापरवाही का दोषी माना है। सरपंच व सचिव से राशि वसूलनीय बताई तथा अवगत कराया कि आरोप सं. 3 म. दोषी पाये गये सरपंच श्री गंगाश्याम एवं सचिव से दो हैण्डपम्प निजी जगह लगाने एवं निजी उपयोग म. लिये जाने के कारण 25,000+25,000 रूपये राजकोष म. जमा कराने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है।

तदुपरांत सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर ने अपने पत्र दिनांक 11.06.2015 से अवगत कराया कि सरपंच को पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए कार्यालय आदेश दिनांक 26.05.2015 द्वारा 05 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया

गया है। जिला परिषद्, भरतपुर के पत्र दिनांक 16.07.2015 के अनुसार सरपंच श्री गंगाश्याम एवं सचिव श्री इन्दसिंह से 25,000+25,000 रूपये की वसूली कर ली गई एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कॉमा द्वारा सचिव की दिनांक 01.07.15 से एक वर्ष की वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।

इस प्रकार परिवादी को लोकायुक्त सचिवालय की पहल पर वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 30.07.2015 को नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.35(16)लोआस/2014

इस परिवाद म. दिनांक 21.04.2014 के दैनिक राजस्थान पत्रिका समाचार-पत्र के पृष्ठ सं.22 पर प्रकाशित ''सांसद निधि का पैसा कर दिया निजी उद्योग पर खर्च'' समाचार पर स्वप्रेरणा से दिनांक 21.04.2014 को प्रसंज्ञान लिया गया जिसके अनुसार राज्य सभा की सांसद श्रीमती प्रभा ठाकुर ने सरवाड क्षेत्र म. अजमेर-कोटा रोड पर हिंगतडा गांव के पास एक निजी औद्योगिक क्षेत्र को विद्युतीकरण करने के लिए सांसद कोटे से 12 लाख रूपये स्वीकृत कर 6 किलोमीटर विद्युत लाइन फरवरी 2012 म. खिंचवाई जबकि यह काम एम.पी.एल.ए.डी. के तहत प्रतिबन्धित है और इससे अजमेर विद्युत मण्डल को 11.71 लाख रूपये की चपत लगी है।

उक्त सामाचार-पत्र की कटिंग की प्रति इस सचिवालय के अर्द्धशासकीय-पत्र दिनांक 23.04.2014 के द्वारा जिला उद्योग अधिकारी, अजमेर जिला कलक्टर, अजमेर एवं प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर को प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन आहूत किया गया।

प्रबन्धक निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दि.14.05.2014 के अनुसार स्वीकृत तकमीना निगम द्वारा दि. 13.01.2012 को जारी आदेशानुसार नहीं था और कुल राशि 20.61 लाख रू. बनती

है किन्तु सम्बन्धित अधिकारिया. एवं कर्मचारिया. की लापरवाही/अनदेखी से गलत तकमीना स्वीकृत होने से निगम को 8.61 लाख रूपये की आर्थिक हानि हुई। इस सम्बन्ध म. अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के (1) श्री विपिन सैन (कनिष्ठ अभियन्ता, सरवाड़), (2) श्री अरूण जाँगिड़ (सहायक अभियन्ता, सरवाड़), (3) श्री कुलदीप जैन (क.लि. सरवाड़), (4) श्री मुरली चान्दनानी (व.लि.,अजमेर), (5) श्री वी. एस. रत्नु (अधीक्षण अभियन्ता), अजमेर के विरूद्ध पूर्ववर्ती रा.रा.वि.म. के वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील विनियम-1962 के नियम 6 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करना वर्णित किया है।

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 27.05.2014 के अनुसार मौके पर तीन इकाईयाँ चालू है जिनम. 124 केवी प्रति इकाई लोड चालू है जो अजमेर विद्युत वितरण नि.लि. द्वारा जारी किया गया है और यह कोई सरकारी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है वहाँ उद्योग विभाग/रीको द्वारा कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बनाया गया है।

जिला कलक्टर, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 02.09.2014 के अनुसार भारत सरकार से मार्गदर्शन मांगने पर निदेशक (एम.पी.एल.ए. डी.) से प्राप्त पत्रानुसार सांसद कोष से अनुशंषित कार्य विद्युतीकरण कार्य (औद्योगिक लाइन खींचना) योजना की मार्गदर्शिका योजनान्तर्गत अनुमत कार्य की श्रेणी म. आता है। यह कार्य औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाआ. म. आने से योजनान्तर्गत अनुमत है।

एम.पी.एल.ए.डी. स्कीम के तहत सांसद निधि के तहत व्यय सम्बधित निर्देशा. की अवहेलना हेतु सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि. ने अपने पत्र दिनांक 27.04.2016 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री बी.एस. रत्नु, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को आदेश दिनांक 11.02.2014 द्वारा भविष्य म. सतर्कतापूर्वक कार्य करने की चेतावनी, श्री अरूण जांगिड़, सहायक अभियन्ता एवं श्री मुरली चंदवानी, वरिष्ठ लिपिक को आदेश दिनांक 02.12.2015, द्वारा असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतनवृद्धि के दण्ड से, श्री विपिन जैन, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री कुलदीप जैन, कनिष्ठ लिपिक

को आदेश दिनांक 02.12.2015 द्वारा दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

एफ.35(34)लोआस/2014

परिवादी श्री अकिल खान द्वारा पेश किये गये परिवाद दिनांक 05.05.2014 के अनुसार उसने नगर पालिका, अकलेरा, जिला झालावाड के अधिशाषी अधिकारी, श्री सुशील कुमार वगैरह के विरुद्ध भ्रष्टाचार पद का दुरूपयोग एवं न्यायालया. के स्थगन आदेशा. की अवहेलना करते हुए श्री हिदायत अली के पक्ष म. एक भूखण्ड का पट्टा अवैध तौर से जारी करने का आरोप लगाते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर, झालावाड़ एवं सहायक निदेशक (सर्तकता) स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 19.05.2015 प्राप्त हुई। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण म. पट्टा स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत गलत रूप से जारी किया गया था जिसे निरस्त किया जाकर पंजीयन निरस्तीरण की कार्यवाही करवा ली गई है।

दोषी अधिकारिया. श्री सुशील कुमार, तत्कालीन अधिशाषी, अधिकारी एवं नरेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका अकलेरा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 तहत की जा रही कार्यवाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट लिया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। अतः पत्रावली नस्तीबद्ध कर दी गई।

एफ.35(180)लोआस/2014

परिवादी श्री मानू शर्मा द्वारा प्रेषित परिवाद दिनाक 24.03.2014 के अनुसार उसने इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन का गैस गोदाम निर्मित करने के लिए श्री शम्भू प्रसाद जाटव द्वारा ग्राम बसई नवाज तहसील सैपउ म. ख. सं. 7075/3459 रकबा 8 बिस्वा को कृषि भूमि से अकृषि (वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ) भूमि म. संपरिवर्तन के संबंध म. किये गये आवेदन पर खोली गई भूमि रूपान्तरण पत्रावली म. तहसीलदार सैंपउ, जिला कलक्टर धौलपुर और पुलिस चौकी प्रभारी श्री प्रेमसिंह भास्कर के द्वारा की गई कूट रचना को लेकर, उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

संभागीय आयुक्त, भरतपुर एवं जिला कलक्टर, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 22.02.2016 को प्राप्त हुई। अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रथमदृष्ट्या जाँच म. दोषी पाए गए आरोपी कर्मचारी श्री राजवीर सिंह, सहायक कर्मचारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। अतः पत्रावली नस्तीबद्ध कर दी गई।

एफ.35(212)लोआस/2014

परिवादी श्री संजय गर्ग द्वारा प्रेषित परिवाद दिनांक 09.02.2014 के अनुसार उसने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. के विभिन्न अधिकारिया. के विरूद्ध विभिन्न योजनाआ. म.

भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए, मामले की जाँच करवाकर दोषी अधिकारिया. को दण्डित करवाने की प्रार्थना की है।

मुख्य अभियंता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। मुख्य अभियंता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 28.01.2016 के द्वारा अवगत कराया कि इस प्रकरण म. दोषी लोकसेवक श्री लीलाराम, स्टोर मुंशी द्वारा बोरिंग का बिजली का व्यक्तिगत कनेक्शन लगाकर अपने घर तक पाईप लाइन डालकर पानी का उपभोग निजी हिता. के लिए करने के कारण, उसे दुराचरण एवं अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए प्रभारित सेवा नियम 28(ii) के अनर्गत एक वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। अतः पत्रावली नस्तीबद्ध कर दी गई है।

एफ.45(26)लोआस/2011

दिनांक 20 मार्च 2012 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर ''बेटे बेटिया. को ही खान दिलवा रहे हैं अफसर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया।

इस प्रकरण मे संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान को पत्र दिनांक 28.3.2012 से मंगवाई गई जाँच एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर शासन उप सचिव (कार्मिक क-3 जाँच) विभाग, राजस्थान जयपुर से श्री अशोक कुमार वैश्य, सेवानिवृत अतिरिक्त निदेशक, भू-विज्ञान विभाग, जयपुर के विरूद्ध लम्बित विभागीय जाँच का प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 22.06.2015 को प्राप्त हुआ। इस प्रतिवेदन के अनुसार श्री अशोक कुमार वैश्य के विरूद्ध लम्बित तीना.

विभागीय जाँचा. 1(95) कार्मिक/क-3/2012, 1(113) कार्मिक/क-3/2012 एवं 1(114) कार्मिक/क-3/2012 म. जाँच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् प्रकरण म. पार्ट फाईल खोली जाकर दोषी अधिकारी श्री अशोक कुमार वैश्य के विरूद्ध लम्बित उक्त तीना. विभागीय जाँचा. म. त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन मंगाया जा रहा है। फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 26.6.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.45(11)लोआस/2013

राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल लिमिटेड की लिग्नाइट इकाई जयपुर म. पदस्थापित महाप्रबन्धक श्री आर.के जोशी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध म. बेनामी शिकायत प्राप्त होने पर इस सचिवालय द्वारा दिनांक 27.3.2014 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।

इस सचिवालय के स्वप्रेरणा प्रकरण के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पैट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 11.4.2014 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर वरिष्ठ शासन उप सचिव, खान (ग्रुप-1) विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 7.12.2015 के अनुसार श्री आर.के. जोशी के विरूद्ध विभागीय जांच म. जाँच अधिकारी श्री अताउर रहमान के स्थानान्तरण के पश्चात् उनके स्थान पर श्री महावीर प्रसाद जोशी, उप अधीक्षक, पुलिस को जाँच अधिकारी नियुक्ति किया गया है।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् प्रकरण म. पार्ट फाईल खोली जाकर दोषी अधिकारी श्री आर.के. जोशी के विरूद्ध

लम्बित विभागीय कार्यवाही म. त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन मंगाया जा रहा है। फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 9.12.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

अनुशासनिक कार्यवाहिया. के उपरोक्त प्रकरणा. के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकरणा. का विवरण ''जस्टिस एन.एन. माथुर जाँच आयोग से अन्तरित प्रकरणा. का प्रगति विवरण'' अध्याय-3 म. दिया गया है:-

क्र.सं.	पत्रावली संख्या
1	एफ. 22(592)/लोआस/2011
2	एफ. 22(1633)/लोआस/2011
3	एफ. 22(545)/लोआस/2011
4	एफ. 22(335)/लोआस/2011
5	एफ. 22(1196)/लोआस/2011
6	एफ. 22(737)/लोआस/2011
7	एफ. 22(1600)/लोआस/2011

* * * * *

अध्याय-6

अनुतोष के प्रकरण

एफ.2(4)लोआस/2014

परिवादी श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता, नई मण्डी व्यापार संघ, करौली द्वारा अध्यक्ष एवं सचिव, कृषि मण्डी समिति, हिण्डौन के विरूद्ध नई गौण मण्डी करौली की जन समस्याआ. तथा मण्डी की दुकाना. के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाईन को नहीं हटाने आदि के सम्बन्ध म. अनदेखी किए जाने के विषय को लेकर शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला कलक्टर, करौली ने पत्र दिनांक 10.9.2014 से अवगत करवाया कि उक्त मण्डी म. व्यापारिया. के लिए आवंटित भूखण्डा. के सामने विद्युत लाईन डली हुई है तथा पानी की आपूर्ति हेतु बोरिंग एवं ओवर हैड टैंक मण्डी प्रांगण म. निर्मित है तथा हाईटशन लाईन अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु तकमीना भिजवाया जा चुका है।

अधिशाषी अभियन्ता(पवस), जयपुर डिस्कॉम, करौली ने पत्र क्रमांकः जे. पी.डी./अ.अ./प.व.स./करौली/विधि/प्रे/446 दिनांक 27.5.15 से अवगत करवाया कि गौण मण्डी यार्ड, करौली म. चिन्हांकित एवं निर्माणाधीन भूखण्डा. के ऊपर से गुजर रही प्रश्नगत हाई टशन लाईन को अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए, इस प्रकरण को दिनांक 26.6.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.2(4)लोआस/2015

परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी नई मण्डी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर द्वारा धानमण्डी घड़साना म. निजी व्यापारिया. द्वारा अवैध रूप से माल डालकर अतिक्रमण किए जाने के संबंध म. कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, घड़साना के विरूद्ध की गई थी।

प्रकरण म. इस सचिवालय द्वारा इस सम्बन्ध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर से मंगवाई गई, जहाँ से रिपोर्ट दिनांक 13.8.2015 के माध्यम से अवगत कराया कि विवादित स्थल म. पिड़ा. पर लोहे के व्यापारिया. द्वारा किए गए अस्थायी कब्जा. को पुलिस व प्रशासन के सहयोग से पूर्णतया हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने व अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने के कारण, यह परिवाद दिनांक 29.9.2015 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.2(14)लोआस/2015

परिवादी श्री छोटूसिंह राठौड़, निवासी राठौड़ भवन, टंकी के पास, खेमे का कुंआ, पाल रोड़, जोधपुर द्वारा श्री रामसिंह सिसोदिया, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर के विरूद्ध पानी की सप्लाई के ठेके म. हुई अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर ने पत्र दिनांक 16.10.15 व पत्र दिनांक 8.12.2015 से अवगत करवाया कि जल व्यवस्था म. संवेदक को किये गये अधिक भुगतान की राशि 1,50,880/- रूपए की पूर्ण वसूली की जाकर, दोषी ठेकेदार को अयोग्य घोषित कर

दिया गया है। श्री रामसिंह सिसोदिया, तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर को राज्य सरकार के स्तर पर हुए निर्णयानुसार पानी की सप्लाई ठेके म. हुई अनियमितताआ. के लिए भविष्य म. अधिक दक्षता व वित्तीय भुगताना. पर प्रभावी नियंत्रण से कार्य करने की प्रशासनिक चेतावनी दी जा चुकी है। साथ ही अन्य दोषी श्री भूपतराम सोनी, सेवानिवृत्त सहायक सचिव के विरूद्ध मण्डी कर्मचारी सेवा नियम 1957 के नियम 53(बी) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

परिवादी श्री छोटू सिंह राठौड़ के उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने हेतु पत्र दिनांक 23.12.2015 लिखा गया किन्तु उनके द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 20.1.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.2(29)लोआस/2015

परिवादी श्री भवानी सिंह, सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी, निवासी न्यू आदर्श नगर, भीनमाल बाइपास रोड़, जालौर ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी 12,597/- रूपए की राशि कृषि विभाग द्वारा नहीं लौटाए जाने के संबंध म. दिनांक 6.10.2015 को जालोर मं. आयोजित शिविर के दौरान सशपथ शिकायत की थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्र के क्रम म. संयुक्त निदेशक कृषि(प्रशासन), कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 27.11.2015 द्वारा अवगत करवाया गया कि अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरसैल कम डाटा सेन्टर, जालोर द्वारा जरिए चैक

दिनांक 27.10.2015 प्रश्नगत राशि 12,597/- रूपए का भुगतान परिवादी को किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए, इस प्रकरण को दिनांक 5.1.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(251)लोआस/2013

श्री हनीफखॉ निवासी अजमेरी गेट, नागौर द्वारा प्रेषित परिवाद म. पुलिस थाना कोतवाली नागौर पर अलताफ की हत्या के सम्बन्ध म. दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 528/2013 म. मुलजिमान का थानाधिकारी के रिश्तेदार होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के आरोप लगाये है।

परिवादी के आरापा. के बारे मे. पुलिस अधीक्षक नागौर व अतिरिक्त महानिरीक्षक सी.आई.डी.(सीबी) राजस्थान, जयपुर से पत्राचार किये जाने पर सभी दोषी पाये गये आरोपिया. के विरूद्ध दिनांक 14.10.2015 को न्यायालय म. आरोप पत्र पेश कर दिया जाना बतलाया गया है।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 2.12.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(264)लोआस/2013

श्री मेघसिंह निवासी झीलकापुरा, पुलिस थाना सदर, धौलपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट म. उसके भाई नरेश की हत्या करने के सम्बन्ध म. दर्ज करवाई

गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 316/2012 पुलिस थाना सदर, धौलपुर म. पुलिस द्वारा आरोपिया. को श्री बी.एल. कुशवाहा, जो मध्यप्रदेश के मंत्री के दामाद हैं, के प्रभाव म. आकर गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगाये है। उसके पुत्र नरेश का बी.एल. कुशवाहा की बहिन से प्रेम प्रसंग होने के कारण श्री बी.एल.कुशवाहा द्वारा अपने गार्ड रोबिन व सतेन्द्र के द्वारा नरेश की हत्या करवा देना कहा है।

इन आरोपा. के बारे म. उच्च स्तर पर पुलिस विभाग से पत्राचार करने पर प्रकरण म. सी.आई.डी. (सीबी), राजस्थान, जयपुर द्वारा अनुसंधान करवाये जाने पर मुलजिम सतेन्द्र सिंह, रोबिन सिंह, बनवारी लाल, शिवराम, व जीतू कुशवाहा के विरूद्ध धारा 302, 120बी, भा.द.सं. के अपराध बनना पाये जाने एवं इनम. से अभियुक्त सतेन्द्र सिंह व बनवारी लाल कुशवाह विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाना व शेष आरोपिया. को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी होना बतलाया।

सी.आई.डी.(सीबी) द्वारा दिनांक 13.5.2015 को प्रेषित रिपोर्ट म. मुलजिम सतेन्द्र सिंह व बनवारी लाल कुशवाह को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध धारा 302, 120बी, भा.द.सं., के अपराध बनना पाये जाने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना वह मुलजिम रोबिन सिंह, शिवराम व जितेन्द्र के गिरफ्तार नहीं होने पर उनके विरूद्ध धारा 173 (8) द.प्र.सं., म. अनुसंधान लम्बित होना व इनके गिरफ्तारी के प्रयास जारी होना बतलाया गया है।

इस प्रकार पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी श्री बनवारी लाल कुशवाह विधायक के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है। और प्रकरण दिनांक 26.5.2015 को नस्तीबद्ध किये जाने के आदेश दिये जा चुके है।

एफ.3(68)लोआस/2014

श्री अमरदीन पुत्र श्री नजीर निवासी मदीना मस्जिद, चूलीगेट अमन कॉलोनी, श्री गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रेषित परिवाद म. उसकी पुत्री रजिया के अपहरण कर लेने के सम्बन्ध म. पुसिल थाना, गंगापुर सिटी पर दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 280/2014 म. अनुसंधान अधिकारी श्री हरिसिंह द्वारा 20,000/- की राशि की मांग करने व मुलजिमा. से मिलकर केस को कमजोर करने के आरोप लगाये है।

इस बारे म. पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण म. अनुसंधान के पश्चात् मुलजिम मुबारिक, शाहरूख, बिन्दु पुत्र नूरा व बिन्दु पुत्र सुवराती के विरूद्ध धारा 363, 366, 370(4), 120बी, भा.द.सं., व 5/6 यौन अपराधा. से बालका. को संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध बनना पाये जाने व फरार चल रहे मुलजिम बिन्दु पुत्र नूरा के अतिरिक्त तीना. मुलजिमा. के विरूद्ध दिनांक 26.7.2014 को आरोप पत्र पेश किया जाना बतलाया है। इसके बाद दिनांक 18.5.2015 को अभियुक्त बिन्दु पुत्र नूरा के गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् सम्पूर्ण आरोप पत्र पेश किया जाना बतलाया है।

इस प्रकार परिवादी के प्रकरण म. चारा. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र पेश कर दिये जाने पर उसे वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 26.5.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(184)लोआस/2014

सुश्री मोनिका सोलंकी निवासी सूर्य नगर, वी.के.आई. एरिया, जयपुर द्वारा दिनांक 24.07.2014 को प्रेषित परिवाद म. उसके दोस्त भानू अग्रवाल द्वारा शादी करने का झांसा देकर पिछले 8 साल से देह शोषण करने बाबत

पुलिस थाना विश्वकर्मा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 201/2014 दर्ज करवाये जाने पर जांच अधिकारी सहायक आयुक्त पुलिस, चौमू द्वारा अभी तक कार्यवाही नहीं किये जाने के आरोप लगाये हैं।

इस बारे म. पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पश्चिम) से प्राप्त रिपोट में अंकित किया गया है कि परिवादी के प्रकरण म. अनुंसधान के बाद अभियुक्त भानू प्रकाश के विरूद्ध धारा 376(1) भा.द.सं., व 3 एस.सी./एस.टी. एक्ट व श्रीमती चन्द्रकांता के विरूद्ध धारा 3 एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 5.1.2015 को आरोप पत्र न्यायालय मे. प्रस्तुत कर दिया जाना बतया गया है।

इस प्रकार परिवादी के प्रकरण म. आरोपिया. के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 26.6.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(251)लोआस/2014

श्रीमती संतोष देवी निवासी पीरजी की दरगाह के पास, सरदारशहर जिला चूरू, द्वारा प्रेषित परिवाद म. पुलिस थाना, सरदारशहर पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 505/2013 म. पूर्व के अनुसंधान अधिकारी द्वारा मामला सिविल नेचर का मानते हुये अंतिम रिपोर्ट न्यायालय म. पेश कर दिये जाने पर उप पुलिस अधीक्षक, चूरू श्री जमनालाल द्वारा परिवादी के दवाब म. आकर पत्रावली वापिस मंगवा कर उसम. अनुसंधान कर परिवादनी व कल्याण सिंह को मुलजिम माने जाने के विषय से त्रस्त होकर प्रकरण म. निष्पक्ष अनुसंधान किये जाने की मांग की है।

परिवादी के आरोपा. के बारे म. सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, चूरू से पत्राचार किये जाने पर प्रकरण म. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, चूरू से अनुसंधान करवाये जाने के पश्चात अनुसंधान अधिकारी ने दोना. पक्षा. के

बीच भूमि सम्बन्धी विवाद न्यायालया. म. लम्बित होने तथ्यो. को देखते हुये प्रकरण को अदमवकू सिविल नेचर का मानते हुये अन्तिम रिपोर्ट दिये जाने की अनुशंषा की है।

इस प्रकार परिवादी को चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 16.9.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(274)लोआस/2014

श्री हरकरणसिंह निवासी मानपुरा तहसील लाडपुरा कोटा हाल बन्दी केन्द्रीय कारागृह जिला बारा के द्वारा दिनांक 25.8.2014 को प्रेषित परिवाद म. उसकी गिरफ्तारी का फायदा उठाकर दिनांक 26.6.2014 को पुलिस की मौजूदगी म. उसके हिस्से की 11 बीघा जमीन पर अब्दुल सत्तार एवं अन्य लोगों द्वारा कब्जा कर लिये जाने व षडयंत्र के तहत पुलिस थाना बोरखेड़ा पर मुकदमा दर्ज करवा दिये जाने पर इस बारे म. निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है।

इस बारे म. अतिरिक्त महानिदेशक, कोटा रज़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट म. परिवादी हरकरण सिंह के विरूद्ध अब्दुल सत्तार द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 301/2014 पुलिस थाना बोरखेड़ा म. अदमवकू नाकाबिल दस्तनदाजी का अपराध बनना पाये जाने पर अंतिम रिपोर्ट दिनांक 12.3.2015 को प्रस्तुत किया जाना कहा है।

इस प्रकार बन्दी हरकरणसिंह के विरूद्ध अब्दुल सत्तार द्वार दर्ज करवाये गये प्रकरण म. अंन्तिम रिपोर्ट दे दिये जाने पर। परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 28.4.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(520)लोआस/2014

परिवादी श्री अनिल शेखावत, मैनेजिंग ट्रस्टी, निवासी बी-53, यश पथ, तिलक नगर, जयपुर द्वारा दिनांक 2.12.2014 को प्रेषित परिवाद म. पुलिस थाना बनीपार्क जयपुर पर दर्ज प्रकरण संख्या 239/2013 मे एफ.एस.एल रिपोर्ट म. रसीद फर्जी साबित होना पाये जाने पर व मुलजिमा. का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज होने के बाद भी, पुलिस द्वारा मुलजिमा. के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये हैं।

परिवादी के आरोपा. के बारे म. पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम द्वारा प्रेषित रिपोर्ट म. प्रकरण म. अनुसंधान के बाद मुलजिम रामगोपाल बूसर, श्रवण कुमार, रामलाल, व शौकत खान के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, भा.द.सं., का अपराध बनना पाये जाने पर मुलजिम श्रवण कुमार व रामलाल को गिरफ्तार कर व अन्य दो मुलजिमा. को फरार घोषित कर दिनांक 20.8.2015 को न्यायालय म. चार्जशीट पेश किया जाना अंकित किया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण म. मुलजिमा. के विरूद्ध चार्जशीट पेश कर दिये जाने के आधार पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 2.12.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(593)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती कुसुमलता शर्मा निवासी सीकर रोड़, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर द्वारा प्रेषित परिवाद म. दिनांक 1.12.2014 को एस.डी.एम. कार्यालय, सीकर के सामने श्री जोगेन्द्र द्वारा मारपीट कर कपडे फाड़ देने की शिकायत की है। इससे पहले भी व उसके साथ मारपीट करने व

आरोप-पत्र पेश हो जाने पर भी जोगेन्द्र के विरूद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है।

परिवादी के आरोपा. के बारे म. पुलिस अधीक्षक, सीकर से रिपोर्ट प्राप्त करने पर परिवादी के प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 627/2014 पुलिस थाना, कोतवाली सीकर म. अनुसंधान के बाद जोगेन्द्र के विरूद्ध धारा 323, 341, भा.द.सं, का अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 29.12.2014 को आरोप पत्र प्रस्तुत पेश किया जाना कहा है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 6.4.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(604)लोआस/2014

श्रीमती सुमन शर्मा निवासी एच-31 गोविन्दपुरी, नन्दपुरी, सोडाला जयपुर द्वारा दिनांक 19.1.2015 को प्रेषित परिवाद म. पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 528/2014 म. अनुसंधान अधिकारी श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा सहायक पुलिस आयुक्त शास्त्री नगर, जयपुर द्वारा आरोपी का पक्ष लेते हुये उसे अपमानित कर पद के दुरूपयोग करने के आरोप लगाये हैं।

सचिवालय द्वारा इस बारे म. पुलिस आयुक्त, जयपुर व पुलिस उपायुक्त, उत्तर जयपुर से पत्राचार करने पर उनके द्वारा अनुसंधान अधिकारी बदले जाने के पश्चात् प्रेषित रिपोर्ट म. मुलजिम आदित्य श्रीवास्तव के विरूद्ध धारा 323, 341, 354, व 354ख भा.द.सं., का अपराध साबित होना पाया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर दिनांक 22.3.2016 को प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.3(19)लोआस/2015

अज्ञात कार्यकर्ता भारतीय युवा जनता पार्टी गांव दूनी, जिला टाक्र द्वारा प्रेषित परिवाद म. परिवहन विभाग टाक्र कार्यालय से धारासिंह द्वारा लाईट मोटर वाहन का अनुज्ञा पत्र बनवा लेने के बाद आठवीं कक्षा की फर्जी टी.सी. पेश कर भारी वाहन का अनुज्ञा पत्र दिनांक 19.1.2015 को जारी करवा लेने पर इसे निरस्त करने की मांग की है।

इस बारे म. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, टाक्र से रिपोर्ट प्राप्त करने पर धारासिंह मीणा द्वारा फर्जी टी.सी. के आधार पर परिवहन यान का लाईसेन्स बनवा लिये जाने पर उसे रद्द कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना सदर, टाक्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 117/2015 दर्ज करवाया जाना बतलाया है।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही पर श्री धारासिंह द्वारा फर्जी टी.सी. के आधार पर परिवहन यान का अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर लेने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, टाक्र द्वारा जांच के उपरान्त उक्त अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा देने के बाद अब पत्रावली म. कोई कार्यवाही शेष नहीं है। इस परिस्थिति को देखते हुये प्रकरण दिनांक 24.9.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(22)लोआस/2015

परिवादी श्री हक्का पुत्र श्री कारूजी निवासी चाचाखेड़ी पुलिस थाना, अरनोद जिला प्रतापगढ़ ने उसके साथ बाबूलाल व दशरथ द्वारा मारपीट किये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2011 पुलिस थाना, अरनोद म. दर्ज करवाई गई पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने व

अभियुक्तगणा. द्वारा केस वापिस लेने की धमकी देने के आरोप लगाये हैं।

इस बारे म. पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ से रिपोर्ट प्राप्त करने पर उनके द्वारा अवगत करवाया गया है कि परिवादी के प्रकरण म. अनुसंधान के बाद अभियुक्त बाबूलाल व दशरथ के विरूद्ध धारा 323, 325, 341, 34, भा.द.सं., का अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 31.3.2015 को आरोप पत्र न्यायालय म. प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दोना. आरोपिया. को धारा 107, 151, द.प्र.सं. म. गिरफ्तार कर शान्ति बनाये रखने हेतु पाबन्द करवा दिया गया है।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 18.11.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(140)लोआस/2015

श्री केसरीमल निवासी सोनगर का खेड़ा, पुलिस थाना-बेगूं, जिला चित्तौडगढ़ द्वारा प्रेषित परिवाद म. उसके पिता की हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध म. दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 30/2015 पुलिस थाना बेगूं म. अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिमा. को गिरफ्तार नहीं करने व राजीनामा करने के लिये धमकाने के आरोप लगाये है।

परिवादी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र पेश नहीं करने पर परिवाद को नस्तीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, चित्तौडगढ़ को परिवाद की प्रति भिजवाये जाने पर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में मुलजिम चैनसिंह के विरूद्ध धारा 302, 323, 341, भा.द.सं. का अपराध बनना पाये जाने पर उसे दिनांक 10.9.2015 को गिरफ्तार कर लिया जाना बतलाया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर दिनांक 26.10.2015 को उक्त रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया है।

एफ.3(197)लोआस/2015

श्रीमती जशोदा शर्मा, निवासी सीतारामपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टाक्र द्वारा प्रेषित परिवाद म. उसके द्वारा पुलिस थाना डिग्गी म. दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 146/2015 म. पुलिस द्वारा मुलजिमा. को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगाये हैं।

परिवादी के आरोपा. के बारे म. पुलिस अधीक्षक, टाक्र से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट म. मुलजिम रामकिशन के विरूद्ध धारा 376 भा.द.सं. 67ए आई.टी.एक्ट व 4/6 महिला अशिष्ट रूपण अधिनियम के अपराध बनना पाये जाने पर उसे गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश किया जाना कहा है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादियां को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 14.3.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(250)लोआस/2015

श्रीमती पुष्पा चतुर्वेदी निवासी आर्दश नगर, अजमेर द्वारा दिनांक 6.8.2015 को प्रेषित परिवाद म. भू-माफिया श्री महेश अग्रवाल द्वारा उसके विरूद्ध झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 155/2015 पुलिस थाना आर्दश नगर, पर दर्ज करवाने पर थानाधिकारी, श्री लक्ष्मणराम चौधरी द्वारा उसे परेशान

किये जाने एवं उसके द्वारा दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. संख्या 160/2015 म. कार्यवाही नहीं किये जाने के आरोप लगाये है।

इन आरोपा. के बारे म. पुलिस अधीक्षक, अजमेर से रिपोर्ट प्राप्त करने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट म. परिवादी व आरोपी श्री मेहन्द्र अग्रवाल के बीच किराये दार- मकान मालिक का सम्बन्ध होने व इस बारे म. दीवानी न्यायालय म. बाद लम्बित होना पाये जाने पर दोना. ही प्रकरणा. म. अंतिम रिपोर्ट दिया जाना कहा है।

इस प्रकार परिवादी के विरूद्ध दर्ज करवाये गये प्रकरण म. अंतिम रिपोर्ट दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 9.11.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(299)लोआस/2015

श्री छबीलचन्द, निवासी जयपुरिया खालसा, तहसील राजगढ़, जिला चूरू द्वारा प्रेषित परिवाद म. उसकी पुत्री के साथ राजेन्द्र द्वारा किये गये अपराध के बारे म. दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. संख्या 233/2015 पुलिस थाना राजगढ़ म. अनुसंधान अधिकारी, वृत्ताधिकारी वृत्त एस.सी./एस. टी सैल की मुलजिम से मिली-भगत होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगाये है।

इन आरोपा. के बारे म. पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट म. मुलजिम राजेन्द्र के विरूद्ध धारा 457, 354, 363,भा.द.सं. धारा 3 एस.सी./एस.टी एक्ट एवं धारा 8 लैंगिक अपराधा. से बालका. का संरक्षण अधिनियम के अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 19.8.2015 न्यायालय म. चार्जशीट पेश करना अंकित किया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी के प्रकरण म. मुलजिम को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश कर दिये जाने पर

उसे वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 16.10.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(345)लोआस/2015

श्री गोपाल बैरवा, निवासी पिपरोली, तहसील टाटोटी, जिला अजमेर द्वारा प्रेषित परिवाद म. उसकी कृषि भूमि पर तत्कालीन सरपंच श्री गोपालसिंह द्वारा जबरन कब्जा कर लिये जाने के सम्बन्ध म. पुलिस थाना भिनाय पर एफ.आई.आर. संख्या 182/2015 दर्ज करवाने पर पुलिस द्वारा मुलजिम से मोटी रकम प्राप्त कर उसके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये हैं।

परिवादी के इन आरोपो. के बारे म. पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट मे. परिवादी के प्रकरण म. अनुसंधान के बाद मुलजिम धनसिंह व मोनू के विरूद्ध धारा 452, 323, भा.द.सं., का अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट दिनांक 5.3.2016 को पेश कर दिया जाना बतलाया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर दिनांक 29.3.2016 को प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(435)लोआस/2015

श्री भवरलाल मेघवाल, निवासी-ग्यासपुर, पुलिस थाना देवगढ जिला प्रताप गढ द्वारा प्रेषित परिवाद मं. उसकी बहिन जमना के पति पिन्टू द्वारा उसके शरीर पर केरोसीन का तेल डालकर जला देने से उसकी मृत्यु उदयपुर चिकित्सालय म. हो जाने पर इस बारे म. पुलिस थाना पारसोला पर दर्ज करवाई गई रिपोर्ट म. थानाधिकारी द्वारा मुलजिम से मिलकर हत्या का

मुकदमा दर्ज नहीं कर, आत्म हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेने के आरोप लगाये हैं।

परिवादी के आरोपा. के बारे म. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ से सचिवालय द्वारा पत्राचार करने पर अनुसंधान अधिकारी वृत्ताधिकारी वृत्त धरियावास द्वारा मुलजिम पिन्टू के विरूद्ध धारा 304बी भा.द.सं., का अपराध साबित मानते हुये दिनांक 7.7.2015 को चार्जशीट पेश किया जाना बतलाया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को उसके प्रकरण म. मुलजिम के विरूद्ध धारा 304बी भा.द.सं., म. चार्जशीट पेश कर दिये जाने पर वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 24.11.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.4(29)लोआस/2014

परिवादी श्री कृष्ण कुमार सक्सेना पुत्र स्व. श्री महादेव प्रसाद सक्सेना, निवासी 6-ई-3, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा द्वारा चित्रगुप्त हथकर्धा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. के अध्यक्ष की हैसियत से प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. जयपुर के विरूद्ध 9,53,266/- रूपये का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत की गई है।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्र के क्रम म. इस संदर्भ म. प्रबंध संचालक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 13.2.15 से अवगत करवाया गया कि बुनकर संघ के प्रतिनिधि व परिवादी समिति अध्यक्ष के मध्य समस्त रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात् 8,88,559/-रूपए की राशि हेतु सहमति पत्र दिनांक 13.2.15 के मुताबिक चरणबद्ध रूप से भुगतान किए जाने पर सहमति हुई है। इस

सहमति पत्र के अनुसार बुनकर संघ द्वारा परिवादी समिति को फरवरी-मार्च, 2015 म. 113665/-, अप्रैल-मई, 2015 म. 136351/-, जून-जुलाई, 2015 म. 137591/-, अगस्त-सितम्बर-अक्टूबर, 2015 म. 231259/- तथा नवम्बर-दिसम्बर, 2015 म. 269693/- रूपए का भुगतान किये जाने की सहमति बनी।

इस क्रम म. परिवादी समिति को उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने हेतु पत्र दिनांक 17.3.15 लिखे जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। फलस्वरूप परिवादी समिति को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाने की अवधारणा कर इस प्रकरण को दिनांक 15.4.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(103)लोआस/2011

परिवादिया श्रीमती अनुसूइया शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट सपोटरा, जिला करौली ने दिनांक 6.2.2012 को इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया था कि उसके पति श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, झालरापाटन, जिला झालावाड़ का दिनांक 21.8.2007 को स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त भी उसे देय पारिवारिक पश्न, ग्रेच्युटी एवं बकाया वेतन आदि का भुगतान शिक्षा विभाग के अधिकारिया. के द्वारा नहीं किया जा रहा है।

इस संदर्भ म. शिक्षा विभाग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.7.2013 पर परिवादिया द्वारा आपत्तियां दर्ज कराई गई। आपत्तिया. के उपरान्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 5.6.2015 से प्रकरण की पूर्ण विषयवस्तु का उल्लेख करते हुए अवगत करवाया कि परिवादिया के पति स्व. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के विरूद्ध गबन की मूल एवं ब्याज सहित कुल राशि 8,66,270 रूपए बनती थी। परिवादिया से

9,07,945 रूपए वसूल कर लिए जाने के कारण, अधिक वसूल की गई राशि 41,645 पुनः उसके बैंक खाते म. दिनांक 8.10.2014 को जमा करवा दी गई। जी.पी.एफ. की राशि 2,37,338 रूपये राज्य बीमा राशि 4,31,729 रूपए तथा अंतिम राज्य बीमा राशि 19,062 रूपए के भुगतान भी किये जा चुके हैं और अब उसका कोई बकाया नहीं है।

परिवादिया द्वारा जो 9 लाख रूपए की वसूली की मांग कर रही है, वह राशि नियमानुसार विभाग द्वारा गबन के पेटे वसूल की गई है। इस पत्र म. परिवादिया का पारिवारिक संशोधित पश्नन प्रकरण भी विभाग स्तर पर दिनांक 18.11.14 को पश्नन विभाग, कोटा को भिजवा दिया गया है।

सहायक निदेशक, पश्नन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, कोटा द्वारा पत्र दिनांक 4.12.2014 द्वारा यह अवगत करवाया गया था कि श्रीमती अनुसुईया पत्नी स्व. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी की पारिवारिक पश्नन के संबंध म. पी.पी.ओ. संख्या 777359(आर) एस.एफ. एवं जी.पी.ओ. संख्या 811722 से 811727 जारी किए जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को देय समुचित अनुतोष विभाग स्तर पर प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 26.6.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(132)लोआस/2013

परिवादी श्री शिवचरण वर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, निवासी मुकाम फतेहपुर, पोस्ट टोडानगर वाया गढ़ी सवाईराम, जिला अलवर द्वारा फिक्सेशन, एसीपी तथा रिवाईज पश्नन प्रकरण का निस्तारण नहीं करने के संबंध म. शिक्षा विभाग के विरूद्ध शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 4.5.2015 से अवगत कराया है कि परिवादी का संशोधित वेतन नियतन, 30 वर्षीय एसीपी तथा वेतन पुनर्निर्धारण संबंधी अपेक्षित समस्त कार्यवाही सम्पादित कर दी गई है और रिवाइज्ड पशन प्रकरण तैयार कर पशन विभाग, जयपुर को भिजवाया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त निदेशालय, पशन एवं पशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा भी पत्र दिनांक 22.5.2015 से यह अवगत कराया कि परिवादी के पशन प्रकरण का निस्तारण कर संशोधित आर.पी.पी.ओ., आर.सी.पी.ओ. आदि जारी किये जा चुके हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए, इस प्रकरण को दिनांक 1.6.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(7)लोआस/2014

परिवादी श्री तुलसी राम शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा, सेवानिवृत्त व्याख्याता, निवासी कुंज गली, बरसाना, मथुरा (उत्तरप्रदेश) द्वारा यह परिवाद सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त भी शिक्षा विभाग द्वारा उसके वेतन निर्धारण संबंधी प्रकरण का निस्तारण नहीं किए जाने के संबंध म. पेश किया गया है।

इस सचिवालय स्तर पर हस्तक्षेप के पश्चात् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 5.8.2015 से अवगत कराया गया कि परिवादी का ए.सी.पी. से संबंधित प्रकरण म. दिनांक 15.9.2014 आदेश किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त संशोधित पशन प्रकरण भी पशन निदेशालय, जयपुर को भिजवाया जा चुका है। इस क्रम म. परिवादी द्वारा

प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2015 प्रेषित कर उसके प्रकरण का निस्तारण हो जाने पर इस सचिवालय का आभार भी व्यक्त किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 1.12.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(154)लोआस/2014

परिवादी श्री मालीराम बुनकर, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, निवासी ग्राम पोस्ट रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा दिनांक 7.1.2015 को इस आशय की शिकायत की गई थी कि सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त भी उसके बकाया मेडिकल बिला. की राशि 52,212 रूपए का भुगतान नहीं किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय, जयपुर ने पत्र दिनांक 2.9.2015 द्वारा अवगत कराया है कि परिवादी के बकाया चिकित्सा बिल की राशि 52,213 रूपए उनके संबंधित खाता संख्या 51068368308 म. जमा कराए जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 11.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(183)लोआस/2014

परिवादी श्री कन्हैयालाल टेलर, निवासी गांव बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 17.3.2015 को बोर्ड परीक्षा, 2014 की उत्तर

पुस्तिकाआ. की जाँच के पेटे देय भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के विरूद्ध शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ने पत्र दिनांक 15.5.2015 से अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा उत्तर पुस्तिकाआ. का मूल्यांकन किए जाने पर राशि 6956 रूपए का भुगतान दिनांक 06.05.2015 को उसके बैंक खाता एसबीबीजे 51043038446 IFSC code SBBJ 0010204 म. स्थानान्तरित किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए, इस प्रकरण को दिनांक 17.7.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(23)लोआस/2015

परिवादी श्री रामजीलाल शर्मा सेवानिवृत्त कनिष्ठ लिपिक, निवासी मुकाम पोस्ट दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारिया. के विरूद्ध सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त भी उसे 9,18,27 का चयनित वेतनमान, ग्रेच्यूटी व संशोधित पशन का लाभ नहीं दिए जाने के संबंध म. शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्र के क्रम म. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 19.11.2015 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी के बकाया बोनस, एसीपी, उपार्जित अवकाश की राशि 4,59,527 रूपए उसके खाते म. जमा कराई जा चुकी है तथा वेतन निर्धारण कर संशोधित पशन प्रकरण स्वीकृति हेतु निदेशक, पशन विभाग, जयपुर को भी भिजवाया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए, इस प्रकरण को दिनांक 17.2.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(36)लोआस/2015

परिवादी श्री रोहिताश्व यादव, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, निवासी ग्राम पोस्ट बीलाहेड़ी वाया तहसील कोटकासिम, जिला अलवर द्वारा चिकित्सा पुनर्भरण व यात्रा भत्ते की राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत की गई थी।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, अलवर द्वारा पत्र दिनांक 11.1.2016 से अवगत करवाया गया है कि परिवादी श्री रोहिताश्व यादव को यात्रा व्यय के 1465 तथा चिकित्सा व्यय की 382 रूपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 27.1.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(68)लोआस/2015

परिवादिया रिहांशी मेहरा पुत्री श्री अशोक मेहरा, निवासी 101, साबरमती कॉलोनी, कोटा द्वारा शिक्षा विभाग के विरूद्ध मृतक आश्रित होने के कारण उसे अनुकम्पात्मक राजकीय नौकरी नहीं देने के संबंध म. शिकायत की गई है।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्र के क्रम म. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, बून्दी ने पत्र दिनांक 18.1.2016 से अगवत करवाया कि मृतक राज्य कर्मचारी स्वर्गीय श्रीमती मंजू मेहरा, अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बुधपुरा, बून्दी की आश्रित पुत्री सुश्री रिहांशी मेहरा का अनुकम्पात्मक नियुक्ति आदेश दिनांक 13.1.2016 सचिव, जिला स्थापना समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी द्वारा जारी कर दिया गया है। इस आदेश क्रमांक:जिपबू/स्थापना/अनु.नियु./2015 दिनांक 13.1.2016 के अनुसार परिवादिया सुश्री रिहांश मेहरा को लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर पंचायत समिति, तालेड़ा, जिला बून्दी म. पदस्थापन किया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 17.2.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.6(26)लोआस/2014

परिवादी श्री साँवरलाल पुत्र श्री दीनदयाल, निवासी मुकाम पोस्ट शम्भूगढ़, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ने दिनांक 26.3.2015 को यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह द्वितीय वर्ष बी.एस.टी.सी. म. डाइट शाहपुरा म. अध्ययनरत है। उसने प्रथम वर्ष के सत्र म. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर म. 9357/- रूपए जरिए चालान जमा कराए थे। अनुसूचित जाति के छात्र से अधिक ली गई फीस पुनः लौटाए जाने के सम्बन्ध म. राज्य सरकार के आदेश/निर्देश हैं। इस संबंध म. विश्वविद्यालय व डाइट संस्थान से कई बार निवेदन किए जाने के उपरान्त भी उससे अधिक ली गई फीस की राशि नहीं लौटाई जा रही है।

इस संदर्भ म. अतिरिक्त निदेशक(अजा/जजा कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 25.6.2015 व प्रलेख

दिनांक 12.5.2015 के अनुसार परिवादी श्री सांवर लाल को दिनांक 12.5.2015 को जरिए चैक प्रश्नगत राशि 8857/- रूपये लौटा दी गई है। इस अनुक्रम म. पत्र दिनांक 14.7.15 लिखे जाने के उपरान्त भी परिवादी ने कोई आपत्ति पत्र पेश नहीं किया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 13.8.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(7)लोआस/2014

परिवादी श्री नेमीचन्द पुत्र श्री रतनलाल मीना, निवासी ग्राम खिरखिरा, तहसील व जिला करौली ने जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा श्री मुंशीलाल मीना की फर्जी टी.सी. व अंक तालिका होने के बावजूद भी उसे राशन सामग्री वितरण हेतु प्राधिकार पत्र दिए जाने के संबंध म. शिकायत की थी।

इस संबंध म. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 17.3.2015 द्वारा अवगत कराया कि फर्जी अंक तालिका व टी.सी. के आधार पर श्री मुंशीलाल मीणा द्वारा उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र प्राप्त किए जाने के कारण जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा आदेश दिनांक 2.3.2015 द्वारा उसका उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम काशीपुरा हेतु जारी प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए, इस प्रकरण को दिनांक 24.4.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(48)लोआस/2014

परिवादी श्री विजय सिंह, पार्षद, वार्ड नं. 24, नगर पालिका डीग, जिला भरपतुर ने दिनांक 26.2.15 व 7.4.2015 को राशन डीलरा. द्वारा राशन सामग्री वितरण म. की जा रही कालाबाजारी/अनियमितताआ. को लेकर एस.डी.एम. आदि अधिकारिया. को शिकायत किए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने के संदर्भ म. परिवाद पेश किया है।

इस संदर्भ म. जिला रसद अधिकारी(द्वितीय), भरतपुर द्वारा पत्र दिनांक 11.1.2016 से अवगत करवाया गया कि श्री नारायण सिंह व श्री जितेन्द्र सिंह, उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर, उनकी जमाशुदा प्रतिभूति राशि 1000 रूपए जप्त सरकार की गई। श्री पदम जैन, उचित मूल्य दुकानदार की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000 रूपए जप्त सरकार की जाकर, उन्ह. भविष्य म. अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी गई। इनके अलावा श्री हरीश जैन, उचित मूल्य दुकानदार की जमाशुदा प्रतिभूति राशि 1000 रूपए जप्त सरकार की जाकर, उसका प्राधिकार पत्र भी निरस्त कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप उक्त उचित मूल्य दुकानदारा. के विरूद्ध समुचित कार्यवाही कर दण्डित किये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान कर दिया जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 30.3.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(12)लोआस/2015

इस प्रकरण म. ग्राम पंचायत भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के ग्रामीणा. द्वारा राशन डीलर के विरूद्ध अनियमितता व दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध म. शिकायत की गई थी।

उक्त प्रकरण म. जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा पत्र क्रमांकः प. सतर्कता/लोआस/15/2628 दिनांक 30.7.2015 से अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत राशन डीलर की दुकान का रिकॉर्ड से भौतिक सत्यापन पर 60 लीटर केरोसीन स्टॉक म. कम पाए जाने के कारण 500 रूपए की राशि प्रतिभूति म. से जप्त करते हुए दंडित किया जा चुका है। साथ ही उपभोक्ताआ. के साथ भविष्य म. सद्व्यवहार करने हेतु भी राशन डीलर को पाबन्द किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए, इस प्रकरण को दिनांक 28.8.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(35)लोआस/2013

परिवादी श्री प्रभुलाल बैरवा पुत्र श्री रामपाल निवासी धन्ना तलाई, जमादार का कुआ, वार्ड नं.23, टाक्र द्वारा यह परिवाद दिनांक 23.07.2013 को कार्मिक विभाग द्वारा मनमाने तरीके से आदेश दिनांक 29.08.2008 म. संशोधन कर संविदा कर्मिया. को 1200/- रू. प्रति माह का नुकसान पहुँचाने के संदर्भ म. पेश किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 30.07.2013 के सन्दर्भ म. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 22.05.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 28.8.2009 के अनुसार बकाया मानदेय के एरियर 16800/- रूपये पूर्व म. स्वीकृत कर मानदेय राशि 720/-रूपये का समायोजन करते हुए दिनांक 22.7.2009 से 12.9.10 तक मानदेय के एरियर की अन्तर राशि 1200/- रूपये प्रतिमाह की दर से भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 08.07.2011 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.8(30)लोआस/2014

परिवादी श्री सुशील कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक निवासी 314 शान्तिकुंज, अलवर द्वारा यह परिवाद दिनांक 12.07.2014 को बोनस राशि के भुगतान के सम्बन्ध म. लेखाधिकारी द्वारा सुविधा शुल्क मांगने के संदर्भ म. पेश किया गया है।

इस सचिवालय को परिवाद के संदर्भ म. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज., जयपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.11.2014 द्वारा अवगत करवाया गया कि बजट के अभाव में परिवादी का बोनस का बिल नहीं बनाया जा सका था, अब बजट आने पर दिनांक 22.08.2014 को बिल पारित करवा कर परिवादी के खाते म. राशि जमा करवा दी गई है।

इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 08.04.2015 को नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.8(32)लोआस/2014

परिवादी श्री फूलचन्द शर्मा पुत्र श्री सूरज प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कुण्ड मोहल्ला, कस्बा राजगढ़ तह. राजगढ़ जिला, अलवर द्वारा यह परिवाद दिनांक 12.07.2014 को अपने पुत्र का 13 माह का वेतन रोके जाने के संदर्भ म. पेश किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को प्रेषित पत्र दिनांक 05.08.2014 के सन्दर्भ म. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 10.08.2015 के अनुसार परिवादी के पुत्र के बकाया वेतन एवं एरियर का समस्त भुगतान कर दिया गया है तथा अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र, सेवा अभिलेख, आई.डी. इत्यादि प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर को भिजवा दी गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 29.09.2015 नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.8(47)लोआस/2014

परिवादी डॉ. श्रीराम सेन, रिटायर्ड वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी निवासी 13/108 मालवीय नगर, जयपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 19.08.2014 को सेवानिवृत्ति के 6 माह पश्चात् भी पेन्शन एवं अन्य भुगतान नहीं दिये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज., जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 14.11.2014 के सन्दर्भ म. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, करौली के पत्र दिनांक 23.01.2011 के अनुसार परिवादी का पेन्शन प्रकरण संयुक्त निदेशक, पेन्शन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर के आदेश दिनांक 22.10.2014 द्वारा निस्तारित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 26.06.2011 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.8(56)लोआस/2014

परिवादी डॉ. ओम राजपाल सेवानिवृत्त होम्योपैथिक डाक्टर, करौली रोड़, सुबुद्दी गूजर के सामने, सालोदा मोड़, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 15.09.2014 को 10,20,30 वर्ष का फिक्सेशन वर्ष 2011 म. होने के बाद सर्विस बुक पशन विभाग को भिजवाये जाने हेतु पेश किया गया है ।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 13.11.2014 प्रेषित किया गया, जिसके सन्दर्भ म. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर ने अपने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 2.12.14 द्वारा अवगत करवाया कि डॉ. ओम राजपाल की संशोधित पेन्शन स्वीकृति हेतु प्रकरण पेन्शन विभाग, अजमेर को कार्यालय के पत्र दिनांक 10.10.2011 को भिजवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 27.4.2011 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.8(77)लोआस/2014

परिवादी श्री जगमोहन रैगर पुत्र श्री प्रेमचन्द वर्मा निवासी ग्राम पोस्ट बलदेवगढ़, तहसील राजगढ़, जिला अलवर द्वारा यह परिवाद दिनांक 20.10.2014 को अपने पिता श्री प्रेमचन्द वर्मा को बकाया चयनित वेतनमान, फिक्सेशन, अवकाश आदि के भुगतान के संदर्भ मे. पेश किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को प्रेषित पत्र दिनांक

17.12.2014 के सन्दर्भ म. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 13.05.2015 के अनुसार परिवादी श्री जगमोहन के पिता श्री प्रेमचन्द को चयनित वेतनमान के बकाया व वेतन स्थिरीकरण प्रकरण का निस्तारण किया जाकर समस्त एरियर का भुगतान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 28.09.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.8(112)लोआस/2014

परिवादी श्री शहजान लतीफ निवासी 8867, नया मोहल्ला, आजाद मार्किट, दिल्ली द्वारा यह परिवाद मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर को संबोधित कर उसकी प्रति सचिवालय को भिजवाते हुए मैसर्स स्मिथ एण्ड केनर फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि. हैदराबाद को विभिन्न दवाईया. के टेण्डर स्वीकृत किये जाने के संबंध म. आपत्ति के संदर्भ म. दिनांक 18 मार्च, 2015 को पेश किया गया।

यह परिवाद शपथ पत्र के अभाव म. दिनांक 15.05.15 को नस्तीबद्ध किया जाकर परिवाद की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख शासन सचिव, मेडिकल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित की थी, जिसके सन्दर्भ म. प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी. जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 6.10.15 के द्वारा अवगत कराया कि शिकायत की जांच कर उक्त फर्म का लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.09.15 को फर्म की परफोर्मेंस सिक्युरिटी राशि रूपये 38,52,508/- जब्त कर उसे दो वर्ष की अवधि के लिये डिबार्ड कर दिया गया है।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 29.10.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(33)लोआस/2014

परिवादी श्री भगतराम मीणा पुत्र श्री कन्हैयालाल मीणा, निवासी ग्राम हुण्डिया खेड़ा, तहसील केशवराय पाटन, जिला बूंदी द्वारा यह परिवाद दिनांक 12.12.2014 को सम्पर्क सड़क कापरेन रोटेदा रोज 2-500 से डीकोली नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क का कार्य चालू करने के पश्चात् डेढ़ वर्ष तक बिना किसी कारण के रोकने के संबंध म. संवेदक के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु इस सचिवालय म. प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 12.01.15 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर मुख्य अभियन्ता (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा अपने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 11.03.2016 द्वारा अवगत करवाया गया कि इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर सम्पादित नहीं किये जाने के बाबत अनुबन्ध की शर्ता. के तहत डब्ल्यू.एम.एम. के क्षतिग्रस्त होने की राशि की वसूली संवेदक से किये जाने एवं अधूरे कार्य को पूरा करवाने के संबंध म. कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

यह कार्य समयसाध्य होने के कारण प्रकरण को इस प्रक्रम पर नस्तीबद्ध करते हुए मुख्य अभियन्ता (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से उक्त कार्य की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मंगाई जा रही है।

एफ.10(23)लोआस/2013

समाचार पत्र नेशनल दुनिया के दिनांक 26.8.13 के अंक म. "बिल्डर पर विद्युत विभाग की कृपा, 70 लाख हर्जाना माफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर दिनांक 2.9.13 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर जयपुर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगाया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निरन्तर कार्यवाही करते हुए अधिशाषी अभियन्ता (सतर्कता) की सतर्कता जांच प्रतिवेदन के अनुसार विद्युत भार की कुल राशि उपभोक्ता मैसर्स अंसल प्रोपर्टी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड रिलीफ को दिये गये अनुचित रिलीफ की कुल राशि 5,02,187/-रूपये तत्समय प्रचलित दर से वसूल की गई।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् मैसर्स अंसल प्रोपर्टी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वीकृत विद्युत भार से अधिक विद्युत भार उपभोग की राशि 5,02,187/-रूपये निगम हित म. वसूल कर लिये जाने के उपरान्त यह परिवाद दिनांक 16.9.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(15)लोआस/2014

परिवादी श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री राम सहाय जाति महाजन निवासी करौली द्वारा यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा मनमाने बिल जारी करने, अवैध वसूली करने व औसत बिल जारी करने के संदर्भ म. दिनांक 19 मई, 2014 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 28.5.14 प्रेषित किया गया। सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ संलग्न अधीक्षण अभियन्ता (पवस) की रिपोर्ट के अनुसार औसत आधार पर चार विद्युत बिला. म. से 36 यूनिट के 446/- की अधिक राशि चार्ज की गई थी। इस राशि का समायोजन दिनांक 14.7.14 को परिवादी के खाते म. क्रेडिट कर दिये जाने के पश्चात् नये मीटर के अनुसार बिल जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार सचिवालय के स्तर पर कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 9 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 08.01.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(28)लोआस/2014

परिवादी श्री नाहर सिंह पुत्र श्री सोहन लाल, वीपीओ हतीसर, तहसील वैर, भरतपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 5 जून 2014 को विद्युत निगम अधिकारिया. द्वारा मिलीभगत से लाखा. रूपये की विद्युत चोरी करवाने एवं दोषिया. के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 22.8.14 प्रेषित किया गया। सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार श्री करणसिंह, ग्राम हतीसर के परिसर की जांच दिनांक 19.10.2014 को की गई तथा मीटर डिस्प्ले म. खराब पाया गया। आरोपी श्री करणसिंह द्वारा जुर्माना राशि 36,660/-रूपये दिनांक 05.06.2008 को जमा करवा दी गई

थी। दिनांक 25.8.2010 को जो वी.सी.आर. भरी गई थी जिसके अनुसार उपभोक्ता के खाते म. 9542/-रूपये डेबिट करा दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 11 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 1.5.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(31)लोआस/2014

परिवादी श्री बद्रीप्रसाद बैरवा पुत्र श्री श्योबक्श बैरवा, निवासी अरावली हिल, संत सुन्दरदास स्मारक के पीछे, जिला दौसा द्वारा यह परिवाद दिनांक 27 जून, 2014 को विद्युत कनेक्शन लेने हेतु विद्युत विभाग, दौसा म. पत्रावली जमा करवाने और डिमाण्ड राशि 4950/- रूपये जरिए रसीद दिनांक 8.11.2011 को जमा कराने के बाद भी कनेक्शन नहीं देने का आरोप लगाते हुए अपने निवास पर विद्युत कनेक्शन लगवाने के सन्दर्भ म. पेश किया गया।

परिवादी की परिवेदना को देखते हुए परिवाद आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर को प्रेषित किया जाकर दिनांक 30.9.2014 को नस्तीबद्ध किया गया। इस सन्दर्भ म. विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 17.12.2014 के प्रत्युत्तर म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 24.2.2014 के अनुसार परिवादी के घरेलू कनेक्शन एससीओ नं. 19740/13 दिनांक 10.11.2014 सर्विस संख्या 47973 दिनांक 12.11.2014 को मीटर नं. 30724792 लगाकर विद्युत सप्लाई चालू कर दी गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 6 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध रखते हुए सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.,

जयपुर से प्राप्त उक्त पत्र को दिनांक 09.07.2015 को शामिल पत्रावली कर दिया गया है।

एफ.10(34)लोआस/2014

परिवादी श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री प्रभाती राम मीणा, निवासी ज्योतिनगर, एलआईसी के सामने, खान भांकरी रोड़, दौसा द्वारा दिनांक 27 जून, 2014 को अपने निवास पर विद्युत कनेक्शन लगवाने के सन्दर्भ म. पेश किया गया।

परिवादी की परिवेदना को देखते हुए परिवाद आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर को प्रेषित किया जाकर दिनांक 28.7.2014 को नस्तीबद्ध किया गया। प्रत्युत्तर म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त पत्र 24.2.2014 के अनुसार परिवादी के घरेलू कनेक्शन सर्विस नं. 2103210348776 एससीओ नं. 1457 दिनांक 13.8.14 को मीटर नं. 1630885 लगाकर विद्युत सप्लाई चालू कर दिया जाना अवगत करवाया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 3 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध रखते हुए सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त उक्त पत्र दिनांक 9.7.2015 को शामिल पत्रावली कर दिया गया है।

एफ.10(41)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती बीना देवी द्वारा यह परिवाद दिनांक 12 जुलाई, 2014 को सहायक अभियन्ता (पवस) ए-4 जयपुर विद्युत वितरण निगम लि,

काली मोरी, अलवर में विद्युत के ढीले तारा. को ठीक करने की एवज म. लाइनमैन द्वारा चाय पानी के नाम पर 300 रूपये मांगने का आरोप लगाते हुए ढीले तारा. को ठीक कराने के संदर्भ म. पेश किया गया।

परिवादिया द्वारा परिवाद के समर्थन म. सत्यापित शपथ पत्र प्रेषित नहीं करने की स्थिति म. दिनांक 28.10.2014 को परिवाद को नस्तीबद्ध किया गया तथा ढीले तारा. से दुर्घटना की संभावना के मद्देनजर तारा. को टाइट करने हेतु परिवाद की प्रति प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 17.12.2014 के साथ प्रेषित की गई। इस सम्बन्ध म. अधीक्षण अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार ढीले तारा. को टाइट कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग एक वर्ष म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 08.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(43)लोआस/2014

परिवादी श्री सुमेर सिंह पुत्र खुण्डाराम निवासी नासरपुरा तहसील बहरोड़, अलवर द्वारा यह परिवाद उसके खेत म. 11 हजार, 33 हजार के दो व 132 के.वी. की लाइन पहले से ही डाली हुई होने के कारण इसी खेत म. विद्युत विभाग द्वारा मनमर्जी से 132 के.वी. टावर से 40 मीटर की दूरी पर 9 गुणा 9 फीट का चौथा टावर नहीं लगाने के सन्दर्भ म. दिनांक 14 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु प्रमुख शासन सचिव, उर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 5.8.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने एवं परिवादी एवं विभाग के अधिकारिया. के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात लीलो लाईन के

टावर नम्बर 1, जो कि लीलो प्वाईंट से 40 मीटर की दूरी पर स्थित है, को सामान्य 132 के.वी. डबल सर्किट डी टाइप के स्थान पर 220 के. वी. डबल सर्किट नेरोबेस टावर सी टाईप लगा कर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को करीब दो साल म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 16.3.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(62)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती नन्दी देवी पत्नी श्री काशीराम निवासी राज कॉलोनी, हाथीखेड़ा रोड़, अजमेर द्वारा यह परिवाद दिनांक 28 अगस्त, 2014 को बिजली का बिल अत्यधिक आने एवं मीटर चेक कराने के संदर्भ म. पेश किया गया।

परिवादिया का परिवाद दिनांक 26.11.2014 को नस्तीबद्ध करते हुए परिवाद की प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई।

इस सन्दर्भ म. विभाग को लिखे गये पत्र दिनांक 17.12.2014 के सन्दर्भ म. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 24.2.2015 द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया द्वारा नियत तिथि के पश्चात् जमा करवाये गये बिल की पोस्टिंग आगामी बिल म. कर दी गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को लगभग 5 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण

प्रकरण को नस्तीबद्ध रखते हुए उक्त पत्र को दिनांक 8.7.2015 को शामिल पत्रावली कर दिया गया है।

एफ.10(66)लोआस/2014

परिवादी श्री तुलसीराम प्रजापति पुत्र श्री हीरा लाल निवासी मानोता कलां तहसील नगर जिला भरतपुर द्वारा दिनांक 11.9.2014 को जोडा के पास विद्युत सप्लाई ट्रांसफॉर्मर दिनांक 12.7.14 को जल जाने के कारण बन्द विद्युत आपूर्ति पुनः चालू करवाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 16.10.14 प्रेषित किया गया। सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री तुलसीराम प्रजापति/हीरालाल निवासी मानोता कला (नगर) की विद्युत सप्लाई अलग से तीन उपभोक्ताआ. के साथ 5 के.वी.ए. विद्युत ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर चालू कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 8 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 27.4.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(77)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी श्री दुर्गालाल वीपीओ ऊंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा ने दिनांक 15 सितम्बर 2014 को सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत कर उसके विद्युत कनेक्शन खाता सं.

1812-0322 के संबंध म. ग्रामीण सामान्य श्रेणी कृषि विद्युत बिल जारी कराने का अनुतोष चाहा है।

प्रकरण म. तथ्यात्म्क प्रतिवेदन हेतु प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 24.11.14 को प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने के पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता (योजना), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 6.7.15 के अनुसार परिवादिया को ग्रामीण फीडर से जोड़ने के लिये 33 केवी सब स्टेशन, ऊँचा का कार्य होने के बाद ऊँचा कृषि फीडर का कार्य माह जून म. पूरा कर दिया गया एवं परिवादिया को ग्रामीण फीडर से ब्लॉक आवर्स सप्लाई से जोड़ दिया गया। परिवादिया के बिल का टेरिफ कोड भी बदल दिया गया

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को लगभग 6 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 2.2.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(86)लोआस/2014

परिवादी श्री बजरंगलाल पुत्र श्री जगदीश जाति जाट, ग्रामपोस्ट गोठड़ा तहसील उनियारा जिला टाक्र द्वारा यह परिवाद दिनांक 26.09.2014 को विद्युत कनेक्शन जारी करने के संदर्भ म. पेश किया गया।

सचिवालय द्वारा इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 28.10.14 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद दिनांक 28.10.14 सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 12.08.2015 को परिवादी का विद्युत कनेक्शन जारी कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 5.11.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(98)लोआस/2014

परिवादी श्री रामपाल मीणा पुत्र श्री भोरया मीणा निवासी अजयपुरा पोस्ट चूड़ियावास जिला दौसा द्वारा यह परिवाद दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 को ट्रांसफार्मर जल जाने के पश्चात नया दिलवाये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

सचिवालय द्वारा परिवाद की प्रति पत्र दिनांक 17.12.14 के साथ प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए परिवाद दिनांक 5.11.2014 को नस्तीबद्ध किया गया। उक्त पत्र की पालना म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त पत्र 24.2.2014 के अनुसार परिवादी के जले हुए ट्रांसफार्मर को दिनांक 14.11.14 को 25 केवी के द्वारा बदलकर विद्युत सप्लाई चालू कर दी गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी वांछित अनुतोष सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर के पत्र दिनांक 8.7.2015 से प्राप्त होने पर परिवाद को नस्तीबद्ध रखते हुए उक्त पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

एफ.10(102)लोआस/2014

परिवादी श्री गजानन्द शर्मा पुत्र श्री सूरजमल निवासी ग्राम जसवन्तपुरा, पोस्ट बाड़िजे, तहसील शाहपुरा, जयपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 20

अक्टूबर 2014 को ग्राम बाठी जोड़ी जसवन्तपुरा, डाबर की ढाणी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर म. विद्युत चोरी होने व फलस्वरूप उनकी मोटर. जल जाने व कृषि से वंचित होने के संदर्भ म. पेश किया गया।

परिवादी की परिवेदना को देखते हुए परिवाद आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर को प्रेषित किया जाकर दिनांक 27.1.2015 को नस्तीबद्ध किया गया। इस सम्बन्ध म. विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 03.02.15 की पालना म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 23.03.2015 के अनुसार ग्राम बाठी जोड़ी, जसवन्तपुरा डाबर की ढाणी, तहसील शाहपुरा म. जांच के दौरान नवल किशोर व प्रभात पुत्र हरला एवं श्री भागीरथ की वीसीआर भरी जाकर अवैध तरीके से की जा रही बिजली चोरी को रूकवाया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण को नस्तीबद्ध रखते हुए सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त उक्त पत्र को दिनांक 3.7.2015 को शामिल पत्रावली किया गया।

एफ.10(105)लोआस/2014

परिवादी श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजी लाल निवासी वियाणिया. का जाव स्वामिया. की ढाणी, जयपुर रोड़, सीकर द्वारा यह परिवाद दिनांक 8 अक्टूबर 2014 को अपने निवास पर विद्युत कनेक्शन लेने के सन्दर्भ म. पेश किया गया।

परिवादी की परिवेदना को देखते हुए परिवाद आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर को प्रेषित किया

जाकर दिनांक 15.12.14 को नस्तीबद्ध किया गया। इस सन्दर्भ म. विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 17.12.2014 के प्रत्युत्तर म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त पत्र 20.2.2015 के अनुसार परिवादी के घरेलू कनेक्शन दिनांक 5.1.2015 को स्थापित किया जाकर विद्युत सप्लाई चालू कर दी गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण को नस्तीबद्ध रखते हुए सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त उक्त पत्र को दिनांक 1.7.2015 को शामिल पत्रावली किया गया।

एफ.10(108)लोआस/2014

परिवादी श्री मुकेश जायसवाल पुत्र स्व. श्री गणेश नारायण निवासी मं. नं. 3611, भूत के कुएं की गली, मोती सिंह भौमिया. का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 5 नवम्बर 2014 को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, हीदा की मोरी एवं लोकमित्र संचालक के विरूद्ध माह दिसम्बर 2013 का बिल जमा करवाने के बावजूद एक वर्ष तक बिल जमा नहीं करने के संदर्भ म. पेश किया गया।

परिवाद इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 19.1.15 प्रेषित करते हुए परिवाद दिनांक 9.1.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

इस पत्र की पालना म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 1.4.2015 के अनुसार परिवादी द्वारा

बिल की राशि जरिये रसीद दिनांक 16.12.13 को जमा करा दी गई थी परन्तु ई-मित्र कियोस्क द्वारा राशि 27.10.14 को जमा कराई गई। इस सम्बन्ध म. कियोस्क द्वारा की गई अनियमितता की जानकारी होते ही ई-मित्र कियोस्क को दिनांक 12.11.14 को बन्द करा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 2.7.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(109)लोआस/2014

परिवादी श्री सी.एम. वर्मा, अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर विचार मंच (समिति) कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा जिला कलक्टर, सीकर को प्रेषित शिकायत की प्रति दिनांक 12.11.2014 को इस सचिवालय को पृष्ठांकित की गई जिसके अनुसार परिवादी ने वियाणिया. का जाव, स्वामिया. की ढाणी, जयपुर रोड़, सीकर म. बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिये फरवरी 2014 म. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीकर म. आवेदन किया था। इसके बाद अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने का आरोप लगाते हुए जांच किये जाने व कनेक्शन दिलाये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

परिवादी की परिवेदना को देखते हुए परिवाद आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर को प्रेषित किया जाकर दिनांक 16.2.15 को नस्तीबद्ध किया गया। इस सन्दर्भ म. विभाग को प्रेषित पत्र के प्रत्युत्तर म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त पत्र 15.6.2015 के अनुसार परिवादी द्वारा विद्युत चोरी करना स्वीकार करने पर दिनांक 13.10.2014 को देय राशि

जमा करवाने के पश्चात् परिवादी का विद्युत कनेक्शन पुनः स्थापित (Restore) कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध रखते हुए सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त उक्त पत्र को दिनांक 1.7.2015 को शामिल पत्रावली किया गया।

एफ.10(115)लोआस/2014

परिवादी श्री भवानी सिंह पुत्र श्री कन्हैया लाल एवं श्री जयदयाल पुत्र घीसा राम जाति अहीर निवासी गोकुलपुरा द्वारा यह परिवाद दिनांक 24 नवम्बर 2014 को घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु डिमाण्ड राशि जमा कराने के उपरांत भी कनेक्शन नहीं दिये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 9.12.14 प्रेषित किया गया। सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20.1.15 के अनुसार परिवादी श्री भवानी सिंह पुत्र श्री कन्हैया लाल यादव (खाता संख्या 1502/715) एवं जयदयाल पुत्र घासीराम (खाता संख्या 1502/714) ग्राम गोकुलपुर, बहरोड़ का विद्युत कनेक्शन दिनांक 19.12.14 को स्थापित कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 27.4.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(117)लोआस/2014

परिवादी श्री रवि कश्यप पुत्र शिवचरण लाल जाति कहार निवासी खेड़िया रोड़, झण्डीवाली कोठी के पास, हिण्डोन सिटी, जिला करौली द्वारा यह परिवाद दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को उसके मकान के ऊपर से 33 के. वी. की लाइन कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम हिण्डोन शहर द्वारा नहीं हटाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को पत्र दिनांक 16.12.14 प्रेषित किया गया। सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 12.3.2015 के अनुसार परिवादी द्वारा की गई शिकायत के क्रम म. 33 के.वी. लाइन जो कि परिवादी के मकान के ऊपर से होकर निकल रही थी, को हटा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 11.5.205 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(119)लोआस/2014

परिवादी श्री रमेश चन्द्र पाटीदार द्वारा यह परिवाद दिनांक 28 नवम्बर 2014 को अधीक्षण अभियन्ता, डूंगरपुर व इनके अधीनस्था. से अमानत राशि 21,900/- दिलाये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद म. कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण परिवाद दिनांक 13.2.2015 को नस्तीबद्ध करते हुए परिवाद की प्रति इस सचिवालय के पत्र दिनांक 9.3.2015 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को प्रेषित की

गई जिसकी पालना म. अधीक्षण अभियन्ता (योजना) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 5.5.15 के अनुसार परिवादी की अमानत राशि रूपये 21,900/- रूपये चैक सं. 127885 दिनांक 13.1.15 द्वारा लौटा कर उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 1.7.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(121)लोआस/2014

परिवादी श्री रामेश्वर दयाल पुत्र श्री नारायण निवासी 220 के.वी.जी.एस. एस.एस.कॉलोनी, दौसा द्वारा यह परिवाद दिनांक 28 नवम्बर 2014 को स्वयं के दिनांक 30.11.11 को सेवानिवृत होने के पश्चात् 16.8.2014 तक पश्शन नहीं मिलने से व्यथित होकर पश्शन दिलाये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

सचिवालय द्वारा इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 20.2.15 प्रेषित किया गया। सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट म. परिवादी की पारिवारिक पेन्शन चालू कर दिया जाना तथा मासिक पेन्शन राशि 1822/- रूपये प्रतिमाह एवं बकाया पश्शन राशि दिनांक 27.9.2009 से 30.6.2015 तक का भुगतान परिवादी के खाते म. कर दिया जाना बताया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 17.9.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(123)लोआस/2014

परिवादी श्री मूलचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति हरियाणा ब्राह्मण ग्राम श्यामसिंहपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा द्वारा यह परिवाद दिनांक 5 दिसम्बर 2014 को विद्युत विभाग द्वारा घरेलू विद्युत कनेक्शन के तार नहीं लगाये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 16.12.14 के सन्दर्भ म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 4.6.15 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी का घरेलू कनेक्शन का मीटर पुलिस बल के सहयोग से दिनांक 7.5.15 को स्थापित कर विद्युत सप्लाई प्रारम्भ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 20.7.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(128)लोआस/2014

परिवादी श्री ऋषिन चौबीसा, 309, प्रतापनगर, डूंगरपुर द्वारा यह परिवाद प्रतापनगर के आवासीय घरा. के ऊपर से गुजर रही 33 के.वी. की हैवी लाइन को हटाने के संदर्भ म. दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को पेश किया गया।

प्रकरण म. तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 3.3.2015 को प्रेषित किया गया। इसके पश्चात निरन्तर कार्यवाही करने के पश्चात् विभागीय रिपोर्ट दिनांक 13.12.15 के अनुसार दिनांक 25.2.16 को

परिवादी के मकान के पास से गुजर रही 33 के.वी. विद्युत लाईन को हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 4 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 16.3.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(135)लोआस/2014

परिवादी श्री मुन्शी राम देवन्दा पुत्र श्री बोदूराम देवन्दा, निवासी गोविन्दपुरा बासड़ी, तहसील शाहपुरा, ढाणी पोखरनाड़ा, जयपुर द्वारा यह परिवाद विद्युत चोरी के झूठे आरोप से व्यथित होकर जांच करवाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 15 जनवरी 2015 को पेश किया गया। इसके साथ म. विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन नहीं देने तथा वीसीआर भरने के संबंध म. चौथूराम का प्रार्थना पत्र भी संलग्न किया गया।

परिवादी की परिवेदना को देखते हुए परिवाद आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिद्व, जयपुर को प्रेषित किया जाकर दिनांक 2.3.15 को नस्तीबद्ध किया गया। इस सम्बन्ध म. विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 11.3.15 की अनुपालना म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.5.15 के अनुसार परिवादी द्वारा देय राशि जमा करवाने के पश्चात कनेक्शन जारी कर दिया गया है। उपभोक्ता के दो वीसीआर भर दिये गये थे जिसम. से एक वीसीआर की राशि समझौता समिति के द्वारा दिनांक 27.04.2015 को समायोजित कर दी गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद को नस्तीबद्ध रखते हुए सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.,

जयपुर से प्राप्त पत्र को दिनांक 1.7.2015 को शामिल पत्रावली किया गया।

एफ.10(148)लोआस/2014

परिवादी श्री चतुर्भुज रैगर द्वारा यह परिवाद डिमाण्ड राशि जमा कराने के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं देने के संदर्भ म. दिनांक 11 फरवरी 2015 को पेश किया गया।

शपथ पत्र के अभाव म. परिवाद दिनांक 11.5.2015 को नस्तीबद्ध कर परिवाद की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 22.5.15 के द्वारा प्रेषित की गई। अधीक्षण अभियन्ता (योजना), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट 20.6.15 के अनुसार परिवादी व उसके भाइया. म. विवाद होने के कारण आवेदित स्थल पर भेजे गये कनिष्ठ अभियन्ता व ठेकेदार को कार्य नहीं करने दिया गया। उसके पश्चात कार्यालय से जारी रिवाइज कार्यादेश दिनांक 4.3.15 के द्वारा आवेदित स्थल पर घरेलू विद्युत कनेक्शन जोड़ दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 9 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्राप्त पत्र को शामिल पत्रावली किया गया।

एफ.10(156)लोआस/2014

परिवादी श्री रमेशचन्द सैनी एवं अन्य निवासी ग्राम पोस्ट लोखाड़ा डाणी बालाजी का बास, तहसील बसवा दौसा द्वारा यह परिवाद दिनांक

10 मार्च 2015 को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत घरेलू कनेक्शन प्राप्त करने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवादी की परिवेदना को देखते हुए परिवाद आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिद्द, जयपुर को प्रेषित किया जाकर दिनांक 22.5.2015 को नस्तीबद्ध किया गया। इस सम्बन्ध म. विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 2.6.15 की अनुपालना म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 19.10.15 के अनुसार परिवादी के यहां ट्रांसफार्मर लगाकर दिनांक 19.8.15 को घरेलु विद्युत कनेक्शन स्थापित कर चालू कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद को नस्तीबद्ध रखते हुए सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त पत्र को दिनांक 29.10.2015 को शामिल पत्रावली कर दिया गया है।

एफ.10(158)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती रकमा बाई मीणा पत्नी श्री मुनेश कुमार मीणा, निवासी मीना बड़ौदा, तहसील वजीरपुर, सवाईमाधोपुर द्वारा यह परिवाद ट्रांसफॉर्मर नहीं दिये जाने के संदर्भ म. दिनांक 16.3.15 को पेश किया गया।

शपथ पत्र के अभाव म. परिवाद दिनांक 21.5.2015 को नस्तीबद्ध कर परिवाद की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 25.5.15 प्रेषित की गई। परिवादिया से प्राप्त पत्र के अनुसार विभाग द्वारा

उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया व इसके लिये परिवादिया द्वारा लोकायुक्त का आभार भी व्यक्त किया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 21.5.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(161)लोआस/2014

परिवादी श्री पन्ना लाल सैनी सेवानिवृत्त कनिष्ठ लिपिक, निवासी मोती की ढाणी, वार्ड नं. 40, झुंझुनूं द्वारा जनवरी 2015 म. सेवानिवृत्त होने के उपरांत छुट्टिया. का भुगतान, जी.पी.एफ., कम्युटेशन भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान, कर्मचारी कल्याण कोष आदि भुगतान प्राप्त करने के संदर्भ म. दिनांक 26 मार्च, 2015 को पेश किया गया।

परिवाद को सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 26.5.15 के द्वारा प्रेषित किया गया। अधीक्षण अभियन्ता (योजना) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 10.7.15 के अनुसार परिवादी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान व समर्पित उपार्जित अवकाश का भुगतान कर दिया गया तथा बकाया वेतन भी दे दिया गया। परिवादी का भवन निर्माण अग्रिम ऋण बकाया होने के कारण पेन्शन प्रकरण उप सचिव (पेन्शन) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को भिजवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 6 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 3.9.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(162)लोआस/2014

परिवादी श्री राकेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामेश्वर सैनी, निवासी रानी का बास, तहसील बसवा, जिला दौसा द्वारा यह परिवाद दिनांक 30 मार्च 2015 को घरेलू विद्युत कनेक्शन स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 18.5.2010 को डिमाण्ड राशि जमा करवाने के पश्चात् भी रिश्वत राशि 50000/- नहीं देने के कारण उसे कनेक्शन जारी नहीं करने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 7.4.15 प्रेषित किया गया। इसके बाद सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 15.6.15 के अनुसार परिवादी का विद्युत कनेक्शन दिनांक 11.06.15 को जोड़कर विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दिया जाना बताया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 20.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(6)लोआस/2015

परिवादी डॉ. रमेश व अन्य द्वारा यह परिवाद दिनांक 16 अप्रेल, 2015 को श्री सुभाषपुरा मालम सिंह डिपो के पास, हनुमान जी के मन्दिर के पीछे, लालगढ़, बीकानेर के निवासिया. द्वारा विद्युत तारा. पर अंकुड़ियाँ लगाकर पिछले तीन-चार वर्षों से विद्युत विभाग के अधीनस्थ कर्मचारिया. की मिलीभगत से विद्युत चोरी करने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 8.6.15 प्रेषित किया गया। अधीक्षण अभियन्ता (पीपी एण्ड एम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार विद्युत चोरी करने वाला. के विरूद्ध मामला दर्ज कराया जाकर 28,268/-रूपये शास्ति का मूल्यांकन कर राशि की वसूली निगम हित म. कर ली गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 7 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 1.10.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(7)लोआस/2015

परिवादी श्री रमन पुत्र श्री निहाल सिंह निवासी गांव-पोस्ट भदोरा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर द्वारा यह परिवाद विच्छेदित घरेलू विद्युत कनेक्शन को पुनः जुड़वाने के संदर्भ म. दिनांक 15 अप्रैल, 2015 को पेश किया गया।

परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु इस सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 29.4.2015 प्रेषित किया गया। सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 21.5.2015 के अनुसार परिवादी का कनेक्शन दिनांक 15.4.15 को जोड़कर विद्युत सप्लाई सुचारू कर दी गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 4 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 20.7.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(23)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती सुनीता देवी बैरवा द्वारा यह परिवाद विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन दिनांक 3.6.13 की डिमाण्ड राशि दिनांक 7.5.2015 विभाग म. जमा करवा दिये जाने के पश्चात् भी श्री राजेश गुर्जर कर्मचारी द्वारा जानबूझकर कार्य को विलम्बित करने एवं 10,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग किये जाने के संदर्भ म. दिनांक 28.05.2015 को पेश किया गया।

इस परिवाद के संदर्भ म. परिवादिया द्वारा विहित प्रारूप म. परिवाद एवं सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 10.7.2015 प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को प्रेषित किया गया।

सचिव (प्रशासन) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 10.8.15 के अनुसार परिवादिया को वांछित कनेक्शन जरिये आदेश क्रमांक 19121/70 दिनांक 3.8.15 जारी कर दिया गया है तथा रिश्वत राशि मांगने के संबंध म. आरोप जांच म. सही नहीं पाये गये।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को लगभग 6 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 16.10.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(28)लोआस/2015

परिवादी श्री शिवराज सिंह पुत्र गणपत सिंह निवासी नवरंगपुरा, पोस्ट बगड़वा, तहसील पिपलू, जिला टाक्र द्वारा यह परिवाद दिनांक 8 जून 2015 को कुएं के विद्युत कनेक्शन हेतु 14100/-रूपये की डिमाण्ड राशि जमा कराने एवं उपभोक्ता मंच के आदेश के बावजूद कनेक्शन नहीं करने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर को पत्र दिनांक 17.7.2015 प्रेषित किया गया। सचिव प्रशासन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के कुएं हेतु विद्युत लाईन खींची जाकर उपभोक्ता के परिसर म. विद्युत कनेक्शन चालू कर दिया जाना बताया गया है। इस संबंध म. परिवादी का संतुष्टि पत्र भी अभिलेख पर उपलब्ध है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 5 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 17.9.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(42)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती सुरज्ञान कंवर पत्नी स्व. श्री मंगल सिंह निवासी ग्रामपोस्ट नांगल भरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 9.7.15 को अपने पति श्री मंगल सिंह, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) अजमेर डिस्कॉम, डेगाना, जिला नागौर का दिनांक 16.1.2006 को स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उपादान व ई.पी.एफ. पशन दिलवाये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

सचिवालय द्वारा इस परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को पत्र दिनांक 21.8.15 प्रेषित किया गया। सचिव (प्रशासन), जयपुर राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया के पति श्री मंगल सिंह के संबंध म. रूपये 68,860/- पी.ओ. नम्बर 549 दिनांक 11.9.15 द्वारा भुगतान स्वीकृति पत्र परिवादिया पक्ष म. भुगतान हेतु कार्यालय लेखाधिकारी (पवस) अ.वि.वि.नि.लि. नागौर को प्रेषित कर दिया जाना बताया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 5 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 10.11.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.10(52)लोआस/2015

परिवादी श्री ओम खण्डेलवाल, ओम खण्डेलवाल इंडस्ट्रीज, ऑफिस 1 डी-34 महावीरनगर एक्सटशन, कोटा ने यह परिवाद कटे हुए विद्युत कनेक्शन की अवधि के पेटे वसूल की गई राशि के पुनर्भुगतान के संदर्भ म. दिनांक 29 जुलाई, 2015 को पेश किया।

प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 24.9.15 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध म. निरन्तर कार्यवाही करने के पश्चात् प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 6.01.2016 के अनुसार परिवादी श्री ओम खण्डेलवाल का विद्युत कनेक्शन दिनांक 22.10.2013 से दिनांक 9.04.2014 तक विच्छेदित रहा था, इसलिए फिक्सड चार्ज रू. 12,552/- की क्रेडिट सीसी एण्ड आर नं. 9149/26 दिनांक 5.01.2016 के तहत उपभोक्ता को दे दी गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 7 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 25.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(61)लोआस/2015

परिवादी श्री सुमित सारस्वत निवासी कृष्णा कॉलोनी एसडी स्कूल के पीछे देलवाड़ा रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर ने यह परिवाद कॉलोनी म. लम्बे

समय से झूल रहे बिजली के तारो. को बार-बार शिकायत करने के बावजूद सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा ठीक नहीं करने के संदर्भ म. दिनांक 11 अगस्त, 2015 को पेश किया।

शपथ पत्र के अभाव म. परिवाद नस्तीबद्ध करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध म. अधीक्षण अभियन्ता, योजना, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 30.10.2015 के अनुसार उक्त कॉलोनी म. दो स्थाना. पर 132 केवी लाइन की क्रॉसिंग थी। बीच म. लाइन को ऊपर उठाने के लिये पोल खड़ा करना संभव नहीं था, इसलिये लाइन को हटाकर सप्लाई को अन्य ट्रांसफार्मर पर शिफ्ट करके दिनांक 24.7.15 को परिवादी की समस्या का निराकरण कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 6 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 30.12.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(66)लोआस/2015

परिवादी श्री महेन्द्र सिंह व अन्य ग्राम पंचायत भगवा, तहसील भादरा ने सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, भादरा से सांठगांठ कर जोहड़ पायतन म. नया कब्जा कर मकान म. घरेलू कनेक्शन दूसरे घर से लाकर शिफ्ट करने का आरोप लगाते हुए अवैध कनेक्शन हटाने के संदर्भ म. परिवाद दिनांक 19 अगस्त, 2015 को पेश किया।

शपथ पत्र के अभव म. प्रकरण परिवाद नस्तीबद्ध करते हुए परिवाद आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। इस

सम्बन्ध म. अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 04.01.15 के अनुसार उपभोक्ता का मकान जोहड़ पायतन म. स्थित होने से उपभोक्ता का शिफ्ट किया गया विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 6 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 5.2.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(73)लोआस/2015

परिवादी श्री कैलाशचन्द्र ने सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बसवा, जिला दौसा के विरूद्ध परिवाद खराब मीटर को बदलने एवं उसके विद्युत सम्बन्ध को पुनः चालू किये जाने के संदर्भ म. दिनांक 3 सितम्बर, 2015 को पेश किया गया।

प्रकरण के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिवालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को पत्र दिनांक 15.9.15 प्रेषित किया गया। सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 27.11.15 के अनुसार परिवादी का नया मीटर दिनांक 20.4.15 को लगाया जाकर अप्रेल माह का बिल माह मई म. नए बिल के अनुसार जारी किया गया है। परिवादी से औसत आधार पर प्राप्त की गई राशि 33,944/-रूपये का समायोजन दिनांक 1.12.2014 व दिनांक 20.7.2015 के अनुसार कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 6 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 24.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(286)लोआस/2011

परिवादी श्री सुखलाल आर्य, अखिल भारतीय बैरवा महासभा, निवासी श्रीमां हाऊस, धन्ना तलाई, टाक्र द्वारा दिनांक 08.02.2012 को प्रस्तुत इस परिवाद म. अभिकथन किया गया कि श्री कालू पुत्र श्रीलाल बैरवा आदि को बीसलपुर विस्थापित होने के कारण ग्राम क्यारिया म. आवंटित भूमि का कब्जा आठ वर्ष उपरांत प्रदान किया गया है जो भ्रष्टाचार का स्पष्ट प्रमाण है। परिवादी ने यह भी कथन किया है कि कब्जा देने के बाद भी वह लोग अपने खेता. पर काश्त नहीं कर पा रहे हैं तथा पुलिस तथा प्रशासन द्वारा इनकी कोई सहायता नहीं की जा रही है। परिवादी ने प्रकरण म. जाँच करवाकर दोषिया. के विरूद्ध कार्यवाही करवाने तथा मुआवजा दिलवाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा निरंतर की गई कार्यवाही के संदर्भ म. जिला कलेक्टर, टाक्र ने पत्र दिनांक 30.05.2014 से अवगत कराया कि प्रकरण म. प्रश्नगत 3.67 है. भूमि का मौके पर कब्जा खातेदारान की उपस्थिति म. दिनांक 21.04.2014 को सुपुर्द किया गया है। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर ने पत्र दिनांक 08.12.2014 से यह भी अवगत कराया कि प्रकरण म. विलम्ब हेतु उत्तरदायी लोकसेवक या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 30.04.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(116)लोआस/2012

परिवादी श्री श्रवण लाल मीणा, सेवानिवृत्त भू-अभिलेख निरीक्षक, तहसील उनियारा जिला टाक्र से दिनांक 27.02.2012 को तहसीलदार, उनियारा

जिला, टाक्र के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि दिनांक 31.08.2011 को सेवानिवृत हो जाने के बावजूद तहसीलदार, उनियारा द्वारा समयानुसार कार्यवाही नहीं कर उसके पेन्शन प्रकरण को उलझा दिया है। उन्हान्ने पेन्शन प्रकरण का निस्तारण करवाने एवं विलम्ब के लिए दोषी अधिकारिया. के खिलाफ कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर(भू.अ.), टाक्र ने पत्र दिनांक 31.07.2013 एवं 09.12.2014 से अवगत कराया कि श्री श्रवण लाल को दिनांक 20.05.87 को परिनिन्दा की सजा व दिनांक 15.11.90 को एक वार्षिक वेतन वृद्धि-रोकने के दण्ड से दण्डित करने के उपरान्त उन्हे 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ 25.01.94 के बजाय 25.01.92 को दिये जाने के कारण आंतरिक लेखा जाँच दल, अजमेर द्वारा दिनांक 25.01.94 तक 41,277/-रू. की राशि अधिक भुगतान किये जाने का आक्षेप लगाया जिसको माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा रिट सं. 7839/2006 म. पारित निर्णय दिनांक 21.04.2011 द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील डी.बी. म. की गई है और उक्त अपील विचाराधीन होने से श्री मीणा का प्रोविजनल पेन्शन प्रकरण पेन्शन विभाग, अजमेर को भिजवाया गया जिसम. बाद आक्षेपा. की पूर्ति के उन्ह. पीपीओ नम्बर 879250 से दिनांक 12.06.2012 को प्रोविजनल पेन्शन स्वीकृत की जा चुकी है।

जिला कलक्टर, टाक्र ने पत्र दिनाक 28.08.2015 द्वारा यह भी अवगत कराया कि श्री मीणा के पक्ष म. जारी पीपीओ नंबर 879250 की ग्रेच्यूटी राशि 6,28,551/- रूपये का चैक दिनांक 22.08.2014 को, जी.पी.ओ. नम्बर 920829 की कम्यूटेड राशि 3,84,860/- का चैक दिनांक 22.08.2014 को जारी कर भुगतान किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 16.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(161)लोआस/2013

एफ.11(137)लोआस/2013

परिवादी श्री जोराराम पुत्र श्री टीकूराम कुमावत निवासी थांवला तहसील, रियां बड़ी जिला, नागौर से दिनांक 12.09.2013 को श्री रामकुमार ताडा, नायब तहसीलदार, भैरून्दा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम थांवला की खसरा संख्या 2235 एवं ग्राम बाड़ी घाटी की खसरा संख्या 30 गौचर भूमि म. लीजडीड की समयावधि समाप्त होने के बावजूद ठेकेदार बाबूलाल यादव खनन कर रहा है, लीजधारी बाबूलाल को 100 वृक्ष नये लगाने हेतु पाबन्द किये जाने के बावजूद नहीं लगाये हैं और न ही मलबा हटाया है। अवैध खनन करने वाले ठेकेदार एवं लोकसेवक श्री रामकुमार ताड़ा के विरूद्ध कार्यवाही कर अवैध खनन को रोकने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, नागौर ने पत्र दिनांक 15.04.2014 से अवगत कराया कि सहायक खनि अभियन्ता, गोटन के आदेश दिनांक 10.01.2013 द्वारा खनन की अवधि 20 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष तक अर्थात दिनांक 01.03.2010 से 01.03.2020 तक 10 वर्ष तक बढ़ाई गई है। तहसीलदार, रियाँबड़ी द्वारा दिनांक 17.10.2012 को मौका निरीक्षण करने पर खनन माईनिंग पिलर के अन्दर होना पाया तथा मलबा माईनिंग पिलर के बाहर पाये जाने से उसे हटाने हेतु पाबन्द किया गया। यह भी उल्लेख किया कि लीजधारी बाबूलाल द्वारा मलबा खसरा नंबर 30 गौचर भूमि म. डालने

से उसके विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर जुर्माना एवं बेदखली का आदेश पारित किया। लीजधारी द्वारा काफी मलबा हटा लिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने आगे पत्र दिनांक 04.05.2015 द्वारा अवगत कराया कि चारागाह म. खनन से जो मलबा निकाला, वह अब वहाँ पर नहीं है जिसे लीजधारक द्वारा हटाकर सड़का. पर डलवा दिया है। लीजधारी द्वारा पूर्व म. कुछ पेड़ लगाये जो वर्षा की कमी व पहाड़ी मिट्टी होने से उग नहीं पाये। मौके पर कोई जगह रिक्त नहीं है जिस पर पेड़-पौधे लगाये जाव। वर्षा होने पर लीजधारी को 100 वृक्ष लगाने हेतु पाबन्द किया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 19.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(235)लोआस/2013

परिवादी श्री हरिराम पुत्र श्री बख्ताराम, निवासी गुड़ाभगवानदास, तहसील खींवसर, जिला नागौर द्वारा दिनांक 21.10.2013 को प्रस्तुत इस परिवाद म. अभिकथन किया गया कि उसके ग्राम के सार्वजनिक तालाब पर अनेक अतिक्रमण हो रखे हैं तथा तहसीलदार द्वारा 19 म. से 15 अतिक्रमण हटवाये गये हैं। शेष रहे 4 अतिक्रमणा. को नहीं हटवाने से कुछ अतिक्रमणकारिया. द्वारा पुनः अतिक्रमण किये जा रहे हैं। परिवादी ने प्रकरण म. कार्यवाही कर अतिक्रमिया. के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करवाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के संदर्भ म. जिला कलेक्टर, नागौर ने पत्र दिनांक 15.09.2015 से अवगत कराया कि

प्रकरण म. वक्त निरीक्षण वर्तमान म. किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया है। परिवादी से सम्पर्क करने पर उसने अवगत कराया कि उसके द्वारा की गई शिकायत का दो वर्ष पूर्व निराकरण हो गया था।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 31.12.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(355)लोआस/2013

एफ.11(66)लोआस/2014

एफ.11(27)लोआस/2015

परिवादी श्री शेरसिंह पुत्र श्री शिशुपालसिंह निवासी ओजटू तह., चिड़ावा जिला, झुंझुनूं से दिनांक 15.03.2014 को प्राप्त परिवाद संख्या 11(355)लोआस/2013 म. संक्षेप म. शिकायत की गई है कि ख.नं. 416 व 417 वाके ग्राम ओजटू की सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के न्यायालय आदेश न्यायालय के बावजूद भी उस पर से श्री दलीप सिंह द्वारा किया गया अतिक्रमण नहीं हटवाया जा रहा है। श्री दलीप सिंह से दिनांक 19.5.14 को प्राप्त परिवाद सं. 11(66)लोआस/2014 एवं पुनः 16.04.15 को प्राप्त परिवाद सं. 11(27)लोआस/2015 म. संक्षेप म. शिकायत की है कि उक्त भूमि ख.नं. 417 पर श्री शेरसिंह ने लगभग 15 वर्ष से अतिक्रमण कर रखा है। उक्त तीना. परिवाद एक ही कृषि भूमि से संबंधित होने के कारण उन्ह. समेकित किया गया।

उक्त परिवाद म. इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, झुंझुनूं ने रिपोर्ट दिनांक 19.08.2015 से अवगत कराया कि उक्त दोना.

परिवादिया. द्वारा ही भूमि ख.नं. 416 व 417 गैर मुमकिन जोहड़ पर अतिक्रमण कर रखा है तथा पुनः रिपोर्ट दिनांक 10.11.2015 द्वारा अवगत कराया कि कार्यवाही करने पर प्रश्नगत भूमि पर से दोना. अतिक्रमिया. द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया तथा सार्वजनिक भूमि को राज हक म. लिया जाकर उसकी तारबंदी करवा दी गयी है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणाम स्वरूप प्रश्नगत भूमि अतिक्रमण मुक्त हो जाने व उसे राज हक म. लिया जाने के वांछित अनुतोष प्राप्ति के दृष्टिगत उक्त तीना. परिवाद नस्तीबद्ध किए गए।

एफ.11(362)लोआस/2013

परिवादी श्री सज्जन सिंह राठौड़ पुत्र श्री प्रताप सिंह राठौड निवासी अजमेर से दिनांक 28.03.2014 को तहसीलदार, अजमेर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम थोक मालियान (प्रथम), अजमेर म. स्थित खाता संख्या 419 खसरा संख्या 4656, 4658, 4660 किस्म आबादी भूमि जो उसके पिता स्व. श्री रामप्रताप, चाचा स्व. श्री आशाराम के नाम है, का नामान्तरकरण वारिसाना. के नाम करने हेतु दिनांक 07.02.2007 को प्रार्थना-पत्र तहसीलदार, अजमेर को दिया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा सब वारिसाना. की तस्दीक करने, वारिसाना. के मृत्यु प्रमाण-पत्र लेकर म्यूटेशन खोलने की पूर्ण कार्यवाही करने के बावजूद नामान्तरण उनके नाम नहीं किया गया है। नामान्तरण उनके नाम किये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर (भू-अभिलेख), अजमेर ने पत्र दिनांक 27.06.2014 से अवगत कराया कि विरासत का नामान्तरकरण संख्या 302 दिनांक 16.06.14 को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया जाकर तहसीलदार, अजमेर

द्वारा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 17.06.2014 को निर्णीत किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 08.07.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(3)लोआस/2014

परिवादीगण रामदर्शन इत्यादि निवासी हरिपुरा पोस्ट बनस्थली विद्यापीठ से दिनांक 09.04.2014 को तहसीलदार, निवाई के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि उसकी ग्राम बनस्थली (हरिपुरा) म. स्थित ख.सं. 316 रकबा एक बीघा चार बिस्वा जमीन पर भोमाराम इत्यादि ने अतिक्रमण कर रखा है इस बाबत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण सन् 1993 से तहसीलदार, निवाई के यहाँ लम्बित है लेकिन उसे न्याय नहीं मिला है। उन्होन. उनकी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, टाक्र ने पत्र दिनांक 30.05.2014 एवं दिनांक 31.03.2015 से अवगत कराया कि परिवादीगण की आराजी ख.सं. 316 म. से 3 बिस्वा पर भोमाराम, हनुमान जाति अहीर द्वारा बाड़ा बनाकर कब्जे किए गए। इस सम्बन्ध म. तहसीलदार, निवाई वर्ष 1993-96 म. धारा 183-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हुआ और कार्यवाही के दौरान पत्रावली सिविल न्यायाधीश(क.खं.), निवाई द्वारा तलब करने पर प्रेषित की गई जहाँ से निर्णय दिनांक 21.012014 को पारित होने पर पत्रावली तहसीलदार, न्यायालय तहसीलदार, निवाई के निर्णय दिनांक 24.07.2014 की पालना म. दिनांक 24.03.15 को भोमाराम, हनुमान द्वारा किये गये अतिक्रमण गोबर, छाने का परेन्डा आदि को भौतिक रूप से

हटाया जाकर खातेदारान रामदर्शन इत्यादि को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। पत्र के साथ इस कार्यवाही की फर्द की फोटो-प्रति भी प्रेषित की जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर मौजूद है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादीगण को वांछित पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 11.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(26)लोआस/2014

परिवादी मोहरे लाल यादव, भूतपूर्व सैनिक, निवासी 70/10, शारदा मार्ग, सिविल लाईन, अजमेर, से तहसीलदार, पुष्कर श्री गजराज सिंह के विरूद्ध दिनांक 01.05.2015 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं.13428/2008 मोहरे लाल बनाम राजस्थान राज्य म. पारित निर्णय दिनांक 01.08.2012 एवं जिला कलेक्टर के पत्र दिनांक 02.10.2012 की अनुपालना म. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने दिनांक 29.11.2012 से आराजी ख.सं. 2100 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा म. से 25 बीघा का आवंटन परिवादी व उसकी पत्नी शशि प्रभा यादव को किये जाने का आदेश पारित किया लेकिन उक्त आदेश की पालना म. तहसीलदार, पुष्कर द्वारा आवंटनशुदा भूमि का तरमीम कराकर कब्जा प्रदान नहीं दिया, न ही आवंटित भूमि म. परिवादी का नाम राजस्व अभिलेखा. म. अंकित किया। निवेदन किया गया कि आवंटित भूमि को उनके नाम राजस्व अभिलेख म. दर्ज कराने, आवंटित भूमि तरमीम कर कब्जा प्रदान कराने बाबत जिला कलेक्टर, अजमेर को निर्देश प्रदान कराव. एवं लापरवाह अधिकारिया. के विरूद्ध कार्यवाही कराव।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, अजमेर ने पत्र दिनांक 17.10.2014 से अवगत कराया

कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं.137/13 के निर्णय दिनांक 26.04.14 की पालना म. परिवादी द्वारा मौके पर उपलब्ध 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि का कब्जा लेने तथा शेष 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण की परिधि के बाहर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा विनिश्चित भूमि लेने हेतु सहमति दी गई है। तत्पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशा0), अजमेर ने पत्र दिनांक 04.03.2015 से अवगत कराया कि माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना म. तहसीलदार, पुष्कर द्वारा दिनांक 21.10.2014 को परिवादी को मौके पर उपलब्ध रकबा 18-15-00 बीघा का कब्जा संभलाया जा चुका है। कब्जा सुपुर्दगीनामा दिनांक 20.10.14 की फोटो प्रति भी संलग्न प्रेषित की गई।

बकाया 06.05 बीघा भूमि के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अजमेर ने पत्र दिनांक 08.07.2015 से अवगत कराया कि भूमि आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी सक्षम प्राधिकारी है। प्रार्थी को स्वयं के स्तर पर भूमि का चयन कर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नियमान्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया और उक्त आवेदन पेश होने पर सम्बन्धित कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी इस प्रकार भूमि चयन सम्बन्धी कार्यवाही स्वयं परिवादी के स्तर पर अपेक्षित है। अतः उपरोक्त कार्यवाही की परिवादी को सूचना देते हुए लोकायुक्त सचिवालय स्तर पर कोई कार्यवाही अवशेष नहीं होने एवं परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 11.08.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(117)लोआस/2014

परिवादी श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा जैतावता तहसील, देसूरी जिला, पाली से दिनांक 04.07.2014 को जिला कलेक्टर, पाली एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम गुड़ा जैतावता, ग्राम पंचायत,

मगर तालाब तहसील, देसूरी जिला, पाली की आगोर, नाडा तलाई व गौचर भूमि ख.सं. 380, 207, 209, 205, 73, 86, 84, 85, 203, 169 तथा 176 पर अतिक्रमण किये जाने के बावजूद पटवारी, सरपंच, ग्राम सेवक, तहसीलदार कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है। उसने उक्त अतिक्रमण हटाये जाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, पाली ने पत्र दिनांक 29.09.2014 से अवगत कराया कि ग्राम गुड़ा जैतावता के चारा. तरफ गौचर भूमि है एवं ग्रामवासिया. द्वारा मकान बनाकर कई वर्षों से निवास कर रहे है एवं बाड़े बना रखे हैं। उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु तहसीलदार, देसूरी के यहाँ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है पत्र के साथ कुल 74 अतिक्रमिया. की सूची भी प्रेषित की है।

पुनः जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पत्र दिनांक 25.05.2015 से अवगत कराया कि परिवाद म. उल्लेखित समस्त अतिक्रमियो को मौके से हटा दिया गया है। पत्र के संलग्न प्रेषित उपखण्ड अधिकारी, देसूरी की मौका-रिपोर्ट म. भी धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम म. पारित बेदखली आदेश की पालना म. अतिक्रमण भौतिक रूप से हटा लिया जाना वर्णित किया गया है। जिला कलेक्टर, पाली ने यह भी उल्लेख किया है कि आबादी हेतु भूमि के विस्तार बाबत भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवण्टन की कार्यवाही की जायेगी।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत अतिक्रमण को हटा दिये जाने से परिवादी को समुचित अनुतोष प्राप्त होने पर परिवाद दिनांक 06.08.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(130)लोआस/2014

परिवादीगण संजय मोड इत्यादि ग्रामवासी ग्राम भैरूसिंह जी का खेड़ा, पटवार हलका नेतावल गढ़ पाछली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ से प्राप्त परिवाद दिनांक 11.07.2014 म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम ढाढ़ण, पटवार हल्का, नेतावल गढ़ पाछली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ म. स्थित पुरातात्विक महत्व के तालाब को ग्राम पंचायत के वार्ड पंच के पति कैलाश कुम्हार, ग्राम पंचायत के सचिव, पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार, असामाजिक तत्वा. व भूमाफियाआ. से मोटी रकम प्राप्त कर जबरन रास्ता बनाने पर आमादा है जबकि मौके पर अन्य वैकल्पिक पक्का डामरीकृत रास्ता मौजूद है। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ की शह पर पटवारी व गिरदावर अवैध लाभ प्राप्त कर तालाब के पेटे से मिट्टी के हजारा. ट्रेक्टर भूमाफियाओं को बेच कर अवैध लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पटवारी हल्का ने वास्तविक भौतिक स्थिति के विपरीत मौका रिपोर्ट तैयार की है। उन्हान्ने सम्बन्धित पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़, ने पत्र दिनांक 11.12.2014 से अवगत कराया कि उपतहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 27.06.2014 को रास्ते म. खुदी खाई को भरवाकर रिकॉर्ड म. दर्ज रास्ते को खुलवा दिया गया। यह भी उल्लेख किया कि तालाब व वन भूमि को खुर्द-बुर्द नहीं किया गया, न ही मिट्टी खुदाई का कार्य हुआ है तथा ख.सं. 977, 979 की कुछ रास्ते की भूमि को डॉटेड लाइन के रूप म. दर्शाया गया ।

परिवादीगण की ओर से जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट पर आक्षेप प्रस्तुत करने पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ ने अवगत कराया कि ख.सं. 747 ग्राम भैरूसिंह जी का खेड़ा की शामलाती खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी के खातेदारान द्वारा मिट्टी खोदकर खेता. के समतलीकरण हेतु ले

जाई गई थी। मौके पर स्वयं परिवादी द्वारा भी माना गया कि उसने भावावेश म. शिकायत कर दी।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी पक्ष को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद सचिवालय स्तर पर दिनांक 29.06.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(131)लोआस/2014

परिवादी शिव दयाल माली पुत्र श्री राम पाल माली जाति माली निवासी खटवा तहसील, लालसोट जिला, दौसा से दिनांक 11.07.2014 को तहसीलदार, लालसोट श्री कमल सिंह एवं क्षेत्रीय पटवारी, श्री राधेश्याम के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि ग्राम खटवा तहसील, लालसोट जिला, दौसा म. गोपाल जी महाराज के मन्दिर की कृषि आराजी ख.सं. 524 रकबा 85 बीघा 16 बिस्वा को रामचरण ने मुन्नीलाल की फर्जी वसीयत के आधार पर तहसीलदार, श्री कमलसिंह गुर्जर एवं पटवारी हल्का से सांठ-गांठ कर अपने नाम करवा ली। निवेदन किया गया कि दोषी तहसीलदार व पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, दौसा ने पत्र दिनांक 18.11.2014 से अवगत कराया कि उक्त भूमि रामचरण, रूकमणी, सरजू के नाम दर्ज है जो पूर्व म. माफी-मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज की होने के कारण धारा 82 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेफरेन्स प्रस्तुत कर दिया गया है।

दोषी लोक सेवका. के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा ने उपखण्ड अधिकारी, लालसोट से जाँच करवाकर पत्र दिनांक

25.03.2015 से अवगत कराया कि जमाबंदी सम्वत् 2022-25 म. अवैध परिवर्तन करने के लिए तत्कालीन पटवारी, श्री मनमोहन लाल जैन व उक्त जमाबंदी की जाँच करने वाले तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक, श्री घीसीलाल गुप्ता दोषी हैं जो दोनो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और तत्कालीन पटवारी श्री मनमोहन लाल जैन की मृत्यु भी हो चुकी है। उक्त भूमि के सम्बन्ध म. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा म. रेफरेन्स लम्बित है जिसम. राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा कार्यवाही दिनांक 09.12.2014 तक स्थगित की गई है।

इस प्रकार दोषी लोकसेवक सेवानिवृत्त एवं दिवंगत होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होने से एवं प्रकरण म. लम्बित रेफरेन्स की प्रगति रिपोर्ट आहूत किया जाना तयकर परिवाद नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(135)लोआस/2014

परिवादी श्री धर्मेन्द्र चौधरी, जिला सह संयोजक मीडिया प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से दिनांक 11.07.2014 को उप पंजीयक, हिण्डौन सिटी के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि उप पंजीयक, हिण्डौनसिटी ने भूमाफिया. से तीन लाख रूपये का गैरकानूनी लाभ प्राप्त कर वाणिज्यिक भूमि खसरा संख्या 6526 रकबा 18 एयर यानी 19602 वर्ग फीट भूमि के 2/3 हिस्से का विक्रय- पत्र दिनांक 17.02.2014 को एवं 1/3 हिस्से का विक्रय-पत्र दिनांक 17.02.2014 को आवासीय दर से स्टाम्प ड्यूटी लेकर रजिस्टर्ड कर स्टाम्प शुल्क, सरचार्ज शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की चोरी की है। उन्हाने उक्त सभी शुल्क वसूल करने एवं आवश्यक जाँच कराने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, करौली ने पत्र दिनांक 13.04.2015 से अवगत कराया

कि उक्त दोना. दस्तावेजा. के सम्बन्ध म. उपपंजीयक, हिण्डौन के द्वारा मौका निरीक्षण करने पर आस-पास वाणिज्यिक गतिविधि होने से विक्रीत सम्पति को व्यावसायिक मानते हुए रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक), भरतपुर के यहाँ दर्ज करवाया गया जहाँ प्रकरण संख्या 11/14 व 12/14 म. दिनांक 12.02.2015 को निर्णय पारित कर वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये हैं, जिसकी पालना म. बाकीदारान से दिनांक 13.01.2015 को जरिये रसीद संख्या 128 राशि 2,86,390/- एवं रसीद संख्या 129 राशि 6,47,850/- रू. कुल राशि 9,34,240/- जमा की गई। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियां प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 18.06.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(139)लोआस/2014

परिवादी विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भोला शंकर जाति यादव निवासी सुत्तरखाना मौहल्ला, नसीराबाद जिला, अजमेर से दिनांक 12.07.2014 को पटवारी, नसीराबाद के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि वह अपनी कृषि भूमि ग्राम बारापत्थर तहसील, नसीराबाद में बंटवारा के अनुसार ख.नं. 1108 रकबा 0.01, ख.नं. 1105/1 रकबा 0.2875 तथा ख.नं. 1106/1 रकबा 0.2575 पर अपने हिस्से पर काबिज-काश्त चला आ रहा है, लेकिन दिनांक 04.03.2013 को पटवारी, देवीलाल ने उसकी जमाबंदी म. मुकदमा नम्बर 49/06 जिन्दल बनाम विरेन्द्र सिंह धारा 138 एन. आई. एक्ट. का अंकन कर राजस्व दस्तावेज म. कूटरचना कर राजस्व रिकॉर्ड को वादग्रस्त कराने का कृत्य किया है। इस बाबत तहसीलदार एवं पटवारी से दिनांक 11.06.2014 को मिला, लेकिन कोई

कार्यवाही नहीं की। सम्बन्धित पटवारी देवीलाल के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ मे. जिला कलेक्टर (भू-अभिलेख), अजमेर ने पत्र दिनांक 21.01.2015 से अवगत कराया कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र.व.), नसीराबाद म. धारा 138 एन. आई. एक्ट. जिन्दल बनाम वीरेन्द्र मु.सं. 49/06 विचाराधीन होने से हल्का पटवारी द्वारा ग्राम बारापत्थर के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी सम्वत् 2067-70 के खाता संख्या 227) म. वाद विचाराधीन होने की जानकारी हेतु पेन्सिल से नोट अंकित किया था जिसे तहसीलदार, नसीराबाद के आदेश दिनांक 11.06.2014 से हटा दिया गया है। परिवादी ने पत्र के बावजूद इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 07.04.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(154)लोआस/2014

परिवादी श्री महावीर प्रसाद दायमा पुत्र श्री बलदेव प्रसाद जाति खटीक निवासी वार्ड नं.-11, मौहल्ला खटीकान, सीकर से दिनांक 23.07.2014 को तहसीलदार, सीकर एवं सहायक जिलाधीश (भूमि रूपान्तरण), सीकर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि उसकी कस्बा सीकर म. स्थित कृषि भूमि ख.सं. 760 से 764 को हनीफ खत्री आदि ने तत्कालीन तहसीलदार व सहायक जिलाधीश (भूमि रूपान्तरण) को भारी रकम देकर दिनांक 08.12.2000 को एक ही दिन म. एक-तरफा कार्यवाही से उसकी खातेदारी हटाकर नगर परिषद, सीकर के नाम दर्ज करा दी। उक्त निर्णय दिनांक 08.12.2000 को दिनांक 29.07.11 को

अपास्त कर दिये जाने के बावजूद तत्कालीन तहसीलदार, जयसिंह ने सहायक कलक्टर (प्रथम), सीकर के आदेशा. के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड म. उसके नाम का संशोधन नहीं किया। परिवादी ने भूमि का कब्जा उसे दिलाने एवं नामान्तरण उसके नाम भरने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, सीकर ने पत्र दिनांक 15.10.2014 से अवगत कराया कि कस्बा सीकर की भूमि ख.स. 760, 762, 763 व 764 की खातेदारी महावीर प्रसाद परिवादी के नाम थी, जो ए.सी.एम. न्यायालय, सीकर के निर्णय दिनांक 08.12.2000 से नगर परिषद्, सीकर के नाम से खातेदारी अंकित की गई। उक्त निर्णय की महावीर प्रसाद द्वारा की गई अपील 29.07.2011 को स्वीकार कर पूर्व निर्णय को अपास्त करने पर नामान्तरकरण संख्या 1397 दिनांक 29.09.2014 द्वारा विवादित भूमि पुनः परिवादी महावीर प्रसाद के नाम दर्ज की जा चुकी है ।

परिवादी द्वारा कब्जा उसे प्राप्त नहीं होने बाबत आपत्ति प्रेषित की गई जिसके सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, सीकर ने उपखण्ड अधिकारी, सीकर से जाँच करवाकर पत्र दिनांक 24.04.2015 से अवगत कराया कि परिवादी द्वारा विवादित भूमि पर प्लॉट काटकर वर्ष 1997 म. विक्रय करना शुरू कर दिये तथा 9 विक्रय-इकरार की छाया प्रति भी इस सम्बन्ध म. संलग्न करते हुए उल्लेख किया कि मौके पर लगभग पूरे क्षेत्रफल म. आवासीय निर्माण हो चुके हैं। परिवादी द्वारा इन तथ्या. का कोई खण्डन नहीं किया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 23.07.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(156)लोआस/2014

परिवादी श्री सांवरमल खालिया पुत्र श्री दुल्लाराम जाति जाट निवासी रिणू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर से दिनांक 23.07.2014 को पटवारी हलका, देशनोक तहसील, लक्ष्मणगढ़ जिला, सीकर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम रिणू की गोचर भूमि, सिवाय चक, जोहड़ भूमि पर ग्रामवासिया. द्वारा अतिक्रमण कर रखा हैं जिसे बावजूद शिकायता. के नहीं हटाया जा रहा है। उनकी ओर से उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, सीकर ने अपने पत्र दिनांक 08.12.2014, 02.01.2015 तथा 27.02.2015 प्रेषित कर अवगत कराया कि ग्राम रिणू की गोचर भूमि एवं सिवायचक, जोहड़ भूमि पर पांच व्यक्तिया. द्वारा बाड़ लगाकर अतिक्रमण कर लिया था जिनके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर बेदखली के आदेश पारित किये गये जिसकी अनुपालना म. दिनांक 10.02.2015 को मौके से अतिक्रमण हटा दिया गया है। जिसकी फर्द की फोटो-प्रति संलग्न की है जिसम. खसरा संख्या 431/1 पर दिनांक 10.02.2015 को अतिक्रमण हटा लिया जाना वर्णित है। परिवादी द्वारा उक्त तथ्या. का कोई खण्डन नहीं किया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(171)लोआस/2014

परिवादी श्री फतेह सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति राजपूत निवासी केनपुरा तहसील सुमेरपुर जिला पाली से दिनांक 24.07.2014 को तहसीलदार, सुमेरपुर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि तहसीलदार, सुमेरपुर ने श्री पन्नेसिंह से अवैध राशि प्राप्त कर परिवादी एवं अन्य द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-विलेखा. के माध्यम से क्रय की गई भूमि का नामान्तरण उनके पक्ष म. दर्ज नहीं करने का हल्का पटवारी को आदेश दिया जबकि इस सम्बन्ध म. उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा पन्नेसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद म. स्थगन आदेश जारी नहीं किया है। प्रार्थी ने नामान्तरकरण उनके नाम करवाने एवं तहसीलदार, सुमेरपुर के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, पाली ने पत्र दिनांक 23.03.2015 से अवगत कराया कि तहसीलदार, सुमेरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री पन्नेसिंह द्वारा दिनांक 02.07.2014 को आवेदन-पत्र पेश किया गया कि मौजा केनपुरा के ख.सं. 24, 25/148 की कुल 2.45 हे. भूमि पर जागीर के समय से उसका कब्जा चला आ रहा है, खातेदारी अधिकार एवं बेदखली के विरूद्ध वाद उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के न्यायालय मे विचाराधीन है, दो दिना. म. स्थगन लाकर पेश कर देगा, जिस पर उनके द्वारा कानून-व्यवस्था के मद्देनजर नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखने का पटवारी हल्का को लिखा गया। आगे उल्लेख किया कि उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के न्यायालय द्वारा मु.सं. 45/14 म. दिनांक 15.09.2014 को स्थगन आदेश जारी किया गया। जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने आदेश दिनांक 16.12.2014 द्वारा स्थगित किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 31.12.14 को स्वीकृत किया गया और वर्तमान म. परिवादी फतेहसिंह के नाम नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है। परिवादी द्वारा उक्त तथ्या. का कोई खण्डन नहीं किया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 22.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(180)लोआस/2014

परिवादी श्री छोटूराम शर्मा पुत्र श्री रामानन्द शर्मा इत्यादि निवासीगण ग्राम, रामसर पालावाला तहसील, बस्सी, जयपुर पदाधिकारी, ठाकुर जी सीताराम जी महाराज धमार्थ ट्रस्ट ग्राम रामसर, पालावाला तहसील बस्सी जिला, जयपुर से दिनांक 24.07.2014 को तहसीलदार, एस.डी.एम., के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम रामसर पालावास म. ख.सं. 145 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा गैर मुमकिन नदी पर अधिवक्ता श्री रामसिंह दरोगा आदि करीब आधा किलोमीटर लम्बाई म. तारबन्दी कर अतिक्रमण कर खेती कर रहे हैं। नदी के किनारे स्थित श्मशान घाट का रास्ता भी अवरूद्ध कर दिया । इस सम्बन्ध म. तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्हाऩे सरकारी भूमिया. को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दिनांक 06.04.2015 एवं जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा दिनांक 16.04.2015 को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया कि दिनांक 25.03.2015 को सामूहिक अभियान आयोजित कर ग्राम रामसर पालावाला म. रतन गंगा नदी के बहाव क्षेत्र म. अतिक्रमण कर उगाई गई फसल को काट कर तथा अवैध रूप से मिट्टी के डोल, लकड़ियाँ आदि के अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से समतल कर अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है और मौके पर जेडीए

की सम्पत्ति के बोर्ड लगवा दिये हैं। परिवादीगण द्वारा इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. परिवादीगण को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद दिनांक 26.06.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(187)लोआस/2014

परिवादी श्री प्रभाती लाल पुत्र श्री पन्नाराम जाति जाट निवासी भोजा की ढाणी तहसील, दांतारामगढ़ जिला, सीकर से दिनांक 02.08.2014 को श्री जगदीश प्रसाद माहिच, उप तहसीलदार, पलसाना जिला, सीकर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि वाद सं.164/2010 प्रभातीलाल बनाम मगनीराम इत्यादि म. न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम, सीकर के आदेश के बावजूद उप तहसीलदार, पलसाना ने मौका-रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जिससे वाद निस्तारण म. विलम्ब हो रहा है। उप तहसीलदार, पलसाना को न्यायालय के आदेश की पालना म. मौका-रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किये जाने एवं न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने बाबत कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, सीकर ने पत्र दिनांक 05.12.2015 से अवगत कराया कि दिनांक 17.10.2014 को नायब तहसीलदार, पलसाना श्री जगदीश प्रसाद माहिच द्वारा मौका-रिपोर्ट तैयार कर पत्र दिनांक 17.10.2015 से सहायक कलेक्टर, सीकर को प्रेषित कर दी तथा न्यायिक आदेश की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध म. स्पष्टीकरण चाहा गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 06.08.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(193)लोआस/2014

परिवादी श्री रामकिशोर गुर्जर, सेवानिवृत्त पटवारी, ग्राम नौरंगाबाद श्री महावीरजी, तहसील हिण्डौन सिटी जिला, करौली से दिनांक 03.08.2014 को उपखण्ड अधिकारी, करौली व तहसीलदार, करौली के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि वह पटवारी पद से दिनांक 31.12.2013 को सेवानिवृत्त हो चुका है लेकिन उसे सेवा के परिलाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। उसने सेवानिवृत्ति के परिलाभ दिलाये जाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, करौली ने पत्र दिनांक 22.12.2014 द्वारा अवगत कराया कि सेवानिवृत्त पटवारी श्री रामकिशोर गुर्जर को राज्य बीमा की राशि 90,750/-रूपये, उपार्जित अवकाशा. की राशि 2,87,761/-रूपये जी.पी.एफ. की राशि 6,63,901/-रूपये का भुगतान किया जा चुका है और पश्शन स्वीकृति हेतु प्रकरण भरतपुर भिजवा दिया गया है। इसके बाद जिला कलेक्टर, करौली ने अपने पत्र दिनांक 30.09.2015 द्वारा अवगत कराया कि कार्मिक श्री गुर्जर के विरूद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही विचाराधीन होने से राजस्थान सिविल सेवा पश्शन नियम, 1996 के नियम 90 के अनुसार उन्ह. दिनांक 01.01.2014 से प्रतिमाह 4152/-रूपये प्रोविजनल पश्शन स्वीकृत की जा चुकी है। पत्र के साथ प्रोजिवनल पश्शन स्वीकृति आदेश एवं पीपीओ नम्बर की फोटो प्रति प्रेषित की।जिला कलेक्टर, करौली की उक्त रिपोर्ट पर परिवादी की ओर से कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना मानते हुए यह परिवाद दिनांक 07.12.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(196)लोआस/2014

एफ.11(148)लोआस/2015

एफ.11(146)लोआस/2015

परिवादी श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री हरीश शर्मा निवासी 2-जे-हाउसिंग बोर्ड, बाँसवाड़ा द्वारा यह परिवाद बाँसवाड़ा शिविर म. दिनांक 23.07.2014 को प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री तोता सिंह द्वारा सरकारी भूमि एवं कृषि भूमि पर बड़ा क्रेशर प्लान्ट की स्थापना से प्राकृतिक नाला अवरूद्ध होने एवं जल संग्रहण को क्षति होने की शिकायत की जाँच तहसीलदार, आंबापुरा द्वारा नहीं की गई है। उसने लगाये गये क्रेशर प्लान्ट को हटाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, बाँसवाड़ा ने पत्र दिनांक 11.03.2015 द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पाण्डला के आराजी नम्बर 1148/1 रकबा 0.10 बीघा म. स्थित क्रेशर प्लान्ट बाबत इन्द्रजीत सिंह के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाकर प्लान्ट हटवा दिया गया तथा आराजी नंबर 1148/1 रकबा 0.10 बीघा पर शर्मा क्वारी वर्क्स (जिसके स्वामी स्वयं परिवादी हैं) का क्रेशर-प्लान्ट भी सरकारी भूमि पर ही लगा होने से धारा 91 एवं 90 ए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत उसकी बेदखली के आदेश भी जारी किये गये जिसकी अपील राजस्व मण्डल, अजमेर म. विचाराधीन है। यह भी प्रकट किया गया कि उक्त क्रेशर प्लान्ट पानी बहाव क्षेत्र म. नहीं है। इस

सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, बाँसवाड़ा ने पत्र दिनांक 29.06.2015 से यह भी अवगत कराया है कि श्री सुनील शर्मा द्वारा स्थापित शर्मा क्रेशर प्लांट को दिनांक 01.06.2015 को हटा कर मौके से बेदखल कर दिया और सरकारी आराजी संख्या 1148/1 पर अब क्रेशर प्लान्ट अस्तित्व म. नहीं है। इसके अलावा खसरा संख्या 1143/1 पर अवैध खनन के सन्दर्भ म. पुलिस थाना, आंबापुरा जिला, बांसवाड़ा म. पंजीकृत प्र.सू.रि. संख्या 50/2014 म. बाद अनुसन्धान इन्द्रजीत सिंह इत्यादि के विरूद्ध राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30,41 एवं धारा 4 एम. एम. आर. डी. एक्ट 1957 एवं नियम 48, 68 राज. अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 व धारा 447, 379 भा.दं.सं. म. चालान सक्षम न्यायालय म. प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने पर श्री इन्द्रजीतसिंह एवं स्वयं परिवादी का क्रेशर, जो सरकारी भूमि पर स्थापित थे, को हटा दिया गया एवं अवैध खनन बाबत अभियुक्तगण इन्द्रजीत सिंह इत्यादि के विरूद्ध न्यायालय म. आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जो लम्बित है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को परिवाद म. अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 03.11.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(199)लोआस/2014

परिवादी श्री सत्यनारायण बातरा पुत्र श्री सुखलाल बातरा निवासी किला, जिला चित्तौड़गढ़ से दिनांक 04..08.2014 को जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 256 व 257 के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के एक वर्ष से अधिक समय हो जाने

के बावजूद वेतन राशि की वसूली नहीं की गई है। जल संसाधन खण्ड, चित्तौड़गढ़ की चल-अचल सम्पति कुर्क कर वसूली कराये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 13.01.2015 से अवगत कराया कि परिवादी के बकाया वेतन भुगतान बाबत अतिरिक्त श्रम आयुक्त की वसूली कार्यवाही के आदेश की पालना म. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा विभाग की जीप आर. जे. एच. 856 को कुर्क की गई। जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ ने पत्र दिनांक 15.06.2015 से अवगत कराया कि जीप नीलामी के अनुमोदन के बाद तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा अंतिम बोलीकर्त्ता से राशि प्राप्त कर 85,000/-रूपये का डी.डी. अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं पदेन शासन उप सचिव (श्रम), राज. जयपुर को प्रेषित कर दिया गया है ।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी की बकाया राशि की सम्पूर्ण वसूली होकर परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 02.07.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(207)लोआस/2014

परिवादी श्री महावीर प्रसाद, संयोजक, सैनी समाज, निवासी गिगलानी की ढाणी, मातावाली तहसील बहरोड़, जिला अलवर द्वारा दिनांक 19.07.2014 को प्रस्तुत इस परिवाद म. अभिकथन किया गया कि उनकी ढाणी म. सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण के सम्बन्ध म. उनके द्वारा सभी स्थानीय राजस्व अधिकारिया/कर्मचारिया. को शिकायत करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटवाया जा रहा है। परिवादीगण ने सार्वजनिक भूमि पर सामूहिक रूप से किये गये अतिक्रमणा. को हटवाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के संदर्भ म. जिला कलेक्टर, अलवर ने पत्र दिनांक 22.01.2015 से अवगत कराया कि प्रकरण म. प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमिया. के विरूद्ध एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर उनको मौके से बेदखल कर दिया गया है। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियां प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 08.04.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(208)लोआस/2014

परिवादी श्री जैसाराम पुत्र श्री फूसाराम, निवासी ग्राम सुरजनवासी, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर द्वारा दिनांक 22.07.2014 को प्रस्तुत इस परिवाद म. अभिकथन किया गया कि उसके द्वारा नियमानुसार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी उसकी भूमि का सीमाज्ञान नहीं करवाया जा रहा है। जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ को इस सम्बन्ध म. निर्देश भी जारी किये गये हैं किंतु लम्बे समय से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। परिवादी ने प्रकरण म. जाँच करवाकर न्याय दिलवाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के संदर्भ म. जिला कलेक्टर, बीकानेर ने पत्र दिनांक 28.01.2015 से अवगत कराया कि प्रकरण म. परिवादी द्वारा वांछित सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2014 को ही करवा दिया गया था किंतु परिवादी द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। दिनांक 12.08.2014 को पुनः टीम बनवाकर नियमानुसार सीमाज्ञान करवा दिया गया है जिसम. परिवादी का रकबा मौके एवं

रिकार्ड के अनुरूप पूर्ण व सही पाया गया। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियां प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 04.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(210)लोआस/2014

परिवादी श्री दयानन्द पुत्र श्री मूंगाराम जाति जाट निवासी पीपल का बास, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं से दिनांक 04.08.2014 को नायब तहसीलदार, मलसीसर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प कोर्ट, झुन्झुनूं द्वारा मु.नं. 18/2005 रतिराम बनाम बालूराम म. पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.2009 की अनुपालना म. नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया है। उसने न्यायालय के आदेशानुसार नामान्तरण दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने पत्र दिनांक 04.09.2015 द्वारा अवगत कराया कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील संख्या 18/2009 मे. दिनांक 05.10.2009 को पारित निर्णय के क्रम म. उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर के आदेश दिनांक 19.09.2014 की पालना म. ग्राम पीपल का बास का नामान्तरण संख्या 157 दिनांक 01.12.2014 को स्वीकृत हो चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 12.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(219)लोआस/2014

परिवादी श्री मीठालाल गुर्जर पुत्र श्री कल्याणमल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी बोरखेड़ा, ग्राम पंचायत, मोरन तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर से दिनांक 12.08.2014 को जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम बोरखेड़ा तहसील, बौंली जिला, सवाई माधोपुर म. स्थित गौचर भूमि ख.सं. 869, 878, 870, 1014 पर अतिक्रमण कर पक्के मकान बना लिये गये हैं। गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं अतिक्रमिया. के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने पत्र दिनांक 02.02.2015 से अवगत कराया कि परिवादी मीठालाल की खातेदारी की भूमि के पास स्थित चारागाह भूमि ख.सं. 855 पर ग्राम बोरखेड़ा के श्री हरफूल गुर्जर, गोपाल नाथ एवं रमेश द्वारा अवैध कब्जा कर मकान बाउण्ड्री एवं पाटोर पोश मकान बना लिए जिस बाबत उनके विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया जिसम. नायब तहसीलदार, मित्रपुरा द्वारा पारित निर्णय दिंनाक 01.01.2015 की अनुपालना म. अतिक्रमिया. द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने के फलस्वरूप शास्ति आरोपित कर 90-90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर बेदखली के आदेश पारित किये गए हैं।

जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने पुनः पत्र दिनांक 29.07.2015 से अवगत कराया कि मौके से अतिक्रमिया. का अतिक्रमण सरपंच, ग्राम पंचायत, बोरन की उपस्थिति म. जे.सी.बी. से ध्वस्त कर अतिक्रमिया. को बेदखल कर दिया गया है। अतिक्रमी गोपाल ने स्वयं ही 4-5 दिन पूर्व अपना कब्जा हटा लिया है। उनके द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट की फोटो प्रति पर परिवादी के भी हस्ताक्षर है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 17.08.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(239)लोआस/2014

परिवादीगण श्री हरिराम गुर्जर इत्यादि ग्रामवासी ग्राम हरभावता, तहसील निवाई, जिला टाक्र से दिनांक 22.08.2014 को तहसीलदार, निवाई, उपखण्ड अधिकारी, निवाई एवं जिला कलक्टर, टाक्र के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि गाँव हरभावता म. चारागाह भूमि पर कुछ लोगा. द्वारा अतिक्रमण कर आम-रास्ता बन्द कर दिये जाने से पशुआ. को चराने एवं आवागमन की समस्या हो रही है। उन्हान्ने तुरन्त अतिक्रमण हटवाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, टाक्र ने पत्र दिनांक 27.04.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि नायब तहसीलदार, दत्तवास के नेतृत्व म. गठित टीम द्वारा मौके पर सीमाज्ञान करवाकर आम-रास्ते व चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण को पुलिस जाब्ते के सहयोग से दिनांक 20.04.2015 को हटा दिया गया तथा उक्त कार्यवाही से परिवादी हरिराम गुर्जर व अन्य सन्तुष्ट हैं। उनके द्वारा प्रेषित पर्चा मौके की फोटो-प्रति पर परिवादी सहित अन्य शिकायतकर्त्ताआ. के हस्ताक्षर भी हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादीगण को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 30.06.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(244)लोआस/2014

परिवादी लक्ष्मणराम पुत्र श्री मोहनराम जाति विश्नोई, निवासी राजाणिया. की ढ़ाणी, ग्राम फतेहसागर, तहसील लोहावट जिला, जोधपुर से तहसीलदार श्री बलदेव सिंह के विरूद्ध दिनांक 27.08.2014 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि ग्राम पंचायत, फतेहसागर म. खसरा संख्या 866 व 866/1 की गैरमुमकिन भाखर, चारागाह तथा शमशान भूमि पर भू-माफिया कब्जा कर भूखण्ड काट कर बेचान कर रहे हैं एवं रास्ता. को बन्द कर रहे हैं। उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, जोधपुर ने पत्र दिनांक 21.08.2015 से अवगत कराया कि प्रकरण मे. सभी मामला. म. बेदखली कर अतिक्रमणा. को हटा दिया गया है। मु.सं.44/15 म. राजस्व अपील अधिकारी के स्थगन आदेश दि 08.11.2014 एवं राजस्व मण्डल के निगरानी सं. 2014/6224 म. स्थगन आदेश दिनांक 05.07.2015 होने के कारण ख.सं. 866 से बीरबलराम आदि का अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका।

जिला कलक्टर, जोधपुर ने पुनः पत्र दिनांक 04.01.2016 से अवगत कराया कि दिनांक 13.08.2015 को मु.सं. 38/15 से 43/15 व 45/15 से 48/15 म. पारित बेदखली के निर्णय के अनुसार अतिक्रमिया. को भौतिक रूप से बेदखल कर दिया जिसकी फर्द संलग्न प्रेषित की है। यह भी प्रकट किया कि ख.सं. 866 किस्म गैरमुमकिन भाखर रकबा 04 बीघा पर पत्थरा. की दीवार व काश्त करने के संबध म. बीरबल राम इत्यादि के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत मु. सं. 44/15 के सम्बन्ध म. राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 27.08.15 एवं राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के निर्णय दि. 19.10.15 के पश्चात् तहसीलदार, लोहावट बेदखली निर्णय दिनांक

29.10.15 की पालना म. पुलिस इमदाद से दिनांक 03.11.2015 को अतिक्रमिया. को बेदखल किया जाकर ख.सं. 866 की अतिक्रमित 04 बीघा गैरमुमकिन भाखर को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। मौका-रिपोर्ट की प्रति भी प्रेषित की गई जिस पर परिवादी लक्ष्मणराम के भी हस्ताक्षर हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत भूमि पर हुए समस्त अतिक्रमणा. को विधिनुसार कार्यवाही कर हटाये जाने से परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह प्रकरण दिनांक 09.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(278)लोआस/2014

परिवादी श्री महावीर तेली पुत्र श्री श्रवण तेली, निवासी भील मौहल्ला, हुरड़ा, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 10.09.2014 को प्रस्तुत इस परिवाद म. अभिकथन किया गया कि उनके अनुसूचित जाति तथा जनजाति मौहल्ले से निकलने वाली नाली एवं बरसाती पानी के निकासी को कुछ व्यक्तिया. द्वारा दुर्भावनापूर्वक रोक दिया गया है जिसके कारण पानी अवरूद्ध होकर मौहल्ले के मकाना. म. भर गया है। इस कारण मौहल्ले वासिया. का. अनेक परेशानिया. का सामना करना पड़ रहा है। परिवादी ने प्रकरण म. जाँच करवाकर आवश्यक कार्यवाही करवाने का निवेदन किया।

इस परिवाद म. किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध पद के दुरूपयोग अथवा भ्रष्टाचार के आरोप अंकित नहीं होने के कारण परिवाद की प्रतिलिपि

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर इसे इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 28.10.2014 को नस्तीबद्ध किया गया।

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने इस सम्बन्ध म. पत्र दिनांक 18.01.2016 से अवगत कराया कि प्रकरण म. प्रश्नगत नाली को खुलवाया जाकर पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करवा दी गई है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद की प्रतिलिपि मात्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने पर भी जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण म. कार्यवाही करते हुए परिवादी की समस्या का निराकरण कर दिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रदर्शित करता है।

एफ.11(287)लोआस/2014

परिवादी श्री विश्वास शर्मा, डायरेक्टर, महाराणा प्रताप सामाजिक विकास संस्थान, टाक्र रोड़, जयपुर से दिनांक 17.09.2014 को पटवारी हल्का, बालापुरा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम बालापुरा के ख.सं. 3816 किस्म चरागाह भूमि पर ग्राम बालापुरा के असामाजिक व्यक्तिया. द्वारा अतिक्रमण कर पक्की बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कर दिया जिसे तहसीलदार, फागी द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत हटाने का आदेश दिनांक 04.12.2013 को पारित करने के बावजूद नहीं हटाया जा रहा है। उन्हान्ने उक्त अतिक्रमण हटवाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, जयपुर ने पत्र दिनांक 25.03.2015 द्वारा अवगत कराया

कि चरागाह भूमि पर किया गया अतिक्रमण मौके से हटा दिया गया है, जिस कार्यवाही की फोटो-प्रति भी संलग्न की गई। वर्तमान म. मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 25.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(303)लोआस/2014

एफ.11(321)लोआस/2013

परिवादी श्री दिलीपसिंह इत्यादि समस्त ग्रामवासी गढ़सुरिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर से दिनांक 17.02.2014 को हलका पटवारी के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम गढ़सुरिया के खसरा संख्या 578 रकबा 413.07 हेक्टयर गैरमुमकिन भाकर जो पशुधन चरने के काम आता है, पर भूमाफिया. द्वारा पक्का व कच्चा निर्माण कर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। इसके अलावा चामुण्डा माता के मन्दिर जाने वाली मुडिया सड़क के दोना. ओर बेहद अतिक्रमण कर सड़क के रास्ते को संकरा दिया है। पटवारी हलका द्वारा सूचित करने के बावजूद पक्का निर्माण नहीं रूकवाया गया। उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने का निवेदन किया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति (जिला कलक्टर), जोधपुर ने उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर एवं तहसीलदार, पीपाड़ शहर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर पत्र दिनांक 30.06.2014 से अवगत कराया कि ग्राम गढ़सूरिया के खसरा संख्या 578 पर अतिक्रमिया. के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर बेदखली के आदेश तहसीलदार, पीपाड़ शहर द्वारा पारित किये जिसकी पालना म. भू-अभिलेख

निरीक्षक व पटवारी द्वारा बेदखली की गई एवं दिनांक 26.06.2014 को तहसीलदार, पीपाड़ शहर द्वारा उक्त खसरे म. सड़क के दोना. तरफ पत्थरों की कच्ची दीवार, तारबंदी की जाकर तथा पत्थर डालकर किये गये अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि को खाली करवा दिया है।

परिवादी द्वारा पूर्ण अतिक्रमण नहीं हटाये जाने बाबत आक्षेप प्रेषित करने पर लोकायुक्त सचिवालय के निर्देश पर कार्यवाही कर जिला कलक्टर, जोधपुर ने उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर से जाँच करवाकर पत्र दिनांक 12.08.2015 द्वारा अवगत कराया कि पुलिस जाब्ता उपलब्ध होने पर तहसीलदार, पीपाड़ शहर, हलका पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक के साथ उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर ने ग्राम गढ़सूरिया के खसरा संख्या 578 पर चिन्हित अतिक्रमण (कच्ची चार दीवारी बाड़ वगैरह) को नियमानुसार हटाया जा चुका है और अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही से परिवादी श्री दिलीप सिंह पूर्ण संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 30.10.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(309)लोआस/2014

परिवादी श्री रामकिशोर शर्मा पुत्र श्री झूथाराम शर्मा, निवासी नींदड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर से प्राप्त परिवाद दिनांक 22.09.2014 म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम नींदड़ तहसील आमेर जिला जयपुर म. स्थित खाता संख्या 195 के कुछ भाग का नियम विरूद्ध तकास्मा करने बाबत तत्कालीन एस.डी.एम., आमेर, तहसीलदार एवं पटवारी को दण्डित करवाय। राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 23.05.2011 की पालना करवाने का भी निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ने पत्र दिनांक 23.03.2015 द्वारा इस सचिवालय को अवगत कराया कि उपखण्ड अधिकारी, आमेर व सहायक कलक्टर, आमेर द्वारा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा निर्णय पारित किये हैं तथा राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 23.05.2011 की पालना म. राजस्व रिकॉर्ड म. एस.डी.एम., आमेर के निर्णय दिनांक 16.01.2005, 15.02.2006 एवं राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.05.2006 के खारिज का नोट अंकित कर दिया गया है।उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार परिवाद के अनुसार राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना कर दिये जाने से परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त होना मानते हुए इस परिवाद को दिनांक 19.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(310)लोआस/2014

परिवादी श्री सुगन सिंह भाटी पुत्र श्री सगत सिंह भाटी जाति राजपूत निवासी ग्राम नोख तहसील, पोकरण जिला, जैसलमेर से प्राप्त परिवाद दिनांक 16.09..2014 म. ग्राम नोख की ख.सं. 2552 गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर दीप सिंह पुत्र दान सिंह एवं सबर खाँ पुत्र खुदाबक्स इत्यादि द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने का निवेदन किया गया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया कि परिवाद म. वर्णित ग्राम नोख के ख.सं. 2552/3153 पर श्री भँवरलाल भील एवं श्री दीप सिंह के वारिसा. द्वारा किये गये अतिक्रमण को उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के नेतृत्व मे दिनांक 29.11.2014 को हटाकर भूमि राजहक कब्जा ले ली गई है। उनके द्वारा अतिक्रमण को हटाये जाने की मौका रिपोर्ट की प्रति भी प्रेषित की है जिस पर परिवादी सुगन सिंह भाटी के

भी हस्ताक्षर है और स्वयं परिवादी ने भी पत्र दिनांक 06.04.2015 प्रेषित कर शिकायत का निराकरण हो जाना सूचित किया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 11.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(344)लोआस/2014

परिवादी धन्ना लाल पुत्र श्री राम किशन जाति गुर्जर निवासी अहमदपुरा तहसील, छबड़ा जिला, बारां से दिनांक 30.09.2014 को क्षेत्रीय पटवारी के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि ग्राम हास्याखेड़ी म. ख.स. 695 म. खातेदार उसकी पत्नी होने से रबी की फसल का मुआवजा राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है।

परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन म. शपथ-पत्र प्रेषित नहीं करने, किसी लोकसेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार के विशिष्ट आरोप अधिरोपित नहीं करने से परिवाद की प्रति जिला कलक्टर, बारां को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए यह परिवाद दिनांक 11.12.2014 को नस्तीबद्ध किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां ने पत्र दिनांक 23.01.2015 से अवगत कराया कि प्रार्थीया कमलीबाई गुर्जर के ग्राम हास्याखेड़ी म. जमीन के दो खाते हैं जिसकी रबी की फसल का मुआवजा 12,000/- रू. भुगतान हेतु प्रस्तावित कर दिया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां ने पत्र दिनांक 01.05.2015 से अवगत कराया गया कि कमलीबाई को फसल का मुआवजा राशि 12,000/- रू. का भुगतान हो

चुका है। इस सम्बन्ध म. परिवादिनी द्वारा भरी गई विड्रोल पर्ची फार्म नं. एम-23 की फोटो-प्रति भी संलग्न प्रेषित की है।

इस प्रकार परिवादी द्वारा परिवाद की औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने के बावजूद भी लोकायुक्त सचिवालय द्वारा कार्यवाही कर परिवादी को फसल मुआवजा की राशि दिलाना लोकायुक्त सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.11(345)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती रामनाथी बाई, सरपंच, ग्राम पंचायत तेलनी, ग्राम नगदा, तहसील, छबड़ा जिला, बारां से दिनांक 30.09.2014 को राजस्व अधिकारिया. के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. ग्राम जाला म. चारागाह भूमि पर रामसिंह मीणा, भूरालाल, घीसूसिह, करणसिंह इत्यादि के अतिक्रमणा. को हटाने एवं नरेगा भुगतान बाबत पोस्ट-मास्टर द्वारा पंचायता. के आदेश की पालना नहीं करने एवं फर्जी भुगतान उठा लेने बाबत आरोप लगाए गए।

परिवादिया द्वारा विहित प्रारूप म. परिवाद सत्यापित शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां ने पत्र दिनांक 23.04.2015 से अवगत कराया कि पड़त भूमि पर किसी का कब्जा नहीं पाया गया, वर्तमान म. भूमि खाली है। नरेगा भुगतान बाबत कार्यवाही लम्बित होना वर्णित किया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां ने वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर, कोटा मण्डल, कोटा की रिपोर्ट के आधार पर पत्र दिनांक 24.06.2015 से अवगत कराया कि प्रकरण म. बकाया सभी एफटीओ का भुगतान शाखा

डाकघर, तेलनी द्वारा कर दिया गया है एवं भविष्य म. नरेगा भुगतान समय पर करने हेतु डाकपाल, तेलनी को पाबन्द कर दिया गया है। परिवादिया द्वारा बावजूद पत्र के इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 16.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(375)लोआस/2014

परिवादी श्री कल्याण सहाय धानका पुत्र स्व. श्री भैरूराम जाति धानका निवासी अरनियाँ, तहसील आमेर, जिला जयपुर ने अपने परिवाद म. अभिकथन किया कि वह ग्राम अरनियाँ म. स्थित आराजी खसरा संख्या 8 रकबा 1.29 है. का खातेदार काश्तकार है, अप्रार्थी गन्दालाल, नन्दकिशोर इत्यादि खसरा संख्या 6/1167 रकबा 0.38 है. के खातेदार है। उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध तहसीलदार, आमेर द्वारा वाद संख्या 01/2002 म. पारित निर्णय दिनांक 23.09.2002, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर द्वारा अपील सं.120/2002 म. पारित निर्णय दिनांक 22.02.2003, राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निगरानी टीए/62/2003 म. पारित निर्णय दिनांक 08.07.2014 एवं राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा नजरसानी सं. टीए/6/64 म. पारित निर्णय 20.07.2005 की अनुपालना करवाने का निवेदन किया है जिनम. अप्रार्थीगण गद्दालाल इत्यादि द्वारा किये गये अवैध कब्जा काश्त को हटाने का आदेश दिया गया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, जयपुर ने पत्र दिनांक 22.06.2015 द्वारा इस सचिवालय को अवगत कराया कि परिवादी की भूमि पर सामान्य जाति के व्यक्ति का कब्जा पाये जाने पर ग्राम अरनियाँ की आराजी खसरा संख्या 8

रकबा 1.29 है. का कब्जा हटाकर दिनांक 18.06.2015 को परिवादी को मौके पर संभला दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी द्वारा परिवाद म. उल्लेखित अनुतोष उसे प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 04.08.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(376)लोआस/2014

परिवादी श्री जयराम ओगरा, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, नागौर से जिला कलेक्टर, नागौर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद दिनांक 10.10.2014 म. यह अभिकथन किया गया है कि पटवार हल्का नांवा के ख.सं. 1172 व 1988/1805 की 3.34 हैक्टेयर भूमि, जो श्रीमती सुमनदेवी इत्यादि के नाम पर है, पर सोहनलाल वीर रिद्धि सिद्धि नाम से नमक उद्योग करता है तथा पास स्थित गौचर भूमि म. से करीब 15 हैक्टेयर पर कब्जा कर नमक उत्पादन कर रहा है। इसी प्रकार ख.सं. 289 व 422/294 गौचर भूमि म. से 10 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जा कर नमक उत्पादन कर रहा है। उसके द्वारा उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया गया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर ने पत्र दिनांक 26.02.2015 से इस सचिवालय को अवगत कराया कि ग्राम नांवा के ख.सं. 1805 रकबा 367.05 है. म. से 4.00 है. भूमि पर उर्मिला, भँवरीदेवी, सुमनदेवी व छोटीदेवी द्वारा अतिक्रमण करने पर उनके विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 08.10.2014 को अतिक्रमण हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 14.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(384)लोआस/2014

परिवादी श्री साहबराम पुत्र श्री हरिराम जाति नाई निवासी 5100 आर.डी. ढ़ाणी 2 सीएस पोस्ट जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा (हनुमानगढ़) से दिनांक 17.10.2014 को श्री ज्ञानीराम, गिरदावर हल्का, पंडितावाली तहसील, पीलीबंगा (हनुमानगढ़) के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि पीलीबंगा के चक 51000 आर.डी. के प.नं. 95/363 के किला नं.21 से 25 का स्वीकृत रास्ता खुलवाने बाबत गिरदावर ज्ञानीराम ने शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होन. इस सम्बन्ध म. गिरदावर ज्ञानीराम के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं रास्ता खुलवाये जाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ ने पत्र दिनांक 08.05.2015 द्वारा अवगत कराया कि चक 51000 आर.डी. के प.न.95/363 के किला नं. 21 ता 25 आरक्षित रास्ते को सहमति के आधार पर खुलवाया गया जिसम. शिकायतकर्त्ता साहबराम ने भी सहमति के हस्ताक्षर किये। उन्हान्ने कार्यवाही की फोटो-प्रति संलग्न प्रेषित की जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 10.07.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(394)लोआस/2014

परिवादी श्री मदन लाल चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण राम चौधरी जाति जाट निवासी मिर्धा नगर, कुचामन सिटी जिला, नागौर से दिनांक 28.10.2014 को तहसीलदार, कुचामन सिटी के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि तहसीलदार, कुचामन सिटी को विभिन्न आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद उसकी पुत्री श्वेता चौधरी का ओ.बी.सी. एवं एन.सी. एन. जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये हैं और न ही आवेदन निरस्त करने के कारण बताये हैं। उन्हाने श्वेता चौधरी का ओ.बी.सी. एन.सी.एन. प्रमाण-पत्र जारी करवाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, नागौर ने पत्र दिनांक 29.01.2015 से अवगत कराया कि परिवादी मदनलाल की पुत्री श्वेता चौधरी को राज्य सरकार की सेवाआ. के लिए एवं भारत सरकार की सेवाआ. के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र दिनांक 18.12.14 को जारी कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 16.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(397)लोआस/2014

परिवादी श्री मंगलाराम पुत्र श्री बूलाराम यादव जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील, बहरोड़ जिला, अलवर से तहसीलदार, बहरोड़ के विरूद्ध प्राप्त परिवाद दिनांक 30.10.2014 म. यह अभिकथन किया है कि डूंगरसी बहरोड़ उत्तर से कल्याणपुरा जाने वाले आम कदीमी रास्ते को लखीराम पुत्र अर्जुन अहीर इत्यादि द्वारा खाई खोद कर कच्ची दीवार

निर्मित कर अवरूद्ध कर दिया गया है। निवेदन किया गया कि मौके पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पैमाइश करवाकर अतिक्रमण को हटाया जाये।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर ने पत्र दिनांक 19.06.2015 द्वारा इस सचिवालय को अवगत कराया कि रास्ते बाबत पैमाईश करवाकर जेसीबी से खाई को भराया जाकर रास्ते को संधारित कर दिया गया एवं मौके पर कुछ हिस्से पर स्वयं परिवादी मंगलाराम का पक्का निर्माण कर अतिक्रमण पाया गया। परिवादी के अतिक्रमण बाबत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर ने उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ के पत्र दिनांक 14.10.2015 का अवलम्ब लेते हुए इस सचिवालय को अवगत कराया गया कि परिवादी मंगलाराम का पक्का निर्माण भी अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बहरोड़ द्वारा मौके से हटवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह प्रकरण लोकायुक्त सचिवालय स्तर पर दिनांक 04.12.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रभावी कार्यवाही से न केवल अतिक्रमी लखीराम इत्यादि बल्कि स्वयं परिवादी का अतिक्रमण हटाया जाकर रास्ता आम आवागमन हेतु खुलवाया जाना लोकायुक्त सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.11(402)लोआस/2014

परिवादी श्री गुमान सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह जाति राजपुरोहित निवासी सोकडा, तहसील बाली, जिला पाली से प्राप्त परिवाद दिनांक 05.11.2014 म. ग्राम सोकड़ा पटवार हल्का पैरवा, तहसील बाली, जिला पाली के राजस्व ख.सं. 67 गैर मुमकिन वाला एवं ख.सं. 185/583 राजकीय

सिवायचक की भूमि पर से अरविन्द सिंह, भँवरसिंह द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने का निवेदन किया गया।

परिवादी श्री गुमान सिंह ने पत्र के बावजूद विहित प्रारूप म. सत्यापित शपथ-पत्र सहित परिवाद प्रेषित नहीं किया लेकिन सार्वजनिक हित का परिवाद मानते हुए इस सचिवालय द्वारा जिला कलेक्टर, पाली से परिवाद के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगी गई। जिसके सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, पाली ने रिपोर्ट दिनांक 31.07.2015 से तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट दिनांक 08.07.2015 के आधार पर प्रकट किया कि ग्राम सोकड़ा के ख.सं.67 गैर-मुमकिन बाला की भूमि पर भँवरसिंह, अरविन्द सिंह एवं अन्य 23 लोगा. का कब्जा है जिनके विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई लेकिन वर्तमान म. प्रकरण राजस्व मण्डल, अजमेर म. विचाराधीन होने एवं अतिक्रमिया. के पक्ष म. स्थगन आदेश होने से राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के निर्णय अनुसार ही प्रकरण म. अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव है। यह भी प्रकट किया गया कि ग्राम सोकडा के ख.सं. 67 गैर मुमकिन बाला की भूमि पर 25 अतिक्रमिया. को चिन्हित कर उनके विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद नायब तहसीलदार, बेड़ा म. प्रस्तुत किया गया जिसम. पारित निर्णय की पालना म. न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश की भूमि को छोड़ते हुए बकाया अतिक्रमण दिनांक 06.07.2015 को हटा दिया गया। जिसकी मौका रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की। परिवादी द्वारा उक्त रिपोर्ट पर पत्र के बावजूद कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवाद म. अनुतोष प्राप्त होना मानते हुए परिवाद को दिनांक 29.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(406)लोआस/2014

परिवादी श्री रामस्वरूप पुत्र श्री गोरूराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील, चिड़ावा जिला, झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 11.11.2014 को तहसीलदार, चिड़ावा जिला झुन्झुनूं के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद म. महासिंह पुत्र रामबक्स जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील, चिड़ावा द्वारा ग्राम अमरपुरा के ख. सं.97 की भूमि म. से गैर मुमकिन रास्ते की भूमि 0.12 है. पर किये गये अतिक्रमण को हटाने एवं इस सम्बन्ध म. तहसीलदार, चिड़ावा के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं ने पत्र दिनांक 12.06.2015 से अवगत कराया कि ग्राम अमरपुरा के ख.सं. 97 गैर मुमकिन रास्ता, जिस पर श्री रामसिंह एवं महासिंह द्वारा अतिक्रमण कर रखा था, उनके विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित कर दिनांक 20.09.2014 को बेदखली का आदेश पारित किया जिसकी अनुपालना म. दिनांक 03.12.2014 को मौके से अतिक्रमण हटाया जाकर रास्ता चालू करवा दिया गया। अतिक्रमण हटाये जाने की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 03.12.2014 पर स्वयं परिवादी के भी हस्ताक्षर है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 10.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

इस प्रकार परिवादी रामस्वरूप द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने के केवल मात्र 23 दिना. म. ही रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाना लोकायुक्त सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.11(412)लोआस/2014

परिवादी श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री राम किशोर गुप्ता निवासी लालसोट जिला, दौसा से दिनांक 11.11.2014 को उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला, दौसा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि उसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, लालसोट के समक्ष दिनांक 07.02.2012 को मूल केश चालान 1000/-रू. व दिनांक 12.09.2012 को दुबारा पत्र लिखकर फर्म रामकिशोर कैलाश प्रसाद, लालसोट का आरटीएल लाईसेन्स निरस्त कर अमानत राशि प्रदान करने का निवेदन करने के बावजूद न तो अमानत राशि उसे प्रदान की गई और न ही लाइसस्न निरस्त किया गया। उसने उक्त लाइसेन्स निरस्त कर अमानत राशि दिलाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा ने पत्र दिनांक 13.07.2015 से अवगत कराया कि परिवादी द्वारा मूल आर.टी.एल. लाइसेन्स प्रस्तुत करने पर उसे निरस्त कर रिफण्ड बिल बनाकर कोष कार्यालय, दौसा को भिजवा दिया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा ने अपने पत्र दिनांक 12.08.2015 से अवगत कराया कि परिवादी के आर.टी. एल. लाईसेन्स नम्बर 392 को निरस्त कर अमानत राशि का उन्ह. नगद भुगतान दिनांक 10.07.2015 को कर दिया गया है। परिवादी की ओर से इस सम्बन्ध मे कोई आपत्ति प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 07.10.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(417)लोआस/2014

परिवादी श्री लक्ष्मण सिंह मनोहर पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चिरनोटियां, जिला जयपुर से दिनांक 19.11.2014 को तहसीलदार, किशनगढ़ रेनवाल एवं हल्का पटवारी, मुरलीपुरा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम चिरनोटियां, तहसील रेनवाल, उपखण्ड साम्भर लेक म. स्थित गोचर भूमि ख.सं. 106 म. स्थित तालाब (खारड़ा) के कैचमेन्ट एरिया तथा गोचर की भूमि पर दूसरे गाँव के व्यक्तिया. ने खरीफ फसल बो-कर गाँव का रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। उसके द्वारा तालाब के कैचमेन्ट एरिया आदि जगह के अतिक्रमण को हटाये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, जयपुर ने पत्र दिनांक 01.06.2015 से अवगत कराया कि उक्त आराजी ख.सं. 105 चरागाह भूमि पर नीलम कुमार राणा एवं ख. सं. 106 गै.मु. चरागाह पर शेराराम द्वारा किये गये अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटाया जा चुका है। पत्र के साथ बेदखली कार्यवाही की फोटो प्रतियाँ भी प्रेषित की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 29.10.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(418)लोआस/2014

परिवादी अमृत सिंह पुत्र श्री बक्तावर सिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढालोप हाल निवासी देसूरी जिला पाली से दिनांक 18.11.2014 को प्राप्त

परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि ग्राम देसूरी स्थित भूमि ख.सं. 2410/3387 रकबा 0.32 है. म. से 0.20 है. भूमि का तहसीलदार, देसूरी द्वारा संपरिवर्तन किये जाने के आदेश की आड़ म. ग्राम देसूरी के दिलीप कुमार, जगदीश कुमार द्वारा अवैध रूप से सरकारी सिवायचक भूमि खसरा नंबर 2398 व 2410 पर निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसकी शिकायत दि. 20.10.12014 को तहसीलदार, देसूरी को करने पर पटवारी भू-अभिलेख को तुरंत कार्य रूकवाने एवं निर्माण सामग्री जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिये और इस संबंध म. धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 10.10.2003 को बेदखली का आदेश पारित किये जाने के बावजूद आज तक अवैध निर्माण कार्य न तो रूकवाया गया, न ही ध्वस्त किया गया एवं अवैध निर्माण लगातार चल रहा है । निवेदन किया गया कि राजकीय सिवायचक भूमि ख.स. 2398 व 2410 पर चल रहे अवैध निर्माण को रूकवाने एवं अवैध रूप से किये गये निर्माण को ध्वस्त करवाने के आदेश फरमाव।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, पाली ने पत्र दि. 19.05.2015 से अवगत कराया कि राजकीय सिवायचक भूमि ख.स. 2398, 2410 पर अतिक्रमी मदन, सुमेरसिंह, कालू द्वारा अवैध रूप से किये गये बाड़ा अतिक्रमण को मौके पर से हटाया गया, दिलीपकुमार, जगदीश के अवैध पक्के अतिक्रमण निर्माण को जे.सी.बी. मशीन से हटाया गया, फुआराम का अवैध रूप से बना पक्का छोटा कमरा, दुकान को सीज कर कब्जा सरकार लिया गया। फर्द मौका दिनांक 08.04.2005 की फोटो-प्रति भी साथ प्रेषित की गई।

अत: इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 09.06.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(429)लोआस/2014

परिवादी श्री भागचन्द पुत्र श्री कान्हाराम रैगर निवासी पीपलू तहसील, पीपलू, जिला टाक्र से जिला कलेक्टर, टाक्र के विरूद्ध प्राप्त परिवाद दिनांक 10.10.2014 म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम पीपलू म. स्थित राजकीय भूमि ख.सं. 2492 रकबा 5 बिस्वा पर अतिक्रमण बाबत अतिक्रमी राजाराम धोबी की अपील राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारिज करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। उनके द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने का निवेदन किया गया।

परिवादी द्वारा पत्र के बावजूद विहित प्रारूप म. सत्यापित शपथ-पत्र सहित परिवाद प्रेषित नहीं करने के बावजूद सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण का विवाद होने से प्रकरण म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, टाक्र ने पत्र दिनांक 24.04.2015 से अवगत कराया कि ग्राम पीपलू के ख.सं. 2492 रकबा 5 बिस्वा किस्म सिवायचक पर राजाराम धोबी द्वारा अतिक्रमण कर सरसा. की काश्त करने के मामले म. उसके विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर निर्णय दिनांक 24.02.2015 द्वारा उसे 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा एवं लगान के 50 गुणा की शास्ति के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील म. जिला कलेक्टर, टाक्र द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2015 की अनुपालना म. दिनांक 23.03.2015 को उसे बेदखल कर परिवादी के मकान तक का रास्ता खुलवाया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सार्वजनिक भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाकर परिवादी का रास्ता खुलवाया गया और परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त होने पर यह परिवाद दिनांक 12.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(435)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती किशन देवी पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय, हिण्डौन सिटी से उप जिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी के विरूद्ध प्राप्त परिवाद दिनांक 27.11.2014 म. अभिकथन किया गया कि उसके द्वारा उप जिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी को विधवा पशन आवेदन प्रस्तुत किये करीब 6 माह का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद उसे पशन स्वीकृत नहीं की है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, करौली ने पत्र दिनांक 19.03.2015 द्वारा इस सचिवालय को अवगत कराया कि परिवादिया श्रीमती किशन देवी के पशन बाबत पीपीओ नम्बर 06908759 दिनांक 26.12.2014 जारी कर दिया गया है जिसकी छाया-प्रति भी संलग्न की है।

अत: इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 29.04.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(440)लोआस/2014

परिवादी भरोसी पुत्र श्री रामजी लाल जाति नाई निवासी हाडौली तहसील, हिण्डौन सिटी जिला, करौली से दिनांक 27.11.2014 को एस.डी.ओ., हिण्डौन सिटी के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि उप जिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी द्वारा वाद संख्या 164/2008 भरोसी एवं अन्य बनाम कल्याण एवं अन्य म. पारित डिक्री दिनांक 22.08.2012 के तहत सम्बन्धित बंटवारा स्कीम को एस.डी.ओ. कार्यालय के कर्मचारिया. द्वारा पत्रावली म. संलग्न नहीं कर गुम कर दिया जिससे आज तक परिवादी के नाम खातेदारी रेवेन्यु रिकॉर्ड म. दर्ज नहीं हो

सकी। निवेदन किया कि परिवादी के पक्ष म. पारित डिक्री के अनुसार आराजी उसकी खातेदारी म. दर्ज कराव।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, करौली ने पत्र दिनांक 29.07.2015 से अवगत कराया कि प्रकरण म. पूर्व म. प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। दिनांक 08.06.2015 को लोक-अदालत कैम्प के दौरान उक्त प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार पटवारी, गिरदावर से मौके पर बंटवारा करवा कर बंटवारा स्कीम के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जा चुकी है और राजस्व रिकॉर्ड मे. अमल दरामद हेतु तहसीलदार, हिण्डौन को आदेश जारी किये जा चुके हैं। पत्र के साथ दिनांक 08.06.2015 की आदेशिका की फोटो-प्रति भी प्रेषित की गई। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के इस सम्बन्ध म. कोई आपत्ति प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 18.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(443)लोआस/2014

परिवादी श्री भगवान सिंह पुत्र श्री कुंजी लाल जाति मीना निवासी लीलौटी, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली से दिनांक 27.11.2014 को उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी, तहसीलदार, हिण्डौन सिटी के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम लीलौटी (नीमौर पट्टी) मे. स्थित ख.सं. 71, 139 की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा 20 लाख रूपये की लागत से तलाई का निर्माण करवाया, उस पर मलखान, पेड़ा. को काट कर फसल करने की तैयारी कर रहा है, चारागाह की भूमि ख.सं.439 जो श्मशान एवं कब्रिस्तान की भूमि है, पर मलखान ने

मकान का निर्माण कर लिया है एवं फसल भी बो दी है, ख.सं. 1035 ग्राम कारवाड़ मीना की चारागाह भूमि, जिसको स्कूल के क्रीड़ा स्थल के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव ले रखा है, पर मलखान ने अवैध कब्जा कर सरसा. की काश्त कर दी। उसने उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने एवं अतिक्रमी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, करौली ने पत्र दिनांक 29.07.2015 से अवगत कराया कि परिवाद म. वर्णित आराजी ख.सं. 71, 139 ग्राम नीमौर पट्टी (लीलौटी) व ख. सं. 1035, 1036 वाके ग्राम कारवाड़ तथा ख.सं. 493 वाके ग्राम लीलौटी पर किये गये अतिक्रमणा. को भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का द्वारा मौके से हटाया जा चुका है और वर्तमान म. उक्त भूमिया. पर कोई अतिक्रमण नहीं है तथा ख.सं. 71, 139 नीमौर पट्टी (लीलौटी) म. किसी प्रकार के कोई पेड़ नहीं काटे गये हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 18.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.11(450)लोआस/2014

परिवादी श्री मंगल माली पुत्र श्री गंगा राम माली निवासी शाहगंज, हिण्डौनसिटी जिला, करौली से दिनांक 27.11.2014 को प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि कस्बा हिण्डौन म. उसका खेत ख.सं. 6680 सेवावाली मन्दिर के पास है लेकिन उसके खेत को जाने का रास्ता नहीं है, खेत के बगल म. गैरमुमकिन सिवायचक भूमि पर लोगो का कब्जा है। तत्कालीन जिला कलक्टर, करौली ने सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, हिण्डौन के अधिशाषी अभियंता को आदेश जारी किये लेकिन

आज तक कार्यवाही नहीं हुई। उन्हान्ने खेत म. जाने का रास्ता बनाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, करौली ने पत्र दिनांक 30.07.2015 से अवगत कराया कि आराजी ख.सं. 6680 मंगल की खातेदारी म. नहीं है बल्कि आराजी ख.सं. 6672 व 6673 की खातेदारी मंगल के नाम अभिलेख म. है और उक्त आराजी की बगल म. पूर्व की ओर नाला बना हुआ है जिसमें पानी बहता रहता है और इस नाले के ऊपर पुलिया बन चुकी है जिससे परिवादी की रास्ता संबंधी समस्या का निराकरण हो चुका है। यह भी प्रकट किया कि परिवादी ने दूरभाष पर बताया कि उसकी समस्या का निराकरण हो चुका है, आगे कार्यवाही नहीं चाहता। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 29.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(465)लोआस/2014

परिवादीया श्रीमती लीलाबाई पत्नि श्री कँवरलाल जाति जाट निवासी बोरी तहसील, प्रतापगढ़ से दिनांक 14.12.2014 को उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि उसके कुएँ पर जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण कर मात्र 6 फीट कर दिया जिससे वह अपने कुएँ तक वाहन नहीं ले जा सकती। उसने कुएँ पर आवागमन हेतु रास्ता खुलवाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ ने पत्र दिनांक 20.04.2015 से अवगत कराया

कि ग्राम बोरी की आराजी नंबर 349 रकबा 0.40 बिलानाम रास्ता एवं आराजी नंबर 328 रकबा 0.10 है.बिलानाम भूमि पर सीताराम तेली, नन्दराम गमेरा कुम्हार द्वारा पत्थर डालकर नाजायज कब्जा कर रखा था, जिसे तहसीलदार, प्रतापगढ़ द्वारा मौके से हटा दिया गया है। इसी प्रकार श्री बद्रीलाल गायरी एवं प्रभाशंकर ब्राह्मण के द्वारा मौके पर पत्थर एवं कुएँ की मिट्टी डाल रखी थी, जिन्ह. मौके से हटाने के लिए तहसीलदार, प्रतापगढ द्वारा पाबन्द कर दिया गया है। यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान म. मौके पर रास्ता चालू है एवं परिवादीया श्रीमती लीला बाई को अपनी आराजी पर आने-जाने म. कोई असुविधा नहीं हो रही है।

परिवादीया ने पत्र दिनांक 09.06.2015 द्वारा सूचित किया कि कब्जा हटाते ही कब्जा कर रास्ता संकड़ा कर दिया। इस सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ ने पत्र दिनांक 04.08.2015 से अवगत कराया कि तहसीलदार, प्रतापगढ़ द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पुलिस थाना, रठाजना की उपस्थिति मं. आराजी नम्बर 349 रकबा 0.40 है. बिलानाम रास्ता एवं आराजी नम्बर 328 रकबा 0.10 है., बिलानाम भूमि पर से दिनांक 13.05.2015 को अतिक्रमी प्रभाशंकर ब्राह्मण एवं बद्रीलाल कुमावत के अतिक्रमण हटाये जाकर रास्ता चालू करवा दिया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 13.08.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(472)लोआस/2014

परिवादी श्री राजेन्द्र दान वैरागी पुत्र श्री उगमदान वैरागी निवासी पनोतिया, तहसील फूलियाकलां, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 02.12.2014 म. यह अभिकथन किया गया है कि उसकी कृषि भूमि म. आवागमन हेतु बिलानाम रास्ते की भूमि ख.सं. 650 पर मीठू, गोपाल व

रामकिशन ने बबूल वगैरह काट कर निजी खेत बना लिया है। निवेदन किया गया कि रास्ते पर से अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाया जाव।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 20.02.2015 द्वारा इस सचिवालय को अवगत कराया कि उक्त आराजी खसरा नंबर 650 रकबा 0.43 है. बिलानाम नदी दर्ज है। मौके पर आ.नं. 641 म. नहर 10 फीट चौड़ी है व नहर के पास पाल करीब 30 फीट चौड़ी है और इसी पाल पर होकर परिवादी उसकी आराजियात पर आते-जाते हैं तथा रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। यह भी अभिकथन किया कि आ. नं. 650 का आंशिक हिस्सा 0.02 है. जो श्री मीठू व गोपाल की आराजी के मध्य म. है, पर मीठू व गोपाल द्वारा अतिक्रमण करने पर उनके विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर उन्ह. बेदखल कर दिया गया और वर्तमान मं. विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवाद म. वर्णित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने के पश्चात् यह परिवाद इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 12.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(475)लोआस/2014

परिवादीगण श्री रामदयाल एवं अन्य ग्रामवासिया. ग्राम देवजी का थाना, तहसील हिण्डोली (बून्दी) से दिनांक 10.12.2014 को जिला कलक्टर, बून्दी एवं तहसीलदार, हिण्डौली के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम देवजी के थाना म. सरकारी भूमि ख. सं.1531, जिस पर गाँव के मवेशी चरते हैं, पर पिन्टू इत्यादि ने जबरदस्ती अतिक्रमण कर फसल बो दी तथा मैन रोड़ से रघुनाथपुरा जाने

वाले आम रास्ते को बन्द कर दिया गया। अतिक्रमिया. के विरूद्ध जाँच करने एवं देवस्थान की भूमि से अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया गया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, बून्दी ने पत्र दिनांक 26.03.2015 से अवगत कराया कि सांवला माता जी की बनी ख.सं. 1531 की भूमि लगभग 5-6 बीघा पर अतिक्रमी पिन्टू, घनश्याम इत्यादि के अतिक्रमण को मौके से भौतिक रूप से हटा दिया गया है तथा मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 13.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(502)लोआस/2014

परिवादी मुकेश कुमार पुत्र श्री हरलाल सिंह जाति जाट निवासी जेजूसर तहसील, नवलगढ़ जिला, झुन्झुनूं से दिनांक 30.12.2014 को तहसीलदार, नवलगढ़ एवं पंचायत समिति, नवलगढ़ के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि गाँव जेजूसर म. जोहड़ पूनियाणा म. देवराज, केसरदेव, मनीराम ने करीब 025 है. भूमि म. मकान एवं 025 है. म. बाड़ लगाकर कब्जा कर रखा है व सोटवारा जाने वाले रास्ते पर पत्थर डाल कर कब्जा करने की कुचेष्टा कर रहे हैं एवं करीब 200 वर्गगज जलदाय विभाग की टंकी की आरक्षित भूमि पर कब्जा कर रखा है। जगवन्तसिंह ने करीब 050 है. म. बाड़ लगाकर कब्जा कर रखा है और जेजूसर से कसेरू जाने वाले रास्ते को भी अवरूद्ध कर रखा है। राजकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाये जाने की प्रार्थना की है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, झुंझुनूं ने पत्र दिनांक 31.07.2015 से अवगत कराया कि ग्राम जेजूसर म. पूनियाणा जोहड़ म. देवराज, केसरदेव, मनीराम द्वारा डाले गये पत्थर हटा लिये गये हैं एवं जेजूसर से सोटवारा जाने वाले रास्ते पर प्याऊ बनी है जो सार्वजनिक रूप से पानी पीने के काम आ रही है। जलदाय विभाग की चारदीवारी तोड़ी हुई नहीं पाई गई है और राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु उन्ह. पाबन्द कर दिया है। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 16.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(521)लोआस/2014

परिवादी श्री गोपाल गुप्ता पुत्र श्री घनश्याम गुप्ता, निवासी खरकड़ा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर द्वारा दिनांक 05.01.2015 को प्रस्तुत इस परिवाद म. अभिकथन किया गया कि उसके बाड़े पर जगदीश पुत्र कल्याण मीणा द्वारा फर्जी पट्टा बनवाकर कब्जा कर लिया है। फर्जी पट्टे की जाँच के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, जयपुर के निर्देश पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जमवारामगढ़ द्वारा जाँच की गई किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी ने यह भी अंकित किया है कि प्रतिपक्षी का पुत्र दिनेश मीणा जमवारामगढ़ तहसील म. पटवारी के पद पर कार्यरत होने के कारण उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ द्वारा भी प्रकरण म. कोई कार्यवाही नहीं होने दी जा रही है। परिवादी ने उसके साथ दुर्भावना पूर्वक किये जा रहे व्यवहार के सम्बन्ध म. जाँच करवाकर कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के संदर्भ म. जिला कलेक्टर, जयपुर ने पत्र दिनांक 10.06.2015 से अवगत कराया कि संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.06.2015 को श्री जगदीश मीणा द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने का निर्णय किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा पुनः रिपोर्ट दिनांक 13.07.2015 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 06.07.2015 को प्रश्नगत अतिक्रमण श्री गोपाल गुप्ता की मौजूदगी म. शांतिपूर्ण तरीके से हटवा दिया गया। परिवादी द्वारा की गई अन्य शिकायते सत्य नहीं पायी गयी। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियां प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 08.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(531)लोआस/2014

परिवादी भागीरथ भाटी पुत्र श्री मांगीलाल भाटी निवासी बलुन्दा हाऊस के पास, मेड़ता सिटी जिला, नागौर से पटवारी, मेड़ता सिटी के विरूद्ध दिनांक 19.01.2015 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि पुराना खसरा संख्या 1186 के पूर्वी दिशा म. स्थित सरकारी गुआ भूमि पर अम्बालाल ने अतिक्रमण कर उसका रास्ता बन्द कर दिया है। निवेदन किया कि अम्बालाल का अतिक्रमण हटाकर उसके खेत का रास्ता दिलाव।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, नागौर ने पत्र दिनांक 14.09.2015 से अवगत कराया कि मौजा बिजाण्डा की ढाणी के ख.सं. 263 रकबा 0.08 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ते पर अम्बालाल का अतिक्रमण पाये जाने पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक

14.09.2015 को भौतिक रूप से बेदखल कर रास्ता खुलवा दिया है। इस सम्बन्ध म. मौका पर्चा बेदखली दिनांक 14.09.2015 की फोटो-प्रति भी प्रेषित की गई। इस सम्बन्ध म. परिवादी की ओर से बावजूद पत्र के कोई आपत्ति प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 03.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(534)लोआस/2014

परिवादी श्री भँवर सिंह पुत्र श्री गंगाराम निवासी बेरा ढीमड़ा, पोमावा हाल, सुमेरपुर जिला, पाली से दिनांक 20.01.2015 को हल्का पटवारी, पोमावा श्री जालम सिंह के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि पोमावा-पुराड़ा रास्ते पर सरहद पोमावा म. दिनांक 14.062014 को अतिक्रमण कर सीमेन्ट की ईंटे व पत्थर डाल दिये तथा खाई खोदकर कब्जा कर लिया जिसकी शिकायत करने पर तहसीलदार, सुमेरपुर के आदेश के बावजूद पटवारी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, पाली ने पत्र दिनांक 03.09.2015 से अवगत कराया कि ग्राम पोमावा के खातेदार श्री भँवर सिंह चौधरी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 221 से लगता आम रास्ता करीब 8 से 10 मीटर चौड़ा है, जिस पर अतिक्रमण करने पर टीम गठित की जाकर दिनांक 22.04.2015 को अतिक्रमण हटा दिया गया तथा रास्ते की भूमि पर टेलीफोन विभाग द्वारा केबल डालने हेतु गढ्ढे खोदे गये जिनके ऊपर मिट्टी डालकर गड्ढे भरवा दिये एवं वर्तमान म. मौके पर जमीन खाली पड़ी है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 12.10.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(541)लोआस/2014

परिवादी श्री तेज सिंह भाटी पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति राजपूत, निवासी 50 दौलत विहार मनोहरपुरा बाग, जगतपुरा, जिला जयपुर द्वारा दिनांक 21.01.2015 को प्रस्तुत इस परिवाद म. अभिकथन किया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दिनांक 08.04.2003 को तहसीलदार, सांगानेर, जयपुर को एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 90 (ख) के अंतर्गत पारित 31 निर्णया. का नामांतरण प्राधिकरण के नाम खोलने हेतु लिखे जाने के उपरान्त भी नामांतरण नहीं किये गये। परिवादी ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण म. उच्चाधिकारिया. को गलत सूचनाएं दी जा रही हैं। परिवादी ने प्रकरण म. जाँच करवाकर दोषिया. के विरूद्ध कार्यवाही करवाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के संदर्भ म. जिला कलेक्टर, जयपुर ने पत्र दिनांक 26.06.2015 से अवगत कराया कि प्रकरण म. तहसीलदार, सांगानेर द्वारा प्रश्नगत निर्णया. की पालना म. नामान्तरण हेतु श्री ओमप्रकाश शर्मा, तत्कालीन पटवारी, जगतपुरा को लिखा गया था जिसकी पालना उनके द्वारा नहीं की गई। अतः इस हेतु उक्त पटवारी दोषी है। जिला कलेक्टर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध म. उक्त लोकसेवक के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही भी प्रारम्भ की गई है। जिला कलेक्टर ने पत्र दिनांक 09.10.2015 से यह भी अवगत कराया कि एयरपोर्ट, सांगानेर हेतु भूमि अवाप्ति से प्रभावित खसरा नम्बरान को छोड़कर शेष खसरा नम्बरान का नामांतरण दिनांक 11.12.2009 को स्वीकृत किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने एवं परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 16.10.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(544)लोआस/2014

परिवादी रामस्वरूप मीना से दिनांक 29.01.2015 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया कि ग्राम बिनायका तहसील, पीपल्दा जिला, कोटा म. स्थित खसरा संख्या 179 रकबा 0.64 हैक्टेयर राजकीय-भूमि पर सीताराम मीणा द्वारा पुनः अतिक्रमण कर आम जन एवं मवेशिया. का आवागमन बन्द कर दिया। परिवाद के साथ प्रस्तुत अन्य आवेदन म. श्री नाथूलाल योगी भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, बिनायका द्वारा गबन की गई राशि 1,94,335/- रूपये मय ब्याज संस्था कोष म. जमा नहीं कराने का भी आरोप वर्णित किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. सम्भागीय आयुक्त, कोटा ने पत्र दिनांक 25.05.2015 से अवगत कराया कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पीपल्दा द्वारा दिनांक 15.04.2015 को मौका निरीक्षण करने पर वर्तमान म. सीताराम का अतिक्रमण नहीं पाया एवं मैला मैदान म. आने-जाने का रास्ता खुला पाया लेकिन परिवादी श्री रामस्वरूप द्वारा आपत्तियाँ प्रेषित कर मौके पर सीताराम का कच्चा मकान मौजूद होना वर्णित करते हुए उसे हटाने का निवेदन किया।

संभागीय आयुक्त, कोटा ने आगे पत्र दिनांक 05.01.2016 से अवगत कराया कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पीपल्दा आदि द्वारा पुनः मौका निरीक्षण करने पर ख.सं. 179 म. सीताराम द्वारा निर्मित कच्ची टापरी को हटा दिया गया अब उसका कोई कच्चा या पक्का मकान नहीं है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 14.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(548)लोआस/2014

परिवादी श्री गोपाल लाल माली पुत्र श्री चिरंजी लाल माली निवासी ग्राम सेवा तहसील, वजीरपुर जिला, सवाई माधोपुर से दिनांक 28.01.2014 को तहसीलदार, वजीरपुर के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम सेवा, तहसील वजीरपुर म. स्थित ख.सं. 2398 रकबा 0.36 हैक्टेयर गैरमुमकिन नाला, जो श्मशान जाने के रास्ते हेतु प्रयुक्त होता है, उसको ख.न. 2408 पर जगन्या, काना, रामस्वरूप, घांसी, जगदीश, रत्तीराम, सियाराम ने अतिक्रमण कर प्लॉट काट कर रास्ता बन्द कर दिया है। परिवादी ने श्मशान भूमि पर आवागमन के रास्ते को खुलवाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने पत्र दिनांक 22.04.2015 से इस सचिवालय को अवगत कराया कि ग्राम सेवा की आराजी ख.सं. 2408 रकबा 0.36 हे. (जो गैर मुमकिन नाला राजस्व रिकार्ड म. दर्ज है) पर सम्वत् 2071 म. 0.05 है. पर माना माली, 0.05 है. पर रामस्वरूप माली, 0.04 है. पर हरिराम माली, 0.04 है. पर जगदीश माली ने कब्जा कर सरसा. की काश्त की, पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार, वजीरपुर के आदेश दिनांक 11.02.2015 की अनुपालना म. खड़ी फसल को जब्त कर नीलाम कर राशि राजकोष म. जमा करवाई और दिनांक 18.03.2015 को मौके पर गैर मुमकिन नाले की भूमि पर निशानात लगवाकर अतिक्रमण को हटाया गया तथा श्मशान तक आने-जाने हेतु पास स्थित रास्ते पर सीमेन्ट, कंकरीट की सड़क बनाई गई जिससे आवागमन जारी है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद सचिवालय स्तर पर दिनांक 17.06.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(562)लोआस/2014

परिवादीगण सुनील कुमार एवं सुभाष चन्द अग्रवाल निवासी दांतिल तहसील, कोटपूतली से तहसीलदार, कोटपूतली के विरूद्ध प्राप्त परिवाद दिनांक 11.02.2015 म. यह अभिकथन किया गया है कि तहसीलदार, कोटपूतली द्वारा सहायक कलक्टर, कोटपूतली के आदेशा. के उपरान्त भी रिसीवर म. रही भूमि के सम्बन्ध म. रिसीवर द्वारा प्राप्त आय की राशि का भुगतान उन्ह. नहीं किया गया है। परिवादीगण द्वारा उक्त राशि उन्ह. दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, जयपुर ने पत्र दिनांक 29.07.2015 द्वारा इस सचिवालय को अवगत कराया कि रिसीवरी प्रकरण सं. 76/80 घीसा बनाम रामप्रताप वगैरह म. वर्ष 1994 से 2011 तक नीलामी से प्राप्त राशि म. 4,53,829/- रूपये राजकोष म. जमा हुई जिसम. से 3,22,429/-रूपये का बिल नम्बर 32 दिनांक 11.05.2015 के द्वारा खातेदारान को जरिये बैंकर चैक भुगतान किया जा चुका है और शेष रिफण्डेबल राशि 1,31,400/-रूपये का भुगतान बिल नंबर 33 दिनांक 12.05.2015 से सम्बन्धित व्यक्तिया. को हिस्से अनुसार कर दिया गया है। प्रकरण म. परिवादी सुनील कुमार अग्रवाल को देय सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है, कोई राशि परिवादी को भुगतान हेतु शेष नहीं है। कुछ खातेदारान की मृत्यु हो जाने से भुगतान की कार्यवाही लम्बित होना भी प्रकट किया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद सचिवालय स्तर पर दिनांक 10.08.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(566)लोआस/2014

परिवादी हितेश अग्रवाल पुत्र श्री बेनी प्रसाद जाति महाजन निवासी जगतपुरा, जयपुर, डायरेक्टर फाइनेन्स, डोयनेस्टी मॉड्युलर फर्नीचर्स प्रा.लि. से प्राप्त परिवाद दिनांक 16.02.2015 म. यह अभिकथन किया गया है कि उसे तहसीलदार, उदयपुरवाटी से वर्क-आर्डर बाबत टेण्डर अमानत राशि 6,000/-रूपये एवं सिक्योरिटी राशि 10,500/-रूपये कुल राशि 16,500/-रूपये का भुगतान नहीं किया गया जो दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, झुंझुनूं ने पत्र दिनांक 14.08.2015 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी को मैसर्स मॉडूलर फर्नीचर्स प्रा.लि. के नाम राशि 16,500/-रूपये का डी.डी. सं. 666955 दिनांक 29.06.2015 भिजवाया जा चुका है। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह प्रकरण इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 24.11.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(573)लोआस/2014

परिवादी श्री धर्मपाल भास्कर, निवासी ग्राम गाडाखेड़ा जिला, झुन्झुनूं से दिनांक 18.02.2015 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया कि आदर्श ग्राम गाडाखेड़ा में श्री देवकरण व हरिसिंह ने गौचर भूमि पर ईटा.

की मेड़ बनाकर करीब आधा बीघा पर कब्जा कर लिया और रास्ता बंद कर दिया। भरत सिंह ने गौचर भूमि पर कब्जा कर आम रास्ते म. स्नान घर बनाकर व कॉलेज के सामने छप्पर डाल कर कब्जा कर लिया, गोगाजी मन्दिर के चारा. तरफ गोबर आदि डालकर गाँव की सुन्दरता खराब कर रखी है, लेकिन प्रशासन मौन है। निवेदन किया गया कि उचित कार्यवाही कराव।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने पत्र दिनांक 02.07.2015 से अवगत कराया कि इस सम्बन्ध म. तहसीलदार, बुहाना म. विचाराधीन पत्रावलिया. म. निर्णय किया जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया एवं उक्त आदेशा. की पालना म. दिनांक 01.04.2015 को उपखण्ड अधिकारी, बुहाना द्वारा अतिक्रमी देवकरण व हरिसिंह एवं अन्य अतिक्रमिया. को भौतिक रूप से मौके से बेदखल किया जा चुका है। इस सम्बन्ध म. तैयार की गई फर्द मौका बेदखली दिनांक 01.04.2015 की फोटो-प्रति भी प्रेषित की गई है। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 09.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(577)लोआस/2014

परिवादीगण श्री मुकेश कुमार जाट इत्यादि से तहसीलदार, चाकसू के विरूद्ध प्राप्त परिवाद दिनांक 19.02.2015 म. यह अभिकथन किया गया था कि ग्राम स्वामी का बास के वार्ड सं.-5 म. स्थित सार्वजनिक चौक पर कुछ व्यक्तिया. ने पाँच वर्ष से अधिक समय से पत्थर डालकर, पशु बांध कर एवं अन्य सामान डालकर अतिक्रमण कर रखा है। सरपंच, ग्राम

पंचायत, सवाई माधोसिंहपुरा, उपखण्ड अधिकारी, चाकसू, तहसीलदार, चाकसू एवं जिलाधीश, जयपुर ने बावजूद शिकायत कोई कार्यवाही नहीं की है। इन लोगा. ने हाल ही म. चारागाह की दो बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण भी कर लिया है। उक्त अतिक्रमणा. को हटाने का निवेदन किया गया।

परिवादी द्वारा विहित प्रारूप म. परिवाद सत्यापित शपथ-पत्र सहित प्रेषित नहीं करने के बावजूद इस सचिवालय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, जयपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चाकसू की रिपोर्ट दिनांक 24.08.2015 का अवलम्बन लेते हुए पत्र दिनांक 25.08.2015 से अवगत कराया कि विकास अधिकारी ने पुलिस इमदाद से सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा चिह्नित किये गये स्थान ग्राम स्वामी का बास म. सार्वजनिक चौक से सम्पूर्ण अतिक्रमण हटवा दिया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवाद म. परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद लोकायुक्त सचिवालय स्तर पर दिनांक 08.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(580)लोआस/2014

परिवादीगण लक्ष्मणराम, गणपतलाल जाति माली निवासी डुमावा, बेरा केवड़ा बाड़ी, सोजतसिटी जिला, पाली से दिनांक 23.02.2015 को उपखण्ड अधिकारी, सोजत श्री राधेश्याम मीणा (प्रथम) के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि उनके पूर्वजा. की सरहद मौजा सोजत म. स्थित भूमि जिसके पुराने ख.सं. 609, 624/1, 624/4, 624, 624/3 सेटलमेन्ट के बाद नये ख.सं. 2084, 2086, 2094, 2087, 2163, 2083, 2085 एवं 2164 है, पर विगत 80 वर्षों से कब्जा काश्त है,

सभी खातेदारां. ने सहमति के आधार पर विभाजन करवाकर भूमि सभी के नाम पृथक-पृथक हो चुकी है। इसम. प्रार्थीगण के दादा ने दो कुएं भी खुदवाये हैं। उपखण्ड अधिकारी, सोजत ने भूमि-तस्कर दिनेश, अनोप सिंह, रमेश से 35,00,000/-रू. रिश्वत लेकर परिवादीगण को सुने बिना उनका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर उम्मेदमल एवं भवानी मल का नाम दर्ज कर नामान्तरण करने की कार्यवाही के आदेश दिये। इस बारे म. जिला कलेक्टर, पाली एवं कमिश्नर को आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की। निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, श्री राधेश्याम मीणा प्रथम के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कराव।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, पाली ने पत्र दिनांक 09.10.2015 से अवगत कराया कि परिवाद म. अंकित भूमि के संबंध म. परिवादी लक्ष्मणराम द्वारा उम्मेदमल व भवानीसिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 133, 304, 209, 218, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 460/120बी भा.दं.सं. म. प्रकरण पुलिस थाना, सोजतसिटी म. दर्ज कराया व प्रश्नगत आदेश को रिव्यू करने का भी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसम. पक्षकारा. को सक्षम न्यायालय म. कार्यवाही के निर्देश देते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया। यह भी प्रकट किया कि राजस्व मण्डल, अजमेर म. प्रकरण सं. 6618/2014 गोपाराम बनाम उम्मेदमल इसी भूमि बाबत विचाराधीन है। श्री राधेश्याम मीणा द्वारा पुलिस थाना सोजत म. मृतक रघुनाथ के कायम-मुकाम के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु परिवाद प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध म. सम्बन्धित प्रलेखा. की फोटा-प्रतियाँ भी प्रेषित की गई। जिला कलेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति परिवादी को प्रेषित की गई लेकिन उसकी ओर से कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 03.03.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(583)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती गीता पत्नी श्री गोपाल जाट, निवासी घरटा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 17.02.2015 को प्रस्तुत इस परिवाद म. अभिकथन किया गया कि उसकी भूमि के सम्बन्ध म. रिसीवरी के तहत जमा की गई राशि का भुगतान उसे नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। परिवादिया ने रिसीवरी पेटे जमा राशि मय ब्याज भुगतान करवाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के संदर्भ म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 05.06.2015 तथा 09.10.2015 से अवगत कराया कि प्रकरण म. परिवादिया को उसकी भूमि रिसीवरी राशि के पेटे देय समस्त राशि का भुगतान कर दिया गया है। परिवादिया द्वारा बावजूद पत्र इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियां प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 07.12.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(30)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती अरूणा जिन्दल पत्नी श्री अनिल जिन्दल जाति अग्रवाल निवासी कचहरी रोड़, अजमेर से दिनांक 21.04.2015 को अतिरिक्त कलक्टर एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति), अजमेर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि उसकी आराजी संख्या 849 मिन रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा ग्राम गगवाना तहसील व जिला अजमेर मे स्थित है जिसको राजमार्ग सं.8 हेतु अवाप्त करने का नोटिस प्राप्त होने पर वह व्यक्तिगत रूप से प्राधिकृत अधिकारी से अनेक बार मिल चुकी है लेकिन उसे समुचित मुआवजा नहीं मिला। उसने वैधानिक

मुआवजा दिलाने एवं सम्बधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध न्यायोचित कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने पत्र दिनांक 17.06.2015 से अवगत कराया कि श्रीमती अरूणा जिन्दल द्वारा वांछित दस्तावेज पेश करने के बाद मुआवजा राशि उनके खाते म. जमा करवा दी गई है। इस सचिवालय को परिवादिया ने दूरभाष पर मुआवजा राशि प्राप्त हो जाने बाबत अवगत कराया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 10.08.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(91)लोआस/2015

परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र शहीद बदले सिंह निवासी डहरा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर से दिनांक 25.05.2015 को जिला कलक्टर, करौली के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि उसके पिता शहीद बदले सिंह, हवलदार के पद पर सेवा म. रहते दिनांक 05.12.1971 को शहीद हो जाने पर उसने सन् 2008 म. सैनिक कल्याण विभाग, भरतपुर द्वारा नौकरी हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया लेकिन जिला कलक्टर, करौली द्वारा उसे अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। उसे शीघ्र नियुक्ति दिलाये जाने का निवेदन किया है।

परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के विहित प्ररूप म. परिवाद सत्यापित शपथपत्र के साथ प्रेषित नहीं करने के बावजूद इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, करौली ने पत्र दिनांक

15.12.2015 से अवगत कराया कि परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को आदेश दिनांक 17.07.2015 द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई त्वरित कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी सुरेन्द्र सिंह का आवेदन-पत्र प्राप्त होने के 53 दिन के अन्दर ही उसको अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करना लोकायुक्त सचिवालय की महत्ता को दर्शाता है।

एफ.11(92)लोआस/2015

परिवादी श्री मनसुख पुत्र श्री भवानी राम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जरैल तहसील, झालरापाटन जिला, झालावाड़ से दिनांक 25.05.2015 को पटवारी हल्का, डोण्डा, विकास अधिकारी, झालरापाटन एवं तहसीलदार, झालरापाटन के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम जरैल के खसरा नंबर 9 रकबा करीब 54 बीघा चारागाह भूमि पर ग्रामवासिया. द्वारा अतिक्रमण कर लेने से गाया. व मवेशिया. को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चारागाह भूमि की पैमाईश कर अतिक्रमण हटाने, जरैल-डोण्डा ग्रेवल सड़क का निर्माण प्रारम्भ करवाये जाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, झालावाड़ ने पत्र दिनांक 09.07.2015 से अवगत कराया कि ग्राम जरैल के खसरा संख्या 9 रकबा 54.11 बीघा का सीमाज्ञान दिनांक 26.04.2015 को ग्रामवासियान, सरपंच, ग्राम पंचायत, डोण्डा के समक्ष कराया जाकर चरागाह भूमि की सीमा का सीमांकन कर दिया गया, जिससे सभी ग्रामवासी सन्तुष्ट है। नरेगा योजना के अन्तर्गत निर्मित ग्रेवल सड़क का निर्माण चारागाह भूमि मे. हो रहा है जिसम. कोई व्यवधान नहीं है और निर्माण कार्य चालू है। इस सम्बन्ध में परिवादी की ओर से कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 09.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(94)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती सरोज पत्नि श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर से दिनांक 26.05.2015 को श्रीमती सुमन, पटवारी हल्का, उदासर(बीकानेर), श्री कालूराम गिरदावर हल्का, बीकानेर एवं श्री नरेश जोशी, तहसीलदार राजस्व, बीकानेर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि उसकी खातेदारी भूमि वाके चक 11 बीएसएम (उदासर) तहसील बीकानेर म. स्थित मु.न. 178/33,178/26,178/34 है, जिसका सीमाज्ञान बाबत राजस्व कर्मचारिया. ने वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। उसने सही सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर (भू-अभिलेख), बीकानेर द्वारा पत्र दिनांक 11.09.2015 से अवगत कराया कि चक 11 बी.एस.एम. के मु.न.178/33, 178/26 एवं 178/34 म. स्थित खातेदारी भूमि का वांछित सीमाज्ञान गठित कमेटी द्वारा दिनांक 30.07.15 को सम्बन्धित पक्षकारान की उपस्थिति म. मौके पर करवा दिया जिससे सभी प्रभावित काश्तकार संतुष्ट है। सूचित करने पर भी इस सम्बन्ध में परिवादिया की ओर से कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 09.11.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(96)लोआस/2015

परिवादी सुभाष चन्द यादव पुत्र श्री रामपत यादव जाति अहीर निवासी भागमल की ढाणी, तन ततारपुर (मुण्डावर), अलवर से दिनांक 26.05.2015 को तहसीलदार, मुण्डावर जिला, अलवर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. ग्राम ततारपुर के आम रास्ते की भूमि खसरा नंबर 846 पर मोहनलाल एवं यादराम द्वारा किये गये अतिक्रमण को न्यायालय के आदेश की पालना म. तुरंत हटवाये जाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, अलवर ने पत्र दिनांक 14.01.2016 से अवगत कराया कि ख.नं. 846 गैरमुमकिन रास्ते की पैमाईश दिनांक 21.06.2006 को करने पर मोहन लाल अहीर का 3 फीट व यादराम का 7 फीट पर अतिक्रमण पाया गया जिसे प्रशासन द्वारा दिनांक 11.01.2016 को ध्वस्त कर रास्ता चालू कराया गया। मौका पर्चा 11.01.2016 की फोटो-प्रति भी प्रेषित की जिस पर स्वयं परिवादी सुभाष चन्द के हस्ताक्षर मौजूद है।

परिवादी ने मौके पर पत्थर व लकड़ी नहीं हटाने एवं रोड़ नहीं बनाने का आक्षेप प्रेषित किया लेकिन उक्त रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा सड़क बनाने का प्रस्ताव दि. 20.01.2016 को लिया गया है और सड़क निर्माण के समय मलवा हटाये जाने की स्थिति को देखते हुए एवं परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 10.03.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(106)लोआस/2015

परिवादी श्री कालूराम पुत्र श्री रूपा जी जाति गुर्जर निवासी माण्डूथल, तहसील मावली, जिला उदयपुर से दिनांक 29.05.2015 को तहसीलदार मावली, पटवारी हल्का सिन्दू एवं भू-अभिलेख निरीक्षक, थामला के

विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि उसकी आराजी पर आने-जाने हेतु स्थित नाला/रास्ता खसरा संख्या 282 है, जो पहाड़ सिंह के नाम दर्ज है जिसे रेवेन्यु बोर्ड, अजमेर के आदेश से बिलानाम सरकार दर्ज कर दिये जाने के बावजूद पहाड़ सिंह ने उक्त रास्ते/नाले को जेसीबी से खाई खोद कर बन्द कर दिया। उसके द्वारा उक्त रास्ता/नाला भरवाया जाकर खुलवाये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर ने पत्र दिनांक 17.08.2015 से अवगत कराया कि मौजा माण्डूथल की आराजी संख्या 2822/ रकबा 1.04 बीघा किस्म नाला म. से 0.12 बीघा भूमि पर अतिक्रमी पहाड़ सिंह द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया व मौके पर अब कोई अतिक्रमण नहीं है। फर्द मौका पर स्वयं परिवादी के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 01.10.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(108)लोआस/2015

परिवादी श्री बाबू लाल पुत्र श्री तुलसी राम जाति प्रजापत (कुम्हार) निवासी घासा तहसील मावली जिला उदयपुर से दिनांक 29.05.2015 को उपखण्ड अधिकारी, मावली के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा मुकदमा नंबर 158/12 म. पारित निर्णय दिनांक 26.03.14 की अनुपालना म. मौजा घासा म. स्थित आराजी संख्या 652, 6123/653 का सीमाकंन करवाकर पत्थरगढ़ी नहीं कराये जाने से उसे असुविधा हो रही है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर ने पत्र दिनांक 07.09.2015 से अवगत कराया कि मौके पर तहसीलदार, मावली द्वारा वादी, प्रतिवादी सं.-1, मौतबिरान एवं पटवारी हल्का, घासा की उपस्थिति म. दिनांक 20.08.15 को पत्थरगढ़ी करवा दी गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 05.11.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(114)लोआस/2015

परिवादी श्री राजूराम पुत्र श्री लादूराम जाति जाट निवासी बीजासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर से दिनांक 29.05.2015 को श्री गोपाल परिहार, तहसीलदार, बिलाड़ा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम बीजासनी के खसरा नंबर 206 गैर मुमकिन नाड़ी की 1 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर देवाराम इत्यादि द्वारा अतिक्रमण कर रखा है उसके द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा पत्र दिनांक 16.09.2015 से अवगत कराया गया कि ग्राम बिजासनी के खसरा नंबर 206 गैर मुमकिन नाड़ी की 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि को नायब तहसीलदार, बिलाड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक, बरना, पटवारी, बीजासनी द्वारा शिकायतकर्त्ता की उपस्थिति म. दिनांक 07.09.2015 को अतिक्रमण मुक्त कर अतिक्रमी श्री ओमप्रकाश को नाड़ी की भूमि पर पुनः कब्जा नहीं करने की हिदायत दी गई। इस रिपोर्ट पर परिवादी से आपत्तियाँ मांगी गई लेकिन उसने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिससे स्पष्ट है कि परिवादी कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 07.10.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(122)लोआस/2015

परिवादी श्री कालूराम पुत्र श्री अम्बालाल जाति अहीर निवासी भट्टखेड़ी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ से दिनांक 04.06.2015 को श्री नरेन्द्र सिंह सोलंकी, तत्कालीन नायब तहसीलदार, गंगरार के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. शिकायत की गई कि उसने इन्तकाल खोले जाने हेतु 5000/- प्राप्त करने के बावजूद इन्तकाल नहीं खोला एवं न ही पैसे वापस लौटाये। श्री सोलंकी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर पैसे वापस दिलाये जाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ ने पत्र दिनांक 20.08.2015 से अवगत कराया कि उक्त शिकायत स्वर्गीय श्रीमती जड़ाई की विरासत का नामान्तरकरण नहीं खोलने के सम्बन्ध म. है, जिसम. परिवादी कालूराम द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का, सुदरी द्वारा वारिसान की जाँच कर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 484 दिनांक 12.08.15 दायर किया गया लेकिन नायब तहसीलदार को 5000/- की रिश्वत देने एवं मॉगने पर नहीं लौटाना जाँच से साबित नहीं पाया गया। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र दिनांक 14.10.2015 से यह भी अवगत कराया कि विरासत नामान्तरकरण अम्बालाल व सोनी के नाम दिनांक 05.10.15 को खोल दिया गया है। इस सम्बन्ध म. परिवादी की ओर से कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 04.12.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(130)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी कुमर सिंह जरिये पुत्र मनोज कुमार निवासी गाँव खोहरी तहसील, वैर जिला, भरतपुर से दिनांक 08.06.2015 को उपखण्ड अधिकारी, वैर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि परिवादी के घर के आम-रास्ते पर चार साल पूर्व चरन सिंह द्वारा पट्टियाँ डालकर किये गये अतिक्रमण को हटाने के उपखण्ड अधिकारी, वैर के सन् 2011 व 2013 के आदेश के बावजूद ग्राम पंचायत, बझेराकलाँ व थानाधिकारी, वैर द्वारा नहीं हटाया गया है। निवेदन किया कि परिवादी के घर के आम-रास्ते से अवैध पट्टियाँ हटाई जाये।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर ने पत्र दिनांक 08.12.2015 से अवगत कराया कि विवादित आम-रास्ते पर चरन सिंह द्वारा पट्टी डालकर किये गये अवैध अतिक्रमण को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, वैर, पुलिस थाना, वैर, भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी एवं सरंपच/सचिव, ग्राम पंचायत बझेराकलाँ की मौजूदगी म. हटाया गया। पत्र के साथ मौका-पर्चा दिनांक 31.08.2015 की फोटो-प्रति भी प्रेषित की गई। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 08.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(147)लोआस/2015

परिवादी राज कुमार रैगर पुत्र श्री भगवाना रैगर, जाति रैगर, निवासी गिलुण्ड, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ से दिनांक 17.06.2015 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया कि सरहद ग्राम गिलुण्ड तहसील, चित्तौड़गढ़ में स्थित गौ चरनोट एवं तलाई की भूमि पर देवीलाल, शाँतिलाल, रमेश, मदन, ने अतिक्रमण कर कृषि कार्य प्रारम्भ कर दिया है और खाई लगाकर तलाई के पानी का रूख परिवादी पक्ष की ओर कर दिया, उनके खेत म. जाने का रास्ता भी बन्द कर दिया । निवेदन किया गया कि गौचर एवं तलाई की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये एवं परिवादी का रास्ता खुलवाया जाये।

परिवादी का परिवाद विहित प्रारूप म. सत्यापित शपथ-पत्र सहित नहीं होने के बावजूद प्रकरण चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से सम्बन्धित सार्वजनिक महत्व का होने से स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ ने पत्र दिनांक 16.09.2015 से अवगत कराया कि राजस्व ग्राम गिलुण्ड म. स्थित ख.सं. 78, 79, 100, 101, 102, 103 व 104 रकबा 12.49 हैक्टेयर चारागाह भूमि है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान मे. मदन, शांतिलाल, रमेश, देवीलाल द्वारा अतिक्रमण कर फसल की बुवाई कर रखी है और इन्ह. बेदखल करने बाबत तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नोटिस जारी कर बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ ने आगे पत्र दिनांक 30.12.2015 से अवगत कराया कि चारागाह भूमि के सम्बन्ध म. धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण मे. तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ एवं हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमिया. को हटाने की कार्यवाही कर उक्त भूमि को अतिक्रमण से

मुक्त करवाया गया। इस सम्बन्ध म. पर्चा–मौका दिनांक 10.12.2015 की फोटो–प्रति प्रेषित की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 20.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(169)लोआस/2015

परिवादी श्री ओम प्रकाश टेलर, सेवानिवृत्त रीडर, उपखण्ड कार्यालय, नैनवां जिला, बून्दी से उपखण्ड कार्यालय, नैनवां के वरिष्ठ लिपिक श्री सत्यनारायण वैरागी के विरूद्ध दिनांक 26.06.2015 को प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया कि परिवादी उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय नैनवां जिला, बून्दी से दिनांक 31.07.2014 को सेवानिवृत्त हुआ और उसने कार्यालय का समस्त चार्ज दिनांक 04.08.2014 से 28.08.2014 तक श्री सत्यनारायण वैरागी को संभला दिया लेकिन उसने समस्त सूचिया. पर हस्ताक्षर करने से दिनांक 28.08.2014 को मना कर दिया जिस पर उसने उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला कलेक्टर, बून्दी एवं संभागीय आयुक्त, कोटा को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये लेकिन उसे नोटिस दिये जा रहे हैं, उसे डी.ए. का भुगतान नहीं किया गया एवं उसकी पश्नन रोकने के आदेश दिये गये हैं। उसने सम्बन्धित कर्मचारी श्री सत्यनारायण वैरागी एवं श्री रघुनन्दन माथुर के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, बून्दी ने पत्र दिनांक 10.11.2015 से सूचित किया कि चार्ज का आदान–प्रदान परिवादी श्री ओम प्रकाश टेलर से श्री सत्यनारायण वैरागी, वर्तमान रीडर को करा दिया गया है। परिवादी से बावजूद पत्र के इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 29.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(194)लोआस/2015

परिवादिया दया भास्कर, निवासी गाडाखेड़ा तहसील, बुहाना जिला, झंझुनूं से तहसीलदार, बुहाना के विरूद्ध दिनांक 06.07.2015 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया कि श्री सत्यवीर सिंह द्वारा अपने मकाना. का कुछ हिस्सा गौचर भूमि पर बना रखा है। निवेदन किया गया कि अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, झुंन्झुनूं ने पत्र दिनांक 30.12.2015 से अवगत कराया कि अतिक्रमी सत्यवीर द्वारा ग्राम गाडाखेड़ा के ख.सं. 455/1 गैरमुमकिन जोहड़ म. 0.02 हैक्टेयर भूमि पर छड़ी व गोबर डालकर अतिक्रमण करने से तहसीलदार, बुहाना द्वारा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पंजीबद्ध प्रकरण सं. 28/15 म. निर्णय दिनांक 07.04.2015 पारित कर बेदखली के आदेश पारित किये गए एवं उपखण्ड अधिकारी, बुहाना की उपस्थिति म. दिनांक 01.04.2015 को जोहड़ भूमि पर जे.सी.बी. मशीन से सत्यवीर सहित सभी का अतिक्रमण भौतिक रूप से हटा दिया गया एवं सत्यवीर राजकीय कर्मचारी होने से जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, झुंन्झुनूं को नियमानुसार कार्यवाही हेतु पत्र भी लिखा गया। इस सम्बन्ध म. फर्द मौका बेदखली दिनांक 01.04.2015 की फोटो-प्रति भी प्रेषित की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 11.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(220)लोआस/2015

परिवादी शिव सिंह पुत्र श्री कान सिंह जाति राजपूत निवासी सारण का खेड़ा तहसील, माण्डलगढ़ जिला, भीलवाड़ा से सचिव, ग्राम पंचायत महुआ एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डलगढ़ जिला, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 13.07.2015 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया कि ग्राम सारण का खेड़ा की आराजी ख.सं. 329/1, 330/1, 331/1 चारागाह भूमि पर लहंगा, नेका, रानी, कलदार, शंकर सिंह, भाव सिंह , ईश्वर, राजू, भीमा, हजारी, सरदार लाल, गोपी इत्यादि ने कब्जा कर रखा है, विद्यालय के खेल के मैदान तक को नहीं छोड़ा है। निवेदन किया गया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 28.12.2015 से अवगत कराया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सारण का खेड़ा के खेल के मैदान की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डलगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया है। चारागाह भूमि ख.सं. 3291/1, 330/1 व 331/1 रकबा 3.15 बीघा पर हजारी भाट का अतिक्रमण होने से प्रकरण सं. 83/15, श्री गोकल, जगदीश भाट का अतिक्रमण होने से प्रकरण सं. 82/15 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधि. म. पंजीबद्ध किया गया व पटवारी हल्का महुआ के द्वारा दिनांक 08.10.2015 को बेदखली की कार्यवाही की गई जिस बाबत पर्चा-मौका की फोटो प्रति प्रेषित की गई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 16.02.2016 से अवगत कराया कि श्री शंकर सिंह एवं मूल सिंह का अतिक्रमण ग्राम पंचायत द्वारा हटवाया जाकर ग्राम पंचायत की सम्पति का बोर्ड लगवा दिया गया है जिसके सम्बन्ध मे. ग्राम पंचायत, महुआ के पत्र दिनांक 21.01.2016 की फोटो-प्रति प्रेषित की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 28.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(264)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती मीरा बाई पत्नि श्री मंगलप्रसाद जाति बैरवा निवासी त्रिशुल्या पुलिस थाना, हिण्डौली जिला, बून्दी से जिला कलक्टर, बून्दी एवं तहसीलदार, हिण्डौली के विरूद्ध जन सुनवाई नैनवा म. दिनांक 30.07.2015 को प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया कि उसकी भूमि के चारा. ओर स्थित चारागाह भूमि पर भूमाफियाआ. द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर उक्त भूमिया. का क्रय-विक्रय किया जा रहा है, अवैध रूप से रबी की फसल बो रखी है, चारागाह भूमि पर मवेशिया. को चरने नहीं देते, उसकी भूमि पर आवागमन का रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। मारपीट बाबत 02.07.2015 को रिपोर्ट करने पर पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। गौचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, बून्दी ने पत्र दिनांक 23.10.2015 से अवगत कराया कि चारागाह भूमि खसरा संख्या 3533 करीब 5 बिस्वा पर मंगल प्रसाद मकान बनाकर रह रहा है। इस भूमि एवं मकान पर जाने के रास्ते को परिवादी की मौजूदगी म. कांटे की बाड़ हटाकर खुलासा कर दिया गया है। मौके पर आराजी खसरा संख्या 3533, 3531 पड़त है, जिस पर किसी का कब्जा नहीं है। परिवादिनी मींराबाई ने मौके पर कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत बयान दर्ज करवाये हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी ने पत्र दिनांक 12.10.2015 से अवगत कराया कि परिवादिनी मीरा बाई के परिवाद पर वृत्ताधिकारी, हिण्डौली से

जाँच करवाई गई एवं पाया गया कि परिवादिनी एवं उसके पति को धारा 107, 151, 116(3) दं.प्र.सं. मे. गिरफ्तार कर परिवाद पेश करने से नाराज होकर पुलिस पर मारपीट करने का झूठा आरोप लगाया है। उसके साथ कोई मारपीट थाने पर करना नहीं पाया गया एवं परिवादिनी की रिपोर्ट पर विधिक कार्यवाही करना वर्णित किया गया।

परिवादिनी ने अपनी आपत्तिया. म. उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाना एवं चारागाह भूमि पर भूमाफियाआ. का कब्जा काश्त होना वर्णित किया है। इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, बून्दी ने पत्र दिनांक 04.02.2016 से अवगत कराया कि परिवादिनी के मकान म. आने-जाने का रास्ता वर्तमान म. चालू है एवं मींराबाई द्वारा किये गये अतिक्रमण के अलावा शेष भूमि मौके पर खाली है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप लोकायुक्त सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादिनी की समस्या का समाधान होने से परिवादिनी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त होना मानते हुए यह परिवाद दिनांक 18.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(288)लोआस/2015

परिवादी श्याम सुन्दर पुत्र श्री किशन प्रसाद जाति राजपूत निवासी धारापुरा तहसील, राजाखेड़ा जिला, धौलपुर से दिनांक 04.08.2015 को जिला कलक्टर, धौलपुर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि सरहद ग्राम दलेल का पुरा मे स्थित उसकी आराजी खसरा संख्या 1611/1526 का सीमाज्ञान दिनांक 29.04.2014 को हुआ। प्रार्थी की उक्त खसरा नंबर की भूमि म. से 2 बीघा भूमि पर उदयभान, अर्जुन सिंह, अजीत व रामरतन ने जबरदस्ती अतिक्रमण कर लिया। उसके द्वारा पुलिस थाना, दिहौली व जिला कलक्टर, धौलपुर को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये

लेकिन आज तक अतिक्रमण को नहीं हटाया। निवेदन किया कि परिवादी की खातेदारी की भूमि से अतिक्रमण को हटवाया जावे।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर ने पत्र दिनांक 04.01.2016 से अवगत कराया कि परिवादी की आराजी खसरा संख्या 1611/1526 रकबा 3.06 स्थित ग्राम दलेल का पुरा पर से अवैध कब्जा पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा दिनांक 20.10.2015 को हटाकर परिवादी को सन्तुष्ट कर दिया गया है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन म. शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं परिवाद म. किसी लोक-सेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार या पद के दुरूपयोग का आरोप नहीं लगाने के बावजूद इस सचिवालय की पहल पर कार्यवाही की जाकर परिवादी की भूमि से अतिक्रमण हटा दिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 20.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(349)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती रूकमा देवी पत्नि श्री लक्ष्मी नारायण, सरपंच, ग्राम पंचायत, धीरवास (बड़ा), निवासी धीरवास, तहसील, तारानगर जिला, चूरू से तहसीलदार, तारानगर के विरूद्ध जन सुनवाई चूरू म. दिनांक 24.08.2015 को प्राप्त परिवाद म. ग्राम पंचायत, धीरवास (बड़ा) म. गौचर-भूमि एवं जोहड़ पायतन की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का निवेदन किया है।

परिवादिया द्वारा परिवाद के समर्थन म. सत्यापित शपथ-पत्र आहूत करने के बावजूद इस सचिवालय को प्राप्त नहीं हुआ।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर (सतर्कता), चूरू ने पत्र दिनांक 29.12.2015 से अवगत कराया कि ग्राम धीरवास बड़ा (तारानगर) की गौचर व जोहड़ पायतन की भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सभी 32 प्रकरणा. म. विधिवत सुनवाई की जाकर बाद निर्णय फसल कुर्क व नीलाम की कार्यवाही मौके पर सम्पादित की जा चुकी है एवं नीलामी राशि राजकोष म. जमा करवाकर अतिक्रमिया. को मौके पर से बेदखल किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप गौचर व जोहड़ पायतन की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 22.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(350)लोआस/2015

परिवादी श्री जोखीराम पुत्र श्री हीराराम, निवासी रिबिया, तहसील व जिला, चूरू द्वारा दिनांक 24.08.2015 को प्रस्तुत इस परिवाद म. अभिकथन किया गया कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय व राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालय, ग्राम रिबिया की खेल मैदान भूमि पर कुछ व्यक्तिया. द्वारा अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया गया है। स्थानीय राजस्व प्रशासन द्वारा बावजूद शिकायत मौके पर सीमाज्ञान तक नहीं किया गया है। परिवादी ने उक्त विद्यालया. की भूमि से अतिक्रमण हटवाये जाने का निवेदन किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के संदर्भ म. जिला कलेक्टर (सतर्कता), चूरू ने पत्र दिनांक 14.01.2016 से अवगत

कराया कि परिवाद म. वर्णित विद्यालय खेल मैदान भूमि का सीमा ज्ञान करवाया जाकर उसका कब्जा विद्यालय प्रधानाध्यापक को सुपुर्द किया जा चुका है। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र इस सम्बन्ध म. आपत्तियां प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी द्वारा वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 08.03.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(353)लोआस/2015

परिवादी भूतपूर्व सूबेदार-मेजर श्री मामराज सहारण पुत्र श्री मोहन लाल सहारण जाति जाट निवासी बुचावास, तहसील तारानगर, जिला चूरू द्वारा जन सुनवाई के दौरान दिनांक 24.08.2015 को तहसीलदार, तारानगर जिला, चूरू के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि श्री जगदीश जाट एवं श्री सांवलाराम जाट द्वारा सरकारी गौचर-भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर रखा है। उन्हाने सरकारी गौचर-भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाये जाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर (सतर्कता), चूरू ने पत्र दिनांक 29.12.2015 से अवगत कराया कि अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमित खसरा नंबरा. से अतिक्रमण हटा लिया गया है। इस सम्बन्ध म. तहसीलदार (राजस्व), तारानगर (चूरू) की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 14.12.2015 की फोटो-प्रति भी संलग्न प्रेषित की है। परिवादी की ओर से इस सम्बन्ध मे कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 22.03.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(405)लोआस/2015

परिवादी शोभाग मीना पिता कन्हैयालाल मीना निवासी ग्राम महरामपुरा तहसील व जिला, बून्दी से दिनांक 07.09.2015 को उप पंजीयक, बून्दी एवं उप पंजीयक, देवपुरा तहसील व जिला, बून्दी के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. आरोप लगाया गया कि सौरभ नामक व्यक्ति को उप-पंजीयक कार्यालय के कर्मचारिया. व उप-पंजीयक ने रिश्वत लेने के लिये रखा है। उसका वहाँ कोई पदस्थापन नहीं है, वह जनता को लूट कर अधिकारी व कर्मचारी की दलाली कर उनको रिश्वत दिलाता है। श्री सौरभ को उक्त कार्यालय म. नहीं बैठाये जाने बाबत कर्मचारिया. व अधिकारिया. को पाबन्द करने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, बून्दी ने पत्र दिनांक 01.12.2015 से अवगत कराया कि उप पंजीयक कार्यालय, बून्दी में मैसर्स विनायका एजेन्सी, कोटा द्वारा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर अनुबन्ध पर ले रखा है, ऑपरेटर की सेवाएं कम्पनी द्वारा उपलब्ध करवायी गई हैं। श्री सौरभ शर्मा के स्थान पर अन्य दूसरा ऑपरेटर उपलब्ध कराये जाने बाबत विनायका एजेन्सी, कोटा को पत्र लिखा जा चुका है। श्री सौरभ शर्मा वर्तमान मे. कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य नहीं कर रहा है। यह भी अवगत कराया गया कि सम्बन्धित कार्मिका. को निर्देशित किया गया कि श्री सौरभ शर्मा को किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया जावे। परिवादी ने इस सचिवालय से प्रेषित पत्र के बावजूद आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 08.03.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(416)लोआस/2015

परिवादी श्री जगदीश विश्नोई पुत्र श्री हनुमान जाति विश्नोई निवासी 65 एल.एन.पी. तहसील, पदमपुर जिला, श्रीगंगानगर से दिनांक 09.09.2015 को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. आरोप लगाया गया है कि न्यायालय म. मुकदमा दर्ज होने के कारण उसकी 12 बोर गन का लाइसस्न जिला कलक्टर ने खारिज कर दिया लेकिन न्यायालय द्वारा उसे दो वर्ष पूर्व दोषमुक्त कर दिया जिसकी प्रति प्रस्तुत करने के बावजूद उससे बार-बार चक्कर लगवा रहे हैं और शस्त्र लाइसस्न का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं। निवेदन किया कि उसकी 12 बोर गन का लाइसस्न नवीनीकरण कराव।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर ने पत्र दिनांक 22.12.2015 द्वारा सूचित किया कि परिवादी जगदीश बिश्नोई का शस्त्र अनुज्ञा-पत्र सं. 2/97/डीएम/जीएनआर मुकदमा दर्ज होने के कारण निलम्बित किया हुआ था। परिवादी द्वारा मुकदम. म. राजीनामा होने तथा शस्त्र अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर पुलिस अधीक्षक से पुनः रिपोर्ट दिनांक 03.03.2015 को प्राप्त हुई जिसम. अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण की अनुशंषा करने पर उक्त अनुज्ञा-पत्र निलम्बन से बहाल कर नवीनीकरण करने हेतु जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा पत्रावली पर आदेश हो चुके हैं।

तदुपरान्त सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर ने जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 29.12.2015 के आधार पर पत्र दिनांक 06.01.2016 से सूचित किया कि परिवादी द्वारा नवीनीकण की निर्धारित शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने पर परिवादी का शस्त्र अनुज्ञा-पत्र सं. 2/97डीएम/गंगानगर आदेश क्रमांक न्याय/ए.खि/नवी./8513/2015/1620 दिनांक 14.12.2015 द्वारा बहाल किया जाकर दिनांक 21.01.2016 तक

नवीनीकरण किया जा चुका है। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 22.03.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(444)लोआस/2015

परिवादी श्री बदरीलाल पुत्र श्री रूपनारायण जाति ब्राह्मण निवासी खांजना चौड, तहसील एवं जिला, सवाई माधोपुर से दिनांक 10.09.2015 को तहसीलदार, सवाई माधोपुर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि उसकी आराजी म. जाने का रास्ता ग्राम बीजासनी के खसरा नंबर 2398 चारागाह भूमि म. है, जिसे बाबूलाल ने रोक कर जोत डाला तथा फसल बोने की फिराक म. हैं। आम रास्ते से बाबूलाल को बेदखल करने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर ने पत्र दिनांक 18.12.2015 से अवगत कराया कि परिवादी बदरीलाल की मृत्यु दिनांक 25.09.015 को हो चुकी है, अतिक्रमी बाबूलाल को न्यायालय नायब तहसीलदार, सवाई माधोपुर के बेदखली निर्णय दिनांक 14.10.2015 की अनुपालना म. दिनांक 17.12.2015 को मौके पर परिवादी के पुत्र चिंरजी शर्मा की मौजूदगी म. रास्ता खुला दिया गया है। इस सम्बन्ध में परिवादी की ओर से कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 30.10.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(457)लोआस/2015

परिवादीगण नरेन्द्र सिंह एवं अन्य, निवासी ग्राम ढ़ोटी, पंचायत समिति, अटरू, तहसील, अटरू जिला, बारां से प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया है कि ग्राम ढ़ोटी म. स्थित करीब एक हजार बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने से मवेशिया. के चरने की समस्या हो गई है। निवेदन किया गया कि चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर दोषिया. को दण्डित किया जाये।

परिवादीगण का परिवाद विहित प्रारूप म. सत्यापित शपथ-पत्र सहित नहीं होने के बावजूद प्रकरण चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से सम्बन्धित सार्वजनिक महत्व का होने से स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, बारां ने पत्र दिनांक 17.12.2015 से अवगत कराया कि ग्राम ढ़ोटी की चारागाह भूमि म. से 84.32 हैक्टेयर पर सवंत् 2072 म. 72 अतिक्रमिया. के विरूद्ध नायब तहसीलदार, अटरू ने धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमिया. को बेदखलकर फसल जब्त करने के आदेश दिया। इनम. से 30 अतिक्रमिया. को बेदखलकर दिया गया व शेष 42 अतिक्रमिया. की फसल की नीलामी राशि 2,84,058/-रू. तय की गई और उनम. से बड़े रकबे के 15 अतिक्रमिया. को एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर बेदखल किया गया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 07.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(491)लोआस/2015

परिवादी श्री हफीज मौहम्मद पुत्र श्री कुतुबुद्दीन जाति मुसलमान निवासी माण्डलगढ़ जिला, भीलवाड़ा से दिनांक 30.09.2015 को माण्डलगढ म. जन सुनवाई के दौरान प्राप्त परिवाद म. पटवारी हलका खाचरोल के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. आरोप लगाया गया कि वर्ष 2014-15 म. ओलावृष्टि से उसकी रबी की फसल नष्ट होने पर मुआवजा हेतु पाँच बार पटवारी से सम्पर्क किया तो वह नहीं मिला। परिवादी ने निवेदन किया है कि उसे ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 18.12.2015 से अवगत कराया कि श्री हफीज मौहम्मद को ओलावृष्टि म. हुए नुकसान की मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है। परिवादी की ओर से बावजूद पत्र के इस सम्बन्ध मे कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 26.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(493)लोआस/2015

परिवादी नन्द लाल पुत्र श्री रूपा जी कलाल निवासी लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा से क्षेत्रीय पटवारी, लाडपुरा तहसील, माण्डलगढ जिला, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 01.10.2015 को प्राप्त परिवाद म. आक्षेप लगाया गया कि ओलावृष्टि की आपदा अनुदान राशि क्षेत्रीय पटवारी द्वारा लिस्ट म. नाम नहीं भेजने से उसे नहीं मिली है।

निवेदन किया कि ओलावृष्टि से उसे हुए नुकसान का मुआवजा दिलाया जाये।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 18.12.2015 से अवगत कराया कि श्री नन्द लाल को ओलावृष्टि से हुए नुकसान की मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के इस सम्बन्ध म. कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 29.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(494)लोआस/2015

परिवादी श्री विजय सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी किशनपुरिया पंचायत, दौलतपुरा तहसील, माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा) द्वारा माण्डलगढ़ शिविर के दौरान दिनांक 30.09.2015 को क्षेत्रीय पटवारी, श्रीनगर तहसील, माण्डलगढ़ के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि उसकी रबी की फसल (गेहूँ की फसल) खराब हो जाने के बावजूद हल्का पटवारी ने मुआवजे के लिए नाम नहीं भेजा। उन्हान्ने मुआवजा राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 21.12.2015 से अवगत कराया कि परिवादी को ओलावृष्टि से हुए नुकसान की मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है। परिवादी की ओर से इस सम्बन्ध मे कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 11.03.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(498)लोआस/2015

परिवादी श्री उँकारलाल पुत्र श्री लालू जाति मीणा निवासी मालका कुआँ, तहसील माण्डलगढ़ जिला, भीलवाड़ा से माण्डलगढ़ म. जन सुनवाई के दौरान दिनांक 30.09.2015 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़ जिला, भीलवाड़ा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. अभिकथन किया गया कि उसकी एक-नाली बन्दूक सं. 2005 के अनुज्ञा-पत्र सं.1055/03 का नवीनीकरण मु.नं. 460/2000 म. पारित निर्णय के आधार पर नहीं करने से जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के यहाँ अपील संस्थित करने पर उन्होनें शस्त्र अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण की कार्यवाही के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़ को लिखने के बावजूद उसका शस्त्र अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण नहीं किया है। निवेदन किया गया कि उसके शस्त्र अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण कराया जाये।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 18.12.2015 से अवगत कराया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़ द्वारा परिवादी को सुनने के बाद आर्म्स अनुज्ञा-पत्र संख्या 1055/03 का नवीनीकरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी मय पैनल्टी राजकोष म. जमा कर दिनांक 15.12.2015 को नवीनीकृत कर दिया ।पत्र के साथ आर्म्स अनुज्ञा-पत्र के नवीनीकरण के इन्द्राज की छाया प्रति भी संलग्न प्रेषित की गई। परिवादी की ओर से बावजूद पत्र के इस सम्बन्ध मे कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 26.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(644)लोआस/2015

परिवादीगण श्री नाथूराम इत्यादि निवासीगण ग्राम लालपुरा तहसील, लालसोट जिला, दौसा से दिनांक 16.11.2015 को प्रशासनिक अधिकारिया. के विरूद्ध प्राप्त परिवाद म. यह अभिकथन किया गया है कि ग्राम लालपुरा तहसील, लालसोट म. चारागाह भूमि म. से करीब 5 बीघा भूमि को गोविन्द शर्मा ने जोत कर सरसा. बोने की तैयारी कर रखी है जिससे मवेशिया. के लिए चारे की समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्हाऩे उक्त अतिक्रमण को रोकने का निवेदन किया है।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा ने पत्र दिनांक 23.02.2016 से अवगत कराया कि ग्राम लालपुरा के ख.सं. 82 रकबा 70.11 बीघा चारागाह भूमि म. से 2 बीघा चारागाह भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा जोत लगाकर अतिक्रमण किया था। उक्त अतिक्रमण को हटा दिया गया है। पत्र के साथ तहसीलदार, लालसोट का अतिक्रमण हटाने का पत्र दिनांक 09.02.2016 भी प्रेषित किया। परिवादीगण की ओर से इस सम्बन्ध मे कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादीगण को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 03.03.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(16)लोआस/2011

परिवादी श्री मदन गांधी से दिनांक 12.05.2011 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने जिला परिषद, झालावाड़ द्वारा संचालित आवासीय छात्रावास, झालारापाटन के बच्चा. के बिस्तर, गद्दे, तकिये, कम्बल व चादर आदि बहुत ही घटिया किस्म के होने व जाँच रिपोर्ट के आधार पर दोषिया. के विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने पर कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जयपुर से दिनांक 28.11.2011 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शिकायत को सत्य होना पाया गया और इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, झालावाड़ को मै. इरास खादी ग्रामोद्योग उत्पादक सहकारी समिति, रायला, भीलवाड़ा के विरूद्ध प्र.सू.रि. दर्ज करवाने तथा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर को वैधानिक कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, झालावाड़ से दिनांक 17.09.2013 को प्राप्त पत्र के अनुसार उपर्युक्त संस्था के प्रबन्धक के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 420 के अधीन पंजीबद्ध प्र.सू.रि. सं. 65/2012 म. अनुसन्धान के पश्चात् अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन के न्यायालय म. अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिला परिषद, झालावाड़ के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी श्री शैलेश चतुर्वेदी, एमबीए (संविदा कर्मी) को जाँच म. दोषी मानते हुए उसकी सेवाएं समाप्त की गई एवं उससे घटिया रूई की राशि (22,000/-रु.) की वसूली दिनांक 12.11.2013 को की गई।

इस मामले म. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अधीन श्री पारसमल जैन से जाँच करवाई गई जिन्हाने अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके आधार पर निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, झालाना डूंगरी, जयपुर को उक्त संस्था के विरूद्ध वांछित वैधानिक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई जिस पर निदेशक द्वारा इस संस्था को वर्ष 2014-15

एवं 2015-16 का बजट स्वीकृत नहीं किया गया और आयोग द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 08.09.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(55)लोआस/2011

परिवादी श्री रणजीत कड़वासरा से दिनांक 10.08.2011 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, बजाउजाटी (बाड़मेर) के सरपंच व ग्राम पंचायत द्वारा मिलकर मनरेगा म. लाखों रु. का घोटाला करने का आरोप लगाया है।

जिला कलक्टर, बाड़मेर से दिनांक 23.01.2012 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश बिन्दुआ. पर शिकायत झूठी पाई गई लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री क्रय करने म. वित्तीय अनियमितता पाई गई और इसके आधार पर ग्राम सेवक श्री दीपाराम के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसे नियमानुसार जाँच के पश्चात् समाप्त किया गया।

जिला कलक्टर, बाड़मेर से दिनांक 09.03.2012 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जाँच रिपोर्ट में दर्शाये गये अनियमित भुगतान के 31,480/-रु. की वसूली सूरताराम/हनुमानराम से और 2019/-रु. कुल (33,499/-रु.) की वसूली खेताराम/भीयाराम से की गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 27.10.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(21)लोआस/2012

परिवादी श्री सुरेन्द्र से दिनांक 04.05.2012 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, मूण्डवाड़ा के सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों म. भारी भ्रष्टाचार कारित करने का आरोप लगाया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से दिनांक 01.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, मूण्डवाड़ा म. दो छात्रा. को मनरेगा कार्यों पर लगाने का दोषी मानते हुए तत्कालीन ग्राम सेवक श्री सीताराम स्वामी से 9,500/-रु. की वसूली की गई और तत्कालीन मेट को काली सूची म. डाल दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 03.07.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(124)लोआस/2013

परिवादी श्री बजरंग दास से दिनांक 22.10.2013 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, जौचीणा, तंवरा व दुगस्ताऊ के ठेकेदारा. के वर्ष 2009-10 के दौरान मनरेगा योजना के अन्तर्गत सप्लाई की गई सामग्री का बकाया भुगतान करवाने की प्रार्थना की है।

इस सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, नागौर से दिनांक 10.07.15 व 29.01.16 को प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार विभिन्न ठेकेदारा. को 48,40,558/-रु. और 6,74,907/-रु. यानी कुल 55,15,465/-रु. का भुगतान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 28.01.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(28)लोआस/2014

परिवादी श्री हरदेव से दिनांक 15.05.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हाऩे ग्राम टोरड़ी (टाक्र) म. पशु चिकित्सालय की पट्टा शुदा भूमि और राजकीय प्राथमिक बालिका विद्यालय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय के खेल के मैदान की भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध म. प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, टाक्र से दिनांक 10.07.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 1 बीघा भूमि से अधिक भूमि पर अनुसूचित जाति के व्यक्तिया. को आवास उपलब्ध करवा दिये गये जबकि आबादी म. कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी और दिनांक 20.10.2007 को ग्राम पंचायत ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर तथाकथित चारागाह भूमि खसरा सं. 882 म. 60x70 फुट भूखण्ड का पट्टा पशु चिकित्सालय, टोरड़ी को दिया।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, टोरड़ी के नाम खसरा सं. 882/03 रकबा 3.04 बीघा खेल मैदान और इसी प्रकार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, टोरड़ी के नाम 882/04 रकबा 1.12 बीघा खेल मैदान रिकॉर्ड म. दर्ज है किन्तु मौका पर स्थानीय लोगों के अतिक्रमण पाये गये।

तत्पश्चात् जिला कलक्टर, टाक्र से दिनांक 09.04.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि दिनांक 25.03.2015 को उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा, तहसीलदार, मालपुरा, हलका पटवारी एवं गिरदावर द्वारा उपस्थित जन प्रतिनिधिया. के समक्ष विद्यालया. को आवंटित भूमि पर से अतिक्रमण हटा कर उनके प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को भूमि सुपुर्द की गई। इसी प्रकार खसरा सं. 882/5 रकबा 3 बीघा म. से 0.10 बीघा भूमि को प्रस्ताव अनुसार अतिक्रमण मुक्त करवाकर पशु चिकित्सालय हेतु पशुपालन विभाग को सौंपा गया यानी उपर्युक्त तीना. अतिक्रमण प्रशासन द्वारा हटा दिये गये।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया किन्तु ग्राम पंचायम, टोरड़ी द्वारा खेल मैदान एवं राजकीय कार्य के लिये आरक्षित राजकीय भूमि पर काटे गये पट्टा. की जाँच कर दोषी व्यक्तिया. के विरूद्ध कार्यवाही करने, प्र.सू.रि. दर्ज करवाने एवं अवैध पट्टा. को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील/निगरानी प्रस्तुत करने की कार्यवाही बाकी होने से त्रैमासिक स्तर पर इसकी अनुपालना रिपोर्ट आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 15.04.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(33)लोआस/2014

परिवादी श्री नवीन हैड़ा से दिनांक 19.05.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जवाजा और सरपंच व ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, टॉडगढ़ के विरूद्ध शिकायत की है कि वर्ष 2009-10 म. उसके द्वारा मनरेगा म. आपूर्त की गई सीमेन्ट का भुगतान (9,37,657/-रु.) नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध म. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, अजमेर से दिनांक 14.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया है कि इस प्रकरण से सम्बन्धित परिवादी फर्म मै. नवीन सीमेन्ट वर्क्स, ब्यावर को ग्राम पंचायत, नून्द्री मालदेव से सम्बन्धित देय राशि (1,57,658/-रु.) का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 17.08.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(45)लोआस/2014

परिवादी श्री नवीन हैड़ा से दिनांक 27.05.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार मनरेगा म. आपूर्त किये गये माल का भुगतान (5,84,917/-रु.) ग्राम पंचायत, नून्द्री मालदेव पंचायत समिति, जवाजा, जिला अजमेर के ग्राम सेवक श्री सरदार मल राव और विकास अधिकारी पंचायत समिति, जवाजा के द्वारा नहीं करने का आरोप लगाया है।

इस सम्बन्ध म. इस सचिवालय के पत्र दिनांक 15.07.2015 के सन्दर्भ म. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, अजमेर से दिनांक 14.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित परिवादी फर्म मै. नवीन सीमेन्ट वर्क्स, ब्यावर को ग्राम पंचायत, नून्द्री माल देव से सम्बन्धित सम्पूर्ण भुगतान (6,30,738/-रु.) कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 17.08.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(46)लोआस/2014

परिवादी श्री नवीन हैड़ा से दिनांक 27.05.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने मनरेगा म. आपूर्त किये गये माल का भुगतान (1,79,700/-रु.) ग्राम पंचायत, मालाता. की बैर पंचायत समिति, जवाजा, जिला अजमेर के ग्राम सेवक श्री अरूण शर्मा और विकास अधिकारी द्वारा नहीं करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 14.08.2015 के अनुसार अवगत करवाया

गया है कि सम्बन्धित परिवादी फर्म मै. नवीन सीमेन्ट वर्क्स, ब्यावर को ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित सम्पूर्ण भुगतान (74,328/-रु.) कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 17.08.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(56)लोआस/2014

परिवादीगण श्री माँगीलाल वगैरह से दिनांक 10.06.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हान्ने ग्राम पंचायत, गोलूवाला सियागान के सरपंच व ग्राम सचिव श्री सुखदेव सिंह के विरूद्ध खाळा निर्माण म. घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए जाँच की माँग की है।

इस सचिवालय के दिनांक 21.08.2014 के पत्र से परिवाद की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर को प्रेषित कर परिवाद नस्तीबद्ध किया गया। इसके बाद दिनांक 16.02.2016 को विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि खाळों का शेष निर्माण कार्य पूरा करवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.12(59)लोआस/2014

परिवादी श्री किशन गोपाल से दिनांक 12.06.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, दूनी (टाक्र) के तत्कालीन सरपंच व सचिव

के विरूद्ध अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए उसके पिता श्री भूराजी को दिनांक 21.02.1980 को पंचायत द्वारा आवंटित व फिर विक्रीत भूखण्ड को श्री हंसराज को दिनांक 20.05.2009 को पुनः विक्रय कर इसका पट्टा उसके पक्ष म. जारी करने का आरोप लगाया है।

जिला कलक्टर, टाक्र से दिनांक 01.01.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की शिकायत को सही पाते हुए विवादित पट्टे को निरस्त किये जाने योग्य पाया गया और इस सम्बन्ध म. ग्राम पंचायत, दूनी के तत्कालीन सरंपच व सचिव को दोषी माना गया किन्तु तत्कालीन सचिव श्री नन्दलाल तेली दिनांक 31.05.2013 को सेवानिवृत्त हो गये और फिर दिनांक 23.01.2014 को उनका देहान्त भी हो गया, इस कारण उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

विवादित पट्टा को निरस्त करने के सम्बन्ध म. ग्राम पंचायत, दूनी द्वारा अति. जिला कलक्टर टाक्र के समक्ष निगरानी याचिका दिनांक 01.06.2015 को प्रस्तुत की गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 24.11.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(75)लोआस/2014

परिवादी श्री रामधन गुर्जर से दिनांक 27.07.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हाऩे अपने गाँव रायपुर जिला दौसा म. खसरा सं. 776 गैर मुमकिन तलाई की पाळ पर स्थित भैंराज़ी महाराज के स्थान पर स्थित रास्ते को वर्तमान सरपंच श्री स्वरूप कंवर द्वारा अवरूद्ध करने पर उस अवरोध और खसरा सं. 370 पर हुए सार्वजनिक अतिक्रमण को हटाये जाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, दौसा से दिनांक 05.10.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम रामपुरा के खसरा सं. 370 रकबा 1.21 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी भूमि से पट्टा विहीन व्यक्तिया. एवं गैर पट्टा काबिज व्यक्तिया. का अतिक्रमण हटा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 15.10.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(85)लोआस/2014

परिवादीगण श्री गोपाल व अन्य से दिनांक 12.07.2014 को प्राप्त परिवाद अनुसार उसने गाँव कानरपुरा तहसील, चौमूं, जिला जयपुर से तेजाजी के थान के पास होती हुई रीको एरिया म. जा रही ग्रेवल सड़क पर कुछ असामाजिक तत्वा. द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध म. ग्राम पंचायत, घिनोई और प्रशासन के समक्ष शिकायत करने के बावजूद, कोई कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाया गया है।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से दिनांक 09.04.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार यह अवगत करवाया गया कि शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है। परिवादी ने भी दिनांक 01.04.2015 को लिखित म. दिया है कि अब विवादित रास्ते म. कोई अतिक्रमण नहीं है एवं रास्ता वर्तमान म. चालू है तथा अब उसे कोई आपत्ति नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 30.04.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(128)लोआस/2014

परिवादी श्री जगदीश चन्द्र से दिनांक 22.07.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार ग्राम पंचायत, मण्डफिया सांवलियाजी (चित्तौड़गढ़) के सरपंच एवं सचिव द्वारा उसे पुश्तैनी आवासीय पट्टा नहीं देने पर पट्टा दिलवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 04.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा दिनांक 18.01.2013 को रसीद सं. 600/82 एवं 600/82 अनुसार पुश्तैनी पट्टे जारी करने के आवेदन किये गये थे और रसीद सं. 600/83 म. संलग्न आवेदन अनुसार ग्राम पंचायत, मण्डफिया द्वारा परिवादी को दिनांक 06.04.2015 को वांछित पट्टा सं. 494/25 जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 25.06.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(138)लोआस/2014

परिवादी श्री सुनील कुमार से दिनांक 22.07.2014 को प्राप्त परिवाद अनुसार उसने ग्राम सोहनखेड़ा पटवार हलका, बागुण्ड म. स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा सं.489 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा के पास आई बिला नाम आराजी खसरा सं. 490 पर ग्राम पंचायत, बागुण्ड द्वारा किये गये अतिक्रमण हो हटवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 11.02.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आराजी सं. 490 म. से 0.14 हैक्टेयर भूमि अतिरिक्त आरक्षण कब्जे अनुसार कब्रिस्तान हेतु आरक्षित करने की

राजकीय स्वीकृति किये जाने का प्रस्ताव शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किया गया है।

इस सचिवालय के दिनांक 14.07.2015 के पत्र के सन्दर्भ म. दिनांक 13.08.2015 को जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सड़क से 30 फुट चौड़ा रास्ता जेसीबी की सहायता से खुलासा करवा दिया गया है। अब परिवादी व अन्य व्यक्ति मुख्य सड़क के साथ-साथ ग्राम सोहनखेड़ा से आ रहे रास्ते अर्थात् दोना. रास्ता. का सुगमतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं, इसलिये अब रास्ता सम्बन्धी कोई विवाद न होकर मौके पर खुलासा है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.08.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(169)लोआस/2014

परिवादी श्री दुर्गादास से दिनांक 07.08.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, पीपलियाखुर्द के सरपंच और ग्राम सेवक द्वारा गाँव म. निर्मित आँगनवाड़ी केन्द्र व राजीव गांधी भवन के पास के परिक्षेत्र को अपने कब्जा म. करने के लिये खेत की बाड़ का पक्का निर्माण करवाकर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ-साथ गोचर भूमि म. गौशाला का निर्माण करवाकर सैंकड़ा. बीघा भूमि पर खुद व अपने चहेता. का कब्जा करवाने का भी आरोप लगाया है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, पाली से दिनांक 20.11.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पीपलियाखुर्द म. जलदाय विभाग की चारदीवारी पर चेनाराम जाट द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इसके

अतिरिक्त चिन्हित 02 बिस्वा भूमि आँगनवाड़ी केन्द्र परिक्षेत्र पर किये गये अतिक्रमण को भी हटा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 24.11.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(172)लोआस/2014

परिवादी श्री अमर सिंह से दिनांक 07.08.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, करीमपुर (पंचायत समिति, धौलपुर) के सरपंच श्री दामोदर द्वारा पंचायत क्षेत्र म. करवाये गये कार्यों म. कारित की गई अनियमितता की जाँच करने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया है। इसके अलावा परिवादी ने आवश्यक कार्यवाही करने और 400 हैण्ड पम्प निर्माण म. सरकारी राशि के सम्बन्ध म. हुए भ्रष्टाचार की जाँच करवा कर कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, सचिव एवं सरपंच के विरूद्ध एफ. आई.आर. दर्ज करवा कर सरकारी राशि वसूलने की कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, धौलपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत, करीमपुर द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्पा. के निर्माण म. कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। इन हैण्ड पम्पा. पर 11 व्यक्तिया. द्वारा अतिक्रमण कर लेने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, धौलपुर के पत्र दिनांक 13.11.2014 के द्वारा सम्बन्धित अधिकारिया. को निर्देश देकर उपर्युक्त अतिक्रमण हटवाने हेतु कहा गया है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, धौलपुर से दिनांक 07.04.2015 को प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट के अनुसार उपर्युक्त हैण्ड पम्पा. पर 11 व्यक्तिया. द्वारा

किये गये अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। परिवादी ने भी दिनांक 12.01.2015 को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर यह प्रकट किया कि अब उन्ह. कोई शिकायत नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 09.04.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(186)लोआस/2014

परिवादी श्री श्रवण सिंह से दिनांक 16.08.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, भोजासर बड़ा जिला सीकर म. वर्ष 2010 से अब तक नरेगा कार्यों म. सरपंच, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, सहायक ग्राम सेवक व मेट वगैरह द्वारा अनियमितता कारित करने एवं झूठे बीपीएल मनोनीत करने का आरोप लगाया है।

इस सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, सीकर से दिनांक 29.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शिकायत आंशिक रूप से सही पाई गई है। रिपोर्ट म. अंकित किया है कि बीपीएल के अपात्र व्यक्तिया. श्री पृथ्वी सिंह व करण सिंह के नाम हटाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 02.07.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(202)लोआस/2014

परिवादीगण श्री सुरेश कुमार व अन्य से दिनांक 26.08.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हान्ने अपने गाँव डीसा ग्राम पंचायत, अनोपुरा, तहसील, आमेर म. नदी की सीमा म. स्थित खसरा सं. 197 रकबा 30

बीघा 8 बिस्वा पर सरपंच एवं भू-माफियाआ. द्वारा अतिक्रमण करने और खसरा सं. 100 पर निर्माण कार्य चालू होने का आरोप लगाया है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, जयपुर से दिनांक 24.03.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत खसरा सं. 197 किस्म गैर मुमकिन नदी पर निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को मौके से हटा कर अतिक्रमी हो बेदखल कर दिया गया है और खसरा सं. 100 पर अतिक्रमण नहीं पाया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 03.06.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(221)लोआस/2014

परिवादी श्री खुशालाराम से दिनांक 27.08.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम औसियां को पर्याप्त मात्रा म. आबादी भूमि उपलब्ध करवाने एवं सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमणा. को हटाने की प्रार्थना की है।

इस सचिवालय के दिनांक 21.07.2015 के पत्र के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, जोधपुर से दिनांक 19.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व अधिकारी व कर्मचारिया. की टीम द्वारा सर्वे करके ग्राम पंचायत को सीमाज्ञान करवाया गया है।

जिला कलक्टर, जोधपुर से दिनांक 07.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवाद म. वर्णित विभिन्न अतिक्रमणा. को हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त केचमेन्ट एरिया म. नियम विरूद्ध किये गये

आवंटन/नियमन को निरस्त करवाने के सम्बन्ध म. तहसीलदार, औसियां द्वारा जिला कलक्टर, जोधपुर के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण म. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आहूत करते हुए यह परिवाद दिनांक 24.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.12(243)लोआस/2014

परिवादी श्री सलीम मो0 से दिनांक 11.09.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार ग्राम कोशीथल म. अयूब छीपा द्वारा बरसाती पानी के नाले पर अवैध कब्जा कर पानी निकासी बंद कर देने से उसका कब्जा हटवाकर बरसाती पानी की निकासी को सुचारू करवाने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से दिनांक 21.05.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कोशीथल म. बरसाती पानी के नाले पर अयूब छीपा द्वारा किये गये अतिक्रमण को दिनांक 13.05.2015 को हटवाकर बरसाती नाले एवं रास्ते का खुलासा कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 21.05.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(250)लोआस/2014

परिवादी श्री कर्मवीर सिंह से दिनांक 03.09.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, प्रतापसिंहपुरा के सरपंच व सचिव द्वारा सी. सी. सड़क के निर्माण म. घटिया सामग्री का प्रयोग करने एवं फर्जी

मस्टररोल तैयार कर भुगतान उठाने की शिकायत विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नीमराणा को करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर आवश्यक कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से दिनांक 22.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, प्रतापसिंहपुरा के तत्कालीन सरपंच से 78773/-रु. वसूल किये गये है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 17.02.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(258)लोआस/2014

परिवादी श्री बाबूलाल से दिनांक 05.09.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हाने ग्राम पंचायत, महूखुर्द के विरूद्ध आरोप लगाया कि उसकी निविदा स्वीकार होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा ना तो माल क्रय किया गया ना ही धरोहर राशि (रु.30,000/-) लौटाई गई। अतः उसे यह राशि ब्याज सहित दिलवाई जावे।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा से दिनांक 03.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी श्री बाबूलाल शर्मा की फर्म ''शर्मा फर्टीलाइजर्स'' की ग्राम पंचायत, महूखुर्द म. जमा वर्ष 2013-14 की टेण्डर अमानत राशि का भुगतान चैक सं. 006262 दिनांक 13.07.2015 (18,000/-रु.) एवं चैक सं. 006263 दिनांक 21.07.2015 (12,000/-रु.) से कर दिया गया है। अतः अब पंचायत स्तर पर उसे देय कोई राशि शेष नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 11.08.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(259)लोआस/2014

परिवादी श्री बाबूलाल शर्मा से दिनांक 09.09.2014 को प्राप्त परिवाद अनुसार उसने ग्राम पंचायत, बिवाई पंचायत समिति, बान्दीकुई, जिला दौसा के विरूद्ध आरोप लगाया कि उसकी निविदा स्वीकार होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा ना तो माल क्रय किया गया ना ही उसकी धरोहर राशि (रु.90,000/-) लौटाई गई। अतः उसे उक्त राशि ब्याज सहित दिलवाई जावे।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा से दिनांक 30.04.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मै. शर्मा फर्टीलाइजर्स, बिवाई द्वारा 45,674/-रु. का सामग्री मद म. अधिक भुगतान और टीडीएस/अन्य मद के क्रमशः 24,592/-रु. व 18,450/-रु. यानी कुल 66854/-रु. के बिल प्रस्तुत किये गये थे। परिवादी द्वारा सामग्री आपूर्ति नहीं किये जाने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा भूलवश इस राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसलिये इस राशि को कम करते हुए शेष राशि 23,416/-रु. का भुगतान पंचायत द्वारा दिनांक 04.01.2014 के चैक द्वारा उक्त फर्म को कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 15.05.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(266)लोआस/2014

परिवादी श्री सुभाष भूकर से दिनांक 12.09.2014 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्हान्ने तत्कालीन सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर श्री आनन्द कुमार के विरूद्ध पद के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए उनके द्वारा ग्राम पंचायत, भैरूपुरा सिलवानी के भूतपूर्व सरपंच श्री मुखराम खिलेरी को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अधीन गलत तौर से निर्दोष करार देने पर उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 30.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत, भैरूपुरा सिलवानी के पूर्व सरपंच श्री मुखराम खिलेरी द्वारा अपने कार्यकाल म. फर्जी दस्तावेज लगाकर बीपीएल लोगा. के नाम से इन्दिरा आवास की राशि हड़पने के मामले म. उसे एवं तत्कालीन ग्राम सेवक श्री अमर सिंह को दोषी माना गया जिस पर श्री अमर सिंह द्वारा दिनांक 06.03.2015 को आधी राशि (22,500/-रु.) ग्राम पंचायत के बैक खाते म. जमा करवा दी गई है। तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से दिनांक 03.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार यह अवगत करवाया गया कि श्री मुखराम द्वारा भी अपेक्षित राशि (22,500/-रु.) दिनांक 24.08.2015 को जमा करवाई जा चुकी है।

इसी क्रम म. इस सचिवालय के दिनांक 06.08.2015 के पत्र के सन्दर्भ म. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 28.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया है कि इस मामले म. उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ की जाँच रिपोर्ट के आधार पर अनियमित भुगतान की राशि 14,63,194/-रु. म. से श्री अमर सिंह (ग्राम सेवक) द्वारा 7,31,597/-रु. और श्री मुखराम खिलेरी (तत्कालीन सरपंच) द्वारा 6,95,000/-रु. जमा करवाये गये।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 06.08.2015 के सन्दर्भ मे. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 09.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर श्री आनन्द कुमार द्वारा दिनांक 14.08.2012 को प्रकरण समाप्ति का आदेश पारित करने तक सरपंच, ग्राम पंचायत, भैरूपुरा सिलवानी के विरूद्ध कोई जाँच पत्रावली विभाग स्तर या सम्भागीय आयुक्त के स्तर पर संधारित या लम्बित न होने से प्रकरण समाप्ति का आशय सरपंच द्वारा दिनांक 30.05.2011 को माननीय मंत्री महोदय को प्रेषित शिकायती पत्र को नस्तीबद्ध करना मात्र था, न कि सरपंच के विरूद्ध किसी जाँच को नस्तीबद्ध करना क्याकि सरपंच के विरूद्ध जाँच कार्यवाही पंचायत समिति, सूरतगढ़ के स्तर पर लम्बित व प्रक्रियाधीन थी।

इस प्रकार से सरपंच के विरूद्ध शिकायत व सरपंच द्वारा शिकायत के शाब्दिक फेर के रूप म. सहवन से ऐसा आदेश जारी हो गया था जिसम. कोई बदनीयति प्रतीत नहीं होती है यानी उक्त आदेश पारित करने म. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर की कोई गलती न होना बताया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी की शिकायत म. की गई जाँच के आधार पर सम्बन्धित सरपंच व सचिव से वांछित रकम की वसूली हो जाने पर पत्रावली दिनांक 11.09.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(295)लोआस/2014

परिवादी श्री भँवर सिंह अटल से दिनांक 19.09.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने पंचायत समिति, उदयपुरवाटी झुन्झुनूं के विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत, केड के सचिव व पूर्व सरपंच श्री प्रभुदयाल के

विरूद्ध आरोप लगाया है कि इन्हाने उसके वार्ड सं. 3 म. रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। अतः इस अतिक्रमण को हटवाया जाकर रास्ता चालू करवाया जावे।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 03.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ते से विवादित अतिक्रमण को हटा दिया गया है। साथ ही नाली भी सुचारू रूप से चालू करवा दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 07.07.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(325)लोआस/2014

परिवादी श्री राजवीर सिंह से दिनांक 14.10.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, बहादुरवास की सरपंच श्रीमती सुनीता ढाका एवं तत्कालीन ग्राम सेवक श्री बनवारीलाल द्वारा मार्च, 2010 से जुलाई, 2014 तक की अवधि म. की गई अनियमितताआ. व भ्रष्टाचार की जाँच करवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 07.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि तत्कालीन ग्राम सेवक श्री बनवारीलाल एवं शिशुपाल सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (सी.सी.ए.) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही कर उनकी एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने एवं परिनिन्दा की शास्ति से दण्डित किया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.12.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(354)लोआस/2014

परिवादी श्री हेतराम कुम्हार से दिनांक 11.09.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने 6 एल.एन.पी. जिला श्रीगंगानगर म. स्थित जोहड़ की 80गुणा100 फुट भूमि पर श्री ताराचंद, रामप्रताप व पालाराम द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध म, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को आदेश देने के बावजूद, सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा अतिक्रमण नहीं हटवाने के सम्बन्ध म. प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से दिनांक 26.02.2015 एवं 09.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम 6 एल.एन.पी. के जोहड़ पायतन पर किये गये अवैध कब्जा. को हटा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.09.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(374)लोआस/2014

परिवादी श्री पृथ्वी सिंह से दिनांक 26.11.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हाऩे ग्राम पंचायत, कोलसिया (जिला झुन्झुनूं) के ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री मूलशंकर सिंह द्वारा पंचायत के विभिन्न कार्यों म. वित्तीय अनियमितताएं कारित कर सरकारी धन के दुरूपयोग व गबन की शिकायत की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 17.03.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के विभिन्न चार बिन्दुआ. म. क्रमशः 6392/-रु., 329883/-रु., 42594/-रु. व 13932/-रु. यानी कुल 392801/-रु. वसूली योग्य बताये गये।

दिनांक 12.10.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित दोषी सरपंच/ग्राम सेवक से 6392/-रु. व 13932/-रु. यानी कुल 20324/-रु. वसूल कर राजकोष म. जमा किये गये और दिनांक 15.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सेवक श्री मूलशंकर से 109961/-रु., कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री नरेन्द्र कुमार जांगिड़ से 109961/-रु., सेवानिवृत्त ग्राम सेवक श्री उम्मेद अली से 21297/-रु. एवं पूर्व सरपंच श्रीमती सुन्दरी देवी से 131258/-रु. यानी 372477/-रु. वसूल कर कुल 392801/-रु. राजकोष म. जमा करवाये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 17.03.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(380)लोआस/2014

परिवादी श्री जीतमल बांसरे से दिनांक 27.11.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने हिण्डौन-महुवा मार्ग पर महू कस्बे से दो किलोमीटर दूर स्थित कदम्ब कुंज को ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक धरोहर बताकर उसकी सुरक्षा, संरक्षण व विकास कार्य म. प्रशासनिक अधिकारिया. द्वारा रूचि न लेने पर आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

परिवाद म. किसी लोक सेवक विशेष के विरूद्ध भ्रष्टाचार अथवा पद के दुरूपयोग का आरोप नहीं होने से उसे दिनांक 12.12.2015 के आदेशानुसार जिला कलक्टर, करौली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

किया गया। इसके बाद उनसे प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 23.10.2015 के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि कदम्ब कुंज से सम्बन्धित विभिन्न समस्याआ. का निराकरण हो गया है तथा उसके विकास हेतु नरेगा म. कार्य स्वीकृति हेतु वार्षिक प्लान म. प्रस्ताव जोड़ लिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को दिनांक 27.11.2015 को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया।

एफ.12(381)लोआस/2014

परिवादीगण श्री मुरारी भारद्वाज व अन्य से दिनांक 24.11.2014 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्हान्ने ग्राम पंचायत, काचरोली तहसील, हिण्डोन व जिला करौली के सचिव व सरपंच और पंचायत समिति, हिण्डोन के विकास अधिकारी के विरूद्ध अकर्मण्यता का आरोप लगाया कि गाँव के आधे से ज्यादा हिस्से म. एक माह से जनता जल योजना से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, वहाँ अतिशीघ्र इसकी व्यवस्था की जाये।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, करौली से दिनांक 24.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार यह अवगत करवाया गया कि शिकायतकर्ताआ. द्वारा दिनांक 27.06.2015 को सामूहिक रूप से बयान दिये गये कि माह जनवरी, 2015 से अब तक जनता जल योजना द्वारा पेयजल आपूर्ति संतोषप्रद रही है एवं वर्तमान म. पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है तथा पेयजल आपूर्ति संतोषप्रद है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 30.07.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(391)लोआस/2014

परिवादी श्री बनवारीलाल से दिनांक 28.11.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने राजकीय सेवा म. रहते हुए दिनांक 04.04.1984 से दिनांक 27.07.1975 तक की अवधि का जीपीएफ व एसआई का भुगतान विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नीमकाथाना द्वारा न करने पर उसे भुगतान करवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से दिनांक 02.11.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की उपरोक्त अवधि की जीपीएफ एवं राज्य बीमा से सम्बन्धित राशि 95,258/-रु. का भुगतान चैक सं. 086885 दिनांक 08.10.2015 के द्वारा करके, उसके खाते म. उक्त रकम जमा करवा दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 17.11.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(393)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती भारती शर्मा से दिनांक 24.11.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने शिक्षा विभाग के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढिढोरा, पंचायत समिति, हिण्डोन, जिला करौली म. शिक्षक के पद पर कार्यरत उनके पति श्री योगेश कुमार का देहान्त दिनांक 06.09.2012 को हो जाने पर उनके स्थान पर उसके द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति पाने हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभाग को आदेश/निर्देश देने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली से दिनांक 12.05.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्रीमती भारती शर्मा को जिला परिषद की स्थापना समिति की दिनांक 01.05.2015 की बैठक के निर्णय अनुसार राजस्थान मृत राज्य सरकारी कर्मचारिया. के आश्रिता. की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन लिपिक (ग्रेड-द्वितीय) के पद पर नियुक्ति दिनांक 04.05.2015 को दे दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 26.05.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(407)लोआस/2014

परिवादी श्री भोलू गाडरी से दिनांक 08.12.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने बीपीएल सेन्सस 2002 की सूची म. उसका नाम जोड़ने हेतु जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक बीपीएल 2002/12-13/469 दिनांक 09.04.2013 की अनुपालना विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहपुरा द्वारा न करने पर, उक्त आदेश की पालना करवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से दिनांक 25.02.2015 को प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि उपर्युक्त आदेश की अनुपालना म. परिवादी श्री भोलूराम गाडरी के परिवार को सर्वे क्रमांक 2822825 को बीपीएल सूची वर्ष 2002 म. जोड़ दिया गया है तथा वे बीपीएल परिवार को देय सभी योजनाआ. का लाभ लेने हेतु पात्र हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 20.04.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(408)लोआस/2014

परिवादी श्री रामकिशन से दिनांक 08.12.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हाने ग्राम पंचायत, मिण्डोलिया (जिला भीलवाड़ा) के राजस्व ग्राम मिण्डोलिया के मनरेगा श्रमिका. का भुगतान न होने की शिकायत की।

इस सम्बन्ध म. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से दिनांक 19.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवाद म. वर्णित सभी श्रमिका. को भुगतान किया जा चुका है और वर्तमान म. किसी प्रकार का भुगतान बकाया नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 06.07.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(414)लोआस/2014

परिवादी श्री सम्पूर्णानन्द शर्मा से दिनांक 10.10.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, मनोहरपुर पंचायत समिति, शाहपुरा व जिला जयपुर की सरपंच श्रीमती उर्मिला राजेश जांगिड़ को कई जाँचो. म. दोषी पाये जाने के बावजूद पंचायती राज विभाग द्वारा उनके विरूद्ध

कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाते हुए, दोषिया. के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 10.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उनके विभाग म. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच के विरूद्ध आरोप-पत्र आदि दिनांक 06.05.2015 को जारी कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 24.06.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(445)लोआस/2014

परिवादी श्री गोपाराम से दिनांक 27.01.2015 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्हाऩे ग्राम रामड़ावास खुर्द के सार्वजनिक चौक पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने म. नाकाम व भ्रष्ट अधिकारिया. के विरूद्ध सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच करवाकर अतिक्रमण हटवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, जोधपुर से दिनांक 08.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवाद म. वर्णित अतिक्रमण की कार्यवाही करके सार्वजनिक चौक को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 08.01.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(508)लोआस/2014

परिवादी श्री रमेश सिंह से दिनांक 11.03.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हाने वर्ष 2010 म. विभिन्न गाँवा. म. की गई पेयजल आपूर्ति का 90,000/-रु. का भुगतान ग्राम पंचायत, मियाला (जिला राजसमन्द) के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव और ठेकेदार हरदेव सिंह द्वारा न करने पर उपर्युक्त भुगतान करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द से दिनांक 27.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि पेयजल टेण्डर सप्लाई का कार्य उपखण्ड कार्यालय से सम्बन्धित है और ग्राम पंचायत स्तर से पेयजल व्यवस्था हेतु कोई निविदा या कार्यादेश जारी नहीं किया गया था तथा ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल आपूर्तिकर्ता को लिखित म. कार्यादेश जारी नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्री शंकरलाल द्वारा बताये अनुसार तत्समय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, देवगढ़ के मौखिक निर्देश अनुसार परिवादी श्री रमेश से पेयजल सप्लाई का कार्य करवाया गया था और कुछ समय बाद उपखण्ड स्तर से विधिवत निविदा प्रक्रिया के तहत श्री हरदेव सिंह की निविदा स्वीकृत हुई थी। इस प्रकार से निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक पेयजल टक्कर सप्लाई की सूची ठेकेदार को उपलब्ध करवाई गई तथा ठेकेदार द्वारा देय 30,000/-रु. का भुगतान श्री रमेश सिंह को किया जा चुका है।

पूर्व सरपंच श्री शंकरलाल द्वारा ठेकेदार को मौखिक पेयजल आपूर्ति का मौखिक आदेश देने से उसके लिये वही उत्तरदायी है और इस सम्बन्ध म. परिवादी उसके विरूद्ध विधि अनुसार वसूली कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण होकर उसे आंशिक अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 28.07.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(518)लोआस/2014

परिवादी श्री किशन गोपाल ग्राम सेवक से दिनांक 10.03.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने दिनांक 02.03.2004 दिनांक 10.07.2011 तक की अवधि के वेतन अन्तर के भुगतान म. विलम्ब होने से इस मामले म. उचित कार्यवाही कर उन्ह. भुगतान करवाने की प्रार्थना की है।

परिवादी स्वयं लोक सेवक है इसलिए इस सचिवालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करने हेतु सक्षम नहीं होने के कारण उसके परिवाद की प्रति इस सचिवालय के पत्र दिनांक 24.03.2015 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हनुमानगढ़ को प्रेषित की गई।

इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हनुमानगढ़ से दिनांक 23.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी श्री किशन गोपाल को बकाया वेतन व भत्ता. का नियमानुसार भुगतान कर दिया जाना बताया गया है। इस वस्तुस्थिति को स्वयं परिवादी ने अपने पत्र दिनांक 17.06.2015 म. स्वीकार किया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 10.08.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(534)लोआस/2014

परिवादी श्री हितेष अग्रवाल से दिनांक 17.03.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली के आदेशानुसार वित्त वर्ष 2012-13 म. किये गये विभिन्न कार्यों का भुगतान 36,77,156/-रु. न होने से उक्त भुगतान करवाने की प्रार्थना की है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली से दिनांक 14.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी फर्म को मूल राशि 21.60 लाख रु. का 15 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान कर दिया गया है। इसके साथ-साथ अमानत राशि (1,08,030/-रु.) का भुगतान भी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 16.03.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(2)लोआस/2015

परिवादी श्री जोरावर सिंह से दिनांक 07.04.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, चूहड़पुर के खसरा सं. 624 म. कचहरी नाम के सरकारी परिसर (पुरातत्व विभाग) म. कर्नल सुरेश कुमार व उसके परिवार के सदस्या. द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव व भूतपूर्व सरपंच से सांठ-गांठ कर फर्जी तौर से पट्टे जारी करवाकर कब्जा कर लेने पर जारी पट्टा. को निरस्त कर अतिक्रमण हटवाने की प्रार्थना की है।

इस सचिवालय के दिनांक 03.10.2015 के पत्र के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, अलवर से दिनांक 28.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह

अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, चूहड़पुर द्वारा उपर्युक्त भूमि का कोई पट्टा कर्नल सुरेश चन्द, उसकी पत्नी शीला व पुत्र रणजीत दयाल के नाम से जारी नहीं किया गया है।

जिला कलक्टर, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपर्युक्त ''कचहरी परिसर इन्दौर किले'' के समय से निर्मित है जो वर्तमान म. खण्डहर अवस्था म. होकर पुरातात्विक महत्व का है और सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा इस पर ताला लगाकर इसे अपने कब्जे म. ले लिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 20.01.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(33)लोआस/2015

परिवादी श्री रणवीर मीणा से दिनांक 24.04.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, थाना (जिला बून्दी) की पूर्व सरपंच श्रीमती गोपाली बाई मीणा एवं सचिव श्री अब्दुल रईस अंसारी द्वारा वर्ष 2012 की अवधि म. मनरेगा कार्यों के दौरान फर्जी हाजरियाँ भर कर भुगतान प्राप्त कर लेने की शिकायत की है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी से दिनांक 14.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी मेट श्री जगदीश बैरवा को फर्जी हाजरी भरने का दोषी मानते हुए उसे कार्य से हटा दिया गया है। श्रमिक श्रीमती प्रेम बाई से 1,020/-रु. वसूल कर पंचायत कोष म. जमा करवाये गये है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 22.07.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(48)लोआस/2015

परिवादी श्री संजय सुथार से दिनांक 06.05.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने सुवांस (तहसील, पिड़ावा व जिला झालावाड़) के खाता सं. 174 के खातेदार भवाना के देहान्त के पश्चात् उसकी पुत्रिया. बालीबाई व सज्जन बाई के नाम गलत/भ्रष्ट तरीके से खाते से हटा दिये जाने पर मामले की जाँच के पश्चात् इनके नाम खाते म. दर्ज करवाने की की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, झालावाड़ से दिनांक 14.10.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा की जाँच रिपोर्ट के अनुसार नामान्तकरण सं. 734 की अपील उनके न्यायालय म. होने पर राजस्व लोक अदालत के दिनांक 01.06.2015 के कैम्प म. दोना. पक्षा. म. सहमति होने पर मृतक भवाना की दोना. पुत्रिया. बाली बाई व सज्जन बाई के नाम खाते म. दर्ज करने का आदेश दिये गये है। इसके बाद वांछित नामान्तकरण के पश्चात् इनके नाम खाते म. दर्ज कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.10.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(87)लोआस/2015

परिवादी श्री ममता देवी (सरपंच) से दिनांक 01.06.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने तहसील, पीपलू के सहायक ऑफिस कानूनगो श्री सीताराम लक्षकार के विरूद्ध आरोप लगाया है कि उन्हाने सार्वजनिक तालब/नाड़ी के सीमाज्ञान के प्रार्थना-पत्र की रसीद जारी करने म. आना-कानी करके उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है।

परिवादी से विहित प्ररूप में परिवाद (सत्यापित शपथ-पत्र सहित) प्राप्त न होने पर इसकी एक प्रति जिला कलक्टर, टाक्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए इसे दिनांक 14.07.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

तत्पश्चात् जिला कलक्टर, टाक्र से दिनांक 01.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी द्वारा प्रकट किया गया कि भू-अभिलेख शाखा से सीमाज्ञान के आदेश भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी को जारी किये जाने के बाद उसे मौके पर सीमाज्ञान करवाया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.12(95)लोआस/2015

परिवादी श्री राम अवतार शर्मा (सेवानिवृत्त व0लि0) से दिनांक 10.06.15 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्हाने वर्ष 1996 से 1998 तक के बकाया वेतन एवं 5व. वेतन आयोग के अनुसार वेतन का स्थिरीकरण करवा कर बकाया भुगतान करवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से दिनांक 17.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अवगत करवाया गया है कि श्री राम अवतार शर्मा का दिनांक 12.07.1995 से 05.11.1995 व 30.03.1998 से 28.09.1998 का उपार्जित अवकाश एवं दिनांक 29.09.1998 से 07.08.2006 तक का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये

जाने पर उन्ह. उपरोक्त अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका और उनकी पश्नन स्वीकृति का आदेश पश्नन विभाग द्वारा दिनांक 16.07.2015 को जारी कर दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 31.08.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(99)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती मंजू वर्मा से दिनांक 12.06.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार ग्राम पंचायत, नटवाड़ा जिला टाक्र म. लोक शिक्षा केन्द्र म. प्रेरक के पद पर उसके चयन के पश्चात् भी सरपंच व सचिव द्वारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने देने दी। अतः उसने उक्त पद पर ड्यूटी ज्वाइन करवाने की प्रार्थना की है।

परिवादी से सत्यापित शपथ-पत्र सहित विहित प्ररूप म. परिवाद प्राप्त न होने से दिनांक 03.08.2015 के आदेशानुसार परिवाद की एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इसके बाद वहाँ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.11.2015 के अनुसार परिवादी को दिनांक 25.06.2015 को उक्त पद पर कार्यग्रहण करवा दिया जाना बताया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को दिनांक 27.11.2015 को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.12(101)लोआस/2015

परिवादी श्री खूबीलाल शर्मा से दिनांक 15.06.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, सांतलियास क्षेत्र म. बन्द पड़े हैण्ड पम्पा. को चालू करवाने की प्रार्थना की है। परिवाद पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्रेषित करते हुए इसे दिनांक 24.06.2015 को नस्तीबद्ध किया गया है।

इसके पश्चात् विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सहाड़ा से दिनांक 31.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अवगत करवाया गया है कि ग्राम पंचायत, सांतलियास क्षेत्र म. स्थित 20 हैण्ड पम्पा. की मरम्मत करवाकर उन्ह. ठीक करा दिया गया है। वर्तमान म. सभी हैण्ड पम्प चालू कर दिये गये है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.12(144)लोआस/2015

परिवादीगण श्री जैसाराम ज्याणी व अन्य से दिनांक 09.07.2015 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्हान्ने ग्राम पंचायत, इन्दपालसर सांख्लान के तत्कालीन सरपंच द्वारा ग्राम की गोचर भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण करवाने एव अतिक्रमिया. को शह देकर अतिक्रमण करवाने पर ऐसे अतिक्रमणा. को हटवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. इस सचिवालय के दिनांक 26.08.2015 के पत्र के सन्दर्भ म. जिला कलक्टर, बीकानेर से दिनांक 28.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम अमृतवासी के खसरा सं. 29 गैर मुमकिन गोचर पर श्री हुकमाराम जाट का 0.324 हैक्टेयर पर

अतिक्रमण पाया गया। दिनांक 13.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमी श्री हुकमाराम जाट के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण सं. 62/2015 दर्ज कर तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़ द्वारा दिनांक 14.09.2015 को निर्णय किया गया। इसके विरूद्ध अतिक्रमी हुकमाराम द्वारा अति. जिला कलक्टर, बीकानेर के समक्ष अपील (सं.24/2015) दायर की गई जिसकी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 19.01.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(147)लोआस/2015

परिवादी श्री झन्जूराम सैनी से दिनांक 09.07.2015 को प्राप्त परिवाद म. यह उल्लेख किया कि वह ग्राम पंचायत, राजपुर, जिला अलवर म. 1500/-रु. प्रतिमाह के हिसाब से पम्प चालक के पद पर कार्यरत रहा, जिसका उसे बीस माह का बकाया वेतन 30,000/-रु. दिलवाया जाये।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी का दिसम्बर 2014 से सितम्बर 2015 तक का दस माह का पारिश्रमिक बकाया था जिसका 1500/-रु. की दर से भुगतान (15000/-रु.) कर दिया गया है। परिवादी द्वारा उक्त तथ्या. को स्वीकार करते हुए अपना सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त होना बताया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 24.11.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(165)लोआस/2015

परिवादी श्री श्योदान सैनी से दिनांक 20.07.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, जीलो (जिला सीकर) के सरपंच एवं सचिव द्वारा खातेदारी भूमि खसरा सं. 952 म. सरकारी एनिकट बनाने एवं खसरा सं. 1603 म. सरकारी भवन पर कब्जा करने पर मामले की जाँच कर उचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से दिनांक 11.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विवादित चैक डेम का निर्माण खसरा सं. 952 की भूमि म. पुश्तैनी नाले पर करवाया गया। कार्य शुरू होने से पूर्व ही दिनांक 14.05.2015 को खातेदार श्रीमती बनारसी देवी से सहमति-पत्र लेने के पश्चात् कार्य स्वीकृत कर चालू करवाया गया। इसके पश्चात् खातेदार द्वारा दिनांक 31.08.2015 को ग्राम पंचायत के नाम 0.09 हैक्टेयर भूमि का दान-पत्र निष्पादित करने के कारण उक्त चैक डेम की सार्वजनिक भूमि हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त खसरा सं. 1603 म. निर्मित सरकारी भवन पर कोई कब्जा या सामान न रखा होकर भवन खाली पड़ा होना पाया गया है। इस पर सरपंच द्वारा किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है।

इसके पश्चात् जिला कलक्टर, सीकर से दिनांक 03.11.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के साथ संलग्न तहसीलदार, नीमकाथाना के दिनांक 26.01.2015 के पत्र द्वारा अवगत करवाया गया कि उपर्युक्त दान-पत्र का नामान्तकरण सं. 173 भी दर्ज कर स्वीकृत हो चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 18.11.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(173)लोआस/2015

परिवादी श्री शिव किशन गुर्जर से दिनांक 29.07.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार बीपीएल चयनित सदस्य के रूप म. मनरेगा योजना म. ग्राम चोटक्या मे. 12 दिवस की मजदूरी राशि (1100/-रु.) का भुगतान ग्राम पंचायत, बोटुन्दा के सचिव की लापरवाही से उसके खाता म. जमा न होने पर उसकी मजदूरी की राशि का भुगतान करवाने की प्रार्थना की है।

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टाक्र से दिनांक 18.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एक ही नाम के दो व्यक्ति होने से कार्यकारी संस्था वन विभाग द्वारा भूल से दूसरे व्यक्ति के खाते म. कर दिये जाने के कारण परिवादी के भुगतान म. विलम्ब हुआ। बाद म. उसे 1100/-रु. का भुगतान चैंक के माध्यम से करवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 12.10.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(179)लोआस/2015

परिवादी श्री भीमराम मीणा से दिनांक 30.07.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्हान्ने अपनी बहिन श्रीमती ब्रह्मा बाई मीणा के बीपीएल का सदस्य होने एवं इन्दिरा आवास स्वीकृति म. तीन बार आवेदन करने के बावजूद इस योजना की राशि स्वीकृत न होने पर यह राशि स्वीकृत करवाने की प्रार्थना की है।

इस परिवाद म. किसी लोक सेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार अथवा पद के दुरूपयोग का आरोप न होने से इसकी एक प्रति दिनांक 07.08.2015 के

पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर, बून्दी को प्रेषित की गई।

इसके बाद उनसे दिनांक 30.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि श्रीमती ब्रह्मा बाई को वर्ष 2015-16 से दिनांक 24.09.2015 के कार्यालय आदेश से इन्दिरा आवास की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को दिनांक 24.09.2015 व 12.01.2016 को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.12(187)लोआस/2015

परिवादी श्री मनोज कुमार सोमानी से दिनांक 04.08.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, खाचरियावास जिला सीकर की सरपंच श्रीमती सीमा लाम्बा के पति श्री मालीराम लाम्बा की दख्लन्दाजी एवं ग्राम सेवक की अकर्मण्यता से उनके पुश्तैनी मकान का पट्टा न मिलने पर इनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

परिवादी से सत्यापित शपथ-पत्र सहित विहित प्ररूप म. परिवाद प्राप्त न होने से दिनांक 18.09.2015 के आदेशानुसार परिवाद की एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। उसके सम्बन्ध म. उनसे प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 07.10.2015 के अनुसार परिवादी को ग्राम पंचायत, खाचरियावास द्वारा दिनांक 05.08.2015 को उसके पुश्तैनी मकान का पट्टा दे दिया जाना बताया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को दिनांक 05.08.2015 को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.12(191)लोआस/2015

परिवादी श्री महावीर सिंह राजावत से दिनांक 04.08.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, बालीथल, जिला टाक्र के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध निर्मित शौचलय की बकाया राशि का ब्यौरा नहीं देने व अधूरा विकलांगता प्रमाण-पत्र बनाने आदि के आरोप लगाते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टाक्र से दिनांक 28.10.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री महावीर सिंह को विकलांगता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया जा चुका है। उसे विकलांगता पश्नन पंचायत समिति, उनियारा द्वारा दिनांक 11.09.2015 को स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त उसके दो लड़का. व एक लड़की के पालन-पोषण हेतु पालनहार योजना के लाभ का स्वीकृति आदेश भी जारी किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 20.11.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(193)लोआस/2015

परिवादी श्री गंगा सहाय से दिनांक 05.08.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने उल्लेख किया है कि उसकी सेवानिवृत्ति सहायक सचिव, जिला परिषद के पद से दिनांक 30.06.1994 को हुई और उनकी कुल 39 वर्ष 7 माह की राज्य सेवा होने के बावजूद उन्ह. तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर से दिनांक 18.11.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी दिनांक 30.06.1994 को सहायक सचिव जिला परिषद के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। अब परिवादी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ वित्त विभाग के आदेशानुसार जिला परिषद, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 17.11.2015 को पारित कार्यालय आदेश के अनुसार दिनांक 25.01.1992 से स्वीकृत कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.04.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(251)लोआस/2015

परिवादी श्री राजवीर से दिनांक 03.09.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार ग्राम पंचायत, मांगरोल के सरपंच के फर्जी दस्तावेजा. के सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, धौलपुर को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया है।

सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर से दिनांक 17.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, धौलपुर के जाँच प्रतिवेदन म. सरपंच श्रीमती राधा द्वारा अपने नाम निर्देशन-पत्र म. उसकी शिक्षा सम्बन्धी गलत सूचना देने का दोषी पाते हुए उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 01.01.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(284)लोआस/2015

परिवादी श्री बलदेव सिंह से दिनांक 10.09.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, 54 एल.एन.पी., श्रीगंगानगर के गाँव 55 एल. एन.पी. में जलदाय विभाग म. पम्प चालक के पद के मानदेय, विद्युत बिल की राशि, मरम्मत व अनुरक्षण राशि का भुगतान वर्ष 2011 से सम्बन्धित सचिव द्वारा नहीं किया गया है। अतः उक्त भुगतान करवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से दिनांक 05.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवाद म. वर्णित मानदेय, मरम्मत, अनुरक्षण व्यय की राशि का भुगतान दिनांक 08.09.2015 से पूर्व भगत सिंह पनघट जल प्रदाय समिति, 55 एलएनपी द्वारा किया जा रहा था। परिवाद म. वर्णित अवधि वर्ष 2011-2015 तक बकाया रहे भुगतान के लिये जिम्मेवार उक्त समिति का अध्यक्ष स्वयं परिवादी ही था। जनता जल योजना पंचायत के क्षेत्राधिकार म. दिनांक 08.09.2015 को आयी एवं वर्तमान म. इस योजना के समस्त व्यया. का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। साथ ही इस वस्तुस्थिति को स्वयं परिवादी द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 12.02.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(291)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती कमला से दिनांक 10.09.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने वर्ष 2002 म. बीपीएल श्रेणी म. चयनित इन्दिरा आवास की द्वितीय किश्त दिलवाने की प्रार्थना की है।

मामला पाँच वर्ष से अधिक पुराना होने से परिवाद की एक प्रति जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए परिवाद को दिनांक 08.10.2015 को नस्तीबद्ध किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 26.11.2016 को जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि श्रीमती कमला की इन्दिरा आवास योजना की द्वितीय किश्त की राशि (42,000/रु.) उनके बैंक खाता म. दिनांक 14.09.2015 को जमा करवाई जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.12(310)लोआस/2015

परिवादी श्री अरूण कुमार से दिनांक 18.10.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कपासन द्वारा मनरेगा से सम्बन्धित विभिन्न समस्याआ. का समाधान न करने पर इनका निराकरण करवाने की प्रार्थना की है।

जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 28.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवाद म. वर्णित विभिन्न समस्याआ. वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 म. पंजीकृत परिवारा. के जॉब कार्ड जारी करना, नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा मृत लोगा. अथवा वयस्क

लोगा. के नाम काटे/जोड़े जाकर ऑनलाइन वेब पोर्टल पर अपडेट करना, जॉब कार्ड रजिस्टर अपडेट करना, सम्बन्धित प्रपत्र का उपयोग किया जाना, वर्क साइट पर छाया व झूला. की व्यवस्था करना एवं सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदना. की अनुपालना करके 2,85,420/-रु. का श्रमिक भुगतान करवाकर समाधान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 20.01.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(335)लोआस/2015

परिवादी श्री भोजालाल से दिनांक 01.10.2015 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्हान्ने ग्राम पंचायत, धामनिया के ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री वेदनाथ के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने, कार्य के प्रति उदासीन होने एवं समय पर कार्य नहीं करने पर नये ग्राम सेवक व पदेन सचिव की नियुक्ति करवाने की प्रार्थना की।

इस परिवाद म. किसी लोक सेवक विशेष के विरूद्ध भ्रष्टाचार अथवा पद के दुरूपयोग का आरोप न होने से इसकी एक प्रति दिनांक 14.10.2015 के पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा को प्रेषित की गई। इस सम्बन्ध म. उनसे दिनांक 06.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डलगढ़ के दिनांक 07.12.2015 के कार्यालय आदेश से ग्राम सेवक श्री वेदनाथ यादव को ग्राम पंचायत, धामणियां से हटाया जाकर पंचायत समिति कार्यालय म. उपस्थिति देने के आदेश जारी कर श्री गोपाललाल दरोगा (पंचायत प्रसार अधिकारी) को

ग्राम पंचायत, धामणियां का कार्य अपने पद के साथ-साथ सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को दिनांक 12.01.2016 को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया।

एफ.12(340)लोआस/2015

परिवादी श्री कैलाश नाथ से दिनांक 01.09.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, धामणिया से वर्ष 1989 म. नीलामी म. क्रय किये गये पट्टाशुद भूखण्ड पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय द्वारा नाप किये बिना दीवार बना लेने पर उसके द्वारा प्रशासन के समक्ष विरोध करने पर उसे अन्यत्र भूखण्ड देने का वादा करने के बावजूद उसे उसी नाप (50x75 फुट) का भूखण्ड आबादी म. उपलब्ध न करवाने पर ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक व पदेन सचिव के विरूद्ध शिकायत की है।

इस सन्दर्भ म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से दिनांक 06.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को पूर्व म. ग्राम पंचायत, धामणिया द्वारा वर्ष 1989 म. जारी पट्टे म. वर्णित भूखण्ड पर वर्तमान म. विद्यालय भवन की चारदीवारी निर्मित है। अब परिवादी के पिता भगवानानाथ एवं ग्राम पंचायत के बीच आपसी सहमति होकर पूर्व म. जारी पट्टे के बदले ग्राम पंचायत की आबादी भूमि खसरा सं. 1094/1 व 1094/2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा 10 बिसवांसी म. से आवासीय भूखण्ड 45x62 फीट यानी 2790 फीट बाबत ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पत्रावली का संधारण कर पट्टा सं. 4673 दिनांक 10.11.2015 को जारी कर आवंटन कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 21.01.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(364)लोआस/2015

परिवादी श्री हेमाराम से दिनांक 08.10.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, आहोर की इन्द्रा कॉलानी व हनुमान कॉलोनी म. आम चोहटे व रास्ते की भूमि पर लोगा. द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध म. वर्ष 2013 से जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन को उसके द्वारा शिकायत करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर अतिक्रमण हटवाकर दोषिया. के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर, जालोर से दिनांक 06.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवाद म. वर्णित अतिक्रमण को दिनांक 09.12.2015 को प्रशासन व पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत, आहोर के सहयोग से हटवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 02.02.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(367)लोआस/2015

परिवादी श्री हरि राम मेघवाल से दिनांक 08.10.2015 को प्राप्त परिवाद अनुसार उसने ग्राम पंचायत, सियाणा की सरपंच श्रीमती हेमंत कंवर एवं सचिव श्री कानाराम द्वारा गन्दे पानी की निकासी हेतु निर्मित बंद नाली को नहीं खुलवाने पर इसे खुलवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, जालोर से दिनांक 23.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अवगत करवाया गया कि मौके पर गली की समाप्ति के पश्चात् खातेदारी भूमि होने से आगे नाली निर्माण नहीं किया जा सका। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा एक लम्बा सोखता हुआ गड्ढ़ा तैयार करवाकर उसम. गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था कर, समाधान कर दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 05.02.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(373)लोआस/2015

परिवादी श्री हर सहाय राणा से दिनांक 14.10.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम बाढ़ कल्याणपुरा की आबादी म. स्थित उसकी पट्टाशुदा भूमि पर श्री बद्री मीणा वगैरह द्वारा जबरन कब्जा करने हेतु अमादा होने से उसके द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत के सरपंच व तहसीलदार, लालसोट एवं अन्य उच्चाधिकारिया. के समक्ष मौखिक/लिखित आवेदन करने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने पर उचित कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से दिनांक 02.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री हर सहाय राणा की पट्टेशुदा भूमि पर से अतिक्रमण हटवाया जाकर 89X51.5 फुट पर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थर गढ़वा दिया जाना बताया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 08.02.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(374)लोआस/2015

परिवादी श्री लक्ष्मणराम महला से दिनांक 14.10.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने ग्राम पंचायत, रैयाटुण्डा, पंचायत समिति, तारानगर, जिला चूरू के पूर्व ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री बलवीर गुरड़ा द्वारा पदीय दुरूपयोग, पंचायत कोष को हानि पहुँचाने एवं विभिन्न कूटरचित दस्तावेजा. की रचना करने पर दोषिया. के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

इस सन्दर्भ म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू से दिनांक 11.01.2016 को प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन अनुसार ग्राम सेवक द्वारा कोई गलत अनापत्ति प्रमाण-पत्र पट्टा जारी करना नहीं पाया गया। इसके अलावा ग्राम सभा म. लिये गये निर्णय की पालना म. विवादित अतिक्रमण हटाकर परिवादी को 16 फुट का रास्ता उपलब्ध करवा दिया गया है जिससे उसकी समस्या का समाधान हो गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 08.02.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(414)लोआस/201

परिवादी श्री वरदी चन्द से दिनांक 05.11.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने पंचायती राज विभाग के कर्मचारी श्री नारायण सिंह सक्सैना एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति, मजावद के व्यवस्थापक द्वारा मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की राशि की एक किश्त उसे अदा नहीं करने का आरोप लगाया है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से दिनांक 22.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री बीपीएल लाभार्थी श्रीमती गमानी पत्नी चैना जो कि परिवादी की माता है, उसके मिनी बैंक, मजावद के खाता सं. 3406 म. प्रथम किश्त की राशि के 35,000/-रु. दिनांक 22.01.2014 को जमा पाई गई जिससे लाभार्थी को सूचित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 28.01.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(420)लोआस/2015

परिवादी श्री पूनाराम से दिनांक 05.11.2015 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्हाऩे ग्राम पंचायत, नाल के सचिव श्री निमाराम मेघवाल की मनमानी के फलस्वरूप ग्राम पंचायत म. कोई भी विकास कार्य न होने एवं जनता म. आक्रोश होने से उसे वर्तमान पद से हटाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से दिनांक 12.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवाद दर्ज होने के पश्चात् ग्राम पंचायत, नाल में श्री लक्ष्मण

सिंह गरारिया को सचिव के पद पर लगा दिया गया है जिससे परिवादी की समस्या का समाधान हो गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.01.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(437)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती शांति देवी से दिनांक 20.11.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने अपने गाँव अलीगढ़, जिला टाक्र म. अपने मकान के आगे श्री घनश्याम माली द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध म. विकास अधिकारी और जिला कलक्टर, टाक्र को प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद वांछित कार्यवाही न होने की शिकायत की है।

इस सन्दर्भ म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टाक्र से दिनांक 16.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता श्रीमती शांति देवी के मकान के सामने श्री घनश्याम माली द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 18.03.2016 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.14(7)लोआस/2015

परिवादी श्री मनफूल पुत्र श्री दिने खाँ, निवासी वार्ड नं. 26, चूरू द्वारा मुख्य रूप से उच्च सुरक्षा नम्बर प्लेट हेतु निर्धारित फीस से अधिक राशि

की मांग किए जाने व नम्बर प्लेट नहीं लगाए जाने के संदर्भ म. जिला परिवहन कार्यालय, चूरू के कर्मचारिया. के विरूद्ध दिनांक 24.8.2015 को परिवाद पेश किया गया है।

इस सम्बन्ध म. परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग ने पत्र दिनांक 31.12.2015 से अवगत करवाया कि दिनांक 24.8.2015 को एचएसआरपी के स्टॉक अभाव के कारण नम्बर प्लेट नहीं लगाई जा सकी, किन्तु दिनांक 26.8.2015 को स्टॉक प्राप्त होते ही नम्बर प्लेट लगवा दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 20.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(11)लोआस/2015

परिवादी श्रीराम मीना पुत्र श्री रामपाल मीना, निवासी दौलतपुरा, तहसील राजगढ़, अलवर द्वारा वन विभाग की भूमि खसरा नम्बर 43,44 पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर क्षेत्रीय वन अधिकारी, रज़ राजगढ़ के विरूद्ध परिवाद पेश किया गया है।

इस सम्बन्ध म. उप वन संरक्षक, अलवर के द्वारा पत्र दिनांक 09.09.2015 के साथ ध्वस्त अतिक्रमण के छायाचित्र संलग्न करते हुए अवगत करवाया गया कि परिवादी की मौजूदगी में वनभूमि पर से लगभग 3 किलोमीटर लम्बी पत्थर की कच्ची दीवार तथा अतिक्रमी द्वारा बनाए गए कच्चे झाप़ा. को ध्वस्त कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 26.11.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(49)लोआस/2008

यह परिवाद, परिवादी श्री दिनेश कुमार यादव, निवासी-खटोडा. का मौहल्ला वार्ड नं. 14, चौमूं, जिला-जयपुर द्वारा दिनांक 16.07.2008 को अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका चौमूं द्वारा शिकायत के बावजूद सार्वजनिक चौक की सरकारी जमीन पर दीवार का निर्माण करके व टिनशेड डालकर रास्ता रोक दिये जाने व शिकायत करने पर भी कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत प्रस्तुत किया है।

उक्त सन्दर्भ म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय द्वारा चाही गई तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20.10.11 को प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत सरकारी भूमि से दिनांक 08.11.11 को अतिक्रमण पूर्णतया हटा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 27.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(39)लोआस/09

इस सचिवालय म. परिवादी श्री सोहनलाल भारती, ब्लॉक अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग, काँग्रेस कमेटी, डीग जिला-भरतपुर द्वारा दिनांक 11.06.09 को नगरपालिका, डीग के अध्यक्ष से शिकायत के बावजूद निवास के टेलीफोन से निर्धारित मापदण्डा. से अधिक राशि व्यय करने, इसके अलावा

दैनिक सफाई ठेके म. अनियमितता करने, ठेकेदार को अधिक दर पर निर्माण कार्य स्वीकृत कर अनियमितता करने व जेसीबी मशीन के नाम पर लाखा. रूपय. का फर्जी भुगतान करने के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. जारी पत्र के क्रम म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, डीग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 29.09.15 से अवगत करवाया गया है कि तत्कालीन सहायक राजस्व निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार गोपालिया के बकाया वेतन बिल से ठेके की देय वसूली योग्य राशि 33,840/-रू. काटकर रसीद संख्या 462/58 दिनांक 29.099.15 से नगरपालिका कोष म. राशि जमा करा दी गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 29.10.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(146)लोआस/11

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 26.09.2011 को परिवादी श्री पी. जे. शर्मा (अधी.अभि.से.नि.), निवासी-11 चाणक्यपुरी, ख.नं. 101, रातीडांग, आनासागर-सरक्युलर रोड़, जैन मन्दिर, नसिया गली, अजमेर द्वारा नगर निगम, अजमेर से शिकायत के बावजूद भी श्री लालचंद बैरवा, अधिशाषी अधिकारी एवं श्री ललित मोहन शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम, अजमेर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर संवेदक को लाभ पहुँचाने, कार्य म. अनियमितताएँ करने व भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध म. कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 18.02.2015 से अवगत करवाया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

नगर निगम, अजमेर की रिपोर्ट के अनुसार चेनेल 120 मी. से चेनेल 165 मी. तक सड़क के लेवल को थोड़ा ऊंचा करने के निर्देश की पालना म. लेवल को 2 इंच से 6 इंच तक उठवाकर समस्या का समाधन करते हुए कार्य पूर्ण करवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 06.04.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(192)लोआस/12

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 27.06.2014 को परिवादी श्री अभिषेक माहेश्वरी, निवासी-23, गाँधी मैदान के सामने, सरदारपुरा, जोधपुर द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को शिकायत के बावजूद विभाग की ''विवेक विहार योजना'' म. आवंटित प्लॉट संख्या ए/95, जिसकी सम्पूर्ण राशि परिवादी द्वारा जरिये रसीद संख्या 9001/1002 दिनांक 02.04.14 को जमा करा दिये जाने के पश्चात् भी लीज डीड जारी नहीं करने बाबत प्रस्तुत किया है।

उक्त सन्दर्भ म. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 13.03.2015 से अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री अभिषेक माहेश्वरी मूल अवार्डी श्री अशोक लोहिया का मुख्त्यार है। मूल अवार्डी श्री अशोक लोहिया को प्राधिकरण की ''विवेक विहार योजना'' के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड़ संख्या 95 सैक्टर ए की लीज डीड दिनांक 09.03.2015 को जारी की जा चुकी है।

मूल अवार्डी के मुख्त्यार आम श्री अभिषेक माहेश्वरी को दूरभाष पर लीज डीड प्राप्त करने हेतु अवगत कराया जा चुका है। परिवादी द्वारा

विभाग से सम्पर्क करने पर उसे शीघ्र ही लीज डीड सुपुर्द कर दी जाएगी।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 11.05.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(126)लोआस/13

यह परिवाद, परिवादी श्री मदनलाल, सेवानिवृत्त स्वच्छक, मुकाम पोस्ट-हरसोली वाया किशनगढ़ रेनवाल, तहसील-फुलेरा, जिला-जयपुर द्वारा दिनांक 17.07.2013 को सेवानिवृत्त होने के ढाई वर्ष बाद भी पेन्शन स्वीकृत नहीं किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. जारी पत्र के क्रम म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 27.07.15 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि परिवादी को निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 24.04.15 को पेन्शन पेमेन्ट ऑर्डर जारी किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 29.05.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(134)लोआस/13

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 29.07.2013 को परिवादी श्री डॉ. विष्णु कुमार सेन, निवासी-7 डी, गायत्री नगर, सोड़ाला द्वारा आयुक्त,

सिविल लाईन जोन, नगर निगम, जयपुर से शिकायत के बावजूद गायत्री नगर सोड़ाला, जयपुर म. आवास संख्या 7-डी, ई, एफ के सामने प्रोपर्टी व्यवसायी श्री महेश सैनी (निवासी 7बी) व श्री जयप्रकाश (8सी पर काबिज) के द्वारा सरकारी भूमि (नॉट अप्रुव्ड एरिया व सड़क) पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. आयुक्त (मुख्यालय), नगर निगम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 23.02.2015 से अवगत करवाया गया है कि भूखण्ड़ संख्या 8सी का पूर्व म. मौका निरीक्षण कर पाया गया था कि एक छोटा कमरा 4 बाई 4 श्री जयप्रकाश के द्वारा सैटबेक म. बना लिया था जिसे हटाने हेतु दिनांक 15.10.2014 को नोटिस जारी कर उसे ध्वस्त कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिनांक 13.02.2015 को मौके का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण म. किसी प्रकार का अतिरिक्त अवैध निर्माण नहीं पाया गया। श्री जयप्रकाश के द्वारा भूखण्ड़ के पूर्वी भाग पर गहरा गड्ढ़ा होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से सीमा पर लगभग एक मीटर ऊंची दीवार बना दी गई है जिसके निर्माण हेतु स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 29.04.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(363)लोआस/2013

यह परिवाद परिवादी मो0 रफीक कुरेशी, निवासी 91, कुरेशी कॉलोनी, चांदपोल बाजार, जयपुर द्वारा मुहम्मदी होटलवाले द्वारा सरकारी नाली व

रोड़ पर अपनी होटल का खाना बनाने का पक्का काउन्टर बनाकर उस पर छत डालकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेने के सम्बन्ध म. अतिक्रमणकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है।

अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 27.10.2015 के अनुसार मुहम्मदी होटलवाले के द्वारा किये गये अस्थाई अतिक्रमण को नगर निगम द्वारा दिनांक 27.10.2015 को हटवा दिया जाना अंकित किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त होने के कारण यह परिवाद दिनांक 07.01.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(377)लोआस/13

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 25.03.2014 को परिवादी श्री भगवान लाल सर्वा, निवासी-साँगानेर, भीलवाड़ा द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा से शिकायत के बावजूद परिवादी को सन् 2000 म. भूखण्ड़ संख्या बी-179 के जारीशुदा पट्टे के स्थान पर सन् 2002 म. अन्य व्यक्ति को पट्टा जान-बूझकर जारी कर धोखाधड़ी किये जाने के सम्बन्ध म. कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. नगरीय विकास विभाग, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 16.01.2015 द्वारा अवगत करवाया गया है कि परिवादी को विजय सिंह पथिक नगर योजना के प्लॉट नं. ए-455 माप 136.11 वर्गगज का आवंटन कर दिया गया है तथा उसे 02,72,220/-रू. का डिमाण्ड लेटर दिनांक 12.11.2014 को जारी किया गया है। रिपोर्ट पर

परिवादी की ओर से माँगे जाने के बावजूद कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने से उसका सन्तुष्ट होना प्रकट होता है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 27.04.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(381)लोआस/13

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 25.03.2014 को परिवादिया श्रीमती दुर्गा देवी, निवासी-5-जे-10, यूआईटी क्वाटर के पास, मलाण, सुभाष नगर, भीलवाड़ा द्वारा जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा से शिकायत के बावजूद श्री राजेन्द्र द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के बाद उस परिसर म. अवैध तरीके से गैस रिफलिंग कर मौहल्लेवासिया. की जान-माल को खतरा पैदा करने के सम्बन्ध म. कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 09.06.2015 से अवगत करवाया गया है कि राजेन्द्र खटीक के विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करा दिया गया है। उक्त प्रकरण म. राजेन्द्र ने एक प्रार्थनापत्र देकर आरोपित जुर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण म. जप्त की गई मोटर व नलिया. को राज्यसात किये जाने हेतु सहमति दी है। प्रकरण म. न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2015 को अन्तिम निर्णय प्रदान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 24.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(415)लोआस/13

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 27.03.2014 को परिवादी श्री मोहनलाल खटीक, निवासी-प्रेम नगर, साँगानेरी गेट, भीलवाड़ा द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा से शिकायत के बावजूद नियमन स्वीकृति प्रदान कर पट्टा जारी नहीं करने बाबत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 18.05.2015 से अवगत करवाया गया है कि परिवादी को आराजी संख्या 1820, 1821 म. कृषि भूखण्ड संख्या 05 का नियमन कर पट्टा/पट्टा विलेख जारी किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 28.05.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(429)लोआस/2013

यह परिवाद परिवादी ओम प्रकाश व अन्य द्वारा सचिव नगर विकास न्यास अलवर द्वारा स्कीम नं0 8 (विस्तार) म. सड़क के बीचा. बीच असामाजिक तत्वा. द्वारा दो दरवाजा. का निर्माण करवाकर अवरोध किये जाने से सार्वजनिक पार्क म. साधारण नागरिका. को जाने की सुविधा से वंचित हो जाने के कारण इस सम्बन्ध म. कार्यवाही किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. सचिव नगर विकास न्यास अलवर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20.10.15 के अनुसार भूखण्ड संख्या 22 के सामने स्थित गेट व पिलर को हटाने का निर्णय लिया गया था। इनको दिनांक 31.03.15 को

हटा लिया गया है। लेकिन कॉलोनी वासिया. द्वारा किये गये विरोध के कारण गेट के दाऩा. तरफ स्थित दिवारा. को नहीं हटाया जा सका। न्यास द्वारा, गेट नं 1 को लगाने वाले अतिक्रमिया. को नोटिस दिया जा चुका है। अतः भूखण्ड संख्या 22 के सामने स्थित संपूर्ण अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इस संबंध म. परिवादी श्री ओम प्रकाश ने इस सचिवालय को दिनांक 01.03.15 पत्र लिखकर धन्यवाद ज्ञापित किया है।

अतः परिवाद के संबंध म. इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जा चुका है और पत्रावली दिनांक 31.03.16 को नस्तीबद्ध कर दी गई है। इस पत्रावली के साथ ही संलग्न पत्रावली एफ16(428)लोओस/2014 भी समान अनुतोष प्रदान कर दिये जाने के आधार पर नस्तीबद्ध कर दी गई है।

एफ.16(448)लोआस/13

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 31.03.2014 को परिवादी श्री बिजेन्द्र कुमार, निवासी-मो. गायवाला, कचहरी रोड़, अलवर द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, अलवर के विरूद्ध शिकायत के बावजूद उसे आवंटित कचहरी रोड़ पर बनी हुई कियोस्क का अवैध कब्जा हटवाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. आयुक्त, नगर परिषद, अलवर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 29.04.2015 द्वारा यह अवगत करवाया गया कि खाली पड़े कियोस्का. के सामने दो व्यक्तिया. ने चाय की थड़ी लगाई हुई थी एवं उनके द्वारा अपना सामान खाली पड़े कियोस्का. म. रखा जा रहा था, जो हटवा दिया गया है एवं उन्ह. भविष्य म. समान नहीं रखे जाने हेतु भी पाबन्द कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 09.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(456)लोआस/13

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 31.03.2014 को परिवादी श्री कजोड़ सिंह, निवासी-115, नेहरू नगर, अलवर द्वारा नगर विकास न्यास, अलवर से शिकायत करने के बावजूद भूखण्ड़ संख्या 178 खसरा नं. 41, 42 ग्राम मूंगस्का, अलवर की सड़क की भूमि का पट्टा गलत तौर पर जारी किया गया है, को निरस्त कराने एवं मुलजिमान के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. उपनिदेशक (क्षे.), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 29.04.2015 से अवगत करवाया कि भूखण्ड़ संख्या 178 खसरा संख्या 41-42 ग्राम मूँगस्का का नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा जारी नियमन पट्टा कब्जे से अधिक रकबे का जारी होने के कारण जाँचोपरान्त निरस्त कर दिया गया है।

अप्रार्थी का स्वामित्व एवं कब्जे के पुख्ता सबूत पेश करने के बाद नवीन संशोधित पट्टा जारी किये जाने के आदेश भी दिये जा चुके हैं, परन्तु अप्रार्थी द्वारा कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं करने के कारण कोई नवीन पट्टा जारी नहीं किया जा सका है। विभाग ने यह भी निवेदन किया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद से सम्बन्धित अनुतोष की पूर्ति पूर्व म. जारी पट्टे को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप हो चुकी है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 27.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(466)लोआस/13

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 31.03.2014 को परिवादिया श्रीमती ऊषा पायक, निवासी-प्लॉट नं. 37, लेक्चरर कॉलोनी, सिटी रोड़, किशनगढ़ द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़ से शिकायत के बावजूद परिवादिनी को दिनांक 20.12.10 को लॉटरी द्वारा आवंटित आई.डी.एस.एम. टी. फेज-द्वितीय के प्लॉट आर-12 की वांछित सम्पूर्ण राशि जमा करा दिये जाने के पश्चात् भी उक्त प्लॉट की पत्थरगढ़ी, स्थल के सीमाज्ञान व कब्जा नहीं सम्भलाने बाबत प्रेषित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़ ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 11.03.2015 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादिया को पूर्व म. आवंटित प्लॉट के स्थान पर इन्द्रानगर आवासीय योजना फेज-द्वितीय म. भूखण्ड़ संख्या आर-12 आवंटित कर दिया गया है, जिसका भौतिक कब्जा भी परिवादिया को दिनांक 06.02.2015 को सम्भला दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 20.04.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(13)लोआस/2014

यह परिवाद श्री विजय भण्डारी, पूर्व संपादक राजस्थान पत्रिका परिवादी द्वारा दिनांक 16.04.14 को इस सचिवालय म. प्रस्तुत किया गया है। परिवाद के अनुसार राज्य विधानसभा चुनाव से पूर्व जयपुर की विभिन्न कॉलोनिया. म. अनेक चौराहा. तथा नुक्कड़ा. पर वोटा. के लिये सांसद तथा विधायका. के कोटे से व कुछ स्थाना. पर बस्ती वासिया. ने अपने योगदान से लोहे के दरवाजे खड़े कर दिये है। इस प्रकार अधिकाशं दरवाजा. पर

राजकोषिय धन का दुरूपयोग हुआ है और इनके कारण यातायात म. अवरोध उत्पन्न हुआ है। अतः इस विषय म. कार्यवाही की जाव।

उपरोक्त संदर्भ म. पुलिस उपायुक्त यातायात न. अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.05.14 म. दरवाजा लगाने से रास्ता छोटा होना अवश्य बताया है परन्तु इससे यातायात अवरूद्ध होने या दुर्घटना होने की कोई जानकारी सामने नहीं आना बताया है।

इसी विषय को लेकर सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण न. अपनी रिपोर्ट 09.06.14 म. अंकित किया है कि भविष्य की दृष्टि से शहर म. 40 फीट से कम चौड़ी सड़क पर ही गेट लगाये जायग़े और जिन स्थाना. की चौड़ाई 40 फीट से अधिक है वहां लगे हुए गेट तुरन्त हटाये जायग़े। यह भी उल्लेखनीय है कि 40 फीट से कम चौड़ाई की सड़का. पर लगे हुए गेटा. म. आवश्यक सुधार किया जायेगा। गेटा. के खुलने एवं बंद करने के लिये कॉलोनी की विकास समिति, चौकीदार नियुक्त करने की अंडरटेकिंग देगी।

महावीर नगर एस ब्लॉक म. गेटा. की चौड़ई 30 से 40 फीट तक है लेकिन ये 40 फीट से अधिक चौड़ाई म. नही लगे हैं। यह गेट भी 10 वर्ष से भी अधिक पुराने है। इसके बाद इसी शिकायत के संदर्भ म. श्री महद्र पुरोहित ने विश्वकर्मा आद्यौगिक क्षेत्र म. स्थित हाउसिंग कॉलोनी म. गेट लगाने की शिकायत की है जिसके संदर्भ म. इस सचिवालय के स्तर पर कार्यवाही करके गेट पुलिस द्वारा खुलवा दिये गये हैं।

अतः जयपुर विकास प्राधिकरण पुलिस द्वारा परिवादी श्री विजय भण्डारी द्वारा प्रस्तुत मूल परिवाद के संदर्भ म. संतोषजनक कार्यवाही कर दिया जाना पाने पर व श्री महद्र पुरोहित द्वारा की गई शिकायत पर दरवाजे खुलवा दिये जान के फलस्वरूप परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के परिणाम स्वरूप यह परिवाद दिनांक 17.02.16 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(43)लोआस/2014

यह परिवाद इस सचिवालय म. श्री श्याम सुदंर तापड़िया निवासी ए-24, चंद वरदाई नगर, एच.एम.टी. अजमेर द्वारा श्री नवल किशोर गुप्ता तत्कालीन भू-आवाप्ति अधिकारी अजमेर द्वारा परिवादी को उसे आवंटित भूखंड का आवंटन पत्र जारी नहीं किये जाने के विषय म, कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 22.03.15 व 12.8.15 के अनुसार परिवादी को उसके भूखण्ड का आवेदन पत्र 25.03.15 को जारी कर दिया जाना बताकर, उसे नियमानुसार लीज डीड जारी कर दी जाना बताया है।

अतः परिवादी को नियमानुसार लीज डीड जारी हो जाने के कारण वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर, प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(59)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादिया श्रीमती साधना बंसल निवासी 1/96, साकेत नगर, उदयपुर मार्ग, ब्यावर द्वारा ग्राम गणेशपुरा, ब्यावर म. स्थित कृषि भूमि के आंशिक भूभाग का व्यावसायिक उपयोग हेतु नगर परिषद्, ब्यावर म. आवेदन प्रस्तुत करने के 19 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी इस भूमि का भूरूपान्तरण नहीं करने के सम्बन्ध म. कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 6.10.2015 म. प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी श्रीमती साधना के प्रकरण का आयुक्त, नगर परिषद्, ब्यावर

द्वारा नियमानुसार निस्तारण कर भू आवंटन पत्र दिनांक 15.07.2015 को जारी कर दिया जाना बताया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त होने के कारण यह परिवाद दिनांक 21.01.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(62)लोआस/2014

यह परिवाद श्री शिवराज नागर, निवासी मुणोत कॉलोनी, गीता भवन रोड़, गोठी स्कुल के पास ब्यावर द्वारा नगर परिषद, ब्यावर के स्वास्थ्य अधिकारी श्री विजय सिंह चौधरी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए दिनांक 29.10.12 को बिना कोई कारण बताए उसकी साड़िया. की दुकान 'कौशल साड़ी एंपोरियम' सीज कर दिये जाने व सरकार के आदेश को नहीं मानने के संबंध म. कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संबंध म. आयुक्त नगर परिषद ब्यावर ने पत्र दिनांक 03.12.15 द्वारा सूचित किया है कि निर्माण कर्ता द्वारा सीज दुकान को खुलवाने के लिये वचनबद्धता पत्र व सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत कर दुकान को सीज मुक्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था इसलिये परिषद द्वारा दुकान सीज मुक्त कर दी गई है।

उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रति परिवादी को भेजी गई। इसको पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी उसके द्वारा कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई है।

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण म. नगर परिषद ब्यावर द्वारा सीज की गई दुकान परिवादी के पुत्र श्री विनय कुमार नागर द्वारा वचनबद्धता और

शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने पर नगर परिषद द्वारा दिनांक 01.10.15 को सीज दुकान का कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है।

अतः परिवादी को इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 24.02.16 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(64)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादी कुलजीत सिंह पुत्र मालिक सिंह, सेवानिवृत्त राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारी, निवासी 2/11, किशनगंज, ब्यावर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। परिवादी के अनुसार उनकी कॉलोनी के गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था आयुक्त, नगर परिषद्, ब्यावर द्वारा नहीं करने व सड़क पर बनाये गये अवरोध अतिक्रमण तुरन्त नहीं हटाने के सम्बन्ध म. कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

जिला कलेक्टर, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार आयुक्त, नगर परिषद्, ब्यावर ने सूचित किया है कि ग्राम नयानगर के खसरा नम्बर 1686 म. स्वीकृत कॉलोनी म. पानी के निकासी हेतु कोई नाली/नाला नहीं बना हुआ है। सम्बन्धित जमाबन्दी म. भी नाला अंकित नहीं है बल्कि सेन्टपॉल स्कूल के पानी की निकासी हेतु छोटी नालियाँ बनाई हुई हैं।

उपर्युक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध म. आपत्तियाँ आमंत्रित की गई तो उसकी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

प्रस्तुत प्रकरण म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त होने के कारण यह परिवाद दिनांक 21.01.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(135)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 15.09.2014 को परिवादी श्री श्यामप्रकाश शर्मा, निवासी-16ए, श्याम नगर, गली सं. 3, जोधपुर द्वारा उपायुक्त (अतिक्रमण), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के विरूद्ध शिकायत के बावजूद श्याम नगर, पाल लिंक रोड़ जोधपुर के बेशकीमती प्लॉट संख्या (174 सी) पर कब्जा कर पड़ौसी (परिवादी) को नुकसान पहुँचाने व विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 19.08.2015 से अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा की गई शिकायत पर दौलत कुमार सैनी द्वारा किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण को जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 67 के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण म. अतिक्रमण शाखा द्वारा दिनांक 12.08.2015 को भूखण्ड़ संख्या 174/सी एवं 174/डी से हटा दिया गया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 01.10.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(136)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादिया सीमा शर्मा, बी-10 समृद्धि नगर स्पेशल, मानपुरा बारां रोड़, कोटा द्वारा प्रेषित किया गया है। परिवाद के अनुसार परिवादिया ने नगर सुधार न्यास, कोटा से अनुमोदित कॉलोनी म. पट्टाशुदा भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृति लेकर मकान का निर्माण करवाया गया था। परन्तु उक्त मकान के ऊपर से 33 के0वी0 बिजली की लाईन निकल

रही है, जिससे भयानक स्पार्किंग होती है और परिवादिया मौत के दायरे म. रहने के लिए मजबूर है।

परिवाद के सन्दर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा प्रेषित की गई है। परिवादिया के भूखण्ड संख्या बी-10 पर विद्युत लाईन पूर्व से हीं स्थित थी जो अन्य गांवा. म. जा रही है। योजना के ले आऊट प्लान म. भी विद्युत अंकित है। इस विद्युत लाईन की ऊँचाई विद्युत विभाग म. राशि जमा कराने के बाद बढ़वाई जा चुकी है। इसके बाद दिनांक 10.04.2015 को 1,81,062/- रूपये जमा करवाये जाने के बाद विद्युत लाईन को शिफ्ट किये जाने का कार्य भी किया जा चुका है।

प्रस्तुत प्रकरण म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के आधार पर परिवादिनी को 33 केवी की विद्युत लाईन शिफ्ट करवा दिये जाने के बाद वांछित अनुतोष प्राप्त होने के कारण यह परिवाद दिनांक 13.01.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(235)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 14.07.2014 को परिवादी श्री गजानन्द काबरा, निवासी-24-सुमित्रा स्कूल के पास, लोसल, जिला-सीकर द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्ड़ल, लोसल, जिला-सीकर के विरूद्ध शिकायत के बावजूद वार्ड संख्या 24 म. आम रास्ता. से अतिक्रमण नहीं हटाने तथा जन-सहभागी योजना के अन्तर्गत आम रास्ते म. सी.सी. सड़क निर्माण कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, लोसल से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 20.07.2015 द्वारा अवगत करवाया कि

परिवाद म. अंकित स्थल पर वर्तमान म. गेट नहीं लगा हुआ है, मौका-स्थल पर रास्ते म. लगाये हुए पेड़-पौधा. को हटवा दिया गया है एवं दीवार म. लगाये हुए कुन्दे (लोहे के हुक) भी हटवा दिये गये हैं। शहरी जन-सहभागिता योजना के अधीन प्रस्तावित सी.सी. सड़क कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य करवाने हेतु निविदाय. ली जाकर न्यूनतम दरदाता को कार्य आदेश देकर कार्य करवाया गया था, जो पूर्ण हो गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 16.09.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(262)लोआस/14

यह परिवाद, परिवादी श्री ओमप्रकाश ओझा, निवासी - 137, ए.के. गोपालन नगर, खातीपुरा, जयपुर द्वारा दिनांक 24.07.2014 को सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को शिकायत के बावजूद जसवन्त नगर (खातीपुरा), जयपुर की प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सैक्टर रोड़ पर विधायक कोष से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गलत रूप से लगाए गए 4 सुरक्षा गेटा. को नहीं हटाने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया है।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी पत्र के क्रम म. प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 09.12.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 01.12.14 को उपरोक्त सभी चारा. लोहे के गेटा. को गैस कटर से कटवाकर हटवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 23.04.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(265)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादिया श्रीमती गंगा देवी ने निवासी 1/2, क्षेत्रपाल नगर, आदर्श नगर रोड़, सिरोही ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है। परिवाद के अनुसार नगर परिषद्, सिरोही द्वारा टेण्डर जारी कर दिनांक 03.10.2013 निविदा विक्रय की जा चुकी है। लेकिन विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने से आगामी प्रक्रिया स्थगित करने के कारण वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया। इस कारण नाली का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। अतः नगर परिषद्, सिरोही को नाला निर्माण के वर्क आर्डर जारी करने के आदेश प्रदान करवाये जावे।

परिवाद के सन्दर्भ म. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार नाला निर्माण कार्य दिनांक 30.04.2015 का पूर्ण हो जाना बताया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के आधार पर परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त होने के कारण यह परिवाद दिनांक 04.01.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(312)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 04.08.2014 को परिवादी श्री फूलचंद शर्मा, निवासी-मकान नं. 21, आदित्य नगर, ग्रामीण पुलिस लाईन बोरखेड़ा, जिला-कोटा द्वारा जिला कलेक्टर, कोटा एवं सचिव, नगर

विकास न्यास, कोटा से शिकायत के बावजूद भूखण्ड़ संख्या-5, आदित्य नगर म. मशरूल हसन द्वारा मस्जिद व मदरसे पर किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 05.02.2015 द्वारा अवगत करवाया कि भू-स्वामी मशरूल हसन को नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा अवैध निर्माण के सन्दर्भ म. नोटिस दिया गया जिसका जवाब सन्तोषजनक न पाए जाने पर भूखण्ड़ संख्या 5 का पट्टा निरस्त किया गया एवं भूखण्ड़ का कब्जा नगर विकास न्यास द्वारा वापस लेकर भूखण्ड़ पर सुरक्षा गार्ड भी नियुक्त किया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 01.04.2015 को नस्तीबद्ध की दिया गया है।

एफ.16(339)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादिया श्रीमती धन्नो देवी, निवासी ग्राम लोड़ता हरी, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तुत किया है। परिवाद के अनुसार परिवादिनी भूखण्ड संख्या 423, मिल्क मैन कॉलोनी, जोधपुर की स्वामिनी है। यह भूखण्ड जरिए बेचाननामा क्रय किया गया है। परन्तु नगर निगम, जोधपुर द्वारा उक्त भूखण्ड परिवादिया द्वारा दिनांक 10.07.2012 को हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने बाद भी अभी तक उसे हस्तान्तरित नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध म. आवश्यक कार्यवाही की जावे।

आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर द्वारा उक्त परिवाद के सन्दर्भ म. प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया गया हैकि परिवादिनी श्रीमती धन्नीदेवी पत्नी श्री श्यामलाल के नाम से भूखण्ड संख्या 423,

मिल्क मैन कॉलोनी, जोधपुर का हस्तान्तरण परिवादिया धन्नीदेवी के नाम से कर दिया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त होने के कारण यह परिवाद दिनांक 26.11.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(369)लोआस/2014

यह परिवाद अमृत पुत्र श्री रामचन्द्र ने नगर पालिका, आबूरोड़ द्वारा उसकी मृत्तका पत्नी के स्थान पर उसके पुत्र रामकुमार को मृतक-आश्रित नियमा. के तहत सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति नहीं देने के विषय म. कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया था।

परिवाद के विषय म. तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गई। इस सम्बन्ध म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, आबू रोड़ ने पत्र दिनांकित 30.07.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री अमृतलाल सफाई कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त नगरपालिका मण्डल, आबू रोड़ द्वारा उसके पुत्र रामकुमार को सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दे दी गई है।

इस तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध म. परिवादी से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई। उसकी ओर से कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई।

इस प्रकार परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद के विषय म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है। अतः यह परिवाद दिनांक 07.01.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(404)लोआस/14

इस सचिवालय म. यह परिवाद, परिवादी श्री तेजपाल सिंह त्यागी, निवासी-सी-198, वर्द्धमान सरोवर, वार्ड नं.-29, न्यू साँगानेर रोड़ मानसरोवर, जयपुर द्वारा दिनांक 01.09.2014 को नगर निगम, जयपुर के अधिकारिया. से शिकायत के बावजूद वर्द्धमान सरोवर, न्यू साँगानेर रोड़, वार्ड नं. 29 म. खराब ट्युबलाईट. ठीक नहीं करने व पुनः ट्युबलाईट. नहीं लगाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. जारी पत्र के क्रम म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 12.05.2015 द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत कॉलोनी म. बन्द लाईटा. को दिनांक 28.10.2014 को चालू करवा दिया गया है। इस रिपोर्ट के साथ परिवादी का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 28.05.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(416)लोआस/2014

ग्राम वासियान ग्राम मिलकपुर गुर्जर, भिवाड़ी, जिला अलवर की ओर से श्री विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री हंसराज गूर्जर ने गांव के पानी की निकासी की व्यवस्था के सम्बन्ध म. परिवाद प्रेषित कर कथन किया है कि परिवादीगण ने दिनांक 04.07.2014 को सचिव, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी तथा दिनांक 17.07.2014 को अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद्, भिवाड़ी तथा उपखण्ड अधिकारी, तिजारा को शिकायत की लेकिन उनके स्तर पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस सचिवालय द्वारा उपर्युक्त विषय म. तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई तो सचिव, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी ने रिपोर्ट दिनांक 12.05.2015 प्रस्तुत कर बताया कि गांव के पानी के लिए जिस नाली की व्यवस्था की गई थी उस पर मौजूद अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इसके साथ हीं नाला निर्माण के पश्चात् समस्या का पूर्ण हल निकाला जा चुका है।

इस तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध म. परिवादी से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई परन्तु उसकी ओर से कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई।

इस प्रकार परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो चुका है। अतः यह परिवाद दिनांक 03.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(424)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 11.09.2014 को परिवादी श्री जगदीश प्रसाद सोनी, निवासी-बडेरिया पाडी, मुंशी बाजार, अलवर द्वारा जिलाधीश महोदय, अलवर व विधायक महोदय, अलवर से शिकायत के बावजूद नगर परिषद, अलवर के कर्मचारी श्री बाबूलाल गुप्ता द्वारा परिवादी के मकान का पट्टा जारी नहीं करने व उसके द्वारा इस सम्बन्ध म. सेवा के दौरान बरती जा रही कर्त्तव्यहीनता के क्रम म. कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 26.05.2015 से अवगत करवाया गया है कि परिवादी श्री जगदीश प्रसाद सोनी को दिनांक 26.09.2014 को ही पट्टा संख्या 497 जारी कर दिया गया था एवं कर्मचारी के सम्बन्ध म. शिकायत निराधार पाई गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 29.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(427)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 11.09.2014 को परिवादी श्री दीनदयाल खण्डेलवाल, निवासी-3/628, काला कुआँ, अलवर द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, अलवर को शिकायत के बावजूद सरकारी सड़क पर गाय आदि बाँधने बाबत कार्यवाही नहीं करने के कारण प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. आयुक्त, नगर परिषद, अलवर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 10.06.2015 द्वारा अवगत करवाया कि परिषद द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा दिया गया है। परिवादी की आपत्ति पर नगर परिषद, अलवर ने पुनः निरीक्षण कर स्थल से गाय पकड़वाकर काईन हाउस म. बन्द करवाई गई तथा जुर्माना राशि लेकर एवं भविष्य म. सरकारी सड़क पर गाय न बाँधने के आश्वासन पर छोड़ी गयी। अब पुनः निरीक्षण पर शिकायत स्थल पर गाय बँधी हुई होना नहीं पाया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 16.09.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(447)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादी मनीष कुमार शर्मा, भूखण्ड संख्या 99, राजीव नगर, मदनबाड़ी, विद्याधर नगर, जयपुर ने नगर निगम, जयपुर द्वारा राजीव नगर,

मदनबाड़ी, विद्याधर नगर, जयपुर म. आवासीय रोड़ बनाने का मामला तीन माह से लम्बित रखने के सम्बन्ध म. उचित कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था।

परिवाद के विषय म. तथ्यात्मक रिपोर्ट आयुक्त, नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांकित 13.04.2015 को प्रेषित की। इसम. अंकित किया है कि सीसी रोड़ के निर्माण के सम्बन्ध म. 38.08 लाख रूपये का एस्टीमेट बनाया गया है। उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 09.04.2015 को निर्माण खण्ड को दी गई है। अब निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निविदाय. आमंत्रित की जा रही हैं।

इस तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध म. परिवादी से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई। उसकी ओर से कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई।

इस प्रकार परिवाद के सम्बन्ध म. परिवादी को इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। अतः यह परिवाद दिनांक 11.06.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(469)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 15.09.14 को परिवादी श्री चौथमल शाक्यवाल, निवासी-एफ-1/218 चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा आयुक्त, नगर निगम, कोटा से शिकायत के बावजूद नाली पर से अवैध बोडियाँ नहीं हटवाने के सम्बन्ध म. कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. उपायुक्त, नगर निगम, कोटा ने पत्र दिनांक 07.09.2015 से अवगत कराया कि दिनांक 25.08.2015 को परिवादी के प्लॉट के पास लगी हुई चारा. अवैध बोडिया. को मौके से हटवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 04.11.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(507)लोआस/14

यह परिवाद, परिवादी श्री नन्दकिशोर माहेश्वरी द्वारा नगर निगम, जोधपुर को शिकायत के बावजूद स्वयं के भूखण्ड़ संख्या 525, डिफेन्स कॉलोनी, कमला नेहरू नगर, जोधपुर को उसके नाम हस्तान्तरण कराने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र काफी समय बाद भी लम्बित होने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 01.09.2015 के सन्दर्भ म. जोधपुर नगर निगम, जोधपुर के पत्र दिनांक 15.10.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि परिवादी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए हस्तान्तरण आदेश दिनांक 23.03.2015 को उसके नाम जारी कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 29.12.2015 को नस्तीबद्ध किया जा चुका है।

एफ.16(518)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 29.09.2014 को परिवादी श्री मुकेश सिंह, निवासी-135 शक्ति नगर निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर ने आयुक्त एवं सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से शिकायत के बावजूद भूखण्ड़/आवास संख्या-135, योजना शक्ति नगर, जोन-6 के पट्टे पर साईन नहीं करने व पट्टा नहीं दिलवाने के बाबत प्रेषित किया है।

उक्त सन्दर्भ म. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 07.01.2015 के माध्यम से अवगत करवाया गया कि परिवादी के पिता पूरणसिंह के नाम भूखण्ड़ संख्या 135ए, शक्ति नगर का पट्टा संख्या 10436 दिनांक 26.11.2014 को जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 27.05.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(569)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. विहित प्रपत्र म. दिनांक 11.02.2015 को परिवादी श्री ऊंकार लाल परिहार, निवासी-नवरत्न कॉप्लेक्स, बेदला रोड़, फतेहपुरा रोड़, उदयपुर द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर के विरूद्ध शिकायत के बावजूद परिवादी के भूखण्ड़ संख्या 281 से लगी 12000 फीट खाली भूमि की आवश्यक राशि जमा करवाने के बावजूद उसका स्वामित्व विलेख जारी नहीं करने बाबत परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 21.09.2015 से अवगत करवाया कि परिवादी को आवंटित भूखण्ड़ संख्या 280, 281 एवं उसके पीछे स्थित भूमि का सम्मोचन एवं विक्रय परिवादी द्वारा किया जा चुका है, जिससे उक्त भूमि म. परिवादी का कोई भी हित शेष नहीं है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 16.11.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(571)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 28.10.2015 को परिवादिया श्रीमती विमला देवी, निवासी-सिंधिया. का चौक, बड़ा बाजार, बीकानेर द्वारा श्री अजय असवाल, सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर को शिकायत करने के बावजूद परिवादिया के पति स्व. गोकरण भादाणी की मृत्यु के पश्चात् उसके आश्रित पुत्र कन्हैयालाल को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं दिये जाने बाबत प्रेषित किया गया।

उक्त सन्दर्भ म. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2015 के माध्यम से अवगत करवाया गया कि मृतक कर्मचारी के पुत्र कन्हैयालाल भादाणी को नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर म. चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति किये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 19.02.2015 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 06.05.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(572)लोआस/14

इस परिवाद म. परिवादी श्री रवि बोयत ने अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बाँदीकुई द्वारा दिनांक 30.10.2014 को नियमा. व वरीयता का घोर उल्लंघन करते हुए मन-मर्जी से पारित आदेश द्वारा रामविलास, हरिजन सफाई कर्मचारी को गत् 15 वर्षों से अस्थाई सफाई जमादार के पद पर लगाकर रखने व पद का दुरूपयोग किये जाने के आक्षेप लगाये हैं तथा रामविलास को तुरन्त प्रभाव से अस्थाई सफाई जमादार के पद

से हटाकर मूल पद सफाई कर्मचारी के पद पर लगाये जाने का अनुतोष चाहा है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 02.03.2015 के सन्दर्भ म. नगर पालिका मण्डल, बाँदीकुई के पत्र दिनांक 30.04.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि शिकायत प्राप्त होने पर श्री रामविलास को दिनांक 27.12.2014 को जमादार पद से हटाकर इन्ह. इनके मूल पद ''स्वच्छक'' के पद पर कार्य हेतु पदस्थापित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 01.07.2015 को नस्तीबद्ध किया जा चुका है।

एफ.16(593)लोआस/14

यह परिवाद, परिवादी श्री प्रभुलाल पंवार, 23/431 धार नगर, राजारेडी, मदनगंज-किशनगढ़ जिला-अजमेर द्वारा दिनांक 11.11.2014 को आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़ द्वारा शिकायत के बावजूद गणेश नगर खसरा नं. 906/1/1 कस्बा किशनगढ़ म. 2000 वर्ग गज भूखण्ड़ पर रामलाल सैन द्वारा अवैध कब्जा/बेचान/निर्माण करने के सम्बन्ध म. कोई कार्यवाही नहीं करने के बाबत प्राप्त हुआ।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने हेतु जारी पत्र के क्रम म. उन्हाने पत्र दिनांक 22.09.2015 द्वारा अवगत कराया कि नगर परिषद, किशनगढ़ ने प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमण कर बनाई गई दीवार/बाउण्ड्री को ध्वस्त कर दिया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 03.11.2015 को नस्तीबद्ध किया जा चुका है।

एफ.16(631)लोआस/14

इस सचिवालय म. यह परिवाद, परिवादी श्री महेश कुमार, निवासी-एफ-147, मोहन नगर, गर्ल्स स्कूल के पास, हिण्डौनसिटी द्वारा दिनांक 27.11.2014 को आयुक्त, नगरपालिका, हिण्डौन आदि द्वारा शिकायत करने के बावजूद उसके मकान के बगल से गन्दे-बदबूदार पानी के निकास की व्यवस्था नहीं करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. जारी पत्र के क्रम म. आयुक्त, नगरपालिका, हिण्डौन ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 16.07.15 के माध्यम से अवगत करवाया है कि नाली के निर्माण के कार्यादेश दिनांक 29.06.15 को जारी कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 24.09.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(638)लोआस/14

यह परिवाद, परिवादिया श्रीमती नीतू, क्वाटर नं. 208ए रेलवे कॉपरेटिव बैंक के पीछे रेलवे कॉलोनी, बाँदीकुई द्वारा दिनांक 03.12.2014 को आयुक्त (कार्मिक), जयपुर सिविल लाईन जोन, नगर निगम द्वारा उसके स्वर्गीय पति के स्थान पर मृतक के आश्रित के रूप म. अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए नियुक्ति

आवेदन–पत्र 25.11.2011 पर कार्यवाही करके नियुक्ति नहीं देने बाबत प्रेषित किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा उक्त सन्दर्भ म. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को तथ्यात्मक रिपोर्ट मँगवाई गई, जिसके बाबत उन्हाने पत्र दिनांक 21.09.2015 से अवगत कराया कि मृतक श्री अनिल की आश्रित पत्नी श्रीमती नीतू की नियुक्ति की स्वीकृति दिनांक 09.07.2015 को आयुक्त (कार्मिक), नगर निगम, जयपुर को दी जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 30.12.2015 को नस्तीबद्ध किया जा चुका है।

एफ.16(643)लोआस/14

यह परिवाद, परिवादी श्री गंगा सिंह द्वारा दिनांक 04.12.2014 को ग्राम बनवीरपुर म. रकबा नं. 233 जो नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के नाम दर्ज है और पूर्व म. उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम आवंटित हो चुका है पर शमशान की आड़ म. अतिक्रमण किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. नगर विकास न्यास, भिवाड़ी द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 05.10.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि न्यास द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से विवादित भूमि पर बाउण्ड्रीवाल करवा दी गई है। भूमि मौके पर रिक्त है। स्वयं परिवादी द्वारा पत्र दिनांक 30.09.2015 प्रेषित कर स्वीकार किया गया है कि वह मौके पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट है एवं उचित कार्यवाही किये जाने पर आभार व्यक्त करता है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 08.10.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(644)लोआस/14

यह परिवाद, परिवादी श्री कन्हैयालाल हवालदार जैन, गाडीखाना महल दरवाजा, प्रतापगढ़ (राज.) द्वारा दिनांक 04.12.2014 को अध्यक्ष/आयुक्त, नगर परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा शिकायत के बावजूद उसके मकान के उत्तर म. छोड़ी गई 10 फीट बाई 62 फीट जमीन म. अवैध रूप से किये गये निर्माण को नहीं हटवाने बाबत प्रस्तुत किया गया।

इस सचिवालय म. उक्त सन्दर्भ म. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के माध्यम से माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. आयुक्त, नगर परिषद, प्रतापगढ़ ने पत्र दिनांक 14.10.2015 से अवगत कराया कि श्री जगदीश लाल राजपूत (मृत्यु दिनांक 14.09.2012) द्वारा एक बाथरूम 3.9 X 3 का अनाधिकृत निर्माण किया गया था, जिसे नोटिस देने पर श्री हेमन्त सिंह पुत्र स्व. श्री जगदीश लाल राजपूत ने मौके से हटा लिया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 30.11.2015 को नस्तीबद्ध किया जा चुका है।

एफ.16(654)लोआस/2014

परिवादी श्री संतोष कुमार से दिनांक 09.12.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उसने राजकीय प्रयोजनार्थ सुरक्षित भूमि खसरा नं. 189, ग्राम

रायपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा पर निगर विकास न्यास, कोटा के अधिकारिया. से मिलीभगत कर किये गये अतिक्रमण की समुचित जांच किये जाने व दोषी अधिकारिया. के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का उपचार चाहा है।

इस सम्बन्ध म. इस सचिवालय के पत्र दिनांक 05.08.2015 के सन्दर्भ म. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 01.10.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि विवादित भूमि पर न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश निरस्त हो जाने के कारण नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा दिनांक 14.09.2014 को उक्त अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण म. परिवादी को इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप नगर विकास न्यास कोटा द्वारा विवादित अतिक्रमण हटा दिये जाने के कारण वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 27.10.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(706)लोआस/14

इस सचिवालय म. यह परिवाद, परिवादी श्री चन्द्रमोहन शर्मा, निवासी-प्लॉट नं. 18, निम्बार्क नगर, हीरापुरा पावर हाउस के पीछे अजमेर रोड़, जयपुर द्वारा दिनांक 13.01.2015 को जयपुर विकास प्राधिकरण से शिकायत के बावजूद प्लॉट नं. 21 निम्बार्क नगर म. ठेकेदार श्री गोपाल द्वारा एक प्लॉट के 2 हिस्से करके फ्लेटा. के अवैध निर्माण को नहीं रोकने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. जारी पत्र के क्रम म. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 27.04.15 से अवगत करवाया कि विवादित भूखण्ड़ संख्या 21 म. प्रश्नगत निर्माण प्रारम्भिक

स्तर पर था जिसे उसी स्तर पर तत्काल रूकवा दिया गया, उसके पश्चात् शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान म. मौके पर भूतल और प्रथम मंजिल का निर्माण हो चुका है, सैटबेक भी छोड़ा हुआ है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 01.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(712)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादी श्री अशोक लूणावत, जोरावरपुरा का बास, नोखा, जिला बीकानेर के द्वारा नगर पालिका, नोखा एवं निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग श्री पुरूषोत्तम बियानी के विरूद्ध श्रीमती हीरा देवी द्वारा ग्राम नोखा के हृदयस्थल नवलीगेट पर पक्का अतिक्रमण करने और उसे हटाने के सम्बन्ध म. कोई कार्यवाही नहीं करने के विषय को लेकर प्रस्तुत किया गया था।

उपर्युक्त परिवाद के विषय म. तथ्यात्मक रिपोर्ट निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग ने दिनांक 08.05.2015 को प्रेषित कर बताया कि श्रीमती हीरादेवी द्वारा नेशनल हाईवे 89 पर किये गये अतिक्रमण/अवैध निर्माण के विषय में कार्यालय निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा दिनांक 3.12.2014 को यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये हैं।

इसके बाद दिनांक 15.09.2015 को निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि प्रकरण म. पूर्व म. जारी यथास्थिति आदेश दिनांक 22.05.2015 को प्रत्याहरित कर दिये गये हैं। इसके बाद श्रीमती हीरा देवी के अनधिकृत कब्जे को नगर पालिका द्वारा हटाकर मौकास्थल पर तारबन्दी करा दी गई है।

इस तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध म. परिवादी से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई। उसकी ओर से कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है। अतः परिवाद दिनांक 10.11.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(719)लोआस/14

इस सचिवालय म. परिवादी श्री बनवारीलाल सोनी एवं समस्त निवासी–विजय नगर विस्तार कॉलोनी, शंकर जी की बाड़ी, मेड़ता सिटी द्वारा नगरपालिका, मेड़ता सिटी द्वारा शिकायत करने के बावजूद किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं कराने अर्थात् नाली/सड़क का निर्माण आदि नहीं कराने बाबत प्रस्तुत किया गया।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. जारी पत्र के क्रम म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, मेड़ता सिटी द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 14.07.15 प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया है कि विजय नगर विस्तार कॉलोनी म. विकास कार्य कराने हेतु निविदा स्वीकृत करते हुए नाली/सड़क के कार्य को पूर्ण कराया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 21.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(742)लोआस/14

इस सचिवालय म. परिवादी श्री राजेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ नागरिक, जयपुर द्वारा दिनांक 27.01.2015 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शिकायत के

बावजूद अवैध निर्माण/अतिक्रमण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. जारी पत्र के क्रम म. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 30.03.15 से अवगत करवाया कि प्रवर्तन प्रकोष्ठ म. गार्ड/लेबर इन्द्रराज शर्मा, सुनील सिंह, गिर्राज शर्मा एवं ड्राईवर गोपाल जाट को दिनांक 18.03.15 को हटाया जा चुका है। इसके साथ-साथ प्रवर्तन प्रकोष्ठ के अधिकारी/कर्मचारी को आदेशित कर दिया गया है कि उक्त व्यक्तिया. को जोन म. भ्रमण के समय साथ नहीं रख, इनका सहयोग नहीं ल. व इनसे कार्यालय सम्बन्धी कार्य नहीं करांवे।

इसके अलावा श्री विक्रम सिंह को भी दिनांक 26.03.2015 को हटा दिया गया है तथा सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यों से विलग रखने के आदेश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 09.04.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(743)लोआस/14

यह परिवाद, परिवादी श्री सुनील कुमार, सचिव, मुक्ति धाम सेवा समिति, बाणगंगा, बिलाड़ा, जिला-जोधपुर द्वारा दिनांक 27.01.2015 को नगरपालिका बिलाड़ा, जिला-जोधपुर द्वारा जन-सहभागी योजना के अन्तर्गत मुक्ति धाम सेवा समिति द्वारा लकड़िया. के लिए गोदाम की स्टील छत के निर्माण हेतु 5 वर्ष गुजरने के बाद भी राज्यांश राशि का भुगतान नहीं करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. जारी पत्र के क्रम म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बिलाड़ा ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 07.05.15 से अवगत कराया कि जिला कलेक्टर, जोधपुर व उप-शासन सचिव वित्त (बजट) द्वारा क्रमशः दिनांक 05.12.14 व दिनांक 03.02.15 को स्वीकृति जारी कर दी गई एवं नगरपालिका द्वारा मैसर्स चोयल एण्ड कम्पनी को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। नगरपालिका, बिलाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 08.07.15 से भी यह अवगत कराया गया कि संवेदक द्वारा 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया है। परिवादी ने शपथ-पत्र प्रस्तुत कर प्रकट किया कि कार्य प्रारम्भ होकर अन्तिम चरण म. पहुँच चुका है। इस सचिवालय द्वारा दिये गये सहयोग के लिए मुक्ति धाम समिति की ओर से आभार भी व्यक्त किया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 17.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(744)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादी श्री महेन्द्र पटेल एवं समस्त चामुण्डा कॉलोनीवासीगण, चामुण्डा माता मंदिर के पास, बिलाड़ा, जोधपुर द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बिलाड़ा के विरूद्ध शिकायत करने पर भी बिंजवाड़िया-चौराहे से अतिक्रमण नहीं हटाने के सम्बन्ध म. कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

उपर्युक्त परिवाद के सन्दर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाये जाने पर अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बिलाड़ा ने पत्र दिनांक 3.08.2015 को प्रेषित कर बताया कि बिंजवाड़िया चौराहे पर किये गये अतिक्रमण को दिनांक 12.06.2015 को हटा दिया गया है। अब उक्त चौराहे पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

इस तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध म. परिवादी से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई परन्तु उसकी ओर से कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई।

इस प्रकार परिवादी को इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है। अतः यह परिवाद दिनांक 12.10.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(760)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादी श्री कमरूद्दीन खान फल विक्रेता, मेठी की बगीची, मदीना मस्जिद के पास, चूली गेट, गंगापुर सिटी ने प्रेषित किया है। इसम. परिवादी ने कथन किया है कि आयुक्त, नगर परिषद्, गंगापुर सिटी के द्वारा उसके आवासीय मकान का पट्टा दिनांक 22.04.2013 को जारी हो जाने के बावजूद भी पट्टे का पंजीयन नहीं किया जा रहा है। अतः इस विषय म. कार्यवाही की जावे।

उपर्युक्त परिवाद के सन्दर्भ म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.10.2015 को प्रस्तुत की गई। इसम. अंकित किया गया है कि परिवादी श्री कमरूद्दीन खान के पट्टे का पंजीयन नगर परिषद्, गंगापुर सिटी द्वारा करवा दिया गया है।

इस तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध म. परिवादी से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई परन्तु उसकी ओर से कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है। अतः यह परिवाद दिनांक 21.12.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(761)लोआस/2014

यह परिवाद श्रीमति कमलेश मीना, निवासी-अम्बेडकर नगर, सलौदा, गंगापुरसिटी सवाईमाधोपुर द्वारा आयुक्त नगरपालिका गंगापुरसिटी द्वारा परिवादिया के मकान व कुएं के बीच की नाली का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ देने के संबंध म. प्रस्तुत किया गया है। इस कारण गन्दा पानी कुएं म. अन्दर जा रहा है एवं आम जनता व मवेशिया. म. बीमारी फैल चुकी है।

परिवाद के संबंध म. प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट आयुक्त नगर परिषद, गंगापुर सिटी दिनांक 21.05.2015 के अनुसार श्रीमती कमलेश मीना के मकान व कुएं के बीच की नाली व रामकेश मीना के मकान तक 20 फीट नाली का निर्माण कार्य करवा दिया गया है।

इस संबंध म. परिवादी ने पत्र द्वारा इस सचिवालय को बताया है कि अब नाली का कार्य सुचारू रूप से चालू है व गन्दा पानी कुएं म. नहीं जा रहा है और आयुक्त पालिका द्वारा किये गये कार्य से सन्तुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद दिनांक 03.06.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(762)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 06.02.2015 को परिवादी श्री योगेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुर सिटी, जिला-सवाईमाधोपुर से शिकायत के बावजूद पंचायत समिति के सामने परिवादी के निवास के बाहर नालिया. म. वर्षों से भरे गन्दे पानी की सफाई नहीं करवाने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्र के क्रम म. आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुर सिटी, जिला–सवाईमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 13.03.2015 द्वारा अवगत करवाया गया कि मौके से कचरा हटाकर सफाई कर दी गई है तथा परिवादी कार्यवाही से सन्तुष्ट है व मौके की फोटोग्राफी भी करवाई गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 07.04.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(763)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 06.02.2015 को परिवादी मो. यासीन व वार्ड नं. 6 के आमजन, सोनी बाबा कॉलोनी, वार्ड नं. 6, गंगापुर सिटी द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुर सिटी, जिला–सवाईमाधोपुर से शिकायत के बावजूद वार्ड नं. 6 म. सड़क व नाली निर्माण तथा पानी एवं रोड़ लाईट लाईट की समस्या दूर नहीं किये जाने बाबत प्रेषित किया गया।

उक्त सन्दर्भ म. आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुर सिटी, जिला–सवाईमाधोपुर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 09.07.2015 के माध्यम से अवगत करवाया कि विवादित स्थल लोको कॉलोनी अली–मस्जिद के पास रोड़ लाईट. लगवा दी गई हैं जिस बाबत फोटोचित्र एवं परिवादी के सन्तुष्टि के हस्ताक्षरशुदा प्रलेख भी पेश किये गये हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 17.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(766)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादी श्री विजय कुमार महाजन निवासी चूलीगेट, मेठी की बगीची, गंगापुर सिटी द्वारा वार्ड संख्या 14 व 17, चूली गेट म. मोबाईल टावर लगाने से रोकने के सम्बन्ध म. नगर परिषद्, गंगापुर सिटी व उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी को ज्ञापन देने के बावजूद कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध म. प्रेषित किया गया है।

उपर्युक्त परिवाद के सन्दर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.08.2015 को सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की ओर से प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका, गंगापुर सिटी द्वारा नियमानुसार आपत्तियाँ प्राप्त कर राशि जमा करा कर रिलायन्स टावर लगाने की दिनांक 18.12.2014 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद न्यायालय द्वारा दिये निर्णय के अनुसार घनी आबादी क्षेत्र म. टावर नहीं लगाने के निर्देश दिये गये। अतः नगरपालिका द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र तदनुसार निरस्त कर दिया गया है।

इस तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध म. परिवादी से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई। उसकी ओर से कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। अतः यह परिवाद दिनांक 30.10.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(767)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादी मोहन, सीताराम व राजेश, निवासी कल्याण जी गेट, अरोड़ा की बगीची के सामने, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत किया है। परिवादी के अनुसार धूड़मल बुकसेलर के सामने, कल्याणजी

गेट पर हर समय ढ़ेर सारा कचरा पड़ा रहता है जिससे भारी गंदगी होती एवं सुअर भी मरे पड़े हैं। अतः वांछित कार्यवाही कर सफाई की कार्यवाही की जावे।

परिवाद के सम्बन्ध म. आयुक्त, नगर परिषद्, गंगापुरसिटी से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 19.10.2015 म. अंकित किया गया है कि शिकायत म. अंकित स्थान श्री कल्याणजी गेट, अरेड़ा की बगीची के सामने से कचरा पाईन्ट को हटवा दिया गया है तथा मौके पर कचरे को साफ करवा दिया गया है, जिससे प्रार्थी संतुष्ट है और उसकी संतुष्टि के हस्ताक्षर भी ले लिये गये हैं।

प्रस्तुत प्रकरण म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त होने के कारण यह परिवाद दिनांक 24.02.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(772)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 05.02.2015 को परिवादिया श्रीमती गीता देवी, निवासी-131, गौतम नगर, बजाज नगर, टाक्र रोड़, जयपुर द्वारा कार्यालय नगर निगम, घाट गेट जोन, जयपुर म. शिकायत के बावजूद उसके पति की सेवा म. रहते हुए मृत्यु के 05 वर्ष बाद भी पेन्शन व ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं होने बाबत प्रेषित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 19.08.2015 से अवगत करवाया गया है कि मृतक सफाई कर्मचारी के उपार्जित अवकाश, उपदान राशि एवं पी.एफ. का भुगतान कर दिया गया है एवं पेन्शन स्वीकृति हेतु पत्रावली पेन्शन विभाग को भिजवा दी गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 26.08.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(797)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 19.02.2015 को परिवादी श्री ओमप्रकाश टेलर, निवासी-ए-22, गोवर्धनपुरी, गलता गेट के पास, जयपुर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर एवं महापौर, जयपुर से शिकायत के बावजूद वार्ड नं. 66, 67 के कई क्षेत्रा. म. 24 घण्टा. रोड़ लाईट. जलने बाबत प्रेषित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्र के क्रम म. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 18.06.2015 से अवगत करवाया कि अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) की रिपोर्ट के अनुसार दिन म. जलने वाली रोड़ लाईटा. का निरीक्षण करवाकर स्वीच लगवा दिये गये हैं जिससे लाईट. समय पर चालू/बन्द की जा रही हैं तथा कुछ लाईटा. हेतु स्विच क्रय किये जाने के पश्चात् स्विच लगवा दिये जाएँगे।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 03.08.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(806)लोआस/14

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 23.02.2015 को परिवादी श्री धूणीदास, निवासी-वार्ड नं. 4, सादुलशहर, जिला-श्रीगंगानगर द्वारा

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर के विरूद्ध शिकायत के बावजूद परिवादी को लीज पर प्राप्त भूमि की रजिस्ट्री नहीं करने व रजिस्ट्री की एवज म. रिश्वत माँगे जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. उपनिदेशक (क्षे.), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 03.07.2015 से अवगत करवाया कि परिवादी के भूखण्ड़ का पंजीयन उप–पंजीयक, सादुलशहर के यहाँ करवाया जाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 10.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(837)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादिया श्रीमती शेरपा देवी पत्नी स्व. श्री त्रिलोकचन्द, सुभाष सर्किल, डीडवाना, जिला नागौर ने प्रस्तुत किया है। परिवाद के अनुसार परिवादिया की सास श्रीमती अनोपदेवी, नगर पालिका मण्डल, डीडवाना म. सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात थी जिनका देहान्त दिनांक 04.06.2012 को हो जाने तथा उसके पति की इससे पूर्व दिनांक 05.02.2012 को मृत्यु हो जाने पर परिवादिया को उसकी सास के स्थान पर अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल, डीडवाना द्वारा अनुकंपात्मक नियुक्ति न देने के सम्बन्ध म. आवश्यक कार्यवाही किय जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डीडवाना के पत्र दिनांक 07.10.2015 के माध्यम से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट द्वारा भी अवगत कराया गया है कि परिवादिनी शेरपा देवी पत्नी स्व0 त्रिलोकचन्द का सफाई कर्मचारी के

पद पर चयन हो चुका है तथा नगर पालिका मण्डल की साधारण सभा द्वारा उसकी भर्ती के नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध म. स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। परिवादिया ने दिनांक 17.11.2015 को अपना पदभार सम्भाल लिया है।

प्रस्तुत प्रकरण म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त होने के कारण यह परिवाद दिनांक 10.12.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(05)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी विनोद कुमार एडवोकेट, पुराने डाकखाने के पास, तिजारा, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। परिवाद के अनुसार परिवादी को भूखण्ड संख्या सी-17, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी म. 35श्ग70श कुल 272 वर्गगज का भूखण्ड दिनांक 14.11.1988 को आवंटित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में समस्त राशि परिवादी द्वारा करवा दी गई है। परन्तु भूखण्ड पर असामाजिक तत्वा. का कब्जा होने के कारण परिवादी उक्त भूखण्ड का कब्जा दिलवाये जाने हेतु दिनांक 9.3.2015 को नगर सुधार न्यास, अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया तो भी कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए अब भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के उद्देश्य परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर के पत्र दिनांक 06.01.2016 म. अंकित रिपोर्ट क अनुसार परिवादी को विवादित भूखण्ड संख्या सी-17 का कब्जा दिनांक 06.01.2016 को संभलाया जा चुका है। उक्त रिपोर्ट के साथ परिवादी द्वारा खाली प्लॉट का कब्जा प्राप्त करने का पर्चा मौका भी प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त होने के कारण यह परिवाद दिनांक 24.02.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(32)लोआस/15

यह परिवाद, परिवादी श्री बनवारी लाल छीपा, निवासी - 6/37 गणेश कॉलोनी, साँगानेर, जयपुर द्वारा दिनांक 10.04.2015 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रिन्टर्स नगर कॉलोनी, सीताबाड़ी, टाक्र रोड़ पर सरकारी जमीन म. दुकान नम्बर 12 व 13 पर किये गये अनाधिकृत निर्माण को नहीं हटाने की शिकायत की गई है।

उक्त सन्दर्भ म. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23.06.15 से अवगत करवाया गया कि विवादित अवैध निर्माण को दिनांक 23.03.13 को ध्वस्त कर दिया है। इसके पश्चात् पुनः पिलर का निर्माण करने पर दिनांक 22.04.15 को ध्वस्त किया गया, तदुपरान्त दिनांक 14.05.15 को मौके पर दुकान. बनी पाई, उन्ह. भी दिनांक 10.06.15 को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 09.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(42)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी श्री बिहारीलाल पुत्र श्री शिव सिंह, निवासी सिमको लेबर कॉलोनी, रीको रोड़, भरतपुर ने सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर द्वारा उसके भूखण्ड संख्या 10336, ग्राम जघीना का पट्टा दिनांक

16.05.2013 को तैयार होने के बावजूद भी हस्ताक्षर नहीं करने व पट्टा जारी नहीं करने का आरोप लगाते हुए पट्टा जारी करने का निदेश प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया था।

परिवाद के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 08.06.2015 सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर ने प्रस्तुत की है। रिपोर्ट म. उनके द्वारा अंकित किया गया है कि परिवादी द्वारा दिनांक 21.05.2015 को जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार परिवादी को, उसके द्वारा न्यास म. जमा करवाई गई राशि वापिस कर दी गई है। इस रिपोर्ट के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर का पत्र दिनांक 13.05.2015 व कार्यालय का आदेश सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर दिनांक 15.05.2015 भी प्रस्तुत किया गया है।

उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध म. परिवादी से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई तो परिवादी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध म. कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के आधार पर परिवादी को उसके पट्टे के पेटे जमा कराई गई राशि लौटा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष मिल जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 02.08.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(47)लोआस/15

इस सचिवालय म. यह परिवाद, परिवादी श्री अशोक कुमार बाहेती, निवासी-1-ए-1, तलवण्डी कॉमर्स कॉलेज के सामने, मैन गेट मैत्री कॉलेज के पास, कोटा द्वारा दिनांक 17.04.2015 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, कोटा एवं आयुक्त, विज्ञान नगर जोन, नगर निगम, कोटा

द्वारा डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय तक राशि वापस नहीं लौटाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्र के क्रम म. उपायुक्त, नगर निगम, कोटा ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 22.10.15 से अवगत करवाया है कि परिवाद के क्रम म. डॉ. विनोद बाहेती एवं डॉ. नीला बाहेती द्वारा भूखण्ड़ संख्या 2-ए, तलवण्डी, कोटा के भू-उपयोग परिवर्तन के क्रम म. निगम कोष म. जमा करवाई गई स्व-निर्धारण राशि रूपये 1,22,229/- जरिये चैक नम्बर 391698 दिनांक 19.10.2015 से उन्ह. वापस लौटा दी गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 23.11.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(107)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी डॉ0 सियाराम मीणा द्वारा पट्टा बुक म. क्रम संख्या 8 पर पृष्ठांकित इन्द्राज होने के बावजूद भी पट्टा नगर परिषद्, सवाईमाधोपुर द्वारा जारी नहीं करने के सन्दर्भ म. प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण म. आयुक्त, नगर परिषद्, सवाईमाधोपुर ने दिनांक 03.06.2015 को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया है कि परिवादी श्री सियाराम मीणा को इस कार्यालय से पट्टा संख्या 04 दिनांक 15.05.15 को भूखण्ड संख्या 8, राजस्व ग्राम खैरदा जारी किया जा चुका है।

अतः परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के आधार पर परिवादी को वांछित अनुतोष मिल जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 02.08.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(115)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी मोतीलाल पुत्र मोगरलाल ने नगर पालिका, मालपुरा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उसे नगर पालिका द्वारा कोई भी भुगतान नहीं करने के बाबत प्रस्तुत किया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 04.08.2015 को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मालपुरा ने प्रस्तुत कर बताया है कि सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी को नगर पालिका, मालपुरा द्वारा जी0पी0एफ0, उपादान ग्रेच्यूटी, उपार्जित अवकाश का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

अतः परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के आधार पर परिवादी को वांछित अनुतोष मिल जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 11.08.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(118)लोआस/15

इस सचिवालय म. यह परिवाद, परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त अधिशाषी अधिकारी, भोला निवास, बलदेव नगर, गली नं. 2, माकड़ वाली रोड़, अजमेर द्वारा दिनांक 19.05.2015 को निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से शिकायत के बावजूद सेवा परिलाभा. का भुगतान नहीं करने के बाबत प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. जारी पत्र के क्रम म. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 31.08.15 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी की नियमानुसार शत-प्रतिशत प्रोविजनल पेन्शन दिनांक 19.03.2014 स्वीकृति हेतु प्रकरण दिनांक 19.03.2014 को पेन्शन विभाग को भेज दिया गया है। उसके पश्चात् परिवादी के विरूद्ध

जाँच कार्यवाहिया. के समाप्त होने पर एवं ए.सी.पी. स्वीकृत होने के पश्चात् पेन्शन रिलीफ जारी करने के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 24.09.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(125)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी राधेश्याम कुमावत, निवासी ढाणी कुमावतान, गोपालजी की तलाई, सांगानेर, जयपुर ने जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि म. भू माफियाआ. द्वारा कब्जा कर लेने के बावजूद भी उपायुक्त, नगर निगम, सांगानेर जोन, जयपुर महानगर द्वारा कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 03.11.2015 को अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट म. यह अंकित किया गया है परिवादी की शिकायत के आधार पर मौका निरीक्षण कर दस्तावेजात की जांच की गई तो मौके पर सरकारी भूमि पर बने लैटबाथ व निर्मित दीवार को दिनांक 08.10.2015 को हटवा दिया गया है। उक्त स्थान पर दीवार निर्माण व निगम सम्पत्ति का बोर्ड लगाने हेतु जोन के अधिशाषी अभियन्ता को पत्र लिखा जा चुका है।

उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध म. परिवादी से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई तो परिवादी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध म. कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।

प्रस्तुत प्रकरण म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के आधार पर परिवादी द्वारा बताई गई सरकारी भूमि पर बने लैटबाथ व निर्मित दीवार को हटाने के बाद उसे वांछित अनुतोष मिल जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 20.11.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(182)लोआस/15

यह परिवाद इस सचिवालय म. दिनांक 15.06.2015 को परिवादी श्री महेन्द्र सिंह, पूर्व कर्मचारी नगरपालिका खंडेला, निवासी-ढाणी गुमान सिंह की पोस्ट नीमकाथाना, जिला-सीकर द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, खंडेला, सीकर व उपनिदेशक (क्षे.), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से शिकायत के बावजूद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के पश्चात् भी उसकी पेन्शन स्वीकृत नहीं किये जाने व पी.एफ. राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध म. प्रेषित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. उपनिदेशक (क्षे.), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन द्वारा दिनांक 28.08.2015 को अवगत करवाया है कि परिवादी की पेन्शन पी.पी.ओ. नं. 0141-1009109 (आर) दिनांक 22.07.2015 के द्वारा पेन्शन विभाग से स्वीकृत हो गई है तथा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, खण्डेला, जिला-सीकर के पत्र दिनांक 28.08.2015 अनुसार पी.एफ. पर देय ब्याज की राशि 18504/-रूपये परिवादी के खाते म. जमा करवा दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 08.09.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(198)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी हेमेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री राधेलाल जैन ने संयुक्त सचिव, विकास समिति, निर्माण नगर जोन, जयपुर, 188ए, राणीसती नगर, अजमेर रोड़, जयपुर द्वारा आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर श्री शिखर अग्रवाल को ग्राम महला(दूदू) म. बंजारो द्वारा क्षेत्र म. गंदगी फैलाने और हरे पेड़ काटने आदि की शिकायत किये जाने के बावजूद उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 8.12.2015 प्रस्तुत की है। इसम. अंकित किया है कि मौके पर बंजारा जाति के लोगा. द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्वामित्व की भूमि पर काफी वर्षों से झुग्गी झोपड़ी (तम्बू) आदि खड़े कर अवैध निर्माण/अतिक्रमण कर लिया था जिसे दिनांक 4.12.2015 को कब्जा मुक्त करवाकर खाली करवा लिया गया है।

इस सम्बन्ध म. परिवादी ने इस सचिवालय के सराहनीय प्रयास व अतुलनीय सहयोग की सराहना करते हुए पत्र दिनांक 21.10.2015 प्रेषित किया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के आधार पर परिवादी को वांछित अनुतोष मिल जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 03.03.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(227)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री के.सी. शर्मा, निवासी एफ-2, माउण्ट अपार्टमट, प्रथम तल, ऐक्सिस बैंक के सामने, सहेली

मार्ग, उदयपुर ने आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा उसकी धरोहर राशि व किये गये कार्य की बकाया राशि अकारण रोकने और भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा दिनांक 07.10.2015 को प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार परिवादी को सम्बन्धित प्रकरण की अमानत राशि 20000/- का निस्तारण कर दिया जाना बताया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के आधार पर परिवादी को वांछित अनुतोष मिल जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 04.11.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(247)लोआस/15

इस सचिवालय म. परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार, एडवोकेट, वरिष्ठ नागरिक, जयपुर शहर द्वारा दिनांक 13.07.2015 को जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा से शिकायत के बावजूद दलाल सत्यनारायण मेहरा, बुद्धिप्रकाश तिवाड़ी, इन्द्रराज सिंह, कानाराम उर्फ कन्हैयालाल, इन्द्रराज, गोपाल ड्राईवर, गिर्राज शर्मा द्वारा अवैध रूप से दलाली व वसूली को नहीं रोकने बाबत प्रस्तुत किया है।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. जारी पत्र के क्रम म. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 03.09.15 से अवगत करवाया कि शिकायत म. वर्णित सभी लेबर/गार्ड/ड्राईवर का शासकीय कार्य म. किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं लिये जाने हेतु सभी प्रवर्तन अधिकारीगण को निर्देशित कर दिया गया है तथा आम सूचना भी कार्यालय परिसर म. चस्पा कर दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन प्रकोष्ठ

म. लगे सभी गार्डों को परिवर्तित करने हेतु सम्बन्धित सुरक्षा एजेन्सी को भी निर्देशित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 10.09.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(259)लोआस/15

इस सचिवालय म. परिवादी श्री राजेश कुमार, निवासी-पाली हाउस के पास, जती का मन्दिर, सवाईमाधोपुर शहर द्वारा दिनांक 16.07.2015 को नगर परिषद, सवाईमाधोपुर, से शिकायत के बावजूद लिपिक श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा विभिन्न खसरा नम्बर के टाउन सर्वे रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराने बाबत प्रस्तुत किया है।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. जारी पत्र के क्रम म. आयुक्त नगर परिषद, सवाईमाधोपुर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 24.08.15 से अवगत करवाया कि परिवादी को नगर परिषद, सवाईमाधोपुर म. उपलब्ध रेकॉर्ड खसरा नं. 1573, 1574-3987, 3985, 4088, 5330 एवं 5331 की नकल. दे दी गई हैं। इसके अतिरिक्त सभी खसरा नम्बर का रेकॉर्ड टाउन सर्वे दफ्तर म. उपलब्ध है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 11.09.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(282)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी श्री देवीशंकर अरविन्द पुत्र श्री जगन्नाथ माली, निवासी माणसगायो का मंदिर के पास, सांगोद, जिला कोटा द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सांगोद द्वारा श्री भवानीशंकर मोदी व अन्य द्वारा आम रास्ते पर बिजली का ट्रान्सफारमर एवं पत्थर के रास्ते के समानान्तर कोट कर रास्ता बन्द कर दिये जाने पर, अतिक्रमण नहीं हटाने की शिकायत की है।

परिवाद के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सांगोद द्वारा दिनांक 04.12.2015 को प्रस्तुत कर बताया कि नगर पालिका, सांगोद द्वारा दिनांक 02.12.2015 को विवादित अतिक्रमण हटा लिये जाने के कारण परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है और परिवादी ने पालिका प्रशासन के कार्य से संतुष्टि जाहिर की है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। इसलिए यह परिवाद दिनांक 16.12.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(313)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी श्री राजेन्द्र राज, अधिस्वीकृत पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता, निवासी 71/15, परमहंस मार्ग, मानसरोवर, जयपुर द्वारा महापौर, वार्ड 41 के पार्षद एवं नगर निगम, जयपुर के अधिकारीगण द्वारा गैर जरूरी सुलभ शौचालय का निर्माण करने एवं मौजूदा मूत्रालय का नवीनीकरण कर 25 लाख रूपये की राशि का फिजूलखर्च रोककर इस राशि का जनहित सदुपयोग करने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया था।

परिवाद के सम्बन्ध म. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम रिपोर्ट दिनांक 08.03.2016 (पृष्ठ 26/सी) प्रेषित की गई जिसके अनुसार सुलभ शौचालय

का निर्माण जनविरोध के कारण मौके पर नहीं कराया गया है तथा उक्त कार्य को निरस्त कर दिया गया है।

अतः परिवाद के सम्बन्ध मे. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है और यह परिवाद दिनांक 09.03.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(322)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी श्री जगदीश हरिजन, निवासी वार्ड संख्या 12 हरिजन बस्ती, बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा प्रेषित किया गया था। परिवाद मं. अंकित किया गया है कि उसके पिता छुट्टनलाल के पट्टाशुदा जमीन 22X33 का आवंटन 1970 म. किया गया था। इस पर खैरातीलाल पुत्र रमेश चन्द व उसके पोते सुनील ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण की शिकायत एस0डी0ओ0, बांदीकुई व जिला कलेक्टर, दौसा को पिछले सात वर्षों से की गई। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए इस सम्बन्ध म. कार्यवाही की जावे।

परिवाद के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बांदीकुई के पत्र दिनांक 20.01.2016 के माध्यम से बताया है कि परिवाद के सम्बन्ध म. सफाई निरीक्षक से मौका रिपोर्ट ली गई। परिवादी द्वारा दिनांक 23.01.2015 को विवादित अतिक्रमण के बाबत राजीनामा हो जाने की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है और इस राजीनामे के अनुसार अब परिवादी को कोई शिकायत नहीं है।

अतः परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है। इसलिए परिवाद दिनांक 24.02.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(358)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी मोहम्मद अली खाँ, वार्ड पार्षद, मोहल्ला व्यापारियान, वार्ड संख्या 19, जिला चुरू द्वारा उपखण्ड अधिकारी, चुरू व आयुक्त, नगर परिषद्, चुरू द्वारा परिवादी के वार्ड संख्या 19 म. हवेली गिराने के आदेश दिये जाने के बावजूद उक्त अधिकारीगण द्वारा हवेली नहीं गिराने के विषय म. कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. तथ्यात्मक रिपोर्ट उप निदेशक(क्षे0), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने दिनांक 23.12.2015 को प्रस्तुत की। जिसम. अंकित किया गया है कि वार्ड संख्या 19 म. स्थित जर्जर हवेली को पुलिस सहायता से दिनांक 24.11.2015 को हटाने की कार्यवाही कर परिवादी शिकायतकर्ता मोहम्मद अली खाँ के हस्ताक्षर करवा लिये गये हैं। इस प्रकार पालिका स्तर पर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है।

अतः परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। इस कारण यह परिवाद दिनांक 01.02.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(380)लोआस/15

इस सचिवालय म. यह परिवाद, परिवादी श्री इकबाल कायमखानी, निवासी-होलीधोरा, वार्ड नं. 27, सुजानगढ़ द्वारा दिनांक 27.08.2015 को आयुक्त, नगर परिषद, जयपुर से शिकायत के बावजूद गन्दे पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण नहीं कराने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. जारी पत्र के क्रम म. आयुक्त, नगर परिषद, सुजानगढ़ ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 14.10.15 द्वारा अवगत करवाया कि होलीधोरा म. पानी निकासी के लिए परिषद द्वारा 40 एच.पी. की मोटर लगाकर 8 इंच की पाईप लाईन डाल दी गई है।

इस प्रकार होलीधोरा दुलिया तलाई से समाज कल्याण छात्रावास के पीछे गोचर भूमि तक पाईन लाईन से पानी निकासी कर दी गई है, इसलिए वर्तमान म. मौहल्ला-वासिया. को पानी निकासी की कोई शिकायत नहीं है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 23.11.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(383)लोआस/15

इस सचिवालय म. यह परिवाद, परिवादी श्री रामावतर महरड़ा, निवासी-वार्ड नं. 09 श्रीमाधोपुर, जिला-सीकर, द्वारा दिनांक 28.08.2015 को अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीमाधोपुर से शिकायत के बावजूद सड़क के बीचा-बीच वार्ड नं. 16 सब्जी मण्डी रोड़, बड़ के बालाजी के पीछे ओमप्रकाश नामक व्यक्ति द्वारा 2 रेडियाँ, फड़ आदि लगाकर अतिक्रमण को नहीं हटाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय से उक्त सन्दर्भ म. जारी पत्र के क्रम म. निदेशक (क्षे.), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 07.12.15 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अतिक्रमी ओमप्रकाश द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है और अब आवागमन म. किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 28.01.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(403)लोआस/2015

यह परिवाद दुलीचंद मेघवाल, वार्ड संख्या 14, बाबा रामदेव मंदिर के सामने, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर द्वारा अम्बेडकर सर्किल के चारा. तरफ लगे होर्डिंग्स हटवाने एवं होर्डिंग्स न लगवाने हेतु पाबन्द करने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया गया था।

इस सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 26.02.2016 के माध्यम से यह अवगत करवाया गया है कि अम्बेडकर सर्किल पर लगाई गई होर्डिंग्स को तुरन्त प्रभाव से हटा दिया गया है। धार्मिक और सामाजिक संस्थाआ. को भविष्य म. अम्बेडकर चौक पर होर्डिंग्स नहीं लगाने हेतु भी पाबन्द कर दिया गया है।

अतः परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के बाद परिवाद दिनांक 14.03.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(422)लोआस/2015

यह परिवाद श्रीमती छिनकी बाई, निवासी कृष्ण मंदिर के पास, वार्ड संख्या 10, श्रीगंगानगर की ओर से सचिव, नगर सुधार न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा उसकी दुकान के आगे अवैध निर्माण करने के बावजूद अवैध निर्माणकर्ताआ. के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. सचिव, नगर सुधार न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.02.2016 के अनुसार चक 3 ए छोटी मुरब्बा संख्या 02 के किला नं. 13, 14 पदमपुरा रोड़, मुख्य मार्ग पर दुकाना. के आगे

परिवादिनी कै अवैध निर्माण को दिनांक 17.02.2016 को ध्वस्त कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिनी को उसकी दुकान के सम्बन्ध म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 08.03.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(429)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी श्री राकेश डागा, वार्ड-15, संगरिया, हनुमानगढ़ द्वारा नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी व पालिका अध्यक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशा. के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाने व खांचा भूमि व सार्वजनिक चौक के सम्बन्ध म. रिश्वत खाकर कार्यवाही करने का आरोप लगाया है।

उप निदेशक (क्षे0), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 7.10.2015 के अनुसार विवादित भूमि पर किये गये निर्माण आदि को हटा दिये जाने व श्रीमती गीता देवी द्वारा सार्वजनिक चौक पर किया गया निर्माण हटा दिया जाना बताया है।

उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के सम्बन्ध म. परिवादी से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई तो पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है और यह परिवाद दिनांक 25.02.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(478)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी श्री हरचन्द्र धंदाली निवासी ग्राम खुदनपुरी, प्लॉट संख्या एफ-180, खसरा संख्या 299, अलवर द्वारा ग्राम खुदनपुरी के खसरा संख्या 299 का पट्टा नगर विकास न्यास द्वारा जारी नहीं करने के बाबत कार्यवाही करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।

परिवाद के सम्बन्ध म. सचिव, नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 18.12.2015 म. अंकित किया गया है कि परिवादी हरचन्द्र को दिनांक 30.11.2015 को पट्टा जारी किया जा चुका है।

अतः परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। इसलिए यह परिवाद दिनांक 24.02.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(496)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी जी.एस. सेमसन, निवासी सेमसन निवास, पुलिस थाने के पास सुमेरपुर द्वारा ईसाई समाज के कब्रिस्तान व उसके पास बैठने के स्थान व रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को नगर पलिका सुमेरपुर के माध्यम से हटवाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद के संबंध म. उप निदेशक क्षेत्रिय, स्थानीय निकाय जोधपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांकित 12.02.16 प्रस्तुत कर बताया है कि कब्रिस्तान को जाने वाले रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया है। इस रास्ते की सफाई व्यवस्था नगर पालिका सुमेरपुर द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त खसरा न. 302 राजकीय भूमि पर

अतिक्रमण का मामला उच्च न्यायालय म. लंबित है जहां से स्थगन आदेश प्रदान किये गये हैं अर्थात मामला उच्च न्यायालय म. विचाराधीन है।

परिवाद के संबंध म. अधिशासी अधिकारी नगरपालिका मण्डल सुमेरपुर द्वारा दिनांक 29.12.15 को अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत कर यह भी अवगत कराया गया था की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खसरा नं. 302 के संबंध म. मौके पर निर्मित भवन के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिये गये थे इसलिये निर्मित भवन के अतिरिक्त चारदीवारी एवं बाड़े को हटवा दिया गया है।

अतः परिवाद के संबंध म. इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप अस्थाई अतिक्रमण हटाने से और श्मशान के चारा. ओर दीवार बनी हुई होने के कारण वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 15.03.16 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(519)लोआस/15

इस सचिवालय म. परिवादिया श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री बोदन लाल खटीक, निवासी-एफ-1/285, चित्रकूट गाँधीपथ, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा दिनांक 08.10.2015 को आयुक्त एवं उपायुक्त, जोन-15, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से शिकायत के बावजूद अजमेर रोड़ स्थित ओमेक्स विस्तार शुभांगन (पी.जी.एफ.) म. भूखण्ड़ संख्या ए-03 का पट्टा जारी नहीं करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्र के क्रम म. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 26.11.15 द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत भूखण्ड़ की लीज डीड क्रमांक 3316 दिनांक

29.10.15 को जारी की जा चुकी है जिसकी फोटोप्रति भी संलग्न की गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 11.01.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(598)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी श्री सत्यनारायण सैनी, निवासी वार्ड संख्या-21, न्यू कॉलोनी, छावनी नीम का थाना, जिला सीकर द्वारा अधिशाषी अधिकारी एवं पार्षद, नगर पालिका, नीम का थाना के विरूद्ध अतिक्रमण को नहीं हटाने और आम रास्ते को चौड़ा करने व नाली निर्माण करवाने आदि के विषय म. कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत किया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. उप निदेशक (क्षे0), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 09.02.2016 के द्वारा मोहल्लेवासिया. की सहमति से कुछ चबूतरे हटाये जाकर नाली का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाना अंकित किया गया है।

अतः परिवाद के सम्बन्ध म. परिवादी को इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप वांछित अनुतोष मिल जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 24.02.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(662)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी श्री कमलेश कुमार, निवासी सिटी बस स्टैण्ड, रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा नगर पालिका, रींगस के सैकेट्री

द्वारा अतिक्रमण करवाये जाने और उसकी दुकान के सामने सब्जी ठेलेवाले द्वारा खराब सब्जियाँ डालकर मार्ग अवरूद्ध करने व आवारा पशुआ. का उसकी दुकान के सामने इकट्ठा होना बताया है। अतः इस अतिक्रमण को हटवाये जाने हेतु यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. दिनांक 17.02.2016 को उप निदेशक (क्षे0), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर की गई जिसम. अंकित किया गया है कि दिनांक 08.02.2016 को शिकायतकर्ता की दुकान के आगे सब्जी का ठेला मौजूद नहीं मिला तथा पतासी का ठेला हटा दिया गया है। इसके बाद दिनांक 08.02.2016 को भी मौके पर कोई ठेला लगा हुआ नही मिला।

अतः परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के आधार पर परिवादी को वांछित अनुतोष मिल जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 01.03.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.16(677)लोआस/2015

यह परिवाद परिवादी श्री शैलेन्द्र कुमार डांगी द्वारा नगर पालिका, कपासन के अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष द्वारा स्टेशन रोड़, न्यायालय व तहसील के सामने स्थापित अवैध गुमटियाँ से होनेवाले अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध म. प्रस्तुत किया गया था।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.12.2015 के अनुसार मौके पर तहसीलदार, कपासन एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन की समझाईश के बाद अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। चिन्हित अतिक्रमणा. को को

उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा प्रशासन एवं पुलिस की सहायता लेकर दिनांक 21.12.2015 को हटा दिया गया है।

अतः परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष मिल जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 02.02.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.18(2)लोआस/2015

परिवादी श्री धर्मपाल ग्राम डाणी पिठोला, गुर्जरवास, तन सिंघाना, जिला झुंझुनूं द्वारा यह परिवाद ग्राम डाणी पिठोला, गुर्जरवास म. अवैध शराब की दुकान. बन्द करवाने के संदर्भ म. दिनांक 9 अप्रैल, 2015 को पेश किया गया।

दिनांक 29.05.15 को शपथ पत्र के अभाव म. परिवाद नस्तीबद्ध किया जाकर परिवाद की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझनूं को प्रेषित की गई। दिनांक 01.12.15 को प्रकरण पुनः खोला जाकर जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझनूं को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेत पत्र 09.12.15 प्रेषित किया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझनूं से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 29.12.2015 के अनुसार अवैध शराब बिक्री के विरूद्ध निगरानी एवं कार्यवाही के प्रयास जारी हैं। छापा मारने पर ओमप्रकाश को अवैध शराब बिक्री करते हुए नहीं पकड़ा जा सका। परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र पर परिवादी द्वारा स्वयं यह लिखा गया है कि ठेका 22.2.16 को बन्द कर दिया गया ।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग एक वर्ष म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 10.3.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.18(12)लोआस/2015

परिवादी श्री बाबू लाल सैनी, संयोजक, शराब का ठेका हटाओ संघर्ष समिति, सब्जी मण्डी, राजगढ़, अलवर द्वारा यह परिवाद दिनांक 8.7.15 को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना म. सब्जी मण्डी परिसर, राजगढ़ म. जबरन खोले गये देशी व अंग्रेजी शराब के ठेका. को हटाने/स्थानान्तरित करने के संदर्भ म. पेश किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु जिला आबकारी अधिकारी, अलवर को पत्र दिनांक 17.07.15 प्रेषित किया गया। इसके बाद जिला आबकारी अधिकारी, अलवर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 03.08.15 प्राप्त हुआ जिसके अनुसार सब्जी मण्डी परिसर, राजगढ़ म. जबरन खोले गये देशी व अंग्रेजी शराब के ठेके को अन्यत्र निर्विवादित स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाना बताया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 18.08.2011 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.21(2)लोआस/2015

परिवादी श्री लक्ष्मण सैनी पुत्र श्री गोविन्दराम सैनी, निवासी कंगालहाता कटी घाटी, जयपुर रोड़, अलवर द्वारा यह परिवाद दिनांक 30.1.2015 को

सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त भी पशुपालन विभाग द्वारा पश्चन प्रकरण का निस्तारण नहीं किए जाने के संबंध म. पेश किया गया है।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अवगत कराया कि परिवादी श्री लक्ष्मण सैनी, सेवानिवृत्त वाहन चालक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, अलवर का पश्चन प्रकरण निष्पादित कर दिनांक 30.6.2015 को पी.पी.ओ./जी.पी.ओ. आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 24.2.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(6)लोआस/2014

परिवादी श्री गुरजंट सिंह, पुत्र श्री विचित्र सिंह जाति जटसिख, निवासी 9 के आर डब्ल्यू गांव करड़वाला, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा यह परिवाद दिनांक 10 जून 1914 को अधिशाषी अभियन्ता, श्री अतुल कुमार गोयल पर विपक्षी पार्टी से मिलकर परिवादी की सचिव (द्वितीय)(प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर की खातेदारी जमीन की बारी हटाकर विपक्षी पार्टी के नाम से बांधने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 09.09.14 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 20.1.2015 प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार पानी की पर्ची परिवादी के नाम से बनाकर परिवादी को दे दी गई है तथा

बारी का प्रस्ताव लागू कर दिया गया है। परिवादी के नाम से सचिव (द्वितीय)(प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर ने बीघा की बारी बांध कर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 23.4.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.23(23)लोआस/2015

परिवादी श्री सुरेश कुमार खोथ पुत्र श्री दयाराम निवासी वार्ड नं. 1 वीपीओ कतूही शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा यह परिवाद चक 3 ई बड़ी सेकिण्ड म. चल रहे एवं बनाये जा रहे नाजायज नाका. को बन्द करवाने एवं अतिक्रमण हटाने के संदर्भ म. दिनांक 4.9.15 को पेश किया गया।

प्रकरण म. तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राज. जयपुर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 18.11.15 को प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 30.12.13 के अनुसार चक 3 ई बड़ी सेकिण्ड म. चल रहे नाजायज नाका को पटवारी हलका, अध्यक्ष जल उपभोगक्ता, संगत फतूड़ी, ग्रामीण श्री चेलूराम व टी सी मब्बर श्री रामनारायण की मौजूदगी म. दिनांक 17.12.15 को बन्द करवा दिया गया।

इस प्रकार लोकायुक्त द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 7 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 17.3.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.29(2)लोआस/2015

श्री राजूदास, विचाराधीन बन्दी, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद म. कारागृह म. राशन बाबू श्री धर्मसिंह द्वारा घटिया सामग्री व कम राशन देकर बन्दिया. का कुपोषण करने के आरोप लगाये हैं।

परिवादी के आरोपा. के बारे म. सचिवालय द्वारा महानिदेशक, कारागार राजस्थान, जयपुर से पत्राचार करने पर विभाग द्वारा जांच करवाये जाने के उपरान्त बन्दिया. को राशन सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं होना व राशन बाबू श्री धर्म सिंह का स्थानान्तरण उदयपुर से अजमेर कर दिया जाना बतलाया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप राशन बाबू श्री धर्मसिंह का स्थानान्तरण अजमेर हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 24.9.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.31(16)लोआस/2014

परिवादी श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मांगे लाल शर्मा, निवासी ग्राम सिरोड, तहसील खेतड़ी, जिला सीकर द्वारा यह परिवाद दिनांक 23 जुलाई, 2014 को अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड नीमकाथाना से पेयजल परिवहन कार्य का 10 लाख रूपये का भुगतान करवाये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 31.10.14 के पश्चात् निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर मुख्य अभियन्ता

(प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 12.2.15 के अनुसार परिवादी श्री नरेश कुमार को दिनांक 31.7.14 से 28.1.2015 के मध्य की अवधि का 27,37,617/- रूपये का भुगतान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 13.5.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.31(39)लोआस/2014

परिवादी श्री मनोज कुमार बसपा कार्यालय, पुरानी गैस एजन्सी ग्राम न्यांगली तहसील राजगढ़ चुरू जिला चुरू द्वारा यह परिवाद पीएचईडी के खण्ड परियोजना तारानगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर म. चल रही परियोजनाआ. म. अनियमितताआ. के संदर्भ म. पेश किया गया।

शपथ पत्र के अभाव म. परिवाद नस्तीबद्ध करते हुए परिवाद की प्रति मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त विभागीय रिपोर्ट के अनुसार स्वयं परिवादी की मौजूदगी म. परिवाद म. उठाये गये सभी आक्षेपा. बाबत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (परियोजना), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चूरू द्वारा मौका निरीक्षण कर परिवादी को रिकार्ड निरीक्षण करवाया गया एवं मौके पर पाई गई अनियमितताआ. के बाबत वांछित निर्देश प्रदान किये गये।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 08.07.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(44)लोआस/2014

परिवादी श्री नीरज चतुर्वेदी निवासी चौबे का पाड़ा, हिण्डौन सिटी, जिला करौली द्वारा यह परिवाद टोडाभीम घटरा बरड़ी एवं कुठीला चांदवाड़ पेयजल योजना पर लगभग 8 करोड़ रूपये खर्च होने के बावजूद ग्रामीणा. को पानी नहीं मिलने के कारण इस सम्बन्ध म. उच्चस्तरीय जांच कराने के संदर्भ म. दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को पेश किया गया।

प्रकरण म. तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 2.3.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने के पश्चात् विभागीय रिपोर्ट दिनांक 05.02.16 एवं उसके साथ प्रेषित परिवादी के पत्र दिनांक 08.07.15 के अनुसार क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कुटीला चान्दवाड़ में स्वीकृत कार्य तथा नलकूप, पाईप लाइन, उच्च जलाशय, स्वच्छ जलाशय, भूतल जलाशय एवं पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर आम जनता को लाभान्वित किया गया।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 6 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 31.3.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(54)लोआस/2014

परिवादी सिलीकन वैली कम्प्यूटर्स एण्ड कम्युनिकेशन, पी.एच.सी. के पास, रोडवेज डिपो के पीछे, सरदारशहर द्वारा यह परिवाद दिनांक 10 फरवरी 2015 को शहरी एवं ग्रामीण जल योजनाआ. म. अनियमितता बरतने एवं भ्रष्ट तरीके से मनचाही फर्म को कार्य आवंटित करने का आरोप लगाते हुए निविदा निरस्त कराये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 24.04.15 के पश्चात् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (परियोजना), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चुरू से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 14.08.15 के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चुरू द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.3.15 द्वारा निविदा सं. 16/2014-15 को निरस्त करते हुए संबंधित फर्मों को अमानत राशि लौटाये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 31.8.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(2)लोआस/2015

परिवादी श्री राजपाल यादव पुत्र श्री रोहिताश यादव निवासी ग्राम गोठड़ा तहसील तिजारा, जिला अलवर द्वारा यह परिवाद देवीदास के मन्दिर हरिराम के मकान तक डाली गई लाइन के खराब हो जाने के कारण लोहे की पाईप लाईन डालने के संदर्भ म. दिनांक 07.04.15 को पेश किया गया।

प्रकरण म. तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 20.04.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने के पश्चात् विभाग की ओर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.8.15 के अनुसार पाइप लाइन म. पाई गई लीकेज को ठीक कर दिया गया।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 12.02.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(33)लोआस/2015

परिवादी श्री बाबू लाल पुत्र श्री चौथमल जाति बलाई मुकाम पोस्ट चला तहसील नीमकाथाना सीकर, जिला सीकर द्वारा यह परिवाद अधिशाषी अभियन्ता व ठेकेदार के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 19 अगस्त, 2015 को पेश किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, प्रशासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 15.10.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात निरन्तर कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप विभाग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.1.16 के अनुसार एकल बिन्दु नलकूप की मोटर पम्प ठीक करवाकर पेयजल वितरण करवा दिया गया है। इस सम्बन्ध म. परिवादी स्वयं ने भी अपने पत्र म. विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट होना व्यक्त किया है।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 7 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 17.03.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(41)लोआस/2015

परिवादी श्री तरसेमसिंह पुत्र श्री रामसिंह, एमएनपी अक्कावाली, श्रीगंगानगर द्वारा यह परिवाद पूरे गांव म. बराबर पानी की सप्लाई करवाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 9 सितम्बर, 2015 को पेश किया गया।

प्रकरण म. तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 1.10.15 को प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने के पश्चात् विभागीय रिपोर्ट दिनांक 22.12.15 के अनुसार पूरे गांव म. पेयजल वितरण सुचारू रूप से किया गया एवं समस्या का समाधान कर दिया गया।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 7 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 09.3.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(18)लोआस/2013

परिवादी श्री मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री मोहन लाल वर्मा, वीपीओ नांगल नाथूसर, वार्ड नं. 6, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा यह परिवाद दिनांक 31.10.13 को उसे बीएसटीसी प्रथम वर्ष 2010-2011 की स्वीकृत छात्रवृति का भुगतान जिला समाज कल्याण अधिकारी, जयपुर शहर से दिलवाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 21.11.2013 प्रेषित किया गया। इसके बाद आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 12.03.2014 प्राप्त हुआ।

तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी छात्र को वर्ष 2010-11 की छात्रवृति की राशि रूपये 11,840/- रूपये का चैक बनाया जाकर परिवादी

के शिक्षण संस्थान आकाशदीप संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र मानसरोवर, अग्रवाल फार्म, जयपुर को प्रेषित कर दिया गया।

परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 29.04.2014 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.32(34)लोआस/2014.

परिवादी श्री महेन्द्र सिंह गूजर द्वारा दिनांक 14.11.2014 प्रस्तुत परिवाद समाज कल्याण विभाग, जयपुर से उसकी वर्ष 2011-12 की छात्रवृति का भुगतान दिलाने की प्रार्थना की गई है। इस सम्बन्ध म. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (ग्रामीण) से दिनांक 16.02.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को छात्रवृति की राशि 36,240/-रु. का भुगतान दिनांक 04.02.2015 को कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 23.04.2015 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(46)लोआस/2014.

परिवादिया सुश्री ललिता मीना द्वारा दिनांक 22.01.2015 पेश किये गये परिवाद मे. समाज कल्याण विभाग, जयपुर से उसकी वर्ष 2012-13 बी.एड. की छात्रवृति का भुगतान दिलवाने की प्रार्थना की गई है।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से दिनांक 23.11.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को छात्रवृति

की राशि 24,310/-रु. का भुगतान दिनांक 14.09.2015 को कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.01.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(53)लोआस/2014.

परिवादी श्री लाजपत राय मीना द्वारा दिनांक 16.03.2015 को प्रस्तुत परिवाद म. समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (ग्रामीण) से वर्ष 2011-12 की बी.टेक की छात्रवृति का भुगतान दिलाने की प्रार्थना की गई है।

परिवादी द्वारा विहित प्ररूप म. वांछित शपथ-पत्र सहित परिवाद प्रेषित न करने पर उसके इस परिवाद की एक प्रति निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए इस परिवाद को दिनांक 26.05.2015 को नस्तीबद्ध किया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने पत्र दिनांक 24.11.2015 प्रेषित कर अवगत करवाया कि वर्ष 2011-12 की छात्रवृति प्राप्त हो गई है और अब उसे इस विभाग से कोई शिकायत नहीं है।

एफ.32(54)लोआस/2014.

परिवादी श्री हरिराम पेशवानी द्वारा दिनांक 17.03.2015 को प्रस्तुत परिवाद म. सेवानिवृत्ति पर विभाग से अनुपयोजित उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान करवाने की प्रार्थना की गई है।

परिवाद मे. किसी नामजद लोक सेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार का आरोप न होने से परिवाद की एक प्रति निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करते हुए इसे दिनांक 16.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

इसके पश्चात् विभाग से दिनांक 18.11.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान सम्बन्धित कार्यालय द्वारा किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित पत्र पर विभाग द्वारा कार्यवाही कर लिया जाना लोकायुक्त सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.32(12)लोआस/2015.

परिवादी श्री बाबूलाल कोली ने दिनांक 15.05.2015 को प्रस्तुत परिवाद में समाज कल्याण अधिकारी, करौली से उसकी पुत्री माया कोली के दिनांक 22.11.2011 को हुए विवाह की सहयोग राशि का भुगतान करवाने की प्रार्थना की है।

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से दिनांक 11.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को योजना अन्तर्गत 10,000/- रु. का भुगतान जिला कार्यालय, करौली द्वारा दिनांक 15.10.15 को कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 12.02.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(26)लोआस/2015.

परिवादी श्री हंसराज गुर्जर ने दिनांक 25.08.2015 को पेश परिवाद मे. उसे जिला समाज कल्याण अधिकारी, बून्दी से विशेष पिछड़ा वर्ग (एस.बी.सी.) की वर्ष 2013-14 की छात्रवृति दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. स्वयं परिवादी ने अपने पत्र दिनांक 12.10.2015 के द्वारा इस सचिवालय को सूचित किया कि इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही एवं दिये गये निर्देशा. के फलस्वरूप सम्बन्धित विभाग द्वारा उसे छात्रवृति प्रदान कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 26.10.2015 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.34(11)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी बिश्नोई पत्नी श्री सुभाष बिश्नोई, निवासी मुस्तफा मस्जिद के पास, बंगलानगर, बीकानेर द्वारा यह परिवाद दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर हेतु आरक्षित चारदीवारीयुक्त भूमि निःशुल्क आवंटित करवाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सम्बन्ध म. इस सचिवालय द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 9.12.14 प्रेषित किया गया। इसके बाद उप शासन सचिव (द्वितीय), नगरीय विकास विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 05.02.15 के अनुसार आदेश दिनांक 3.2.15 के द्वारा उक्त विद्यालय को

33,319 वर्गफीट भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने की स्वीकृति दे दी गई है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 21.5.2014 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(10)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती शारदा शर्मा पत्नी स्व. श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी 103, गांधी नगर, अलवर ने दिनांक 16.04.14 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके कलयुगी पुत्र कुलदीप शर्मा वगैरह द्वारा उसके साथ मारपीट करने व किसान विकास पत्रा. की लगभग 8 लाख रूपये की राशि गबन कर हड़पने की शिकायत पुलिस थाना आरावली, अलवर, जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक, अलवर को करने के बावजूद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 2.5.2014 द्वारा परिवाद की प्रति पुलिस अधीक्षक, अलवर को प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। पुलिस अधीक्षक, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 20.10.2014 के द्वारा अवगत करवाया है कि जांच म. पाया गया कि परिवादिया ने विभिन्न किसान विकास पत्रा. के खाते खुलवाये थे तथा इनकी राशि रूपये 1,68,245/- उसने चैक से प्राप्त कर ली है। इसके बाद दिनांक 25.9.2011 को 3.00 लाख रूपये के किसान विकास पत्र खरीदे थे जिसकी राशि रूपये 642000/- जरिये चैक संख्या 979495 दिनांक 17.4.2012 द्वारा प्राप्त कर ली। उक्त लेनदेन विवादित होने से हस्ताक्षरा. का मिलान एफएसएल से करवाये जाने के बाद ही निष्कर्ष दिया जा सकता है।

परिवादिया को अपने पुत्र से जान-माल का खतरा होने के आरोपा. के संबंध म. उसके पुत्र व पुत्रवधु के विरूद्ध धारा 107, 116(3) जा.फौ. का इस्तगासा पेश कर पाबन्द करा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 5.5.2015 से सूचित किया कि परिवाद के संबंध म. थाना अरावली विहार, जिला अलवर म. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 4/2015 धारा 420, 406 आईपीसी दर्ज की गई है जो अनुसंधानाधीन है।

अतः इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. परिवादिया को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 19.5.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(28)लोआस/2014

सौंथलिया. का मौहल्ला विकास एवं सद्भाव समिति, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर के पदाधिकारिया. श्री विकास कोठारी इत्यादि से दिनांक 01.05.2014 को प्राप्त परिवाद म. सौथलिया. का मौहल्ला म. स्थित मकान नं.4860 के सरकारी चबूतरे पर श्री पिन्टु घोष द्वारा कब्जा कर दुकान बनाकर असंवैधानिक गतिविधियाँ चलाने, दुकान पर दिन भर नशेड़ी युवका. एवं समाजकंटका. का जमावड़ा रहने एवं आने-जाने वाली युवतिया. एवं बच्चिया. के साथ छेड़छाड़ करने, इसी दुकान के सामने सरकारी चबूतरे पर लगी चाय की थडी पर भी इसी प्रकार के हालात होने का आरोप लगाया है।

परिवाद की प्रति इस सचिवालय के पत्र दिनांक 14.05.2014 द्वारा पुलिस आयुक्त, जयपुर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इसके क्रम म. आयुक्त (मुख्यालय), नगर निगम जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 23.06.2014 से अवगत कराया कि मौके पर चाय की एक थड़ी लगी हुई थी जो

अस्थाई अतिक्रमण था जिसे आयुक्त (सतर्कता), नगर निगम, जयपुर द्वारा दिनांक 19.05.2014 को हटवा दिया गया एवं मकान नं. 4860 म. जो दुकान है वह काफी पुरानी बनी है, नया निर्माण नहीं चल रहा है।

पुलिस आयुक्त, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 09.07.2014 से अवगत कराया कि जिन दुकानदारा. की शिकायत परिवाद म. की गई, उस बारे म. मौहल्लेवासिया. ने कोई परेशानी नहीं होना व उक्त स्थान पर कोई छेड़खानी व अश्लील हरकते नहीं होने बाबत लिखित म. दे दिया है उन्हान्ने उक्त स्थान पर पुलिस जाब्ता को गश्त करने व निगरानी रखने के निर्देश देना उल्लेखित किया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 12.03.2015 से अवगत कराया कि मौके से दिनांक 19.05.14 की चाय की थड़ी हटाने के बाद, मौका पाकर पुनः थडी रखने पर दिनांक 09.09.14 को उक्त स्थान से अतिक्रमण दस्ते द्वारा थड़ी उठाकर सामान गोदाम म. जमा कराया गया है। इसके बाद पुनः शिकायत मिलने पर पुनः कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.02.15 को अस्थाई अतिक्रमण हटवाकर सामान जब्त कर दिया गया और पुनः अतिक्रमण नहीं करने हेतु मौखिक पाबन्द किया गया है। इसक बाद पुनः अतिक्रमण करने पर उपायुक्त (सतर्कता) नगर निगम जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 01.02.2016 से अवगत कराया कि सौथलिया. का मौहल्ला चबूतरे पर किये गये अस्थाई अतिक्रमण को दिनांक 28.01.2016 को हटवा दिया गया है। इस सम्बन्ध म. परिवादी पक्ष की ओर से कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

एफ.35(52)लोआस/2014

परिवादी श्री रामेश्वर लाल शर्मा, शांति कृषि फार्म, प्याऊ वाली ढाणी, कपूरावाला, सांगानेर, जिला जयपुर ने दिनांक 21.05.14 को परिवाद प्रस्तुत कर उसके अपने ही परिवार के लोगा. द्वारा मारपीट करने एवं उसकी कार

चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध म. पुलिस थाना, मुहाना (जयपुर) म. दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 223/2014 म. पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 30.5.2014 द्वारा परिवाद की प्रति पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) जयपुर को प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। पुलिस उपायुक्त ने अपने पत्र दिनांक 8.7.2014 के द्वारा अवगत करवाया है कि जांच म. पाया गया कि कार अभियोगी रवीन्द्र कुमार के लड़के अर्पित शर्मा के दहेज म. आयी हुई थी जो रवीन्द्र शर्मा के नाम करवा रखी थी। अर्पित शर्मा, कपूरवाला फार्म हाऊस पर आकर अपनी कार लेकर चला गया। 40000/- रूपये व चैन तोड़कर ले जाने के आरोप जांच म. प्रमाणित नहीं पाये गये। अनुसंधान से आरोपी अर्पित शर्मा, महेन्द्र कुमार शर्मा, श्रीमती शांति देवी शर्मा व श्री राहुल शर्मा के विरूद्ध भा. द.सं. की धारा 451, 341 व 323 के अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये। प्रकरण म. अनुसंधान जारी है।

अतः इस सचिवालय की पहल पर प्रकरण म. पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने तथा परिवादी को वाँछित उपचार प्राप्त हो जाने से परिवाद दिनांक 27.8.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(53)लोआस/2014

परिवादी श्री शिव कुमार शर्मा पुत्र श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, निवासी तांबे की टोरी, जिला करौली ने दिनांक 21.05.14 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम करौली के खसरा नं. 4824, 25, 26 व 27 की भूमि पर भू-माफिया द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है तथा खसरा नं. 4784 गै.मु. नाले की भूमि का अवैध रूप से नामान्तरकरण खुलवा लिया है, जिसे निरस्त किया जावे तथा अतिक्रमणा. को हटाया जावे।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, करौली को प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर, करौली ने अपने

पत्र दिनांक 3.9.2014 के द्वारा अवगत करवाया कि खसरा नं. 4824 लगायत 27 की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। खसरा नं. 4784 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा म. मौके पर पक्की सड़क व नाला निर्मित है। राजस्व रेकार्ड म. खसरा नं. 4784/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा दामोदर मुन्नी लच्छो गोपी पि0 चंदन व रूपबाई बेवा चंदन, गोपाल भवानी पि0 मिश्रा मु0 कमला बेवा रामस्वरूप, हरी, घनश्याम, पि0 रामस्वरूप आदि गौड ब्राहमण के नाम दर्ज है। नक्शा शीट म. खसरा नं. 4784/1 व 4784/2 की तरमीम नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान के मामले म. पारित निर्णय के अनुसार इस भूमि के संबंध म. धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम के तहत रेफरेन्स तैयार कर, सक्षम न्यायालय म. प्रस्तुत किया गया है।

अतः परिवादी को इस सचिवालय के हस्तक्षेप के फलस्वरूप वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। राजस्व मण्डल म. किये गये रेफरेन्स की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मंगाते हुए परिवाद को इस सचिवालय द्वारा दिनांक 22.09.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(113)लोआस/2014

परिवादी श्री विशन सिंह, निवासी मु.पो. घेनड़ी वाया खिंवाड़ा, पंचायत समिति रानी, जिला पाली ने दिनांक 12.07.14 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह एक विकलांग है तथा उसे राज्य सरकार से तीन पहिये की साइकिल और नगर परिषद, पाली से निःशुल्क या रियायती दर पर भूमि मय पट्टा आवंटित करवायी जावे ताकि उसे रोजगार उपलब्ध हो सके।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 4.8.2014 द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, पाली को उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इस क्रम म. जिला कलेक्टर, पाली ने अपने पत्र दिनांक 15.10.2015 से

अवगत कराया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा परिवादी विशनसिंह को ट्राईसाईकिल प्रदान कर दी गई है। परिवादी को रोजगार हेतु निःशुल्क/रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करवाने हेतु भी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रानी को निर्देशित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के परीणामस्वरूप परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है और पत्रावली दि. 28.10.15 को नस्तीबद्ध कर दी गई है।

एफ.35(129)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, राधाकृष्ण मारू राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीकर, निवासी आन्नद नगर, सीकर ने दिनांक 23.07.14 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसकी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति माह मार्च, 2017 म. हागी। उसने जिला कोषाधिकारी, सीकर से वाहन अग्रिम के अदेय प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया किन्तु उसे आज तक अदेय-प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। परिवादिया ने उक्त आशय का अदेय प्रमाण पत्र दिलवाने का अनुरोध किया।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 8.8.2014 द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, सीकर को उचित व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इसके क्रम म. जिला कलेक्टर, सीकर ने अपने पत्र दिनांक 19.12.2014 से अवगत कराया कि आवेदक श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा वाहन ऋण ब्याज राशि रूपये 2500/- जरिये ई-चालान दिनांक 10.12.2014 द्वारा जमा कराये जाने के उपरान्त उनके कार्यालय के पत्रांक 1334 दिनांक 11.12.2014 द्वारा आवेदक को वाहन ऋण की अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है और प्रकरण दि. 14.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(194)लोआस/2014

परिवादीगण श्री कानाराम वगैरह द्वारा प्रेषित परिवाद दिनांक 25.08.2014 म. उन्हाने यह उल्लेख किया है कि वे अनुसूचित जाति (बैरवा) के सदस्य हैं और ग्राम मानपुरा तहसील रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा म. स्थित ख.नं.129/65 म. रकबा 17 बीघा म. से 7 बीघा भूमि पर श्री रामसहाय मीणा वगैरह ने अतिकमण कर कब्जा कर रखा है। इस संबंध म. तहसीलदार, लालसोट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 की अधीन कार्यवाही करके आदेश पारित कर अप्रार्थीगण रामसहाय मीणा वगैरह को अतिक्रमी घोषित कर रखा है। परन्तु थानाधिकारी, रामगढ़ पचवारा एवं पुलिस प्रशासन के असहयोग के कारण उक्त आदेश की पालना आज तक नहीं हो पाई है। अतः उक्त आदेश की पालना करवाई जाए।

जिला कलक्टर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जिसम. यह प्रकट किया गया कि तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा से प्राप्त पालना रिपोर्ट अनुसार ग्राम मानपुरा म. आराजी ख.सं. 129/65 रकबा 17 बीघा कृषि भूमि म. से 7 बीघा जमीन पर रामसहाय व जगन्नाथ मीणा वगैरह द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया था, इस कारण उनका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183(बी) म. प्रकरण दर्ज कर पुलिस जाब्ता उपलब्ध होते ही दिनांक 17.10.2014 को बेदखल कर दिया गया। वर्तमान म. उक्त भूमि पर परिवादी ही काबिज है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। अतः पत्रावली नस्तीबद्ध कर दी गई है।

एफ.35(213)लोआस/2014

परिवादी श्री इन्द्राज पुत्र श्री मक्खनलाल जाति अहीर, निवासी भागमल की ढाणी, तहसील मुण्डावर जिला अलवर ने अलवर शिविर के दौरान दिनांक 05.09.2014 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भागमल की ढाणी तन ततारपुरा तहसील मुण्डावर म. स्थित आराजी खसरा संख्या 842, 845, 851, 853, 549, 848, 850 व 894 रकबा 3.93 हैक्टेयर की पैमाइश करने व अलग-अलग बंटवारा के हिसाब से पत्थरगढ़ी करने बाबत पैमाइश फीस 4000/- रू. जरिये चालान दिनांक 19.03.2015 को जमा कराने के बावजूद भी भूमि की पैमाइश कर पत्थरगढ़ी नहीं की है। परिवादी ने उक्त भूमि की पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने बाबत उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर, तहसीलदार मुण्डावर व जिला कलक्टर, अलवर को निर्देश प्रदान करने का निवेदन किया है।

परिवादी के परिवाद की प्रति इस सचिवालय के पत्र दिनांक 16.10.2014 द्वारा जिला कलक्टर, अलवर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इसके क्रम म. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 27.08.2015 से अवगत कराया है कि तहसीलदार (भू.अ.) मुण्डावर द्वारा टीम गठित कर दिनांक 13.05.2014 को खसरा संख्या 848, 849, 850, 851 का सीमाज्ञान कराया गया और उक्त खसरा संख्या 842, 845, 853, 894 का सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार (भू.अ.) मुण्डावर ने अपने पत्र दिनांक 12.08.2015 द्वारा अवगत कराया कि मौके पर परिवादी ने कहा कि उक्त भूमि बाबत उनके विभाजन का वाद उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर की न्यायालय म. चल रहा है। खाता विभाजन होने के बाद ही

सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवा सकग़े, परिवादी अब पैमाइश एवं पत्थरगढ़ी नहीं कराना चाहता है। इस आशय के परिवादी के आवेदन-पत्र दिनांक 31.07.2015 की फोटो प्रति भी प्रेषित की गई है।

इस प्रकार परिवादी को लोकायुक्त सचिवालय की पहल पर वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 11.09.2015 को नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.35(220)लोआस/2014

परिवादी श्री अशोक कुमार दाधीच, निवासी आनासागर सर्क्युलर रोड़, अजमेर ने दिनांक 12.09.14 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्ष 2008 म. हुरड़ा व गुलाबपुरा के बीच स्थित बिलानाम जमीन पर कूटरचित दस्तावेजा. का निर्माण करते हुए कुछ व्यक्तिया. ने उन दस्तावेजा. को उपयोग म. लिया था। इस बारे म. उसके द्वारा पुलिस थाना, गुलाबपुरा म. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 194/2010 दर्ज करवाई गई थी किन्तु पुलिस ने अभियुक्ता. से मिलीभगत करके अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जिला कलेक्टर द्वारा इस प्रकरण म. एफ.एस.एल. जाँच का आदेश दिया गया किन्तु बी.डी.ओ. व पुलिस द्वारा जाँच नहीं करवाई गई है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा तथा पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को भेजकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 4.12.2014 के द्वारा अवगत करवाया है कि प्रकरण संख्या 194/10 म. अनुसंधान अधिकारी द्वारा मामला एफ.आर. अदम वकू गलतफहमी का पाया जाने से एफ.आर. नम्बर 207/10 दिनांक 29.8.2010 को न्यायालय म. प्रस्तुत की गई थी। इस घटना के संबंध म. परिवादी द्वारा परिवाद पेश करने पर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 14.10.2014 की पालना म. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शाहपुरा द्वारा पुनः अनुसंधान किया जा रहा है।

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 12.6.2015 के द्वारा अवगत करवाया है कि प्रकरण म. विवादित दस्तावेज जाँच हेतु एफ.एस.एल. उदयपुर को दिनांक 24.4.2015 को भिजवाये गये है। परिवाद न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है जिसका निस्तारण न्यायालय के निर्णय के द्वारा ही संभव होना है।

अतः इस सचिवालय की पहल पर प्रकरण म. आगामी कार्यवाही हा पाई है तथा परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 23.7.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(232)लोआस/2014

परिवादी श्री जगराम व अन्य, निवासी ग्राम भैंसली, तहसील राजगढ़, जिला चूरू ने दिनांक 26.09.14 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भैंसली के नजदीक पश्चिम दिशा म. उनका एक खेत खसरा नं. 711 व 712 है जिसकी उत्तर-पश्चिमी सीमा पर बलबीर पुत्र हेमराज ने अन्य गोचर भूमि के साथ-साथ उनके खेत म. 40 फुट तक अतिक्रमण कर लिया है। उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ द्वारा थानाधिकारी, हमीरवास व तहसीलदार, राजगढ को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 22.10.2014 द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, चूरू तथा पुलिस अधीक्षक, चूरू को प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। पुलिस अधीक्षक, चूरू ने अपने पत्र दिनांक 28.11.2014 के द्वारा अवगत करवाया है कि पुलिस थाना हमीरवास म. परिवाद से संबंधित कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण हटाने के कार्य हेतु तहसीलदार द्वारा पुलिस ईमदाद मांगने पर पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

इसके बाद जिला कलेक्टर, चूरू ने अपने पत्र दिनांक 23.6.2015 के द्वारा अवगत करवाया है कि खसरा नं. 711 की सहखातेदारी भूमि के आंशिक रकबे पर बलबीर पुत्र हेमराज जाति जाट ने अतिक्रमण किया था। इस संबंध म. दिनांक 22.6.2015 को ''न्याय आपके द्वार कार्यक्रम'' के तहत मौके पर जाकर आपसी समझाईश से अतिक्रमण हटा दिया गया है। तत्सम्बन्धी फर्द मौका पर दोना. परिवादिया. एवं अतिक्रमी के हस्ताक्षर भी करवाए गए हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परीणामस्वरूप परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 5.8.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(235)लोआस/2014

परिवादी श्री चतुर्भुज शर्मा, निवासी छबड़ा, जिला बारां ने दिनांक 30.09.14 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान सरकार की वृद्धावस्था पशन योजना म. 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर देय पशन का लाभ उसे नहीं दिया जा रहा है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 18.11.2014 द्वारा परिवाद की प्रति निदेशक, सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को उचित व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इसके क्रम म. उप कोषाधिकारी, छबड़ा, जिला बांरा ने अपने पत्र दिनांक 20.12.2014 से अवगत कराया कि परिवादी से आधार कार्ड की प्रति मंगवाकर, उसकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण माह दिसम्बर, 2014 से पेंशन राशि 500/-रूपये प्रतिमाह से बढाकर 750/-रूपये कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। पत्रावली दिनांक 14.07.2015 को नस्तीबद्ध कर दी गई है।

एफ.35(254)लोआस/2014

परिवादी श्री हिम्मत सिंह एवं समस्त ग्रामीण छात्र संगठन, तहसील छबड़ा, जिला बारां ने दिनांक 29.09.14 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि छबडा कॉलेज म. स्थानीय ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उच्चाधिकारिया. को शिकायत करने के बावजूद भी ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 20.11.2014 द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, बारां को प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर, बारां ने अपने पत्र दिनांक 22.1.2015 के द्वारा अवगत करवाया है कि श्री अमरचन्द राजकुमारी बरडिया जैन विश्वभारती स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छबड़ा म. मेन गेट एवं हाल का निर्माण कार्य मैसर्स श्री सांई कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, छबड़ा द्वारा किया जा रहा है, जो फिनिशिंग स्टेज पर है। इस कार्य म. बनास रेत काम म. ली जा रही है। फ्लोरिंग म. कोटा स्टोन स्लेब निर्धारित मापदण्ड के अनुसार है लेकिन स्कर्टिंग, प्लास्टर तथा कोटा स्टोन के कुछ स्लेब म. कमियां हैं जिनम. सुधार की आवश्यकता है।

इस सचिवालय द्वारा उक्त कमिया. को दूर करवाने हेतु निर्देशित करने पर जिला कलेक्टर, बारां ने अपने पत्र दिनांक 1.5.2015 द्वारा अवगत कराया कि उक्त तीना. कमिया. को कनिष्ठ अभियंता, नगरपालिका, छबडा द्वारा संबंधित फर्म से दुरूस्त करवा कर निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने सेयह परिवाद दिनांक 6.5.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(336)लोआस/2014

समस्त कॉलोनीवासी, सेक्टर नं. 3-ए, नगर विकास न्यास कॉलोनी, भिवाड़ी, तहसील तिजारा, जिला अलवर ने दिनांक 4.12.14 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कॉलोनी म. मैसर्स चौधरी इलेक्ट्रिकल्स, सेक्टर-3ए, गौरव पथ, मेन रोड के प्रो. श्री रमेश चन्द चौधरी द्वारा अपनी दुकान/मकान के ऊपर आइडिया कम्पनी का मोबाईल टॉवर लगवाया जा रहा है। रिहायशी कॉलोनी म. टॉवर लगाना प्रतिबन्धित है। अतः टॉवर से होने वाले हानिकारक विकिरण एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए टॉवर का निर्माण तत्काल रूकवाया जावे।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 5.1.2015 द्वारा परिवाद की प्रति आयुक्त, नगर परिषद, भिवाड़ी, जिला अलवर तथा सचिव, नगर विकास न्यास, भिवाडी, जिला अलवर को उचित एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इसके क्रम म. सचिव, नगर विकास न्यास, भिवाडी ने पत्र दिनांक 04.05.2015 अवगत कराया कि अवैध टॉवर निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया गया है तथा मौके से टॉवर हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादीगण. को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.35(347)लोआस/2014

परिवादी श्री भैरूलाल बैरवा व अन्य, निवासी ग्राम भवानीसिंह का खेड़ा, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाडा ने दिनांक 12.08.14 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जालिया से भवानी सिंह का खेड़ा जाने वाले राजस्व रिकार्ड के रास्ते म. प्रहलाद न्याति वगैरह द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिला कलेक्टर, भीलवाडा व अन्य प्रशासनिक अधिकारिया. को शिकायत करने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटवाया जा रहा है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 7.1.2015 द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। इसके क्रम म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 20.2.2015 से अवगत कराया कि ग्राम भवानीसिंह जी का खेड़ा की बिलानाम आराजी नं. 44 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा पर ग्राम जालिया से भवानी सिंह का खेडा तक जाने वाली सडक पर डामरीकरण का कार्य चल रहा है। उक्त भूमि म. से 10 बिस्वा भूमि पर पड़ौसी खातेदारान द्वारा अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध कर रखा था। भूमि के सीमांकन उपरान्त अतिक्रमिया. के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाकर दिनांक 11.12.2014 को सम्पूर्ण अतिक्रमण हटवाया जाकर रास्ते को खुलवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय की पहल पर प्रकरण म. कार्यवाही किये जाने से परिवादीगण को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है और यह परिवाद दिनांक 07.4.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(351)लोआस/2014

परिवादी श्री भीमसिंह पंवार व अन्य, निवासी झालावाड़ ने दिनांक 11.12.2014 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि झालावाड़ बारां

दुग्ध संघ का बकाया भुगतान प्रबन्ध निदेशक द्वारा एक माह से नहीं किया जा रहा है। परिवादीगण ने दुग्ध उत्पादका. की समस्या को देखते हुए उक्त बकाया भुगतान तुरन्त दिलाये जाने का अनुरोध किया है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 16.01.2015 द्वारा परिवाद की प्रति प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि0, जयपुर को उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इस क्रम म. महाप्रबन्धक, राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि0, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 20.02.2015 से अवगत कराया कि कोटा दुग्ध संघ से आर.एम.जी. दुग्ध बिक्री की राशि प्राप्त होते ही झालावाड़ दुग्ध संघ से सम्बद्ध दुग्ध सहकारी समितिया. के दुग्ध उत्पादका. को माह नवम्बर, 2014 एवं 10 दिसम्बर, 2014 तक के समस्त लंबित भुगतान जारी कर दिये गये है। संघ द्वारा उक्त अवधि उपरान्त वर्तमान म. नियमित दुग्ध भुगतान किया जा रहा है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.35(370)लोआस/2014

परिवादी श्री तुलसीराम गमेती, निवासी ग्राम वाजमीया, पोस्ट गादोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर ने दिनांक 02.01.2015 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान सरकार एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 5 जून, 2014 को पर्यावरण दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम तथा राजीव गांधी पर्यावरण सुरक्षा पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। अतः इसके आयोजन म. हुई देरी की जांच करवाकर गाईड लाईन के अनुसार उक्त कार्यक्रम आयोजित करवाये जाने की प्रार्थनी की।

परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 16.02.2015 द्वारा परिवाद की प्रति शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राज0, जयपुर को उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इसके क्रम म. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 05.5.2015 से अवगत कराया कि किन्हीं कारणवश वर्ष 2014 के पुरस्कार विश्व पर्यावरण दिवस, 2014 को प्रदान नहीं किये जा सके थे। यह पुरस्कार एक भव्य समारोह म. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 23.4.2015 को प्रदान कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय की पहल पर परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.35(389)लोआस/2014

परिवादी श्री सुजानसिंह चौधरी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार उन्हाने मास्टर किशनलाल रोड़ पर स्थित श्री आई माता महिला चिकित्सालय परिसर म. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना जलदाय विभाग द्वारा पानी की नवीन टंकी का निर्माण करवाये जाने के कारण निर्माण कार्य को रूकवाने की प्रार्थना की है।

मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट म. बताया कि बिलाडा शहर के जोन तीन के लिए उच्च जलाशय निर्माण के लिए सर्वाधिक उपर्युक्त स्थल आई माता महिला चिकित्सालय परिसर को ही बताया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा आक्षेप किये जाने के बाद उच्च जलाशय निर्माण कार्य बंद है।

मुख्य अभियंता परियोजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जोधपुर ने आश्वस्त किया है कि अब टंकी निर्माण का कार्य अन्तिम स्तर पर सक्षम

अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने एवं विभाग के पक्ष म. आवंटन सुनिश्चित होने के पश्चात् ही करवाया जायेगा।

इस प्रकार इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। अतः पत्रावली नस्तीबद्ध कर दी गई है।

एफ.35(398)लोआस/2014

यह परिवाद परिवादिनी श्रीमती गजराज कंवर ने प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की है कि द्वितीय विश्व युद्ध म. भाग लेने वाले उनके सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक पति श्री सूरजभान सिंह का देहांत दिनांक 0809.2013 को हो जाने के उपरान्त भी उसका विधवा पशन का आवेदन पत्र सचिव, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, करौली के समक्ष प्रस्तुत करने के बावजूद भी उसे पारिवारिक पशन प्रदान नहीं कराई गई है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, करौली ने अपने पत्र दिनांक 29.09.2015 द्वारा अवगत कराया है कि श्रीमती गजराज कवर पत्नि स्व. श्री सूरजभान सिंह को पशन प्रदान कराने हेतु निदेशक राज्य सैनिक कार्यालय जयपुर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

तत्पश्चात् जिला सैनिक कल्याण अधिकारी करौली ने अपने पत्र दिनांक 09.12.2015 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादिनी श्रीमती गजराज कंवर को उसके आवेदन जमा कराने की तिथी मार्च 2014 से मार्च 2015 एवं अगस्त व सितम्बर 2015 की पशन 47,000/-रूपये ऑनलाईन भिजवा दी गई है। अक्टूबर व नवम्बर 2015 की पशन ऑनलाईन भिजवाई जा रही है और भविष्य म. भी पशन ऑनलाईन भिजवाई जाती रहेगी।

इस प्रकार इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिनी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। अतः पत्रावली नस्तीबद्ध कर दी गई है।

एफ.35(422)लोआस/2014

परिवादी श्री रामलाल कुमावत, निवासी ग्राम पंचायत जाजली, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ ने दिनांक 24.02.2015 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत जाजली म. विधवा पश्न, विकलांग पश्न, वृद्धावस्था पश्न एवं गरीबी रेखा वाला. के पश्न के मामले म. पूर्व सरपंच, कोष कार्यालय के बाबू व पोस्ट मास्टर अरनोद एवं जाजली द्वारा भारी अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी जांच कराई जावे।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 22.5.2015 द्वारा परिवाद की प्रति निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को उचित एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इसके क्रम म. कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ से जांच रिपोर्ट दिनांक 18.6.2015 प्राप्त हुई जिसके अनुसार ग्राम पंचायत, जाजली म. दोहरी पश्न भुगतान, अनियमित भुगतान एवं अपात्र व्यक्तिया. को भुगतान के विभिन्न मामला. म. क्रमशः 67,500/- तथा 22,500/- = कुल 90,000/- की राशि वसूली की गई है।

अतः इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.35(6)लोआस/2015

परिवादी श्री बाबूराम प्रजापत, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, निवासी 160-ए, सेक्टर-डी, पीपली चौराहा, शंकर नगर, जोधपुर ने दिनांक 08.04.2015 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह वर्ष 1987

से 1996 की अवधि म. राज्य सड़क विकास निगम म. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहा था। उक्त अवधि म. उसके वेतन से जीपीएफ तथा राज्य बीमा का अंशदान काटा गया था किन्तु इसम. से कुछ अवधि का अंशदान उसके खाते म. जमा नहीं किया गया है। इसके अलावा वह वर्ष 2002 से 2005 तक लोक जुम्बिश संस्था म. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहा था। यह संस्था अब शिक्षा विभाग म. मर्ज हो गई है। इस संस्था म. कार्यरत रहने की अवधि म. भी परिवादी का कुछ अवधि का जीपीएफ एवं राज्य बीमा राशि काटी गयी परन्तु यह अंशदान उसके खाते म. जमा नहीं किया गया है। परिवादी ने उक्त अंशदान की राशि मय ब्याज दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 27.4.2015 द्वारा परिवाद की प्रति अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम लि0, जयपुर तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक बालेसर, जिला जोधपुर को प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। इसके क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 23.10.2015 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी के खाते म. विभाग म. उपलब्ध राशि (मय ब्याज) रूपये 857542/- का अधिकार पत्र दिनांक 18.12.2014 को जारी कर संबंधित विभाग को भिजवा दिया गया है। बीमा योजना के अन्तर्गत परिपक्वता दावा राशि रूपये 374485/- का अधिकार पत्र भी दिनांक 1.4.2014 को जारी कर संबंधित विभाग को भिजवाया जा चुका है।

निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा यह भी सूचित किया कि परिवादी के विभिन्न विभागा. म. प्रतिनियुक्ति के दौरान कटौती की गई राशि का विवरण प्राप्त होने पर प्रावधायी निधि योजना म. दिनांक 14.9.2015 को रूपये 69447/- का एवं दिनांक 8.10.2015 को 92962/-रूपये का अधिकारपत्र जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार बीमा योजनान्तर्गत अवशेष राशि रूपये 12010/- तथा 1259/-रूपये के

अधिकारपत्र भी जारी किये जाकर परिवादी को सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने परे यह परिवाद दिनांक 8.1.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(31)लोआस/2015

परिवादी श्री रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री दौलतराम एवं श्रीमती राजबाला पत्नी श्री रामगोपाल शर्मा, निवासी 1970, न्यू कॉलोनी, कुण्डा, जयपुर ने दिनांक 22.4.2015 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनकी उम्र क्रमशः 72 वर्ष एवं 62 वर्ष है लेकिन सरकार के नियमानुसार वृद्धावस्था पशन योजना का लाभ उन्ह. नहीं दिया जा रहा है, जो उन्ह. दिलवाया जावे।

परिवाद इस सचिवालय म. प्रस्तुत होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 11.6.2015 द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, जयपुर को उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इसके क्रम म. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (पूर्व) एवं प्रभारी अधिकारी, विकास-II ने अपने पत्र दिनांक 24.7.2015 से अवगत कराया कि श्री रामगोपाल शर्मा एवं श्रीमती राजबाला की वृद्धावस्था पशन दिनांक 22.7.2015 से स्वीकृत कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय की पहल पर परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.35(74)लोआस/2015

परिवादी अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, मावली ने यह परिवाद प्रस्तुत कर कोर्ट स्टाम्प पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होना बताया और यह उल्लेख किया कि

कोर्ट फीस स्टाम्प उदयपुर जाकर लाने पड़ते हैं। स्टाम्प की अनुपलब्धता के कारण स्टाम्प ब्लैक म. खरीदना पड़ रहा हैं।

जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट फीस एवं कोपीइंग फीस टिकिटा. की आपूर्ति नियमित कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। अतः पत्रावली नस्तीबद्ध कर दी गई है।

एफ.35(88)लोआस/2015

परिवादिया हर्षा वर्मा द्वारा पेश किये गये परिवाद म. यह उल्लेख किया गया है उसने महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर से वर्ष 2014 से रोल नं. 313508 से बी.ए. (फाइनल ईयर) की इतिहास प्रथम एवं भूगोल द्वितीय विषय की परीक्षाएं दी थीं। इतिहास प्रथम के पेपर म. प्रार्थीया को 100 में से 60 अंक मिले। कॉपी की नकल लेने पर यह पता चला कि कॉपी के अन्दर किसी भी प्रश्न की जाँच नहीं की गई है। सीधे ही कॉपी के प्रथम पृष्ठ पर 60 नम्बर दिये गये हैं। भूगोल द्वितीय की कॉपी के सभी उत्तरा. की जाँच की गई है। इस प्रकार यह दर्शाता है कि यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षार्थीयों की कॉपी जाँच किये बिना ही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उक्त संबंध म. महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर से सूचना चाहे जाने पर उनके द्वारा तथ्या. से परे एवं गलत सूचना दी गई।

इस सम्बन्ध म. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 11.03.2016 से यह अवगत कराया कि परिवादिया की उत्तर पुस्तिका का परीक्षक द्वारा अवलोकन करने के उपरांत उत्तर पुस्तिका के भीतर प्रश्नवार प्राप्तांक न देने एवं सही मुल्यांकन करने के संबंध म.

परिवाद अनुसार परीक्षक से पुनः परीक्षण कराया गया। पुनः परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्राप्तांका. म. आए अन्तर के आधार पर संशोधन कर मूल अंक तालिका जारी कर दी गई है। परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका की जाँच सही नहीं किए जाने के कारण परीक्षक को एक वर्ष के लिए परीक्षा कार्या. से वंचित कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। अतः परिवाद नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(109)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती सीमा जैन उर्फ सरोज पत्नी श्री मनोज जैन, निवासी जिन्दानी पाड़ा, जैसलमेर ने दिनांक 01.07.15 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके पति मनोज जैन व अन्य परिवारजन द्वारा उसे फंसाने की नीयत से बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा गांधी चौक, जैसलमेर के मैनेजर व कर्मचारिया. से मिलीभगत कर उसके फर्जी हस्ताक्षर करके उसके नाम से बैंक खाता खुलवा लिया गया है। इसी फर्जी खाते के आधार पर उसके पति ने फर्जी चैक बुक व एटीएम कार्ड भी प्राप्त कर लिया है और उक्त फर्जी चैक बुक से खाते म. उसके पति द्वारा लेनदेन किया गया है, जिसके संबंध म. बैंक मैनेजर से शिकायत करने पर उन्हाने़ कोई कार्यवाही नहीं की और न ही उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेजा. की नकल दी। परिवादिया ने वांछित सूचना व दस्तावेजा. की नकल दिलवाने का अनुरोध भी किया था।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 13.7.2015 द्वारा परिवाद की प्रति उप महाप्रबन्धक (राजस्थान जोन) बैंक ऑफ बड़ौदा, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर तथा बैंकिग लोकपाल, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर को उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इसके क्रम म. उप अंचल प्रमुख, बैंक ऑफ

बड़ौदा ने अपने पत्र दिनांक 22.8.2015 से अवगत कराया कि बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 18.8.2015 को परिवादिया सुश्री सीमा जैन को वांछित जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परीणामस्वरूप परिवादिया को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.35(112)लोआस/2015

परिवादी श्री घासीलाल मीना पुत्र श्री लोहड़ी राम मीणा, निवासी ग्राम पोस्ट मलवास, जिला दौसा ने दिनांक 10.07.15 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके खेत की भूमि म. स्थित मकान के सामने आबादी भूमि खसरा नं0 821 मे. 19 फीट चौड़ा रास्ता था परन्तु नहनू व रेवड़ ने खसरा नं. 821 से 826 तक की आम रास्ते की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लगभग 8 फीट चौड़ाई म. पुख्ता दीवार का निर्माण कर लिया है जिससे आम रास्ता 11 फीट चौड़ा ही रह गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा द्वारा भी सी.सी. रोड़ बनाने के लिए परिवादी की भूमि को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा इस भूमि की नाप करवाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देशा. की पालना भी संबंधित अधिकारिया. द्वारा नहीं की गई है।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 24.7.2015 द्वारा परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, दौसा तथा अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त दौसा को प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। इस क्रम म. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त दौसा ने अपने पत्र दिनांक 21.8.2015 द्वारा अवगत कराया कि नहनू एवं रेवड़ का खसरा नं. 821 के सहारे आबादी भूमि के पास 20 फीट लम्बाई म. 1-3 फीट चौड़ाई म. अतिक्रमण है। वर्तमान म. दोना. तरफ फसल है। खसरा नं. 825 व 826 म. आम रास्ते की जमीन को रोक कर नहनूराम द्वारा

सिविल न्यायालय म. वाद दायर किया हुआ है। वर्तमान म. आवागमन म. कोई बाधा नहीं है। अधीक्षण अभियंता ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.9.15 द्वारा अवगत कराया कि उक्त रास्ते म. आपसी समझाइश के बाद सरपंच द्वारा मिट्टी डालने का कार्य करवा दिया गया है।

जिला कलेक्टर, दौसा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.10.2015 द्वारा सूचित किया कि परिवादीगण की खातेदारी भूमि पर राजस्व विभाग द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गई है। खसरा नं. 794 व 821 के मध्य गैर मुमकिन रास्ते पर जो अतिक्रमण थे, जिनको जे.सी.बी. के द्वारा हटा दिया गया है तथा उक्त रास्ते पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडक निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परीणामस्वरूप परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर, यह परिवाद दिनांक 04.02.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(130)लोआस/2015

परिवादी श्री रामस्वरूप बिश्नोई, निवासी चक 23 एएसबी, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 04.08.2015 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है। उसके मेडिकल बिला. का भुगतान वर्ष 2012 से लंबित है। भुगतान के संबंध म. जो आक्षेप लगाये गये हैं, उसकी पूर्ति उसने कर दी है। अतः उसके लंबित मेडिकल बिला. की राशि पुर्नभरण करवाई जावे।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 22.9.2015 द्वारा परिवाद की प्रति निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इसके क्रम म. जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 9.10.2015 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत

चिकित्सा व्यय बिल रूपये 224506/- के सन्दर्भ म. नियमानुसार पुर्नभरण कर दिनांक 8.10.2015 को देय राशि रूपये 54570/- उसके खाते म. जमा करा दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परीणामस्वरूप परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है और प्रकरण दिनांक 17.09.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(163)लोआस/2015

परिवादी श्री प्रमोद कुमार भारद्धाज ने अपने परिवाद म. वेतन आहरण एवं वितरण से संबंधित जी.ए.55 प्रदान कराये जाने हेतु यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) कार्यालय जिला कलक्टर, चूरू ने अपने पत्र दिनांक 03.03.2016 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी को वांछित जी. ए. 55 तैयार करवाकर उपलब्ध करवा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय के द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। अतः परिवाद नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(181)लोआस/2015

परिवादी श्री सोहनलाल पुत्र श्री भागराम, निवासी 173, राणा प्रताप कॉलोनी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 9.9.2015 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा उसके मकान नं. 173, महाराणा प्रताप कॉलोनी म. लगे विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 3103310 का माह मई, 2015 का

विद्युत बिल राशि रूपये 2000/- जय माँ ई-मित्र कियोस्क नं. 807, अशोक नगर-ए, श्रीगंगानगर म. जमा करवाये जाने के बावजूद भी ई-मित्र संचालक ने बिल की वसूल की गई राशि को संबंधित विभाग म. जमा नहीं करवाया है। इस संबंध म. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्रीगंगानगर को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी ने ई-मित्र संचालक के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 24.9.2015 द्वारा परिवाद की प्रति आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। इसके क्रम म. विशेषाधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 30.11.2015 से अवगत कराया कि जय माँ ई-मित्र अशोक नगर, श्रीगंगानगर के ई-मित्र वैलेट म. उपलब्ध राशि 9964.06 विभाग ने जब्त कर ली है। परिवादी से उसका बैंक सम्बन्धित विवरण मांगा गया है ताकि कियोस्क से जब्त राशि म. से परिवादी की राशि लौटाई जा सके।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परीणामस्वरूप परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है तथा यह परिवाद दिनांक 12.02.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(208)लोआस/2015

परिवादी श्री श्रवणकुमार मीणा द्वारा प्रेषित परिवाद अनुसार उन्हाने थानाधिकारी गलतागेट, जयपुर और आयुक्त हवामहल जोन, नगर निगम जयपुर के विरूद्ध आरोप लगाया है कि गोवर्धनपुरी (वार्ड 67) म. मकान सं. डी-22 पर लगे अवैध टावर को हटाने के संबंध म. उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही कर अवैध टावर को हटवाया जाये।

अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट म. यह बताया गया है कि घनश्याम जैमन मकान नं. डी/22 गोवर्धनपुरी ने अपने मकान के उपर टावर लगाने हेतु मकान को 20 फीट उंचाई तक कर लिया था। टावर हटाने के संबंध म. दिनांक 02.03.2015 व 23.03.2015 को नोटिस जारी किए गये। इसके पश्चात् दिनांक 05.05.2015 को स्वयं मकान मालिक द्वारा टावर को हटा दिया गया है। उपरोक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर परिवादी से आपत्तियां आहूत की गई। परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी के वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण इस परिवाद को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.35(213)लोआस/2015

परिवादी श्री अजय पुत्र स्व. श्री रामनिवास, निवासी डीडवाना, नागौर ने दिनांक 16.10.2015 को परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पशन की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अतः उसके पिता के जीवनकाल तक के पशन का एरियर दिनांक 18.11.2009 से दिनांक 12.6.2011 तक उसे दिलाया जावे।

इस सचिवालय के पत्र दिनांक 4.11.2015 द्वारा परिवाद की प्रति निदेशक, पशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, राज0, जयपुर को उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। इसके क्रम म. अतिरिक्त निदेशक, पशन एवं पशनर्स कल्याण विभाग, राज0, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 18.01.2016 से अवगत कराया कि परिवादी को उप कोषाधिकारी, डीडवाना ने दिनांक 18.11.2009 से 12.06.2011 तक की अवधि की पशन ऐरियर राशि रूपये 1,21,685/- का भुगतान कर दिया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वाँछित अनुतोष प्राप्त हो गया है।

एफ.45(9)लोआस/2013

परिवादी श्री देवकरण एवं ग्राम पंचायत घासीपुरा के अन्य निवासीगण, पंचायत समिति नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा यह परिवाद खनन विस्फोट से हुये धन हानि की जाँच करवाकर हर्जा खर्चा दिलाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 8.11.2013 को पेश किया गया।

प्रकरण के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु सचिवालय द्वारा जिला कलेक्टर, सीकर को पत्र दिनांक 26.3.2014 प्रेषित किया गया एवं इसके बाद निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, सीकर से प्राप्त पत्र एवं संलग्नका. के अनुसार सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति नीमकाथाना एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण म. जांच करवाई जाकर खनन विस्फोट से हुये नुकसान की क्षति पूर्ति राशि का भुगतान नायब तहसीलदार पाटन द्वारा मोके पर जाकर सर्व श्री ख्यालीराम, शंकर राम, महावीर तथा जगदीश को कर दिया गया।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा कार्यवाही की जाने के पश्चात् परिवादी को अल्पावधि म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 27.5.15 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.45(14)/लोआस/2015

परिवादी श्री सुमित कुमार जोशी पुत्र श्री मोहन लाल जोशी निवासी विजौलिया द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद ग्राम सुखपुरा, तहसील बिजौरिया, जिला भीलवाड़ा म. भू-माफिया द्वारा प्रशासनिक अधिकारिया. की

मिलीभगत से अवैध खनन कर सरकार को राजस्व हानि पहुँचाने के सम्बन्ध म. कार्यवाही करने के लिये प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाये जाने पर उन्हाने रिपोर्ट दिनांक 16.03.2016 के द्वारा अवगत कराया है कि खनि अभियन्ता, बिजौलिया कार्यालय के खनिकार्यदेशक से तैयार करवायी गई मौका जांच म. ग्राम सुखपुरा डी बाउन्ड्री के ब्लॉक संख्या 12 के बाहर अवैध खनन होना पाया गया है। जिस बाबत अवैध खननकर्ता से 1,23,800 रू की राशि की वसूली की गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण म. किये गये अवैध खनन के सम्बन्ध म. जूर्माना राशि वसूल कर लेने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.46(7)लोआस/2014

परिवादी श्री मैनपाल त्यागी पुत्र श्री सीताराम त्यागी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक, द्वितीय श्रेणी, निवासी न्यू कॉलोनी, लालसोट, जिला दौसा द्वारा दिनांक 1.9.2006 से छठे वेतनमान म. वेतन स्थिरीकरण, 27 वर्षीय चयनित वेतनमान, संचित उपार्जित अवकाश तथा ग्रेच्यूटी की राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संदर्भ मे. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

इस सम्बन्ध म. प्रमुख शासन सचिव, उच्च, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा रिपोर्ट दिनांक 26.10.2015 से अवगत करवाया गया है कि परिवादी श्री मैनपाल त्यागी का वेतन स्थिरीकरण कर दिया गया है। श्री त्यागी को 27 वर्षीय वेतनमान म. निर्धारण कर एरियर राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। साथ ही बकाया यात्रा बिला. का भी भुगतान कर दिया गया है। किन्तु श्री त्यागी को राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत ग्रेच्यूटी देय नहीं है तथा उन पर पशन स्कीम भी लागू नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 18.2.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(9)लोआस/2014

परिवादी श्री देवीशरण शर्मा पुत्र श्री भैरूलाल शर्मा, निवासी मकान नं. 207 सुभाष कॉलोनी, मोहन नगर, हिण्डोन सिटी, जिला करौली द्वारा यह परिवाद दिनांक 27 नवम्बर 2014 को सेवानिवृति के पश्चात् जुलाई 2013 से वेतनवृद्धि का लाभ एरियर सहित दिलाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा प्रकरण के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, निदेशालय पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 16.12.14 प्रेषित किया गया। इसके बाद निदेशक, निदेशालय पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 2.2.15 म. विभाग द्वारा संशोधित पी.पी.ओ. नम्बर 888792 (आर.) जारी कर दिया जाना बताया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को लगभग 6 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 30.4.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.47(12)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल सिंह, निवासी 1143 मिश्र राजाजी का रास्ता, दामोदर धर्मशाला की गली, चांदपोल बाजार,

जयपुर द्वारा यह परिवाद दिनांक 10 अक्टूबर 2014 को पारिवारिक पेन्शन दिलाये जाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा प्रकरण के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 7.4.2015 प्रेषित किया गया। इसके बाद अतिरिक्त निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 23.4.2015 के अनुसार श्रीमती सावित्री देवी की पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत की जा चुकी है। दिनांक 4.9.2012 से 28.2.2015 की अवधि की बकाया पेन्शन परिवादिया के खाते म. दिनांक 11.3.15 को जमा करा दी गयी है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 08.06.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.47(14)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती रतन कंवर पत्नी श्री मूलसिंह, निवासी वीपीओ बन्थली, तहसील दूनी जिला टाक्र द्वारा यह परिवाद दिनांक 13 अक्टूबर 2014 को उसके पति की मृत्यु के पश्चात् पारिवारिक पेन्शन न्यायालय के आदेश के पश्चात् भी भुगतान नहीं करने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा प्रकरण के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु कोषाधिकारी, कोषालय (पेन्शन), जयपुर को पत्र दिनांक 27.11.14 प्रेषित किया गया। इसके बाद कोषाधिकारी, कोषालय (पेन्शन) जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 19.12.14 एवं परिवादिया स्वयं के पत्र दिनांक 4.2.15 के अनुसार परिवादिया को दिनांक 09.08.94 से 31.08.2014 तक की बकाया पशन राशि 7,45,234/-रूपये का भुगतान कर दिया गया।

विभाग द्वारा ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध म. मुख्य नियन्त्रक रक्षा (पेन्शन) इलाहाबाद से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने के कारण ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। मुख्य नियन्त्रक रक्षा (पेन्शन) इलाहाबाद इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार म. नहीं है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को मूल वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 29.9.2015 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.47(15)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री औंकार मल स्वामी, मालू चौक, वार्ड नं. 1 नोखा बीकानेर द्वारा यह परिवाद दिनांक 17 अक्टूबर 2014 को उसकी नवम्बर 2013 के पश्चात् बन्द हो गई पेन्शन को पुनः चालू करवाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस प्रकरण की विषयवस्तु एवं प्रकरण सं. 47(16)/लोआस/2014 की विषयवस्तु एक समान होने एवं दोना. प्रकरण के परिवादीगण पति-पत्नी होने के कारण इस प्रकरण को प्रकरण सं. 47(16)/लोआस/2014 के साथ समेकित किया गया।

इस सचिवालय द्वारा प्रकरण के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर को पत्र दिनांक 19.3.15 प्रेषित किया गया। इसके बाद निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 3.8.2013 के अनुसार तीन माह के मनीऑर्डर वापस आने के कारण वृद्धावस्था पेन्शन बन्द कर दी गई थी। अब पेन्शनर के निवेदन पर पश्न माह 11/2014 से पुनः चालू कर दी गई है तथा माह 06/2014

से 10/2014 तक पांच माह की बकाया पेन्शन जेल म. बन्द अवधि की होने से नियमानुसार देय नहीं होना बताया गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 17.9.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.47(16)लोआस/2014

परिवादी श्री औंकार मल स्वामी, मालू चौक, वार्ड नं. 1 नोरवा बीकानेर द्वारा यह परिवाद दिनांक 17 अक्टूबर 2014 को उसकी नवम्बर 2013 के पश्चात् बन्द हुई पेन्शन को पुनः चालू करवाने के संदर्भ म. पेश किया गया।

इस सचिवालय द्वारा प्रकरण के संदर्भ म. तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर को पत्र दिनांक 19.3.15 प्रेषित किया गया। इसके बाद निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 3.8.2013 के अनुसार तीन माह के मनी ऑर्डर वापस आने के कारण वृद्धावस्था पेन्शन बन्द कर दी गई थी। पेन्शनर के निवेदन पर पश्चन माह 11/2014 से पुनः चालू कर दी गई है तथा माह 06/2014 से 10/2014 तक पांच माह की बकाया पेन्शन जेल म. बन्द अवधि की होने से नियमानुसार देय नहीं होना बता दिया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 17.9.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.47(19)लोआस/2014

परिवादी श्री देवीशरण शर्मा पुत्र श्री भौरूलाल शर्मा सेवानिवृत्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, निवासी 207, सुभाष कॉलोनी, मोहन नगर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली द्वारा मूल रूप से संशोधित पशन स्वीकृत नहीं किए जाने के संबंध म. संयुक्त निदेशक, पशन एवं पशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर अतिरिक्त निदेशक, पशन एवं पशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 2.2.2015 से अवगत कराया कि परिवादी श्री देवीशरण शर्मा के प्रकरण म. संशोधित पी.पी.ओ. संख्या 888792(आर) जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 30.4.2015 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(24)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती ललिता कुमारी जैन पत्नी स्व. श्री अनूपचन्द जैन, निवासी मुकाम पोस्ट-गढ़ीसवाईराम, जिला अलवर हाल 108, मुक्तानन्द नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15.4.1999 के तहत संशोधित पारिवारिक पशन स्वीकृत कराने तथा पशन डायरी जयपुर स्थानान्तरित कराने के संदर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया है।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, पेंशन एवं पशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 12.2.2016 से अवगत करवाया है कि परिवादिया श्रीमती ललिता कुमारी को संशोधित पारिवारिक पशन रूपए 4887/- प्रतिमाह की दर से भुगतान किये जाने हेतु कोषाधिकारी, अलवर एवं

शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक गढ़ी सवाईराम, जिला अलवर को पत्र दिनांक 5.2.2016 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 31.3.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(3)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती जयन्ति देवी पत्नी स्व. चन्द्रशेखर त्रिवेदी, निवासी मु.पो. तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा द्वारा यह परिवाद दिनांक 15 मई 2015 को पेन्शनर्स को 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेन्शन दिलाने और इस सन्दर्भ मे जन्मतिथि संधोधित कराने के संदर्भ म. पेश किया गया है।

परिवाद विहित प्रारूप म. सत्यापित शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं होने एवं इस सचिवालय म. चलने योग्य नहीं होने के कारण इस की प्रति निदेशक, पेन्शन एवं पशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए इस सचिवालय से नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

उक्त सन्दर्भ म. सचिवालय द्वारा विभाग को प्रेषित पत्र दिनांक 8.10.15 के प्रत्युत्तर म. निदेशक, पेन्शन एवं पशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र के साथ संलग्न अतिरिक्त निदेशक, उदयपुर के पत्र दिनांक 27.10.15 के अनुसार परिवादिया की जन्म तिथि दिनांक 27.9.1936 निर्धारित करते हुए जन्म तिथि संशोधन का पत्र कोषाधिकारी, बांसवाड़ा को एवं पत्र की प्रति परिवादिया को सूचनार्थ प्रेषित कर दी गई है।

इस प्रकार सचिवालय द्वारा लगातार कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह परिवाद दिनांक 29.12.15 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.47(19)लोआस/2015

परिवादी श्री कुलदीप जैन पुत्र श्री दयाचन्द जैन, सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी 262ए, सिन्धी कॉलोनी, राजापार्क, जयपुर द्वारा जमा बीमाधन की बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 1.2.2016 से अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री कुलदीप जैन को एरियर से प्राप्त प्रीमियम राशि पर बोनस के स्थान पर ब्याज की फलावट कर राशि रूपए 18,398/- का अधिकार पत्र दिनांक 19.1.2016 को जारी कर दिया गया है। अब श्री जैन का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 30.3.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(20)लोआस/2015

परिवादी श्री हरिश चन्द्र वशिष्ठ, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लिपिक, निवासी वशिष्ठ भवन, पुरानी नगर पालिका की गली, राजगढ़, जिला अलवर द्वारा उसके जी.पी.एफ. खाता संख्या 108429 की पासबुक में जमा राशि के

अनुसार भुगतान नहीं किए जाने के संदर्भ म. यह परिवाद पेश किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 11.3.2016 अवगत करवाया है कि परिवादी श्री हरिश चन्द्र वशिष्ठ को अवशेष राशि रूपए 22,937/- का भुगतान अधिकार पत्र दिनांक 1.3.2016 को जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण यह पत्रावली दिनांक 21.3.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.47(22)लोआस/2015

परिवादी श्री सम्पत राज भार्गव, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, निवासी भार्गवा. का मौहल्ला, बिलाड़ा, जिला जोधपुर द्वारा उसके जी.पी.एफ. खाता संख्या 282897 में जमा बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संदर्भ म. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली के विरूद्ध यह परिवाद पेश किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने पर वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 11.3.2016 से अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री सम्पत राज भार्गव को अवशेष राशि मय ब्याज 1,17,271/- रूपए का भुगतान अधिकार पत्र दिनांक 24.2.2016 द्वारा कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण परिवाद दिनांक 22.3.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

निम्नलिखित सूची म. वे वर्णित प्रकरण हैं, जिनम. परिवादी पक्ष को वांछित अनुतोष के साथ-साथ दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई है। इन प्रकरणा. का संक्षिप्त विवरण ''अनुशासनिक कार्यवाहिया. के अन्य प्रकरण'' अध्याय-5 म. दिया गया है।

1.	एफ.3(52)/लोआस/2012
2.	एफ.3(330)/लोआस/2013
3.	एफ.3(228)/लोआस/2014
4.	एफ.3(242)/लोआस/2014
5.	एफ.3(327)/लोआस/2014
6.	एफ.5(46)/लोआस/2013
7.	एफ.5(111)/लोआस/2013
8.	एफ.5(9)/लोआस/2014
9.	एफ.5(18)/लोआस/2014
10.	एफ.5(51)/लोआस/2014
11.	एफ.5(132)/लोआस/2014
12.	एफ.10(19)/लोआस/2012
13.	एफ.10(41)/लोआस/2013
14.	एफ.10(4)/लोआस/2014
15.	एफ.10(113)/लोआस/2015
16.	एफ.11(128)/लोआस/2013
17.	एफ.11(205)/लोआस/2013

18.	एफ.11(22)/लोआस/2014
19.	एफ.11(274)/लोआस/2014
20.	एफ.11(510)/लोआस/2014
21.	एफ.11(511)/लोआस/2014
22.	एफ.12(35)/लोआस/2011
23.	एफ.12(65)/लोआस/2011
24.	एफ.12(96)/लोआस/2011
25.	एफ.12(123)/लोआस/2011
26.	एफ.12(165)/लोआस/2011
27.	एफ.12(97)/लोआस/2012
28.	एफ.12(7)/लोआस/2013
29.	एफ.12(50)/लोआस/2013
30.	एफ.12(60)/लोआस/2013
31.	एफ.12(67)/लोआस/2013
32.	एफ.12(97)/लोआस/2013
33.	एफ.12(113)/लोआस/2013
34.	एफ.12(123)/लोआस/2013

35.	एफ.12(189)/लोआस/2013
36.	एफ.12(63)/लोआस/2014
37.	एफ.12(129)/लोआस/2014
38.	एफ.12(241)/लोआस/2014
39.	एफ.12(325)/लोआस/2014
40.	एफ.12(343)/लोआस/2014
41.	एफ.12(369)/लोआस/2014
42.	एफ.12(96)/लोआस/2015
43.	एफ.12(341)/लोआस/2015

44.	एफ.16(62)/लोआस/2008
45.	एफ.16(117)/लोआस/2008
46.	एफ.16(215)/लोआस/2011
47.	एफ.16(285)/लोआस/2014
48.	एफ.35(279)/लोआस/2013
49.	एफ.35(34)/लोआस/2014
50.	एफ.35(180)/लोआस/2014
51.	एफ.35(212)/लोआस/2014

उपरोक्त प्रकरणा. के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकरण वे हैं जिनका विवरण ''जस्टिस एन.एन. माथुर जाँच आयोग से अन्तरित प्रकरणा. का प्रगति विवरण'' अध्याय - 3 म. दिया गया है:-

1.	एफ.22(323)/लोआस/2011
2.	एफ.22(155)/लोआस/2011
3.	एफ.22(588)/लोआस/2011
4.	एफ.22(598)/लोआस/2011
5.	एफ.22(160)/लोआस/2011
6.	एफ.22(1418)/लोआस/2011
7.	एफ.22(1193)/लोआस/2011
8.	एफ.22(453)/लोआस/2011

9.	एफ.22(528)/लोआस/2011
10.	एफ.22(532)/लोआस/2011
11.	एफ.22(538)/लोआस/2011
12.	एफ.22(544)/लोआस/2011
13.	एफ.22(551)/लोआस/2011
14.	एफ.22(552)/लोआस/2011
15.	एफ.22(585)/लोआस/2011
16.	एफ.22(1423)/लोआस/2011

17.	एफ.22(1428)/लोआस/2011
18.	एफ.22(1432)/लोआस/2011
19.	एफ.22(1435)/लोआस/2011
20.	एफ.22(1437)/लोआस/2011
21.	एफ.22(1441)/लोआस/2011
22.	एफ.22(1444)/लोआस/2011
23.	एफ.22(1450)/लोआस/2011
24.	एफ.22(1463)/लोआस/2011
25.	एफ.22(1476)/लोआस/2011
26.	एफ.22(1495)/लोआस/2011
27.	एफ.22(1502)/लोआस/2011
28.	एफ.22(1635)/लोआस/2011
29.	एफ.22(561)/लोआस/2011
30.	एफ.22(563)/लोआस/2011
31.	एफ.22(572)/लोआस/2011
32.	एफ.22(1607)/लोआस/2011
33.	एफ.22(308)/लोआस/2011
34.	एफ.22(1596)/लोआस/2011
35.	एफ.22(302)/लोआस/2011
36.	एफ.22(164)/लोआस/2011

37.	एफ.22(362)/लोआस/2011
38.	एफ.22(1655)/लोआस/2011
39.	एफ.22(1613)/लोआस/2011
40.	एफ.22(1581)/लोआस/2011
41.	एफ.22(1414)/लोआस/2011
42.	एफ.22(352)/लोआस/2011
43.	एफ.22(553)/लोआस/2011
44.	एफ.22(590)/लोआस/2011
45.	एफ.22(1466)/लोआस/2011
46.	एफ.22(623)/लोआस/2011
47.	एफ.22(546)/लोआस/2011

अध्याय-7

लोकायुक्त अधिनियमः संशोधन हेतु प्रयास

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित लोकायुक्त संस्था एक उच्चस्तरीय वैधानिक संस्था है जिसके सृजन का उद्देश्य राज्य के लोक सेवका. के विरूद्ध कदाचरण, पद के दुरूपयोग तथा भ्रष्ट आचरण से सम्बन्धित शिकायता. के सम्बन्ध म. स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी जाँच/अन्वेषण आदि करना है।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अनुसार लोकायुक्त जाँच के दायरे म. मंत्रिया, सचिवा, राज्य सेवका. तथा कतिपय संस्थाआ, कम्पनिया, निगमा. के अधिकारिया. और कर्मचारिया. को रखा गया है। बाद म, कुछ प्राधिकारिया. और संस्थाआ. को अधिसूचना के माध्यम से भी लोकायुक्त जाँच के क्षेत्राधिकार मं. लाने का प्रावधान किया गया किन्तु ऐसी अधिसूचित संस्थाआ. की संख्या नाममात्र ही है। जन साधारण की आशाआं. के अनुरूप भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा म. प्रभावी कार्य करने के लिए लोकायुक्त संस्था के पास पर्याप्त शक्तियाँ और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः जनता को 'सुशासन' दिलाये जाने की दिशा म. आशातीत सफलता मिलना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित किये जाने के पश्चात् विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाआ. द्वारा राजस्थान म. भी लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. उक्त अधिनियम जैसे प्रावधान जोड़े जाने की मांग की गई। अतः इस संस्था को सशक्त एवं प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) बिल, 2014 का प्रारूप इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.

1(14)लोआस/84/13552 दिनांक 17.01.2014 द्वारा राज्य सरकार को भिजवाया गया।

उक्त प्रस्तावित संशोधन विधेयक के विषय म. अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने पर इस सचिवालय द्वारा स्मरण-पत्र दिनांक 17.01.15 भिजवाया गया। इस सचिवालय द्वारा उपरोक्त पत्राचार के बाद भी क्रमशः दिनांक 23.06.15 एवं 05.10.15 को स्मरण पत्र (परिशिष्ट 7.1 से 7.4) लिखे गये हैं परन्तु अभी तक राज्य सरकार के स्तर पर इस सम्बन्ध म. की गयी कार्यवाही से अवगत नहीं करवाया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के पैटर्न पर ओडिशा विधान सभा द्वारा ओडिशा लोकायुक्त बिल, 2014 दिनांक 13.02.2015 को पारित कर दिया गया है। लोकायुक्त संस्था को ओडिशा राज्य म. इस अधिनियम के माध्यम से पर्याप्त शक्तियां प्रदान कर सशक्त एवं प्रभावी बना दिया गया है। मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक राज्य के अधिनियमा. म. पहले से ही ऐसे प्रभावी प्रावधान मौजूद हैं। इस कारण उक्त राज्या. की लोकायुक्त संस्थाएँ पर्याप्त रूप से सशक्त एवं प्रभावी हैं। मध्यप्रदेश राज्य म. लोक सेवका. के विरूद्ध पुलिस द्वारा किए जाने वाले अन्वेषणा. को लोकायुक्त के नियंत्रण म. रखा गया है।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. उक्त राज्या. की तुलना म. न तो लोक सेवक की व्यापक परिभाषा दी गई है, न सर्च वारण्ट जारी करने की शक्तियां दी गई हैं और न ही संस्था को स्वयं की अन्वेषण एजेन्सी उपलब्ध करायी गई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संस्था ने लोकायुक्त सचिवालय हेतु मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक की तर्ज पर अलग से पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना की माँग की थी जिस पर राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांकः प.6(2)का/क-3/शिका/2011

जयपुर दिनांक 4.10.2013 द्वारा कुल 15 अधिकारिया/पुलिसकर्मिया. के पद स्वीकृत करते हुए पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना भी कर दी गई थी परन्तु बाद म. राज्य सरकार द्वारा उक्त स्वीकृत पदा. के विरूद्ध पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण का पदस्थान करने म. असमर्थता व्यक्त की गयी।

इसके बाद इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22.09.2014 को यह प्रस्तावित किया गया कि यदि उपरोक्त स्वीकृत पदा. के विरूद्ध अधिकारी/पुलिसकर्मी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो उस स्थिति म. लोकायुक्त को राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य की किसी भी अन्वेषण एजेन्सी की सेवाएं उनके निर्देशन म. कार्य करने हेतु तत्काल उपलब्ध करवाई जाय. जिससे आवश्यक मामला. म. मौके पर कार्यवाही की जा सके । लेकिन इस विषय म. भी आज दिनांक तक कोई पहल राज्य सरकार के स्तर पर नहीं हुई है। विकल्प म. हमारे द्वारा राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 14(3) के अधीन किसी भी अन्वेषण एजेन्सी/अधिकारीगण की सेवाएं राज्य सरकार की बिना पूर्व अनुमति और सहमति के प्राप्त करने हेतु संस्था को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव भी भेजा गया था परन्तु इस सम्बन्ध म. भी अपेक्षानुरूप कार्यवाही न करते हुए कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक:एफ.6(1)डीओपी/ए-3/कम्प./2016 दिनांक 21.1.2016 के अनुसार मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी को एकल सम्पर्क अधिकारी मनोनीत करने हेतु अधिकृत किया गया है जो कि राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही राज्य के किसी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाएं प्रदान करने म. सक्षम हाग़े। इसका तात्पर्य यह है कि लोकायुक्त को किसी विशेष प्रकरण के अन्वेषण हेतु एकल सम्पर्क अधिकारी को अनुरोध करना होगा जो न

केवल जटिल व अव्यावहारिक है बल्कि इस सचिवालय की गरिमा के प्रतिकूल भी है।

अतः राज्य सरकार को चाहिए कि वह अब शीघ्र ही धारा 14(3) के अधीन किसी भी अन्वेषण एजेन्सी/अधिकारीगण की सेवाएं राज्य सरकार की बिना पूर्व अनुमति और सहमति के प्राप्त करने हेतु संस्था को अधिकृत करने का आदेश प्रसारित करे ताकि इस सचिवालय द्वारा दस्तावेजात और सम्पत्ति की जांच और जब्ती सम्बन्धी कार्यवाही गोपनीयतापूर्वक शीघ्रता से किया जाना सम्भव हो सके।

केन्द्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के मुख्य प्रावधाना. तथा विभिन्न राज्या. म. प्रभावशील सशक्त लोकायुक्त अधिनियमा. के पैटर्न पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को भी प्रभावी व सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से निम्न संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं :-

1. अधिनियम म. ''लोकसेवक'' की परिभाषा के दायरे को विस्तृत करते हुए राज्य सेवका. और मंत्रिया. के साथ-साथ मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्या, राजस्थान विधान सभा से पारित कानून के अन्तर्गत बनी सभी संस्थाआ, निगमा, निकाया, राज्य सरकार के स्वत्वाधीन, नियंत्रित या वित्तपोषित कम्पनिया, निगमा, सोसाइटिया. और पब्लिक ट्रस्टा, राज्य अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालया. तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित निकाया. और समितिया. के पदाधिकारिया. और कर्मचारिया. को भी लोकायुक्त जांच के दायरे म. लाया जाये।

2. अन्वेषण एवं अभियोजन शाखा का लोकायुक्त के नियंत्रणाधीन गठन किया जाये ताकि जांच एवं अन्वेषण का निष्पादन त्वरित गति से होकर दोषी लोक सेवका. का अभियोजन शीघ्रता से संभव हो सके।

3. प्रभावी जांच के लिए तलाशी वारण्ट जारी करने की शक्तियाँ लोकायुक्त को प्रदान की जाय।

4. लोकसेवका. का अभियोजन करने के लिए अभियोजन की स्वीकृति जारी करने के लिए लोकायुक्त को अधिकृत किया जाये।

5. लोकायुक्त द्वारा अन्वेषित मामला. की सुनवाई राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 के अधीन गठित 'विशेष न्यायालय' द्वारा किये जाने का प्रावधान किया जाये ताकि मामला. का त्वरित, प्रभावी तथा दोष रहित निस्तारण सम्भव हो सके।

6. लोकायुक्त को भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने की शक्तियां प्रदान की जाय। साथ ही 'विशेष न्यायालय' को ऐसी सम्पत्तिया. को जब्त करने के लिए भी अधिकृत किया जाये।

7. लोकायुक्त को ऐसे लोक-सेवक के स्थानान्तरण या निलम्बन के आदेश देने की शक्तियाँ प्रदान की जाय, जिसके विरूद्ध लोकायुक्त सचिवालय म. लम्बित जांच म. ऐसा करना आवश्यक हो।

8. प्रत्येक लोक-सेवक द्वारा प्रतिवर्ष अपनी सम्पत्ति और दायित्वा. का ब्यौरा लोकायुक्त सचिवालय म. प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया जाये। इस ब्यौरे को सार्वजनिक किये जा सकने का प्रावधान भी किया जाये। जहां लोक-सेवक के पास घोषित स्रोता. से

अधिक सम्पत्ति पायी जाती है, उसे भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति माने जाने का प्रावधान किया जाये।

9. लोकायुक्त द्वारा सम्पादित कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने और जहां लोकायुक्त की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया गया हो, उससे सम्बन्धित रिपोर्ट कारणा. सहित विधान सभा के पटल पर रखवाने का प्रावधान किया जाये।

हमारा यह सुविचारित मत है कि उपरोक्त सभी प्रस्तावित प्रावधाना. के माध्यम से लोक सेवका. के विरूद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार, पद के दुरूपयोग एवं अकर्मण्यता के सम्बन्ध म. प्राप्त शिकायता. के सम्बन्ध म. प्रभावी ढंग से जांच एवं अन्वेषण सम्भव हो सकेगा। जैसाकि पूर्व म. उल्लेख किया जा चुका है, ओडिशा राज्य द्वारा केन्द्रीय लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रतिमान (Pattern) पर ओडिशा लोकायुक्त बिल, 2014 दिनांक 13.02.15 को पारित कर दिया गया है जिसम. केन्द्रीय अधिनियम के समान ही प्रावधान दिये गए हैं, अतः ओडिशा राज्य की भांति प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम 2013 को भी राज्य सरकार द्वारा विधान सभा से शीघ्र पारित करवाया जाना अपेक्षित है जिससे राजस्थान म. भी ओडिशा व कर्नाटक राज्या. की भांति सशक्त एवं प्रभावी लोकायुक्त संस्था अस्तित्व म. आ सके।

* * * * *

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट-7.1

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/9156 दिनांक-23.06.15

शासन सचिव,
मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13564 दि.17.01.14

प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24856 दि.20.01.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् विभिन्न संगठना. एवं स्वयंसेवी संस्थाआ. की ओर से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. प्रभावी संशोधन किए जाने की मांग के क्रम म. आवश्यक संशोधन के साथ राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप प्रासंगिक पत्र म. वर्णितानुसार शासन सचिव, कार्मिक(क-3) विभाग को भिजवाया गया था और प्रस्तावित अधिनियम की एक प्रति आपको भी भिजवाते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा निवेदन किया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र-2 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित कर इस संबंध म. वर्तमान स्थिति से अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया लेकिन इस संबंध म. कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रासंगिक पत्र 1 व 2 की प्रति संलग्न करते हुए प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के संदर्भ म. हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को शीघ्र अवगत कराया जाना निवेदित है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

ह./-23.6.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-7.2

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/9158 दिनांक-23.06.15

शासन सचिव,
कार्मिक (क-3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13552 दि.17.01.14

प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24855 दि.20.01.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् विभिन्न संगठना. एवं स्वयंसेवी संस्थाआ. की ओर से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. प्रभावी संशोधन किए जाने की मांग पर प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 प्रस्तावित कर शीघ्र कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र-2 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित कर इस संबंध म. वर्तमान स्थिति से अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया लेकिन इस संबंध म. कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रासंगिक पत्र 1 व 2 की प्रति संलग्न करते हुए प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के संदर्भ म. हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को शीघ्र अवगत कराया जाना निवेदित है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

ह./-23.6.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–7.3

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/21928 दिनांक–05.10.15

शासन सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषयः– राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग–1:– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13564 दि.17.01.14

प्रसंग–2:– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24856 दि.20.01.15

प्रसंग–3:– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9156 दि.23.06.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् विभिन्न संगठना. एवं स्वयंसेवी संस्थाआ. की ओर से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. प्रभावी संशोधन किए जाने की मांग के क्रम म. आवश्यक संशोधन के साथ राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप प्रासंगिक पत्र म. वर्णितानुसार शासन सचिव, कार्मिक(क–3) विभाग को भिजवाया गया था और प्रस्तावित अधिनियम की एक प्रति आपको भी भिजवाते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रासंगिक पत्र–1 के द्वारा निवेदन किया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र–2 व 3 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित कर इस संबंध म. वर्तमान स्थिति से अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया था। इस संबंध म. कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रासंगिक पत्र 1,2 व 3 की प्रति पुनः संलग्न करते हुए प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के संदर्भ म. हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को शीघ्र अवगत कराया जाना निवेदित है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

ह./-05.10.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-7.4

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/21927 दिनांक-05.10.15

शासन सचिव,
कार्मिक (क-3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13552 दि.17.01.14

प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24855 दि.20.01.15

प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9158 दि.23.06.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् विभिन्न संगठना. एवं स्वयंसेवी संस्थाआ. की ओर से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. प्रभावी संशोधन किए जाने की मांग पर प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 प्रस्तावित कर शीघ्र कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र-2 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित कर इस संबंध म. वर्तमान स्थिति से अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया लेकिन इस संबंध म. कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रासंगिक पत्र 1,2 व 3 की प्रति पुनः संलग्न करते हुए प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के संदर्भ म. हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को शीघ्र अवगत कराया जाना निवेदित है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

ह./-05.10.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

अध्याय-8

विविध

लोकायुक्त एवं उप- लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि

लोकायुक्त

क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.08.1973	27.08.1978
2.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.08.1978	05.08.1979
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.08.1979	07.08.1982
4.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	04.04.1984	03.01.1985
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	04.01.1985	03.01.1990
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.01.1990	06.03.1990
7.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.08.1990	30.09.1993

क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
8.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.01.1994	16.02.1994
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.07.1994	06.07.1999
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	26.11.2004
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एल.गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	01.05.2007	30.04.2012
12.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सज्जन सिंह कोठारी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	25.03.2013	निरन्तर
उप-लोकायुक्त			
1.	श्री के.पी.यू.मेनन आई.ए.एस. पूर्व मुख्य सचिव	05.06.1973	25.06.1974

* कार्यवाहक लोकायुक्त